मतादर्श

सामाजिक विज्ञान, मानविकी एवं वाणिज्य की शोध पत्रिका

प्रधान संपादक

डॉ० प्रसून दत्त सिंह

प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी

संपादक

डॉ० रितेश भारद्वाज

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, श्यामलाल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

मेखला प्रकाशन

एफ-3/139, सेक्टर-16, रोहिणी

दिल्ली-110089

वर्ष : 15 **अंक :** 1 ❑ जनवरी–मार्च, 2023

मतादर्श

मतादर्श भारत में समाचार पत्रों के निबंधक (आर.एन.आई.) द्वारा अनुमोदित है।

संपादक मंडल
डॉ॰ आर. एन. कुंअर
डॉ॰ बामेश्वर सिंह
डॉ॰ विद्या भूषण श्रीवास्तव
डॉ॰ रवीन्द्रनाथ राय
डॉ॰ अमरकान्त सिंह
डॉ॰ लक्ष्मेश्वर ठाकुर

फोन : 011–35522994, 40564514, 22753916
e-mail : matadarsh.journal@gmail.com

मुद्रक एवं प्रकाशक अलका सिंह द्वारा एफ–3/139, सेक्टर–16, रोहिणी दिल्ली–110089 से प्रकाशित तथा बी. के. ऑफसेट, नवीन शाहदरा दिल्ली–32 से मुद्रित

नोट: पत्रिका में प्रकाशित लेखकों के विचार अपने हैं। उसके लिए पत्रिका/संपादक/संपादक मंडल को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। पत्रिका से सम्बंधित किसी भी विवाद के निपटारे के लिए न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

Editorial

For the last almost five decades, the importance of coarse grains i.e. millets has been continuously decreasing, so much so that the new generation do not have much knowledge about ragi, jowar, bajra etc., which had been an important part of our diets over thousands of years. The decline in millets was mostly driven by the belief that millets were sub-standard and meant only for the poor. Due to that mentality, the consumption of millets decreased amongst the rich households. The low consumption of millets in the diet of western countries has also been a cause of its low consumption among Indian affluent families. Wheat and rice dominated Indian households' food plate. Since wheat and rice require more irrigation and almost half of the arable land in India is rain fed, devoid of proper irrigation facilities, food crops have been grown on only one third of the land. Although, now the per hectare productivity in wheat and rice has increased significantly, and due to this the production of wheat and rice is now abundant in the country. For a long time India could not produce food grains in surplus, because coarse grains lost their glory post green revolution, as they vanished from Indians' diet.

Although millets continued to be used in small quantities in rural areas, they had almost disappeared from the urban food basket. The urban people were also not much aware of the nutritional importance of coarse grains. Although, there has been a trend towards artificially enriched magnesium, phosphorus, calcium, protein and gluten-free food for some time, but the trend of people towards coarse grains which are naturally rich in nutrition could not increase. The insoluble fibre of millets works like a probiotic that supports the good bacteria, which helps in the digestion of food. Millets also provide essential amino acids to build protein and act as antioxidants to protect our body from the harmful oxidative stress and help in the formation of proteins in the body. Regular consumption of millets also helps prevent heart disease and diabetes. Coarse grains also prevent growth of cancer cells and are also beneficial for bones. Apart from this, there are numerous other virtues of millets .

Thanks to efforts made by India, the year 2023 is being celebrated as the International Year of Millets. Although millets or coarse grains have been used in India for a long time, but due to the encouragement given to wheat and rice in the Green Revolution under the new agricultural policy in 1964-65, coarse grains went into the background and production of millets dropped drastically. In our country, mainly three types of coarse grains, namely, Jowar, Bajra and Ragi are grown in large quantities, while other coarse grains like Sanva, Chena, Kakum, Kodon, Kutki etc. are also grown in India. Apart from this, two other types of pseudo coarse cereals Rajgira and Kuttu are also produced in India. Due to encouragement given to coarse grains by Narendra Modi government, there is some increase in the production of coarse grains. In the year 2015-16, whereas the production of coarse cereals was only 145.2 lakh tonnes, it increased to 179.6 lakh tonnes by 2020-21. Most of this increase is seen in millets, whose production increased from 80.7 lakh tonnes to 108.6 lakh tonnes during this period. Presently India is the 5th largest exporter of coarse cereals in the world and the export of coarse cereals has been growing at an average rate of 3 percent over the years.

The increase in the production of coarse cereals is due to several reasons. First, better public awareness of the nutritional value of millets has boosted the demand for millets. Second, researches in the field of medical sciences, highlighting the importance of millets based lifestyle has also encouraged consumption of millets. Third, demand for coarse cereals has also been increasing overseas. Fourth, inclusion of millets in the public distribution system by the government. Fifth, the inclusion of millets in the midday meal of school children, etc is also boosting demand for millets. Apart from this, millets have also been included in the Integrated Child Development Services (ICDS) as per the suggestion of NITI Aayog.

Coarse grains are not only being encouraged by the government, but at the same time coarse grains are in fashion these days. Ragi dosa, ragi and bajra khichdi and other types of dishes are getting included in five star hotels' menu.

Today, when the year 2023 is being celebrated as the International Year of Millets, the interest in millets is also increasing in the country and the world. Due to increase in demand, farmers have also started getting remunerative prices for millets. Today, coarse grains worth about $300 million are also being exported from the country. Although the production and export of coarse cereals are increasing year by year, but there is a need to further encourage the production of coarse cereals in the country not only to improve nutrition and increase farmers' income, but also in the context of climate change. Indian Institute of Millet Research (IIMR) is also working in this direction. In 2016, this institute has also started a brand of processed and semi-processed millets based food products by the name of 'Eatrite' and efforts are also being made to popularize it. Many start-ups are also working in this direction.

Today, when the popularity of coarse grains is increasing at the international level and efforts are being made by the government to promote them and high yielding varieties of seeds of millets are also being developed, the production of coarse grains in the country is likely to increase further. Significantly, in the past, coarse grains were produced in many states including Rajasthan, Maharashtra, Odisha, Bihar and Punjab. Especially, states with vast rain fed agriculture land used to produce most of these millets and were meeting their nutritional requirements. But due to the diminishing interest of people in coarse grains, their production was affected and different types of commercial crops were produced in place of coarse grains. Millets were mostly replaced by cotton and sugarcane. Today, when the demand for coarse grains has started increasing again, in many places the interest of farmers towards coarse grains has also increased. In the past, coarse grains were produced not only in rain-fed agricultural land, but even in irrigated agricultural land like Punjab. At present, under the pressure of climate change, by promoting the production of coarse grains, we can save farmers from the onslaught of climate change and can help improve their income. Various stakeholders including agricultural scientists, policy makers and others will have to make concerted efforts to encourage the production of millets. With this, we can increase the income of the farmers, improve nutrition and can also get rid of various types of diseases by removing the anomalies in the present-day diet. Moreover, coarse grains can also become an important source of earning foreign exchange.

—*Editor*

इस अंक में

शिक्षा विभाग

बुनियादी शिक्षा: एक विश्लेषण–श्रीमती कल्पना कौशिक 7

दूरस्थ शिक्षा में कम्प्यूटर एवं शिक्षक की भूमिका–श्रीमती भावना नाईक 11

प्राथमिक शिक्षा में सुधार सम्भावनाएँ एवं चुनौतियाँ–श्री भूपेन्द्र दुबे 14

वैदिक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली–कृष्ण कुमार तिवारी 17

दीक्षा पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षित शिक्षकों के शिक्षण का विद्यार्थियों की अधिगम शैली पर प्रभाव का अध्ययन –प्रो० पार्थ सारथी पाण्डेय; मिथिलेश कुमार 21

संस्थागत तथा दूरस्थ शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन –प्रो० पार्थ सारथी पाण्डेय; विकास कुमार सिंह 26

दृश्य श्रव्य माध्यमों से मनोरंजन व शिक्षा–गिरधारी यादव 31

भारतीय समाज के उत्थान में महिला शिक्षा की भूमिका–श्रीमती अन्नपूर्णा यादव; डॉ० (श्रीमती) शशिकला सिन्हा 35

महात्मा गांधी एवं डॉ. जाकिर हुसैन के शैक्षिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन–शैलजा आनंद श्रीवास्तव 38

समाजशास्त्र

भारत में कन्या भ्रुण हत्या: स्त्रियों के अस्तित्व पर संकट–निकिता गुप्ता; डॉ० नरेश कुमार सोनकर 42

इतिहास

गाँधीयुग से पहले स्त्री शिक्षा: एक समग्र अवलोकन–प्रिया कुमारी 47

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस तथा वामपंथ दलों की भूमिका : एक अध्ययन–अदिती लाल 50

आयुर्वेद चिकित्सा के विकास में बौद्ध धर्म की भूमिका–मुकेश कुमार 53

मध्यकालीन स्त्री चेतना व गुरुनानक–प्रभजीत कौर 57

भक्ति आंदोलन के सामाजिक आयाम एवं उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन–पुंज प्रकाश शरण 59

राजनीति विज्ञान

भ्रष्टाचार के संदर्भ में न्यायपालिका की भूमिका–डॉ० संतोष कुमार गुप्ता 61

भारत में लोक सेवायें: साख पर सवाल–अभिषेक कुमार 63

उभय लिंग का मानवाधिकार–डॉ० सुरेन्द्र कुमार यादव; रामकुमारी 69

बिहार में बदलते राजनीतिक आयाम का अध्ययन–डॉ० पूर्णिमा सिंह 72

आधुनिक भारतीय चिन्तक डॉ० भीमराव अम्बेडकर के राजनीतिक विचार–डॉ० अनिल शर्मा 75

दलित राजनीति में बिहार दलित वर्ग–डॉ० संध्या कुमारी 79

भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में कांग्रेस और वामपंथ राजनीतिक दल की भूमिका–डॉ० गायत्री कुमारी 84

महिला सशक्तिकरण: एक अवलोकन–डॉ० उत्कर्ष उपाध्याय 87

हिन्दी

ओम प्रकाश बाल्मिकी की आत्मकथा में दलित विमर्श–कु. रेनू 91

"आलोचना की आलोचना"–डॉ० ललित कुमार 94

भारतीय लोकतंत्र में मीडिया का बढ़ता प्रभाव–नंदिनी तिवारी; रश्मि पाण्डेय 98

उपन्यास साहित्य एवं आदिवासी विमर्श–डॉ० धीरेंद्र कुमार पटेल; गौरव सिंह 103

'अग्निबीज' उपन्यास में विन्यस्त प्रगतिशील चेतना का स्वरूप–रोहित यादव; प्रो० (डॉ०) मृत्युंजय सिंह 107

दर्शनशास्त्र विभाग

जैन धर्म की दार्शनिक प्रासंगिकता–डॉ० सुमित्रा कुमारी 110

भूगोल विभाग

जल सम्पन्न उत्तर बिहार की कमला-बलान नदी बेसिन मे भूजल की समस्या–डॉ० सुभ कुमार साहु; मो० रेयाज अंसारी 113

दरभंगा सदर प्रखण्डः पंचायतवार अनुसूचित जातियों की शैक्षणिक स्थिति–डॉ० रतन कुमार झा; मृत्युंजय कुमार 118

वनाग्नि–संदीप कुमार 122

लॉ विभाग

लैंगिक समानता का समीक्षात्मक विश्लेषण–डॉ० वसीम अहमद; भावना रघुवंशी 125

अम्बेडकर अध्ययन केंद्र

डॉ. आम्बेडकर का ईसाइयत के बारे में दृष्टिकोणः एक विश्लेषण–डॉ० किस्मत कुमार 128

वेद विभाग

बलाबल-विचार (मीमांसाशास्त्र के प्रमुख सिद्धान्त बलाबल का स्वरूप परिचय)–डॉ० रामचन्द्र मेघवाल 132

A.B.S.T.

Impact of Foreign Direct Investment on Indian Economy—Mr. Bhuvan Chittoria 136

HISTORY

Gender Equality in Ancient India—Dr. Pratyancha Pandey 140

SOCIOLOGY

Human Rights in India: A Way Forward—Dr. Pramod Gandhi 145

Role of Teachers in Implimentation of Outcome based Education—Dr. Priyanka Kumari 150

PSYCHOLOGY

Mental Health And Sustainable Development Goals—Dr. Harshita Rathore 153

LITERATURE

Reflections of India's Modernity in the Works of Octavio Paz—Dr. Anurag Bhagat 160

COMMERCE

Study The Effect Of Covid-19 In Indian Banking Sector—Dr. Kumar Sudhanshu 163

RELIGION

Primacy of Environment is an integral aspect of Sanatan Dharma—Dr. Parvinder Sharma 170

ENGLISH

Humanist Interpretation Of Amish Tripathi's Sita: The Warrior Of Mithila—Nisha Pandey 174

A Glimpse of Expedition of the female from the Self Estrangement to Self-Identity in the Novels of Namita Gokhale—Dr. Purnima Bhardwaj; Manu Gangwar 178

LAW

Right of Abortion : Whose Choice?—Dr. Priya Rao 182

Study on Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act —Shagufta Rashid; Dr. Chandra Lok Chaudhry 186

GEOGRAPHY

Geographical Study of Smart Management of Muzaffarpur City : A Case Study—Jagriti Prabhat 192

Development of Patna as a Smart City—Savita Bharti 197

INTERNATIONAL STUDIES

China's Public Diplomacy: An Effective Comprehensive Strategy—Ratnesh Kumar Singh 202

SOCIAL SCIENCE

A Dharmic Approach To Communal Unity (Not Uniformity!)—Arjun Anand 214

बुनियादी शिक्षा: एक विश्लेषण

श्रीमती कल्पना कौशिक

शिल्प शिक्षिका, द.पू.म.रे.उच्च.मा. विद्यालय, क्रमांक-1, बिलासपुर (छ.ग.)

शिक्षा को जीवन के लिए ऐसे ढंग से तैयारी करना माना जाता है जिसके द्वारा बड़ा होता हुआ सीखने वाला न केवल समाज में समाहित होता है, बल्कि उसमें इस समाज को रूपान्तरित करने की अन्तर्निहित क्षमता, इच्छा और सामर्थ्य भी आती है। आज हमारी शिक्षा बच्चों को उनकी जड़ों से दूर जाने से रोकने में असमर्थ है। वे ऐसे पेशेवर कामों की आकांक्षा कर रहे हैं जिनमें किसी शारीरिक श्रम की, उद्यम करने में निहित जोखिम की तथा किसी सामाजिक, जिम्मेदारी की जरूरत नहीं होती और जिसमें अपने साथियों के साथ सहभागिता पूर्वक कार्य करने की भी आवश्यकता नही होती। वे अधिक अकेले दूसरों से कटे हुए होते हैं और उनका सोचना, अनुभवों को लेना, उनका रवैया और भावनाएँ, सब कुछ यंत्रवत होता है। हम सभी को शिक्षा के संज्ञात्मक पहलुओं और उसकी यांत्रिक तार्किकता पर दिए जा रहें जरूरत से ज्यादा जोर का अनुभव होता है। तार्किकता मूल्यवान है, परन्तु चरम रूप से और अकेले नहीं। उसे नीति और संवेदना के साथ संशोधित किया जाना जरूरी है। स्कूल के कार्यक्रम में बच्चे में जिम्मेदारी एहसास निर्मित करना भी शामिल नहीं रहता। लोग काम में आनंद लेने और साधारण जीवन चुनने के बजाय भौतिकवादी, उपभोक्तावाद और अरामवलंबी की ओर जरूरत से ज्यादा झुके होने का विकल्प चुनते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि बुनियादी शिक्षा के पास इन सभी समस्याओं के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है और वह इनमें से कुछ का समाधान करने का मार्ग भी है।

बुनियादी शिक्षा का विचार भारतीय समाज के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में परिवर्तन गाँधी के दर्शन के साथ ही उठा तथा पनपा। यह विचार शिक्षा व्यवस्था को भीतर से सुधारने के लिए नहीं था। यह अलग विचार या बल्कि अंग्रेजी शिक्षा का विकल्प या भारत की शिक्षा व्यवस्था को गाँधी के आदर्शों के अनुरूप बनाने का। ''बुनियादी शिक्षा या नई तालीम न केवल शिक्षा का पुनर्गठन का प्रयास था वरन सम्पूर्ण भारतीय समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए एक बड़ा कदम था। वर्धा में इसकी रूपरेखा तैयार करते समय गाँधी जी ने शायद भविष्य की शिक्षा का एकमात्र आदर्श रूप बनाना नहीं चाहा होगा। लेकिन शीघ्र ही कतिपय प्रांतों में कांग्रेस के सत्तारूढ़ हो जाने पर उनके लिए आवश्यक हो गया कि वे देश को एक कम खर्चीली जन शिक्षा उपलब्ध करा सकें। तत्कालीन वास्तविकताओं के संदर्भ में इस वृहद समस्या का एक मात्र व्यावहारिक हल था, इस आत्मनिर्भर, श्रम केन्द्रित बुनियादी शिक्षा को यथासंभव लागू किया जाना। डॉ. जाकिर हुसैन और सैयदन ने इनके समर्थन में अपनी राय देकर गांधी का पक्ष मजबूत बनाया। यद्यपि उनका मुख्य उद्देश्य समाज का नवनिर्माण नही बल्कि शिक्षा का मानकीकरण और व्यक्तिवाद का वर्चस्व बनाना।''[1]

इस प्रकार बुनियादी शिक्षा के पक्ष में तीन तरह की ताकतें काम कर रही थी। एक आदर्श समाज की चाह, नई उभरती हुई भारतीय प्रशासनिक तंत्र की तत्कालीन आर्थिक आवश्यकताएँ तथा व्यक्ति की महत्ता बनाए रखने का आग्रह। बुनियादी शिक्षा में जोर शारीरिक श्रम और अवलोकन का प्रशिक्षण, सामाजिक परिवर्तन और ऐसे नए मूल्यों को विकसित करने पर था जो प्रजातांत्रिक समाज की स्थापना के लिए आवश्यक है। गांधी जी द्वारा शिक्षा में श्रम को केन्द्रीय स्थान देने का आग्रह भी अधिक विवादास्पद नहीं बना। इन बुनियादी सिद्धांतों के कारण नई तालीम को काफी लोगों का समर्थन मिला। पर ऐसा नहीं था कि सभी लोग सभी सिद्धांतों से सहमत रहें हो। गांधीवादी और अन्य शिक्षाविदों के बीच इस बात को लेकर मतभेद था कि सीखने की प्रक्रिया में किस हद तक कर्म को केन्द्रीय माना जाए और काम में किस प्रौद्योगिकी का उपयोग हो। यह भी स्पष्ट था कि आत्मनिर्भरता जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा विद्यार्थियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से राजसत्ता के सहयोग पर निर्भर था।

आज भारतीय समाज में मुख्य रूप से शिक्षित लोगों में शारीरिक श्रम के प्रति हीनता की भावना पैदा होने लगी है। वह वर्तमान शिक्षा प्रणाली का एक बड़ा दोष है। भारत जैसे देश जहाँ पर मानव श्रम बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध है वहाँ श्रम की अवहेलना करना देश की आर्थिक उन्नति में बाधक है। महात्मा गाँधी के शिक्षा के क्षेत्र में इसी कमी को पहचाना और बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में श्रम की प्रतिष्ठा कर शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ने का प्रयास किया। गाँधी जी के अनुसार-''एक व्यक्ति को दान देने की बजाय यह कहीं बेहतर होगा कि हम उसकी आजीविका कमानें में उसकी सहायता करें और उसको श्रम करने के लिए प्रोत्साहित करें।''[2] श्रम या मेहनत ही सब विकासों का आधार है। आधुनिक भारतीय समाज में बेरोजगारी की समस्या एक महान् समस्या है। इस समस्या का समाधान गाँधी जी की आध ारभूत या बेसिक शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। जिसमें हस्त उद्योग द्वारा शिक्षण करने पर बल दिया गया है। हस्त उद्योगों के अंतर्गत गाँधी जी ने कपास, रेशम की बुनाई से लेकर सफाई, पिंजाई, रंगाई, मांड लगाना, ताना लगाना, बुनाई, कसीदा काढ़ना, सिलाई आदि तमाम क्रियायें कागज बनाना, कागज काटना, जिल्द

साजी, आलमारी तैयार करना इत्यादि उद्योगों को शामिल किया जिन्हें आसानी से सीखा जा सकता है और जिनको करने के लिए बड़ी पूंजी की भी जरूरत नहीं होती। गाँधी जी ने मुख्य रूप से शिक्षित बेरोजगारी के विषय में चिंता व्यक्त करते हुए नई शिक्षा के द्वारा इस समस्या के हल करने की बात कहीं है। गाँधी जी के शब्दों में-''मेरा यह विश्वास है कि हमारे कालेजो में जो इतनी भारी तथाकथित शिक्षा दी जाती है वह सब बिल्कुल व्यर्थ है और उसका परिणाम शिक्षित वर्गो की बेकारी के रूप में हमारे सामने आया है। आज यूनिवर्सिटी में शिक्षा पाये हुए हमारे नौजवान या तो सरकारी नौकरियों के पीछे मारे-मारे फिरते है या उसमें असफल होकर लोगों को लूट-पाट के लिए भड़का कर अपनी कुढ़न मिटाते है। लोगों से भीख मांगने या उनके टुकड़ों के मोहताज बनने में भी शर्म महसूस नहीं करते। उनकी दुर्दशा की कोई हद नहीं है। आज यूनिवर्सिटियों को चाहिए कि वे देश की आजाी के लिए जीने और मरने वाले जनता के सेवक तैयार करें। इसलिए मेरा राय है कि तालीमी संघ के शिक्षकों की मद्द से यूनिवर्सिटी शिक्षा को नई तालीम के साथ जोड़कर उसकी लाइन में आना चाहिए।''[3]

''शिक्षा क्यों और बुनियादी शिक्षा का मुद्दा क्यों'' इस पर विचार करते समय हमें यह याद रखना जरूरी है कि किसी भी शैक्षिक विचार को उसके राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक सन्दर्भ से अलग करना सही नहीं है। यह कहना काफी नहीं है कि शिक्षा इन सभी से प्रभावित होती है, बल्कि यह भी जोड़ना चाहिए कि वह इनके द्वारा ही निर्देशित होती है। इसके समर्थकों को इनकी जो समझ होगी, उसी से इसके प्रयोजन, इसका सहायक आधार और सभी अन्य चीजें, निकलकर आती है। वे वह विचारध ारात्मक बुनियाद या मजबूत चट्टान होते हैं, जिनके आधार पर शिक्षा की आवधारण का निर्माण और उसका क्रियान्वयन होता है। बुनियादी शिक्षा की उपयोगिता और उसके वास्तविक महत्व के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और बहुत बहसें भी हुई है। यह एक ऐसा विचार है जिसकी व्याख्या कई तरह से और कई सन्दर्भो में की गई है। इसको इस दृष्टि से भी जांचा गया है कि यह नए सिद्धान्तों का एक समूह है या कि पुराने परिचित सिद्धान्तों का ही कोई संयोजन है। बुनियादी शिक्षा के निरूपण की ओर ले जाने वाली इस चर्चा में, भारतीय समाज के ऐतिहासिक सन्दर्भो की तथा उस समाज के भीतर और बाहर होने वाले परिवर्तनों और विकास के प्रति उसकी प्रतिक्रियाओं की जाँच-पड़ताल करना महत्वपूर्ण है।

वर्तमान भारतीय समाज में मातृभाषा का महत्व घटता जा रहा है। आज की अधिकांश शिक्षण संस्थाओं में बालक को प्रारम्भ से ही अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती है। मातृभाषा और राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रयोग घटता जा रहा है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के बाद जन प्रतिनिधियों द्वारा शपथ ग्रहण समारोह में मात्र तीन-चार को छोड़कर बाकी सभी के द्वारा अंग्रेजी में शपथ ली गई। वह हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी के सम्मान एवं महत्व में निरन्तर आ रही कमी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। विदेशी माध्यम ने हमारी देशी भाषाओं के विकास को रोक दिया है। विदेशी माध्यम के दुष्प्रभाव को बताते हुए गाँधी जी ने कहा था कि विदेशी माध्यम से हमारे विद्यार्थी दिमागी थकावट के शिकार हुए है। उनके ज्ञानतन्तुओं पर अनुचित भार पड़ा है। वे रट्टू और नकलची बन गये हैं। नैतिक कार्य और विचार के लिए वे अयोग्य हो गये है और अपनी विद्या को परिवार अथवा जनसाधारण तक पहुँचाने में असमर्थ हो गये हैं। विदेशी माध्यम ने हमारे बालको को अपने ही देश में लगभग विदेशी बना डाला है। वर्तमान पद्धति का यह सबसे बड़ा दुखद परिणाम है। गाँधी जी ने विदेशी भाषा के माध्यम को एक अभिशाप बताया। उनके अनुसार विदेशी भाषा के माध्यम ने जिसके जरिये भारत में उच्च शिक्षा दी जाती है, हमारे राष्ट्र को हद से ज्यादा बौद्धिक और नैतिक हानि पहुँचाई है। आज आवश्यकता इस बात की है कि अंर्तराष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी के साथ-साथ हमारी प्रान्तीय भाषाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो और हमारी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखा जाये। शिक्षा को जन-साधारण तक पहुँचाने के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषाओं को बनाया जाना चाहिए।

बुनियादी शिक्षा योजना के अन्तर्गत मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने का प्रस्ताव रखा गया है। हमारे विभिन्न शिक्षा आयोगों में भी गाँधी जी के मत का समर्थन करते हुए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाये जाने का सुझाव रखा है। परन्तु आज भी निजी शिक्षण संस्थाओं में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। जिससे मातृभाषाएँ और राष्ट्रभाषा हिन्दी का स्थान गौण होता जा रहा है। मातृभाषा के महत्व को स्पष्ट करते हुए गाँधी जी ने लिखा है कि ''मेरी मातृभाषा में कितनी ही खामिया क्यों न हो, मैं उससे उसी तरह चिपटा रहूँगा जैसी अपनी माँ की छाती से। वही मुझे जीवन देने वाला दूध दे सकती है। मैं अंग्रेजी को उसकी जगह पर प्यार करता हूँ लेकिन अगर वह उस जगह को हड़पना चाहती है जिसकी वह अधिकारिणी नहीं है तो मैं उसका कड़ा विरोध करूंगा। यह बात मानी हुई है कि अंग्रेजी आज सारी दुनिया की भाषा बन गई है। इसलिए मैं उसे दूसरी भाषा के रूप में स्थान दूंगा-लेकिन यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में, स्कूलों में नहीं। वह कुछ लोगों के सीखने की चीज हो सकती है, लाखों करोड़ों की नहीं।''[4]

भारतीय समाज आज भी बाल विवाह, अनमेल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, दहजे प्रथा आदि कुरीतियों का शिकार है। नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बुनियादी सिद्धांत को लागू करके इन कुरीतियों से समाज को मुक्त किया जा सकता है और इन सामाजिक कुरीतियों के दुष्परिणामों से परिचित कराया जा सकता है। गाँधी जी शब्दों में ''मैं भारत के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सिद्धान्त को दृढ़तापूर्वक मानता हूँ। मैं यह भी मानता हूँ कि इस लक्ष्य को पाने का सिर्फ यही एक रास्ता है कि

हम बच्चों को कोई उपयोगी उद्योग सिखाये और उसके द्वारा उनकी शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करें।''[5] इस प्रकार आज भारतीय समाज में बुनियादी शिक्षा की उपयोगिता बहुत अधिक है। वर्तमान भारतीय समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ है। जनसंख्या के अनुपात में खाद्यसामग्री एवं अन्य वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो रहा है। वस्तुओं के अभाव में अनेक प्रकार की विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिल रहा है जिसमें भारतीय समाज पतन की ओर अग्रसर है। अत: आज बहुत ही जरूरी हो गया है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली को स्वावलम्बी बनाया जाये। बुनियादी शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत स्वावलम्बन या आत्मनिर्भरता पूर्ण शिखा है। गाँधी जी ने कहा है कि ''स्वावलम्बन मेरे लिए नई तालीम की पहली शर्त नहीं, बल्कि उसकी सच्ची कसौटी है। स्वावलम्बन के बिना नई तालीम वैसी ही मानी जायेगी जैसे बिना प्राण का शरीर।''[6] गाँधी जी की राय में इस देश में लाखों आदमी भूखे मरते है, बुद्धिपूर्वक किया जानेवाला श्रम ही सच्ची प्राथमिक शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा है। अक्षर-ज्ञान हाथ की शिक्षा के बाद आना चाहिए, हाथ से काम करने की क्षमता-हस्तकौशल ही तो वह चीज है, जो मनुष्य को पशु से अलग करती है। स्पष्ट है कि शिक्षा को शिल्प अथवा उद्योग पर आधारित करके भूखमरी और निर्धनता जैसी सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। आज भारत के ग्रामवासियों का जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उनको आत्मनिर्भर बनाया जाना जरूरी है इसके लिए उन्हें श्रम आधारित शिक्षा की जरूरत है जिसकी पूर्ति गाँधी जी के बुनियादी शिक्षा योजना के द्वारा सम्भव है।

आधुनिक भारतीय समाज की एक प्रमुख समस्या है जीवन आधारित शिक्षा का अभाव यद्यपि सैद्धांतिक रूप में यह स्वीकार किया गया है कि शिक्षा व्यावसायोन्मुखी होनी चाहिए परन्तु व्यवहार में आज भी शिक्षा जीवन उपयोगी न होकर सैद्धांतिक विषयों पर आधारित है। फलत: शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति उसका उपयोग अपने वास्तविक जीवन में नहीं कर पाता है। जीवन के वास्तविक मूल्यों अंहिसा, सत्य, प्रेम इत्यादि से वह वंचित रहता है। समाज में आदर्श नागरिकों के निर्माण के लिए इन मूल्यों पर आधारित बुनियादी शिक्षा की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। स्पष्ट है कि आधुनिक भारतीय समाज में गाँधी जी का शिक्षा दर्शन और नई शिक्षा योजना (बुनियादी शिक्षा) के उपादेयता व प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है।

गाँधी जी के विचारों व सिद्धांतों के विषय में सुब्राता मुखर्जी ने लिखा है। ''महात्मा गाँधी की प्रासंगिकता के विषय में प्रश्न उठाना यह प्रश्न पूछने के बराबर है कि ऊर्जा के लिए सूर्य की क्या प्रासंगिकता है।''[7] हमारे दूसरे सभी सिद्धांत एक समय में प्रासंगिक व दूसरे समय में अप्रासंगिक हो सकते है। लेकिन बुद्धिमता व मानवता के इस पुजारी की शिक्षाएँ तो अनन्त समय के लिए है। उन्होंने हमें एक अमूल्य उपहार के रूप में आत्म सम्मान व पहचान के रूप में एक गौरवशाली राष्ट्र दिया। आधुनिक भारतीय समाज में गाँधी जी के बुनियादी शिक्षा और शैक्षिक विचारों की उपयोगिता या आवश्यकता का अध्ययन करने से पहले भारतीय समाज के आधुनिक स्वरूप का अध्ययन करना आवश्यक है। समाज का शिक्षा से घनिष्ठ सम्बन्ध है। यही कारण है कि समाज अपने नागरिकों की शिक्षा के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था करता है जिससे शिक्षित होने पर ये सुयोग्य, सच्चरित्र तथा कर्मठ नागरिकों के रूप में समाज की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं तथा आदर्शो को पूरा करके उसे सफल सुदृढ़ और शक्तिशाली बना सके। 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद देश में समाजवादी धर्मनिरप्रेक्ष लोकतन्त्रीय व्यवस्था स्थापित की गई। देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उन्नति के लिए समय-समय पर विभिन्न योजनाएँ बनाई गई और उन्हें क्रियान्वित किया गया। शिक्षा के स्तरों में सुधार एवं विकास हेतु शिक्षा आयोगों की नियुक्ति की गई। ब्रिटिशकालीन शिक्षा में परिवर्तन किया गया। शिक्षा को भारतीय समाज की आवश्यकता के अनुरूप बनाने की सिफारिशें विभिन्न शिक्षा आयोगों द्वारा रखी गई। इन सबके बावजूद भारतीय समाज अभी तक पिछड़ा हुआ है और आधुनिक भारतीय समाज का स्वरूप अब भी अन्य राष्ट्रों की तुलना में संतोषजनक नहीं है। वर्तमान भारतीय समाज अनेक समस्याओं से ग्रस्त है जिनका निदान काफी सीमा तक गाँधी जी के शैक्षिक विचारों एवं बुनियादी शिक्षा को अपना कर किया जा सकता है। किसी परम्परागत समाज में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा ही एक सशक्त साधन हो सकती है। इस बारे में शिक्षा आयोग (1965-1966) ने लिखा है- ''यदि बिना किसी हिंसात्मक क्रांति के बड़े पैमाने पर यह परिवर्तन करना है तो केवल एक ही साधन है जिसका प्रयोग किया जा सकता है और वह है शिक्षा''[8]

भारतीय समाज निर्धनता की महान् समस्या से ग्रस्त है। निर्धनता के कारण लोगों के नैतिक मूल्यों में भी गिरावट आती जा रही है। गरीबी की इस समस्या के समाधान के लिए लोग अनैतिक कार्य करने से भी नहीं चूकते। निर्धनता का प्रमुख कारण हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली है जो नितान्त सैद्धांतिक है। जीवन की वास्तविकता से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। गाँधी जी की बुनियादी या आधारभूत शिक्षा योजना के अन्तर्गत शिल्प आधारित शिक्षा की व्यवस्था पर जोर दिया गया। इस प्रकार शिक्षा को उत्पादकता से जोड़कर देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है। गरीबी को दूर किया जा सकता है भारत एक धर्म प्राधन देश रहा है। परन्तु आज भारतीय समाज में सत्य, अहिंसा, प्रेम जैसे नैतिक और आध्यात्मिक आदर्श समाप्त होते जा रहे हैं। लोगों का विश्वास इन

प्राचीन मूल्यों पर से उठता जा रहा है। फलतः चारों ओर हिंसक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिल रहा हैं। अशांति, कलह, हिंसा के वातावरण ने देश और समाज की प्रगति को अवरूद्ध कर दिया है। आज गाँधी जी के नैतिक सिद्धांतों की नितांत आवश्यकता है। राष्ट्र और समाज एवं विश्व में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की स्थापना के लिए गाँधी जी के विचारों और सिद्धांतों की आवश्यकता व महत्व अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। गाँधी जी हमेशा की निःशस्त्रीकरण को मानव के उत्थान का मुख्य आधार बताया था और इसी निःशस्त्रीकरण के लिए आज सारा राष्ट्र प्रत्यनशील है।

संदर्भ ग्रन्थः-

1. शर्मा, के.आर.-बुनियादी शिक्षा एक नई कोशिश, पृष्ठ-23
2. International Research Journal of Management Sociology and Humanities, Page-121
3. वही, पृष्ठ-122
4. सीता, रमैया, वी.पी.-गाँधी और गाँधीवाद भाग 2, पृष्ठ-83
5. सयदेन, पी.जी.-भारतीय शैक्षिणिक विचारधारा, पृष्ठ-156
6. सक्सेना, एन.आर. स्वरूप-शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय सिद्धांत, पृष्ठ-88
7. भट्टाचार्य, प्रभात-गाँधी दर्शन, पृष्ठ-12
8. प्यारेलाल-आधुनिक जगत में गाँधी जी कार्य पद्धतियाँ, पृष्ठ-74

दूरस्थ शिक्षा में कम्प्यूटर एवं शिक्षक की भूमिका

श्रीमती भावना नाईक

कनिष्ठ अधिकारी, (मानव संसाधन विभाग) B.S.P.K भिलाई (छ.ग.)

शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। यह विकास का मूलाधार है। किसी भी राष्ट्र का विकास शिक्षा के अभाव में असम्भव है चाहे वह राष्ट्र कितने ही प्राकृतिक संसाधनों से आच्छादित क्यों न हो। आज के बदलते परिवेश में परिवर्तन की धारा ने शिक्षा को विशेष रूप से प्रभावित किया है। जहाँ एक ओर मानवीय संबंधों में बदलाव आया है, वहीं विज्ञान के बढ़ते चरण ने शिक्षा की दशा व दिशा दोनों ही परिवर्तित किए है। वैज्ञानिक आविष्कारों से प्रत्येक क्षेत्र में युगान्तकारी परिवर्तन हुए है। मनुष्य ने तकनीकी उन्नति के माध्यम से स्वयं का जीवन उन्नत किया है सम्पूर्ण विश्व में वैश्वीकरण व मुक्त अर्थव्यवस्था का बोल बाला है। अब प्रश्न यह उठता है कि परिवर्तन की इस आँधी में क्या प्रत्येक व्यक्ति का मानसिक, सामाजिक व आर्थिक विकास हुआ है? यदि नहीं तो इसमें सुधार की क्या सम्भावना तलाशी जाए? शिक्षा ही वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊँचा उठाया जा सकता है। शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि निम्नतम से निम्नतम व्यक्ति भी इसके द्वारा लाभान्वित हो सके और वैश्वीकरण के इस दौर में अपनी भूमिका निश्चित कर सकें। छात्र व छात्राओं की पीढ़ी में कुछ अभूतपूर्व परिवर्तन देखें जा सकते हैं। वे विद्यालयी शिक्षा को तो सहर्ष स्वीकार करते हैं, परन्तु इसके बन्धनों से परे शिक्षा की उपेक्षा भी करने लगे है। इस दौर में दूरस्थ शिक्षा द्वारा विकास की सम्भावनाएँ तलाशी जा रही है।

दूरस्थ शिक्षा, शिक्षा की वह प्रणाली है जिसमें शिक्षक तथा शिक्षु को स्थान-विशेष अथवा समय-विशेष पर मौजूद होने की आवश्यकता नहीं होती। यह प्रणाली, अध्यापन तथा शिक्षण के तौर-तरीकों तथा समय-निर्धारण के साथ-साथ गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं से समझौता किए बिना प्रवेश मानदड़ो के संबंध में भी उदार है। दूरस्थ शिक्षा एक बहुत अच्छें उद्देश्य को लेकर आरम्भ की गयी थी। हमारे देश के एक वर्ग की आर्थिक स्थिति और उसके शिक्षा जारी रखने की ललक ने इसका जन्म दिया था। फिर इसमें तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को भी जगह दे दी गयी। जब तक ये संस्थान सीमित थे इनकी गुणवत्ता पर संदेह नहीं किया जा सकता था। भारत की मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में राज्यों के मुक्त विश्वविद्यालय, शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएँ तथा विश्वविद्यालय शामिल है तथा इसमें दोहरी पद्धति के परंपरागत विश्वविद्यालयों के पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थान भी शामिल है। यह प्रणाली, सतत शिक्षा, सेवारत कर्मिकों के क्षमता-उन्नयन तथा शैक्षिक रूप से वंचित क्षेत्रों में रहने वाले शिक्षुओं के लिए गुणवत्तामूलक तर्कसंगत शिक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शैक्षिक क्षेत्र में दूरस्थ शिक्षा एक नवाचार तथा नई प्रवृत्ति के रूप में विगत कुछ दशकों से प्रचलित है। जनसंख्या विस्फोट, संसाधनों की सीमितता तथा शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। यह उन छात्रों के लिए एक वरदान है जो परम्परागत प्रकृति की औपचारिक शिक्षण संस्थानों में अध्ययन नहीं कर सकते। निर्धनों निर्जन क्षेत्रों तथा दूरस्थ प्रदेशों में रहने वालों तक दूरस्थ शिक्षा के माध्यम में शिक्षा का प्रकाश पहुंचाया जा सकता है। वर्तमान समय में दूरस्थ शिक्षा को एक अत्यंत महत्वपूर्ण शैक्षिक उपागम स्वीकार किया गया है। ‘‘बडे मियर के अनुसार - स्वतंत्र अध्ययन के अन्तर्गत वे शिक्षण संस्थाये आती है, जिनमें शिक्षक व शिक्षार्थी एक-दूसरे से अलग रहते हुए अपने कार्यो एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते है। इसका उद्देश्य विद्यालयी आबद्ध नियमों में शिक्षार्थियों को उन्मुक्त रखते हुए स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन हेतु अवसर प्रदान करना तथा स्वगति से स्वनिर्देशित होकर आगे बढ़ने की क्षमता का विकास करना है।”[1]

दूरस्थ शिक्षा सीखने की एक नयी पद्धति है। कम्प्यूटर इस प्रकार से शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई संस्थान दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। छात्र को संस्थान में आने की जरूरत नहीं है। संस्थान पठन सामग्री प्रदान करता है और छात्र के लिए आभासी कक्षा को सुविधा प्रदान करता है। आभासी कक्षा में शिक्षक अपने ही कार्यस्थल पर व्याख्यान में भाग ले सकते है। छात्र शिक्षक से सवाल पूछ सकते है और शिक्षक छात्र को सवालों के उत्तर दे सकते है। कम्प्यूटर एडेड लर्निंग एक प्रक्रिया है। जिसमें शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। कम्प्यूटर का उपयोग कर कम समय में शिक्षण सामग्री तैयार किया जाता है। इससे शिक्षण और अनुसंधान के प्रशासनिक बोझ को कम किए जा सकते है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर और पॉवर पॉइंट प्रस्तुतियों के उपयोग से शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इससे सीखने की प्रक्रिया में मदद मिली है। बोर्जी होमबर्ग के अनुसार शिक्षा का सार ‘‘व्यक्तिगत विद्यार्थी द्वारा सीखना होता है। व्यक्तिगत अध्ययन हेतु दूरस्थ माध्यम सर्वोत्तम है क्योकि यह अध्येता को पूर्ण स्वतंत्रता देता है, इसमें अध्येता को रेडियों, दूरदर्शन, श्रव्य दृश्य कैसेट, टेलीफोन, कम्प्यूटर व सम्पर्क कार्यक्रम के द्वारा शिक्षण आदि को चुनने तथा उनसे लाभ उठाने की स्वतंत्रता होती है। सीखने व शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का दायित्व अध्येता का होता है।”[2]

प्रारम्भ में दूरस्थ शिक्षा में व्यक्तिक एवं स्वतन्त्र अध्ययन पर सर्वाधिक बल दिया जाता था। सम्पूर्ण शिक्षा प्रक्रिया में मुद्रित

सामग्री केन्द्र बिन्दु पर होती थी। प्रौद्योगिकी एवं वैश्वीकरण के कारण इस क्षेत्र में परिवर्तन आना स्वाभाविक था। धीरे-धीरे अधिगम का स्वरूप विस्तृत होने लगा और अधिगम प्रक्रिया कक्षा के बाहर गृह कार्यस्थल आदि में भी प्रारम्भ हो गई। सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी ने जाति, संस्कृति देश की सारी सीमाओं को लाँघते हुए शिक्षा का द्रुतगति से विकास किया। ज्ञान के विस्फोट ने भी शिक्षा की आवश्यकता को जीवनोपर्यन्त बना दिया। लचीली दूरस्थ शिक्षा पद्धति परम्परागत शिक्षण का स्थान लेती प्रतीत हो रही है। आज कम्प्यूटर, इण्टरनेट, ई-मेल, चौट जैसे संसाधनों ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। दूरस्थ शिक्षा का सफलता में संचार माध्यमों का स्थान केन्द्रीय होता है। दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा में संचार माध्यमों द्वारा शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य अन्तर्क्रिया होती है। यद्यपि दूरस्थ शिक्षा में मुद्रित सामग्री प्रमुख होती है यद्यपि जन संचार साधनों के प्रयोग ने दूरस्थ शिक्षा को प्रभावी सहज और सुलभ बना दिया है। दूरस्थ शिक्षण में छात्र सहायता सेवाओं के अन्तर्गत सूचना, प्रौद्योगिकी की अत्यन्त अहम भूमिका है। सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी से तात्पर्य उन वैज्ञानिक संसाधनों से है जिससे सूचना का आदान-प्रदान अत्यन्त द्रुतगति से किया जा सकता है। दूरस्थ शिक्षा में अध्यापक और अध्येता के मध्य दूरी होती है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी इस दूरी को कम कर देता है।

आज हम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की चतुर्थ पीढ़ी में प्रवेश कर रहे है। इसके अन्तर्गत इण्टरनेट के प्रयोग की सर्वाधिक महत्ता है और इसके द्वारा विविध शिक्षा अधिगत सामग्री तक छात्र की पहुँच और इण्टरनेट, चौट आदि के माध्यम से अन्तर्क्रिया को बढ़ावा दिया जाता है। कीगन (2003) के अनुसार ''तकनीकी माध्यम शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य अन्तर्क्रिया द्वारा पाठ्यविषय को समझने में योगदान देते है। दूरस्थ शिक्षा एक द्विमार्गी प्रक्रिया है जो अनुदेशक के लिए इसमें प्रयुक्त होती है। दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा में निर्धारित स्थानों पर परामर्श सत्रों की व्याख्या की जाती है किन्तु मात्र परामर्श सत्रों में शिक्षण प्रभावी ढंग से सम्पन्न नही हो पाता अत: इस रिक्तता की पूर्ति के लिए बहु माध्यमों का प्रयोग आवश्यक है।''[3] ''शिक्षण प्रक्रिया में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन माध्यमों की सहायता से विषय सामग्री को शिक्षार्थी तक प्रभावी ढंग से पहुँचाया जा सकता है। औपचारिक शिक्षा में प्रमुख रूप से प्रत्यक्ष अर्थात् आमने-सामने के (Face to Face) शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। दूरवर्ती शिक्षा में शिक्षक एवं शिक्षार्थी आमने-सामने नही होते अत: प्रत्यक्ष शिक्षण सम्भव नही होता किन्तु शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए कुछ सहायक साधनों जैसे दृश्य-श्रव्य सामग्री इण्टरनेट, वेबसाइट आदि को भी प्रयुक्त किया जाता है। दूरवर्ती शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मूलत: बहु माध्यम वाली प्रक्रिया है। पूर्व में अधिकांश दूर शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रमुख रूप से मुद्रित सामग्री द्वारा अनुदेशनात्मक माध्यमों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने विगत कई दशकों में विकास प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों को पार किया है अर्थात् समय एवं दूरी की बाधाओं को एक साथ समाप्त कर दिया है। इसके माध्यम से दूर दराज में रहने वाले लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के सुअवसर उपलब्ध हो रहे है।"[4]

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी द्वारा ज्ञान का आदान-प्रदान सरल होता है। और इसीलिए यह दूर शिक्षा में अधिकतर प्रयुक्त होती है। यह माध्यम कम खर्चीला होता है तथा अब परम्परागत शिक्षा पद्धति में भी इसे प्रयुक्त किया जा रहा है। ये माध्यम छात्रो में उत्सुकता तथा अभिप्रेरणा को जागृत करते है तथा अधिगम हेतु वातावरण प्रदान करते है। जिससे विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकते है। विभिन्न दूर शिक्षा संस्थान अपनी आवश्यकताओं, लक्ष्य समूहों संसाधनों एवं पाठ्यक्रम की अन्तर्वस्तु के अनुसार विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी को एक साथ संयुक्त रूप में प्रयोग में लाते है।

वर्तमान समय में सूचना एवं संचार प्रोद्योगिकी ने जीवन के समस्त क्षेंत्रो में क्रांति मचा दी है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सूचना तथा सम्प्रेषण तकनीकी के नूतन प्रयोग किए है। शिक्षा और विशेष रूप से दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में सूचना तकनीकी ने इसे सर्वव्यापी और सर्वसुलभ बना दिया है। समाचार पत्र, दूरदर्शन, फोन, कम्प्यूटर, टेली कान्फ्रेसिंग, ई-मेल, इण्टरनेट जैसे माध्यमों का प्रयोग ज्ञानवर्धन के अतिरिक्त अध्यापक छात्र सम्पर्क, परामर्श समस्या के निदान के लिए बहुतायत से किया जा रहा है। मोबाइल फोन ने इसे और सरल और कम खर्चीला बना दिया है। दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण स्थान है। बदलते समय एवं परिवेश में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बिना दूरस्थ शिक्षा की संकल्पना भी नही की जा सकती। बहु माध्यमों का प्रयोग दूरस्थ शिक्षा में आवश्यक है क्योकि इसके द्वारा ज्ञान एवं सूचना का आदान-प्रदान द्रुतगति से किया जाता है तथा अन्तर्क्रिया प्रभावी ढंग से सम्पन्न होती है। मोबाइल, इण्टरनेट, ऑन लाईन सेवाओं जैसी विशेषताओं ने दूरस्थ शिक्षा को दूरस्थ क्षेत्रों में फलाने अमूल्य योगदान दिया है।

दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त चुनौतियाँ है-पहुँच, गुणवत्ता, लागत तथा उपयोगिता। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकों का प्रयोग अनिवार्य है। दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा प्रणाली में लचीलापन होने के कारण ICT का प्रयोग अपरिहार्य है। दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा में सामान्य रूप से वे छात्र अध्ययन हेतु आते है। जो विभिन्न कारणों से औपचारिक शिक्षा में प्रवेश नही ले पाते। दूरस्थ छात्र अपने ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि हेतु व्यवसाय में प्रगति एवं उन्नति हेतु दूरस्थ शिक्षा में प्रवेश लेता है। दूरस्थ छात्रों की अधिगम आवश्यकताओं को पारम्परिक शिक्षण की भाँति पूर्ण नही किया जा सकता है अत: स्व अध्ययन सामग्री के अतिरिक्त ICT की सहायता आवश्यक होती है। सूचना का प्रवाह इस युग में तीव्र गति से हो रहा है लोगों तक इसे पहुँचाने के लिए नवीन माध्यमों की तलाश तीव्र गति से हो रही

है। इस क्षेत्र में कम्प्यूटर इण्टरनेट तथा वेब आधारित तकनीक ने सूचना को तत्काल लोगों तक पहुँचाने का कार्य किया है। यह माध्यम सामाजिक और अन्तः क्रिया के अवसर प्रदान करता है। कम्प्यूटर बहुत ही सशक्त माध्यम के रूप में उभर रहा है। भारत जैसे विकास शील देश में धीरे-धीरे इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है।

''कम्प्यूटर को शिक्षा तकनीकी प्रथम या हार्डवेयर आयाम में ही सम्मिलित किया जाता है। यह स्वतः अनुदेशनात्मक पद्धति का एक उपकरण है जिसका प्रयोग व्यक्तिगत अनुदेशन के लिए किया जाता है। कम्प्यूटर ने व्यापार, उद्योग तथा शासन पणाली को अधिक प्रभावित किया है, परन्तु इसका प्रभाव विद्यालय तथा शिक्षा प्रणाली पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। शिक्षण के क्षेत्र में अनुदेशन पद्धति, शोध कार्यो तथा परीक्षा प्रणाली को कम्प्यूटर ने अधिक प्रभावित किया है। यद्यपि अन्य शिक्षण मशीनों में पाठ्य वस्तु को छोटे पदों में क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है परन्तु इन मशीनों हेतु कोई निर्णय नही लेना पड़ता जबकि कम्प्यूटर को पूर्ण व्यवहारों के आधार पर अनुकूल अनुदेशनों को चयन करना पड़ता है। यह निर्णय कम्प्यूटर द्वारा ही किया जाता है। इसलिए इसे विद्युत मस्तिष्क की संज्ञा दी गयी है। कम्प्यूटर व्यक्तिगत अनुदेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक कम्प्यूटर पर एक समय में कई प्रकार के छात्र एक पाठ्य वस्तु के कई अनुदेशनों का अध्ययन करते है। इस प्रकार कम्प्यूटर अनुदेशन की व्यवस्था करता है। शिक्षक अपने कक्षा-शिक्षण में अनुदेशन के समुचित रूप में चयन के लिए कम्प्यूटर की सहायता ले सकता है। प्रस्तुतीकरण के साथ-साथ इसके द्वारा छात्रों की अनुक्रियाओं का भी अवलोकन किया जाता है। कम्प्यूटर शिक्षण के उद्देश्यों, छात्रों के पूर्व ज्ञान तथा प्रस्तुतीकरण के सम्बंध में निर्णय लेता है। कम्प्यूटर का प्रयोग अनुदेशन के प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा शोध कार्यो में अधिक किया जाता है। भारतीय परिस्थितियों में भी कम्प्यूटर का प्रयोग अनुदेशन के लिए सम्भव नही हो पाया है। प्रदत्तों के संकलन के पश्चात् प्रदत्तों के विश्लेषण के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग किया जाता है।''[5]

दूरवर्ती शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक प्रायः दूसरे विभाग, संस्थाओं से आते है तथा अपने ज्ञान एवं पूर्व अनुभवों के आधार पर नये कार्य हेतु आवश्यक कौशल का अर्जन कार्य करते-करते ही कर लेते है। इस प्रकार वे स्वयं ही अधिगम प्रक्रिया से गुजरते रहते है। अभी तक देखने में यही आया है कि इनमें से अधिकांश शिक्षक अपना नया कार्य सफलतापूर्वक करने लगते है तथा धीरे-धीरे विशेषज्ञता प्राप्त कर दूसरे नये कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षक की भूमिका प्रदान करते है। इसके अतिरिक्त दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दूरवर्ती शिक्षा अपनाने वाले व्यक्ति प्रायः प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक, प्रशासक आदि होते है। अतः उनमें दूरवर्ती शिक्षा से संबंधित कुछ कौशलों एवं सूचनाओं का पहले से ही समावेश होता है। अतः ये कौशल एवं सूचनाएँ, नये प्रशिक्षणार्थियो एवं पहले से कार्यरत दूरवर्ती शिक्षकों के मध्य अन्तः क्रिया में सहायक होती है दूरवर्ती शिक्षा स्वयं ही एक नव प्रवर्तन है तथा इसकी प्रकृति भी निरन्तर नव प्रवर्तनों को समाहित करते रहने की है। जिन नव प्रवर्तनो को यह प्रणाली अधिक से अधिक स्वीकार करती है, वे कोर्स प्रारूप, सम्प्रेषण माध्यम, लागत लाभ, छात्र सहायक सेवाओं प्रभावशाली शिक्षण अधिगम विधियों एवं नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम प्रदान करने से संबंधित होते है। अतः दूरवर्ती शिक्षा की इस नव प्रवर्तन ग्रहणकारी प्रकृति को बरकरार रखने के लिए इसके शिक्षकों में भी नव प्रवर्तनों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए।

दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का पर्याय बन चूकी है। दीर्घकाल में इसकी आवश्यकता और बढेगी। 21वी सदी दूरस्थ शिक्षा अपने स्वतंत्र एवं महत्वपूर्ण अनुशासनात्मक अस्तित्व के साथ शिक्षा वगत में नया इतिहास रच रही है। दूरस्थ शिक्षा मुक्त शिक्षा में नवाचार न मानकर युक्त शिक्षा को दूरस्थ शिक्षा में नवाचार के रूप में मानना चाहिए। कार्यक्रम के द्वारा शिक्षण आदि की चनने तथा उनसे लाभ उठाने की स्वतंत्रता होती है। सीखने व शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का दायित्व अध्येता का होता है।

संदर्भ ग्रंथः-

1. शर्मा, आर.ए - डिस्टेन्स ऐजूकेशन, पृष्ठ 42
2. द्विवेदी, डॉ. प्रदीप कुमार, मनोज कुमार यादव - दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा, पृष्ठ 102
3. https://sarkariguider.com
4. शर्मा, सीता राम - दूरस्थ शिक्षा, पृष्ठ 89
5. https://sarkariguider.com

प्राथमिक शिक्षा में सुधार सम्भावनाएँ एवं चुनौतियाँ

श्री भूपेन्द्र दुबे

चेयरमेन रीडर (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) बिलासपुर (छ.ग.)

शिक्षा से व्यक्ति का सर्वागीण विकास होता है। शिक्षा एक ऐसी नींव है जिस पर हमारा जीवन रूपी महल खड़ा होता है। वर्तमान समय में मूल्य आधारित शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया जा रहा है। विद्यार्थी जीवन बड़ा ही कोमल होता है। वह ऐसा संगीत होता है जिसकी धुन आगे चलकर एक अनूठा संगीत बन जाती है। वर्तमान समय में देश की आर्थिक समृद्धि में मानवीय क्षमताओं एवं योग्यताओं को महत्व दिया जाता है। इन मानवीय क्षमताओं और योग्यताओं को सुधारने का कार्य शिक्षा की सहायता से किया जाता है। वर्तमान समय में योग्य अध्यापकों एवं शिक्षण अधिगम की उपयुक्त व्यवस्था का होना अति आवश्यक है।

शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है 'प्राथमिक शिक्षा' क्योंकि प्राथमिक शिक्षा ही आगे की शिक्षा का मजबूत आधार बनती है। अगर कोई बच्चा गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो उसकी आगे की शिक्षा के लिए एक मजबूत आधार बन जाता है। प्राथमिकता शिक्षा हमारी नींव है, इसलिए हमें अपनी नींव को मजबूत बनाकर चलना होगा। आज हमारी प्राथमिक शिक्षा में अनेक कमियाँ है। सबसे पहले तो इसकी गुणवत्ता में ही कमी है। प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों का विकास सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। इसके सुधार के लिए हमें प्रयास करने होंगे। इसके लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों को ही प्राथमिक विद्यालय की गुणवत्ता को सुधारने के लिए नवीन व्यापक दृष्टिकोणों एवं रणनीतियों को बनाने का प्रयास करना होगा। महान दार्शनिक और शिक्षाविद डॉ. राधाकृष्ण मनुष्य को सही अर्थो में मनुष्य बनाने के लिए शिक्षा को सर्वाधिक आवश्यक मानते थे। उनके अनुसार ''शिक्षा वह है, जो मनुष्य को ज्ञान प्रदान करने के साथ-साथ उसके हृदय एवं आत्मा का विकास करती है।''[1] शिक्षा के उद्देश्यों को लेकर कहा जाता है कि शिक्षा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए सबसे जरूरी हथियार है और किसी भी राष्ट्र के विकास में शिक्षा एक बुनियादी तत्व है। नेल्सन मंडेला के अनुसार ''शिक्षा सबसे ताकतवर हथियार है जिसे आप दुनिया बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते है।''[2] शिक्षा का मतलब केवल पाठ्य पुस्तकों सें सीखना भर नही है अपितु शिक्षा व्यक्ति के स्वयं के विकास के साथ-साथ समाज और राष्ट्र के विकास के लिए प्रेरित करती है। शिक्षा के माध्यम से बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, सांप्रदायिकता, लिंगभेद जैसी समस्याओं से निपटा जा सकता है।

गाँधी जी ने प्राथमिक शिक्षा के बारे में कहा है कि ''इसे बेसिक शिक्षा भी कहा जा सकता है। यह 7 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा है तथा हस्तकला से संबंधित है। इससे पात्र आत्मनिर्भर बनता है तथा भावी भविष्य के व्यावहारिक हस्तकौशल को ग्रहण करता है।''[3] प्राथमिक शिक्षा का किसी बच्चे के प्रारम्भिक जीवन स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभिक स्तर होता है, जहाँ बच्चों के संज्ञानात्मक, संवेगात्मक व गत्यात्मक विकास की संतुलित रूप से शुरूवात होती है। प्राथमिक शिक्षा, बच्चों के लिखने और पढ़ने की क्षमता के विकास से जुड़ी है और साथ ही साथ यह उनकी मातृभाषा का विकास करने में भी सहायक होती है। मुख्यत: प्राथमिक शिक्षा बच्चों को आगे के जीवन के लिए तैयार करने में पहली सीढ़ी का काम करती है। इस स्तर पर बच्चों के सर्वागीण विकास की जिम्मेदारी जितनी उनके माता-पिता की होती है उतनी ही उनके शिक्षकों की भी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी विद्यार्थी के उज्जवल भविष्य के लिए इनकी प्राथमिक शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते है कि किसी भी विद्यार्थी के लिए उसकी प्राथमिक शिक्षा उनके लिए नींव का ईट का काम करती है। अर्थात नींव जितनी मजबूत होगी दीवार उतनी ही मजबूत होती है और इस दीवार को मजबूत करने का कार्य करते है उसके मजदूर अर्थात प्राथमिक शिक्षक। अत: जैसे ही हम नींव की ईट को मजबूत करने की बात करते है वहाँ प्राथमिक शिक्षकों की महत्ता अपने आप दिखने लगती है।

> ''शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के साथ ही यह उम्मीद भी है कि इससे विद्यालय छोड़ने तथा विद्यालय ना जाने वाले बच्चों को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से दी जा सकेगी। इस अधिनियम में सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है, जिससे ज्ञान, कौशल और मूल्यों से लैस करके उन्हें भारत का प्रबुद्ध नागरिक बनाया जा सकें। यदि विचार किया जाए तो आज देशभर में विद्यालयों से वंचित लगभग एक करोड़ बच्चों को शिक्षा प्रदान करना सचमुच हमारे लिए दुष्कर कार्य है। इसलिए इस लक्ष्य को साकार करने के लिए

सभी हितधारकों माता-पिता, शिक्षकों, विद्यालायों, गैर सरकारी संगठनों और कुल मिलाकर समाज, राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकार की ओर से एकजुट प्रयास का आहवन किया गया है। कोई निकटवर्ती विद्यालय किसी भी बच्चें को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा तथा साथ ही यह भी प्रावधान शामिल है कि प्रत्येक 30 विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षण के अनुपात को कायम रखते हुए पर्याप्त संख्या में सुयोग्य शिक्षक विद्यालयों में मौजूद होने चाहिए। विद्यालयों की पांच वर्षो के भीतर अपने सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करना होगा। उन्हें तीन वर्षो के भीरत समुचित सुविधाएं भी मुहैया करवानी होगी जिसमें खेल का मैदान, शौचालय, पुस्तकालय पर्याप्त संख्या में अध्ययन कक्ष पेयजल सुविधाएँ, शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों के लिए निर्बाध पहुंच आदि शामिल है।"[4]

विद्यालयों में प्रबंधन समितियों के 75 प्रतिशत सदस्य छात्रों की कार्यप्रणाली और अनुदायों के इस्तमाल की देख-रेख करेंगे। विद्यालय समितियों अथवा स्थानीय अधिकारी विद्यालयों से वंचित बच्चों की पहचान करेंगे और उन्हें समुचित प्रशिक्षण के बाद उनकी उम्र के अनुसार समुचित कक्षाओं में प्रवेश दिलवाएंगे। सम्मिलित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निजी विद्यालयों में भी सबसे निचली कक्षा में समाज के गरीब और हाशिये पर रहने वाले वर्गो के लिए 25 प्रतिशत सीटे आरक्षित करेंगे। इसे साकार करना एक बड़ी चुनौती है। देश में लगभग एक करोड़ बच्चे शिक्षा से वंचित है, जो अपने आप में एक बड़ी संख्या है। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, विद्यालयों में सुविधाओं का अभाव, अतिरिक्त विद्यालयों की आवश्यकता और धन की कमी होना बड़ी चुनौतियाँ है।

कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करता है। गांव शब्द सुनते ही हमारी आँखों में एक ऐसी छवि उभरती है, जहाँ मूलभूत सुविधाओं का हमेशा अभाव रहता है, खासकर चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में, भारत सरकार द्वारा इन मूलभूत सुविधाओं के लिए पिछले सालों में लाखों व करोडों रूपय खर्च किए गए है पर समस्या वैसी बनी हुई है। उचित शिक्षा के अभाव में न जाने कितनों ही जाने रोज पाती है। शिक्षा क्षेत्र में तो स्थिति और भयानक है। गांवों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति और अधिक गम्भीर है। गावों में शिक्षा की स्थिति से हम लोग बखूबी परिचित है। हर 30 बच्चों पर 1 शिक्षक की सरकार की योजना शायद ही नजर आती है। कई जगह तो पूरा का पूरा विद्यालय एक शिक्षक के भरोसें चल रहा है, वहाँ एक दो शिक्षक को पूरे विद्यालय की कमान सम्भालनी पड़ रही है, जिससे लगता है कि ये सिर्फ बच्चों के जीवन से खिलवाड़ ही किया जा रहा है उनको शिक्षा देने के नाम पर। ऐसे में शिक्षा स्तर में सुधार या जिस प्रकार की शिक्षा आज हम हमारें विद्यालयों में दे रहें है क्या वाकई वह ग्रामीण इलाकों के बच्चों को फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले गुणवत्तापूर्ण, निजी विद्यालयों के बच्चों में आने वाली हीन भावना का जिम्मेदार आखिर कौन होगा? शिक्षा की असमानता अभी आज मुख्य समस्या बनी हुई है। निजी विद्यालयों और सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में जमीन आसमान का अंतर है। यही कारण है कि आज भी अभिभावक सरकारी विद्यालयों की अपेक्षा निजी विद्यालयों को ज्यादा तवज्जों देते नजर आ रहें है।

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण की रिपोर्ट में सामने आया है कि कक्षा पांच में पढ़ने वाले आधे बच्चे प्रश्नों का सही जवाब नहीं दे पाए जिसके कारण प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता में कमी देखने को मिल रही हैं। कुछ समय पहले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपने एक उद्‌बोधन (मन की बात) में गुणवत्ता के महत्व पर इन शब्दों पर जोर दिया था-''अब तक सरकार का ध्यान देश भर में शिक्षा के प्रसार पर था किन्तु अब वक्त आ गया है कि ध्यान शिक्षा की गुणवत्ता पर दिया जाए। अब सरकार को स्कूलिंग की बजाय ज्ञान पर अधिक ध्यान देना चाहिए।''[5] मानव संसाधन विकास मंत्री जी प्रकाश जावेडकर ने भी घोषणा की थी कि ''देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।''[6] स्कूलिंग की बजाय ज्ञाना जी पर ध्यान स्थानंतरित करने का अर्थ इन पुट नतीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों का साझेदारी के साथ केन्द्र द्वारा प्रायोजित एवं भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित सर्व शिक्षा अभियान ने प्रांरम्भिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने में काफी सफलता पायी है। इसके लिए हमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देना होगा। जैसे अध्यापक विद्यालय की प्रभावशीलता, कक्षा कक्ष में अपनायी जाने वाली अर्थ विधियाँ, मूल्यांकन और आंकलन, अभिभावकों का दृष्टिकोण, भौतिक सुविधाएँ, सामुदायिक भागीदारी। विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सबसे पहले अध्यापक प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अध्यापक प्रशिक्षण, व्यवस्था और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसी के साथ-साथ प्राथमिक विद्यालयों को मॉडल विद्यालयों में बदलकर इसकी गूणवत्ता में और भी सुधार जाया जा सकता है। अभिभावकों के साथ-साथ समुदाय की भी जागरूक होने की आवश्यकता है। छात्रों के दैनिक मूल्यांकन में मात्रात्मक एवं गुणात्मक का होना भी आवश्यक है। समय-समय पर विद्यालय का निरीक्षण होना भी जरूरी है तभी प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

कहा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति पर काम कर रही भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो सभी को गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित कराना और लोगो को शिक्षा के मुताबिक रोजगार उपलब्ध करवाना। भारत देश कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। शिक्षा भी उनमें से एक बड़ी समस्या है। यह समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है यदि हम इस समस्या का समाधान

नही करेंगे तो आने वाले वर्षो में हमारे सामने पढ़े-लिखे रोजगार युवाओं की फौज होगी। सरकार को प्राथमिकता के साथ इसकी गंभीरता को समझते हुए सुधार हेतु तटस्थ कदम उठाने की जरूरत है।

प्राथमिक शिक्षा बचपन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इसलिए बच्चों के लिए शिक्षा के इस चरण को वास्तव में ज्ञानवर्धक बनाना आवश्यक है। भारत में प्राथमिक शिक्षा के साथ मुख्य मुद्दा शहरी क्षेत्रों में बच्चों के साथ नहीं है बल्कि उन बच्चों के साथ है जो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। जहाँ शहरी क्षेत्रों में निजी प्राथमिक स्कूल अपनी बुनियादी सुविधाओं शिक्षा पैटर्न और कौशल में धीरे-धीरे सुधार कर रहे हैं और दूसरी ओर अपने शिक्षकों के शिक्षण दृष्टिकोण में सुधार करने की कोशिश कर रहें है तो दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल अभी भी बुनियादी मुद्दों से जुझ रहे है। सरकार की अग्रणी परियोजना 'सर्व शिक्षा अभियान' ने हालांकि प्राथमिक शिक्षा में कई अच्छे बदलाव और सुधार किए है लेकिन अभी भी कई खामियों को इसमें छोड़ दिया गया है जो सुधार की जांच करते है।

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियाँ ग्रामीण क्षेत्र में है। अभी भी भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा नही मिलती है और उनके पास कई अवसरों की कमी है। आजादी के इतने साल बाद भी भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता में कई बदलाव नहीं आया है। 70 प्रतिशत भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में रहते है और अभी भी शिक्षा के महत्व से अनजान है। भारत में अन्य देशों की तुलना में साक्षरता दर कम है। भारतीय स्कूलों को सबसें बड़ी चुनौती अपर्याप्त इनपुट का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश राज्यों में गुणवत्ता वाले शिक्षकों की कमी है। यहाँ तक कि पेशेवर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए शिक्षकों की कमी है। यदि शिक्षक ठीक से प्रशिक्षित है तो वे छात्रों की भी मद्द कर सकते है। कम योग्य शिक्षक शिक्षण के स्तर को प्रभावित करते है। भारत में अध्यापक का पेशा कम आर्कषित करता है, या तो कम शिक्षा वाले लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले या इसे शौक के रूप में पढ़ाने वाले पेशे को अपनाते है। शिक्षकों की मांग अधिक है और आपूर्ति कम। अभी भी कई स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी की समस्या है। आज भी भारतीय स्कूल शिक्षा के स्तर को बनाए नहीं रख रहे है। शिक्षक कक्षा में आते है, छात्र को पाठ्यक्रम पढ़ाते है कुछ छात्र विषय को समझने में सक्षम है। लेकिन उन छात्रों के बारे में क्या हैं जो सिर्फ स्कूल आते है और शिक्षकों के शिक्षण स्तर को उठाते है। ड्रॉपआऊट छात्रों की दर भी अधिक है, वे अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ देते है। स्कूल को उन छात्रों के लिए कुछ पहल करनी चाहिए जिन्हें अतिरिक्त मदद की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथः-

1. रूहेला, सत्यपाल - विकासोन्मुत्व भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा, पृष्ठ-101
2. वही पृष्ठ-102
3. शंकर, उदय - एजुकेशन ऑफ इंडियन टीचर्स, स्टर्लिंग पब्लिर्स प्राइवेट लिमिटेड, पृष्ठ-12
4. शर्मा, कनिका - शिक्षा का अधिकार कानून का आंकलन, पृष्ठ - 80
5. Mather wood Intarnational Journal of multi disciplimary Research Development July 2019
6. Mather wood Intarnational Journal of multi disciplimary Research Development July 2019

वैदिक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली

कृष्ण कुमार तिवारी

बिलासपुर (छ.ग.)

विभिन्न साक्ष्यों यथा साहित्य, शिलालेख, प्रशस्तियों और विदेशी यात्रियों के वर्णनों के आधार पर भारत की बदलती सामाजिक व्यवस्था के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन को घटित होते हुए स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अत: भारतीय शिक्षा प्रणाली को किसी एक कालखंड के आधार पर वर्णित करना एकांगी होगा। ब्राम्ह संस्कृतियों के संक्रमण और यहाँ की विविधापूर्ण लोक-संस्कृति ने विश्व में भारतीय शिक्षा प्रणाली को अद्वितीय होने में सहायता प्रदान की है। यहाँ भाषाओं की भिन्नता होने के कारण भारत के अलग-अलग हिस्सों में शिक्षा के अलग-अलग रूप देखने को मिलते हैं, लेकिन उन सबका आधार 'वसुधैव कुटुम्बकम्' को ही चरितार्थ करने वाला है। भारतीय शिक्षा प्रणाली के वास्तविक स्वरूप को जानने और समझने के लिए प्रस्तुत लेख है वैदिक और आधुनिक काल तक शिक्षा प्रणाली में सुधार हुए परिवर्तनों पर चर्चा की गई है।

शिक्षा और विद्या को प्राय: समानार्थी समझने की त्रुटि हमेशा से की जाती रही है। परन्तु व्याकरण की दृष्टि से दोनों शब्दों के अर्थ पर्याप्त भिन्नता लिए हुए है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्षा धातु में 'अ + टाप' प्रत्यय के जुड़ने से हुई है, जिसका अर्थ है अधिगम, अध्ययन, ज्ञानाभिग्रहण, किसी कार्य को करने के योग्य होने की इच्छा, किसी कार्य में निष्णात होने की इच्छा।''[1] शिक्षा छ: वेदागों में से एक और वेदों की नासिका के रूप में जानी जाती है। वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए इस वेदांग की रचना हुई। जबकि विद्या 'शब्द विद् धातु' में 'क्यप् + टाप' प्रत्यय के लगने से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान, अवगम, विज्ञान। इसलिए विद्या के बारे में कहा गया है- ''विद्या स्वार्था परार्था च भवति तस्यास्तद्विषयत्वात्'' अर्थात् विद्या स्वार्थ और परार्थ के लिए होती है, क्योंकि स्वार्थ और परार्थ को सिद्ध करना ही विद्या का गुण है।''[2] किसी ने किसी रूप में ''एकोऽह बहुस्याम्'' अर्थात् मैं एक हूँ और बहुत होने की इच्छा रखता हूँ''[3] के उद्देश्य की पूर्ति के संदर्भ में ध्यान में रखकर ही भारतीय शिक्षा ने उन्नति की है। आधुनिक भारतीय शिक्षा में बहुत कुछ नयापन आने के कारण पाश्चात्य प्रभाव न माना जाकर शिक्षा के सार्वभौमिकरण को माना जाना चाहिए। इसका प्रमुख कारण जीवन के भौतिक पक्ष को आध्यात्मिक पक्ष के बराबर तवज्जों देना है ताकि शिक्षा के आधुनिक रूप अधिगमकर्ता के लिए जीवन निर्वाह का भी एक सशक्त साधन बन सके। जैसा 'राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा-2005 के अनुसार हमें अपने बच्चों को समझ का चस्का लगने देना चाहिए जिससे उन्हें सीखने में मद्द मिले और जब वे कतरों और बिंबों में संसार को देखें और जिन्दगी की लेने-देने में दाखिल हो तो अपने मुताबिक ज्ञान का रूपांतरण कर पाएँ। ज्ञान का ऐसा स्वाद हमारे बच्चों के वर्तमान को पूर्णत: सृजनात्मक और आनंददायक बना सकेगा।''[4] हॉलाकि हाल ही में कुछ दशकों में भारत में विद्यालयों में नामांकन संख्या में वृद्धि दर्ज जरूर की गई है लेकिन पलायन और सीखने का निम्न स्तर जैसा का तैसा बना हुआ है।

प्राचीन भारतीय शिक्षा का उद्‌भव वेदों से माना जाता है। यह विश्व का सर्वाधिक पुराना साहित्य है। आदिकाल में वेदों का ज्ञान लिपिबद्ध नहीं था। बहुत समय बाद ऋषियों के द्वारा वेदों को लिपिबद्ध किया गया। वेद शब्द की उत्पत्ति 'विद' धातु से हुई है। जिसका अर्थ ज्ञान प्राप्त करना है। वेदों को भारतीय जीवन दर्शन का श्रोत माना जाता है। वेदों को अनादि भी माना जाता है। वेदों में सांसारिक व्यवहारिक तथा अध्यात्मिक क्षेत्रों में मानव के लिए आवश्यक समरूप ज्ञान संग्रहित है। वैदिक काल में शिक्षा का एकमात्र तथ्य छात्रों की शारीरिक, मानसिक तथा अध्यात्मिक शक्तियों का विकास इस तरह से करना था जिससे मोक्ष प्राप्ति के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। सामान्य जीवन तथा उच्च विचारों से निर्दिष्ट होने वाली शिक्षा से छात्रों के सर्वागिंण विकास पर बल दिया जा सके।

शिक्षक को अंग्रेजी भाषा में ज्मंबीमत कहते है और संस्कृत में गुरू कहते है और गुरू शब्द दो अक्षरों से मिलकर बना है जैसे 'गु' और 'रू' जिसमे 'गु' शब्द का अर्थ है, अंधकार, अज्ञान और 'रू' अर्थात वह जो अंधकार अज्ञान को दूर कर देता है, नष्ट कर देता है। गुरू के लिए शिक्षक की अपेक्षा पथ प्रदर्शक शब्द अधिक उपयुक्त होगा। जो अज्ञान को दूर कर दे, वह पथ प्रदर्शक है। जो शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, उसे पथ प्रदर्शक कहा जा सकता है।

वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों पक्षों के विकास पर था। मुण्डकउपनिषद के अनुसार विद्या दो प्रकार की होती है 'अपरा विद्या' और 'परा विद्या'। हम जो कुछ भी जानते है वह अपरा विद्या है जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास आदि अर्थात् अपरा विद्या का अर्थ था संगठित तथा नियोजित सामाजिक व्यवस्था का संचालन करना। जबकि इन्द्रियातीत सत्ता आत्मा का ज्ञान परा विद्या है। वर्तमान में दुर्भाग्यवश हमारा सर्वाधिक ज्ञान अपरा विद्या का ही है। इसका अर्थ है कि यद्यपि हमें सम्पूर्ण विश्व का ज्ञान है लेकिन यदि हमें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो हम आत्मज्ञान से वंचित है आत्मज्ञान अर्थात् परमसत्ता पर परमात्मा का

ज्ञान, जो कि देशकाल कारण के अतीत है, परे है, उसे परा विद्या कहते हैं। अर्थात् पराविद्या का अर्थ था कि ज्ञान, कर्म तथा उपासना के द्वारा ब्रह्मा अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति करना।

वैदिक काल में हमारे शिक्षक संस्थानों में जिन्हें हम गुरूकुल कहते थे वहाँ पर ये दोनों विद्याये (परा-अपरा) एक साथ शिष्य को प्रदान की जाती थी। लेकिन वर्तमान में अपरा विद्या ही प्रदान की जाती है। परा विद्या को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। आत्माभिव्यक्ति एवं आत्मन्नय की पूर्णतः अपेक्षा की गयी है। वर्तमान शिक्षण व्यवस्था में 'गुरू' शब्द का वास्तविक अर्थ ही भूला दिया गया है आजकल बडे ही हल्के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में हम लोग इस शब्द का प्रयोग मैनेजमेण्ट गुरू, कराटे गुरू, संगीत गुरू आदि के रूप में करते हैं। जो कि स्पष्ट रूप से साधारण अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लेकिन वैदिक काल में गुरू शब्द का अर्थ था कि वह व्यक्ति जो अंधकार का, अज्ञान का नाश कर दें, वह व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा शिष्य को आत्म ज्ञान प्रदान करें।

वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के नैतिक चरित्र का निर्माण करना था, जिससे उनमें अच्छे संस्कारों का विकास हो सके। शिक्षा के द्वारा वैदिक आदर्शो के अनुरूप संस्कारों को छात्रों में विकसित किया जाता था। ब्रह्मचर्य, सदाचार, परमार्थ, परोपकार, सात्विक भोजन, गुरू व बड़ो का आदर, कर्तव्यपालन, सतत् व्रत, धर्म के प्रति निष्ठा, धर्म के प्रति आदर, उच्च विचार आदि संस्कारों को विकसित करके छात्रों को संस्कार युक्त बनाया जाता था। वर्तमान परिवेश में समाज द्वारा स्वीकृत आचरण को स्वीकार करना नैतिकता कहलाती है। हम जानते है कि आचरण की शिक्षा आचरण द्वारा ही दी जा सकती है और आज भारतीय समाज में परिवार, समुदाय और विद्यालयों सभी स्थानों में उच्च नैतिक मूल्यों का वर्तमान में अभाव है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में उच्च विचार और उच्च आचरण का अभाव है। तो कोरे आधनिक उपदेशों से बच्चों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास कैसे किया जा सकता है। गाँव-गाँव में स्थापित मधुशाला, मांस मंदिरा वाले होटल और रेस्टोरेन्ट और काम तथा अपराध प्रधान चलचित्रों के प्रदर्शनों के होते हुए हम बच्चों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास कैसे कर सकेंगे। आज तो राजनीतिक दल ही अपना उल्लू सीधा करने के लिए बच्चों को तोड़-फोड़ के कार्यो में प्रयोग करते है। नैतिकता एवं चरित्र अब पुस्तकीय बातें हैं लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे समाज में नैतिकता एवं चरित्र का एकदम अभाव हो गया है। ये मुट्ठी भर लोग ही बच्चों के लिये प्रेरणा स्त्रोत है। सत् प्रवृत्ति के अभाव में तो संसार का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। यहाँ स्वामी विवेकानंद के विचारों को रखा जा सकता है। स्वामी जी ने कहा था कि आज हमें जिसकी आवश्यकता है वह है चरित्रवान स्त्री-पुरूष। किसी भी राष्ट्र का विकास और उसकी सुरक्षा उसके चरित्रवान नागरिकों पर निर्भर करता है। यदि हमें अपने भावी नागरिकों को शिक्षा देनी है तो वह चरित्र निर्माण के सुदृढ़ आधार पर होनी चाहिए क्योंकि चरित्र निर्माण से ही सबका निर्माण होता है और चरित्र के नाश से ही सब कुछ नष्ट हो जाता है।

वैदिक काल में बालकों की प्रारम्भिक शिक्षा घर पर ही प्रारम्भ हो जाती थी। इस गृह आधारित शिक्षा का उद्देश्य गुरूकुलों में उपनयन के बाद प्रदान की जाने वाली औपचारिक शिक्षा के लिए बालकों को तैयार करना होता था। शब्दों का उच्चारण, शब्द ज्ञान, भाषा व्याकरण तथा गणित की प्रारम्भिक बातें घर पर बालकों को सिखाई जाती थी। इस प्रकार घर ही बालक का प्रथम परन्तु अनौपचारिक शिक्षा संस्था होती है। औपचारिक संस्थाओं के रूप में ऋषियों द्वारा संचालित होते थे। जिन्हें गुरूकुल कहा जाता था। विद्यार्थियों को उपनयन के उपरान्त गुरूकुल में ही रहना होता था तथा गुरूकुल के नियमों का पालन करना होता था। गुरूकुल में शैक्षिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के निर्माण पर अत्यन्त बल दिया जाता था। गुरूकुल का जीवन अत्यन्त सरल तथा सहज होता था। ब्रूनर का कथन है कि ''बच्चे अपने समाज और संस्कृति की जड़ों से सीखते हैं। इसलिए उनके सीखने की शैली में भी उनके परिवेश की स्पष्ट झलक दिखाई देती है।''[5] एक तरफ तो आर्यो के भारत में बसने और अपनी संस्कृति में परिवर्तन के सरोकारों से एक नयी शिक्षा पद्धति की उत्पत्ति की जा सकती है, जो कि प्राचीनतम भारतीय शिक्षा पद्धति का व्यवहारिक पहलू दर्शाता है और इसी के शास्त्रीय पक्ष को साहित्य में संवारकर रखने की प्रक्रिया में वेदों के लेखन की परंपरा से जोड़ा जा सकता है। जैसा कि तत्कालीन ज्ञान परम्परा में वेदों के अध्ययन करने को शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समझा जाता था। लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ कठोर नियम भी निर्धारित किए गए थे। भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली आध्यात्मिकता की ओर झुकी हुई थी जिसका उद्देश्य निर्धारित आदर्शों का पालन करना और नए उच्च आदर्शों की स्थापना करना था। जिसके लिए वेदों के साथ-साथ ब्राम्हण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग, स्मृतियों का अध्ययन कर धर्म की स्थापना में योगदान देना था। चूँकि वेद सबसे प्राचीन ज्ञात ग्रंथ है, इस कारण से वैदिक कालीन शिक्षा ही भारतीय शिक्षा प्रणाली का प्राचीनतम रूप मानी जाती है। वैदिक कालीन शिक्षा मानवता, प्रेम, त्याग, अंहिसा, समर्पण और सत्य की खोज के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य बच्चों का सर्वागीण विकास करना था। वैदिक काल में वर्ण-व्यवस्था के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था। चार वर्णो यथा ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में से केवल ब्राम्हण, क्षत्रिय और वैश्य को ही गुरूकुल शिक्षा पद्धति के आश्रमों में वेदों के

अध्ययन की अनुमति थी। लेकिन विद्या अर्जन के उपरांत गुरू-ऋण से उऋण होने के लिए गुरू-दक्षिण जैसी व्यवस्था थी। वेदों के अध्ययन का संबंध जीवन के चार आश्रमों (ब्रम्हचर्य, गृहस्थ, वानप्रथ और सन्यास) के चार पुरूषार्थो (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) के माध्यम से पूर्ण करते हुए आदर्श जीवनयापन से जोड़ा गया और चरित्र निर्माण ही प्रमुख उद्देश्य होता था। आश्रम शिक्षा पद्धति में गुरू-शिष्य के सम्बन्ध पिता-पुत्र के समान थे। गुरू को सर्वोच्च पद प्राप्त था। वैदिक कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का उतना ही अधिकार प्राप्त था जितना कि पुरूषों को। गार्गी, मैत्रयी, अपाला, लोपमुद्रा ऐसी ही कुछ विदुषी स्त्रियों के नाम है जिन्होंने वेदो की शिक्षा से लेकर राज्य पद संभालने की जिम्मेदारी उठाई।

आधुनिक शिक्षा प्रणाली, वैदिक शिक्षा पद्धति से अलग है। वर्तमान में औद्योगिकरण के तीव्र विकास के कारण शिक्षा प्रणाली व उसका तथ्य दोनों ही परिवर्तित हो गए है। आज की शिक्षा पद्धति का जो प्रमुख दोष उभरकर सामने आया है वह है इसका एक आयामी स्वरूप। जैसा कि हम सभी जानते है कि मानव व्यक्तित्व के मूलतः दो पक्ष है-बाह्य (भौतिक पक्ष), आंतरिक (आध्यात्मिक पक्ष)। बाह्य पक्ष का सम्बन्ध भौतिक उपलब्धियों से है जैसे विज्ञान व प्रौद्योगिकी, जबकि आन्तरिक पक्ष का संबंध मूल्यों से है। आज की शिक्षा प्रणाली केवल बाह्य पक्ष पर ही बल देती है। इस प्रकार आन्तरिक पक्ष उपेक्षित होते जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा का बाह्य विन्यास तो हो रहा है परन्तु आन्तरिक व्यतिक्रम उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार आज की शिक्षा प्रणाली न तो मूल्य आधारित है, न ही मूल्य रहित, अपितु मूल्य निरपेक्ष है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के मूल्य क्षरण का एक प्रमुख कारण है। तीव्र औद्योगीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप एक उपभोक्तावादी समाज का निर्माण हुआ है। यह उपभोक्तावादी समाज आवश्यकता आधारित समाज न होकर लोभ आधारित समाज होता है। लोभ के वशीभूत होकर व्यक्ति अपना विवेक खो देता है तथा इस प्रकार वह व्यक्ति तथा प्रकृति दोनों का दोहन प्रारम्भ कर देता है। इस संदर्भ में महात्मा गाँधी का यह कथन काफी प्रासंगिक है-''यह पृथ्वी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए तो पर्याप्त है परन्तु सभी के लोभ को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।''[6]

वस्तुतः वर्तमान सामाजिक समस्याओं का उपर्युक्त समाधान वैदिक शिक्षा प्रणाली में उपलब्ध है। वैदिक शिक्षा प्रणाली जो मूल्य आधारित प्रणाली है संपोष्य विकास को बढ़ावा देती है। संपोष्य विकास का अर्थ है कि बाहय व आन्तरिक दोनों पक्षों में संतुलन। मानव मशीन न होकर एक भावात्मक प्राणी है। जिसका सम्बन्ध मानवीन मूल्यों से है। जैसे-प्रेम, दया, करूणा, सहिष्णुता, समाभाव, परोपकार इत्यादि। यह भावात्मक पक्ष ही हमें मानवीय मूल्यों के प्रति सजक एवं संवेदनशील बनाता है। शिक्षा ही किसी समाज की भावी स्वरूप व दिशा का निर्धारक होता है। अतः आवश्यकता है कि समाज का स्वरूप नैतिक व सुव्यवस्थित होता तो बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान की जाती। उपर्युक्त वर्णित लोभ केन्द्रित समाज, अहकेन्द्रित समाज इत्यादि समस्या का समाधान वैदिक ऋचाओं में उपस्थित है -

ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंच जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुंजीपा, मा गृधः कस्यस्विद्धनम्।''[7]

शिक्षा व्यवस्था उस समाज से अलग-अलग होकर काम नहीं करती जिसका वह एक भाग है और यहाँ भारत में शिक्षा का सामाजिक संदर्भ अनेक चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। ''सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सहवीर्य करवावहै, तेजस्वि नावधीतमस्तुमा विद्विषावहै'' भारतीय शिक्षा का हमेशा से मूल मंत्र रहा है जिसका अर्थ है कि हे ईश्वर, हम शिष्य और आचार्यो दोनों एक-दूसरे की रक्षा करें। हम दोनों साथ-साथ ज्ञान का अर्जन करें। हम दोनों का तेज साथ-साथ बढ़े। हम दोनों कभी भी एक-दूसरे के प्रति द्वेष न रखें।''[8] फ्रांसिस बेकन का कथन है कि ''ज्ञान ही शक्ति है'' में यह बात निहित है कि ज्ञान अपना मार्ग स्वयं तय करता है। इसलिए ज्ञान और विकास एक-दूसरे के पूरक कहे जा सकते है। प्राचीन वेदों के अध्ययन से लेकर आधुनिक समय तक भारतीय शिक्षा प्रणाली के कई आयाम है। इस शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़, संयमित, वैशेषिक, अपूर्व और अद्वितीय बनाने में सबसे प्रमुख योगदान भारतीय सांस्कृतिक विविधता ने दिया है। जर्मन दार्शनिक मैक्स मूलर का विचार है कि-''यदि मुझे समग्र विश्व पर यह जानने के लिए दृष्टि डालनी पड़े कि वह कौन-सा देश है जिसे प्रकृति ने अपनी संपूर्ण संपदा, शक्ति और सुंदरता प्रदान की है, कुछ अंशों में जो पृथ्वी पर स्वर्ग है तो मैं भारत की ओर इंगित कर दूंगा।''[9]

आधुनिक शिक्षा प्रणाली समय के साथ विकसित हुई है और पश्चिमी प्रणाली से प्रभावित है। यह प्रौद्योगिकी में बदलाव और प्रगति से प्रभावित हुई है। इस शिक्षा प्रणाली में ई-बुक, वीडियों, व्याख्यान, वीडियों चौट आदि तकनीक शामिल है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली, तकनीकी विकास को शामिल करने के लिए विकसित हुई है। इन तकनीकों के माध्यम से छात्रों को घर बैठकर और बेहतर तरीके से ज्ञान को समझने में मद्द मिलती है जिससे स्मृति में बढ़ोत्तरी होती है। उन्नत अनुसंधान और विकास के अनुसार शिक्षण विधियों में लगातार बदलाव किया जा रहा है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि जरूरत है कि वह

कैसे काम करता है। अतीत में समाज कैसा दिखता था और वर्तमान में गुरूकुल प्रशिक्षण के उद्देश्य को कैसे पूरा किया जा सकता है। यह सिर्फ अतीत को जानने के लिए ही नहीं है। दोनों शिक्षा प्रणाली का समन्वय होना अनिवार्य है। हम ये नहीं भूल सकते कि गुरूकुल प्रणाली उस समय की एकमात्रा शिक्षा प्रणाली थी जिससे छात्रों को शिक्षा के साथ सुसंस्कृत और अनुशासित जीवन के लिए आवश्यक पहलुओं को भी पढ़ाया जाता था। जहाँ छात्र मिलकर गुरूकुल में एक साथ रहते थे और वहाँ एक अच्छी मानवता, प्रेम और अनुशासन था, यहाँ पर छात्रों को बुजुर्गों, माता-पिता और शिक्षकों का सम्मान करने की अच्छी आदतें सिखाई जाती थी। प्राचीन काल की गुरूकुल शिक्षा व्यवस्था को भूलाया ही नही जा सकता जहाँ संस्कार, संस्कृति, शिष्टाचार और सभ्यता सिखाई जाती हो।

संदर्भ ग्रंथः-

1. https://books.google.co.in/books
2. ईस्ट इंडिया कंपनी (1843), एक्ट ऑफ 1813, पृष्ठ-22
3. एन.सी.आई.आर.टी., राष्ट्रीय पठ्यिचर्या की रूपरेखा, नई दिल्ली-एन.सी. आई.आर.टी.
4. https://archaeologyonline.net/artitacts/scientific
5. कुमारी, रमेश-संस्कृति, साहित्य और स्त्री: एक आलोचनात्मक विमर्श, पृष्ठ-16
6. IOSR Journal of Humanities and Social Science-Junuary 2019
7. ईशावास्योपनिषद-1/1, मोतीलाल जलान, गीताप्रेस, गोरखपुर
8. शैक्षिक उन्मेष, जनवरी-मार्च 2019, पृष्ठ-124
9. वही पष्ठ-124

दीक्षा पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षित शिक्षकों के शिक्षण का विद्यार्थियों की अधिगम शैली पर प्रभाव का अध्ययन

प्रो० पार्थ सारथी पाण्डेय

शोध निर्देशक अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष, शिक्षा-संकाय विभाग, नेहरु ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय, कोटवा-जमुनीपुर -दुबावल, प्रयागराज (उ०प्र०)

मिथिलेश कुमार

शोध छात्र, शिक्षा-संकाय विभाग, नेहरु ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय, कोटवा-जमुनीपुर -दुबावल, प्रयागराज (उ०प्र०)

सारांश- शिक्षक अपने शिक्षक पूर्व प्रशिक्षण के समय अनेक प्रकार के ज्ञान, कौशल एवं विधि का ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है लेकिन वे वर्तमान के ज्ञान, कौशल एवं विधियों की तुलना में कम प्रभावी होते हैं। समय के बदलाव के साथ-साथ शिक्षकों को अपने शिक्षण तकनीकी में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए दीक्षा पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। दीक्षा पोर्टल को लांच करने का उद्देश्य देशभर के सभी शिक्षकों को एक मंच के माध्यम से प्रशिक्षण देखकर सभी शिक्षकों को एक समान कौशल सिखाने का उद्देश्य है। जब देश भर के सभी शिक्षक एक समान कौशल का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो देश के सभी बच्चों को एक समान शिक्षा प्रदान होगी। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम से पूर्व ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की अधिगम शैली एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत विद्यार्थियों की अधिगम शैली में सार्थक अंतर होता है अर्थात प्रशिक्षण पूर्व विद्यार्थियों की अधिगम शैली की तुलना में प्रशिक्षण के उपरांत अधिगम शैली का स्तर बढ़ जाता है।

प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार शहरी विद्यार्थियों की शिक्षक प्रशिक्षण से पूर्व अधिगम शैली का मान प्रशिक्षण के उपरान्त अधिगम शैली के मान से कम पाया गया हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी शिक्षक को शिक्षक बनने से पूर्व प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त करना होता है परंतु समय के साथ-साथ नई-नई शिक्षण प्रविधि, शिक्षण विधि, शिक्षण सूत्र, शिक्षण कौशल एवं शिक्षण सहायक सामग्रियों के विकास के कारण पूर्व में प्राप्त किया गया ज्ञान शिक्षण के लिए कम प्रभावशाली हो जाता है। शिक्षक अपने शिक्षक पूर्व प्रशिक्षण के समय अनेक प्रकार के ज्ञान, कौशल एवं विधि का ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है लेकिन वे वर्तमान के ज्ञान, कौशल एवं विधि यों की तुलना में कम प्रभावी होते हैं। समय के बदलाव के साथ साथ शिक्षकों को अपने शिक्षण तकनीकी में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए दीक्षा पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

मुख्य शब्द- दीक्षा पोर्टल, प्राथमिक शिक्षक, अधिगम शैली, मध्यमान, मानक विचलन, क्रांतिक निष्पत्ति आदि।

प्रस्तावना-

भारत सरकार ने भी सूचना तकनीकी के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इसके माध्यम से शिक्षा के विकास को गति देने का प्रयास किया। सरकार ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया की हमारे राष्ट्र की एक बड़ी जनसंख्या जो समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ है जिस कारण वहां तक शिक्षा का वास्तविक स्वरूप पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा है ऐसे में उन लोगों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स ही आज के समय के हिसाब से सबसे प्रासंगिक माध्यम है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे मंच को तैयार करना चाहा जिसके माध्यम से राष्ट्र के प्रत्येक छात्र को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, अभिभावक भी अपने बच्चों के शिक्षा के प्रति जागरूक कर सके। इस मंच को बनाने का मुख्य उद्देश्य उन शिक्षकों के लिए हैं, जो नए-नए शिक्षण तकनीकी एवं मनोवैज्ञानिक तकनीकी से आज भी अनभिज्ञ है उन्हें भी इस मंच के द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। भारत सरकार ने अपने इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, वृहद स्तर पर कार्यक्रम को संचालित करने के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षाशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों एवं तकनीकी विशेषज्ञों से विचार विमर्श करने के पश्चात दीक्षा पोर्टल की शुरुआत किया।

अध्ययन की आवश्यकता व महत्व-

सूचना एवं संचार तकनीकी ने आज हर मनुष्य को शिक्षा प्राप्त करने एवं अपने आप को देश-दुनिया की खबरों से अद्यतन रखने

का अवसर प्रदान किया है। तकनीकी विकास ने केवल मनुष्य की शिक्षा को ही प्रभावित नहीं किया है बल्कि उसके जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना को प्रभावित कर रहा है। आज का मनुष्य तकनीकी एवं विज्ञान पर इतना आश्रित हो गया है कि वह अपनी वास्तविक क्षमता को ही भूल गया है, मनुष्य प्रत्येक छोटे एवं बड़े कार्य के लिए तकनीकी का इस्तेमाल कर रहा है जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव मानव के मानसिक क्षमता पर पड़ा है। आज मानो एक छोटी से छोटी गणना एवं सूचना के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करता है, जिसका सीधा प्रभाव उसके सोचने, तर्क करने, गणना करने एवं अन्य मानसिक क्षमताओं पर पड़ रहा है। इसी प्रकार से भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया दीक्षा पोर्टल भी शिक्षक और छात्रों के मध्य भौतिक दूरी को बढ़ा दिया है। तकनीकी का एक पक्ष जहां इस बात को प्रस्तुत करता है कि तकनीकी के द्वारा हम अपने राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करेंगे वही दूसरा पक्ष इस बात की वकालत करता है कि किसी भी व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम शिक्षक होता है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षक और छात्रों का आमने-सामने उपस्थित होकर परस्पर अंत: क्रिया करते हुए इस प्रक्रिया को पूरा करने से ही छात्र-छात्राओं का संपूर्ण विकास संभव हो पाता है। तकनीकी माध्यमों से शिक्षा प्राप्त करना व्यवहारिक एवं कृत्रिम प्रक्रिया जैसा प्रतीत होता है जिसमें शिक्षक और छात्रों के मध्य किसी भी प्रकार से भावात्मक गुणों का विकास संभव नहीं हो पाता है जो की शिक्षण की वास्तविक प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं ।

सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन- सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सम्बन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान-कोषों, पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध-प्रबन्धों एवं अभिलेखों आदि से है, जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है।

किसी भी विषय के विकास में किसी विशेष शोध प्रारूप का स्थान बनाने के लिए शोधकर्ता को पूर्व सिद्धान्तों एवं शोधों से भली-भाँति अवगत होना चाहिए। इस जानकारी को निश्चित करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान में प्रत्येक शोध प्रारूप की प्रारम्भिक अवस्था में इसके सैद्धान्तिक एवं शोधित साहित्य की समीक्षा करनी होती है, यहाँ साहित्य समीक्षा का अर्थ दिया गया।

- मालती और मालिनी (2006) ने तमिलनाडु के उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की अधिगम शैली का अध्ययन किया। इस अध्ययन में अनुसन्धानकर्ता ने कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों की अधिगम शैली और अधिगम शैली का विद्यार्थियों की उपलब्धि से सम्बन्ध का पता लगाने का प्रयास किया। इस अध्ययन में अनुसंन्धानकर्ता ने विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों में, उनके लिंग, कक्षा एवं विद्यालयों के प्रकार के सन्दर्भ में सार्थक अन्तर ज्ञात करने का भी प्रयास किया। प्रतिदर्श के रूप में इस अध्ययन हेतु निजी एवं राजकीय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर के 160 विद्यार्थियों को चुना गया। प्रमुख परिणाम इस प्रकार थे-

1. उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की अधिगम शैली अच्छी श्रेणी की थी।
2. कक्षा एवं विद्यालय के प्रकार के सन्दर्भ में विद्यार्थियों की अधिगम शैली में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।
3. छात्रों एवं छात्राओं की अधिगम शैली में सार्थक अन्तर प्राप्त हुआ।
4. विद्यार्थियों की अधिगम शैली एवं उपलब्धि के बीच उच्च सहसम्बन्ध पाया गया जो प्रदर्शित कर रहा था कि विद्यार्थी की अधिगम शैली जितनी बेहतर थी उपलब्धि के प्राप्तांक भी उतने ही उच्चतर थे।

- गाखर (2006) ने शैक्षिक उपलब्धि का अधिगम शैली,चिन्तन शैली, एवं अध्ययन कौशलों के सन्दर्भ में अध्ययन किया। इस अध्ययन का उद्देश्य फिजियोथिरेपी के विद्यार्थियों की शैक्षिक अध्ययन में अनुसंन्धानकर्ता ने विद्यार्थियों की अधि गम शैलियों में, उनके लिंग, कक्षा एवं विद्यालयों के प्रकार के सन्दर्भ में सार्थक अन्तर ज्ञात करने का भी प्रयास किया। प्रतिदर्श के रूप में इस अध्ययन हेतु निजी एवं राजकीय विद्यालयों के उच्चतर माध्यमिक स्तर के 160 विद्यार्थियों को चुना गया। प्रमुख परिणाम इस प्रकार थे-

1- उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की अधिगम शैली अच्छी श्रेणी की थी।

2- कक्षा एवं विद्यालय के प्रकार के सन्दर्भ में विद्यार्थियों की अधिगम शैली में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

3- छात्रों एवं छात्राओं की अधिगम शैली में सार्थक अन्तर प्राप्त हुआ।

4- विद्यार्थियों की अधिगम शैली एवं उपलब्धि के बीच उच्च सहसम्बन्ध पाया गया जो प्रदर्शित कर रहा था कि विद्यार्थी की अधिगम शैली जितनी बेहतर थी उपलब्धि के प्राप्तांक भी उतने ही उच्चतर थे।

- सुरिन्दर और चन्दनदीप (2010) ने शहरी एवं ग्रामीण बच्चों की अधिगम एवं चिन्तन शैलियों की प्राथमिकताओं का अध्ययन किया। अध्ययन के उद्देश्य थे-

1- अधिगम एवं चिन्तन शैलियों की प्राथमिकताओं में अन्तर का अध्ययन।

2- लिंग एवं परिवेश के सन्दर्भ में अधिगम शैली एवं चिन्तन शैली का व्यक्तित्व एवं शैक्षिक उपलब्धि से सम्बन्ध का अध्ययन।

ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों के 104 विद्यार्थियों को प्रतिदर्श के रूप में चुना गया। अधिगम एवं चिन्तन की शैली उपकरण तथा आइजेन्क की व्यक्तित्व सूची का प्रयोग प्रदत संग्रह हेतु किया गया। चरों के मध्य सम्बन्ध के अध्ययन हेतु पीयर्सन प्रोडक्ट मोमेण्ट गुणांक का जबकि अन्तरों की सार्थकता को ज्ञात करने के लिए टी-परीक्षण का प्रयोग किया गया। प्रमुख परिणामों से ज्ञात हुआ कि सम्पूर्ण प्रतिदर्श हेतु किसी भी घर पर लिंग आधारित सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। शहरी लड़कों एवं लड़कियों में कोई अन्तर नहीं पाया गया परन्तु ग्रामीण प्रतिदर्श में लड़के रचनात्मक चिन्तन शैली समस्या समाधान एवं अभिसारी चिन्तन को लड़कियों की तुलना में प्राथमिकता देते पाए गए। ग्रामीण, शहरी तथा लड़के एवं लड़कियों सभी के सन्दर्भ में अधिगम तथा चिन्तन शैलियों तथा व्यक्तित्व एवं शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक सम्बन्ध पाया गया। विभिन्न प्रतिदर्शों के लिए सम्बन्ध के भिन्न-भिन्न प्रतिमान पाये गये। शहरी विद्यार्थियों ने बहुत सारी अधिगम एवं चिन्तन शैलियों का उपयोग किया, साथ ही उनकी शैक्षिक उपलब्धि सम्बन्धी निष्पत्ति ग्रामीण विद्यार्थियों की तुलना में बेहतर थी।

शोध अध्ययन के उद्देश्यः-

प्रस्तुत शोध के निम्नलिखित उद्देश्य है-

1. दीक्षा पोर्टल के माध्यम से संचालित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा प्रशिक्षित शिक्षकों के शिक्षण का ग्रामीण विद्यार्थियों की अधिगम शैली पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
2. दीक्षा पोर्टल के माध्यम से संचालित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा प्रशिक्षित शिक्षकों के शिक्षण का शहरी विद्यार्थियों की अधिगम शैली पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन।

शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँः-

शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत शोध को अधोलिखित परिकल्पनाओं के अन्तर्गत सम्पादित किया गया है -

1. ग्रामीण विद्यार्थियों की शिक्षक प्रशिक्षण के पूर्व तथा प्रशिक्षण के उपरांत अधिगम शैली में सार्थक अंतर नहीं है।
2. शहरी विद्यार्थियों की शिक्षक प्रशिक्षण के पूर्व तथा प्रशिक्षण के उपरांत अधिगम शैली में सार्थक अंतर नहीं है।

शोध विधि- प्रस्तुत अध्ययन में प्रयोगात्मक शोध की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या- जनसंख्या का तात्पर्य सम्पूर्ण इकाईयों के निरीक्षण से होता है। इसमें कुछ इकाईयों का चयन करके न्यादर्श बनाया जाता है। प्रयागराज जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 100 विद्यार्थी शहरी क्षेत्र के तथा 100 विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र के न्यादर्श के रूप में चुने गये हैं।

न्यादर्शन (Sampling)- जनसंख्या (इकाई, वस्तुओं या मनुष्यों का समूह) में किसी चर का विशिष्ट मान ज्ञात करने के लिए उसकी कुछेक इकाइयों को चुन लिया जाता है तो इस चुनने की क्रिया को न्यादर्शन (sampling) कहते हैं, तथा चुनी हुई इकाइयों के समूह को न्यादर्श कहते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में संभाव्यता न्यादर्शन के आधार पर आकड़ों को लिया गया है।

शोध उपकरण-

स्वनिर्मित अधिगम शैली मापनी

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की अधिगम शैली के मापन के लिए स्वनिर्मित अधिगम शैली मापनी का प्रयोग किया गया है। इस मापनी में बच्चों के पढने के विभिन्न आयामों से सम्बंधित कुल 50 कथनों का समावेश किया गया है जो इन विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों का विधिवत मापन करते है।

अंकन विधि-

उपर्युक्त मापनी के प्रत्येक कथनों के सापेक्ष उत्तरदाताओं से हाँ अथवा नहीं में उत्तर प्राप्त करने की अपेक्षा की गयी है। प्रत्येक कथन के सापेक्ष हाँ उत्तर पर 1 अंक तथा नहीं उत्तर पर 0 अंक प्रदान किया गया है।

परिकल्पना न01. ग्रामीण विद्यार्थियों की शिक्षक प्रशिक्षण से पूर्व तथा प्रशिक्षण के उपरान्त अधिगम शैली में सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका 1- ग्रामीण विद्यार्थियों की शिक्षक प्रशिक्षण से पूर्व तथा प्रशिक्षण के उपरान्त अधिगम शैली का विवरण:

अधिगम शैली	संख्या	माध्य	मानक विचलन	स्वतंत्रता मात्रा	'टी' मान	टिप्पणी .01 स्तर	टिप्पणी .05 स्तर
प्रशिक्षण पूर्व	100	36.64	3.298	198	28.417	सार्थक अंतर है	सार्थक अंतर है
प्रशिक्षण उपरान्त	100	47.95	2.218				

तालिका संख्या 1 में ग्रामीण विद्यार्थियों की शिक्षक प्रशिक्षण से पूर्व तथा प्रशिक्षण के उपरान्त अधिगम शैली का विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। तालिका के अनुसार प्रथम समूह शिक्षको के प्रशिक्षण के पूर्व छात्रों की अधिगम शैली का है जिसका मध्यमान 36.64 तथा मानक विचलन 3.289 पाया गया है, जबकि दूसरा समूह शिक्षको के प्रशिक्षण के उपरान्त छात्रों की अधिगम शैली का है जिसका मध्यमान 47.95 तथा मानक विचलन 2.218 पाया गया है। इन समूहों के चरों के मध्यमानो की सार्थकता ज्ञात करने के लिए टी-अनुपात परीक्षण का प्रयोग किया गया जिसके आधार पर क्रांतिक अनुपात की गणना की गई जिसका मान 28.417 प्राप्त हुआ है जो की 0.05 सार्थकता स्तर के मान 1.96 तथा 0.01 सार्थकता स्तर के मान 2.58 से अधिक प्राप्त हुआ है। अत:

निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि छात्रों के दोनों परिस्थितियों की अधिगम शैली में सार्थक अंतर है। इस प्रकार शोधकर्ता की परिकल्पना संख्या 1 अस्वीकार की जाती है तथा प्राप्त परिणाम को स्वीकार किया जाता है।

परिकल्पना न02. शहरी विद्यार्थियों की शिक्षक प्रशिक्षण से पूर्व तथा प्रशिक्षण के उपरान्त अधिगम शैली में सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका 2. शहरी विद्यार्थियों की शिक्षक प्रशिक्षण से पूर्व तथा प्रशिक्षण के उपरान्त अधिगम शैली का विवरण:

अधिगम शैली	संख्या	माध्य	मानक विचलन	स्वतंत्रता मात्रा	'टी' मान	टिप्पणी	
						.01 स्तर	.05 स्तर
प्रशिक्षण पूर्व	100	37.63	4.286	198	18.04	सार्थक अंतर है	सार्थक अंतर है
प्रशिक्षण उपरान्त	100	46.47	2.432				

तालिका संख्या 2 में शहरी विद्यार्थियों की शिक्षक प्रशिक्षण से पूर्व तथा प्रशिक्षण के उपरान्त अधिगम शैली का विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। तालिका के अनुसार प्रथम समूह शिक्षको के प्रशिक्षण के पूर्व छात्रों की अधिगम शैली का है जिसका मध्यमान 37.63 तथा मानक विचलन 4.286 पाया गया है, जबकि दूसरा समूह शिक्षको के प्रशिक्षण के उपरान्त छात्रों की अधिगम शैली का है जिसका मध्यमान 46.47 तथा मानक विचलन 2.432 पाया गया है। इन समूहों के चरों के मध्यमानो की सार्थकता ज्ञात करने के लिए टी–अनुपात परीक्षण का प्रयोग किया गया जिसके आधार पर क्रांतिक अनुपात की गणना की गई जिसका मान 18.04 प्राप्त हुआ है जो की 0.05 सार्थकता स्तर के मान 1.96 तथा 0.01 सार्थकता स्तर के मान 2.58से अधिक प्राप्त हुआ है। अत: निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि छात्रों के दोनों परिस्थितियों की अधिगम शैली में सार्थक अंतर है। इस प्रकार शोधकर्ता की परिकल्पना संख्या 2 अस्वीकार की जाती है तथा प्राप्त परिणाम को स्वीकार किया जाता है।

निष्कर्ष–दीक्षा पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक से यदि हमारा बच्चा शिक्षा ग्रहण करेगा तो बच्चे की अधिगम शैली का विकास तेजी से होगा परंतु यदि जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है यदि वहां के शिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग नहीं किया जा रहा है अर्थात अपने कौशल एवं ज्ञान का विकास नहीं किया जा रहा है तो इससे बच्चों के अधिगम शैली का विकास संभव नहीं होगा। बहुत सारे सरकारी विद्यालयों के द्वारा यह दावा किया जाता है कि उनके यहां शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षक उच्च शैक्षिक गुणवत्ता युक्त हैं परंतु जब अभिभावक को इस बात का ज्ञान होगा कि शिक्षण पूर्व प्रशिक्षण के पश्चात जब शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा होता है तो उस दौरान भी शिक्षक को प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता होती है जिससे कि शिक्षक में नये ज्ञान एवं कौशलों का विकास संभव हो सके। उपरोक्त तथ्यों को जानने से कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को किसी भी गैर जिम्मेदार शिक्षकों के हाथों में सौंपने से बच जाएगा जिससे कि बच्चे का भविष्य अंधकारमय होने से बच सकता है। समाज में बहुत से ऐसे भी अभिभावक हैं जो केवल विद्यालय के बड़ी–बड़ी बिल्डिंगों और बड़े–बड़े विज्ञापनों को देखकर ही अपने बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिला देते हैं परंतु उन्हें यह नहीं पता होता कि वहां के शिक्षकों को समय समय पर प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था है अथवा दीक्षा पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। जिसका परिणाम यह होता है कि बच्चा केवल सतही ज्ञान प्राप्त कर पाता है, जिससे बच्चे का भविष्य अंधकारमय हो जाता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ –सूची

1. अग्रवाल, एम0 (2007). सम कोरिलेट्स ऑफ एकेडमिक एचीवमेन्ट मोटीवेशन पी–एच0डी0, लखनऊ विश्वविद्यालय पृष्ठ–59.
2. आलपोर्ट, जी0 डब्ल्यू0 एवं कन्टोल, पी0ई0 (1963). मैनुअल फार स्टडी ऑफ टीचिंग एट्टीटयूट, हार्पर एण्ड रो पब्लिकेशन, न्यूयार्क पृष्ठ–259.
3. आरिफ, एम0आई0 रसिद, ए0 ताहिरा, एस0एस0 एवं अख्तर एम0 (2012). व्यक्तित्व और शिक्षण भावी शिक्षक व्यक्तित्व में एक जांच. International Journal of Humanities and social Science. Vol-2 No-17, Pp-16-17.
4. इंगलहर्, मैक्स डी0 (1972). मैथड् ऑफ एजूकेशन रिसर्च, रैण्ड मैकवाली एण्ड कम्पनी, शिकागो.
5. एण्डरसन, लोरी एफ0 तथा हेन्डरिक्सन एम0जे0 (2007). टीचर नॉलेज रेटिंग ऑफ कम्पीटेन्सी इम्पोरटेन्स एण्ड आब्जर्वड मैनेजमेंट कम्पीटेन्सीज. जर्नल आर्टिकल, रिपोर्ट रिसर्च, ई0आर0टी0सी0 बेब पोर्टल, पृष्ठ–142.
6. कपिल, एच0 के0 (2006). अनुसंधान विधियाँ, आगरा,एच0पी0 भार्गव बुक हाउस, पृ0–19.
7. कलिंग्जर, एफ0 एन0 (1967). फाउण्डेशन आफ विहेवियरल रिसर्च, हालट रेन हार्ट एण्ड विन्सटर इन न्यूयार्क, पृष्ठ 13

8. कुमार, महेश मुछाल एवं चन्द, सतीश (2015). बागपत जनपद के प्राथमिक स्तर पर कार्यरत बी0एड्0 एवं बी0पी0एड्0 प्रशिक्षित अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन Asian Journal of Multidisciplinary Studies .Volume 3, Issue
9. कौर, गुरपीत एण्ड मेहता, सी0के0 (2007). कम्प्रेटिव स्टडी ऑफ द लेवल ऑफ अचीवमेन्ट मोटीवेशन सेल्फ कान्फीडेन्स एण्ड एसर्टिवनेस एमंग एडोलसेन्ट गर्ल्स, पी–एच0डी0, लखनऊ विश्वविद्यालय पृष्ठ–49.
10. कौर, हरप्रीत (2013). एटीटयूड टुवडर्स टीचिंग प्रोफेशन इन रिलेशन टु एडजस्टमैन्ट ऑफ सैकेण्डरी स्कूल टीचर्स, एजुटैक्स, वोल्यूम 11 नं0–6. पृ0–22–24
11. गांग्ट, सी0एल0 (2001). लोकस ऑफ कन्ट्रोल, अचीवमेंट मोटीवेशन एण्ड एटीट्यूड टुवड्र्स मार्डरनिटी एमंग कालेज एण्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेन्ट्स, पी–एच0डी0, उत्कल विश्वविद्यालय पृष्ठ–49.
12. गिल, एल0जे0 तथा वी0 स्थिलका (2012). अमेरिकन मैक्सिकन सेकेन्डरी स्कूल के छात्रों मे शैक्षिक उपलब्धि के गैर बौद्धिक सह सम्बन्धो ं का अध्ययन, पी–एच0डी0, केरल विश्वविद्यालय, केरल, पृष्ठ–123.
13. राय, पारसनाथ (2003)ः अनुसन्धान परिचय, लक्ष्मी नारायण दास अग्रवाल प्रकाशन आगरा

संस्थागत तथा दूरस्थ शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन

प्रो० पार्थ सारथी पाण्डेय

शोध निर्देशक, अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष, शिक्षा-संकाय विभाग, नेहरु ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय, कोटवा-जमुनीपुर -दुबावल, प्रयागराज (उ०प्र०)

विकास कुमार सिंह

शोध छात्र, शिक्षा-संकाय विभाग, नेहरु ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय, कोटवा-जमुनीपुर-दुबावल, प्रयागराज (उ०प्र०)

सारांश-

अनेकों विद्वानों का यह मानना है कि शिक्षक बनाए नहीं जाते बल्कि पैदा होते हैं अर्थात शिक्षण एक जन्मजात शक्ति होती है। परंतु आज यह बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है क्योंकि आज ज्ञान को किसी सीमा में बाधा नहीं जा सकता, ज्ञान असीमित है और इसे प्रदान करने के लिए एक शिक्षक के पास अनेकों प्रकार के गुणों, कौशलों, योग्यताओं एवं क्षमताओं की आवश्यकता होती है और इन सब की प्राप्ति के लिए किसी भी शिक्षक को आवश्यक रुप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होता है। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल सेवा पूर्व में ही नहीं बल्कि सेवा कार्य करते समय भी आवश्यक होती है। आज प्रतिदिन नए-नए ज्ञान का अन्वेषण हो रहा है जिस कारण से प्रत्येक शिक्षक को थोड़े थोड़े दिनों के पश्चात नए-नए ज्ञान से अवगत कराने के लिए कुछ दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होता है। जिससे उसमें आवश्यक शिक्षण प्रभावशीलता आ सके। जिस प्रकार से एक दीपक को प्रकाश देने के लिए स्वयं को सदैव जलाना पड़ता है उसी प्रकार एक शिक्षक को समाज को शिक्षित करने के लिए, अपने ज्ञान को बनाए रखने के लिए हमेशा प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है।

एक शिक्षक की गुणवत्ता का निर्धारण उसकी शिक्षण प्रभावशीलता से हो जाती है अर्थात प्रशिक्षण प्राप्त करते समय शिक्षक द्वारा कितनी सूक्ष्म तरीके से शिक्षण कला एवं शिक्षण विज्ञान का ज्ञान प्राप्त किया गया। कोई भी शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में जितना दक्ष होता है छात्र उस शिक्षक से उतनी ही जल्दी सीखने में सफल होते हैं। विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशलों का ज्ञान प्राप्त करने से शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली ढंग से करने में सफल होते हैं जिससे उनकी शिक्षण प्रभावशीलता उच्च स्तर की हो जाती है। इस प्रकार से हमें इस बात का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि कोई भी शिक्षक वास्तव में तब तक शिक्षण कार्य करने में सफल नहीं है जब तक कि वह विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपने शिक्षण में प्रभावशीलता नहीं ला पाता।

मुख्य शब्द- संस्थागत तथा दूरस्थ शिक्षा, बी०एड० प्रशिक्षणार्थी, शिक्षण प्रभावशीलता, मध्यमान, मानक विचलन, क्रांतिक निश्पत्ति इत्यादि।

प्रस्तावना-

किसी समाज एवं राष्ट्र का विकास उस समाज के अथवा राष्ट्र के प्रबुद्ध नागरिकों से निर्धारित होता है। राष्ट्र के लिए प्रबुद्ध नागरिकों को तैयार करने की जिम्मेदारी उस राष्ट्र के शिक्षक वर्ग की होती है। शिक्षक एक अबोध बालक को अपने ज्ञान एवं प्रभाव से एक प्रबुद्ध नागरिक के रूप में विकसित करता है। किसी भी बालक-बालिका को उसके माता-पिता जन्म अवश्य देते हैं परंतु इस संसार से बालक-बालिका का साक्षात्कार, एक शिक्षक ही कराता है। शिक्षक के पास ज्ञान रुपी उपकरण होता है जिसके माध्यम से वह अपने छात्र छात्राओं का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास एवं संवेगात्मक विकास करता है। परंतु किसी भी अबोध बालक को प्रबुद्ध नागरिक के रूप में एवं उसका सर्वांगीण विकास वहीं शिक्षक कर सकता है जिसने खुद को ज्ञान रुपी भट्ठी में जलाया हो। शिक्षकों के संदर्भ में एक प्राचीन कहावत है कि शिक्षक बनाए नहीं जाते बल्कि जन्मजात होते हैं। परंतु आज के मनोवैज्ञानिक समय में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जितनी आवश्यकता एक शिक्षक को विषय का ज्ञान होना जरूरी है, उतनी ही उस शिक्षक का शिक्षण संबंधी कला एवं विज्ञान को भी जानना जरूरी है।

आज के समय में मनोवैज्ञानिक खोजो ने एक बात स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक छात्र अथवा छात्रा में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती हैं, इसलिए किसी भी शिक्षक को अपने विषय के ज्ञाता होने

के साथ-साथ उसे शिक्षण शास्त्र एवं मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इन्हीं मनोवैज्ञानिक खोजों ने प्राचीन समय से चली आ रही धारणा कि शिक्षक जन्मजात होते हैं को अपूर्ण साबित कर दिया है। अत: जन्मजात शिक्षण क्षमता होने के साथ-साथ किसी भी अध्यापक को प्रशिक्षण की अत्यधिक आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में और अधिक धार अर्थात शिक्षण कला में और अधिक पारंगत होते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रायबर्न ने शिक्षण के अंतर्गत तीन मुख्य बिंदुओं को स्वीकार किया है जिसे शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम के नाम से जाना जाता है। अपने इस विचार में रायबर्न ने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी प्रकार के शिक्षण प्रक्रिया को संचालित करना है तो वहां इन तीन बिंदुओं का उपस्थित होना अनिवार्य है क्योंकि इनमें से किसी एक की भी अनुपस्थिति में शिक्षण प्रक्रिया को संचालित करना असंभव होता है।

अध्ययन की आवश्यकता और महत्व-

शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं में प्राय: ऐसा देखा गया है कि उनकी पहली पसंद संस्थागत शिक्षण संस्थान होते हैं परंतु कुछ ऐसे युवा भी है जो किन्ही अन्य व्यवसाय में लगे होने के कारण अथवा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान दूर होने के कारण दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। जो युवा संस्थागत प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वे अधिक समय तक अपने शिक्षकों के बीच रहकर एवं अपने सहपाठियों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अभ्यास करते हुए अनेक प्रकार के सूक्ष्म से सूक्ष्म शिक्षण कौशलों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। परंतु दूरस्थ शिक्षा संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए इस प्रकार से ज्ञान एवं कौशलों को सीखना असंभव होता है। फिर भी इन दोनों प्रकार की प्रशिक्षण संस्थानों में अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। दोनों प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भिन्नता होने के कारण प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं के ज्ञान अथवा कौशलों में भी भिन्नता होने की प्रबल संभावना है। क्या वास्तव में इस प्रकार की भिन्नता है अथवा नहीं इस बातों को समझने के लिए शोधार्थी अपने शोध के विषय के रूप में संस्थागत और दूरस्थ शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण प्रभावशीलता का अध्ययन करने की आवश्यकता महसूस हुई।

सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन-

सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सम्बन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान-कोषों, पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध-प्रबन्धों एवं अभिलेखों आदि से है, जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है।

किसी भी विषय के विकास में किसी विशेष शोध प्रारूप का स्थान बनाने के लिए शोधकर्ता को पूर्व सिद्धान्तों एवं शोधों से भली-भाँति अवगत होना चाहिए। इस जानकारी को निश्चित करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान में प्रत्येक शोध प्रारूप की प्रारम्भिक अवस्था में इसके सैद्धान्तिक एवं शोधित साहित्य की समीक्षा करनी होती है, यहाँ साहित्य समीक्षा का अर्थ दिया गया।

- डॉ विरेंद्र स्वरूप (2001) ने माध्यमिक शिक्षकों की शिक्षा प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि पुरुष व महिला शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता में नगण्य धनात्मक सह-संबंध पाया गया तथा शिक्षण व्यवसाय में सकारात्मक अभिवृत्ति पाई गई।
- राव पी मंजुला (2001) ने कर्नाटक के आदिवासी क्षेत्र के शिक्षकों की सामान्य शिक्षण दक्षता व छात्रों की उपलब्धि का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि जिन अध्यापकों की शिक्षण दक्षता निम्न पाई गई उन विषयों में विद्यार्थियों की उपलब्धियां भी निम्न पाई गई। अत: शिक्षकों की शिक्षण दक्षता व विद्यार्थियों की उपलब्धि में सकारात्मक (धनात्मक) सहसंबंध पाया गया।
- राजतिलक (2002) ने माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता का अध्ययन का निष्कर्ष निकाला कि कार्य करने की प्रेरणा शिक्षण प्रभावशीलता पर सकारात्मक प्रभाव डालती है तथा कार्य संतुष्टि भी शिक्षण प्रभावशीलता से सार्थक संबंध रखती है।
- त्रिपाठी, एन. आर. (2003) ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षक शिक्षकों की शिक्षण दक्षता का तुलनात्मक अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रशिक्षित शिक्षक व शिक्षिकाओं की शिक्षण दक्षता में कोई अंतर नहीं होता तथा प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित शिक्षकों की शिक्षण दक्षता में कोई अंतर नहीं होता।
- बवेजा सुखांत (2003) ने दक्षता आधारित शिक्षक प्रशिक्षण राजनीति की प्रभावशीलता का अध्ययन किया तथा बताया कि परंपरागत प्रशिक्षण माडल की अपेक्षा दक्षता आधारित शिक्षण प्रशिक्षण रणनीति शिक्षकों के समान शिक्षण दक्षता विकास के लिए ज्यादा प्रभावशाली है।
- जगर एवं मट्टू (2004)उच्च शिक्षा में शिक्षकों की सृजनशीलता तथा शिक्षण प्रभावशीलता का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि उच्च सृजनशीलता व प्रभावशीलता में सार्थक अंतर होता है क्योंकि शिक्षक की क्रियाओं तथा कुसमायोजन अस्थाई भाव होने के कारण शिक्षक अपने कार्य के प्रति पूर्ण योगदान नहीं दे पाते।
- शेलैली, दवे (2006)उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की शिक्षण अभिवृत्ति तथा प्रभावशीलता का अध्ययन किया

और निष्कर्ष निकाला कि उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है, परंतु महिला व पुरुष शिक्षकों की शिक्षण अभिवृत्ति का शिक्षक प्रभावशीलता में धनात्मक अंतर पाया गया।

शोध अध्ययन के उद्देश्यः-

प्रस्तुत शोध के निम्नलिखित उद्देश्य है-

1. संस्थागत तथा दूरस्थ शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. संस्थागत शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित महिला एवं पुरुष बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. दूरस्थ शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित महिला एवं पुरुष बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँः-

शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत शोध को अधोलिखित परिकल्पनाओं के अन्तर्गत सम्पादित किया गया है -

1. संस्थागत तथा दूरस्थ शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. संस्थागत शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित महिला एवं पुरुष बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. दूरस्थ शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित महिला एवं पुरुष बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध विधि- प्रस्तुत अध्ययन में प्रयोगात्मक शोध की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है ।

जनसंख्या- जनसंख्या का तात्पर्य सम्पूर्ण इकाईयों के निरीक्षण से होता है। इसमें कुछ इकाईयों का चयन करके न्यादर्श बनाया जाता है। प्रयागराज जनपद में स्थित संस्थागत प्रशिक्षण संस्थानों के 200 (जिसमें 100-100 क्रमशः पुरुष तथा महिला प्रशिक्षणार्थी) इसी प्रकार दूरस्थ प्रशिक्षण संस्थानों के 200 (जिसमें 100-100 क्रमशः पुरुष तथा महिला प्रशिक्षणार्थी) न्यादर्श के रूप में लिए गये हैं।

न्यादर्शन- जनसंख्या (इकाई, वस्तुओं या मनुष्यों का समूह) में किसी चर का विशिष्ट मान ज्ञात करने के लिए उसकी कुछेक इकाइयों को चुन लिया जाता है तो इस चुनने की क्रिया को न्यादर्शन कहते हैं, तथा चुनी हुई इकाइयों के समूह को न्यादर्श कहते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में संभाव्यता न्यादर्शन के आधार पर आकड़ों को लिया गया है ।

शोध उपकरण-

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता द्वारा निम्नलिखित शोध उपकरण का प्रयोग किया गया है-

डा० शालू पुरी और प्रो०एस०सी० गाखर द्वारा निर्मित एवं प्रमापीकृत शिक्षक प्रभावशीलता मापनी-

इस शोध में प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण प्रभावशीलता को मापने के लिए डा० शालू पुरी और प्रो०एस०सी० गाखर द्वारा निर्मित एवं प्रमापीकृत शिक्षक प्रभावशीलता मापनी का प्रयोग किया गया है। इस मापनी में शिक्षण प्रभावशीलता के विभिन्न वर्गों से सम्बंधित कुल 77 कथनों का समावेश किया गया है जिनका वितरण निम्न तालिका में प्रदर्शित है-

SR.NO.	CATEGORY	ITEMWISE SERIAL NO.	TOTAL
1.	Academic and professional knowledge	1,2,3,4,5	05
2.	Preparation and presentation of lesson plan,classroom management	19,20,39,40,41,42,43,44,45,46, 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56, 57,60,63,64,65,77	26
3.	Attitude towards students parents.coooeagues,headof institutions	6,7,12,13,14,15,16,17,18,23,24,25,26,34,35	15
4.	Use of motivation reward and punishment and interest in all round development of students	8,9,10,11,36,37,38	07
5.	Result,feedback accountability	61,62	02
6.	Personal qualities	21,22,27,28,29,30,31,32,33,58,59,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,	22
		TOTAL	77

अंकन विधि- मापनी में सम्मिलित प्रत्येक कथन का अंकन पञ्च बिंदु मापनी यथा -पूर्ण सहमत, सहमत, अनिर्णीत, असहमत, पूर्ण असहमत के आध र

पर किया गया है। पूर्ण सहमत को 5 अंक, सहमत को 4 अंक, अनिर्णीत को 3 अंक, असहमत को 2 अंक तथा पूर्ण असहमत को 1अंक प्रदान किया गया है।

शोध से प्राप्त परिणामों का सारणीबद्ध व उनकी व्याख्या अग्रवत है-

परिकल्पना 1. संस्थागत तथा दूरस्थ शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण प्रभावशीलता में सार्थक अंतर नहीं होगा।

तालिका 1: संस्थागत तथा दूरस्थ शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण प्रभावशीलता का विवरण:

शिक्षा का माध्यम	संख्या	माध्य	मानक विचलन	स्वतन्त्रता मात्रा	'टी' मान	टिप्पणी	
						.01 स्तर	.05 स्तर
संस्थागत	200	256.05	28.092	398	3.672	सार्थक अंतर है	सार्थक अंतर है
दूरस्थ	200	245.66	28.584				

तालिका संख्या 1 में संस्थागत तथा दूरस्थ शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण प्रभावशीलता का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तालिका के अनुसार प्रथम समूह संस्थागत शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित बी.एड प्रशिक्षणार्थियों का है जिसका मध्यमान 256.05 तथा मानक विचलन 28.092 पाया गया है, जबकि दूसरा समूह दूरस्थ शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों का है जिसका मध्यमान 245.66 तथा मानक विचलन 28.584 पाया गया है। इन समूहों के चरों के मध्यमानो की सार्थकता ज्ञात करने के लिए क्रांतिक निष्पत्ति परीक्षण का प्रयोग किया गया जिसका मान 3.672 प्राप्त हुआ है जो की 0.05 सार्थकता स्तर के मान 1.96 तथा 0.01 सार्थकता स्तर के मान 2.58 से अधिक प्राप्त हुआ है। अतः निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि दोनों समूहों की शिक्षण प्रभावशीलता में सार्थक अंतर है। इस प्रकार शोधकर्ता की परिकल्पना संख्या 1 अस्वीकार की जाती है तथा प्राप्त परिणाम को स्वीकार किया जाता है।

परिकल्पना 2. संस्थागत शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित महिला एवं पुरुष बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण प्रभावशीलता में सार्थक अंतर नहीं होगा।

तालिका 2: संस्थागत शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित महिला एवं पुरुष बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण प्रभावशीलता का विवरण:

लिंग	संख्या	माध्य	मानक विचलन	स्वतन्त्रता मात्रा	'टी' मान	टिप्पणी	
						.01 स्तर	.05 स्तर
महिला प्रशिक्षार्थी	100	259.13	28.974	198	1.556	कोई सार्थक अंतर नहीं है	कोई सार्थक अंतर नहीं है
पुरुष प्रशिक्षार्थी	100	252.97	26.975				

तालिका संख्या 2 में संस्थागत शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित महिला एवं पुरुष बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण प्रभावशीलता का विवरण प्रस्तुत किया गया है। । तालिका के अनुसार प्रथम समूह संस्थागत शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित महिला प्रशिक्षणार्थियों का है जिसका मध्यमान 259.13 तथा मानक विचलन 28.974 पाया गया है, जबकि दूसरा समूह संस्थागत शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित पुरुष प्रशिक्षणार्थियों का है जिसका मध्यमान 252.97 तथा मानक विचलन 26.975 पाया गया है। इन समूहों के चरों के मध्यमानो की सार्थकता ज्ञात करने के लिए क्रांतिक निष्पत्ति परीक्षण का प्रयोग किया गया जिसका मान 1.556 प्राप्त हुआ है जो की 0.05 सार्थकता स्तर के मान 1.96 तथा 0.01 सार्थकता स्तर के मान 2.58 से कम प्राप्त हुआ है। अतः निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि दोनों समूहों की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं है। इस प्रकार शोधकर्ता की परिकल्पना संख्या 2 स्वीकार की जाती है तथा प्राप्त परिणाम को भी स्वीकार किया जाता है।

परिकल्पना 3. दूरस्थ शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित महिला एवं पुरुष बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण प्रभावशीलता में सार्थक अंतर नहीं होगा।

तालिका 3: दूरस्थ शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित महिला एवं पुरुष बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण प्रभावशीलता का विवरण:

लिंग	संख्या	माध्य	मानक विचलन	स्वतन्त्रता मात्रा	'टी' मान	टिप्पणी	
						.01 स्तर	.05 स्तर
महिला प्रशिक्षार्थी	100	258.64	28.749	198	1.206	कोई सार्थक अंतर नहीं है	कोई सार्थक अंतर नहीं है
पुरुष प्रशिक्षार्थी	100	253.97	25.974				

तालिका संख्या 3 में दूरस्थ शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित महिला एवं पुरुष बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण प्रभावशीलता से सम्बंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है। तालिका के अनुसार प्रथम समूह दूरस्थ शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित महिला प्रशिक्षणार्थियों का है जिसका मध्यमान 258.64 तथा मानक विचलन 28.749 है, जबकि दूसरा समूह दूरस्थ शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित पुरुष प्रशिक्षणार्थियों का है जिसका मध्यमान 253.97 तथा मानक विचलन 25.974 है। इन समूहों के चरों के मध्यमानो की सार्थकता ज्ञात करने के लिए लिए क्रांतिक निष्पत्ति परीक्षण का प्रयोग किया गया जिसका मान 1.206 प्राप्त हुआ है जो की 0.05 सार्थकता स्तर के मान 1.96 तथा 0.01 सार्थकता स्तर के मान 2.58 से कम प्राप्त हुआ है। अतः निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि दोनों समूहों की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं है। इस प्रकार शोधकर्ता की परिकल्पना संख्या 3 स्वीकार की जाती है तथा प्राप्त परिणाम को भी स्वीकार किया जाता है।

निष्कर्ष-

किसी भी शोधकर्ता के द्वारा जब भी कोई शोध कार्य किया जाता है तो प्रथम दृष्टि उस शोध की उपयोगिता को ध्यान में रखना होता है क्योंकि शोध कार्य तभी सफल माना जाता है जब वह मानव जाति के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। प्रस्तुत शोध कार्य पूरी तरीके से संस्थागत एवं दूरस्थ शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण प्रभावशीलता से संबंधित है। इस शोध कार्य से प्राप्त निष्कर्ष को संस्थागत एवं दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत संचालित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों के सामने प्रस्तुत करके उनसे इस तथ्य पर चर्चा किया जा सकता है कि किस तरीके से प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण प्रभावशीलता का विकास और बेहतर ढंग से किया जा सकता है। साथ ही साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है जैसे कि प्रशिक्षणार्थियों में विद्यालय वातावरण के साथ समायोजन क्षमता का विकास करना, विद्यार्थियों की अधिगम स्तर को कैसे विकसित किया जा सकता है एवं भविष्य में अपने शिक्षण व्यवसाय के प्रति किन तथ्यों को ध्यान में रखकर संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है इत्यादि। प्राप्त निष्कर्ष संस्थागत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा क्योंकि जब इन प्रशिक्षणार्थियों के समक्ष निष्कर्ष को प्रस्तुत किया जाएगा और उसका विश्लेषण करते हुए प्रशिक्षणार्थियों में विकसित हो रहे शिक्षण दक्षता, शिक्षण प्रभावशीलता इत्यादि गुणों से तुलना की जाएगी तो प्रशिक्षणार्थियों में क्या-क्या कमियां हैं इस बात का ज्ञान शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को हो सकेगा। जिससे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान अपने प्रशिक्षणार्थियों की कमियों को दूर करते हुए उन्हें एक बेहतर भावी शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ -सूची

1. अग्रवाल, एम0 (2007). सम कोरिलेट्स ऑफ एकेडमिक एचीवमेन्ट मोटीवेशन पी-एच0डी0, लखनऊ विश्वविद्यालय पृष्ठ-59.
2. आलपोर्ट, जी0 डब्ल्यू0 एवं कन्टोल, पी0ई0 (1963). मैनुअल फार स्टडी ऑफ टीचिंग एट्टीटयूट, हार्पर एण्ड रो पब्लिकेशन, न्यूयार्क पृष्ठ-259.
3. आरिफ, एम0आई0 रसिद, ए0 ताहिरा, एस0एस0 एवं अख्तर एम0 (2012). व्यक्तित्व और शिक्षण भावी शिक्षक व्यक्तित्व में एक जांच. International Journal of Humanities and social Science. Vol-2 No-17, Pp-16-17.
4. इंगलहर्र, मैक्स डी0 (1972). मैथड् ऑफ एजूकेशन रिसर्च, रैण्ड मैकवाली एण्ड कम्पनी, शिकागो.
5. एण्डरसन, लोरी एफ0 तथा हेन्डरिक्सन एम0जे0 (2007). टीचर नॉलेज रेटिंग ऑफ कम्पीटेन्सी इम्पोरटेन्स एण्ड आब्जर्वड मैनेजमेंट कम्पीटेन्सीज. जर्नल आर्टिकल, रिपोर्ट रिसर्च, ई0आर0टी0सी0 बेब पोर्टल, पृष्ठ-142.
6. कपिल, एच0 के0 (2006). अनुसंधान विधियाँ, आगरा,एच0पी0 भार्गव बुक हाउस, पृ0-19.
7. कलिंग्र्जर, एफ0 एन0 (1967). फाउण्डेशन आफ विहेवियरल रिसर्च, हालट रेन हार्ट एण्ड विन्सटर इन न्यूयार्क, पृष्ठ 13
8. कुमार, महेश मुछाल एवं चन्द, सतीश (2015). बागपत जनपद के प्राथमिक स्तर पर कार्यरत बी0एड्0 एवं बी0पी0एड्0 प्रशिक्षित अध्यापकों की शिक्षण अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन Asian Journal of Multidisciplinary Studies .Volume 3, Issue
9. कौर, गुरपीत एण्ड मेहता, सी0के0 (2007). कम्प्रेटिव स्टडी ऑफ द लेवल ऑफ अचीवमेन्ट मोटीवेशन सेल्फ कान्फीडेन्स एण्ड एसर्टिवनेस एमंग एडोलसेन्ट गर्ल्स, पी-एच0डी0, लखनऊ विश्वविद्यालय पृष्ठ-49.
10. कौर, हरप्रीत (2013). एटीटयूड टुवडर्स टीचिंग प्रोफेशन इन रिलेशन टु एडजस्टमैन्ट ऑफ सैकेण्डरी स्कूल टीचर्स, एजुट्रैक्स, वोल्यूम 11 नं0-6. पृ0-22-24
11. गांग्टे, सी0एल0 (2001). लोकस ऑफ कन्ट्रोल, अचीवमेंट मोटीवेशन एण्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स मार्डरनिटी एमंग कालेज एण्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेन्ट्स, पी-एच0डी0, उत्कल विश्वविद्यालय पृष्ठ-49.
12. गिल, एल0जे0 तथा वी0 स्थिलका (2012). अमेरिकन मैक्सिकन सेकेन्डरी पी-एच0डी0, केरल विश्वविद्यालय, केरल, पृष्ठ-123.

दृश्य श्रव्य माध्यमों से मनोरंजन व शिक्षा

गिरधारी यादव

HIG 7 हाऊसिंग बोर्ड, कालोनी जांजगीर जिला जांजगीर चाम्पा (छत्तीसगढ़)

मनुष्य के जीवन में दृश्य देखने व श्रव्य सुनने का बड़ा महत्व है का स्थान रहा है।

आधुनिक शिक्षा का मूल माध्यम दृश्य, श्रव्य सेतू रूपी शिक्षा ही, यह दो इंद्रियाँ हमें किसी भी आभाष को पूर्ण करने में मदद करता है। इसका महत्व तब और बढ़ जाता है, जब इसके माध्यम से हमें मनोरंजन के साथ शिक्षा की भी प्राप्ति होती है। मानव विकास के निरंतर गति में दृश्य श्रव्य माध्यम से शिक्षा है मनुष्य से लेकर पशु-प्राणी तक के ध्वनि संदेश ग्रहण माध्यम से सीख को शिक्षा ही कहा जा सकता है। छात्र और शिक्षक के मध्य शिक्षार्जन का मूल आधार दृश्य श्रव्य माध्यम ही है चेतना जागरण स्मृति अनुभव दर्शन ही सच्ची शिक्षा है।

भारत ही नहीं अपितु विश्व जगत में साहित्य की अनेको विध ाएं विद्यमान है जिसके माध्यम से शिक्षा कला संस्कृति समाज राजनीति सहित उद्यम आदि क्षेत्रों में उपयोगी मार्गदर्शन प्राप्त होता है। दृश्य श्रव्य माध्यमों से मनोरंजन एवं शिक्षा सीखने सिखाने की पद्धति का मूल स्वरूप है। शिक्षा जहां हमें पठन-पाठन अनुकरण-अनुसरण की सीख प्रदान करता है वही शिक्षा के माध्यम से निपुणता की कसौटी को हम प्राप्त करने में सफल भी होते है।

भारतीय साहित्य समाज विशेषकर अनेकों आयामों को अपने आप में समेटे हुए हैं जिससे विश्व साहित्य जगत में हमें स्वर्णिम स्थान प्राप्त है। 21 वी सदी में तकनीकी एवं विज्ञान के विकास में शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में दृश्य श्रव्य आधारित शिक्षा सहायक सामाग्री के प्रयोग के अनेक मार्ग प्रशस्त किये है। वर्तमान परिदृश्य में कहा जाय तो प्रभावी शिक्षक वह है जो विषय ज्ञान के साथ तकनीकी का परिस्थितिजन्य शिक्षा का उचित ढंग से समायोजन कर सके।

दृश्य श्रव्य शिक्षा क्या है:- यह शिक्षा वह निर्देश है जहां समझ व प्रतिधारण में सुधार के लक्ष्य के साथ सामाग्री की श्रव्य व दृश्य प्रस्तुति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वेबेस्टर डिक्शनरी के अनुसार आडियो विजुअल एड्स को श्रवण की इन्द्रियों व दृष्टि की भावना के साथ शैक्षिक सामाग्री के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें फिल्मों, रिकार्डिंग, फोटो आदि सहित कक्षा निर्देशों पुस्तकालय संग्रह का उपयोग कक्षा निर्देशो के पसंद के रूप में किया जाता है।

इतिहास:- दृश्य श्रव्य की अवरारणा नई नही है और इसे 17 वी शताब्दी में देखा जा सकता है। जब बोहेमियन शिक्षक जानअमोस ओमेनियस 1592 -1670 में अपनी पुस्तक आर्बिस सेंसुअलियम पिक्टस (सेंसुअल वर्ल्ड की तस्वीर) में चित्रों को शिक्षण सहायता के रूप में पेश किया जिसे रोजमर्रा की जिंदगी के 150 चित्रों के साथ चित्रित किया गया था इसी तरह जीन रूसो और जेएसपेस्टोलाजी ने शिक्षण में दृश्य और खेल सामाग्री के उपयोग की वकालत सन् (1712 -1778) (1746-1827) की थी। हाल ही मे सषस्त्र सेवा द्वारा द्वितीय विष्व युद्ध के दौरान व बाद में आडियो विजुअल एड्स का व्यापक रूप से उपयोग किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सशस्त्र बलों में चित्र और अन्य दृश्य सहायता के सफल उपयोग ने निर्देशात्मक उपकरणों की प्रभावशीलता को साबित कर दिया।

फिल्मस्ट्रिप्स, माइक्रोफॉर्म, स्लाइड, प्रक्षेपित अपारदर्शी सामाग्री, टेप रिकार्डिंग और फ्लेस कार्ड से लेकर विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामाग्री है। वर्तमान डिजिटल दुनिया में कई मल्टीमिडिया जैसे शैक्षिक डीवीडी, पावरप्वाईट, टेलिविजन "शैक्षिक श्रृखला व अन्य आनलाईन सामाग्री के साथ दृश्य श्रव्य सहायता तेजी से बढ़ रही है। आडियो विजुवल एड्स का लक्ष्य छात्रों के पाठ के लिये सरल प्रभावी व समझने में आसान है।

किसी भी कृति को सफलतम रूप प्रदान करने में साहित्य का सार्थक योगदान होता है वर्तमान में शिक्षार्जन के अनेकों माध्यम विद्यमान है, किन्तु दृश्य श्रव्य माध्यमों से मनोरंजन एवं शिक्षा ग्रहण सरल सुलभ एवं रोचक प्रभावकारी है दृश्य क्या है दृश्य का अभिप्राय किसी वस्तु को भौतिक रूप में या समग्र पदार्थ को अपनी खुली आंखों से देखना दृश्य कहलाता है जिसके माध्यम से ही दृश्यमान दृश्यांकन का स्वरूप उभरता है, दूसरे अर्थो में दृश्य का अभिप्राय खुले तौर पर किसी भी विषयवस्तु को अपनी दृष्टी (नजरों) के माध्यम से समझना है जो हमें सोचने को विवश करती हैं।

दृश्य की प्रधानता सदैव अग्रणी मानी गई है यह कहा भी गया है कि हम क्या देखते है और हम क्या सोचतें हैं अर्थातृ दृष्टि की प्रधानता प्रथम है, उसके बाद सोच का क्रम आता है दृश्य हमारे जीवन में हमारे मस्तिष्क पटल को वह संदेश देता है जिससे हमें शिक्षा की प्राप्ति होती है अर्थात् मूलरूप में दृश्य का अभिप्राय देखकर शिक्षा प्राप्त करना है। मानव जीवन विभिन्न विधाओं, कर्मकाण्ड, क्रियाकलाप, परंपरा, आचरण, धर्म संस्कृति आध्यात्म विचार संस्कार आदि से परिष्कृत परिभाषित होता आया है। जीवन में जहां शिक्षा के महत्व को मानतें है वहां शिक्षार्जन के अलग-अलग स्वरूप को भी हमें मानना होगा जब हम शिक्षा के अलग-अलग स्वरूप की बात करतें हैं तब हमें यह ज्ञात होता है कि श्रव्य एवं

दृश्य के माध्यम से शिक्षा प्राप्त किया जाना सरल पद्धति का अनुसरण है, उदाहरण के तौर पर किसी चलचित्र के माध्यम से किसी भी विषय को सीधे तौर पर समझा जा सकता है जिसे हम दृश्य माध्यम से शिक्षा अनुसरण कहतें हैं उसी प्रकार श्रव्य सीध े तौर पर सुनना होता है दूसरे शब्दों में श्रव्य का अर्थ किसी भी ध्वनि को अपने कर्ण के माध्यम से मनोस्तिष्क तक पहुंचाने की क्रिया है जो हमें शिक्षा ग्रहण करनें में मदद करती है।

श्रव्य को अलग अलग स्वरुप में हम देख सकते है जैसे किसी प्रवचन को श्रोता के रुप में ग्रहण कर शिक्षा प्राप्त करना या किसी गीत संगीत व प्रेरणादायक उद्बोधन या फिर सरल अर्थो मे संत महापुरुषों की वाणी सहित शिक्षक आदि का संदेश श्रव्य शिक्षा के माध्यम है।

दृश्य श्रव्य शिक्षा के अर्थ उददे्श्य महत्व एवं उपयोगिता का वर्णन वांछनिय हो जाता है हम संक्षेप में इस पर ध्यानकर्षण करते है। इस संबंध में विद्वानों ने भिन्न भिन्न विचार प्रकट किये है। विचारक एडगर ब्रूस वैसले ने दृश्य श्रव्य शिक्षा पर प्रकाश डालते हुए इसे अनुभव कल्पना व निरिक्षण शक्ति का संचार करनें वाला बताया है। डा. केपी पाण्डेय ने अपनें विचार में कहा कि ऐसे विषय तथा विचार जो मौखिक रुप से व्यक्त नही किये जा सकते उसके लिये श्रव्य दृश्य सामग्री अत्यंत उपयोगी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। मैकोन रॉबर्ट्स नें कहा है श्रव्य दृश्य शिक्षक माध्यम से इन्द्रियो से पाठ्य वस्तु को सरल रुचिकर प्रभावषाली बनाते है। फ्रांसिस डब्ल्यू नायल ने कहा है कि किसी भी शैक्षणिक कार्य का आध ार अच्छा अनुदेषन है तथा श्रव्य दृश्य शिक्षा साधन इस आधार के आवश्यक अंग है। समग्र रुप में दृश्य श्रव्य माध्यम शिक्षा ढांचे को सुव्यवस्थित बनाने का प्राचीन प्रचलित जारिया है, जो मानव जीवन के प्रारंभ को गतिमान बनाते हुए उसे आनन्दमय निर्देशन कर रहा है। दृश्य श्रव्य द्वारा शिक्षार्जन अधिगम की प्रक्रिया में ध्यान तथा अभिप्रेरणा बनाए रखने मे मदद प्रदान करता है यह किसी भी विषय वस्तु को जटिलता से सरल सुगम बनाकर कुशल प्रभावी आकर्षक रूप प्रदान करता है वह संवाद गतिशीलता कायम रखने मे सक्षम है व शिक्षण को वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है एवं शिक्षा परिस्थितियों को मूर्त एवं जीवन्त बनाने अद्भूत क्षमता रखता है। इसी प्रकार से दृश्य श्रव्य माध्यम से मनोरंजन शिक्षा का इतिहास प्राचीन प्रचलित काल से मानव जीवन के लिए उपयोगी रहा है।

आज का युग विज्ञान का युग है इस युग में मनोरंजन के अनेक साधन उपलब्ध है जिसका सदुपयोग करके व्यक्ति जीवन में आनंद का अनुभव कर सकता है। अनुभव अनुभूति के साथ शिक्षार्जन का समायोजन भी इसमें निहित है। यह साधन मानव जीवन के लिए महत्वर्पूण होते है। मनोरंजन जीवन में औषधि का काम करता है। जिस प्रकार मानव शरीर को निरोगी रखने के लिये अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार जीवन में आनंद के लिये भी मनोरंजन की आवश्यकता होती है। आधुनिक युग विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी तथा इंटरनेट व कम्प्यूटर की पांचवी जेनरेषन का समय है। जिसमें मनोरंजन के साधनों की विविधता के साथ साथ सुविधाजनक साधन उपलब्ध है जिसमें शिक्षण के गुण भी विद्यमान होते है। यह दृश्य तथा श्रव्य दोनों रूपों में उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार के मनोरंजन के साधन रेडियों, टेलिविजन, चलचित्र, पत्र पत्रिकाओं, मोबाईल तथा इंटरनेट से संबंधित चीजों को शामिल किया जा सकता है। द्वितीय प्रकार के साधनो में घर से बाहर निकलकर अर्थात् चारदीवारी के बाहर मनोरंजन किया जाता है इसमें हाकी, फुटबाल, क्रिकेक खेल देखना भ्रमण करना, गाना सुनते हुये संगीत शिक्षा प्राप्त करना आदि नये नये प्रकार के क्रिया कलाप शामिल है।

वर्तमान प्रौद्योगिकी व तकनीकी इंटरनेट युग में व्यक्ति ने मनोरंजन के दोनो प्रकारों के विभेद को ही समाप्त कर दिया है। वह जहां है वही इच्छानुसार मनोरंजन शुरू कर देता है। ऐसी उपलब्धता वाले मनोरंजन के हाईटेक साधन प्रमुख है जिनके कारण से मनोरंजन शिक्षा की प्रकृति में बदलाव आया है। दृश्य श्रव्य के माध्यम से मनोरंजन के हाईटेक साधन व उनकी उपयोगिता को विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है।

1 रेडिया– यह मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके माध्यम से गीत, संगीत, नाटक व अन्य प्रकार के कार्यक्रमों का आनंद लिया जाता है। यह मनोरंजन के साथ ज्ञानवर्धन भी कराता है। वर्तमान डिजीटल युग में इसकी प्रकृति में बदलाव आया है। वर्तमान में मोबाईल मे भी रेडियों संबंधी कार्यकमों को सुनना संभव हो गया है।

2 टेलिविजन– यह मनोरंजन का एक प्रमुख साधन है जिसमें दृश्य श्रव्य माध्यम शामिल है। टेलिविजन में धारावाहिक, न्यूज, गीतसंगीत, आधारित रियेलिटी शो देखना सरल हो गया है। यह साधन बच्चो, महिलाओं, व बुजुर्गो व युवा सभी वर्ग के लिये महत्वपूर्ण साधन है, जिसमें व्यक्ति मनोरंजन के माध्यम से शिक्षा भी अर्जित करता है।

3 सिनेमा:– यह मनोरंजन का साधन दृश्य श्रव्य प्रधान साध नों की उपयोगिता में महत्वपूर्ण साधनो के रूप में देखा जा सकता है। इसमें सामाजिक व सांस्कृतिक पहलुओं को समाज के सामने रखा जाता है। वर्तमान मे युनिक और आधुनिक 3 डी 4 डी फिल्में भी प्रचलन में है जो हाईटेक तकनीकी का सशक्त उदाहरण है।

4 इंटरनेट:– विज्ञान के इस युग में इंटरनेट एक मनोरंजन के साधनों की उपलब्धता को प्रगट करने वाला प्रमुख साधन है इसनें न केवल सरकार को व्यापार और शिक्षा के नये अवसर दिये है। बल्कि मिडिया हाउस श्रव्य व दृश्य दोनो के द्वारा खबरों की मौसमी जानकारी भी उपलब्ध कराई है। विशेषकर युवाओं ने इसकी उपयोगिता का चमत्कार जादू ज्ञान के रूप में स्वीकार किया हैं।

5 कम्प्यूटर:– इंटरनेट आधारित मनोरंजन का यह प्रमुख साध न है इसी कार्य को करते हुए यह समाचार फिल्म अध्ययन व

दुनिया के किसी हिस्से में संचालित कार्यक्रमों खेलकुद आदि से लोगों का मनोरंजन कराता हैं साथ ही देश विदेश की संस्कृतियों कार्यप्रणालियों आदि से संबंधित दैनिक जीवन में उपयोगी बातों का ज्ञान कराते है। कम्प्यूटर के छोटे रूप लेपटाप में मानव कार्यो में मनोरंजन को अधिक सरल बना दिया है।

6 सोषल मिडिया:- सोशल मिडिया शिक्षा मनोरंजन के साध नों में एक सशक्त साधन है जिसमें यूटूब्स, वाट्सअफ, फेसबुक, ट्यूटर, इंस्टाग्राम आदि पाये जाते है। इसमे यूट्यूब सबसे प्रचलित मनोरंजन का साधन है। जिससे युवाओं का सम्पर्क अधिक पाया जाता है। इसमें सभी प्रकार के विडियो के रूप में कार्यक्रम फिल्में, धारावाहिक, शिक्षा क्लास, न्यूज, समकालिन घटनायें एवं व्यापार संबंधी जानकारियाँ उपलब्ध होती है। सोशल मिडिया इंटरनेट के माध्यम से एक आभासी दुनिया को बनाता है जो मानव जीवन का हिस्सा बन गया है जिसमें सूचना, मनोरंजन तथा सीखने जैसी विषेषतायें पायी जाती है।

7 मोबाईल फोन:- मनोरंजन के हाईटेक साधनों में एड्रायॅड मोबाईल फोन महत्वर्पूण साधन है जो लोगो को केवल फोटों व बातों से मनोरंजन नही करता बल्कि इंटरनेट का उपयोग कर विडियो कालिंग के सुविधा के माध्यम से मनोरंजन कराता है। इंटरनेट की उपयोगिता से विभिन्न एप के माध्यम से फिल्में देखना, विडियो, गाना सुनना, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा, शिक्षा व्यापार करनें चौट करने मैसेज भेजने जैसे कार्यो को पढ़ने में सरलता व सुगमता प्रदान की जाती है। मोबाईल ने मानव जीवन के दूरियों को नजदीकी में बदलने का कार्य किया है।

इस प्रकार वर्तमान समय में 5 जी का आगमन एक क्रांतिकारी सिद्ध हो रहा है जो मनोरंजन के साधनों की तीव्रता को बढ़ावा दे रहा है। हालाकि वर्तमान में विभिन्न एप भी तकनीकी के रूप में विभिन्न क्षेत्रों मे मनोरंजन करते है। इसमें प्रौद्योगिकी नियंत्रण साध नों की गुणवत्ता माध्यमों का सुधार हो रहा है।

मनोरंजन मन को हर्षित करने वाला वह विषयवस्तु है जो हमे दृश्य या श्रव्य के माध्यम से हमारे मनोमस्तिष्क को शिक्षा प्रदान करता है। दृश्य श्रव्य माध्यम से मनोरंजन के इतिहास पर प्रकाश डालने से जो चित्रण उभरता है वह प्राचिन नाट्य शास्त्र के उद्भव की ओर हमे लेकर जाता है। जिसमे यह मान्यता है कि भारतीय नाट्य शास्त्र मे नाट्य शास्त्र रचनाकार भरतमुनी ने नाट्य शास्त्र में नाट्य विद्या उद्भव के संबंध मे कहा है कि एक बार सभी देवताओ ने ब्रम्हा से प्रार्थना की कि मानव जाति के मनोरंजन के लिए किसी वस्तु का निर्माण किया जावे मान्यता है तब ब्रम्हा जी ने ऋग्वेद से पाठ्य सामवेद से गायन यजुर्वेद से अभिनय अथर्व वेद से रस ग्रहण कर नाट्य वेद नामक पंचन वेद की रचना की।

भारतीय मनोरंजन के इतिहास मे यह प्रांरभिक मान्यता है तब से लेकर वर्तमान तक दृश्य श्रव्य माध्यमो से मनोरंजन शिक्षा का स्वरूप निरंतर आधुनिक रूप मे परिवर्तित हो रहा है। नाट्यकला के प्रदर्शन से प्रारंभ होकर रंगमंच, रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन, फोन, टेलीग्राम, फैक्स, टेली प्रिंटर, कम्प्यूटर सहित संचार मनोरंजन के माध्यम पुस्तक ग्रंथ समाचार पत्र पत्रिकाए आदि मनोरंजन षिध्क्षा का सशक्त माध्यम रहा है इनमे दृश्य श्रव्य की प्रधानता इंगित है।

ऐसा कोई भी विषय नही जहां सिखाने व मनोरंजन के लिए दृश्य श्रव्य माध्यम शिक्षा का उपयोग नही होता हो देखने मे जहां दृष्टि उपयोगिता समझने मे सहायक होती है वही श्रव्य सुनकर ग्रहण को सरल रूचिकर और ज्ञान वर्धक माना गया है। शिक्षा मे ज्ञान इन्द्रिय पर आधारित बोध ज्यादा स्याथी माना गया है। श्रव्य दृश्य सामग्री मे भी ज्ञान इन्द्रियो द्वारा शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया है यह ग्रहणकर्ता को नवीन वस्तुओ के विषय मे जानकार बनाता है। इसमें जिग्याशा होती है दृश्य श्रव्य मनोरंजन माध्यम मे जानने की स्वाभाविकता पाई जाती है।

नवीनता का प्रत्यक्षण रहता है नया शिक्षा प्राप्त करने दृश्य श्रव्य माध्यम मानसिक भावना संवेगानात्मक संतुश्टी तथा मनोमस्तिष्क की आवश्यकताओ की पूर्ति करता है। दृश्य श्रव्य माध्यम से मनोरंजन व शिक्षा वर्तमान मे बहुत ही कारगर एवं महत्वपूर्ण हो गया है प्राचिन काल से भोज और संगीत दो महत्वपूर्ण मनोरंजन रहे है जिसमे किसी समुह मे भोज करते मनोरंजन या फिर संगीत को सुनकर मनोरंजन के अधिकांष रूप दृश्य व श्रव्य मानव संस्कृति मे कहानी संगीत नाटक नृत्य विभिन्न प्रकार के प्रदर्षन मौजूद है।

शिक्षाप्रद विज्ञान तकनीकी सहित समाचार चौनल के माध्यम से उपयोगी जानकारी व टीवी सिनेमा के माध्यम से मनोरंजन के साथ अच्छे बुरे की पहचान के लिए फिल्म की कहानी आधारित शिक्षा कारगर है, वही मोबाइल पर गूगल वॉट्सएप, यू ट्यूब, आदि जैसे प्रेरणादायक रोचक व आवश्यक जानकारी से हमें मनोरंजन के साथ बहुआयामी शिक्षा प्रदान कर रहे है। मनोरंजन के अधिकांश स्वरुप कई शताब्दियों से बने हुए है उदाहरण के लिए मंच पर जादू के साथ संस्कृति प्रदर्शन वही कहानियॉ सुनना नाटक प्रस्तुति संगीत बजाना फिल्म या नृत्य प्रस्तुति दृश्य श्रव्य माध्यम से मनोरंजन है। मानव विकास के अलग - अलग कालखण्ड के अनुरूप मनोरंजन का स्वरूप बदलता रहा है किन्तु इसके आधार स्तंभ दृश्य-श्रव्य माध्यम ही रहा है। दृश्य श्रव्य माध्यमों से शिक्षा अनुसरण प्राथमिकता के उस आधार को परिपूर्ण करता है जिसमें देखना सुनना सिखना समझना के साथ मनोस्तिष्क को आनंद की प्राप्ति होती है। ज्ञान के सूक्ष्म रूप के लिए दृश्य श्रव्य माध्यम को नकारा नही जा सकता।

निष्कर्ष:- यह स्पष्ट है कि दृश्य श्रव्य साधन शिक्षा ग्रहण के लिये महत्वर्पूण उपकरण है। यह शिक्षक को पाठ को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने मे मदद करता है और व्यक्ति व छात्र अवधारणाओं को बेहतर व लंबी अवधि के लिये सीखने योग्य बनाये रखते है। दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग से अवलोचनात्मक व विश्लेषणात्मक सोच में सुधार होता है। यह दृश्य प्रस्तुति के माध्यम से अमूर्त

अवधारणाओं को दूर करनें में मदद करता है। हालॉकि इन सहायता का अनुचित और अनियोजित उपयोग सीखनें के परिणाम पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है इसलिये इन सहायता के उपयोग के लाभों को अधिकतम करनें के लिये शिक्षकों को सेवाकालिन प्रशिक्षण के माध्यम से अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिये। पाठ्यचर्या को इस तरह से डिजाईन करना चाहिए कि दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से मनोरंजन व शिक्षा गतिविधि आधारित सीखने के विकल्प को आसानी से पाया जा सके। इसके अलावा सरकार को स्कूलों में आडियो विजुअल के संसाधनों का वित्त पोषण भी करना चाहिये। सामाजिक सरोकारो की परिपूर्णता तभी संभव है जब हम दृश्य श्रव्य माध्यमों से मनोरंजन के साथ शिक्षा का अनुभव भी प्राप्त करें किसी भी ज्ञान की प्रतिपूर्ति तभी संभव है जब उसकी प्राप्ति के साधनों को परिमार्जित रूप में परिस्कृत किया जा सके मनोरंजन व शिक्षा चेतना से संबधित वह आयाम है जो मनुष्य को मानसिक व शारिरीक रूप से स्वस्थ बनाये रखता है शिक्षा का मूल आधार ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से उन तत्वों को समझना है जिसमें देखने सुनने व समझने की "शक्ति का समायोजन होता है सोच का मूल आधार दृष्टि पर निर्भर करता है अर्थात किसी भी वस्तु को देखने उपरांत जो प्रतिबिंब उभरता है वह हमें सोचने व समझने की शिक्षा की ओर ले जाता है। मानवजीवन शैली के सदाचार में भी दृश्य श्रव्य माध्यम शिक्षा का महत्वपुर्ण स्थान है, यह हमें जीवन जीने की कला सिखाता है खेलते खेलते मनोरंजन के साथ सिखना तथ्य के संग्रह की अपेक्षा मौलिक शिक्षार्जन की दिशा में कारगर है।

स्वामी विवेकानंद जी ने कहा हैं तथ्यों का संग्रह नही अपितु एकाग्रता ही शिक्षा है। एकाग्रता का अभिप्राय उस मनोस्थिति का अनुसरण है जो हमें शांतिपूर्ण, ध्यानकर्षण, प्रेरणादायक अन्तः हृदय समाहित शिक्षा प्रदान करता है, वही मनोरंजन माध्यम शिक्षा दृश्य श्रव्य का ही पर्याय है जो मानव जीवन के समाजिक मूल्य को सहेजकर उसे नैतिकता प्रदान करता है नैतिक प्रतिमानों का समावेष हमारे जीवन में अगर कुट-कुट कर भरा हो तो राष्ट्र की उन्नति अवश्यंभावी है किन्तु आने वाली पीढ़ी पथ भ्रष्ट हो जाये तो राष्ट्र की अवनति का रोका नही जा सकता ऐसे मे हमे नैतिक बहुमूल्य प्रतिमानो से आच्छादित दृश्य श्रव्य माध्यमों से मनोरंजन व शिक्षा के आदर्श को प्रतिबिंबित करना होगा।

(सन्दर्भ सूची-04) साभार सहयोग गूगल

भारतीय समाज के उत्थान में महिला शिक्षा की भूमिका

श्रीमती अन्नपूर्णा यादव

पी.एच.डी. शोधकर्ता- अटल बिहारी वाजपेयी वि. वि., बिलासपुर

डॉ० (श्रीमती) शशिकला सिन्हा

विभागाध्यक्ष एवं शोध निदेशक शा. माता शबरी, नवीन कन्या महाविद्यालय

नारी की उन्नति के बिना राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। बिना नारी के पुरुष अधूरा है। बिना शक्ति के शिव भी शव तुल्य है। नारी श्रृष्टि का प्रमुख उद्गम स्रोत है। नारी के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। मानव सृष्टि में नर और नारी रूप में आदि शक्ति ने दो अपूर्ण शरीरों का सृजन किया जो, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। समाज रूपी गाड़ी के दो पहिये हैं, पुरुष और स्त्री। एक पहिये के बिना समाज का पूरा ढांचा लड़खड़ा कर अपनी गतिशीलता को समाप्त कर देगी। भारतीय नारी की दयनीय दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। यह देश जिसमें नारी को माता और शक्ति का रूप माना जाता है, जहां हर स्त्री में दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती और राधा-सीता के दर्शन होते है वहाँ पर भारत की यह शक्ति पुंज इतनी निसहाय और अबला कैसे हो गई? समय की गति ने इस शक्ति को इतना निर्बल कैसे बना दिया? समाज क विकृत स्वरूप अशिक्षा, विचारों की कुंठा एवं स्त्रियों को समाज का असहाय हिस्सा मानने वाले पुरुष समाज की मानसिकता के चलते आज भारत की सबला नारी अबला बन कर रह गई। हजारों सालों से शोषण का शिकार इन नारी शक्तियों को आज पुनः चेतना और स्पूर्ति की अति आवश्यकता है। यह बेहद चिंतनीय विषय है। हमारे समाज का यह अति संवेदनहीन विचार ने नारी को केवल एक परतंत्र पक्षी बनाकर कर रख दिया। आज विश्व 21वीं शताब्दी में जहां विज्ञान की ऊंचाईयों को छू रहा है, वही भारतीय समाज में नारी वर्ग को अपने सम्मान और अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ रहा है। समाज में आज भी स्त्रियों के साथ द्रौपदी की तरफ व्यवहार हो रहा है। घोर अपमान का सामना करती नारी शक्ति को आज पुनः अपनी शक्ति को जगाकर काली की तरह लड़कर समाज में स्थान बनाने के लिए जागरुक होना होगा।

गोपथ ब्राम्हण के अनुसार-जो सबसे अधिक वेदों का ज्ञाता हो उसे ब्रम्हा बनना चाहिए। मनुस्मृति में कन्या की प्रशंसा में लिखा गया कि पिता को अपनी पुत्री को गुणों से सुशोभित करना सच्चा दहेज देने के समान है। वेदों ने पत्नी को ऊषा समान प्रकाशवती, अन्नपूर्णा, सद्ग्रहिणी और साम्रागी आदि नामों से संबोधित किया। वहीं एक पिता की प्रार्थना या आशीर्वाद में पूज्यों से यह कामना रही कि जैसे मेरे पुत्र शत्रुहंता हों वही मेरी पुत्री तेजस्विनी हों। प्रति पहर हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर हमें कन्याओं का भागी बनाएं अर्थात हमें कन्या प्रदान करे। हमारे राष्ट्र में विजयशील सभ्य वीर युवक पैदा हों वही साथ ही बुद्धिमती कन्याओं का भी जन्म हो। बहुविवाह की ऋग्वेद में निंदा की गई है जिस प्रकार रथ का घोड़ा दोनो धुरियों के मध्य में दबा हुआ चलता है वैसे ही एक समय में दो स्त्रियों से विवाह करने वाला पति दबा हुआ अर्थात परतंत्र होता है। इसलिए एक समय में दो व अधिक स्त्रियों से विवाह करना अनुचित है। वेदों ने बाल विवाह का समर्थन नहीं किया है। अथर्ववेद में ब्रम्हचर्य सुक्त मंत्र में कहा गया है कि ब्रम्हचर्य (सादगी, सैयाम और तपस्या) का जीवन जी कर कन्या युवा पति को प्राप्त करती है इस मंत्र में नारी को युवा पति से ही विवाह करने का प्रावधान बताया गया है। जिससे बाल विवाह करने की मनाही स्पष्ट सिद्ध होती है। ऋग्वेद के सुक्त में वर वधु मिलकर संतान को उत्पन्न करने की बात को इस प्रकार कहते हैं - वध ु वर से के रही है कि तुम पुत्र काम हो एवं वर वधु से कहता है की तुम पुत्रकामा हो अतः हम दोनों मिलकर उत्तम संतान उत्पन्न करें। अर्थात संतान उत्पन्न करने की कामना युवा पुरुष और युवती नाती में ही उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार संसार के किसी भी धार्मिक ग्रंथों, पुस्तकों शास्त्रों में नारी जाति की महिमा का इतना सुंदर गुणगान नहीं मिलता, जितना वेदों में मिलता है।

पति पत्नी की प्रशंसा में उसेः-

1. ऊषा के समान प्रकाशवती कहते हुए कहता है- हे राष्ट्र की पूज्या नारी! तुम परिवार और राष्ट्र में सत्यम, शिवम् सुंदरम की छटा बिखेरती हुई आओ।
2. वीरांगना- हे नारी! तू स्वयं को पहचान। तू शेरनी है तू शत्रुरूप मृगों का मर्दन करने वाली है।
3. वीर प्रसवा-राष्ट्र को श्रेष्ठ एवं उत्तम अद्‌भुत संतानप्रदान वाली
4. विद्या अलंकृता-विदुषी नारी अपने विद्या बलों से हमारे जीवन को पवित्र करती रहे।
5. स्नेहमयी मां- हे प्रेमरसमयी माँ! तुम हमारे लिए मंगल कारिणी बनो। हम तुम्हारी कृपादृष्टि से कभी वंचित न हो।

6. अन्नपूर्णा – इस गृह आश्रम में पुष्टि प्राप्त को, इस गृहाश्रम रस प्राप्त हो, इस गृहकाश्रम में हे देवी! तू दूध, घी आदि सहस्त्रों पोशाक पदार्थों का दान कर। संसार में नारी जाति को सम्मान देने के लिए इससे सुंदर शब्द शायद ही कही मिले। वैदिक काल की तरह की यह परम्परा हमारे प्राचीन काल मे भी विद्यमान रहे। सतियुग, त्रेता और द्वापरयुग में भी महिलाओं की गरीमा बानी रहीस सतयुग में देवी अनुसुइया जो अपनी पतिव्रता धर्म के कारण सदैव पूजनीय रही, वहीं सति सावित्री की कथा एक स्त्री के साहस, त्याग और समर्पण की अद्‌भुत उदाहरण है। वहीं नारी स्वतंत्रता एवं अधिकार की भी दर्शाता है जहाँ उसके पिता सूर्य से प्राप्त पुत्री का पुत्र की तरह पालन पोषण करते हैं। सावित्री युद्ध कौशल के पारंगत, शासन कला में निपुण तथा विदुषी भी है। उसे स्वयं वर चुनने का अधिकार प्राप्त है। सीता, राधा, रुखमणी, द्रोपदी किंतु जैसी महान सती, प्रेम की प्रतिक नारी पात्रों से भरा हमारा भारतीय इतिहास का इतना पतन क्यों हुआ बेहद सोचनीय तथ्य रहा है।

भारतीय नारी ने कभी भी शील का परित्याग नहीं किया, किन्तु सर्वत्र संघर्ष का निश्चय कर आंदोलन करती आई है। इस देश की सबसे बड़ी दुखद अध्याय की शुरुवात मध्य काल का रहा है।जहां भारत का पतन महाभारत काल के बाद शुरू हुआ। संपूर्ण आर्यावर्त खंड-खंड में बंटकर रह गया। युद्ध संघर्ष से हारा थका जनमानस लंबे समय तक निष्क्रिय अवस्था में रहा। बाहरी आक्रमणकर्ताओं के आक्रमण से देखते ही देखते भारत एक विशाल राष्ट्र अपनी वैभवशाली इतिहास को भूलकर गुलामी की दास्तां में बंधता चला गया। यह गुलामी शारीरिक आर्थिक मानसिक सभी तरह से भारत को जकड़ता रहा है। देश में गरीबी अशिक्षा जातिवाद रूढ़िवादी परंपरा धर्म के नाम पर कर्मकांड जैसी मानसिकताओं का जन्म होता चला गया है। इसका प्रभाव पुरूषों से ज्यादा महिलाओं पर पड़ा। स्त्रियों की सारी स्वतंत्रता, अधिकार, मान सम्मान घटते घटते शून्य में परिवर्तित हो गए। नारी का जीवन एक अभिशाप बन गया। कारण नि:संदेह बहुत से थे परंतु एक प्रमुख कारण कमजोर सामाजिक स्थिति जहां पुरुष अपनी बेटी बहन पत्नी व मां की सुरक्षा में असमर्थ था। ऐसे में पुरुषवादी समाज ने स्वयं की कमियों और कुंठाओं के लिए स्त्रियों को दोष देना शुरू किया और उसे परिवार और समाज के लिए कलंक बताया। कन्या जन्म से साथ मारी जाने लगी। शिक्षा और कुंठा से ग्रसित स्त्रियों ने भी पुरुषों का साथ दिया और बालविवाह, पर्दा प्रथा, सतिप्रथा जैसे अनेक परंपराओं ने नारी के जीवन को नरक बना दिया। हजारों वर्षों से इस गुलाम मानसिकता को झेल रही स्त्रियां आजभी अस्तित्व के लिए संघर्ष करती समाज में दिखाई देती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुभव, अधिकार, स्वलंबन में वह पुरुष की तुलना में काफी पिछड़ी हुई है।

स्वांतत्रोत्तर भारत मे निश्चित रूप से नारी की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। आज स्त्रियों का कार्यक्षेत्र चार दिवारी से बाहर निकलकर समाज का अभिन्न अंग बन कर तैयार है। वह पुरुषों के साथ कंधे से कन्धा मिलाकर हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रही है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिस पर उसका अधिपत्य न हो।

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद के पदों पर अपनी गरिमा को बिखेरने वाली भारतीय महिलाओं के लिए शिक्षा ही सामयोगी रही है। आज सेना, प्रशासन, जल, थल, नभ से लेकर अंतरिक्ष, पर्वतारोही एवं गोता खोरों की बिरादरी में भी उसने अपनी पहचान बना ली है। हर वह कार्य पुरुष जिसे अपना समझता था स्त्रियों ने उसे कर दिखाया है। इन सब कार्यो में प्रगति का जो माप दंड रहा है वह है शिक्षा का क्षेत्र। शिक्षा यानी ज्ञान सीख जिसने स्त्री को पुन: अपने स्वाभिमान की रक्षा करना सिखाया। कहा भी गया है जब एक नारी शिक्षितहोती है तो अपने पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। शिक्षा से मानसिक विकास होता है जो समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए अति आवश्यक है। यह हमारे समाज की विडंबना है कि आज भी भारत का एक बड़ा हिस्सा अशिक्षा से ग्रसित है। महिलाएं शिक्षा के अभाव में परिवार का और समाज का शोषण सहन करने को मजबूर है। इनके जीवन के विकास के लिए समय समय पर देश में सरकार के द्वारा तरह तरह की योजनाओं का निर्माण किया जाता है। परंतु जानकारी के अभाव में स्त्रियों को उनका उचित लाभ प्राप्त नहीं हो पाता यही कारण है की नारी किसी भी समाज की कितनी भी सुशील और शिष्ट क्यों न हो अगर वह शिक्षित नही है तो उसका व्यक्तित्व बड़ा नहीं हो सकता। वह समाज में उपेक्षा का पात्र बन जाती है। वर्तमान युग विज्ञान का रूप है ऐसे में अशिक्षा किसी भी अभिशाप से कम नहीं है। नारी में भी ईश्वर के दिए सारे गुण विद्धमान है। एक शिक्षित नारी में आत्मनिर्भरता के गुण विद्धमान होते हैं। वह स्वलंबन के गुणों से युक्त होकर पुरुषों को सहज रूप से चुनौती देती है। दासी या अधीन नहीं अपितु सामान स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त करती है। उसे परिवार समाज में सम्मान प्राप्त होता है वह अपनी सुरक्षा का ध्यान रख कर अपना और समाज की अन्य स्त्रियों के साथ होने वाले अत्याचारों का विरोध कर सकती है। शिक्षित नारी समाज की कुप्रथा दहेज से भी स्वयं को मुक्त कर सकती है। ऐसे में प्रश्न ये उठता हैं की यदि शिक्षा से इतना लाभ है और समाज का विकास संभव है तो फिर शिक्षा के लिए प्रयास सिर्फ सरकार का दायित्व है या फिर समाज के उन शिक्षित लोगों का भी जो अपना दायित्व निभा सकते हैं!

अनेक सामाजिक संस्थाएं और प्रबुद्ध महिलाओं और पुरुषों के द्वारा शिक्षा से वंचित युवतियों एवं महिलाओं को शिक्षित कर अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों से अवगत कराकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का पुनीत कार्य किया जा रहा है। इस कार्य को जागरूक लोगों के द्वारा एक आंदोलन का रूप प्रदान कर अपने

अपने क्षेत्रों में इसे सुचारू रूप से किए जाने की आवश्यकता है जिससे गरीबी एवं शिक्षा से वंचित समय के अभाव के कारण शिक्षा से वंचित होने वाली कामकाजी अनगिनत महिलाओं को सप्ताह में एक या दो दिन भी दो घंटे पढ़ाकर उन्हें अक्षर ज्ञान के साथ उनके मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान कराया जा सकता है। यह कार्य बिना श्रेय लिए किए गए सार्वजनिक सेवा कर्म ही सद्भाव सम्पन्न और सात्विक माने जाते हैं।यह शिक्षा महिला जागरण अभियान के तहत पूरा किया जा सकता है जो कार्यकर्ताओं के द्वारा समय समय में द्वार-द्वार पर जाकर परामर्श कर स्त्रियों का मार्गदर्शन करते रहे हैं। अगर कोई महिला कठिनाइयों का सामना कर रही है तो उसे साधन जुटाने का सहीयोग प्रदान कर सकते हैं। इन कार्यकर्ताओं की भूमिका लंका काण्ड में रीच वानरों की, गोवर्धन उठाने में ग्वाल बालों द्वारा की गई सहायता, युग धर्मचक्र प्रवर्तन में भिक्षु भिक्षुणियों की, गांधी के स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रहियों की रही है वैसे ही पूरे समाज परिवार एवं परिजनों का सहयोग महिला शिक्षा के विकास में अपेक्षित है।

अनेकों प्रयासों के बाद भी हमें बहुत प्रयत्न की आज भी जरूरत है। जागृत नारी, शिक्षित नारी समाज ही नहीं राष्ट्र की जीवन ज्योति है। किंतु वह अभी भी इस युग में सोई हुई है। समाज में उसे द्वितीय श्रेणी का स्थान प्राप्त है जिसके कारण उसकी प्रगति ही अवरुद्ध नहीं हुई वरन समाज और राष्ट्र में भी अंधकार फैला हुआ है। नवसृजन की गीत गाने वाली जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी कोकिला का स्वर क्यूं नहीं उभरता? उसकी लोरियों में उत्थान के गीत क्यों नहीं होते? मातृशक्ति की इस तंद्रा का अभिशाप नारी को ही दस्ता के रूप में भोगना पड़ता है। देश के प्रगति के लिए सुयोग्य नागरिक चाहिए। उन नागरिकों का निर्माण करने वाली माताएं यदि पद भ्रष्ट हों, रूढ़ियों की कीचड़ में फसी हों तो ज्ञान का प्रकाश उन तक पहुंच नहीं पायेगा। तो वे किस क्षमता के आधार पर भावी पीढ़ी का निर्माण कर सकेंगी। समाज के आधे भाग नारी को अपनी क्षमता का ज्ञान होना अति आवश्यक है उन्हें जागृत एवं अस्तित्व की पहचान करा पाना उन्हें शक्ति का स्वरुप प्रदान कर पुनः भारत का गौरव बना पाना, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती बनने के लिए प्रेरित करना तथा राष्ट्र की श्रेष्ठ जननी बनने के लिए पूर्ण रूप से तैयार कर पाना, उन्हें समय के साथ प्रगति कर सकने योग्य बनाने का भार कोई उठा सकती है तो वे है एक जागृत एवं शिक्षित नारी।

संदर्भ सूची-

- साहनी एवं सिंह, सर्वात्तम हिन्दी बुक (2010) पृ.क्र. 344
- डॉ. रामविलास गुप्ता, एवं बीना गुप्ता, पापुलन हिन्दी साहित्य कमल प्रकाशन (2012) पृ.क्र. 91
- माता भगवती देवी शर्मा, (मातृशक्ति विशेषांक) महिला जागरण का उद्घोष (जुलाई 2022) युग निर्माण योजना अंक 01 पृ.क्र. 23
- माता भगवती देवी, वेदों में नारी (नवम्बर 2022) अखंड ज्योति अंक 11 पृ.क्र. 25

महात्मा गांधी एवं डॉ. जाकिर हुसैन के शैक्षिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन

शैलजा आनंद श्रीवास्तव

विजिटिंग फैकल्टी -शिक्षाशास्त्र, एस.पी.एम.कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज

शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसको सही मायने में आत्मसात करने से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव है चाहे वह उसका अपना विकास होए समाज का अथवा राष्ट्र का। शिक्षा औपचारिक भी हो सकती है और अनौपचारिक भी। समाज के ऐसे व्यक्ति जो शिक्षा के विषय में अधिक चिंतन करते हैं, वही नवीन पद्धतियों एवं तंत्रों का निर्माण करते हैं। समाज में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक विचार को जैसे रवींद्रनाथ टैगोर एस्वामी दयानंद सरस्वतीए महात्मा गांधीए श्री अरविंद आदि ने ना केवल शिक्षा की समस्याओं पर विचार रखा बल्कि अपनी संस्थाएं भी स्थापित किया या कराई। गांधीजी और डॉ जाकिर हुसैन दोनों ने भारत में प्रचलित शिक्षा पद्धति से असहमति जताई। अनेक शिक्षक बिंदुओं पर दोनों सहमत दिखाई पड़ते हैं परंतु कहीं ना कहीं प्रयोगात्मक स्तर पर दोनों में अंतर दिखता है।

गांधी जी एवं डॉ जाकिर हुसैन दोनों शिक्षा में परिवर्तन के पक्ष में थे। यह परिवर्तन किस दिशा में हो पद्धतियां क्या हो इन पर भी दोनों ने विचार किया है। समाज परिवर्तनशील है तथा शिक्षा के माध्यम से ही समाज का विकास होता है। शिक्षा के माध्यम से ही सुसंस्कृत समाज की स्थापना की जा सकती है। जिस समाज में अधिकांश लोग शिक्षित होते हैं, वह समाज सांस्कृतिक धरातल पर ऊंचा माना जाता है तथा आर्थिक विकास में भी शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान देती है। अतः हर समाज अपने नागरिकों के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था करता है। भारतीय शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर जो भी प्रयोग हुए हैं उसमें गांधी जी एवं डॉ जाकिर हुसैन जैसे लोगों का योगदान अधिक है।

गांधी जी एवं डॉ जाकिर हुसैन अनेक शैक्षिक बिंदुओं पर काफी सहमत दिखाई पड़ते हैं परंतु प्रयोगात्मक स्तर पर कहीं ना कहीं उन्हें स्पष्ट अंतर दिखता है। गांधी जी एवं डॉ जाकिर हुसैन के शिक्षा दर्शन में अंतर दिखता है एवं उनके शैक्षिक विचारों में अंतर दिखाई पड़ता है।

गांधी जी एवं डॉ जाकिर हुसैन के शैक्षिक विचारों पर अलग-अलग अध्ययन हुए हैं पर गांधीजी के शैक्षिक प्रयोगों का संचालन जाकिर साहब की देखरेख में हुआ और उन प्रयोगों से जो निष्कर्ष प्राप्त हुए उसके क्रियान्वयन में डॉ जाकिर हुसैन की अहम भूमिका थी। यदि हम दोनों के शिक्षा दर्शन, उनके शैक्षिक विचारों एवं क्रियान्वयन पद्धतियों आदि का तुलनात्मक अध्ययन करें तो निश्चित ही भारतीय शिक्षा के लिए यह अधिक उपयोगी हो सकता है।

गांधी जी का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है। उनका मूल मंत्र था. "शोषण विहीन समाज की स्थापना करना"। उसके लिए सभी को शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के अभाव में एक स्वस्थ समाज का निर्माण असंभव है। अतः गांधी जी ने जो शिक्षा के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों की व्याख्या की तथा प्रारंभिक शिक्षा योजना उनके शिक्षा दर्शन का मूर्त रूप है ।अतः उनका शिक्षा दर्शन उनको एक शिक्षा शास्त्री के रूप में भी समाज के सामने प्रस्तुत करता है। उनका शिक्षा के प्रति जो योगदान था वह अद्वितीय था। उनका मानना था मेरे प्रिय भारत में बच्चों को 3h की शिक्षा अर्थात head, hand,heart की शिक्षा दी जाए। शिक्षा उन्हें स्वावलंबी बनाएं और भी देश को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे सकें।

डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण के विकास में सहायक होती है एवं यह एक गतिशील ऊर्जा है जो शांति स्थापना के लिए व्यक्ति में ज्ञान एसंस्कृति एमूल प्रवृत्तियों आदि को विकसित करती है। डॉ जाकिर हुसैन ने कहा कि वर्तमान कठिनाइयों और ज्वलंत समस्याओं का समाधान हम तभी कर सकते हैं जब प्राचीन भारतीय मूल्यों, सूफी संतों तथा पाश्चात्य दर्शन को द्वारा मानवता को प्रदान किए गए मूल्यों का सहारा ले। इसके लिए उन्होंने सामाजिक दर्शन को एक अनोखे ढंग से प्रस्तुत किया। प्रायः शैक्षिक प्रयोगों में लगे हुए लोग यही अनुभव करते हैं कि जाकिर साहब गांधीवादी विचारों के अनुयाई थे पर उनके बीच के सूक्ष्म अंतर की जानकारी लोगों को नहीं होती। अतः इस अध्ययन में दोनों के शिक्षा दर्शन एविचारों एवं क्रिया पद्धतियों के सूक्ष्म अंतर को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

गांधी जी का शिक्षा दर्शन. यदि गांधी जी के शिक्षा दर्शन का विधिवत अध्ययन किया जाए तो उनके आधारभूत सिद्धांत स्पष्ट जाते हैं। संक्षेप में गांधीजी के मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख निम्नलिखित है.

(१) गांधी जी का शिक्षा दर्शन उनके जीवन दर्शन से विशिष्ट रूप से संबंधित है। गांधी जी ने सत्य एअहिंसाए सेवाए त्याग आदि को जीवन में प्रधानता दी जो कि केवल शिक्षा के द्वारा ही संभव है। गांधीजी सामाजिकए आर्थिकए राजनीतिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की प्रगति का एकमात्र माध्यम शिक्षा को ही मानते हैं।

(२) गांधीजी शिक्षा को व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का साधन मानते थे। उनका यह मानना था की शिक्षा वही है जो शारीरिक मानसिक नैतिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास में सहायक होती है।(३)गांधी जी का यह मानना था कि शिक्षा में आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए। अत: उनका यह कहना था कि विद्यालयों में सभी विषयों को हस्तकला का केंद्र मानकर पढ़ाया जाना चाहिए जिससे छात्र आत्मनिर्भर बन सकें।

(४) गांधी जी का यह मानना था कि विद्यालय निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करने का स्थान नहीं होना चाहिएए बल्कि वह सक्रिय रुप से ज्ञान प्राप्त करने का स्थान होना चाहिए। उसमें प्रयोग और कार्य की खोज होनी चाहिए। (५) बालकों के अंदर सामाजिक वातावरण को समझने की क्षमता होनी चाहिए और शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि बालक जिस समुदाय का सदस्य हैए उस समुदाय के सामान्य हित के अनुसार अपनी क्षमताओं का विकास कर सके।

(६) बालकों की शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो उसे उत्पादन करने योग्य बनाएं। उनके द्वारा बनाई गई समस्त वस्तुओं का राज्य द्वारा क्रय होना चाहिए।

(७) गांधीजी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाना चाहते हैं परंतु अन्य भाषाओं के विरोधी नहीं है।

डॉ जाकिर हुसैन का शिक्षा दर्शन.

डॉ जाकिर हुसैन दुनिया के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों में से एक थे। वह एक महान मानवतावादी थे एवं उन्होंने राष्ट्रीय हितों से सीध े जुड़े विविध आयामों में सेवा की और देश में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया। उनका यह मानना था कि महान भारत का पुनरुद्धार केवल राजनीतिक आयाम से नहीं बल्कि शिक्षा में सुधार के माध्यम से हो सकता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के मूल सिद्धांतों को ऊपर उठाने और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों की सेवा करने और प्रेरित करने के लिए बिताया। एक मानवतावादी दार्शनिक थे एजिनका मानना था कि शिक्षा को संतुलन में विकसित किया जाना चाहिए एजहां क्षमताओं और क्षमताओं का सही अनुपात में निर्माण होना चाहिए। जाकिर हुसैन के शिक्षा दर्शन का संक्षेप में वर्णन निम्नलिखित है.

(१) डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा को संतुलित होना चाहिए और क्षमताओं का सही अनुपात में निर्माण होना चाहिए।

(२) उनका यह मानना था कि वास्तविक शिक्षा आत्म प्राप्ति होती है।

(३) उनके अनुसार शिक्षा केवल अज्ञात को जानने के लिए नहीं होती बल्कि जिस जन्मजात शिक्षा के साथ में पैदा हुए थे उनके अनुसार उन्हें विकसित कर सकते हैं।

(४) उनके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे देश जाति और पंथ के अंतर धर्म के आधार और बेरोजगारी से मुक्त हो।

(५) जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समग्र विकास होना चाहिए। शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए कि मूल्योंए नैतिकता और बुद्धि को बढ़ावा मिले।

(६) उनके अनुसार शिक्षा को एक सहायक के रूप में सहायता करनी चाहिए जो एक व्यक्ति को अच्छे और बुरे या सही और गलत के बीच अंतर करने में सक्षम बनाती है।

(७) उनका यह मानना था कि शिक्षा और ज्ञान को कभी भी प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है और ना ही करना चाहिए।

(८) जाकिर हुसैन दिल एदिमाग और आत्मा के विकास के पक्ष में थे।

गांधी जी एवं डॉ जाकिर हुसैन दोनों महान राजनेता एवं शिक्षा भी थे। दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। दोनों भारतीयों को भारतीय संस्कृति का अनुगामी बनाना चाहते थे। गांधी जी का कहना था कि आज की शिक्षा पद्धति ऊपर से नीचे तक बुनियादी तौर पर गलत है। अत: उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अधिक लोगों को पाश्चात्य संस्कृति से अलग होना है तो वह मेरे सुझावों पर विचार करें। इसी प्रकार डॉ जाकिर हुसैन ने भी तत्कालीन शिक्षा की बुराइयों की ओर देश व समाज का ध्यान आकर्षित किया। वह चाहते थे कि हमारी शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए जिससे समाज की आवश्यकताओं एवं समस्याओं का समाधान हो सके तथा इसके साथ-साथ बालक का सर्वांगीण विकास हो सके एजिससे हमारा देश विकसित एवं आत्मनिर्भर बन सके। इस प्रकार दोनों शिक्षा शास्त्रियों ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की बुराइयों से प्रभावित होकर भारतीयों को भारतीय शिक्षा पद्धति की ओर अग्रसर करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यद्यपि कि गांधी जी एवं डॉ जाकिर हुसैन के शैक्षिक विचारों में बहुत समानताएं पाई जाती हैं परंतु थोड़ा अंतर उसमें दिखाई देता है गांध ीजी उत्पादन क्षमता के पक्ष में थे परंतु डॉक्टर जाकिर हुसैन का

मानना था कि बालकों को मशीन नहीं बल्कि बालक समझ कर शिक्षा दी जाए। जाकिर साहब गांधीजी के समकालीन थे परंतु इन पर विशेष कार्य नहीं हुआ ।डॉ जाकिर हुसैन का शिक्षा के क्षेत्र में महान योगदान होते हुए भी वे अधिक प्रकाश में नहीं आ सके। बुनियादी शिक्षा की जो कल्पना गांधीजी ने की थी उस का क्रमिक विकास डॉ जाकिर हुसैन ने ही किया।

गांधी जी ने अपने शिक्षा दर्शन में शिक्षा को 3r~ और 3Hk~ की संज्ञा दी थी। 3r~ से उनका आशय रीडिंग एराइटिंग और अर्थमैटिक था अर्थात (अंकों का ज्ञान) एवं 3Hk~ से उनका आशय हैंडए हेड एंड हार्ट था। उनके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का शारीरिक एमानसिक और बौद्धिक विकास करें। गांधीजी का मानना था कि साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है ना ही प्रारंभ है। यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा सभी को शिक्षित किया जाता है। अत: उनके अनुसार शिक्षा द्वारा मनुष्य के शरीर एमन और आत्मा तीनों का विकास होना चाहिए। गांधीजी के अनुसार शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य थे जैस– शारीरिक विकास, मानसिक एवं बौद्धिक विकास, व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास एसांस्कृतिक विकास, व्यवसायिक विकास एआध्यात्मिक विकास एवं पाठ्यक्रम में वे एक से आठ तक हस्तकला उद्योग को प्रमुख स्थान, मातृभाषा, व्यवहारिक गणित एसामाजिक विषय, सामान्य विज्ञान, संगीत, चित्रकला और आचरण की शिक्षा पर बल देते हैं।

गांधीजी बेसिक शिक्षा को निम्नलिखित रूपों में स्वीकार करते हैं उनके अनुसार–शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा निर्मित सामग्री का उपयोग उसको क्या कर विद्यालय में उसका व्यय करना चाहिए। संपूर्ण शिक्षा हस्तकला और उद्योगों पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षा में गांधीजी दमनात्मक विधि का विरोध करते थे। उनके अनुसार सच्चे अनुशासन की प्राप्ति आत्म प्रेरित होती है और यह प्रभावटमक विधि द्वारा प्राप्त कराया जा सकता है अर्थात जब तक बच्चे अथवा बालक स्वयं ना चाहे तब तक अनुशासन की प्राप्ति नहीं कर सकते। गांधीजी के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक मुख्य होता है अत: यह शिक्षा को समाज का आदर्श, ज्ञान का पुण्य और सत्य आचरण करने वाला होना चाहिए। उनके अनुसार शिक्षक वही है जो सेवा के रूप में कार्य करें एवं बच्चों के पिता, मित्र, सहयोग एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करें।

गांधीजी के अनुसार शिक्षा की पूरी प्रक्रिया में विद्यार्थी केंद्र होता है उसे अनुशासित होना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होना चाहिए। गांधीजी शुरू से ही बालक में शरीर मन आत्मा के विकास पर बल और आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। गांधीजी के अनुसार विद्यालय ऐसे होने चाहिए जहां शिक्षक सेवा भाव से पूर्ण निष्ठा के साथ शिक्षण करें। विद्यालय को सामुदायिक केंद्र बनाना चाहते हैं एजहां पर समुदाय के लोगों को कार्य करने कीसुविधा उपलब्ध हो। उनके अनुसार प्रौढ़ शिक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। गांधी जी ने स्त्री शिक्षा, सह शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, धर्म शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा का भी समर्थन किया।

डॉ जाकिर हुसैन ने शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष बल दिया

उन्होंने समुचित मानव जाति के विकास पर बल दिया।

डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सामाजिक विकास पर बल दिया।

उनके अनुसार शिक्षा राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण होनी चाहिए।

डॉ जाकिर हुसैन ने सबसे ज्यादा बल मानसिक विकास पर दिया है।

वर्तमान समय में गांधीजी एवं डॉ जाकिर हुसैन के शिक्षा दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डॉक्टर हुसैन ने भारतीय शिक्षा को भारतीय बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके उद्देश्य विस्तृत किए एवं उसकी पाठ्यचर्या विस्तृत की। हुसैन वर्तमान में खड़े होकर भविष्य में जागने की क्षमता रखते थे। जिन आदर्शों एवं विचारों का प्रतिपादन किए थे उसका अभिप्राय भविष्य से था। आज जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, मानव धर्म शिक्षा, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की जो भी व्यवस्था है उसका बिगुल गांधी जी एवं जाकिर हुसैन ने ही बजाया था।

गांधी जी एवं डॉ जाकिर हुसैन के शैक्षिक विचारों के वर्तमान पाठ्यक्रम में उपयोगिता

वर्तमान शिक्षा प्रणाली का आधुनिक भारतीय परिवेश में अपने उद्देश्य की प्राप्ति असफल हो चुकी है जिससे बेरोजगारी, अनैतिकता आदि में दिन.प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। अत: अविकसित भारत जैसे देश के लिए महात्मा गांधी एवं डॉ जाकिर हुसैन द्वारा दर्शाई गई शिक्षा प्रणाली का समावेश नवयुग के पाठ्यक्रम में आवश्यक है। उनके शैक्षिक विचारों को वर्तमान पाठ्यक्रम में समावेश किया जाना आवश्यक है जिससे शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो सकती है।

संदर्भ.

१. मोहनदास करमचंद (२०००) मेरे सपनों का भारत अहमदाबादए नवजीवन प्रकाशन

२. गांधी मोहनदास करमचंद (१९४३) अमृतवाणीए इलाहाबाद साधना सदन।

३. चौबे एसपी और अखिलेश (१९९६) भारत और पश्चिम की श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्री फैजाबाद भवदीय प्रकाशन।

४. शर्मा चंद्रिका प्रसाद (१९९५) गांधी जीवन दर्शन दिल्ली साहित्य प्रकाशन।

५. हुसैन डॉक्टर जाकिर शिक्षा दिल्ली राजकमल प्रकाशन।

६. अग्रवाल एसकेएष् शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत मॉडर्न पब्लिशर मेरठ

७. गुप्ता लक्ष्मी नारायण महान पाश्चात्य एवं भारतीय शिक्षा शास्त्री इलाहाबाद कैलाश प्रकाशन 1971

८. अग्रवाल जे सी (२००६) महान दार्शनिकों और विचारकों की शिक्षाए दिल्ली एशिप्रा प्रकाशन।

९. एमपी कमल (२००८) डॉ जाकिर हुसैन एदिल्ली एराजा पॉकेट बुक।

१०. दुबे सत्यनारायण (२०००) शिक्षा की नवीन दार्शनिक पृष्ठभूमि, आगरा, आगरा पुस्तक मंदिर।

भारत में कन्या भ्रुण हत्याः स्त्रियों के अस्तित्व पर संकट

निकिता गुप्ता

वरिष्ठ शोधार्थी, समाजशास्त्र और समाज मानवशास्त्र विभाग, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, अमरकंटक

डॉ० नरेश कुमार सोनकर

सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र और समाज मानवशास्त्र विभाग, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, अमरकंटक, (म.प्र.) 484887

सारांशः कन्या भ्रुण हत्या गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि दोनों समकालीन भारतीय समाज में नारीत्व के खिलाफ अपराध का सबसे खराब रूप हैं। यह एक कपटी सामाजिक समस्या है जो युगों से भारतीय लोकाचार में गहराई से निहित है। सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि नवीन प्रौद्योगिकियां का उपयोग करके बहुत बेरहमी से कन्या भ्रुण और बालिकाओं की हत्या कि जा रही हैं। आज हम 21वीं शताब्दी में भूमंडलीकरण के दौर में जी रहे हैं। आज भारत विश्व में अपना परचम लहरा रहा हैं और निरंतर विश्वपटल पर अपना नाम स्थापित कर रहा हैं, चाहे वह मंगलयान जैसा मिशन हो या खेल जगत की विभिन्न उपलब्धि। ओलम्पिक 2021 में भारत ने एक स्वर्ण पदक, दो रजत पदक समेत 4 कांस्य पदक जीत कर इतिहास रचा। लेकिन साथ ही साथ हम एक ऐसे दौर में भी जी रहे हैं जहां आज भी लड़कियों की अपेक्षा लड़को को वरीयता दी जाती हैं, लड़कियों को दोयम दर्जे का शिकार होना पड़ता हैं। आज भी समाज महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अपेक्षाकृत निम्न स्तर का मानता हैं। इसके अलावा लड़कियों को दूसरे की संपत्ति माना जाता है। भारत में, पुत्रों को पुत्रियों से अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हैं, परिवार के नाम, पारिवारिक व्यवसाय को बनाए रखेंगे और आगे बढ़ायेंगे और पारिवारिक विरासत को बनाए रखेंगे। हालाँकि, महिलाओं के बिना एक सभ्यता असंभव है। नारी समाज की बुनियादी ईकाई का अहम हिस्सा है। वह अपने परिवार में एक जीवन लाने के लिए जिम्मेदार है और वह जीवन किसी भी लिंग का हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि स्त्री के अस्तित्व के बिना पुरुष का अस्तित्व संभव नहीं है। यूं तो महिलाओं के प्रति हिंसा कोई नयी बात नहीं हैं, इसके विभिन्न स्वरूप को देखा जा सकता हैं जैसे ख्र अपहरण, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ इत्यादि, लेकिन भारत में हाल के कुछ वर्षों में कन्या भ्रुण हत्या का प्रचलन तेजी से बढ़ा हैं।

कुंजी शब्दः कन्या भ्रुण हत्या, भारत, महिला हिंसा, पुत्र वरीयता

प्रस्तावनाः कन्या भ्रुण हत्या गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि दोनों समकालीन भारतीय समाज में नारीत्व के खिलाफ अपराध का सबसे खराब रूप हैं। यह एक कपटी सामाजिक समस्या है जो युगों से भारतीय लोकाचार में गहराई से निहित है। सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि नवीन प्रौद्योगिकियां का उपयोग करके बहुत बेरहमी से कन्या भ्रुण और बालिकाओं की हत्या कि जा रही हैं। आज हम 21वीं शताब्दी में भूमंडलीकरण के दौर में जी रहे हैं। आज भरत विश्व में अपना परचम लहरा रहा हैं और निरंतर विश्वपटल पर अपना नाम स्थापित कर रहा हैं, चाहे वह मंगलयान जैसा मिशन हो या खेल जगत की विभिन्न उपलब्धि। ओलिम्पिक 2021 में भारत ने एक स्वर्ण पदक, दो रजत पदक समेत 4 कांस्य पदक जीत कर इतिहास रचा। लेकिन साथ ही साथ हम एक ऐसे दौर में भी जी रहे हैं जहां आज भी लड़कियों की अपेक्षा लड़को को वरीयता दी जाती हैं, लड़कियों को दोयम दर्जे का शिकार होना पड़ता हैं। आज भी समाज महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अपेक्षाकृत निम्न स्तर का मानता हैं। इसके अलावा लड़कियों को दूसरे की संपत्ति माना जाता है। भारत में, पुत्रों को पुत्रियों से अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हैं, परिवार के नाम, पारिवारिक व्यवसाय को बनाए रखेंगे और आगे बढ़ायेंगे और पारिवारिक विरासत को बनाए रखेंगे। हालाँकि, महिलाओं के बिना एक सभ्यता असंभव है। नारी समाज की बुनियादी ईकाई का अहम हिस्सा है। वह अपने परिवार में एक जीवन लाने के लिए जिम्मेदार है और वह जीवन किसी भी लिंग का हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि स्त्री के अस्तित्व के बिना पुरुष का अस्तित्व संभव नहीं है। यूं तो महिलाओं के प्रति हिंसा कोई नयी बात नहीं हैं, इसके विभिन्न स्वरूप को देखा जा सकता हैं जैसे ख्र अपहरण, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ इत्यादि, लेकिन भारत में हाल के कुछ वर्षो में कन्या भ्रुण हत्या का प्रचलन तेजी से बढ़ा हैं।

वस्तुतः विश्व के सभी विकासशील समाजों में बेटियों का जन्म अनचाहा होता हैं। भारत भी एक विकासशील देश है और भारत में हमेशा एक बालिका, एक उपेक्षित आयाम होती है।

बेटियों की संख्या भारत के बच्चों के आधे से भी कम हैं। भारतीय संस्कृति हमेशा एक लड़के के जन्म को प्राथमिकता देती है और बेटी के जन्म का स्वागत कम ही किया जाता है। भारत जैसे देश में लड़की पैदा होना एक इंसान की तुलना में कम पैदा होने जैसा है। भारत में बालिका सबसे अधिक उत्पीड़ित, प्रताड़ित, शोषित और पृथ्वी पर वंचित मानव के रूप में जन्म लेती हैं। (मित्तल, 1995) बाल लिंगानुपात में गिरावट केवल संख्या की समस्या नहीं है। महिलाओं की स्थिति और वर्षों से इस संबंध में जो प्रगति हुई हैं, यह सब कुछ दांव पर हैं। संभावना यह है कि समाज में कम महिलाए होंगी तो इसके साथ, सभी रूपों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ेगी। असुरक्षा का यह माहौल महिलाओं को अपने घर की चार दीवारी के भीतर कैद करने के लिए मजबूर करेगा। यह सामाजिक ताने–बाने में गंभीर व्यवधान के खतरे की एकमात्र अभिव्यक्ति नहीं है। यदि इस ह्रास को रोका नहीं गया तो प्रकृति का नाजुक संतुलन स्थायी रूप से नष्ट हो सकता है।

कन्या भ्रुण हत्या, महिलाओं के खिलाफ हिंसा की चरम अभिव्यक्ति है। लड़कियों के जन्म ना हो इसलिए प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण के बाद, कन्या भ्रुण का चुनिंदा गर्भपात किया जाता है। इस प्रकार चयनात्मक गर्भपात के कारण भारतीय आबादी से 35 से 40 मिलियन लड़किया लापता हैं। देश के कुछ हिस्सों में लड़कों से लड़कियों का लिंग अनुपात 800:1000 से कम हो गया है। संयुक्त राष्ट्र ने इस स्थिति के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की हैं।

कन्या भ्रुण हत्या एक चिंता का विषय हैं क्योंकि यह तत्कालीन भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा का सबसे वीभत्स रूप हैं। आजकल लोग नवीनतम तकनीकों जैसे कि– अल्ट्रासाउंड, अमनिओसेंटेसिस इत्यादि तकनीक का उपयोग करके भ्रुण के लिंग का परीक्षण करा कर उनका गर्भपात करा देते हैं। यदि कन्या शिशु का जन्म हो भी जाता हैं तो वह प्यार और अपनेपन से वंचित रह जाती हैं क्योंकि उसे सड़क के किनारे अथवा किसी कूड़ेदान में फेंक दिया जाता हैं।

उद्देश्यः प्रस्तुत शोध पत्र के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

1. भारत में स्त्रियों के अस्तित्व पर संकट के संकेतक के रूप में कन्या भ्रुण हत्या के मुद्दे पर चर्चा करना ।
2. भारत में कन्या भ्रुण हत्या के कुछ कारणों का अध्ययन करना।
3. कन्या भ्रुण हत्या के दुष्परिणाम के बारे में जानना।

विधिः यह अध्ययन द्वितीयक स्त्रोत पर आधारित हैं। इस शोध पत्र को लिखने के लिए वर्णनात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है और इस शोध पत्र के लिए एकत्र और व्याख्या की गई सामग्री द्वितीयक प्रकृति की है। द्वितीयक स्त्रोत का संग्रहण कई शोध पत्रों से किया गया हैं।

भारतीय महिलाओं की स्थितिः स्त्रियों का गिरता लिंगानुपात, भारत में महिलाओं की निम्न स्थिति को दर्शाता हैं। महिलाओं की प्रस्थिति उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक क्षेत्रों में उनकी भूमिका, व्यापार और प्रबंधन में उनकी भागीदारी और साथ ही साथ परिवार में उनकी निर्णय लेने की भागीदारी से निश्चित होती हैं।

कार्य का रूप और सीमा और राजनीतिक भागीदारी, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति, निर्णय लेने वाले निकायों में प्रतिनिधित्व, संपत्ति तक पहुंच आदि समाज में व्यक्तिगत सदस्यों की स्थिति के कुछ प्रासंगिक संकेतक हैं। हालांकि, समाज के सभी सदस्य, विशेष रूप से महिलाओं का इन कारकों तक समान पहुंच नहीं प्राप्त है जो स्थिति के इन संकेतकों का गठन करते हैं। इस असमानता के पीछे लिंग विभेद महत्वपूर्ण आयामों में से एक है। हमारे समाज में महिलाओं को हाशिए पर रखा गया है और आर्थिक रूप से उनके साथ भेदभाव किया जाता है।

कन्या भ्रुण हत्या से कुछ तथ्य :

- एक अनुसंधान के मुताबिक भारत में पिछले तीस सालों में कम से कम 40 लाख लड़कियों की भ्रुण हत्या की गयी हैं। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका "जेम संदबमज" में प्रकाशित एक शोध में यह दावा किया गया हैं कि ये अनुमान ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ 20 लाख भी हो सकता हैं।
- UNICEF की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सुनियोजित लिंग भेद के कारण जनसंख्या से तकरीबन 5 करोड़ लड़कियां एवं महिलाएं गायब हैं।
- विश्व में अधिकतर देशों में प्रति पुरुषों के पीछे लगभग 105 स्त्रियों का जन्म होता हैं। लेकिन वहीं भारत की जनसंख्या में प्रति पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या 93 हैं।
- संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अवैध रूप से अनुमानित तौर पर प्रतिदिन लगभग 2000 अजन्मी बच्चियों को गर्भ में ही मार दिया जाता हैं।
- हाल ही में रवनतदंस चसने में प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया हैं कि 2017 से 2030 के बीच भारत में 68 लाख बच्चियाँ जन्म नहीं ले सकेंगी, क्योंकि बेटे कि चाह में उन्हें कोख में ही मार दिया जाएगा।

कन्या भ्रुण हत्या क्या हैं:

भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति निम्न हैं। उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार और सम्मान नहीं दिया जाता हैं। उन्हें दोयम दर्जे का शिकार होना पड़ता हैं। कन्या को परिवार में प्रवेश लेने से रोकने के लिए कन्या भ्रुण हत्या की प्रक्रिया की जाती हैं।

भ्रुण हत्या, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक भ्रुण की हत्या को दर्शाता है।लिंग परीक्षण के पश्चात यदि गर्भ में पल रहा भ्रुण अगर एक लड़की हैं तो उसे जन्म लेने से पूर्व माँ की कोख में ही मार देना अथवा उस भ्रुण का गर्भपात करा देना, कन्या भ्रुण हत्या कहलाता हैं। भारत में कन्या भ्रुण हत्या लड़कियों के प्रति

होने वाली हिंसा में सर्वप्रथम हिंसा हैं। भारत में कन्या भ्रुण हत्या और लिंग परीक्षण अवैध हैं। (साबू एवं रणबीर,1998)

कन्या भ्रुण हत्या के कारण:

भारत में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति निम्न हैं। वहीं आर्थिक क्षेत्रों में उनकी भागीदारी कम हैं। भारत में स्त्रियों को घरेलू कार्यो तक सीमित कर दिया जाता हैं जिससे उनकी भागीदारी आर्थिक क्षेत्रों में नगण्य हो जाती हैं। साथ ही साथ कई धार्मिक अनुष्ठानों में स्त्रियों की उपस्थिति अपेक्षित नहीं होती। इस प्रकार से निम्न सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के साथ ही साथ अन्य कारण भी कन्या भ्रुण हत्या के लिए उत्तरदायी हैं, जो कि इस प्रकार हैं –

- स्त्रियों की निम्न सामाजिक स्थिति– भारत में स्त्रियों कि सामाजिक स्थिति काफी निम्न हैं। आमतौर पर किसी भी संगठन में वरिष्ठ पद पर महिलाओं कि उपस्थिति नगण्य रही हैं साथ ही साथ राजनैतिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सीमित हैं। उन्हे योग्यतानुसार सामाजिक पद प्राप्त नहीं होते हैं, जिससे समाज उन्हे दोयम दर्जा प्रदान करता हैं।
- स्त्रियों की आर्थिक क्षेत्रों में निम्न भागीदारी: भारत में, विशेषकर पित्रसत्तात्मक समाज में जब एक लड़की का जन्म होता हैं तो उसे एक आर्थिक बोझ के तौर पर देखा जाता हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता हैं कि परिवार में एक अतिरिक्त व्यक्ति का पालन पोषण करना पड़ेगा। स्त्रियों को सामान्य तौर पर घर के कार्यों में लगा दिया जाता हैं अथवा खेतों में काम पर, जिसके बदले उन्हे परिश्रमिक भी नहीं दिया जाता। यूँ तो उनसे एक मुफ्त मजदूर के तौर पर काम लिया जाता हैं और कोई आर्थिक आय न मिलने पर उन्हें भार भी समझा जाता हैं। उन्हें घर से बाहर काम करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता और घर पर उन्हें आर्थिक बोझ के तौर पर देखा जाता हैं।

लड़कियों के पालन– पोषण में लड़कों की अपेक्षा कम खर्च किया जाता हैं। ऐसा माना जाता हैं कि लड़की पराया धन हैं, और जब लड़की की शादी हो जाएगी तो वह अपने ससुराल चली जाएंगी तो आगे चलकर उन्हें (लड़की के परिवारवालों को) कोई लाभ नहीं मिलेगा। कन्या भ्रुण हत्या का व्यापारीकरण हो गया है। यह अपने आप में संचय का क्षेत्र बनने लगा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य मालिनी भट्टाचार्य ने स्वीकार किया कि उदारीकरण के युग में "किसी साधक को सेवा के लिए पसंद की स्वतंत्रता और सेवा प्रदाता द्वारा बेचने की स्वतंत्रता की अनुमति देनी होगी।" भ्रुण हत्या से एक या दो महीने की कमाई खर्च हो सकती है, जबकि दहेज के लिए कई सालों की आय जुटानी पड़ती है। इसलिए सेवा चाहने वाले और प्रदाता के बीच संतुलन दिखाई देता है। (खातून, 2011)

- दहेज प्रथा: भारत में यूँ तो कई सामाजिक समस्या हैं, पर उसके साथ ही दहेज प्रथा का भी खूब प्रचलन हैं। दहेज वर्तमान समय में एक सभ्य समाज के लिए अभिशाप बन गया हैं, विशेषकर उन परिवारों के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति निम्न हैं।

  आज दहेज एक सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय बन गया हैं। वर को दहेज में कितना कुछ प्राप्त हुआ हैं यह जानने की उत्सुकता समाज के लोगों को होती हैं। जिस वर को जितना दहेज मिलता हैं, उसको उतनी ही प्रतिष्ठा प्राप्त होती हैं इसलिए दहेज को जोड़ना भी माता ख्र पिता की चिंता का कारण बन जाता हैं।

  एक लड़की के जन्म के साथ ही उसके माता ख्र पिता, उसके पालन ख्र पोषण शिक्षा से ज्यादा उसके दहेज के लिए चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि विवाह के समय उचित दहेज देकर विवाह सम्पन्न न किया जाए तो लड़कियों के साथ घरेलू हिंसा की जाती हैं। इस भय से भी लोग कन्या को जन्म लेने से पहले ही मार देते हैं । कई अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि कन्या भ्रुण हत्या का उत्तरदायी कारक दहेज भी हैं। (दास गुप्ता और अन्य 2003)
- महिलाओं के प्रति हिंसा का भय: महिलाओं के प्रति विभिन्न प्रकार की हिंसा होती हैं, जैसे – अपहरण, छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा इत्यादि। इस कारण से भी माता ख्र पिता चिंतित रहते हैं। माता–पिता ऐसा महसूस करते हैं कि इस असुरक्षा से भरे परिवेश में एक लड़की का जीवन बहुत मुश्किल हैं, इसलिए वह कन्या भ्रुण हत्या जैसे जघन्य अपराध को करने हेतु विवश हो जाते हैं।
- धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व: हिन्दू धर्म में कुछ धार्मिक अनुष्ठानों को करने का अधिकार केवल पुरुषो को ही प्राप्त हैं। हिन्दू धर्म में पाँच प्रकार के ऋण हैं ख्र देव, ऋषि, पित्र, नृ और भूत ऋण और ऐसा माना जाता हैं कि इन ऋणों से मुक्ति केवल पुत्र रत्न कि प्राप्ति होने पर ही मिल सकती हैं इसलिए भी पुत्र का जन्म लेना आवश्यक माना गया हैं। सामान्यतया जब परिवार में पहली संतान एक लड़की होती हैं, तो दूसरी संतान के जन्म पर हर आवश्यक उपाय किया जाता हैं जिससे कि पुत्र रत्न कि प्राप्ति हो सके। माता–पिता के अंतिम संस्कार के लिए पुत्र की उपस्थिति अनिवार्य है। मनु के अनुसार, एक व्यक्ति तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि उसकी चिता को जलाने के लिए उसके पास पुत्र न हो। माता–पिता को यह विश्वास होता हैं कि बुढ़ापे में बेटे उनकी देखभाल करेंगे। निरक्षरता और रूढ़िवादी समाज के मानदंडों सहित ये

सामाजिक-अनुष्ठान कारक के कारण एक पुत्र के जन्म के लिए कई पुत्रियों के जन्म का तिरस्कार किया जाता हैं। (खातून एवं इस्लाम, 2011)

मिलर (1981) ने तर्क दिया; "समस्या यह है कि भारत के कुछ क्षेत्रों में और कुछ वर्गों में बेटे की वरीयता इतनी मजबूत है कि परिवार की कथित और सांस्कृतिक रूप से अनिवार्य जरूरतों को पूरा करने के लिए बेटियों को तार्किक रूप से पीड़ित होना पड़ता हैं।"

- नैदानिक जांच का दुरुपयोग: भारत में लिंग परीक्षण कराना गैरकानूनी हैं। अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीक का विकास गर्भस्थ शिशु की सेहत की जांच के लिए किया गया था, किन्तु अब इसका दुरुपयोग गर्भस्थ शिशु के लिंग परिक्षण के लिए किया जा रहा हैं, जिससे यह पता चल सके की गर्भ में शिशु लड़का हैं या लड़की। अगर गर्भस्थ शिशु लड़की हुई तो उसे गर्भ में ही मार दिया जाता हैं।

  इस तकनीक के आने के पूर्व भी कन्याओं की हत्या की जाती थी। कन्या के जन्म के साथ ही या एक साल के भीतर विभिन्न तरीकों से जैसे - गला घोंटकर, दूध में विष मिलाकर या जिंदा दफन कर उनको मार दिया जाता था, किन्तु तकनीक का दुरुपयोग करके बेटियों को जन्म के पहले ही मार दिया जाता हैं। अल्ट्रासाउंड जैसी कम लागत वाली तकनीकों की उपस्थिति ने कन्या भ्रूणों के लिंग-आधारित गर्भपात को बढ़ावा दिया है, जिससे हर साल जन्म लेने वाली लड़कियों का प्रतिशत कम होता जा रहा है।

  इस प्रकार पुत्र की चाह रखने वाले लोग, गर्भ में जितनी बार लड़की होती हैं, उतनी बार गर्भपात करा देते हैं ताकि उन्हें पुत्री का पालन - पोषण न करना पड़े और उन्हें कुल का वारिस मिल जाए। पुत्र वरीयता, दहेज, स्त्रियों कि निम्न आर्थिक और सामाजिक स्थिति और लिंग का पता लगाने की तकनीक की उपलब्धता कन्या भ्रूण हत्या के कारक हैं।

कन्या भ्रूण हत्या के दुष्परिणाम:

भारतीय समाज में महिलाओं को निम्न महत्व दिया जाता हैं। कन्या भ्रूण हत्या को महिलाओं के खिलाफ हिंसा की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए, यह उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हैं। गर्भवती महिला, ज्यादातर लड़का पैदा करने के लिए समान रूप से चिंतित होती है, इसलिए उन पर अक्सर ऐसी प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए दबाव डाला जाता है। जबरन बार-बार गर्भपात कराने के परिणामस्वरूप कई महिलाएं मनोवैज्ञानिक आघात से पीड़ित होने के साथ- साथ शारीरिक रूप से भी कमजोर होती जाती हैं।

जनसांख्यिकीविदों ने चेतावनी दी है कि अगले बीस वर्षों में मुख्य रूप से प्रतिकूल किशोर लिंग अनुपात के कारण विवाह बाजार में दुल्हनों की कमी होगी, जो प्रजनन क्षमता में समग्र गिरावट के साथ संयुक्त है। जबकि शहरी और शिक्षित परिवारों में प्रजनन क्षमता अधिक तेजी से घट रही है, फिर भी लड़कों के लिए वरीयता मजबूत बनी हुई है। इन परिवारों के लिए आधुनिक चिकित्सा तकनीक आसान पहुंच के भीतर है। इस प्रकार चयनात्मक गर्भपात और लिंग चयन हैं, अधिक सामान्य हो रहा है।

कन्या भ्रूण हत्या और मानव अधिकारों का हनन: भारतीय समाज समान्यतया पुरुष प्रधानता की परंपरा रखता है। लड़कों को जन्म देने की तीव्र इच्छा के साथ-साथ जीवनयापन की उच्च लागत ने लिंग-चयनात्मक गर्भपात में वृद्धि की है। दुर्भाग्य से, एमटीपी अधिनियम के प्रावधानों का अक्सर दुरुपयोग किया जाता है क्योंकि कई परिवार सोनोग्राफी जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग करके बच्चे के लिंग का परीक्षण करने के बाद कन्या भ्रूण के गर्भपात में मदद करने के लिए इस अधिनियम का सहारा लेते हैं। इसके कारण पुत्रों की वरीयता देने की पुरानी मान्यता को एक नया बढ़ावा मिला और धीरे-धीरे लिंगानुपात में कमी आई। इस अधिनियम को 2002 में संशोधित किया गया था और यहां तक कि गर्भाधान से पहले ही भ्रूण के लिंग का चयन करने के लिए उपयोग की जाने वाली/विज्ञापित पूर्व-गर्भाधान तकनीकों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था।

महिलाओं के प्रजनन अधिकार संविधान के तहत सुरक्षित हैं। अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान से जीने का अधिकार शामिल है जिसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकार का समावेश है (अर्थात् गर्भवती होने, बच्चे पैदा करने, बच्चे पैदा करने का अधिकार बच्चों की संख्या, गर्भपात कराने का अधिकार, गर्भ निरोधकों का उपयोग करने या न करने का अधिकार नसबंदी होना या न होना, माता-पिता बनना या न बनना आदि)।

इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए, 1994 में, सरकार ने एक नया कानून पारित किया, जिसे गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1994 (संक्षेप में पीसीपीएनडीटी अधिनियम) के रूप में जाना जाता है। चूंकि ये परीक्षण भ्रूण की असामान्यताओं और आनुवंशिक दोषों का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए परीक्षणों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, उन्हें केवल विनियमित किया जा सकता है। अब परीक्षण केवल बहुत सख्त परिस्थितियों में किए जा सकते हैं और उनका उपयोग अजन्मे भ्रूण के लिंग की पहचान करने और प्रकट करने के उद्देश्य से नहीं किया जा सकता है।

उपसंहार: पुत्र को वरीयता और पुत्रियों के लिए विरक्ति दोनो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पुत्र के लिए वरीयता और बेटी से

घृणा के प्रमुख निर्धारक को नीचे सूचीबद्ध किया जा सकता है। प्रथम, भारत में पारिवारिक सम्मान और प्रतिष्ठा को मुख्य कारण कहा जा सकता है जो बड़े पैमाने पर पुत्र की वरीयता को निर्धारित करता है और बालिकाओं के लिए नापसंद का कारण बनता हैं। दूसरा, स्त्रियों की सम्मान की सुरक्षा को भी कन्या भ्रुण हत्या के निर्धारक के रूप में देखा जाता है। तीसरा,जातीय अंतर्विवाह और दहेज की मजबूरी जो परिवार में लड़की के प्रवेश के लिए रुकावट का कारण बनती है; ये दो मजबूरियाँ न केवल आर्थिक और भावनात्मक संसाधनों को खत्म करने का कार्य करती हैं साथ ही साथ यह परिवार के लिए चिंता का कारण भी बना रहता है कि शादी के बाद, बेटी के साथ ससुराल में किस तरह का बर्ताव किया जाएगा। यदि ससुराल में बेटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, तो यह भी माता-पिता के लिए दुख का कारण बनता ह।

भारत में जितनी तेजी से कन्या भ्रुण हत्या का प्रचलन बढ़ा हैं, क्योंकि लोग आज भी बहुत समय से चली आ रही पुत्र को वरीयता देने की प्रथा का अनुसरण करते हैं, ऐसे में वह दिन दूर नहीं जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होंगी जब लड़को को शादी के लड़कियां ही नहीं मिलेंगी, जो की वंश को आगे बढाने के लिए जरूरी हैं। इसलिए यह जरूरी हैं कि परिवार में लड़कियों के महत्व के प्रति लोगो की मानसिकता को परिवर्तित किया जाए। कन्या भ्रुण हत्या का अभ्यास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अपना कारण होता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि बालिका को कमतर माना जाता है, यह माना जाता है कि उसके आगमन से परिवार में लक्ष्मी का प्रवेश होता है, लेकिन इसके साथ ही यह भी माना जाता हैं कि इससे परिवार की आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक संसाधन कमजोर होते हैं।

संदर्भः

- Jena, Krushna Chandra (2008) “Female Foeticide in India: A Serious Challenge for the Society”, *Orissa review*
- Patel, Tulsi (2007) “*Sex-Selective Abortion in India-Gender, Society and New Reproductive Technologies*”, Sage Publications, New Delhi, pp.432
- Grewal, Indu, and Kishore, Jugal (2005) “Female foeticide in India” *Humanist Outlook*, Vol.11, No. 2 pp. 61-67
- Gill, Mehar Singh (2013) “Female Foeticide in India: beyond Son Preference and Dowry” *Mankind Quarterly*, Volume LIII, Nos. 3&4 pp. 281-305
- Sabu M. George and Ranbir S., “Female Foeticide in Rural Haryana,” *Economic and Political Weekly*, Vol. 33, No. 32 (Aug. 8-14, 1998), pp. 2191-2198 http://www.jstor.org/stable/4407077
- Sen A (1992), ‘Missing Women’ *British Medical Journal* Vol. 304, No. 6827, p. 587;
- Sen A (1990), ‘More Than 100 Million Women Are Missing’ *New York Review of Books* Vol. 37, No. 20, pp.61-66.
- Vishwanath L. S.(2001) “Female Foeticide and Infanticide” *Economic and Political Weekly*, Vol. 36, No.35, pp. 3411-3412 http://www.jstor.org/stable/4411063;
- Arnold, Fred, Kishor, Sunita, & Roy, T. K. (2002). “Sex-Selective Abortions in India”. *Population and Development Review* 28 (4): 759–785. www.jstor.org/stable/3092788
- Desai, Neera & Raj, Maithreyi Krishna (1987) *“Women and Society in India”* Ajanta Books: New Delhi
- Sekher, T.V., and Hatti, Neelambar “*Discrimination of Female Children in Modern India: from Conception through Childhood*” pp. 1-44
- Miller, B.D. (1981) “*The Endangered Sex*”, Cornell university press, Ithaca, New York.
- Patel, Avanish Bhai (2013), “Crisis in Female Existence: Female Foeticide and Infanticide in India” *International Journal of Criminology and Sociological Theory*, Vol. 6, No. 4, pp. 253-241
- Pollypriya, Buragohin (2020), “Female Foeticide and Gender Inequality in India: Issue of attention” *International Journal of Innovative Science and Modern Engineering (IJISME)* Vol. 6, Issue 6, pp.1-5
- Khatun, Samsunnessa and Islam, Aznarul (2011) “Death Before Birth-A Study On Female Foeticide In India” *MS ACADEMIC*, 1(3), pp. 94-99
- Hazarika, Tulika (2020) Female Foeticide: A Journey from Womb to Death International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR), Volume 7, Issue 1, pp. 362-364

गाँधीयुग से पहले स्त्री शिक्षाः एक समग्र अवलोकन

प्रिया कुमारी

इतिहास विभाग, बी0एन0एम0यू0, मधेपुरा

प्रस्तावनाः-

भारतीय शिक्षा का इतिहास भारतीय सभ्यता का भी इतिहास है। स्त्री शिक्षा स्त्री और शिक्षा को अनिवार्य रूप से जोड़ने वाली अवधारणा है। वर्त्तमान दौर में यह बात सर्वमान्य है कि महिलाओं को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

कुँजीः- पुनर्जागरण, सभ्यता, स्त्री शिक्षा

भारत में वैदिक काल से ही स्त्रीयों की शिक्षा का प्रसार था। ऋग्वैदिक काल में हमें बहुत सी विदुषी स्त्रीयों की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे- घोषा, लोपामुद्रा, निवावारी, गार्गी, विखबारा, अपला आदि। लोपामुन्द्रा विर्दभ ऋषि की पत्नी थीं, विखबारा को ब्रह्मवादिनी भी कहा गया। महिलाएं सभा-समिति में भाग लेती थीं। हालांकि उत्तरवैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में कुछ गिरावट देखी गई। सभा-समिति में उनका प्रवेश वर्जीत हो गया।

प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत जटिल रही। यहि कारण है कि भारत में महिलाओं की शिक्षा एवं उनकी स्थिति का मुल्यांकन करते समय, समाजशास्त्रीयों के सामने कई समस्याएँ प्रस्तुत हुई। हालांकि भारत के सांस्कृति इतिहास से पता चलता है कि भारत में सैद्धांतिक रूप से महिलाओं को देवी का दर्जा प्राप्त था। भारत में बहुसंख्यक हिन्दु समुदाय के कई धार्मिक ग्रंथ इस तथ्य की पुष्टि करता है। यद्यपि स्त्रीयों ने सैद्धांतिक महत्व का आनंद लिया, जो इन ग्रंथों में अर्धांगिनी (बेहतर आधा) के रूप में उल्लिखित है परंतु व्यवहार में वे एक अधीन से बेहतर कुछ न थी। उसे बिना किसी अधिकार के अपनी सम्पत्ती माना जाता था। यह आम तौर पर देखा और माना जाता था कि महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों जैसे परिवार, समुदाय, राजनीती, शिक्षा आदि में पुरुषों से कमतर थी।

संक्षेप में उनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं था। ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लिखित कठोर व्यवहार संहिताएँ भी, भारत में महिलाओं की कमजोर स्थिति के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार रहीं। लेकिन जैसे-जैसे शिक्षा का विकास होता गया महिलाओं की स्थिति में उत्तरोत्तर परिवर्तन एवं सुधार होता गया। और आज वर्तमान समय में वे हर क्षेत्र में पुरुषों को बराबर की चुनौतियां दे रहीं हैं।

भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर काफी कम है। वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़े दर्शातें है कि राजस्थान (52.12 प्रतिशत) एवं बिहार (51.50 प्रतिशत) में महिलाओं के शिक्षा की स्थिति काफी खराब है। अतएव भारत में महिला और शिक्षा की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए यह आवश्यक है कि उनके विकास यात्रा को समझा जाए।

यद्यपि ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक स्थानों में स्त्री की स्थिति दासी जैसी दर्शायी गई है, तथापि कई वैदिक शास्त्रों का मत है कि लड़कों के साथ लड़कियों को उचित देखभाल के साथ साथ पोषित और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। एक बेटी को संस्कृत/हिंदी भाषा में पुत्री कहा जाता है। लिंग पुराण के पांचवें अध्याय में, 30-33 छंदों के बीच, स्वयं भगवान ब्रह्मा ने पुत्री की व्याख्या करते हुए कहा है पुत्री वह है जो पु नाम के नरक से मुक्ति दिलाये। अग्नि पुराण (33.14) के अनुसार गौरी पूजन स्त्रियों को देवी के रूप में प्रतिस्थापित करता है। वैदिक साहित्य से ऐसी बहुत सी स्त्रियों का उल्लेख है जिसने वैदिक अध्ययन का रास्ता चुना एवं अपनी शिक्षा के बल पर कई विद्वानों से शास्त्रार्थ भी किया एवं कई मंत्रों की रचना की।

मध्यकाल में स्त्रीयों की दशा मे गिरावट आई। मध्यकालीन भारत में शिक्षा विदेशी आक्रमण से प्रभावित रही। फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। यद्यपि वैदिक काल में उनको कुछ अधिकार दिए गए, लेकिन समय के साथ उनकी दशा में गिरावट आई। मध्यकालीन भारत में दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति थोड़ी बेहतर थी। हिन्दु धर्म, बौद्ध धर्म जैसे धर्म तथा अन्य धर्मो ने महिलाओं को स्वतंत्रता दी। स्त्रीयों को शिक्षा की स्वतंत्रता दी गई और उन्हें अधिक उदार दृष्टिकोण दिया गया।

मध्ययुग के दौरान महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। मुस्लिम महिलाओं को समान शिक्षा पाने से रोका गया। मध्यकालीन भारत में स्त्री शिक्षा धार्मिक कारणों से मुस्लिम स्त्रीयों में प्रतिबंधित थी। मध्ययुग में महिलाओं की शिक्षा के लिए कोई विधिवत संस्थाएँ नहीं थी। स्त्रियां पुरूषों के साथ मख्तवों एवं मदरसों में नहीं जा सकती थीं। लड़कियां सिर्फ उस मकतब में जा सकती थी जिनका उद्देश्य साधारण ढंग से लिखना और पढ़ना सिखाना होता था। इसलिए मुस्लिम स्त्रियां भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी ही रहीं।

हालांकि मुगलकाल में स्त्रियों की शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थान खोलने का प्रयास किया गया परंतु वह व्यवस्था राज

परिवार एंव अभिजात वर्ग की स्त्रियों को उनके घरों में पढ़ाने तक ही सीमित रहीं। इंल्तुतमिश की पुत्री रजिया एक विदुषी और रणकुशल महिला थी। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा। इसके अलावा नूरजहाँ, मुमताज जहाँआरा आदि की भी साहित्य में खासी रुचि रही। औरंगजेब की पुत्री जेब्बुनिसा ने ''दिवाने मखफी' लिखी।

बदलते हुए समय के परिपेक्ष्य में कुछ सुधार भी हुए- विशेषकर पुर्नजागरण के बाद। वह कालखण्ड भारत के साथ-साथ पूरी दुनिया के लिए सुधार का समय था। अग्रेंज अपने साथ कई नए विचार लेकर आए और भारतीयों के साथ पूरी दुनिया को प्रबुद्ध करने का सार्थक प्रयास भी किया। औपनिवेशिक काल में भारतीय स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ। देश के स्वंतत्र होने के बाद स्त्रीयों की भागीदारी और आधुनिक भारत में शिक्षा का दायरा भी बढ़ा। आधुनिक युग में महिला शिक्षा सरकार तथा नागरीकों के लिए चिंता का विषय बन गई क्योंकि एक शिक्षित महिला देश एवं अपने परिवार समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ऐसा कहा भी जाता है कि अगर एक पुरुष शिक्षित हो तो उसकी शिक्षा व्यक्तिगत होती है, लेकिन एक स्त्री शिक्षित हो तो वह अपने पूरे परिवार एवं आगामी पीढ़ी की शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करती है। इस प्रकार आधुनिक भारत में महिला अधिकारों जागरूकता मे बहुत वृद्धि हुई। स्त्रियों की शिक्षा तथा उनके सुधार के लिए कई कार्यक्रम एंव नितियाँ बनाई गईं। भारत में शिक्षा प्रणाली को संशोधित किया गया जिसने आधुनिक भारत में स्त्रियों की शिक्षा के नए अवसर खोल दिये। नवीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की संरचना अस्तित्व मे आयी। शिक्षा से जुड़े सभी कार्यक्रमों एवं नीतियों का उद्देश्य सभी लड़कियों को साक्षर बनाना था। पुरुष एंव स्त्री इस समाज के एक सिक्के के दो पहलू है, इस तथ्य के आधार पर समान शिक्षा सुनिश्चित की गई।

शिक्षा के बिना संस्कार का कोई स्थान नहीं है और एक शिक्षित स्त्री (माँ) ही संस्कार का स्रोत है। एक उक्ति है कि इस दुनियाँ में विद्या के समान कोई क्षेत्र नहीं, और माता के समान 'कोई' गुरू नहीं है। एक स्त्री शिक्षित होती है तो उत्पादन में वृद्धी होती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि स्त्री शिक्षा का प्रभाव परिवार, समाज और देश के हर क्षेत्र में दृष्टिगोचर होता है।

अभी भी इस समाज मे स्त्री को शिक्षा का समान अधिकार दिलाने की आवश्यकता है। आज भी कुछ घरों में महिलाओं के साथ भेद-भाव किया जाता है जिस कारण केवल पुरुषों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है। इस देश में महिला सशक्तिकरण को और मजबूत करने की आवश्यकता है। जब स्त्रियां अपने अधिकारों को समझेंगी तब इन अधिकारों के महत्व को भी समझेंगी। इसके लिए इस समाज को अधिक जागरूक करने की आवश्यकता है। महिला साक्षरता की कमी देश को कमजोर बनाती है।

देश में स्त्री शिक्षा के बिना देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। स्त्री शिक्षा से वौद्धिक विकास होगा, जिससे समाज में सरसता आती है। एक शिक्षित स्त्री गृहस्थ जीवन मे शांति और खुशहाली का स्रोत होती है। जो समाज में नैतिक विकास को बढ़ावा देता है। स्त्री शिक्षा के कारण 1970 से 1995 के बीच बाल कुपोषण में कमी आई थी। शिक्षित महिला परिवार की आय तथा समस्या के समाधान का कारण बनती है। भारत अब स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख देश है। भारत का इतिहास शिक्षित एंव बहादुर स्त्रियों से कभी खाली नहीं रहा है। वैदिक काल में कई विदुषी एवं वीरांगना स्त्रियों का उल्लेख कई ग्रंथों में हुआ है।

आधुनिक काल में पुनर्जागरण के समय स्त्री शिक्षा को नए सिरे से महत्व मिलने लगा। इस दिशा में सबसे पहला प्रयास ईसाई मिशनरियों द्वारा किया गया। इस भ्रांति को तोड़ते हुए कि स्त्री के शिक्षा ग्रहण परने पर देवता दंड देते हैं जो कि उस समय में व्याप्त था। 1819 ई0 में कलकत्ता तरूणी सभा की स्थापना की गई। 1819 ई0 में कलकत्ता एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष ने बेथुन स्कूल की स्थापना की। स्त्री शिक्षा के प्रयास में ईश्वर चन्द्र विद्यासागर की महान भूमिका रही। 1854 के वुड डिस्पैच में भी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल मिला।

आधुनिक भारत में स्त्री शिक्षा ने नए आयाम स्थापित किए हैं। महिला शिक्षा एक अच्छे समाज के निर्माण में मदद करती है और इससे राष्ट्र तरक्की करता है। जिस प्रकार शरीर को भोजन की आवश्यकता है उसी प्रकार मानसिक विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। अगर नारी ही शिक्षित नहीं होगी तो वह न ही कुशल गृहिणी बन सकेगी और न ही माँ। अगर एक माँ शिक्षित हो तो वह अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन करके उसका मानसिक विकास कर पाएगी एवं एक स्वस्थ्य समाज की नींव रख पाएगी। शिक्षित महिलाएं वो हथियार हैं, जो घर और पेशेवर क्षेत्रों में अपने योगदान के माध्यम से भारतीय समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं।

भारत की सभी ऐतिहासिक विदुषी एवं वीरांगना स्त्रियां हमारे आज की स्त्रियों के लिए प्रेरणा स्त्रोत हैं तथा हमारा पूरा समाज सदा उनका ऋणी रहेगा।

और अंत में चंद्र पंक्तियाँ:-

''नारी तेरे रूप और कालों में है तेरी शक्ति का
उल्लेख
न पुरूषों के जैसी तू है ना पुरूषों से तू कम"

निष्कर्षः- एक शिक्षित महिलाएं जादू की छड़ी की तरह है, जो समृद्धि, स्वास्थ्य और गर्व लाती है। हमें केवल उनकी क्षमता का उजागर करना है। वर्त्तमान दौर में यह बात सर्वमान्य है कि महिलाओं को भी शिक्षा का उतना की अधिकार है, जितना पुरूषों को क्योंकि यह सर्वदा सत्य है कि यदि माता शिक्षित न होगी तो देश की संतानों का कल्याण कदापि न होगा।

संदर्भ सूची

1. ऋग्वेद (सायण) सं. मैक्समूलर, लंदन चौखम्बा 1966, वराणासी वैदिक संशोधन मण्डल पूणा.
2. कल्याण नारी अंक, गीता प्रेस, गोरखपुर 1948
3. डॉ. चंदूदेव सिंह, प्राचीन भारतीय समाज एवं चिंतन विश्वविद्यालय प्रकाशन,वाराणासी 1987
4. चंदूबल्ली त्रिपाठी, भारतीय समाज में नारी आदर्शो का विकास प्रथम संस्करण 1936
5. ए. एस. अल्तेकर, दि पोजीशन ऑफ बुमैन इन हिन्दु सिविलाइजेशन, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली, द्वितीय संस्करण 1956.

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस तथा वामपंथ दलों की भूमिका : एक अध्ययन

अदिती लाल

अतिथि शिक्षिका, इतिहास विभाग, एम॰ आर॰ एम॰ कॉलेज, दरभंगा

1930 के दशक के उत्तरार्द्ध में वामपंथी राजनीति अपने चरम पर पहुँची। यह मजदूरों, किसानों और छात्रों के संघर्ष का प्रतीक बन गई। नेहरू तथा सुभाष चन्द्र बोस ने क्रमशः इस आंदोलन को आधार और प्रवाह प्रदान किया कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नेहरू के तेवर से वाम विचारधारा को अभिव्यक्ति मिली। जिसमें सुभाषचन्द्र बोस ने साप्ताहिक पत्रिका, ''नेशनल फ्रंट'' के लिये लिखकर और जान डाल दी। उधर सी.एच.जी. ने 1 जनवरी 1936 को मेरठ में अयोजित अपने दूसरे सम्मेलन में पार्टी में सम्मिलित होने के लिये कम्युनिष्टों को आमंत्रित किया। सी.पी.आई. ने इस मौके का फायदा उठाया और संयुक्त मोर्चा के गठन की नींव डाली। 1937 में साम्राज्यवाद विरोधी इस जनमोर्चा को यूनाइटेड नेशनल फ्रंट कहा गया। 1937 के द कम्युनिस्ट के 1 अंक में कम्युनिस्ट पॉलित ब्यूरो के वक्तव्य का समर्थन करते हुए कहा गया कि ऊपर से रौंदा हुआ और नीचे से धकियाआ दुआ भारतीय पूंजीपति का वाम दिशा में झुकाव हो रहा था और इसलिए यूनाइटेड नेशनल फ्रंट के वर्गीय बनावट को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिये। लेकिन कुछ कॉमरेडो के द्वारा इस तरह के विचार को संकीर्णतावादी प्रवृति कहकर ठुकरा दिया गया।[1] कांग्रेस के साथ सी.पी.आई. के संबंधों के बारे में सी.पी.आई. का अपना स्पष्ट मत था कि वह चुनावी वायदों को मुकम्मल रूप से पूरा करने के लिये मंत्रिमंडल पर दवाब डालना चाहती है तथा कांग्रेस समर्थक जनता की पुलिस विरोधी और नौकशाही विरोधी भावनाओं को उकसाकर वह भारतीय जनता के संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा के रूपमें विकसित करने की नीति पर काम कर रही है।[2]

1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सी.पी.आई. ने संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चे में मजदूरों और किसानों के पक्ष का पुरजोर समर्थन किया साथ जमींदार ग्रस्त पूजीवादी प्रवृतियों की घोर आलोचना की। इसी उद्देश्य से 1938 में सुभाषचन्द्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इस तरह के दक्षिणपंथी एवं वामपंथी दोनों ताकतों के समन्वय को सराहा गया। लेकिन अगले ही साल सुभाषचन्द्र बोस को दक्षिणपंथी उम्मीदवार पट्टाभिसीतारम्मैया से कड़ा विरोध झेलना पड़ा। बोस की इस बार की जीत पर गांधीजी ने टिप्पणी की, कि सीतारम्मैया की हार उकनी अपनी हार है। परिणामस्वरूप 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में दक्षिणपंथी और वामपंथी ताकतों का द्वन्द्व सामनेआया। कांग्रेस ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिये हमें संगठनात्मक स्तर पर हमें एकजुट रहना चाहिए। ब्रैडले ने चेतावनी दी की जहां कहीं लोकतंत्र है उसे ध्वस्त करने के लिये चेम्बर लेन हिटलर के साथ मिल चुका है। सुभाष को अपना नेता चुनकर भारत ने अपने लोकंत्र के दावे को खतरे में डाल दिया है।[3]

त्रिपुरा अधिवेशन में कम्युनिस्टों को काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा। दक्षिणपंथी की ओर से गोविंदवल्लभ पंत ने प्रस्ताव लाकर एक बार फिर गांधी के नीतिों के प्रति आस्था दिखाई और यह भ्ज्ञी कहा गया कि वर्किंग कमिटी के सदस्यों का चुनाव गांध ी जी के इच्छा के अनुसार हो। अन्ततः वर्किंग कमिटी के न रहने से अप्रैल के अंत में बोस ने इस्तीफा दे दिया और 3 मई को फॉरवर्ड ढलॉक का गठन कर दिय। नतीजतन अगस्त 1939 में उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया।

1940 से 1947 के दरम्यान सी.पी.आई. राष्ट्रीय आंदोन के संदर्भ में वैचारिक दुविधा में थी। वह युद्ध के दौरान एक गैर–कानूनी पार्टी थी। नवम्बर 1932 में सी.पी.आई. के पॉलित ब्यूरो ने प्रस्ताव पास किया कि युद्ध के दौरान उत्पन्न संकट का उपयोग स्वतंत्रता आंदोलन और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिये किया गया।[4] ब्यूरो ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि वह जनांदोलन के पक्ष में नहीं है और सौदेबाजी के रूपमें साम्राज्यवादियों से युद्ध का लाभ लेना चाहती है। सन् 1939 में वर्द्धा में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में साम्राज्यवादियों को युद्ध में सहयोग देने से इनकार कर दिया। इस पर कम्युनिष्ट की प्रतिक्रिया में कहा गया कि भारत सुरक्षा अधिनियम भारत की स्वतंत्रता के विरूद्ध एक युद्ध था।[5] उन्होंने गाँधी जी से भी युद्ध विरोधी कार्यक्रम का समर्थन करने की अपील की और यह स्पष्ट किया कि और उस समय 1930 की तुलना में सैकड़ों गुणा शक्तिशाली आंदोलन चलाया जा सकता था। लेकिन कांग्रेस के नेता इस अवसर का लाभ उठाने के पक्ष में नहीं थे।[6]

1940 के अपने मैनिफेस्टो में कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि यदि हम मौजूदा अवसर का लाभ नहीं उठा सके तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा।[7] सी.एस.पी. ने भी युद्ध विरोधी कार्यक्रम तैयार किया और इसके लिए उप समिति भी बनाई। परंतु युद्ध के छिड़ते हीउसने अपना रूख बदल लिया और कांग्रेस के निर्णय को स्वीकार कर लिया। सुभाषचन्द्र बोस ने यह मांग की, कि भारत को युद्ध में शामिल करने की ब्रिटिश शासकों की घोषणा को

चुनौती दी जाय और भारतीय साधनों के इस्तेमाल का विरोध किया जाय।

वामपंथियों में से सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जो चाहती थी कि साम्राज्यवादी युद्ध को राष्ट्रीय मुक्ति युद्ध में परिणत कर दिया जाये।[8] बम्बई में मार्च 1940 में 65 कपड़ा मीलों में 1,75,000 मजदूरों के द्वारा शुरू की गई हड़ताल इसी दिशा में उठाया गया कदम था। ब्रिटिश सरकार ने कम्युनिस्टों की इस मुहिम को कुचलने की हर संभव कोशिश की। 1940 में सरकार ने कहा कि उसने 480 जाने-माने कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर लिया है। जून 1940 में जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण के साथ ही सी.पी.आई. का रूख बदल गया। 15 दिसम्बर 1941 को सी.पी.आई. के पॉलित ब्यूरो ने बिना शर्त युद्ध के समर्थन की घोषणा कर दी।[9] इसकी प्रतिक्रिया में 23 जुलाई 1942 को ब्रिटिश सरकार ने उन पर से प्रतिबंध भी हटा दिया और उने नेता को रिहा भी कर दिया।

सितम्बर 1940 में प्रकाशित सी.पी.आई. के घोषणा पत्र में ब्रिटिश सरकार से गाँधी एवं अन्य कांग्रेसी नेताओं को रिहा करने तथा राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिये बातचीत की मांग की।[10] उसने अंग्रेजों पर आरोप लगाया कि भारत को उनलोगों ने एक भयानक और खतरनाक संकट में डाल दिया है।[11]

कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में कम्युनिस्टों का साथ न मिलने से दोनों के संबंध काफी बिगड़ गये। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने एक उप समिति गठित की जिसके सदस्य पंडित नेहरू, गोविन्द वल्लभपंत ओर सरदार पटेल थे। इन लोगो ने सिफारिश की सभी निर्वाचित पदों से कम्युनिस्ट को हटा दिया जाये। सन् 1942 के मध्य में सी.पी.आई. ने भारत को एक बहुजातीय इकाई कहा और प्रत्येक इकाई को आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया। इसी पार्टी ने बाद में खुले तौर पर पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया।[12] दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति ने भारत में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिया।

इस संकट से उबरने के लिए सरकार राजस्व की भरपाई के लिए मजदूरों और किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया। साथ ही छंटनी की नीति अपनाई जिससे बेकारी की समस्या उत्पन्न हुई। पूरे देश में जगह-जगह अकाल पड़े और लोग राशन एवं दवा के अभाव में मरनेल गे। सिर्फ बंगाल में मरने वालों की संख्या 35 लाख थी। इस दुर्वस्था को जमाखारो, जमींदारों ओर उच्च्य व्यापारियों ने और भी खराब किया। फलस्वरूप सी.पी.आई. के नेतृत्व में 1945 में कलकत्ता की ट्रॉम हड़ताल से लेकर कुल 850 हडतालें हुई जिनमें 8 लाख से अधिक मजदूरों ने हिस्सा लिया। सी.पी.आई. ने सुभाष चन्द्र बोस के प्रति ब्रिटिश सरकार के रवैये की निंदा की ओर आजाद हिंद फौज के बंदियों की रिहाई की मांग की।

इस बीच 1946 में नौसैनिक विद्रोह हुआ। अपने साथ होने वाली बदसलूकी के खिलाफ नाविकों ने 18 फरवरी 1946 को हड़ताल शुरू कर दी। 20 फरवरी 1946 तक यह बम्बई के सभ्झी बंदरगाहों व शहरों में फैल गई। इसमें ट्रेडयूनियनों ने भी अपना सहयोग दिया और 22 फरवरी को एक हड़ताल हुई जिसमें 2 लाख से ज्यादा मजदूरों ने हिस्सा लिया।[13]

नाविकों के इस विद्रोह के पीछे भी सी.पी.आई. का हाथ था। सी.पी.आई. द्वारा जारी साहित्यिक रचनाओं के प्रभाव से नाविकों में खलबली मच गई। कम्युनिस्टों के बढ़ते प्रभाव से डरकर अरूणा आसफ अली ने नेहरू जी को तार दिया कि जल्दी बम्बई आओ वर्ना स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जायेगी और अवांछनीय व्यक्तियों के हाथ में चली जायेगी।[14]

दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद लेबर पार्टी इंग्लैंड में सत्तासीन हुई और इसने घोषणा की कि वे जल्द ही भारत को संपूर्ण स्वायत्त प्रदान करेगी। 1945-46 की सर्दी में केन्द्रीय एवं प्रातीय विधानसभा के चुनाव हुए। जिनमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग को बहुमत प्राप्त हुआ। 1946 में सी.पी.आई. ने अपना चुनावी घोषणा-पत्र जारी किया।53 घोषणा-पत्र के मुताबिक भारत को भाषा के आधार पर 17 प्रमुख राज्यों में बाँटने और उनके परिसंघ बनाने पर बल दिया गया।[15]

कांग्रेस और मुस्लिम लीग को स्पष्ट बहुमत मिलने के बावजूद केथ्बनेट मिशन ने सत्ता को दो पृथक राज्यों में बांटने से इंकार कर दिया। सी.पी.आई. ने कैबिनेट मिशन के सामने अपना प्रस्ताव रखा और इस बात को लेकर उसकी आलोचना भी की, कि मिशन के प्रस्ताव में यह स्पष्ट नहीं था कि भारत को स्वतंत्रता कब मिलेगी। सी.पी. जोशी ने मिशन की इस योजना को भाईयों के मध्य कत्लेआम करवाने वाला बताया।[16] कम्युनिस्टों ने तो इस योजना को अस्वीकार कर दिया लेकिन सेना एवं पुलिस की तकरार एवं जनांदोलन को देखते हुए मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इसे मान लिया। कैबिनेट मिशन की असफलता के बाद माउण्ट बेटन योजना के तहत् 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्य बन गये।

भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने ब्रिटिश सरकार की ओर से जर्मनी के विरूद्ध युद्ध में भारतीयों से मदद करने की अपील की।17 साथ ही वायसराय ने कहा कि हमें उन सिद्धांतों की रक्ष्ज्ञा करनी है जिन पर मानव जाति काभविष्य निर्भर है।[18] द्वितीय विश्वयुद्ध में भारत को सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। ब्रिटिश शासकों ने किसी भी प्रकार का परामर्श भारतीय नेताओं से नहीं लिया। अतः कांग्रेस ने वायसराय के इस व्यवहार को बुरा माना एवं इंग्लैंड को सहातया न देने का निश्चय किया।[19] कांग्रेस द्वारा भारत को युद्ध में झोके जाने से कड़ा विरोध किया।

18 अक्टूबर, 1939 ई॰ को लॉर्ड लिनलिथगो ने ब्रिटिश नीति को स्पष्ट करते हएु कहा कि ब्रिटेन अधिक से अधिक इस बात के लिये तैयार है कि युद्ध की समापित के बाद विभिन्न संप्रदायों, राजनीतिक दलों, देशी नरेशों आदि के प्रतिनिधियों से इस उ द्देश्य से विचार विमर्श करेगा कि सन् 1935 ई॰ के अधिनियम में किस तरह के संशोधन किये जाये जिससे सबको संतुष्टि हो।[20]

गाँधी जी ने वायसराय के 18 अक्टूबर 1939 ई॰ वाले वक्तव्य को पूर्णत: निराशाजनक बताया। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस ब्रिटेन को किसी भी रूप में समर्थन देने के लिये तैयार नहीं हैं, क्योंकि ऐसा करने का अर्थ यही समझा जायेगा कि कांग्रेस उस साम्राज्यवादी नीति का समर्थन करने जा रही है। जिसको समाप्त करने के लिये कांग्रेस सदा से प्रयासरत रही थी।[21]

ब्रिटिश सरकार कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग को समझाने का प्रयास किया परंतु कांग्रेस मानने को तैयार नहीं थ। ब्रिटिश सरकार भली-भांति जानता था कि युद्ध में भारत का सहयोग लेने के लिए कांग्रेस से समझौता किये बिना संभव नहीं होगा। भारत में तीव्र रोष उत्पन्न हो गया था। फलत: महायुद्ध की स्थिति को देखते हुए वायसराय ने 8 अगस्त 1940 ई॰ को शासन की ओर से एक घोषणा प्रसारित की जो बाद में अगस्त प्रस्ताव के नाम से पुकारी जाने लगी।

इस प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि 'भारत' के लिए संविधान का निर्माण मुख्य रूप से भारतीयों को ही जिम्मेदारी होगी। सरकार की दृष्टि में अगस्त की घोषणा अधि कतम भी किंतु कांग्रेस की न्यूनतम माँग से भी न्यून थी जिसे कांग्रेस स्वीकार करने को तैयार न हो सकी।

सन्दर्भ :

1. नवजीवन (गुजराती) 31 अक्टूबर, 1920, संपूर्ण गाँधी वाड.मय, भाग-19, पृ॰ 265.
2. ए.आई.सी.सी. रिजोल्यूशन, 31 मार्च, 1 अप्रैल 1921, बेजवाड़ा, ए.एम. ए जैदी (सं॰) आई.एन.सी. द ग्लोरियस ट्रेडिशन, वाल्यूम-2, नई दिल्ली, 1987, पृ॰ 27.
3. ए.आई.सी.सी. रिजोल्यूशन, 28-30, जुलाई, 1921 बम्बई, ए.एम. जैदी, डॉ. एस.जी. जैदी इनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, नई दिल्ली, 1980, वाल्यूम-8, पृ॰ 380.
4. शंकर घोष, कांग्रेस प्रेसिडेंसियल स्पीचेज, ए सेलेक्शन, कलकत्ता, 1972, पृ॰ 253.
5. डॉ. वी. पट्टाभिसीतारमैया, हिस्ट्री ऑफ द कांग्रेस, हिन्दी (संपा॰) श्री हरिभाव उपाध्याय, खण्ड-1, नई दिल्ली, 1948, पृ॰ 367.
6. करांची कांग्रेस रिजोल्यूशन, 1931, ए.एम.. जैदी, डॉ. एस.जे. जैदी, वाल्यूम-10, पृ॰ 146.
7. ए.आई.सी.सी. फाईल नं.-199/1931, एन.एम.एम.एल., संपूर्ण गांधी वाड.मय, भाग-45, पृ॰ 392-93.
8. सी.डब्लू.सी. रिजोल्यूशन, 27-28 फरवरी, 1 मार्च, 1937, वर्द्धा, ए.एम. जैदी, डॉ. एस.सी. जैदी, पूर्व उद्धत, वाल्यूम-11, पृ॰ 246.
9. वही, पृ॰ 168
10. सी.डब्लू.सी. रिजोल्यूशन, 15-22 मार्च 1937, दिल्ली, ए.एम. जैदी, डॉ. एस.जी. जैदी (मु.सं.), वाल्यूम-11, पृ॰ 290-91.
11. महात्मा गांधी, हिन्द स्वराय, अनु.अ मृतलाल ठाकोरदास नानावती, अहमदाबाद 2006, पृ॰ 72.
12. नवजीवन, 30 दिसम्बर, 1920 तथा महात्मा गांधी, शिक्षा की समस्या, अनु. रामनारायण चौधरी, अहमदाबाद, 1958, पृ॰ 22.
13. हरिजन सेवक, 6 नवंबर, महात्मा गांधी, शिक्ष की समस्या, पृ॰ 362-64.
14. डॉ. वी. पट्टाभिसीतारमैया, खण्ड-3, पृ॰ 259.
15. एनुअल रिपोर्ट ऑफ इण्डियन नेशनल कांग्रेस, 1938-39, ए,एमक. जैदी, डॉ. एस.जी. जैदी, डॉ. एस.जी. जैदी, वाल्यूम-1, पृ॰ 592.
16. वही, पृ॰ 260.
17. जवाहरलाल नेहरू, द डिस्कवरी ऑफ इण्डिया (सं.), रामचंद्रन टंडन, नई दिल्ली, 2008, पृ॰ 435-36.
18. रजनी पामदत्त, पृ॰ 487, टिप्पणी नं॰-4.
19. नेहरू का खत जिन्ना को, जनवरी 1937 स्रोत.
20. जवाहरलाल नेहरू द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य, एन.एम.एम.एल., जनवरी, 1938, इलाहाबाद, खण्ड-9, पृ॰ 372-73.
21. रजनी पामदत्त, आज का भारत (अनु॰ आनंद स्वरूप वर्मा), (दिल्ली, बाम्बे, मद्रांस, पटना मैकमिलन इंडिया लि॰, 1985), पृ॰ 124.

आयुर्वेद चिकित्सा के विकास में बौद्ध धर्म की भूमिका

मुकेश कुमार

सहायक प्रोफेसर, इतिहास विभाग/मुरारका कॉलेज, ति० माँ० भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध एक उपदेशक के साथ-साथ एक भैषज्य व चिकित्सक भी थे और वे आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। वे भ्रमणशील प्रवृति के होने के कारण भी बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसलिए महात्मा बुद्ध को ''भैषज्य" के रूप में भी याद किया जाता है। तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार भगवान बुद्ध एक बहुत बड़े चिकित्सक थे। चीनी यात्री ईत्सिंग लिखते हैं कि बुद्ध ने चिकित्साशास्त्र का ज्ञान देने के लिए एक चिकित्सा ग्रंथ की भी रचना किए थे[1], जो विनयपिटक महाबग्ग के रूप में उद्धरित है। बौद्ध ग्रंथ ''विनयपिटक" में रोगों के कारण, रोगों से मुक्ति के साधन भी बतलाएँ हैं। विनयपिटक के प्रमुख अंग 'महाबग्ग' और 'चल्लबग्गा' का विषयवस्तु विकित्सा को समर्पित है।[2] विनियपिटक में जिस चिकित्सा विधि का उल्लेख है, वह आयुर्वेद के अन्तर्गत ''युक्ति व्यापाश्रय" चिकित्सा पद्धति है।[3] चूँकि विनयपिटक में बौद्ध धर्म के आचार-विचार, संयमित दैनिक जीवन के विषय में उल्लेख मिलता है। यानि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म से सम्बन्धित जो आचार-विचार व सिद्धांत दिए। वह मनुष्य को सभी रोगों व दु:खों से मुक्त कर सकता है। उन्होंने सर्वप्रथम रोगों के कारण तथा रोगों से मुक्ति का साधन भी बतलाएँ हैं। उनका मानना था कि रोगों का कारण संसारिक सुख व भोगविलासता है, रोग का कारण तृष्णा है तथा हिंसावादी जीवन शैली है। इन सभी पर विजय प्राप्त कर हीं दु:खों व रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उनका मानना था कि बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों को क्लेश और तृष्णा से बचकर रोगों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य सभी आवेशों तथा भ्रमों को त्याग कर परम शक्ति या आत्म शक्ति प्राप्त कर सकता है। जिससे दु:ख या रोग का अनुभव नहीं होगा। यही बौद्ध सिद्धांत, आयुर्वेद सिद्धांत का भी आधार है।

महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध सिद्धांत चार आर्यसत्य और कुछ नहीं चिकित्सा से सम्बन्धित था। इस चार आर्य सत्यों में रोगों का कारण और निदान छिपा हुआ है।[4] उनका मानना था कि दु:ख है तो रोग है और जब दु:ख है तो उनका कारण भी है, यानि रोग का कारण है (दु:ख समुदाय) और दु:ख के कारण का पता लगाना ही निदान है। यानि दु:ख निरोध ही निदान है। नरेन्द्र भटट्ाचार्य का मत है कि दु:ख की परिसमाप्ति के लिए बुद्ध प्राय: चिकित्सक की भांति कार्य किए।[5] कर्ण महोदय ने भी लिखा है कि ये चार आर्य सत्य का संबंध मनुष्य जाति के आध्यात्मिक दु:ख निवारण से है। यह जन्म, जरा, (वृद्धा), मरण, रोग, व्याधि आदि संसारिक दु:खों से मुक्त कराता है। मिलिन्दपन्हों, जो यूनानी शासक मिलिंद, तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच का वार्तालाप है, पहली सदी के आसपास रचना हुई थी। यह ग्रंथ काय चिकित्सकों और शल्य चिकित्सकों की भांति महात्मा बुद्ध को चिकित्सक बतलाया है, जो दोनों प्रकार के चिकित्सकों का कार्य जीवों को दु:खों से मुक्ति दिलाना है। मिलिन्दपन्हों से यह साबित होता है कि महात्मा बुद्ध का उपदेश दु:ख निवारण में औषधि की भांति है। हालांकि नागसेन ने मिलिन्दपन्हो में रोगों का वास्तविक कारण कर्म के सिद्धांत को नहीं माना है, बल्कि रोगों का कारण दु:ख को माना है।[6] मिलिन्दपन्हो में कामरण एवं अकालमरण के आठ कारणों का उल्लेख किए है।[7] ये कारण (1) वायु का बिगड़ जाना (2) पित्त बढ़ जाना (3) कफ बढ़ जाना (4) वप्त का बढ़ जाना (5) ऋतुओं का बदलना (6) अनपच (7) बाध्य प्रकृति। वात-पित कफ का बढ़ जाना ही रोग का प्रमुख कारण अन्य आयुवैदिक ग्रंथों में मिलता है। यूनानी चिक्त्सा विधि में रोगों का कारण भी उसी त्रिदोष या वात-पित, कफ का बढ़ जाना बतलाया है।

योग साधना

निदान के लिए योग साधना (विपश्यना) का भी प्रयोग करने की सलाह देते थे। खासकर मानसिक रोगों का कारण चित्त की चंचलता, विद्वेष, अनुराग आदि के दमन के लिए योग करने की सलाह देते थे।

प्रणायाम-

प्राणायाम, योग का महत्त्वपूर्ण भाग है, प्रणायाम का अर्थ है श्वास-प्रश्वास क्रिया। महात्मा बुद्ध भिक्षुओं के लिए 9 प्रकार के अनुलोम-विलोम (श्वास-प्रश्वास) का उल्लेख किए हैं,[8] जो काय चिकित्सा का महत्त्वपूर्ण हिस्सा था।

नस्य कर्म

महात्मा बुद्ध स्वेद कर्म व नस्य कर्म द्वारा रोगों का ईलाज करने की विधि से अवगत थे, वह अपने भिक्षुओं को स्वेद कर्म के द्वारा पसीना निकालनें और सरदर्द को खत्म करने की अनुमति देते थे।[9] बौद्ध ग्रंथो में भंगोदक काढ़ा औषधि का उल्लेख मिलता है। इस काढ़ा के प्रयोग से शरीर से पसीना निकलना शुरू होता था, जिससे सिर दर्द से राहत मिलता था।

सिरदर्द को खत्म करने के लिए नस्य कर्म करने की अनुमति देते थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार शंख से बने एक यंत्र के द्वारा नाक में जड़ी-बूटी के अर्क या तेल डालकर सरदर्द को दूर किया जाता था।[10] सरदर्द को खत्म करने के लिए सगुंधित तेल का मालिश या बाम लेप लगाते थे। जातक में उल्लेख मिलता है कि जड़ी-बूटी को पत्थर पर रगड़कर या पीसकर सिर पर लेप करने से सरदर्द दूर हो जाता था।[11] इसके अलावे तेज सिर दर्द होने पर शीतल जल का पट्टी लगाने का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। आज भी डॉक्टर घरेलू नुस्के के तौर पर सिरदर्द से राहत के लिए शीतल जल की पट्टी बदलते रहने की सलाह देते हैं।

आँखों के ईलाज या आँख की सुरक्षा के लिए बुद्ध ने एक चिकित्सक की भांति उपाय सुझाएँ थे। उन्होंने भिक्षुओं को अंजन या काजल लगाने की अनुमति दिए थे।[12] बौद्ध साहित्यों में कई प्रकार के अंजन काला अंजन, रस अंजन, गेरू अंजन आदि का उल्लेख मिलता है।[13] अंजन जड़ी-बूटियों चंदन, तगर, भद्रमुक्ताकी को कपड़े में जलाकर तथा तेल डालकर बनाया जाता था। अंजन रखने के लिए जानवरों के सिंग या शंख से निर्मित अंजन दानियों का प्रयोग करने का उल्लेख मिलता है।[14]

महात्मा बुद्ध ने अतिसार से बचने के लिए या दुषित पानी के प्रभावों से बचने के लिए कपड़े से जल को छानकर पानी पीने की सलाह देते थे तथा जल को गर्म कर, फिर ठंडा कर जल को पीने की सलाह देते थे।[15] अतिसार के स्थिति में क्षुधा को शांत करने तथा प्यास को दूर करने के लिए खिचड़ी (यवागु) खाने की सलाह देते थे। खिचड़ी के मांड (कांजी) के महात्मा बुद्ध ने दस गुणों का चर्चा किए हैं। खिचड़ी में सुपाच्य के लिए तिल, तदुल और मूंग की दालों को मिलाने की अनुमति दे दी। जो पोषकता की भी पूर्ति करता है। पेट की कृमि को मारने के लिए लहसून के प्रयोग करने की सलाह देते हैं। बौद्ध ग्रंथों में 'पाण्डु' रोग के ईलाज के विषय में भी उल्लेख मिलता है। 'महाबग्ग' में पाण्डु रोग के ईलाज के लिए गोमूत्र के प्रयोग करने का उल्लेख मिलता है।[17] आज भी औषधि के रूप में कई बीमारियों को खत्म करने के लिए गोमूत्र का प्रयोग करते है।

महात्मा बुद्ध शरीर में विषों का प्रभाव कम करने के लिए वमन प्रक्रिया का प्रयोग करते थे उसे मूत्र, पैखाना, गोबर आदि का घोल पिलाकर वमन कराया जाता था।[18] जातक में उल्लेख मिलता है कि मधु-शक्कर, घी आदि के द्वारा भी विष के प्रभाव को कम किया जाता था।[19] महात्मा बुद्ध द्वारा साँपों का जहर मानव शरीर पर कम करने का भी उपाय सुझाया गया है।

बौद्ध ग्रंथों में चर्मरोग के ईलाज के विषय में भी उल्लेख मिलता है। महात्मा बुद्ध चर्मरोग से बचने के साफ-सफाई और नित्य स्नान की बात करते थे। 'महाबग्ग' में नीम के पत्ते वाले पानी से स्नान करने का उल्लेख मिलता है। 'जातक' में भी छुआछूत व संक्रामण रोगों से बचने व रोकथाम का उपाय बताये हैं।[20] 'जातक' में उल्लेख मिलता है कि हजामत बनाने वाले के औजार तथा शल्य चिकित्सा के औजार को जर्मरहित कर लेना चाहिए, ताकि यह छूआछूत बीमारी का फैलाव नहीं हो। जातक में लिखा है कि हजामत बनाने और बाल छोटे रखने से आयु में वृद्धि होती है, वही किसी चर्म रोगी या छूआछूत रोगों से पीड़ित व्यक्ति का हजामत बनाने के बाद उसी उस्तूरा, कैंची से दूसरे का हजामत बनाने से आयु का नाश होता है, उसे छूआछूत रोग पकड़ लेता है।

शल्य क्रिया- महात्मा बुद्ध फोड़े से निजाद के लिए शल्यकर्म करने का भी अनुमति भिक्षुओं को प्रदान करते हैं। 'महाबग्ग' में शल्यकर्म द्वारा फोड़े का निजाद पाने का उल्लेख मिलता है। उस समय एक भिक्षु को फोड़े का रोग हो गया था, तो उसे ठीक करने के लिए बुद्ध ने चीड़-फाड़ व शल्य क्रिया द्वारा ईलाज की अनुमति दिये थे। हालांकि भिक्षुओं को गुध्य स्थान के चारों ओर दो अंगुल तक शल्यकर्म नहीं कराने का भी निषेध किया था।[21] मगधनरेश और बुद्ध के समकालीन बिम्बिसार को एक गुहामार्ग के पास फोड़ा हो गया था। उनके दरबारी चिकित्सक कुमारभृत्य जीवक ने राजा बिम्बसार को शल्यक्रिया द्वारा राहत दिलाया था, फिर उस घाव पर मलहम-पट्टी भी किया था।[22]

हालांकि बौद्ध धर्म की अंहिसात्मक नीति के कारण शल्यक्रिया का विशेष प्रगति नहीं हुआ और शल्यक्रियाओं की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हालांकि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के सभी विधाओ का विकास हुआ। चरक संहिता के समान बौद्ध ग्रंथ दीर्घनिकाय में अष्टांग आयुर्वेद वाजीकरण(वस्स कम्प), शालाक्य तंत्र (सलाकिय), शल्य तंत्र(सहल), बाल चिकित्सा (दारक तिकिच्छा), भूत विद्या(भूत विज्जा) का उल्लेख मिलता है।[23]

आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत वनिस्पति का विशेष महत्त्व है। ग्रंथ त्रिपिटक में भी 435 वनस्पतियों के नाम का उल्लेख औषधी के रूप में मिलता है।[24] बौद्ध भिक्षुओं के चिकित्सक जीवक के अनुसार कोई भी ऐसा पौधा नहीं है, जिसका प्रयोग किसी न किसी रोगों के औषधि के रूप में होता है। जब जीवक को ज्ञान प्राप्ति के बाद परीक्षास्वरूप कहा गया था कि कोई ऐसा पेड़-पौधों को खोज लाओ, जो चिकित्सा में काम नहीं आता हो, जीवक कुछ योजन तक घूमकर आये और अपने गुरू से बतलाएँ कोई ऐसा पेड़-पौधा नहीं मिला, जिसका उपयोग औषधी के रूप में होता है। महात्मा बुद्ध और बौद्ध भिक्षुओं के भ्रमणशील होने के कारण जड़ी-बूटियों के विषय में अच्छा ज्ञान था। पेड़-पौधों के विभिन्न अवयव मूल, कषाय, पत्ते, फल का प्रयोग औषधि के रूप में करते थे। फल के रूप में आमला, हर्रे बहेरा के प्रयोग औषधि के रूप में करने का उल्लेख 'महाबग्ग' में मिलता है।

औषधी के रूप में रस विधा का खूब विकास बौद्ध धर्मों के माध्यम से हुआ था। नागजिन एक बहुत बड़े बौद्ध चिकित्सक थे, इन्होंने कई प्रकार के धातु द्रव और इस विधा का विकास किया था। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में इस विधा व धातु जुड़ने से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति काफी समृद्ध हुआ। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में मरकरी, सल्फर, लोहा आदि के धातु द्रव का आविष्कार

बौद्ध भिक्षु नागार्जुन ने किया था। आज भी रस विधा व धातु द्रव का प्रयोग कई असाध्य बीमारियों को समाप्त करने में किया जाता था।

बौद्ध धर्म में अंहिसा धर्म का पालन करना होता था, फिर भी औषधि के रूप में मांस, चर्बी के प्रयोग की अनुमति देता था।[25] जीवकचरित के प्रसंग में उल्लेख मिलता है कि एक बार महात्मा बुद्ध का शरीर दोषपूर्ण हो गया था, ऐसे स्थिति में महात्मा बुद्ध को तीन खुराक जुलाब (विरेचन) दिया, तब जाकर बुद्ध का शरीर स्वस्थ हुआ।

लेकिन हाथी, घोड़े, कुत्ते, सांप, सिंह, शेर, चीते, भालू, लकड़बग्घे का मांस खाने को निषेध कर दिया। साथ ही भिक्षुओं को हिदायत भी दिया था कि भिक्षुओं को जानबूझकर मांस नहीं खाना चाहिए।[26] अतः बुद्ध ने युक्ति व्यपाश्रय भेषज (अहार और औषधि प्रयोग आधारित चिकित्सा पद्धति) की अनुमति दिया था।

प्रमुख चिकित्सक-

बौद्ध धर्म में सबसे बड़े चिकित्सक भगवान बुद्ध को ही स्वीकार्य करता है तथा बौद्ध धर्म के सभी भिक्षु एवं भिक्षुणी चिकित्सक होते थे, यानि स्वयं वे एक चिकित्सक भी होते थे। उनलोगों के भ्रमणशील होने के कारण औषधी के विषय में अच्छा ज्ञान था। उसे पता होता था कि किस बीमारी के समय कौन सी जड़ी-बूटी का प्रयोग करना है। यह ज्ञान पशुओं से भी सीखा होगा। जिस प्रकार पशु अपने बीमार होने पर स्वयं पत्ता, घास को खाकर ठीक होते है। उसी प्रकार भिक्षुओं को अकेले रहना होता था, इसलिए स्वयं औषधी का ज्ञानी होता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार जीवक एक बहुत बड़े चिकित्सक थे।

महाबग्ग के चीवर स्कंधक में जीवक के चिकित्सा सम्बन्धी कार्यो का उल्लेख मिलता है। उन्होंने तक्षशिला में 7 वर्षो तक एक दिग्गज व प्रसिद्ध वैद्य दिशामुख के संरक्षण में आयुर्वेद का अध्ययन किया था। उनकी यह मजबूरी भी रही होगी कि अभिजात कुल में जन्म् नहीं होने के कारण आयुर्वेद को जीविका के रूप में अपनाया हो, बौद्ध धर्म में सभी वर्गो का स्वागत व सम्मान था, इसलिए आयुर्वेद चिकित्सा को जीविका के रूप में अपनाते हुए बौद्ध धर्म को स्वीकार किया हो। खैर जो भी हो, जीवक की ख्याति दूर-दूर तक फैली थी। उसको राजाओं के यहाँ से बुलावा आता था। वे बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का भी ईलाज किया था और तत्कालिन बौद्ध धर्म के संरक्षक राजा बिम्बिसार, राजा प्रद्योत आदि का भी ईलाज किये थे। राजा बिम्बसार ने दरबारी चिकित्सक नियुक्त करते हुए सभी भिक्षुओं को चिकित्सीय जवाबदेही दे रखी थी।

नागार्जुन भी एक बहुत बडे बौद्ध चिकित्सक थे। उन्होंने कई प्रकार के धातु द्रव और रस विधा का आविष्कार किया था, जो कई असहाय बीमारियों का ईलाज करने में प्रयोग होता था। आज भी कई प्रकार के धातु द्रव (टॉनिक) का प्रयोग रोगों के नाश करने में करते हैं। नागार्जुन ने आँखों के ईलाज के लिए कज्जली व अंजन का आविष्कार किया था।[27] उन्होंने रस रत्नाकर ग्रंथ में उल्लेख किया है कि सोना, पारा, गन्धक तथा सुहागे को मिलाकर बनाये गये रसद्रव के प्रयोग से रोगों का नाश होता था। वह धातुद्रव के सेवन से स्वस्थकर, निरोग और दीर्घायु जीवन मिलता हैं। तांत्रिक रसविधा के दो प्रमुख ग्रंथ कंजूर तथा तंजूर में आयुर्वेद विधा व रसविधा के विषय में विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है।[28]

चौथी सदी की रचना व आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ 'नावनीतक' तुर्किस्तान के एक बौद्ध स्तुप से मिला है। इसका अर्थ है कि नावनीतक का संकलन बौद्ध मठों में हुआ था या बौद्ध मठो के लिए संकलित किया गया होगा और उसमें वर्णित चिकित्सीय लाभ बौद्ध भिक्षु उठाते होगे। 'नावनीतक' में आँखों की रोशनी बढ़ाने तथा बीमारियों से सुरक्षा के लिए काजल व अंजन लगाने व बनाने के विषय में उल्लेख मिलता है।[29] 'नावनीतक' में सफेद बाल को काला करने के लिए 'खिजाब' बनाने की विधि के विषय में जो वर्णन मिलता है,[30] वही विधि का उल्लेख नागार्जुन तथा अन्य आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी मिलता है।

मगध का क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख केन्द्र था। उस कारण मगध उस समय आयुर्वेदिक चिकित्सा का प्रमुख केन्द्र था तथा प्राचीन विश्वविधालय तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी आदि भी बौद्ध धर्म के शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था, जहाँ आयुर्वेद विधा का भी अध्ययन-अध्ययापन किया जाता था। नांलदा बौद्ध बिहार के पास से एक भट्टी घर का अवशेष मिला है, जहाँ रसशास्त्र सम्बन्धी औषधि तैयार होता था।[31] यानि तत्कालिन बौद्ध बिहारों में भी चिकित्सीय उपचार का प्रमुख केन्द्र होता था। बौद्ध भिक्षुओं के वर्षाकाल में निवास के दौरान चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता ने बौद्ध भिक्षुओं को बौद्ध विहार में चिकित्सीय उपचार की व्यवस्था करनी पड़ी थी। महाबग्ग में उल्लेख मिलता है कि संघ में रहने वाले भिक्षुओं का ईलाज भिक्षु स्वयं करते थे और सभी एक-दूसरे की मदद करते थे, क्योंकि बौद्ध विहार में रहने वाले कोई भी एक परिवार के नहीं होते थे।

कोई-कोई बौद्ध विहारों में या अस्पतालों में रोगी की सेवा के लिए दाय व घात्री की व्यवस्था होती थी। बौद्ध साहित्य में चार प्रकार की घात्री का उल्लेख मिलता है।[32] जिसमें एक का कार्य दुग्धपान, दुसरे का स्नान, तीसरे का परिचर्या और चौथे का कार्य गोद में खिलाना था। महात्मा बुद्ध ने रोगियों की सेवा व उपचार करने के लिए एक सक्षम व कुशल परिचर्या के पाँच गुणों का उल्लेख किए है।[33] उन्होंने परिचर्या के गुणों के विषय में बताएँ है कि एक परिचर्या को विदुषी बौद्ध भिक्षुणी होनी चाहिए, जिससे वह धार्मिक प्रवचनों से रोगी के चित को शांत और प्रसन्न करती रहे तथा परिचर्या को रोगी की सेवा बिना किसी लाभ या बिना किसी स्वार्थ के करनी चाहिए। परिचर्या को रोगी के साथ प्रेमभाव रखना चाहिए। परिचर्या को रोगी के थूक, बलगम, पेशाब-पैखाना,

दस्त उल्टी साफ करने में जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। परिचर्या व नर्सों के द्वारा रोगियों की अच्छी सेवा और कुशल व्यवहार उस चिकित्सलयों की विशेषता होती थी।

कुल मिलाकर महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्मो के कारण आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का भरपूर विकास हुआ। ब्रह्मामण धर्म के विपरीत बौद्ध ग्रंथों में चिकित्सीय कार्य को 36 व्यवसायों में चिकित्सा को प्रमुख व्यवसाय बतलाया है। महात्मा बुद्ध से प्रभावित होकर सम्राट अशोक मौर्य ने सभी जीवों को रोग से मुक्ति व ईलाज के लिए सड़कों के किनारे या महत्वपूर्ण स्थलों पर अस्पताल का निमार्ण करवाये थे। चीनी यात्री राजाओं के चिकित्सीय उपचार के प्रयासों की सराहना किये हैं। फाह्यान ने लिखा है कि राजाओं के द्वारा बड़े-बड़े अस्पतालों का निर्माण करवाया गया था। ह्वेनसांग ने शिलादित्य (हर्षवर्घन) के प्रयासों की प्रंशसा करते हुए लिखा है कि शिलदित्य ने बड़े-बड़े अस्पतालों का निर्माण करवा रखा था, जहाँ रोगियों को नि:शुल्क चिकित्सा दी जाती थी। सम्राट अशोक और हर्ष से प्रभावित होकर सिहली (श्रीलंका) राजा महामान्य ने 12वीं शताब्दी में एक बड़े अस्पताल का निर्माण करवाया था।

बौद्ध धर्मो के कारण भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली का भरपूर विकास भारत में हुआ हीं, साथ हीं भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली का प्रचार-प्रसार बौद्ध प्रचारकों के द्वारा विदेशों में भी हुआ। बौद्ध चीनी यात्री फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग ने आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र नांलदा विश्वविधालय से सीखकर और बहुत से आयुर्वेदिक सामग्री व ग्रंथों को लेकर चीन गये और वहाँ के चिकित्सीय ज्ञान में वृद्धि किए थे। बौद्ध भिक्षुओं के प्रयास से हीं दक्षिण-पूर्व एशिया तथा मध्य एशिया में आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली का विस्तार हुआ और वे अपने चिकित्सीय ज्ञान में वृद्धि किए। मिलिन्दपन्हों ग्रंथ से भी पता चलता है कि भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली से ग्रीक प्रभावित थे।

इस प्रकार बौद्ध प्रचारकों के महत्त्वपूर्ण प्रयास से भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली अपनी सीमा को लांघकर विश्व को प्रभावित किया।

संदर्भ सूचि-

(1) तककुस, इसे चीनी यात्री इत्सिग ने आयुर्वेद का ग्रंथ बतलाया है, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, प्राचीन भारत में विज्ञान और समाज, (हिन्दी अनु०) नरेन्द्र व्यास, ग्रंथ शिल्पी, नई दिल्ली, 2009, पृ. 15

(2) प्रतिभा कुमारी, भैषज्य गुरू महात्मा बुद्ध, संपादित, राजीव रंजन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी इन ऐंसिएंट इंडिया, इम्पिरियल पब्लिकेशन पटना, पृ. 267

(3) देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, पूर्वोक्त, पृ. 366

(4) रणवीर चक्रवर्ती, भारतीय इतिहास आदिकाल, ओरियंट ब्लौकस्वॉन नोएडा, 2017, पृ.153

(5) जे.एच.सी कर्न, मेनुअल ऑफ इंडियन बुद्धिज्म, स्ट्राजवर्श, पृ. 46

(6) देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, पूर्वोक्त, पृ. 373

(7) पूर्वोक्त पृ.383

(8) उपिन्दर सिंह, प्राचीन एंव पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, पियर्सन पब्लिकेशन, दिल्ली, 2018, पृ. 84

(9) देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय, पूर्वोक्त, पृ. 365

(10) डॉ अर्चना कुमारी, बुद्धकालीन चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा संपादित-राजीव रंजन, पूर्वोक्त, पृ. 272

(11) जातक, अनुङ्क मदन्त आनन्द कौसल्यायन, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, विक्रम संवत, 2014, भाग-6, पृ. 371

(12) महाबग्ग (जीवक वत्थु), भिक्षु जगदीश कश्यप, राजकीय बिहार पाली प्रकाशन मंडल, 1956, पृ-221

(13) देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय, पूर्वोक्त, पृ. 364

(14) महाबग्गा, पूर्वोक्त, पृ. 222

(15) जैकोती कृत प्राचीन पुस्तकमाला की भूमिका, पृ. 30-32

(16) महाबग्ग 24-5

(17) महाबग्ग, भिक्षु जगदीश कश्यप, पूर्वोक्त, पृ. 295

(18) पूर्वोक्त, पृ. 224

(19) जातक, महन्त आंनद कौसल्यायन, पृ. 539

(20) पंडित मोहन लाल महतो ,'वियोगी', जातक-कालीन भारतीय संस्कृति, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना-1968, पृ 113

(21) देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, पूर्वोक्त, पृ. 368

(22) पूर्वोक्त, पृ.359

(23) डॉ विद्यासागर शुल्क एंव रविदत्त त्रिपाठी, आयुर्वेद का इतिहास एंव परिचय, चौखम्बा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2017, पृ 313

(24) पूर्वोक्त, पृ. 313

(25) महाबग्ग, पूर्वोक्त, 219

(26) देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, पूर्वोक्त, पृ. 369

(27) एस.एन. सेन, विज्ञान का इतिहास, भाग-2 (हिन्दी अनु.) भूपेन्द्रनाथ सन्याल, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, पृ. 111

(28) पूर्वोक्त पृ. 110

(29) पूर्वोक्त, पृ. 106

(30) पूर्वोक्त

(31) विद्याधर शुल्क एवं रविदत्त त्रिपाठी, पूर्वोक्त, पृ. 162

(32) पूर्वोक्त, पृ. 313

(33) महाबग्ग VIII 26.8 एस.वीई ग्टप्प् हिन्दी अनुवाद, राहुलसांस्कृत्यायन, पृ-242-43

मध्यकालीन स्त्री चेतना व गुरुनानक

प्रभजीत कौर

शोधार्थिनी, मध्यकालीन इतिहास विभाग, गया प्रसाद स्मारक राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बारी-आजमगढ़

ABSTRACT

महिलाओं की आजादी सम्मान और हक की जो क्रान्तिकारी मशाल गुरूनानक देव ने जलाई उसे बाद के गुरूओं ने अपने आंचल की ओट दी और उसे कभी बुझने नही दिया। उन्होनें समाज के अन्धकार में भटक रही महिलाओं के जीवन में प्रकाश लाने का कार्य किया। स्त्री के बिना जीवन की कल्पना करना असम्भव है भारतीय धर्म शास्त्रों में भी सांसारिक सुखों व आध्यात्मिक लक्ष्यो की प्राप्ति के लिए स्त्री की उपस्थिति महत्वपूर्ण मानी गयी है।[1]

महिलाओं की भूमिका गुरूग्रन्थ साहिब में भी उल्लिखित है। जिसमे सिक्ख महिलाओं को पुरूषों के समान बराबर माना गया है यही समानता उनके नामो में भी देखने को मिलती है। पुरूष सिंह है, तो स्त्रियां कौर अर्थात् राजकुमारियां है। सांस्कृतिक समाजिक धार्मिक सभी क्षेत्रो में गुरूनानक ने इन्हें समान अधिकार देने की बात करते हैं। स्त्री एवं पुरूष को एक ही सिक्के के दो पहलू बतलाते हुए नानक जी कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान हमें सृष्टि में भेजता है हमारा पालन पोषण करता है। ठीक उसी प्रकार एक स्त्री उसी काम को पत्नी माता बहन आदि अनेक रूपो में करती है। इसलिए एक स्त्री को भगवान के सादृश्य माना गया है।

Keyword& भंडि, निमीऐ, विषयाधता, सुर्खरू, उजलै, सलाहीऐ, तितुं।

प्रस्तावना–

यत्र नीरास्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।[2]

प्राचीन काल से नारीयों के प्रति उच्च दृष्टिकोण रखने वाले हमारे भारतवर्ष में धीरे–धीरे महिलाओं की दशा शोचनीय होती चली गयी। मध्यकाल आते–आते स्त्रीओं को भोग विलास की वस्तु मात्र समझा जाता था। प्राचीन काल के सारे अधिकार उनसे छीन लिए गये उनका न तो उपनयन संस्कार होता था न ही वह धार्मिक कृत्यों की अधिकारी थी मुस्लिम आक्रमणकारी तो स्त्रियों को परदे में छिपा कर रखते थे। जब भी कोई आक्रमण होता तो स्त्री को भी उस देश की सम्पति की तरह लूट कर अपने साथ ले जाते और उनके साथ मन माना व्यवहार करते। पति की मृत्यु हो जाने के बाद उन्हें जीवित जलना पडता, कई स्थानों पर तो कन्या जन्म को ही अपराध माना जाता था। उनका एक मात्र कार्य गृहस्थी के काम काज तक ही सीमित रह गया था। गृहस्थी तो स्त्री को अनादर की दृष्टि से देखते थे, परन्तु सन्त वैरागी जो स्वंय के तप में उन्हे मायारूपिणी एवं नरक का मूल मानकर उनका उद्धार तो क्या उन्हें हेय दृष्टि से देख उनकी छाया से भी दूर भागते थे। सोलहवीं शताब्दी में जब भारत पर बाबर का आक्रमण हुआ तो बाबर की सेनाओं ने लाहौर में स्त्रियों पर जो अत्याचार किये उससे गुरूनानक का कोमल ह्दय रो उठा मासूम स्त्रियो की दुर्दशा के लिए नानक जी ने ईश्वर की भी कड़ी आलोचना की और कहा– ''ऐति मार पइ करलाणै तै की दर्द न आइआ'' अर्थात् हे प्रभु इन मासूमों पर इतने अत्याचार होते देख कर भी तुम्हे इन पर तरस नही आया।[3]

मध्यकाल में कई सन्तों द्वारा सामाजिक एंव धार्मिक आन्दोलन किये गए परन्तु स्त्री चिन्तन, स्त्री विमर्श के प्रति जितनी खुलकर आवाज गुरूनानक ने उठाई उतनी कोई सन्तों द्वारा नही उठाई गई। गुरूनानक का आर्विभाव मध्यकालीन पंजाब के रूढ़िवादी सामाजिक धार्मिक वातावरण में एक नई सुबह, नया प्रकाश, नयी दस्तक, खुले आसमान और ठंडी हवा के झोके की तरह जनसाधारण के जीवन में आकर्षक गहरी जगह बनाती है। इनका जन्म 1469 ई0 स0 1526 को वैशाख सुदी 3 को लाहौर से 30 मील दूर दक्षिण पश्चिम में तलवन्डी रायभोय नामक स्थान पर हुआ जो वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरूनानक ने अपना सम्पूर्ण जीवन समाज में जातिवाद का खत्म करने तथा महिलाओं को समाज में वह स्थान दिलाने का प्रयास किया है। जिसकी वह हकदार है उन्होनें कहा स्त्री चाहे उच्च कुल से सम्बन्ध रखती हो या निम्न कुल से उन्हे कभी भी निदिंत तथा शापित नही मानना चाहिए।

नानक जी कहते हैं–

भंडि जीमए भंडि निमीए भंडि मंगणु वीआहु।
भंडहु होवै दोसती भंडहु चलै राहु।
भंडु मुआ भंडु मालीए भंडि होवै बंधानु।
सो किउ मंदा आखीए जितु जमहि राजान।
भंडहु ही भंडु उपजै भंडै बाझु न कोई।
नानक भंडै बाहरा एको सचा सोई।।[4]

भंडि अर्थात् स्त्री, पुरूष स्त्री से ही जन्म लेता है स्त्री से ही वह सगाई विवाह करता है, स्त्री ही उसकी मित्र बन जाती है, स्त्री के माध्यम से भविष्य की पीढ़ियां आती हैं, जब उसकी स्त्री की

मृत्यु हो जाती है तो वह दूसरी स्त्री की तलाश करता है, ऐसे मे स्त्री को बुरा क्यों कहें? जिसने बडे बडे राजाओं योद्धाओं को जन्म दिया है। एक स्त्री के बिना पुरूषों का गृहस्थी अथवा उसका जीवन अधूरा है। मध्यकाल में जहा कई सन्तों ने गृहस्थ जीवन का त्याग करने को कहा वहीं गुरूनानक जी गृहस्थ जीवन को सम्पूर्ण जीवन की विशेषता एवं महानता प्रदान करते हुए कहते हैं कि गृहस्थ जीवन सभी के लिए आवश्यक है गृहस्थ जीवन की युक्ति में ही मुक्ति की भावना एक दूसरे को जोड़ एक दूसरे के पूरक स्थापित करके ही गृहस्थ जीवन को सही अवस्था में जिया जा सकता है।

एक सुस्थिर सफल और प्रतिष्ठित गृहस्थ जीवन को एक वरदान मानते हैं। कुछ लोग अपनी आन्तरिक दुर्बलता और दायित्वबोध की कमी के कारण जीवन के सघर्षो का सामना न कर सकने के कारण पलायनवादी बन जाते हैं। अपनी इस कमजोरी को वे सन्यास या वैराग्य का मुखौटा पहनाकर सुर्खरू होने का प्रयत्न करते हैं। गुरू जी ने हाथ में कंमडल ले शरीर पर चिथड़ों का चोला धारण कर गली-गली में डोलते रहने वाले ऐसे सन्यासियों को फटकारा है। वह कहते हैं ऐसे लोगों में तृष्णा की आँधी तो निरन्तर चलती रहती है अपनी स्त्री का परित्याग कर प्रवास के लिए निकले ये वैरागी कभी भी काम भाव से मुक्त नहीं हो पाते और परायी स्त्रियों का पीछा करते रहते हैं।[5]

गुरूनानक जी का कथन है कि व्यक्ति को अपनी व्याहता स्त्री के प्रति सच्चा अनुराग उत्पन्न कर अपने सम्पूर्ण जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे विषयाधता एवं कामातुरता भी समाप्त होती है और समाज की नैतिकता का भी हनन नही होता है। गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी व्यक्ति आध्यात्म के रास्ते पर चल सकता है। जो व्यक्ति परिवार छोड़कर साधु या सन्यासी बन जाते हैं उन्हें अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए फिर भी गृहस्थ लोगों पर ही आश्रित रहना पडता है। योगी, ब्राह्मण, काजी सहित सभी मानव को वाह्याम्बरों, पाखण्डों का परित्याग कर गृहस्थ जीवन में रहकर प्रभु की भक्ति में तल्लीन होना चाहिए। सच्चा जीवन और सदगुणो के द्वारा ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। मानुष मन गंगा के जल की भाँति निर्मल, स्वच्छ तथा पवित्र हो सकता है।[6]

गुरूनानक जी कहते हैं कि नारी का स्वभाव उसके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। नारी सौम्य, मृदु, विनम्र, सेवापरायण हो तो घर गृहस्थी, पति सभी को जोड़कर गृहस्वामिनी बन जाती है। अपने आचार, व्यवहार तथा सदगुणों से वो अपने पति को गृहस्थी के साथ जोड़े रखती है, और इस प्रकार व्यवहारिक रूप में गृहस्वामिनी का पद प्राप्त करती है। पति उसकी जरूरत महसूस करता है और उसे अंगीकार किए रहने की उमंग से भरा रहता है। स्त्री के सौजन्य से प्रेरित होकर पुरूष गृहस्थी के दायित्व को पूर्ण मनोयोग से निभाने लगता है। पतिव्रता स्त्रियाँ इससे भी आगे बढती हैं। वे पति का सदभाव प्राप्त करने के लिए न केवल उसका गुणगान करती हैं, बल्कि घर से बाहर भी उसकी प्रशंसा करती हैं। यह स्त्रियाँ पति द्वारा दिए गए मूल्यवान आभूषण, उपयोगी पदार्थो और सुविधाओं को प्राप्त करके उन्हीं में रम नही जाती बल्कि उन्हे प्रेम का प्रतीक मानकर अपने कर्तव्य-कर्मों में लगी रहती हैं। वे पति के हृदय में स्थान पाने का प्रयत्न करती हैं।[7]

सुचज्जी और कुचज्जी स्त्री के बारे में नानक जी ने अपनी वाणी में बताने का प्रयत्न किया है कि सुचज्जी स्त्री वह है जो अपने गुणों तथा विकास से अपने घर परिवार का व्यवस्थित पालन पोषण कर वहाँ की आर्थिक स्थिति भी सुधार देती है तथा कुचज्जी स्त्री की वह उपेक्षा या तिरस्कार नही करते बल्कि उसे गुणवान तथा समझदार बन उसे संभलने का उपदेश देते हैं। भारतीय समाज की दुर्दशा को देख गुरू नानक जी कहते हैं कि स्त्री का व्यक्तित्व केवल कामवासना से उतेजित कामिनी का नही है जो लोग उसी में रत होकर समाज का सर्वनाश कर डालते हैं। गुरूनानक जी स्त्री को केवल, उसी अवस्था में बधन मानते हैं जिसमें वह कामी पुरूषों के आकर्षण का केन्द्र बनती है।

गुरूनानक ने यहाँ तक घोषणा कर दी कि ईश्वर की दरगाह में केवल वही व्यक्ति सम्मान और स्थान पाते हैं जो स्त्री जाति का सम्मान सत्कार करते हैं।

जित मुख सदा सलाहीऐ भांगा रती चार।
नानक ते मुख उजलै तितु सचौ दरबार।।[8]

आधुनिक युग में जहाँ स्त्रियों की बराबरी के लिए कई आन्दोलन हुए वही गुरूनानक ने सदियों पहले नारी समानता व स्वतन्त्रता की बात अपनी वाणी में की परन्तु कई व्यक्ति आज भी महिलाओ पर अत्याचार एवं उत्पीड़न कर यह साबित करना चाहते हैं कि इस पुरूष प्रधान देश में वह महिलाओ से बेहतर है परन्तु वे ये नही समझ पा रहे हैं कि उनकी इस हिंसा से उन्ही की नई पीढ़ी में हिंसा का चक्र जारी रहेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. उपादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम। प्रत्यहं लोक यात्राया निबन्धनम्घ्मनुस्मृत, 9:27
2. मनुस्मृति तृतीय खण्ड स्लोक श्लोक-56
3. सिंह जगजीत सरल गुरु ग्रन्थ साहिब एवं सिक्ख धर्म, विद्या बिहार, नई दिल्ली, सं0-2004,पृष्ठ-29
4. गुरु ग्रन्थ साहिब, पृष्ठ-473, महिला 1
5. डा0 सत्यपाल शर्मा, भारतीय जनजागरण के महानायक गुरुनानक देव, पृष्ठ-209
6. मिश्र जयराम, नानक वाणी, पृष्ठ-618-44
7. डा0 सत्यपाल शर्मा, भारतीय जनजागरण के महानायक गुरुनानक देव, पृष्ठ-211
8. सिंह जगजीत सरल गुरु ग्रन्थ साहिब एवं सिक्ख धर्म, विद्या बिहार, नई दिल्ली, सं0-2004, पृष्ठ-29

भक्ति आंदोलन के सामाजिक आयाम एवं उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन

पुंज प्रकाश शरण

रिसर्च स्कॉलर, इतिहास विभाग, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुज़फ्फरपुर

यह आंदोलन क्यों और कैसे जन्मा? इस प्रश्न पर विचार इतिहास के साथ-साथ साहित्य में भी हुआ है। विद्वान आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने इतिहास में भक्ति आंदोलन के उद्भव संबंधी कारणों की छानबीन की और इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि ष्देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिन्दू जनता के हृदय में गौरव-गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश नहीं रह गया। उनके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव-मुर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरूषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थें। ऐसे दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थें। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नही रह गयें। इतने भारी राजनीतिक उलट-फेर के पीछे हिन्दू जन-समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी-सी छाई रही। अपने पौरूश से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करूणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दुसरा मार्ग ही क्या था?"

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की स्थापना का खंडन करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि 'यह बात अत्यन्त उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे, तो उससे अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर वह हुई दक्षिण में।

दक्षिण भारत का भक्ति आंदोलन आलवार भक्तों के साथ छठी शताब्दी में शुरू होकर रामानुज के साथ दसवीं-बारहवीं शताब्दी में उत्कर्ष पर पहुँच कर शिथिल हो जाता हैं। उत्तर भारत में भक्ति-आंदोलन का जनक माने-जाने वाले रामानन्द का समय 14वीं-15वीं शताब्दी हैं। प्रश्न है कि चार-पाँच सौ वर्षो तक भक्ति की यह भावधारा दक्षिण में ही क्यों रूकी रही? जबकि इस बीच दक्षिण भारत और उत्तर भारत का संचार संपर्क जारी था। इतिहासकार रामशरण शर्मा के लेख "पूर्व मध्यकालीन भारत में सामाजिक परिवर्त्तन" से पता चलता है कि इस काल में दक्षिण और उत्तर में व्यापार का चलन था और लोगों का उत्तर-दक्षिण आना-जाना जारी था।

इतिहासकार सतीशचन्द्र ने पूछा है कि यदि सामान्यरूप से स्वीकृत इस धारणा को मानकर चलें कि लोकप्रिय भक्ति आंदोलन दक्षिण के भक्ति आन्दोलन की प्रशाखा है तो यह बता पाना मुश्किल है कि क्यों इन दोनों आन्दोलनों के बीच लगभग पाँच सौ वर्षो का अन्तर हैं। "क्या यह अन्तराल आकस्मिक था? दक्षिण और उत्तर के बीच आन्दोलन की कड़ी समझे जाने वाले रामानन्द ने जिस जाति निरपेक्ष भक्ति का रास्ता प्रशस्त किया, उसके पीछे कौन से कारण थे, जिसने व्यापक परिवर्त्तन के लिए प्रेरित किया? सभी जातियों को अपना मार्ग अपनाने की छुट देनेवाले नाथपंथियों के प्रभाव के प्रत्युत्तर की चाह की उपज तो नही था यह भक्ति आंदोलन? इस तरह के अनेक प्रश्न उठाते हुए सतीशचन्द्र ने अपनी राय दी है कि ष्जो भी कारण रहे हो, परिवर्त्तन का श्रेय रामानुज या दक्षिण की भक्ति को नही जाता।"

के0 दामोदरन का यह कथन ध्यान देने लायक है कि "मानव चिन्तन अथवा विचारधारा की अन्य किसी अभिव्यक्ति की भांति दर्शन भी अंतिम विश्लेषण में, जनता के जीवन की सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों को प्रतिबिम्बित करता हैं। जनता की सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्त्तन उसकी विचारधारात्मक अधिरचना को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता हैं।" इसलिए यह आवश्यक है कि उत्तर भारत के लोकप्रिय भक्ति आन्दोलन का भी अध्ययन वहाँ की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों के ही आलोक में किया जाए न कि उस दक्षिण की भक्ति की एक प्रशाखा मानकर।"

इतिहासकार इरफान हबीब उत्तर भारत के भक्ति आन्दोलन पर दक्षिण के प्रभाव संबंधी बहस को कोई महत्व नहीं देते। ऐसा इसलिए कि वे उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन को भारतीय इतिहास की बिलकुल नयी धारा मानते हुए उसे लोकप्रिय एकेवरवाद" कहते हैं। उनके अनुसार मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एके वरवाद एक बिलकुल नयी विचारधारा हैं, जिसका कोई प्रत्यक्ष संबंध न तो हिंदू धर्म से है और न इस्लाम से। एके वरवाद को वे न तो शंकराचार्य के दर्शन से प्रभावित मानते है और न ही इस्लामी धर्म दर्शन से। उनके अनुसार 15वीं-16वीं सदी मे लोकप्रिय एके वरवाद का स्त्रोत शंकराचार्य का दर्शन नही हो

सकता और इसका कोई प्रभाव इस वाद पर पड़ा हो, यह भी संभव नही लगता। "इसी तरह मुसलमानों में" जहाँ एक ओर हिन्दुओं को "काफिर", बहुई वरवादी और "मूर्तिपूजक" कहकर उसकी निंदा की जाती थी, वही दूसरी ओर मध्ययुग के समूचे इस्लामी साहित्य में जाति-प्रथा, छुआछुत और अछुतों के दमन की कोई आलोचना नही की गयी हैं; जबकी ये सारी बुराईयाँ मध्ययुगीन हिंदू धर्म में मौजूद थी।" तात्पर्य यह कि शोषण-उत्पीड़न का विरोध करनेवाले एके वरवादी हिंदू धर्म की इन तमाम बुराईयों का विरोध करते हैं; इसलिए इस्लाम के प्रभाव की बात निरर्थक है। प्रो0 हवीब के अनुसार "लोकप्रिय एके वरवाद" की पैदाइश की जड़ में उत्तर भारत में तेजी से बदलती सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ थी जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के कारण पैदा हुई थी।

भक्ति आंदोलन का मूल चरित्र सामन्तवाद विरोधी हैं। वर्ण व्यवस्था पर लगातार चोट करनेवाले इस आन्दोलन ने भक्ति का द्वार सभी जातियों के लिए खोल दिया और "जात-पात पूछे ना कोई, हरि को भजै सो हरि का होई", जैसा नारा देकर सभी को एक धरातल पर प्रतिष्ठित करने की वकालत की।

भक्ति आंदोलन का चरित्र अगर मूल रूप में सामन्तवाद विरोध ी है तो स्पष्ट है कि सामन्तवाद पर चोट करनेवाली और उसे नष्ट कर नयी सामाजिक-आर्थिक संरचना की परिकल्पना से युक्त पूँजीवादी शक्तियों का उदय हो रहा था, जिसने इस आंदोलन को तेज करने में सक्रिय भूमिका निभाई तथा उसके लिए ठोस आर्थिक आधार तैयार करने में मदद की।

प्रो0 सतीशचन्द्र भक्ति आंदोलन के उद्‌भव हेतु भौतिक परिस्थिति के अध्ययन पर जोर देते है। उनका कहना है कि इस्लाम के आगमन से यहाँ के शासक वर्ग की स्थिति कमजोर हुई, उनकी आर्थिक हालत भी खराब हुई, अतः समाज पर से उनका नियंत्रण खत्म हुआ। शासक और शासन में सहायक वर्ग के बीच जो एक अलिखित समझौता था, वह मुसलमानों के आने से खत्म हुआ और नयी परिस्थिति में नये संबंध विकसित हुए।"

निष्कर्षः- मध्यकाल में उधोग-धंधों एवं व्यापार का तेजी से विकास हुआ। इस विकास के चलते शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। सिक्कों का चलन हुआ। इस नयी विकास अवस्था में अनेक नयी जातियों का जन्म हुआ और विकास की प्रक्रिया में शामिल होने के कारण उन जातियों को सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल हुई। व्यापार ने वर्ण व्यवस्था पर चोट की और उस काल में कई कर्मगत जातियों का विकास हुआ। इस औधोगिक और व्यापारिक विकास ने तथा इसके कारण कुछ पिछड़ी जातियों के सामाजिक स्तर उपर आने से जो नये मानवीय संबंध बने, उसने नये सांस्कृतिक आन्दोलन की पृष्टभूमि तैयार की। शासक और शासन में सहायक वर्ग समझौते के हिंसात्मक अन्त ने उस असनातनी ध ार्मिक आन्दोलन के मार्ग की एक बहुत बड़ी बाधा को समाप्त कर दिया था जो वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड के आधार पर धर्म निर्धारण का विरोधी था।

संदर्भ ग्रंथः-

डॉ0 विपिन बिहारी सिन्हाः- भारत का सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास

डॉ0 आर0के0 परूथीः- मध्यकालीन भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास

गोपेश्वर सिंहः- भक्ति आंदोलन और काव्य

भ्रष्टाचार के संदर्भ में न्यायपालिका की भूमिका

डॉ० संतोष कुमार गुप्ता

राजनीति विज्ञान विभाग, गोपेश्वर कॉलेज, हथुआ, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा

सार्वजनिक जीवन में बढ़ते भ्रष्टाचार की व्याधि से बचने का रास्ता यही है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत बनाया जाए। न्यायपालिका इसकी एक केंद्रीय स्तंभ है। यह गंभीर चिंता का विषय है कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली भ्रष्टाचार और संगठित अपराधों से निपटने में पूरी तरह नाकाम रही है और खासतौर से वैसी स्थिति में जब इनमें उंची पहुंच रखने वाले व्यक्ति शामिल हों। मुख्य न्यायधीश वाईवीं चंद्रचूड़ ने अपनी सेवानिवृत्त के अवसर पर कहा था कि न्यायापालिका के समक्ष जो कार्य हैं, उन्हें वह बखूबी पूरा नहीं कर पा रही है और उन्होंने न्यायिक व्यवस्था की तुलना 'बैलगाड़ी' से की थी। इससे पता चलता है कि न्यायिक व्यवस्था में गिरावट लगातार होती रही और अब यह निचले स्तर तक पहुंच गई है। दरअसल, अप्रैल 1994 में मुख्य न्यायाधीश एमएन वेंकटचेलैया की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने अवलोकन के बाद पाया था कि उत्तर प्रदेश में न्यायिक व्यवस्था मजाक बन कर रह गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के काम काज पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 'वहां कुछ गड़बड़ है।' 'यहां कुछ भी ठीक नहीं रह गया है: सबकुछ माजक बनकर रह गया है' (दि पायोनियर 27 जुलाई 94)।

हमारी न्यायप्रणाली, भारत के संविधान में नीहित प्रावधानों पर आधारित है। संविधान एक श्रेणीब न्यायिक व्यवस्था देता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, उसके नीचे हाईकोर्ट है और हाईकोटों के नीचे अधीनस्थ अदालतें हैं। सुप्रीमकोर्ट का न्यायाधिकार क्षेत्र त्रिस्तयी है: मौलिक, अपीलीय और सलाहकार। इसका अपीलीय न्याय क्षेत्र, संवैधानिक नागरिक और आपराधिक मामलों तथा इसके द्वारा पारिभाषित किए गए कानूनों से संबंधित है। यह संविधान की धारा 141 के अनुसार भारतीय क्षेत्र की सभी अदालतों के लिए मान्य है।

राज्यों में न्यायपालिका उच्च न्यायालयों की देख-रेख में काम करती है। हमारी न्यायिक प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता इसकी स्वतंत्रता है। संविधान में ऐसे कई प्रावधान हैं जो न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। संविधान ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के जजों का नियत कार्यकाल सुनिश्चित किया है। इस दौरान उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता है। जजों को सिर्फ संसद में महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। इसमें सदन के दो-तिहाई बहुमत को उसका अपराध अथवा अक्षमता को साबित करना होगा। उनके वेतन निश्चित होते हैं और कार्यकाल के दौरान उनमें पविर्तन नहीं हो सकता है।

सवाल यह उठता है कि इन उपायों ने क्या देश को ऐसी स्वस्थ आपराधिक न्याय व्यवस्था देने में कोई सहायता प्रदान की है जो विधि के शासन को सुनिश्चित करता हो और जो विधि व आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को समान रूप से लागू करा सके। इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर देना कठिन है। बोफर्स मामले में एक बार तो दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर एफआईआर को रद्द कर दिया था और इसका नतीजा यह हुआ कि स्विस बैंक से खातों का ब्यौरा हासिल करने में बिलंब हुआ। मई 1990 में खुद ज्यूरिख की अदालत ने बोफर्स से संबंधित दस्तावेज भारत सरकार को सौंप देने का फैसला किया था। संबंधित पक्षों ने फेडरल कोर्ट (संघीय एदालत) में अपीलें लगा दीं। इस निर्णायक स्तर पर 17 अगस्त 1990 को एचएस चौधरी ने विशेष जज वीएस अग्रवाल की अदालत में एक जनहित याचिका दायर कर दी। इस याचिका में कहा गया था कि सीबीआई के अनुरोध पर स्विस अधिकारियों को जो याचना पत्र भेजा गया है, उस पर कार्रवाई रुकवाई जाए। विशेष जज ने उसे टांग अड़ाने वाला मानते हुए अगले ही दिन दो बजे उसकी याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया। ठीक उसी दिन शाम चार बजे एचएस चौधरी ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति एमके चावला के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की। अपनी सेवानिवृत्ति के दो दिन पहले, दिसम्बर 1990 में न्यायमूर्ति चावला ने इस याचिका को रद्द कर दिया, लेकिन सीबीआई से साथ ही तुरंत यह कारण बताने को कहा कि एफआईआर पर कार्यवाही क्यों नहीं रद्द कर दी जानी चाहिए। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। इसलिए मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक जिनेवा की अदालत ने तब तक के लिए अपनी कार्यवाही स्थगित कर दी। स्विस अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा से सिर्फ चार दिन पहले 27 अगस्त 1991 को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जनवरी 1990 में सीबीआई की ओर से दायर एफआईआर में दर्ज की गई सभी जानकारियां दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति चावला द्वारा दिए गए फैसले ने अप्रभावित रहेंगी।

हालांकि, अपने इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के लिए मामले की जांच को फिर से चुनौती देने का एक रास्ता खुला छोड़ दिया था। अदालत ने कहा था कि न्यायमूर्ति चावला द्वारा उल्लिखित गड़बड़ियों के गुण-दोष पर वह कोई फैसला नहीं देगा। इससे यही राहत पाने के लिए बिन चढ्डा को दिल्ली हाईकोर्ट में जाने का एक बार फिर मौका मिल गया, यानी बोफर्स मामले की एफआईआर को रद्द करने की अपील का मौका। 10 सितंबर

1991 को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीसी मित्रा और न्यायमूर्त्ति सतपाल की खंडपीठ ने विन चढ्डा की याचिका स्वीकार कर ली। इसके बाद जिनेवा की कैंटोनल कोर्ट (प्रांतीय अदालत) ने सीबीआई के अनुरोध को ठंडे बस्ते में डाल दिया और इन मामलों को स्विटजरलैंड में फिर से सक्रिय करने में कुछ समय लग गया। इस प्रकार याचिकाकर्ता बोफर्स जैसे संवेदनशील मामले में स्विटजरलैंड में जांच कार्य में बिलंब कराने में सफल हो गया। इस पर आम नागरिकों व मशहूर वकीलों की प्रतिकूल व गंभीर टिप्पणियां स्वाभाविक थीं।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति को लेकर हाल में जो विवाद खड़े हुए, उससे भी हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को एक और धक्का लगा है। दो पूर्व केंद्रीय कानून मंत्रियों सहित वरिष्ठ वकीलों के एक समूह ने राष्ट्रपति के समक्ष यह अपील की थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों में सबसे वरिष्ट जज सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीन पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं। यह बात जब सार्वजनिक तौर पर बाहर आई तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नियंत्रण करने वाले वकीलों के दूसरे गुट ने, दो पूर्व केंद्रीय मंत्रियों सहित इस मामले में दखल देने वाले दूसरे वकीलों को बार एसोसिएशन से बाहर कर दिया। 7 अगस्त, 1997 को वकीलों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने कहा था, 'जनहित याचिका अब अपने रास्ते से भटक गई है और इसे सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ करने की जरूरत है'। प्रधानमंत्री ने जनहित याचिकाओं के खिलाफ वकील समुदाय को चेताया और कहा कि इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। हालांकि, भारत के पूर्व मुख्य न्यायधीश जेएस वर्मा ने उपस्थित समुदाय से साफ-साफ कहा कि जब नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आरोप से संबंधित जनहित याचिकाएं अदालतों के सामने आती हैं तो अदालतें आंखे बंद नहीं कर सकती। अदालतों को अपने संवैधानिक दायित्व निभाने होते हैं। न्यायमूर्ति वर्मा ने आगे कहा था, 'अंतत: विधि के शासन को असरदार ढंग से लागू करने के लिए हमें बेहतर सामाजिक मूल्यों को स्थापित करना होगा और इस प्रक्रिया में अदालतें एक उत्प्रेरक की भांति अच्छा काम कर सकती हैं'।

यह सही है कि मामलों की जांच में उच्च अदालतों का दखल कोई स्थायी हल नहीं हो सकता। जेएस वर्मा ने खुद कहा कि जांच एजेंसियों को सही रास्ते पर लाने के लिए ही अदालत ने दखल दिया था ताकि वे असरदार ढंग से व दक्षतापूर्वक अपना काम कर सकें। यह भी सही है कि न्यायिक सक्रियता को न्यायिक दुस्साहस में तब्दील नहीं होने देना चाहिए। मुख्य न्यायाध ीश डाक्टर एएस आनंद ने इस 'न्यायिक दुस्साहस' के फंदे के खिलाफ चेतावनी दी। न्यायमूर्ति आनंद ने कहा कि जो क्षेत्र कार्यपालिका के दायरे में आते हैं, उनमें उच्च अदालतों द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों के तहत बड़े पैमाने पर की जाने वाली दखल से विधायिका में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है और उसके दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। राजधानी में बढ़ते अपराधों पर काबू पाने और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेना के इस्तेमाल के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जो निर्देश दिया था, वह इसकी एक मिसाल है। राजधानी की स्थिति का जायजा लेने और एक सामान्य टिप्पणी के बाद अदालत को चाहिए था कि वह इस विस्तृत जानकारी को या तो विशेषज्ञों को सौंप देती या उन लोगों को जो इसके प्रति जवाबदेह है। इसकी न तो कोई जरूरत है और न ही यह उपयुक्त है कि सेना अपराधों की रोकथाम करे और नागरिकों के मन में सुरक्षा का भाव बैठाए। ऐसा करने के अन्य दूसरे बेहतर व ज्यादा प्रभावशाील तरीके ही सकते हैं जिन्हें सरकार, अपने पुलिस बल के माध्यम से व्यवहार में ला सकती है। न्यायिक आदेशों से संबंधित ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्हें हम 'न्यायिक दुस्साहस' की संज्ञा दे सकते हैं।

यह बात और दुर्भाग्यपूर्ण है कि 'न्यायिक सक्रियता' अभी हमें बहुत आगे तक नहीं ले गई है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि हर चीज जहां की तहां रह जाती है। संवेदनशील झारखंड मुक्ति मोर्चा कांड में सुप्रीम कोर्ट के बहुमत के फैसले ने 'रिश्वत देने वालों' के खिलाफ तो मुकदमे की मंजूरी दे दी, जबकि संविधान की धारा 105 के तहत रिश्वत लेने वालों को संरक्षण प्रदान किया गया। इससे व्यापक रूप से निराशा का भाव फैला और लोग भौंचक रह गए। इसके अलावा, बड़े पदों पर बैठे लोगों की अग्रिम जमानत मंजूरी में उदारता और कार्रवाई पर 'स्टे' जैसे कदमों से भी न्याय प्रक्रिया को काफी आघात लगा है। अग्रिम जमानत का प्रावधान (धारा 486 भारतीय दंड संहिता) आपराधिक दंड संहिता में 1973 में विधि आयोग की सिफारिशों पर शामिल किया गया था ताकि समाज के गरीब तथा कमजोर तबकों को भ्रष्ट पुलिस, राजनेताओं व माफिया के उत्पीड़न से बचाया जा सके जो प्राय: आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। हालांकि, ऐसा मुश्किल से ही हो पाया और इसका ज्यादातर फायदा कुख्यात अपराधियों और ऊँचे पदों पर बैठे लोगों को ही मिला। समाज के गरीब तबकों, यहां तक कि झूठे मामलों में फंसे होने पर भी, के लोग तो हाई कोर्ट व सेशन कोर्ट (सत्र न्यायालय) तक पहुंच ही नहीं पाते हैं।

बीपीआरएंडडी के एक अध्ययन के अनुसार गैर जमानती अपराधों के 64.14 प्रतिशत मामलों में अग्रिम जमानत दे दी गई और इस प्रावधान का खुलकर दुरुपयोग हुआ। इसका फायदा अपराधियों ने उठाया। चंद्रस्वामी का एक आपराधिक रिकार्ड रहा है और उसके अंतरराष्ट्रीय माफिया संगठनों से संबंध है। उसने दिसंबर 1990 में भारत आने से पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत सुरक्षित करा ली थी। सेंट किट्स कांड में निशाने पर रखे गए वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही चंद्रस्वामी विदेश भाग चुका था और फिर तभी वह लौटा जब सरकार बदल गई। जब नियमित सुनवाई के लिए उसकी ओर से अनुरोध (प्रार्थना) आया तो जोरदार ढंग से इसका विरोध किया गया, लेकिन उच्च न्यायालय ने अपील ठुकरा दी। बाद में

दस्तावेज अदालत में पेश हुए और बताया गया कि किस तरह चंद्रस्वामी बार-बार अग्रिम जमानत की शर्तों की अवज्ञा कर रहा है और किस तरह प्रधानमंत्री चंद्रशेखर व कानून मंत्री डाक्टर सुब्रह्मण्यम स्वामी उसे संरक्षण दे रहे हैं, इससे वह अभी तक जांच के लिए पेश नहीं हुआ है। इसके बावजूद उसे देश से बाहर नहीं जाने देने का अनुरोध ठुकरा दिया गया। ऐसे कई उदाहरण हैं। सितंबर' 97 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एमके मुखर्जी और न्यायमूर्ति केटी थॉमस की खंडपीठ के समक्ष सीबीआई ने एक याचिका दायर की, जिसे खंडपीठ ने मंजूरी दे दी। सीबीआई ने यह याचिका हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की थी, जिसमें हाई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम के बेटे अनिल शर्मा की आपराधिक दंड संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत मंजूर कर ली थी। सीबीआई का मामला यह था कि अनिल शर्मा ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं ज्यादा 16,65000 रुपए हासिल किए हैं और इस बात के स्पष्ट सबूत थे कि सुखराम ने अपने बेटे अनिल शर्मा के नाम यह संपत्ति हस्तांरित की। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिल शर्मा की अग्रिम जमानत मंजूर कर हाई कोर्ट खुद को गलत रास्ते पर ले गया है। खंडपीठ ने कहाः सीबीआई की ओर से दायर याचिका में हमने इस बात में दम पाया कि हिरासत में लेकर की जाने वाली पूछताछ ज्यादा असरदार होगी और बातें प्रकाश में आएंगे, बजाए इसके कि अभियुक्त को आपराधिक दंड संहिता की धारा 438 के तहत आराम से बैठने दिया जाए। खंडपीठ का मानना है कि इस तरह के मामले में संदिग्ध व्यक्ति से प्रभावशाली पूछताछ में सबसे बड़ा फायदा यह है कि कई उपयोगी सूचनाएं मिल जाती है। साथ ही वह सामग्री भी मिल जाती है जो छिपाकर रखी गई हो।

इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने अनिल शर्मा की अग्रिम जमानत की मंजूरी रद्द कर दी। सेंट किट्स मामले में जब हम चंद्रस्वामी को अग्रिम जमानत देने का विरोध करने वकील अदालत गए थे। तब उनके पास काफी पुख्ता तर्क थे। लेकिन जांच के अनर्थकारों नतीजों व शीर्ष राजनीतिक सत्ताधीशों के कारण असफल हो गए थे।

अपराधिक न्याय व्यवस्था के विभिन्न हिस्सों को सशक्त बनाने के लिए सकारात्मक तात्कालिक सुधारों की आवश्यकता है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है न्यायिक सुधार। 18 जुलाई 1998 को अहमदाबाद में कानूनी सुधार पर आयोजित गुजरात कांफ्रेंस का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि भाजपा सरकार न्यायिक सुधारों के प्रति प्रतिब(है और उन्होंने न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोगों से यह अपील भी की थी कि वे न्यायिक सुधार के लिए सरकार की ओर से की जाने वाली पहल में मदद करें। यह उल्लेख करते हुए कि सार्वजनिक जीवन को संचालित व शासित करने वाले मूल्यों और रक्षोपायों में जो गिरावट आई है वह गंभीर खतरे का संकेत है तथा भ्रष्टाचार, अपराधीकरण व निरंकुशता हमारे जीवन के मूल्य बनते जा रहे हैं, आडवाणी ने कहा कि 'न्याय प्रणाली व्यवस्था का हिस्सा होने की बजाए, समस्या का हिस्सा बन चुकी है।' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्यायपालिका अपने समक्ष मौजूद संकटों से तभी उबर सकती है जब सभी स्तरों पर क्रांतिकारी व गहराई से न्यायिक सुधार हों। उन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था के कामकाज से संबंधि त दो मामलों का जिक्र किया- (1) विभिन्न अदालतों में मामलों को निपटाने में होने वाली देरी (2) न्यायपालिका की साख में गिरावट।

इस संबंध में, मशहूर विधिवेत्ता व मानवतावादी, वीएम तारकुंडे ने एक बहुत ही उपयुक्त सुझाव दिया है, वह यह कि मामलों के निपटारे में देरी, जजों की संख्या बढ़ाकर और 'लोक अदालत' प्रणाली के माध्यम से खत्म की जा सकती है। श्री तारकुंडे के सुझाव के अनुसार पंचायत व नगरपालिका के स्तर पर मामलों को सुलझाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। साथ ही आपराधिक दंड संहिता 1973 की समीक्षा किए जाने की भी जरूरत है, जो कि मामलों के तेजी से निपटाने में असफल साबित हुई है। सुधार का जो तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है वह उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति से संबंधित है। दुर्भाग्य से, इस बारे लगातार विवाद उठते रहे है। 'लीगल एजुकेशन एट क्रॉस रोड्सः प्रॉबल्म्स एंड पसपिक्टिव' विषय पर नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राम जेठमलानी ने कहा था कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि उच्च स्तर पर भी जज खंडपीठ में अयोग्य जजों की नियुक्तियों में सहारा देने के लिए शामिल रहते हैं।''

संदर्भ सूचीः

1. शांता कुमार, 2006, भ्रष्टाचार का कड़वा सच, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली.
2. एन० विठ्ठल, 2010, भ्रष्टाचार का अंत, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली.
3. राजकिशोर (सं०), 2009, भ्रष्टाचार की चुनौती, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली.
4. निर्मल कुमार सिंह, 2000, अपराध और भ्रष्टाचार की राजनीति, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली.
5. दि पायोनियर 27 जुलाई, 1994.

भारत में लोक सेवायें: साख पर सवाल

अभिषेक कुमार

शोधप्रज्ञ, एम.ए. (राजनीति विज्ञान) जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा (बिहार)

सीधे सरल शब्दों में कहें तो लोक सेवा से हमारा अभिप्राय सरकार के उन स्थायी और गैर राजनीतिक अधिकारियों से है जो न्यायांग अथवा सेना के सदस्य नहीं होते और जो एक बार सरकारी नौकरी में आने के बाद सामान्यत: अवकाश ग्रहण करने की आयु तक उस पर बने रहते हैं।[1] यह वास्तव में लोक नीति के रूप में अभिव्यक्त राज्य की इच्छाओं को क्रियान्वित करने का प्रमुख साधन हैं जो आधुनिक राज्य के कार्य संचालन के लिए अपरिहार्य है। श्रीराम माहेश्वरी के अनुसार ''लोक सेवा के दो अभिप्राय होते हैं- (1) अनिवार्य वस्तु की आपूर्ति का कार्य, (2) सरकार द्वारा समर्थित रोजगार की व्यवस्था। सरकार द्वारा समर्थित सेवा को लोक सेवा कहा जाता है, जिसका आशय प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की एक विधि है।''[2] लोक सेवा कानूनों को अमल में लाने वाला निकाय तो है ही साथ ही यह नियमों के निर्माण में भी सक्रिय रूप से शामिल है। पेशेवर दक्षता के कारण एक लोक सेवक अपने राजनीतिक प्रमुख को न सिर्फ विधि निर्माण में सहयोग प्रदान करता है बल्कि काफी हद तक विधि को आकार भी प्रदान करता है, खासतौर पर वरिष्ठ लोक सेवक अपना ज्यादातर समय इस तरह की गतिविधियों में ही लगाता है। लोक सेवाएँ कराधान की प्राप्तियों का व्यय करती हैं और इस बात का भी निर्णय लेती हैं कि राजस्व की उगाही कितनी मात्रा में करनी है और इसे किस तरह से वसूलना है। ग्लैडन ने लोक सेवा के अर्थ को सार रूप में स्पष्ट करते हुए लिखा है कि ''लोक सेवा के लिए अनिवार्यताओं में जो बातें शामिल हैं वे हैं- इसका चयन निष्पक्ष रीति से किया जाएगा, यह प्रशासन कला में दक्ष होगी, राजनीतिक रूप से तटस्थ होगी तथा समाज के प्रति सेवा की भावना से ओत-प्रोत होगी।[3] भारत में लोक सेवा का इतिहास वैसे तो काफी पुराना है लेकिन आधुनिक संदर्भ में इसके उदय को ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़कर देखा जा सकता है। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा शब्द का प्रयोग 19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में लगे उन कर्मचारियों के लिए किया गया जो उसकी सैनिक सेवा में नहीं होते थे बल्कि कर वसूली आदि के दीवानी या असैनिक कार्यों में लगे होते थे। दीवानी कार्यों में लगे होने के कारण उन्हें सिविल सेवा के कर्मचारी कहा जाता था।[4] भारतीय दंड संहिता की धारा 21(a) में लोक सेवक की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि 'सरकारी सेवारत या वेतन पाने वाला अथवा सरकारी कार्य के लिए शुल्क या कमीशन पाने वाला व्यक्ति लोक सेवक की श्रेणी में आता है।[5]'

भारत में लोक सेवाएँ प्रतिष्ठा और अधिकार दोनों ही दृष्टियों से अपना विशेष महत्व रखती हैं। आजादी के बाद सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर संपन्न करने की सोच ने लोक सेवाओं के कार्यक्षेत्र में आशातित विस्तार किया और लोक सेवाएँ पालने से लेकर चिता तक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाले राज्य के मूर्त उपकरण के रूप में सामने आयीं। भारत में लोक सेवाओं की भूमिका को मुख्य रूप से निम्नलिखित संदर्भों में देखा जा सकता है-

1. नीति क्रियान्वयन में भूमिका- भारत में लोक नीतियों के क्रियान्वयन इकाई के रूप में लोक सेवाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह सरकार के अधिकांश दैनिक कार्यों को संपन्न करने वाली संस्था है। यह नौकरशाही ही है जो सरकार के कार्मिकों, निधि, संपदा तथा वैधानिक शक्तियों का नियंत्रण करती है और कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायिक निर्णयकर्ताओं के अधिकांश निर्देशों को प्राप्त करती है। नीति क्रियान्वयन से संबंधित लोक सेवकों का कार्य न सिर्फ कार्यरत सरकार की राजनीतिक नीतियों के अनुरूप सीमित होता है बल्कि राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित भी होता है।

2. प्रदत्त विधायन एवं अन्य प्रत्यायोजित कार्यों का निपटान- प्रत्यायोजित या प्रदत्त विधायन से अभिप्राय संसद की किसी विधि द्वारा प्रदत्त सत्ता के अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा नियमों तथा उपनियमों का निर्माण करने से है। यह एक अर्द्ध विधायी कार्य है जो लोक सेवा द्वारा संपन्न किया जाता है। सिद्धांत रूप में देखें तो ''प्रजातंत्र में सभी प्रयोजनार्थ अंतिम कार्यपालक प्राधिकार राजनीतिक कार्यपालिका में विहित है जो संसद के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेह है तथापि किसी बड़े संगठन की तरह ही सरकार को भी विभिन्न स्तरों पर और भिन्न-भिन्न स्थितियों में परिभाषित कार्य करने होते हैं। इनके लिए व्यावहारिक आधार पर लोक सेवकों को सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्राधिकार और जिम्मेदारी का प्रत्यायोजन आवश्यक है। ऐसा प्रत्यायोजन अधीनस्थ के सिद्धांतों के अनुरूप है जिससे सरकार को लोगों के निकट लाने में मदद मिलती है।''[6] भारत में लोक सेवकों को प्रत्यायोजित अधिकार संविधान एवं विधि के सुस्पष्ट दायरे में होते हैं जिनकी निगरानी अधिनस्थ विधायन समिति द्वारा की जाती है।

3. प्रशासकीय अधिनिर्णय- प्रशासकीय अधिनिर्णय का अर्थ है 'किसी प्रशासनिक अभिकरण द्वारा कानून तथा तथ्य के आधार

पर किसी गैर सरकारी पक्ष से संबंधित विवाद की जाँच तथा उस पर निर्णय देना''।[7] आमतौर पर आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के अंतर्गत विवादों के निपटारे से संबंधित न्यायिक शक्तियाँ व कार्य प्राथमिक रूप से न्यायपालिका में निहित होते हैं किंतु समकालीन समाज में राज्य के सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों के सक्रिय उपकरण के रूप में अस्तित्व में आने के पश्चात् सरकार द्वारा विविध प्रकार की शक्तियों से युक्त अनेक प्रशासनिक इकाईयों या संस्थाओं का गठन किया गया है जिसमें विवादों के निपटारे हेतु अधिनिर्णय की शक्तियाँ भी सम्मिलित हैं। आज इस बात को लेकर एक वैश्विक सहमति है कि राज्य के न्यायिक कृत्य सिर्फ न्यायपालिका तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि विभिन्न प्रशासनिक एजेंसियों की भी इसमें भूमिका अनवरत बढ़ती जा रही है।[8]

प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना मुख्य रूप से साधारण न्यायालयों की खर्चीली एवं विलंबकारी प्रक्रिया, विशेषज्ञों द्वारा निर्णय करने की आवश्यकता, सामाजिक नीतियों को लागू करने की जरूरत तथा साधारण न्यायालयों के पास पहलकारी शक्ति के अभाव जैसे तथ्यों से अभिप्रेरित है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण न सिर्फ साधारण न्यायालय प्रणाली के बाहर कार्य करते हैं बल्कि जैसा कि रॉब्सन ने कहा है 'प्रशासकीय न्यायाधिकरण व्यक्ति एवं सार्वजनिक सत्ता के मध्य समुचित संबंध स्थापित करने की दृष्टि से प्रगतिशील होते हैं। वे नागरिकों के लिए स्वतंत्रता तथा न्याय और आधुनिक ढंग की सरकार की आवश्यकताओं के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं।''

भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की चर्चा करते समय 42वें संविधान संशोधन का उल्लेख विशेष रूप से आवश्यक है। भारत में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतर्विष्ट अनुच्छेद 323 क-ख का आशय प्रशासनिक अधिकरणों के उद्देश्यों एवं विनिश्चयों पर अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता हटा देना था। इन अनुच्छेदों को कार्यान्वित करने के लिए विधान बनाना आवश्यक था किंतु श्रीमती इंदिरा गांधी की पहली सरकार को ऐसा करने का समय नहीं मिला। बाद में अनुच्छेद 323 क को प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 द्वारा क्रियान्वित किया गया। हालांकि एल. चन्द्र कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद (1997) के फ़ैसले के बाद अब स्थिति बदल गई है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 323 क खंड-2 (घ) और 323 ख, खंड-3 (घ) और इन अनुच्छेदों के अनुसरण में अधिनियमित सभी विधायनों में 'अधिकारिता के अपवर्जन' के खण्डों को भी उतनी सीमा तक असंवैधानिक घोषित कर दिया है जहाँ तक वे उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की अनुच्छेद 226/227 तथा 32 के अधीन अधिकारिता को अपवर्जित करते थे।[9]

4. लोक नीति निरूपण में भूमिका- जैसा कि थॉमस डाई ने कहा है कि 'सरकार जो भी करने को या न करने को चुनती है वही लोक नीति है'। आमतौर पर लोक नीति का निर्माण एक विधायी कृत्य माना जाता है और प्रशासन या लोक सेवा की भूमिका को सिर्फ नीति क्रियान्वयन तक सीमित रखने की बात की जाती है लेकिन आज वास्तव में लोक सेवा की भूमिका को लेकर इस तरह की कोई विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती। आज 'लोक सेवा नीति निर्माताओं के महत्पूर्ण सलाहकार के तौर पर कार्य करती है और प्राय: स्वयं ही नीति निर्माता होती है। लोक सेवक तथा मंत्री, नीति निर्माण के कार्यक्षेत्र में भागीदार होते हैं। यह भागीदारी न सिर्फ उनके विशिष्ट योगदानों पर बल्कि इनकी परस्पर पूरक भूमिका पर आधारित होती हैं।[10]

भारत में विगत दशकों में नौकरशाह निर्णयन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग बनकर उभरे हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि राजनीतिक प्रतिष्ठानों ने राजनीतिक प्रकृति के विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वेच्छा से अपनी यह भूमिका त्याग दी है।[11]

भारतीय लोक सेवा की इस बहुआयामी भूमिका और इतने बड़े पैमाने पर शक्तियों के केंद्रीकरण ने लोक सेवा के लिए कर्तव्य पथ से विचलन की संभावनाओं को भी उसी अनुपात में बढ़ाया और लार्ड एक्टन की प्रसिद्ध उक्ति ''सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूरी तरह से भ्रष्ट करती है'' चरितार्थ होने लगी। 1950 के दशक में दुनिया के लिए ईर्ष्या का विषय मानी जाने वाली भारतीय लोक सेवा और राजनीतिक वर्ग के सद्गुणों में आयी तीव्र गिरावट यद्यपि आज चौंकाने वाली बात लगती है लेकिन अगर हम इसके कारणों की पड़ताल करें तो सद्गुणों के इस ह्रास को सर्वव्यापी परमिट राज से जोड़कर देखा जा सकता है, जो आयात, उत्पादन तथा निवेश के लिए मंजूरी से जुड़ा हुआ था और जिसमें समय के साथ-साथ लगातार बढ़ोत्तरी होती रही। इस परिमिट राज की व्यवस्था ने लोक सेवकों और राजनीतिक वर्ग के लिए भ्रष्टाचार की असीम संभावनाओं के द्वार खोल दिए। जल्दी ही उच्च स्तरीय नौकरशाही ने यह जान लिया कि लाइसेंस या परमिट का लाभ प्राप्ति हेतु प्रयोग किया जा सकता है, वहीं राजनेताओं ने इस प्रणाली में महत्वपूर्ण वित्तीय समर्थकों के रूप में साधन को देखा।[12] नतीजा यह हुआ कि लोक सेवाओं के भ्रष्ट आचरण हेतु रास्ता साफ़ हो गया और लोक सेवा भ्रष्टाचार के दलदल में धँसती चली गयी। लोक सेवकों ने नियम पुस्तिका में लिखित तथ्यों की व्याख्या का राजनीतिक सत्ताधारियों द्वारा अपने प्राधिकार के दुरूपयोग को रोकने में सहायक रोध व संतुलन की व्यवस्था की बजाय फाइलों को अनावश्यक रूप से रोकने और पैसे बनाने के साधन के रूप में प्रयोग करना शुरु कर दिया और भ्रष्टाचार के नए-नए रास्ते तलाश लिए। लोक सेवकों की इस प्रवृत्ति के कुछ बेहद अप्रत्याशित और खतरनाक नतीजे सामने आए। हाल के वर्षों में राजनेताओं की जो नई पीढ़ी उभरी है वह नियम पुस्तिकाओं को अवरोध तथा नौकरशाही को अनावश्यक बाधा के रूप में देखती है और इन सबको परे रखकर काम करना चाहती है फलत: संबंधों

में संघर्ष की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि यह तस्वीर का सिर्फ एक पक्ष है। इसका दूसरा पक्ष यह है कि अपने भविष्य एवं वृत्ति को लेकर भयातुर नौकरशाही तथा अपने अल्प कार्यकाल के दौरान काम कर अपने भविष्य को सुरक्षित करने की जल्दबाजी में लगे राजनीतिक वर्ग ने परस्पर फायदे को ध्यान में रखकर एक अपवित्र गठजोड़ कर लिया है जिसमें भ्रष्टाचार को पुष्पित पल्लवित होने का अवसर मिलता है।[13]

किरण कार्निक ने लोक सेवा में भ्रष्टाचार के लिए मुख्य रूप से जिन कारणों की पहचान की है उनमें शामिल हैं- पकड़े जाने की अल्प तथा सजा होने की नगण्य संभावना, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए विद्यमान तंत्र के बारे में जानकारी का अभाव तथा सामाजिक बहिष्कार या कलंक का डर नहीं होना। लोक सेवा की एकाधिकारी प्रकृति से भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। चूँकि आम जनता के पास अपने काम को करवाने का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता लिहाजा प्राय: वह मजबूरी में अपने काम को करवाने के लिए रिश्वत का सहारा लेती है।[14]

भ्रष्ट लोक सेवकों द्वारा प्राय: घूस की मांग और प्राप्ति को संभव बनाने में एक सामान्य कारण जो काफी हद तक जिम्मेदार है वह है सेवाओं की प्रदायगी का समय सुनिश्चित नहीं होना। ऐसी स्थिति में लोक सेवक प्राय: 'स्पीड मनी' के रूप में रिश्वत की माँग करते और इसे प्राप्त करते हैं।[15] प्रशासनिक प्रक्रिया की इस कमी को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब तथा राजस्थान आदि राज्यों द्वारा सेवा के अधिकार से संबंधित कानून का निर्माण किया गया है जो एक सराहनीय पहल है, जरूरत इस बात की है कि इस तरह के कानून के दायरे में ज्यादा से ज्यादा सेवाओं को लाया जाए तथा जिन राज्यों में इस तरह के कानून नहीं हैं, वह भी इस दिशा में शीघ्र व सार्थक पहल करें। यह वास्तव में अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार एक अंतहीन रूदन का विषय बन गया है, इस हद तक कि इसकी चर्चा सिर्फ रस्मी रह गयी है. .... यह बढ़ता हुआ विश्वास कि सभी भ्रष्ट हैं लोगों के मन में यह भाव भी पैदा करता है कि चूँकि सभी भ्रष्ट ही हैं तो ईमानदार रहना जो कठिनाईयों से भरा है जरूरी नहीं है और भ्रष्ट आचरण ही व्यावहारिक आचरण है। इस तरह जो भ्रष्ट आचरण से घबराते हैं वे अव्यावहारिक या इससे भी बढ़कर निरे मुर्ख समझे जाते हैं।[16] प्रशासक और लोक सेवक भी इसके अपवाद नहीं हैं। हमारे सामने ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो यह बताते हैं कि ईमानदार अधिकारियों (जैसे- अशोक खेमका) का किस तरह बार-बार तबादला कर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है ताकि वे अपने राजनीतिक आकाओं के गलत कार्यों का विरोध नहीं करें।[17] बेइमान अधिकारी चाहे जिस पार्टी की भी सरकार बने मजे में रहते हैं क्योंकि उन्हें अपने राजनीतिक आकाओं की मांग के मुताबिक खुद को ढालना आता है।

प्रसिद्ध समीक्षक सुरेन्द्र मोहन का मानना है कि अंग्रेजी राज्य के दिनों से विनिर्मित इस्पाती ढाँचा जिसे निष्पक्ष और निर्भ्रष्ट होना चाहिए अपने उन सभी गुणों से च्यूत होता जा रहा है। भ्रष्टाचार के पनपने में उच्च स्तरीय सत्ता का जो भारी योगदान है उसमें नेता, अफसर और पूंजीपति की मिली-भगत बरसों से चलती रही है और इसके चलते न केवल प्रशासन की साख को भारी धक्का लगा है बल्कि चुनावों व अन्य राजनीतिक कामकाज में थैलियों व थैलिशाहों का बोलबाला हो गया है।[18] यहाँ हमें इस बात को याद रखना होगा कि भारत जैसे देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार और प्रशासनिक भ्रष्टाचार हमजोली हैं जो एक-दूसरे को सहयोग व समर्थन प्रदान करते हैं। यही वजह है कि लोक सेवाओं में सुधार हेतु प्रयासों को लेकर काफी लंबे समय तक अनिच्छा का भाव देखने को मिला है। हालांकि हाल के वर्षो में स्थिति में बदलाव हेतु कुछ सकारात्मक प्रयास हुए हैं, जैसे- नागरिक घोषणा पत्र को अपनाना, सूचना का अधिकार कानून का क्रियान्वयन, समयबद्ध सेवा प्रदायगी के कानून पर अमल, सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था, ई. अभिशासन पहल आदि, लेकिन अभी भी इस दिशा में काफी कुछ किए जाने की आवश्यकता है। अध्ययन बताते हैं कि नागरिक घोषणा पत्र को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जाने के बावजूद देश में इसकी प्रभाविता कमोबेश औसत ही रही है। भारत में नागरिक घोषणा पत्रों को प्रारंभ करने के तकरीबन एक दशक बाद 2007 में पब्लिक अफेयर्स सेंटर, बंगलौर ने इसकी प्रभाविता की समीक्षा की और 'इंडियाज सिटिजन्स चार्टर- ए डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस' के नाम से प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इसकी खामियों को उजागर किया जिनमें प्रमुख थीं- घटिया डिजाइन और विषय वस्तु, सार्वजनिक जागरूकता का अभाव, अपर्याप्त आधार कार्य, घोषणा पत्रों को अद्यतन नहीं किया जाना, घोषणा पत्रों के निर्माण में वरिष्ठ नागरिकों एवं विकलांगों की आवश्यकताओं की उपेक्षा आदि।[19] इन कमियों को सुधारने की दिशा में आज भी पर्याप्त पहल नहीं हुई है। ऐसे में सिटिजन चार्टर से जो उम्मीदें हैं वह पूरी नहीं हो पा रही हैं।

यही स्थिति 'सूचना का अधिकार' कानून के साथ भी है जो यद्यपि एक बेहतरीन पहल है तथापि जागरूकता के अभाव, अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित लोक सूचना अधिकारियों, बेकार हो चुके रिकॉर्ड प्रबंधन दिशा निर्देशों, लोक सूचना अधिकारियों में अभिप्रेरणा की कमी, निगरानी एवं निरीक्षण के अभाव, लंबित मामलों में वृद्धि तथा सूचना आयोगों की भौगोलिक अवस्थिति जैसे कारणों से 'सूचना का अधिकार' कानून के अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त हो रहे हैं।[20] इसके अलावे 'सूचना का अधिकार' कानून के तहत सूचना मांगने वाले सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या, हत्या के प्रयास तथा झूठे मामलों में फंसा कर उन्हें प्रताड़ित करने जैसे मामलों ने भी इस कानून के जरिये प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिशों को धक्का पहुँचाया है।[21]

भारत में सामाजिक अंकेक्षण को प्रत्यक्षत: स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में पारदर्शिता लाने एवं जनसहभागिता निभाने के आंदोलन से लोकप्रियता मिली है और यह प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर अंकुश का एक अच्छा माध्यम सिद्ध हो रहा है। इस बात के मद्देनजर कि हमारे देश में सरकारी बजट का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय होता है यह इस बात पर नजर रखने में कि कैसे और कितनी मात्रा में धनराशि अपेक्षित प्राप्तकर्ताओं की बजाए दूसरी तरफ मोड़ी गई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है[22] तथापि इसका दायरा अभी काफी संकुचित है। भारत में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 वह प्रथम राष्ट्रीय कानून है जिसमें सामाजिक लेखा परीक्षण की प्रक्रिया को विधिवत तथा पूरे मनोयोग से स्वीकार किया गया है।[23] इस तरह की व्यवस्था न सिर्फ दूसरे क्षेत्रों में भी करने की जरूरत है बल्कि इसकी गति पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि मुक्त सूचना के इस युग में इस तरह की व्यवस्था का लाभ अगर हम अपेक्षित तेजी के साथ आम जनता तक नहीं पहुँचाते हैं तो इसके अत्यंत घातक परिणाम भी हो सकते हैं।

प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की दिशा में ई-अभिशासन पहल एक महत्वपूर्ण नवाचार है। राष्ट्रीय ई. गवर्नेंस योजना समेत राज्य स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों जैसे- बिहार में 'जानकारी' मॉडल, कर्नाटक में 'भूमि' कार्यक्रम, आंध्र प्रदेश में 'ई-सेवा', उत्तर प्रदेश में 'लोकवाणी' तथा केरल में 'फैंड्स' परियोजना ने न सिर्फ लोंगों के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुँच को आसान बनाया है बल्कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाने में सफल रही है। लेकिन इस तरह की ई.अभिशासन पहलों के साथ भी कुछ समस्याएँ हैं जैसे- लोगों में साक्षरता विशेषकर कम्प्यूटर साक्षरता का अभाव, ज्यादातर जानकारियों का अंग्रेजी में उपलब्ध होना, इंटरनेट की अनुपलब्धता तथा अत्यधिक लागत आदि। फिर भी जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले के लोक नीति के सहायक प्रोफेसर जेन्फिर बुसेल का कहना है तकनीक का सबसे बड़ा योगदान यह है कि इसने नागरिकों की सूचना तक पहुँच सुनिश्चित की है।[24] सूचना के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि अब लोक सेवकों के लिए कई मामलों में लोगों को पहले की तरह अंधेरे में रखना संभव नहीं है जो भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी वजह है। इस संदर्भ में किरण कार्णिक की टिप्पणी अत्यंत सटीक है कि तकनीक भी कोई जादू की गोली नहीं है लेकिन यह पारदर्शिता, पहुँच तथा दक्षता प्रदान कर सकती है और परिवर्तनकारी हो सकती है। यह (तकनीक) नाव से पानी बाहर फेंकने वाले की बजाय छेद बंद करने वाला रणनीतिक उपकरण हो सकती है।[25]

भारत में लोक सेवाओं की दशा और दिशा के इस समग्र विवेचन का समाहार करते हुए कहें तो भारतीय लोक सेवा यात्रा के क्रम में आदर्श, आशा तथा अनाचार के पड़ावों से होकर गुजरती रही है। किसी समय में इस्पाती ढाँचा मानी जाने वाली भारतीय लोक सेवा आज घुन लगी लकड़ी की तरह हो चुकी है तथापि इसके लिए सिर्फ लोक सेवा को ही उत्तरदायी ठहराना इसके साथ ज्यादती होगी। वास्तव में कोई भी संरचना या व्यवस्था अपने परिवेश के प्रभाव से अछूती नहीं रह सकती। लोक सेवा पर भी सामाजिक राजनैतिक परिवेश का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसा कि सच्चिदानंद सिन्हा का विचार है ''भारत के आधुनिकतावादी, जीवन का प्रधान लक्ष्य भौतिक या आर्थिक उपलब्धि मानते हैं लेकिन इसके लिए खुली प्रतियोगिता की जगह जो आधुनिकता की मांग है पारिवारिक या जातिय खोल के भीतर से ही उपलब्धि के साथ संघर्ष में जुटना चाहते हैं। यह दोष दिनोंदिन और भी सघन होता गया है। .... हमारे यहाँ भ्रष्टाचार ...... उस सामाजिक मूल्यहीनता का परिणाम है जहाँ पारंपरिक मूल्यों का लोप हो चुका है पर पारंपरिक वफादारियां अपनी जगह पर जमी हुई हैं।[26] जब तक हम इस बुनियादी बात पर ध्यान नहीं देंगें व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन संभव नहीं है। हमारे देश में प्रशासनिक भ्रष्टाचार वस्तुत: राजनीतिक शह पाकर ही इस हद तक सुदृढ़ हुआ है ऐसे में राजनीतिक सुधार के बगैर प्रशासनिक सुधार की कोई भी योजना अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकती। इतिहास साक्षी है कि 18वीं सदी और 19वीं सदी के प्रथमार्द्ध में ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था भ्रष्टाचार को लेकर कुख्यात हो चुकी थी लेकिन विलियम एबर्ट ग्लैडस्टोन ने 1850 में वित्त मंत्री के रूप में और तत्पश्चात् 1868 से चार बार बतौर प्रधानमंत्री कार्य करते हुए चुनाव सुधार और प्रशासनिक नियमों तथा विनियमों में व्याप्त कमियों को दूर करने हेतु अपेक्षित इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया जिसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार में इस हद तक कमी आयी कि ब्रिटेन को दुनिया के शीर्ष 15 न्यूनतम भ्रष्ट देशों की सूची में शामिल होने का सम्मान प्राप्त हुआ।[27] भारत की शासन व्यवस्था भी इसका अपवाद नहीं है विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसकी जड़ें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन तंत्र में निहित है और कमोबेश हमारी संपूर्ण प्रशासनिक व राजनीतिक व्यवस्था ब्रिटिश व्यवस्था के प्रतिरूप हैं इस बात में कोई संदेह नहीं कि राजनीतिक इच्छाशक्ति से संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था में काफी हद तक एक सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। हालांकि इसके साथ ही हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि केवल कानून बनाना और संगठनात्मक परिवर्तन करना पर्याप्त नहीं है। सच तो यह है कि नैतिकता बाहरी तत्व है जो समाज के लोगों के व्यवहार पर निर्भर करती है अत: जब तक समाज के लोग स्वयं मूल्यों का निर्माण करते हुए इसका पालन नहीं करते संपूर्ण सुधार संभव नहीं है।

संदर्भ सूची

1. सुभाष कश्यप, विश्व प्रकाश गुप्ता. राजनीति कोष पृष्ठ 67
2. श्री राम माहेश्वरी. भारतीय प्रशासन पृष्ठ 253

3. E. N. Gladden. ‘The Civil Service:Its Problems and Future’,p.35
4. बी.एल. फाड़िया. लोक प्रशासन पृष्ठ 438
5. Dr. T. Bhattacharya. ‘The Indian Penal Code’,p.12
6. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 10वीं रिपोर्ट पृष्ठ 314
7. Delegated Legislation-PRS. www.prsindia.org/…/1370586704-Parliamentary%20 Security%20of%2
8. Noor Mohammed Bilal. ‘Dynamism of Judicial Control and Administrative Adjudication’,p.24
9. डी.डी. बसु. भारत का संविधान एक परिचय पृष्ठ 312
10. Kuldeep Mathur,James Warner Bjorkman. ‘Policy Making in India: Who Speaks? Who Listens?’p.76
11. Kuldeep Mathur. ‘From Government to Governance’,p.47
12. Jagdish N. Bhagwati. ‘Getting Corruption Right’.www.project-syndicate.org/commentry/getting-corruption-right.
13. Kuldeep Mathur. ‘From Government to Governance’.p.47
14. Kiran Karnik. ‘Corruption:Try technology as it can be transformational’. The Economic Times(6 November 2012)
15. N. Changkakoti. ‘Corruption and its eradication in India’. The Clarion:Multidisciplinary International Journal, Volumn-1. Number-1, February(2012).pp.183-85
16. सच्चिदानंद सिंहा. लोकतंत्र की चुनौतियां पृष्ठ 113-123
17. 45th Transfer? IAS officer Ashok Khemka,who took on Robert Vadra,asked to shift again. www.ndtv.com/.../45th transfer-ias-officer-ashok-khemka-who-took-on-
18. सुरेन्द्र मोहन. लोक संस्थाओं का क्षय (भारत का राजनीतिक संकट, संपादक राजकिशोर)पृष्ठ 70
19. ‘India’s Citizen’s Charter:A Decade of Experience’. Public Affairs Centre,Bangalore
20. ‘Key issues and constraints in implementing the RTI Act’. rti.gov.in/rticorner/studybypwc/key-issues.pdf.
21. for detailed analysis see- RTI activist:sitting ducks of India. Published by: Asian Centre for Human Rights(2011)
22. Priti Patnaik. ‘Social audits in India’.the guardian (13 january 2012)
23. nrega.nic.in/circular/Social-Audit.htm.
24. Beina Xu. ‘Governance in India:Corruption’. www.cfr.org/corruption-and..../governance-india-corruption/p31823
25. Kiran Karnik. ‘Corruption:Try technology as it can be transformational’. The Economic Times(6 November 2012)
26. सच्चिदानंद सिंहा. लोकतंत्र की चुनौतियां पृष्ठ 113-123
27. N. Changkakoti. ‘Corruption and its eradication in India’. The Clarion: Multidisciplinary International Journal, Volumn-1, Number-1. February(2012).pp.183-85

उभय लिंग का मानवाधिकार

डॉ० सुरेन्द्र कुमार यादव

(प्राध्यापक) शासकीय नवीन महाविद्यालय, अमोरा, जिला - मुंगेली (छ.ग.)

रामकुमारी

शोधार्थी- राजनीति विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी वि.वि. बिलासपुर (छ.ग.)

सारांश- संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की स्त्री या पुरूष जाति का बोध होता है, उसे व्याकरण में लिंग कहते है। दुसरे शब्दो में संज्ञा शब्दों के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह स्त्री या पुरूष है, उसे लिंग कहते है इसके अलावा न तो वह स्त्री होता है, न ही पुरूष हमारे समाज में इस लिंग को तीसरा लिंग से सम्बोधित किया जाता है।

ट्रांसजेंडर की परिभाषाः- व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जोकि (1) न तो पूरी तरह से महिला है और न ही पुरूष, (2) महिला और पुरूष, दोनों का संयोजन है, या (3) न तो महिला है और न ही पुरूष। इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति का लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता और जिसमें ट्रांस-मेन (परा-पुरूष), ट्रांस-विमेन (परा-स्त्री) और इंटरसेक्स भिन्नताओं और लिंग विलक्षणताओं वाले व्यक्ति भी आते हैं। किन्नरों को हिजडे़ खोजा, छक्का, जोगप्पा, जीगता, शिवशक्ति, तृतीय लिंग, नपुंसक इत्यादि नाम से जाना जाता है। समाज रूढ़ीगत मानसिकता के चलते इन्हें हेय दृष्टि से देखता हैं। शोध अध्ययन से यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि तृतीय लिंग समुदाय हमारे समाज की दोहरी मानसिकता के चलते परित्यक्त जीवन जीने को मजबूर है। किन्नरो में कुंठा निराशा अवसाद तनाव इत्यादि मनोवैज्ञनिक समस्याओं का सामना उन्हे बाल्यवस्था से ही करना पड़ता है। भारत का संविधान देश के सभी नागरिकों को समाजिक, आर्थिक और राजनितिक, न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा निष्ठा और अवसर की समानता का अधिकार देता है। थर्ड जेन्डर एक ऐसा समुदाय है जिसे स्वतंत्रा प्राप्ति से लेकर अब तक अपने मौलिक अधिकार तथा अपने अस्तित्व के सम्मान के लिए निरंतर संघर्षरत है। पुरूष या महिला शरीर संरचना से अगल होने के कारण ट्रॉसजेंडर अपने आप को अलग महसूस करते है बचपन से ही इनकी चाल, व्यवहार एवं पहनावा को स्त्री, पुरूष से अलग करता है। यही से उनकी सामाजिक संघर्ष की शुरूआत होती हैं। थर्ड लिंग होने से समाजिक समस्याओं से उन्हे सामना करना पड़ता हैं, जो इस प्रकार है:-

1. समाज में थर्ड लिंग भी एक स्त्री के द्वारा ही जन्मी जाति है जैसे स्त्री या पुरूष जन्म लेता या लेती है फिर भी एक लड़का या लड़की को जन्म लेने से जितनी खुशी होती है, उसकी उपेक्षा इनका जन्म ही मॉ बाप की खुशी को बाधित कर देती है इनके प्रति परिवार में ही अलग व्यवहार किया जाता है 99 प्रतिशत ट्रांसजेंडर अपने ही परिवार में असमानता का सामना करते है।

शिक्षा संस्थानः- शिक्षा संस्थानों में भी इनके लिए अलग धारणा होती है स्कूल, कॉलेजो में इनको बाथरूम की समस्या जो कि इन सुविधाओं का लाभ उठाने में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कक्षा में भी इनके साथ बैठने, चलने, फिरने दोस्त बनाने में भी भेदभाव का सामना करना आम बात है।

सामाजिक संघर्षः- समाज में इन्हें जान लेने के पश्चात इनको इनके नाम से नहीं बल्कि किन्नर शब्दों से इन्हें सामना करना पड़ता है। इनके बारे में अधूरी जानकारी समाज में इनके प्रति पूर्वाग्रह एवं गलत धारणओं को जन्म देती है। समाज में टॉसजेंडर को स्वीकार करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं परिवार के बहिष्कार के बाद वह बाहर उन्ही लोगों में शामिल हो जाते हैं जो उनके समान है। अगर शुरू में ही परिवार द्वारा इनको अपना लिया जाये तो यह अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास उसी तरह कर पायेंगे जितना कि आम स्त्री या पुरूष कर पाते है। विकास के कानून के द्वारा इनके लिए जो भी अधिकार प्रदान किये गये है वह तब तक निर्रथक है, जब तक परिवार और समाज इनको अपने समान इंसान की श्रेणी में नहीं मान लेते, समाज में कई ऐसी घटना देखी और सुनी जाती है जहा टॉसजेंडर का मजाक उड़ातें हुए देखा जाता है, ऐसे में वह मानसिक तनाव में या तो खुदखुशी कर लेता है, या घर छोड़ देता है। क्या ट्रांसजेंडर इंसान नहीं क्या इनके प्रति गलत व्यवहार करना चाहिए। यह वर्तमान पीड़ी की सोच पर निर्भर करता है, कि इनसे बुरा बर्ताव करना, भेदभाव करना क्या इंसानियत का दमन नहीं हैं जो मनोभाव एक इंसान में होता है। भारत एक स्वतंत्र देश है जहां सामाजिक आर्थिक एवं राजनीति अधिकार यहाँ के नागरिकों को प्राप्त हैं। परन्तु थर्ड लिंग को राशन कार्ड, वोटर आई डी जैसे अधिकारो को प्राप्त करने के लिए भी भेद-भाव का सामना करना पड़ता है जो की 21 वीं सदी की सोच की दयनीय स्थिति है।

2. थर्ड जेंडर हेतु राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय कानून:- स्तर पर जेंडर पहचान के रूप मे 26 मार्च 2007 को जेन्डर आधारित कानून पारित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 18 दिसम्बर 2008 को 66 देशो के हस्ताक्षर से मानवाधिकार ने जेंडर के पहचान के फैसले को भेदभाव रहित निजी अधिकारों की सुरक्षा को ध्यान में रख कर मानवाधिकार सुनिश्चित करने की पहल की । भारत में थर्ड जेंडर पर मानवाधिकार के लिए संघर्ष की शुरूवात 1993 से होती है। सर्व प्रथम पुलिस के उत्पीड़न के विरोध में भेदभाव के खिलाफ आंदोलन हुआ। लंबी लड़ाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल 2014 को इस समाज को थर्ड जेंडर में शामिल करके ट्रांसजेंडर नाम देकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कानून का आश्रय लेकर सफलता के सोपान पर दस्तक दे रहे है। दक्षिण आफ्रीका, ब्रिटेन, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, यूरोप आदि देशों में मूल मानवाधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा-1966 का सहारा लिया जाता है। 6 से 9 नवम्बर, 2006 को इंडोनेशिया के जकार्ता में विश्व स्तर पर आयोजित सम्मेलन में लैंगिक पहचान को मान्यता देते हुए कुछ सिद्धांतो को मान्य किया गया है। जिसके आधार पर अनेक देशों में कानून बनाए गए जिनमें प्रमुख रूप से ब्रिटेन का समानता अधिनियम-2010, आस्ट्रेलिया का लिंग-विभेद अधिनियम -1984 एवं संशोधन अधिनियम यूरोपियन कानून 2006 (5 जुलाई, 2006 से सत्ताईस देशों में लागू), हेट क्राइम प्रिवेंशन एक्ट 2009 अमेरिका आदि उल्लेखनीय है।

कानूनी अधिकार:- राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ के निर्णय में अदालत ने तीसरे लिंग को अनुच्छेद 14,15,16 और 21 के तहत समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान की है। अर्थात भारतीय संविधान के अनुसार इन्हे समान संरक्षण प्राप्त हो गया है।

राजनीतिक अधिकार:- ट्रांसजेंडर को तीसरें लिंग का दर्जा प्राप्त 2019 के अधिनियम से हुआ है परन्तु 1994 से ही उनको वोट डालने का अधिकार प्राप्त हैं। समाज के द्वारा स्वीकार न किये जाने के कारण इनकी मौजुदगी को नजर अन्दाज किया गया है परन्तु भारत सरकार द्वारा तीसरे लिंग को अब राजनीतिक क्षेत्र से जोड़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

भेदभाव के खिलाफ निषेध:- शुरू से ही तीसरे लींग को समाज द्वारा अपमानित किया गया है शिक्षा स्वास्थ्य, एवं रोजगार से वंचित किया गया है। जिसके वजह से हमेशा उनको इस पीड़ा से गुजरना पड़ा है और आज भी गुजर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा तीसरे लिंग को मान्यता के साथ अब तीसरे लिंग के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कर विशेष फंड उपलब्ध करायेंगे। रोजगार के लिए नौकरीयों में इनके लिए विशेष आरक्षण प्रदान किया जायेगा। स्वास्थ्य असामानताओं का निषेध करते हुए 2019 अधिनियम के तहत इनके स्वास्थ्य के लिये एच.आई.वी. निगरानी केन्द्र और सेक्स रिअसाइमेंट सर्जरी शामिल किया गया है।

ट्रांसजेंडर की समाजिक समस्या को दुर करने हेतु उपाय:-

शिक्षण संस्थान एवं सार्वजनिक स्थानों में समान सुविधा- जिस प्रकार स्त्री पुरूष के लिए शिक्षण एवं सार्वजनिक स्थानो में अस्पतालो में शौचालय सुविधा उपलब्ध होना चाहिए।

- सामाजिक भेदभाव के खिलाफ तुरंत कार्यवाही
- शासन द्वारा देय सुविधाओं का लाभ बराबर होना चाहिए।
- स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन
- अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता की आवश्यकता।
- ऐसा परिवार जो ऐसे बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित करें कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए।
- जब तक उनकी मर्जी न हो उनके समूह को नहीं सौपा जाना चाहिए। ऐसा करने पर सख्त सजा की प्रावधान होनी चाहिए।
- छक्का, हिजड़ा जैसे अपमान जनित शब्दों पर पाबन्दी लगाया जाना चाहिए। एवं उन्हें सम्मानीत शब्दो से पुकारा जाना चाहिऐ।

केन्द्र और राज्य सरकारो को न्यायलय द्वारा निर्देश:-

1. तीसरे लिंग के रूप मे मान्यता देना
2. पिछड़े वर्ग में शामिल करना
3. उचित स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना
4. सामाजिक उत्पीड़न से सुरक्षा
5. स्वास्थ्य संबंधी सुविधा एवं सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करना।
6. विशेष योजनाऐं उपलब्ध कराना
7. जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना।

अब न्यायालय की इस निर्णय द्वारा तीसरें लिंग को मौलिक अधिकारों से जोड़ा गया है साथ ही ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का अधिकार विधेयक 2014 द्वारा आयोग का कार्य जॉच की प्रकृति का होगा, उनके खिलाफ किया गया भेदभाव अभद्र व्यवहार भाषा का प्रयोग समाजिक अपमान आदि के खिलाफ कारावास की सजा दिया गया है। अत: कहा सकता है कि इन सभी अधिकार से इनकी जागरूकता होने पर समाज में यह वही भूमिका निभा सकते हैं। जो हम समाज के विकास के लिये कार्य करते है। इन सभी अधिकार की जागरूकता होने पर और मिलने पर वह समाज के लिए वहीं रचनात्मक और सकारात्मक कार्य कर देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण देख सकते हैं जिन टॉसजेंडर ने समाज से संघर्ष कर अपनी अलग पहचान

बनाकर देश के लिए उल्लेखनिय कार्य कर रहे हैं। केरल राज्य सरकार उच्च न्यायलय को सूचित कर पुलिस कॉन्टेबलो की भर्ती के लिए सबसे पहला राज्य बना एवं नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कर एक फीसदी पद आरक्षित किया गया। वही सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग टॉसजेंडर समुदाय और भिक्षुको के कल्याण के लिए स्माइल योजना भी प्रारंभ किये गये है, जो कि इनकी जीवन यापन हेतु कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के मकसद से बनाई गई है। छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृति कौशल विकास और आजीविका पीएम पक्ष योजना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए पीएमजेएवाई पैकेज गरिमा गृह के रूप में आवास आश्रय अपराध सुरक्षा प्रकोष्ठ का प्रावधान है ई-सेवाएं हेल्प लाइन नम्बर एवं विज्ञापन जैसे योजनाओं को क्रियान्वन्ति किया गया है।

निष्कर्ष- भारत देश में लगभग तीसरे लिंग की आबादी 4,87,803 माना गया है जिसमें 54,854 की आबादी बच्चों की है। शुरू से सामाजिक एवं पारिवारिक भेदभाव का सामना करने के कारण इनमें से 50 प्रतिशत ट्रांसजेंडर आत्महत्या की कोशिश कर चुके होते है। भारत देश जहॉ बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है वही उन्हें ट्रांसजेडर बच्चों के साथ हिंसक व्यहार कहां तक सही है, मॉ-बाप बचपन से ही सामाजिक कुरूतियों के कारण उन्हे ठुकरा देते है इन स्थितियों एवं उम्र में मानसिक तनाव होना आत्महत्या की ओर ही ढकेल सकता है। जब तक तीसरे लिंग को समाजिक अधिकार नहीं मिल जाते राजनीतिक अधिकार व्यर्थ है। इनके लिए समाज में वही अधिकार मिलने चाहिए जो एक स्त्री पुरूष होने के नाते मिलता है। इनके मानवाधिकारों का उलंघन पर शक्त कार्यवाही होने की जरूरत है ट्रांसजेंडर में जन्म लेने वाले बच्चों को माता पिता और समाज द्वारा बहिस्कृत किये जाने पर सक्त कार्यवाही कि जरूरत है आज वर्तमान में तीसरे लिंग भी देश-समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रहे है इनका समाज के लिये योगदान बड़ें जिसके लिये समाज को इन्हे समझने और अपनाने की जरूरत है। तभी व्यक्ति होने के नाते इन व्यक्तियों को भी जिसे समाज ने कभी व्यक्ति समझा ही नही जाता व्यक्ति समझने की जरूरत हैं।

संदर्भ ग्रंथः-

1. लेखक - डॉ शरद सिंह थर्ड जेंडर विमर्श पृष्ठ क्रमांक 54 - (2019)
2. लेखक डॉ. सचिन गपाट 21वी सदी की कहानियों में किन्नर विमर्श, मुंबई विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय मासिक पत्रिका
3. डॉ. किरण ग्रोवर तीसरी ताली की थाप पर प्रतिध्वनित किसी तीसरी दुनिया के किन्नरों की व्यथा, ISSN 247556440, Valume 1, 2016
4. डॉ. शगुप्ता नियाज, थर्ड जेंडर के संघर्ष का यथार्थ, विकाश प्रकाशक पृष्ठ 112, 2019
5. लेखक निवेंदिता मेनन जेंडर एण्ड पोलिटिक्स इन इंडिया, OUP प्रकाशक इंडिया, 2001 पृष्ठ क्र. 18
6. डॉ. निता कैन, ह्यूमन राइट ऑफ द थर्ड जेंडर इन इंडिया, 2023 पृष्ठ क्र. 120

बिहार में बदलते राजनीतिक आयाम का अध्ययन

डॉ० पूर्णिमा सिंह

सहायक प्राध्यापिका राजनीति विज्ञान विभाग, ए.एन.डी. कॉलेज, शाहपुर, पटोरी, जिला- समस्तीपुर (बिहार)

बिहार लोकतंत्र का तीर्थ है, इसका मतलब यह नहीं कि बिहार लोकतंत्र का एक आदर्श मॉडल है। लोकतांतिक व्यवस्था के भीतर चल रहे सबसे गहरे संघर्ष को देखना हो तो बिहार से बेहतर दूसरा कोई स्थान दिखबिहार लोकतंत्र का तीर्थ इस मायने में है कि अगर समकालीन दुनिया में लोकतंत्र की हकीकत का साक्षात्कार करना है, एक साथ उसकी ऊँचाई और उसके पतन के दर्शन करने हों, लगाता नहीं है। लोकतांतिक राजनीति के विद्यार्थी की पढ़ाई समकालीन बिहार की राजनीति से मुठभेड़ किए बिना पूरी नहीं हो सकती है।

भारतीय संघ की तीसरी सबसे अधिक आबादी वाली इकाई बिहार, सबसे कम विकसित राज्यों में से एक है तथा अभी भी यह आधुनिकीकरण एवं विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य की इस सापेक्ष लापरवाही के लिए इसके औपचारिक संस्थागत राजनीतिक संरचना को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और न ही इस धारणा को स्वीकार किया जा सकता है कि उसके हिस्से पर प्रकृति किसी भी तरह से कम उदार है।

अन्य सभी संघीय इकाइयों की तरह बिहार राज्य भी संसदीय-संघीय संस्थागत संरचना को चला रहा है। इसका एक समृद्ध-सांस्कृतिक इतिहास है, साथ ही मानव एवं उर्वर भूमि की बहुलता है, परन्तु लोकतांतिक प्रक्रिया के संचालन के सात दशकों बाद भी राज्य व्यवस्था अभी तक अपने उचित राजनीतिक संस्थानीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर पाया है। लोकतांतिक संस्थाएँ एवं व्यवहार विकसित और आधुनिकीकृत राजनीति के वांछित मानदंडों एवं मूल्यों के प्रतिमान (Pattern) पर विकसित नहीं हुए हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक संरचनाओं के बीच पारस्परिक क्रिया या संवाद की प्रकृति तथा स्तर आक्रामक और अति पीड़ा देने वाला रहा है। कभी राज्य राजनीति की प्रदर्शन एवं क्षमता अवनति के निम्नतम स्तर पर पहुँचती हुई दिखाई दी तो कभी सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणाली गंभीर संकट से गुजरता प्रतीत हुआ है। आम धारणाओं पर विश्वास किया जाय तो यहाँ केवल अराजकता नजर आती है लेकिन वह इसलिए की यहाँ अनेक क्रांतियाँ हो रही है, पुरानी व्यवस्था को हटाकर नई व्यवस्था लाने के कई प्रयास चल रहे हैं और समाज में स्थिरता नहीं आई है। अर्थात् राज्य और समाज दोनों अपने स्तर पर गतिशील हैं। जब हम बिहार की राजनीतिक गतिशीलता का अध्ययन करते हैं तो यह गुटवाद, राजनीतिक अस्थिरता, जातिवाद, आर्थिक असमानता और अविकसितता के संयोजन का बहुत ही रोचक तस्वीर प्रस्तुत करता है। परंतु ऐसा नहीं है कि इसके राजनीतिक उत्पाद हमेशा नकारात्मक रहे हैं। निश्चय ही सम्पूर्ण क्रांति (जय प्रकाश नारायण), सामाजिक-न्याय आंदोलन, गैर-संप्रदायिक राजनीति एवं न्याय के साथ विकास मॉडल (Model) ने राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति को नई दिशा दी है। इन सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों के कारण बिहार के राजनीतिक आयाम समय-समय पर बदलते रहे हैं तथा इसने नए-नए प्रतिमानों को गढ़ा है जो राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की दिशा एवं पथ निर्धारण में प्रभावशाली सिद्ध हुई है।

सच यह है कि औपनिवेशिक शासन से आजादी के बाद बिहार आगे बढ़ा। इसके राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणालियों को मजबूत करने के प्रयास किए गए। चूँकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका अदा की थी। अतः जब औपनिवेशिक शक्ति से देश मुक्त हो रहा था तो 'राज्य' में कांग्रेस ब्रिटिश राज की स्वभाविक राजनीतिक उत्तराधिकारी बन गई। ऐसा देश में अन्य राज्यों में भी हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हुए प्रथम विधानसभा चुनाव (1952) में बिहार में भी केन्द्र की भाँति ही कांग्रेस की सरकार बनी। उस समय बिहार के दो बड़े गाँध ीवादी, राष्ट्रवादी नेता डॉ0 श्रीकृष्ण सिंह (प्रथम मुख्यमंती, बिहार) और डॉ0 अनुग्रह नारायण सिंह (प्रथम उप मुख्यमंत्री सह वित्तमंत्री बिहार) सत्ता के शीर्ष पर थे। केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तर पर कांग्रेस की सरकार एवं नेहरू नेतृत्व के कारण राज्य की राजनीति संघीय राजनीति के केन्द्र में ही फलीभूत होती रही। अन्य पार्टियाँ अर्थात् वाम दलों जिनके पास बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गया और सीतामढ़ी जैसे जिलों में समर्थन के कुछ आधार थे वे अपना जनाधार मजबूत नहीं कर सके थे। हालांकि बिहार की राजनीति में इनका समानांतर बोल-बाला लम्बे समय तक रहा। परन्तु वास्तव में इस समय कांग्रेस पार्टी बिना किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के थी। इसने राज्य के लगभग सम्पूर्ण राजनीतिक धरातल पर कब्जा कर लिया था। 1962 तक कांग्रेस पार्टी ने संगठित विपक्षी समूहों की अनुपस्थिति, निम्न मतदान व्यवहार एवं श्रीकृष्ण सिंह के मजबूत नेतृत्व के साथ राजनीतिक स्थान पर एकाधिकार का आनंद लिया। कांग्रेस पार्टी के इस प्रभुत्व के पीछे उसका व्यापक जनाधार था जिसके बल पर उसने 1952, 1957 और 1962 के राज्य विधान सभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि 1962 के चुनावों में उसके कुल सीट संख्या में ह्रास दिखाई दिया, परंतु उसे पूर्व के चुनावों की भाँति ही सर्वाधिक 185 सीट एवं 41.35 प्रतिशत मत प्राप्त हुआ जो उसके राजनीतिक एकाधिपत्य को दर्शाता है।

जहाँ तक राज्य कांग्रेस की बात है तो इस अवधि तक यहाँ भी

सवर्ण नेताओं का बोल-बाला रहा। श्रीकृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, दीप नारायण सिंह, विनोदानंद झा, महामाया प्रसाद सिन्हा जैसे प्रमुख कांग्रेसी सवर्ण नेता रहे, जिनकी पकड़ कांग्रेस पार्टी और सरकार दोनों पर मजबूत एवं निर्णायक रूप में रही। यद्यपि कांग्रेस पार्टी पर उच्च जातियों का व्यापक प्रभाव था फिर भी अन्य जातियों या समुदायों ने भी इस दौरान कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया था। अनुसूचित जातियाँ (पूर्व अस्पृश्य) कांग्रेस के प्रति इस समय तक वफादार थी क्योंकि उनके लिए यह कांग्रेस ही थी जिसने महात्मा गाँधी के नेतृत्व में अस्पृश्यों की गरिमा के लिए लड़ा था और उन्हें अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए संविधान में कई प्रावधानों को शामिल किया था और अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध बना दिया गया था। केंद्रीय और राज्य विधायिकाओं में उनके उचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें आरक्षण दिया गया था। उनके खिलाफ भेदभाव संबंधित अन्य कानूनों का पालन भी सुनिश्चित किया गया था। इन सभी उपायों को दलितों के लिए कांग्रेस के उपहार के रूप में प्रचारित किया गया जिससे वे कांग्रेस के पीछे इकट्ठे हो गए। मुसलमानों के बड़े हिस्से ने भी इस अवधि में कांग्रेस का समर्थन किया। यद्यपि उनका प्रतिनिधित्व पार्टी संगठनों के साथ ही सरकारों में पर्याप्त नहीं था। परंतु कांग्रेस के अलावा कोई प्रमुख और व्यवहार्य राजनीतिक गठन नहीं था जो इनके लिए एक विकल्प हो सके। संक्षेप में, उनके पास कांग्रेस के साथ जाने और इसके लिए वोट देने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं था। जहाँ तक पिछड़ी जातियों की बात है तो इनमें दो धाराएँ थीं- निम्न पिछड़ी जातियाँ तथा उच्च पिछड़ी जातियाँ। निम्न पिछड़ी जातियाँ अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति में थी। इनमें अधिकतर भूमिहीन और बँटाईदार थे। चूँकि इस अवधि के दौरान राज्य के अधिकांश भूमियों पर उच्च जातियों का अधिकार था जिसने एक संरक्षक-असामी/ग्राहक मतदान प्रणाली (Patron-client voting system) को जन्म दिया था। इस व्यवस्था में इन कृषि मजदूरों और बटाईदारों के द्वारा भू-मालिकों की आज्ञा से चुनावों में अपने मतों का इस्तेमाल किया जाता था। अत: भूमि सुधार से संबंधित कोई भी कानून उच्च जातियों के हितों को चोट पहुँचाने के साथ ही कांग्रेस की राजनीतिक संभावना को खतरे में डालने के लिए बाध्य होती।

बिहार की राजनीति में 1990 का विधानसभा चुनाव परिणाम भी लोकसभा चुनाव परिणाम की तरह सत्ता-राजनीति की परिवर्तित सामाजिक बनावट को प्रतिबिंबित कर गया। बिहार विधानसभा में पिछड़ों का प्रतिनिधित्व बढ़कर एक बड़े स्तर पर पहुँच गया था। वैसे, '1990 के विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका था। जनता दल विधायक दल के नेता के चयन के सवाल पर तीन ध्रुव उभरे-रामसुंदर दास को वी0पी0 सिंह, जॉर्ज फर्नांडीस और अजित सिंह का समर्थन प्राप्त था, रघुनाथ झा को चंद्रशेखर और देवी लाल एवं शरद यादव का खेमा लालू प्रसाद यादव के पक्ष में था। जनता दल के युवा विधायक जैसे नीतीश कुमार और जगदानंद सिंह भी लालू प्रसाद के साथ थे। इस त्रिकोणीय संघर्ष के कारण सर्वसहमति से नेता का चयन नहीं हो सका, अंतत: चुनाव हुआ। नेता के चुनाव में लालू सब पर भारी पड़े। लालू प्रसाद को 58, रामसुंदर दास को 54 तथा रघुनाथ झा को 14 मत मिले। मात्र चार वोटों से वरिष्ठ समाजवादी नेता रामसुंदर दास पराजित हो गये। लालू प्रसाद यादव 'जनता दल' के विधायक दल का नेता चुने गये तथा मार्च 1990 में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी भूमिका निर्धारित होने की प्रक्रिया शुरू हुई। लालू के मुख्यमंत्री बनने के कुछ माह बाद ही केन्द्र की वी0पी0 सिंह सरकार ने 7 अगस्त, 1990 को मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा कर दी। देश के अन्य हिस्सों के साथ बिहार में भी विरोध का सिलसिला शुरू हुआ। इसी बीच लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा शुरू हुई। लालू ने दोनों मुद्दों को मंत्र के रूप में इस्तेमाल किया। गाँधी मैदान में 8 अक्टूबर, 1990 को 'मंडल रैली' में लालू ने घोषणा किया कि 'वे किसी भी हाल में मंडल पर समझौता नहीं होने देंगे।' यह स्वत: स्फूर्त रैली थी, जिसमें पिछड़ों का जनसैलाब उमर पड़ा था। मंडल की लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाने लगी। कांग्रेस के दूसरे दर्जे के नेताओं ने 'मंडल' आरक्षण के खिलाफ व्यापक आंदोलन किया, जिसकी उल्टी प्रतिक्रिया हुई। पिछड़े गोलबंद हुए तथा लालू को आरक्षण की लड़ाई का भारी फायदा हुआ। बिहार में यह दूसरा मौका था, जब आरक्षण मसले पर उत्तेजना थी और सड़कों पर खून-खराबा हो रहा था। लालू ने कर्पूरी ठाकुर की तुलना में हमलावर रुख अख्तियार किया। लालू ने आरक्षण के पक्ष में गांव-गांव का दौरा किया। सत्ता में हिस्सेदारी और नौकरी में आरक्षण की भूख ने पिछड़ों को उनके पक्ष में जबर्दस्त ढ़ंग से गोलबंद किया।

जेपी आंदोलन की उपज एवं सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू प्रसाद यादव 1990 से 97 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनकी पत्नी राबड़ी देवी के नेतृत्व में 2005 तक बिहार में उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने शासन किया। चारा घोटाले के मामले में फिलहाल लालू प्रसाद सजा भुगत रहे हैं। वे लोकसभा के पहले सांसद हैं जिन्हें सजा मिलने के कारण सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया।

जनता ने सरकार के सुशासन व देश की सुरक्षा नीतियों में विश्वास दिखाया है। विरोधी दल जनता के लिए व्यावहारिक विकल्प नहीं बन सके हैं। 2020 बिहार चुनाव नतीजों के आकलन से कई आयाम सामने आते हैं। बिहार चुनाव न केवल क्षेत्रीय राजनीति अपितु राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा सरकार की लोकप्रियता को दर्शाता है। यह चुनाव बहुत ही कठिन था। पिछले 15 वर्षों से बिहार में नीतीश कुमार के शासन के कारण एंटी इनकंबेंसी घटक के पश्चात भी राजग को बहुमत मिलना जहां एक तरफ सुशासन बाबू के सार्थक प्रयासों को दर्शाता है वहीं इस बार इस गठबंधन में 125 सीट में से 74 सीट भाजपा को मिलना और 43 सीट

जदयू को मिलना, भाजपा को एक वरिष्ठ सहयोगी के रूप में सामने लाता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री का सबका साथ, सबका विकास मॉडल सबके विश्वास में तब्दील हो चुका है।

बिहार चुनाव से पहले कोरोना संक्रमण के दौरान पूरे देश ने अप्रवासी मजदूरों का पलायन देखा। बिहार चुनाव में श्रमिकों का पलायन बहुत बड़ा मुद्दा था जिसे लगभग सभी पार्टियों ने प्रमुखता से उठाया। बावजूद इसके राजग को बहुमत मिला, इसलिए यह कहा जा सकता है कि मतदाताओं की नजर में देश और राज्य के विकास के लिए मोदी सरकार ही एकमात्र विकल्प है। इन चुनावों में महिला और पिछड़े वर्ग के मतदान को अति महत्वपूर्ण माना जा सकता है। महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान में भाग लिया और स्वतंत्र रूप से स्वयं महिलाओं के विकास से जुड़े मुद्दों पर मतदान किया। चाहे वह केंद्र की शिक्षा नीति रही हो या उज्ज्वला नीति या राज्य सरकार की बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए साइकिल देना, महिलाओं के लिए पंचायत में 50 फीसद आरक्षण या नीतीश सरकार की शराबबंदी की 2016 की नीति, जिससे घरेलू उत्पीड़न में व्यापक कमी आई है। इससे महिलाओं का प्रभावी सशक्तीकरण हुआ। इन्हें साइलेंट वोटर्स के रूप में देखा गया है। साइलेंट वोटर्स पिछले 5 दशकों से उन मतदाताओं के लिए प्रचलित है जिनका मत पहले से निश्चित नहीं होता परंतु चुनाव के नतीजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भविष्य में हम यह भी देखना चाहेंगे कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी भी बढ़े।

बिहार चुनाव यह भी स्पष्ट करते हैं कि चुनाव में क्षेत्रीय दल और विषयों के साथ साथ भाजपा और केंद्रीय विषय भी प्रभावी हो रहे हैं। एक मतदाता के लिए स्थानीय मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय मुद्दे जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा भी महत्व रखते हैं। राष्ट्रीय हित और निजी हित में सामंजस्य है। मतदाता का विश्वास है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मोदी एकमात्र विकल्प है और वह इन परिस्थितियों में बेहतर कार्य कर रहे हैं। विरोधी दलों द्वारा सरकार की आलोचना रचनात्मक है या केवल विरोधी दल होने के कारण आलोचना कर रहे हैं यह भी अंतर जनता समझती है। ऐसा बिहार समेत कर्नाटक, गुजरात, यूपी इत्यादि में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन से भी जाहिर होता है। कई राज्यों में तो पिछले चुनावों में जो सीट पहले कांग्रेस के पक्ष में गई थी वह भी उपचुनावों में भाजपा को मिली है, अर्थात मतदाता ने भाजपा की सक्रिय और सकारात्मक नीतियों और कार्यों में आस्था जताई है। भविष्य में यदि कांग्रेस को पुनरू सार्थक बनना है तो अपनी नीति और संरचना को बदलना होगा क्योंकि बिहार चुनाव के नतीजे स्पष्ट करते हैं कि महागठबंधन को लोगों ने विकल्प के रूप में अस्वीकार किया है।

उपरोक्त तथ्यों से यह ज्ञात होता है कि बिहार की राजनीति गत्यात्मक है एवं अवधि विशेष में राज्य के अलग-अलग राजनीतिक आयाम रहे हैं। अगर कभी यह राष्ट्रीय राजनीति से प्रभावित रही तो किसी समय में इसने स्वयं राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया। बिहार की राजनीति में कभी दलों की आंतरिक टकराव एवं गुटबंदी हावी रही तो कभी गठबंधन की राजनीति का प्रभाव रहा। इसके साथ ही यहाँ किसी खास समय में जातिवादी राजनीति का बोल बाला रहा तो किसी समय यह विकास की राजनीति की ओर उन्मुख दिखी। इस प्रकार स्पष्ट है कि बिहार राज्य के राजनीतिक आयाम बदलते रहे हैं और यह अनवरत गतिशील है।

संदर्भ सूची

1. Varma, Vishwanath Prasad & Verma, Vishwanath Prasad (1987), 'The Political System of Bihar', The Indian Journal of Political Science, Vol. 48, No. 4, p. 506.
2. चौधरी, प्रसन्न कुमार एवं श्रीकांत (2010), बिहार में सामाजिक परिवर्तन, विद्या विहार, नई दिल्ली, पृ0 12-13.
3. Roy, Ramashray "Bihar" in Sharma, Sadhna (ed.) (1995), State Politics in India, Mittal Publication, New Delhi, pp. 105-106.
4. सिंह, समीर कुमार (2001), बिहार के राजनीतिक एवं सामाजिक संदर्भ में डॉ0 श्री कृष्ण सिंह का योगदान, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, पृ0 131.
5. वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद (2014), निर्वाचन और राजनीति, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, पृ0 57.

आधुनिक भारतीय चिन्तक डॉ० भीमराव अम्बेडकर के राजनीतिक विचार

डॉ० अनिल शर्मा

राजनीति विज्ञान विभाग, डॉ. एल.के.वी.डी. कॉलेज, ताजपुर, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

डॉ० अम्बेडकर के चिन्तन में जनतंत्र के प्रति उनकी गहरी आस्था सर्वव्याप्त है। यह जनतंत्र को मानव जीवन का एक ढंग मानते थे। मानव जीवन में स्वतंत्रता का महत्व स्वीकार करते हुए, उन्होंने मानवीय स्वतंत्रता को माध्यम के रूप में माना, हालांकि वह स्वतंत्रता को स्वेच्छाचारिता के साथ नहीं जोड़ते थे। डॉ० अम्बेडकर ने अनियंत्रित स्वतंत्रता को कभी स्वीकार नहीं किया। चूंकि आदमी पाशविक प्रवृत्ति से भी प्रभावित होता है, इसलिए राज्य द्वारा उसकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना आवश्यक हो जाता है। डॉ० अम्बेडकर ने राज्य की उपादेयता को स्वीकार किया। वह चाहते थे कि राज्य के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन तथा सुधार लाना जनहित में सिद्ध होगा। निःसंदेह डॉ० अम्बेडकर राज्य को जनतांत्रिक व्यवस्था में एक अनिवार्य संस्था मानते थे। विशेषकर अशान्ति और विद्रोह के समय इसका उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। उन्होंने समाज को अधिक महत्व दिया, लेकिन फिर भी राज्य का महत्व कम नहीं होता, उसका सबसे बड़ा कार्य 'समाज की आन्तरिक अव्यवस्था और बाह्य अतिक्रमण से रक्षा करना है।'[1] राज्य का अपना एक क्षेत्र है जिसमें उसकी गतिविधियाँ मान्य होती है, हालांकि डॉ० साहेब राज्य को निरपेक्ष शक्ति के रूप में नहीं मानते थे। उसका स्थान गौण है। उन्होंने कहा, 'किसी भी राज्य ने एक ऐसे अकेले समाज का रूप धारण नहीं किया जिसमें सब कुछ आ जाए या राज्य ही प्रत्येक विचार एवं क्रिया का स्रोत हो।[2] वह राज्यव्यवस्था को मानव हित की सेवा के दृष्टिकोण से देखते थे। राज्य जन-साधारण की सेवा का एक सशक्त माध्यम है।

डॉ० अम्बेडकर की दृष्टि से, राज्य एक मानव संस्था है। फिर भी राज्य सर्वशक्तिमान एवं निरपेक्ष नहीं होता, क्योंकि जनता ही उसका अन्तिम आधार है। कोई भी राज्य संगठन या सरकार जनता के द्वारा उसकी आज्ञापालन पर निर्भर होती है। राज्य की सत्ता के प्रति आज्ञापालन की भावना महत्वपूर्ण बात है। राज्य व्यवस्था की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि लोग उसके कानूनों का पालन करें। डॉ० अम्बेडकर जेम्स ब्राइस की इस बात से सहमत थे कि शक्ति या दबाव के द्वारा राज्य अपने को मजबूत बना सकता है। लेकिन दबाव अनेक साधनों में से एक है। यह निर्विवाद तत्त्व नहीं है। डॉ० अम्बेडकर ने कहा, 'राजनीतिक समुदायों को उत्पन्न करने, उनकी अच्छी दिशा में ढालने, उनको विस्तृत रूप देने तथा उनको एकत्रित करने में दबाव से अधिक महत्वपूर्ण आज्ञापालन की भावना है। आज्ञापालन की भावना जो सरकार के कानूनों तथा नियमों के प्रति प्रदर्शित की जाती है, व्यक्ति और सामाजिक समुदायों की कुछ मनोवैज्ञानिक धारणाओं पर निर्भर करती है।[3] यह आज्ञापालन का भाव आलस्य, सम्मान, सद्भावना, बुद्धि और भय के सम्मिश्रण से उत्पन्न होता है। ये गुण या भावनाएँ सापेक्ष है और राज्य तथा समाज की परिस्थितियों पर निर्भर होती है। राज्य और जनता दोनों ही किसी व्यवस्था को भलीभाँति संचालित करने में सफल हो सकते है।

राज्य व्यवस्था की सुदृढ़ता के लिए जनता के द्वारा सम्मान एवं सद्भावना का होना आवश्यक है। सरकार के प्रति आज्ञापालन का भाव शान्ति व्यवस्था के लिए जरूरी है। इन बातों के बिना न कोई सरकार, न कोई जनतंत्र या समाजवाद, सफल हो सकता है। इसीलिए डॉ० अम्बेडकर ने कहा, 'सरकार की सत्ता के प्रति, सरकार की सुदृढ़ता के लिए आज्ञापालन की भावना उतनी ही आवश्यक ही आवश्यक है जितनी कि राजनीतिक दलों की राज्य के मौलिक तत्त्वों पर एकता। किसी भी विवेकशील व्यक्ति के लिए यह असम्भव है कि वह राज्य व्यवस्था को कायम रखने के लिए आज्ञापालन के महत्व को अस्वीकार करे। नागरिक अवज्ञा में विश्वास करना, अराजकता में विश्वास करने के समान है। डॉ० साहेब ने जनता की भलाई के लिए राज्य व्यवस्था को अत्यन्त आवश्यक बतलाया। इसके लिए यह भी जरूरी है कि सभी नागरिक राज्य के कानूनों तथा नियमों के प्रति आज्ञापालन की भावना बनाए रखें। साथ ही, डॉ० अम्बेडकर की यह मान्यता थी कि राज्य का प्रमुख कार्य व्यक्ति एवं समाज की स्थिति को सुधारना है। राज्य व्यवस्था, उसकी अनिवार्यता एवं सामर्थ्य में अटूट विश्वास प्रकट करते हुए, डॉ० अम्बेडकर ने कहा कि उसके मुख्य कार्य इस प्रकार होने चाहिए-

1. 'प्रत्येक व्यक्ति के जीवित रहने, स्वातंत्र्य तथा आनन्द के अधिकारों को बनाये रखना राज्य का काम है,

2. विचार एवं उसको व्यक्त करने तथा धर्म की स्वतंत्रता बनाये रखना राज्य का काम है,
3. सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक असमानताओं को दूर करना और शोषित वर्गों को सुविधाएँ देना राज्य का काम है, और
4. प्रत्येक नागरिक के लिए यह सम्भव करना कि वह भूख-प्यास तथा भय से मुक्त रहे, राज्य का काम है।'[4]

डॉ० अम्बेडकर के राजनीतिक विचारों में राज्यव्यवस्था का सिद्धान्त एकदम राजनीतिक न होकर, सामाजिक और नैतिक भी है। वह मार्क्स की भाँति यह विश्वास नहीं करते थे कि विकास के अन्तिम चरण में राज्य समाप्त हो जायेगा। वह यह मानते थे कि सामाजिक एवं नैतिक दृष्टि से, राज्य सदैव आवश्यक है और उसका किसी भी अवस्था में लुप्त होना असम्भव है। लेकिन बाबासाहेब के अनुसार, राज्य की स्थिति केवल उसी समय तक सार्थक है, जब तक वह व्यक्ति और समाज की सेवा एवं सुरक्षा का साधन बना रहता है। वह राज्य की समष्टिवादी अवधारणा से सहमत नहीं थे, क्योंकि राज्य का निरंकुश एवं निरपेक्ष होना मानवीय स्वतंत्रताओं के हित में नहीं होता। डॉ० अम्बेडकर का बल इस बात पर था कि राज्य, व्यक्ति और समाज साथ-साथ सम्मानपूर्वक रह सकते है, और शोषित एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों के संरक्षण का मुख्य दायित्व सभी के सहयोग से निभाया जा सकता है।

डॉ० अम्बेडकर संसदात्मक सरकार के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने माना कि ब्रिटेन में जिस प्रकार की संसदीय प्रणाली है, वह भारत में उपयुक्त रहेगी। संसदीय प्रणाली भारत के लिए कोई नवीन बात नहीं है। भारत में कई ऐसे काल आए, जबकि जनतंत्रीय प्रणाली प्रचचित थी, पर कालान्तर में वह लुप्त हो गई। डॉ० अम्बेडकर ने यह कहा, 'आज संसदीय सरकार की बात हमारे लिए विदेशी प्रतीत होती है। यदि हम गाँवों में जायें तो मालूम होगा कि लोग यह नहीं जानते कि वोट क्या है? पार्टी क्या है? जनतंत्र प्रणाली उन्हें विचित्र प्रतीत होती है। इसलिए हमारे सामने यह समस्या है कि इस प्रणाली को कैसे बचाया जाये। जनता को हमें शिक्षित बनाना है, और उसे संसदीय जनतंत्र तथा संसदात्मक सरकार के लाभ बताने है।'[5] डॉ० अम्बेडकर ने संसदीय प्रणाली को इसलिए पसन्द किया कि यह ऐसी सरकार है, जिसे जनता स्वयं चुनती है, यह ऐसी प्रणाली है जो भारत में प्रचलित थी और यह जनतांत्रिक है जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। यदि संसदीय सरकार अच्छी हो जन-साधारण की भलाई करें, तो डॉ० अम्बेडकर के अनुसार उसमें तीन शर्तों का होना आवश्यक है-

1. पैतृक शासन नहीं होना चाहिए। कोई भी मनुष्य पैतृक शासन का अधिकारी नहीं है। जो कोई शासन करना चाहता है, उसे जनता के द्वारा समय-समय पर चुन कर आना चाहिए। उसे जनता की स्वीकृति लेनी चाहिए। पैतृक शासन का संसदात्मक सरकार में कोई स्थान नहीं है।
2. कोई भी कानून या कोई भी योजना, जो जनता के हित के लिए बनाई गई है, वह उन लोगों की सलाह से बनाई जानी चाहिए जिनको जनता ने अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजा है।
3. जनतंत्र में जनता के कार्य राज्य के मुखिया के नाम से किये जाते हैं, लेकिन वह एक मूर्ति के समान होता है। उसकी पूजा की जा सकती है, पर वह अपनी मर्जी के मुताबिक शासन नहीं चला सकता। जनतंत्र में सरकार मूलतः न प्रतिनिधियों द्वारा चलती है जिनको जनता ने चुना है, हालाँकि सैद्धान्तिक रूप से गतिविधियाँ मुखिया के नाम से ही चलती है। जो लोग रहना चाहिए।[6] संक्षेप में, स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव होते रहना संसदीय प्रणाली के लिए परमावश्यक है।

परतंत्र देश और विदेशी सरकार तो सदैव कष्टदायक होती है। डॉ० अम्बेडकर ने एक अच्छी सरकार को स्वशासन से जोड़ा और कोई भी अच्छी एवं स्वदेशी सरकार प्रतिनिधि सरकार होती है। यह प्रतिनिधि सरकार किसी राजनीतिक दल द्वारा बनाई जाती है जिसे जनता चुनती एवं पसन्द करती है। सत्ता में आसीन राजनीतिक दल को निरंकुश तथा तानाशाह बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए और न ही ऐसी विधियाँ प्रयोग में लानी चाहिए जो जनतांत्रिक और संसदात्मक न हों। डॉ० अम्बेडकर का यह कहना था कि "यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि शक्ति राजतीतिक संगठन के लिए एक दवा है और वह बीमार पड़ जाए तो उस दवा का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन चूँकि राजनीतिक संगठन की शक्ति दवा है, उसे उसका रोजाना का भोजन नहीं बनाना चाहिए।

एक राजनीतिक संगठन को वास्तव में कार्य की प्रेरणा से ओत-प्रोत होना चाहिए और यही उसके लिए स्वाभाविक है। यह उसी समय सम्भव हो सकता है जब राजनीतिक संगठन के बनाने वाले विभिन्न तत्त्वों में संगठित रूप से कार्य करने की इच्छा हो और साथ-साथ उन नियमों का पालन करने की भावना हो जिनको किसी अधिकृत व्यवस्था ने पास किया हो।"[7] डॉ० अम्बेडकर ने स्पष्टतया संसदीय सरकार को उत्तम सरकार माना। उन्होंने कहा कि कानूनों तथा नियमों का परिपालन न केवल जनता, अपितु

सभी राज्य कर्मचारियों और जन-प्रतिनिधियों के द्वारा आवश्यक है। इस प्रकार संसदीय सरकार एक साधन मात्र है, साध्य मानव कल्याण है।

डॉ० अम्बेडकर संसदीय अथवा प्रतिनिधि सरकार की व्यवस्था में दल पद्धति को आवश्यक मानते थे। लेकिन वह एक ही दल पद्धति के विरोधी थे। उन्होंने कहा, "यह स्वीकार्य है कि संसदीय सरकार में दल पद्धति एक आवश्यक अंग है, लेकिन साथ-साथ यह स्वीकार नहीं है कि उसमें एक ही राजनीतिक दल हो, एक राजनीतिक दल उसके लिए घातक है। यदि सच कहा जाये तो एक दल पद्धति संसदात्मक प्रणाली के लिए एकदम प्रतिकूल है।"[8] डॉ० अम्बेडकर के अनुसार, एक दल पद्धति दबाव तथा अन्याय का साधन बन सकती है। जनता को गुमराह करने की अनेक सम्भावनाएँ उत्पन्न हो सकती है। यह निरंकुशता का ही दूसरा रूप होगा। अतः "संसदीय सरकार को एक दल के द्वारा चलाना जनतंत्र को निरंकुशता के समान ही बनाना है, ताकि निरंकुशता अपना कार्य जनतंत्र की ओट में करती रहे।[9] इस प्रकार जनतंत्र तथा संसदीय पद्धति का एक दल पद्धति के साथ कोई तालमेल नहीं है।

आज संसार में कई ऐसे है जहाँ पर एक ही पार्टी का शासन है। लेकिन एक दल पद्धति में बहुमत का दबाव समाप्त नहीं हो पाता है। यह उन लोगों के लिए शत्रु बन जाता है जो उस पार्टी के विचारों एवं नीतियों का विरोध करते है। इसलिए डॉ० अम्बेडकर ने एक दल की ओट में किसी भी तरह के निरंकुशवाद को पसन्द नहीं किया। उन्होंने कहा, "निरंकुशता केवल इसलिए समाप्त नहीं हो जाती कि दल जिसमें वह निहित है, चुनकर भेजा गया है और निरंकुशता इसलिए स्वीकार है कि निरंकुश लोग अपने ही भाई हैं। इसे चुनाव का विषय बनाने से ही यह समाप्त नहीं हो पाता है। इसकी वास्तविक गारण्टी यह है कि इसका उस सम्भावना के साथ सामना किया जाये कि उसे गद्दी से उतार दिया जाये। सत्ता से धराशाही कर दिया जाये अर्थात् उसे एक विरोधी दल बनाकर ठीक किया जाये।"[10] स्पष्ट है कि डॉ० अम्बेडकर संसदीय प्रणाली में कम से कम पक्ष-विपक्ष के दो दलों के समर्थक थे, ताकि निरंकुशता या तानाशाही जनता पर हावी न होने पाये। उन्होंने यह माना कि 'निरंकुशवाद स्वंतत्रता का विरोधी है चाहे वह स्वदेशी हो या विदेशी।'[11]

राज्य और सरकार का सिद्वान्त, जैसा कि डॉ० अम्बेडकर के राजतीतिक विचारों में सन्निहित है, यह स्वीकार करता है कि सामाजिक न्याय और सभी नागरिकों की सुख-सुविधाओं की सम्भावनाओं में अभिवृद्धि करना, उनका मुख्य कार्य है। सामाजिक हितों को, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को ध्यान में रखते हुए, आगे बढाना उनके कार्यक्षेत्र में आता है। डॉ० अम्बेडकर राज्य के आदर्शवादी विचार से सहमत नहीं थे, जो यह मानता है कि राज्य एक रहस्यमय व्यक्तित्त्व है, एवं स्वतंत्र इकाई है, पृथ्वी पर ईश्वर की एक योजना है जिसके ऊपर व्यक्ति का अस्तित्त्व निर्भर है। डॉ० साहेब के अनुसार, जनता अथवा विभिन्न व्यक्ति ही मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं। उनके बिना कोई भी राज्य नहीं बन सकता है। अतः उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि आदमी इस धरती पर जो उत्तमता प्राप्त करना चाहता है, उसमें वह सहयोग दे। इस अर्थ में राज्य अथवा कोई सरकार एक महत्वपूर्ण साधन है, न कि साध्य, और उसका यह दायित्व है कि वह ऐसी समाज व्यवस्था स्थापित करे, ताकि सब लोग, अछूत, कमजोर अथवा अन्य कोई, एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। राज्य एक अनिवार्य मानव संस्था है जिसका लुप्त होना असम्भव सी बात है। संक्षेप में, राज्य अथवा सरकार जैसी मानव संस्था को समाज के व्यापक हितों की दिशा में अधिक से अधिक उपयोगी बनाया जाना चाहिए।

डॉ० अम्बेडकर का मानववादी दृष्टिकोण सुस्पष्ट है। उनके राजनीतिक चिन्तन में कानून एवं संविधानवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। कानून स्वतंत्रता एवं समानता का संरक्षक है। उन्होंने कहा, 'कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं और सबको नागरिक अधिकार है।' उनकी मान्यता थी कि नये संविधान के अन्तर्गत सभी नागरिकों के अधिकार समान हैं और कोई भी कानून, नियम या रीति-रिवाज अथवा व्यवस्था ऐसी नहीं रहेगी जो भेद-भाव करती है, जो ऊँच-नीच अथवा छूत-अछूत का विचार पैदा करती है। डॉ० अम्बेडकर ने आगे कहा, 'कोई राज्य ऐसे कानून नहीं बनायेगा या रीति-रिवाजों को लागू नहीं करेगा, जिससे नागरिकों की सुविधाएँ समाप्त हों, न कोई राज्य किसी नागरिक को उसके जीवन, स्वतंत्रता तथा सम्पत्ति के अधिकारों से कानून की विधि के बिना वंचित करेगा, और न कानून का संरक्षण ही उसके लिए माना किया जायेगा।'[12] व्यक्ति के प्राकृतिक एवं अन्य अधिकारों का संबंध संविधानवाद से है। डॉ० अम्बेडकर ने न केवल सैद्धान्तिक संविधानवाद पर ही विचार किया, अपितु सांविधानिक नैतिकता और व्यावहारिकता पर भी बल दिया, ताकि जनतांत्रिक प्रणाली सुचारू रूप से चलती रहे। अपने राजनीतिक विचारों में डॉ० अम्बेडकर ने संघीय तथा एकात्मक सरकार को परिस्थिति में उपयुक्त बतलाया और कहा, 'एक भारतीय होने के नाते, भारतीय

राष्ट्रवाद में रूचि होने के कारण, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि मैं सरकार के एकात्मक रूप में विश्वास करने वाला हूँ और ऐसे सुझाव को छिन्न-भिन्न करने का विचार मुझे प्रिय नहीं है। एकात्मक सरकार भारतीय राष्ट्र के निर्माण में बहुत ही प्रभावशील रही है।'[13] संक्षेप में, एकात्मक सरकार भारतीय राष्ट्र को टूटने और विभक्त होने से बचा सकती है।

संदर्भ-सूची

1. स्टेट्स एण्ड मॉइनॉरिटिज, पृ. 3
2. वी.आर. अम्बेडकर, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इण्डिया (थैकर एण्ड कश्वनी बम्बई 1946), पृ. 33
3. वही, पृ. 293
4. स्टेट्स एण्ड मॉइनॉकिटिज, पृ. 3
5. दस स्पोक अम्बेडकर, भाग प्रथम (भगवानदास द्वारा संकलित एंव संपादित, भीम-पत्रिका प्रकाशन, जलंधर, 1963) पृ. 51-52,
6. वहीं, पृ. 52-53
7. पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इण्डिया, पृ. 362
8. रानाडे गाँधी एण्ड जिन्ना, पृ. 74,
9. वहीं, पृ. 74-75,
10. वहीं, पृ. 75
11. वहीं, पृ. 75
12. स्टेट्स एण्ड मॉइनॉरिटिज, पृ. 9
13. गोलमेज परिषद् (RTG=प्रथम-सत्र, 12.11.1930-19.01.1931) प्रॉसीडिंग्स, पृ. 123-129

दलित राजनीति में बिहार दलित वर्ग

डॉ० संध्या कुमारी

अतिथी सहायक प्राध्यापक, डिपार्टमेंट ऑफ पोलिटिकल साइंस, बीआरबी कॉलेज, समस्तीपुर, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

शोध आलेख का सार

बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुई थी। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है और इसकी राजधानी पटना है। गौरवमई परंपरा एवं ऐतिहासिक कार्यों के लिए विख्यात है। बिहार प्रदेश सद्भाव सादगी एवं समानता के लिए शुरू से ही प्रसिद्ध रहा है। पूरे विश्व को गणतंत्र की महान भेंट डीसी महान धरती की देन है। बिहार ने ही विश्व को गणतंत्र की पहचान दिलाई। गणतंत्र ने पूरी दुनिया को समानता के सूत्र में बांधने का काम किया। बिहार के दलित वर्गों से अलग कुछ ऐसी जातियां थी जिसे अनुसूची मैं शामिल नहीं किया गया था और उनके ऊपर उसी तरह के अत्याचार किए जाते थे। बिहार में ऐसी दलित जातियां थी जिन्होंने अपनी राजनीतिक जागरूकता का अच्छा परिचय दिया।

मूल शब्द: बिहार की सामाजिक, न्याय, वर्ग, अवस्था, जाति, व्यवस्था, असमानता, राजनीतिक, जागरूकता,

प्रस्तुत शोधआलेख का उद्देश्य

बिहार के राजनीतिक के क्षेत्र में दलित वर्ग की भूमिका को स्पष्ट करते हुए बिहार दलित वर्ग से संबंधित सिद्धांत एवं व्यवहारिक समस्याओं का समाधान या बदलाव एवं उपलब्धियो का अध्ययन करना।

प्रस्तावना

बिहार में पिछड़ा जाति आंदोलन का पता 1930 के दशक में त्रिवेणी संघ, एक जाति गठबंधन और राजनीतिक दल के गठन से लगाया जा सकता है, जिसे 1950 के दशक मे भूमि सुधारों की शुरुआत के बाद पुनर्जीवित किया गया था, जिसका उद्देश्य कृषि समाज से बिचौलियों को हटाना था। लेकिन, यह अभियान समाज के निचले तब के की स्थिति में लंबे समय तक चलने वाले बदलाव लाने में सफल नहीं हो सका, क्योंकि उनके पास राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आर्थिक शक्ति का अभाव था भूमि सुधार के बाद की अवधि में जाति संघर्ष और वर्ग संघर्ष शामिल थे, जिसके कारण अंततः पिछड़ी जातियों के हाथों में पूर्ण राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण हुआ, जिन्हें पहले इससे दूर रखा गया था। वर्ग संघर्ष ने कुछ उच्च पिछड़ी जातियों के धार्मिक प्राधिकारियों के खिलाफ उनके कर्मकांड की स्थिति में सुधार के लिए संघर्ष को सफल बनाया। 1990 के दशक तक, उच्च जातियों और निचली जातियों के बीच संघर्ष जारी रहा, इस अवधि के दौरान लगभग 17 नरसंहार हुए। लेकिन 1990 के दशक में सामाजिक न्याय और जनता दल की राजनीति के आगमन के साथ, निचली जाति राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय हो गई। बिहार की चुनावी राजनीति: जाति-वर्ग का समीकरण (1990-2015) फारवर्ड प्रेस बुक्स द्वारा शीघ्र प्रकाश्य यह पुस्तक मंडल आंदोलन के बाद बिहार की राजनीति के विभिन्न आयामों जाति, धर्म, गरीबी और राजनीतिक आकांक्षाओं आदि पर प्रकाश डालती है। वही बिहार जिसने समय-समय पर देश की राजनीति की दशा और दिशा निर्धारित करने में महती भूमिका का निर्वहन किया है।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि बिहार बहुत ही लंबे समय से राजनीति के केंद्र में रहा है। इसे इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि पिछले सात दशकों में भारत में जो महत्त्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव हुए हैं, बिहार की धरती उसकी जननी रही है। 1990 के दशक में बिहार न केवल मंडल-समर्थक और मंडल-विरोधी आंदोलन के केंद्र में था, 1975 में वह आपातकाल-विरोधी आंदोलन का भी केंद्र रहा जो 'जेपी आंदोलन' के नाम से जाना जाता है और जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया था। यह बताना जरूरी है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भी बिहार ने राजनीतिक बदलाव लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। हमारे इतिहास की पुस्तकों में जिसे चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है, नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ यह आंदोलन महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार के चंपारण से शुरू किया जो कि बिहार के उत्तर-पूर्व में स्थित एक जिला है।

मंडल-दौर के बाद देश के उत्तरी राज्यों में जिस तरह की राजनीतिक लड़ाई और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई उसकी गहरी जड़ें बिहार में ही थीं।

देश के अन्य राज्यों की तरह ही, अतीत में बिहार की राजनीति में मुख्यतः काँग्रेस का दबदबा रहा है। बिहार में कई दशकों तक काँग्रेस का निर्बाध शासन रहा और यह 1990 तक जारी रहा। इस बीच सिर्फ पांच बार जब राज्य में कुछ समय के लिए गैर-काँग्रेसी शासन रहा। पर मंडल-आंदोलन के बाद की स्थिति ने राज्य की राजनीति की दिशा और दशा बदलदी दृ चुनावी राजनीति और राजनीतिक प्रतिनिधित्व अब पहले जैसे नहीं रहे। इस दौर में क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों का उदय हुआ और व्यापक जनाधार वाले क्षेत्रीय नेता भी सामने आए, विशेषकर समाज के निचले तबके,

जैस अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), दलित, आदिवासी (अविभाजित बिहार में) और मुस्लिमों में। मंडलोत्तर राजनीति ने राज्य में काँग्रेस के अवसान की शुरुआत कर दी। राज्य में मंडल आंदोलन के बाद पहला विधानसभा चुनाव 1995 में हुआ और उसके बाद से राज्य में काँग्रेस का जनाधार निरंतर गिरा है चुनाव दर चुनावृ और आज 125 साल से ज्यादा पुरानी इस पार्टी का राज्य में राजनीतिक वजूद नगण्य हो गया है।

बिहार में मंडलोत्तर राजनीति की शुरुआत 1990 के दशक में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित काँग्रेस बनाम नवोदित पार्टी से हुई और यह नवोदित पार्टी थी जनतादल (जद)। पर आज यह राजनीतिक लड़ाई इसी जनता दल के दो फाड़ हुए धड़ राष्ट्रीय जनतादल (राजद) और जनतादल यूनाइटेड (जदयू) जैसी दो प्रभावशाली क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के बीच सिमट गई Gs जबकि दो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां, काँग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दोनों ही क्षेत्रीय दलों की सहयोगियों के रूप में सहायक की भूमिका में हैं।

हालांकि, कभी कभार राजद के साथ गठबंधन करने वाली काँग्रेस भी राज्य में कुछ चुनावअ पने दम पर लड़ी है। भाजपा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू 1996 के लोक सभा चुनावों के बाद राज्य में टिकाऊ गठबंधन करने में कामयाब रहे। अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां जैस रामविलास पासवान के नेतृत्व वाली लोकजन शक्तिपार्टी (एलजेपी), वामपंथी पार्टियां जैसे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), भारतीय कम्युनिस्टपार्टी (भाकपा), भारतीय कम्युनिस्टपार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (भाकपा-माले) और कुछ अन्य छोटी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों ने पिछले तीन दशक की चुनावी राजनीति में अपना योगदान दिया है। ये छोटी क्षेत्रीय पार्टियां सामान्यतया मामूली भूमिका अदा करती हैं, पर कई बार राज्य की चुनावी राजनीति में इन्होंने बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाई हैं। फरवरी 2005 में हुए विधानसभा चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और लोजपा द्वारा ज्यादा सीटें जीतने वाली किसी बड़ी पार्टी को समर्थन नहीं देने की वजह से राज्य में अक्तूबर 2005 में दुबारा चुनाव हुआ। इस बार राज्य में सत्ता बदल गई। भाजपा से गठजोड़ कर दूसरी बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने।

मंडलोत्तर राजनीति के तीन दशक की इस अवधि के दौरान बिहार की राजनीति में कई तरह के उतार-चढ़ाव आए हैं। इस कड़ी में नवीनतम उतार-चढ़ाव जुलाई 2017 में उस समय आया जब नीतीश कुमार ने राजद के साथ महागठबंधन को तोड़ दिया औरसरकार से इस्तीफा दे दिया पर 24 घंटे के अंदर हीभाजपा से गठजोड़ कर पुनः मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता पर काबिज हो गए। यहाँ यह गौर करना जरूरी है कि नीतीश कुमार ने 2015 का चुनाव राजद औरकाँग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था जो कि अपने आप में एक असामान्य गठबंधन था। बिहार की राजनीति के दो धुर विरोधी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद साथ आए और 'महागठबंधन' बनाया; उनका एकमात्र उद्देश्य बिहार में भाजपा को चुनाव जीतने से रोकना था। यह महागठबंधन 2015 का चुनाव जीतने में सफल रहा और उसने भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टी लोजपा एवं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (आरएलएसपी) को हराकर राज्य में सरकार का गठन किया; पर यह सरकार अल्पजीवी साबित हुई। नीतीश कुमार ने उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव व राजद के अन्य नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोपों और उनके खिलाफ सीबीआई के छापे के कारण महागठबंधन को तोड़ दिया। नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के प्रति कोई हमदम नहीं दिखाने का दिखावा किया पर वे अंततः उसी पार्टी के समर्थन के साथ सरकार में वापस आए जिस पर उन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया था। अगर चुनाव से पहले लालू प्रसाद और काँग्रेस के साथ मिलकर नीतीश कुमार का 'महागठबंधन' बनाना लोगों को अस्वाभाविक लगा था तो उसी भाजपा के साथ मिलकर उनका सरकार बनाना भी लोगों को अजीब लगा जिसके खिलाफ चुनाव में उन्होंने बिहार की जनता का समर्थन हासिल किया था। बिहार में शोधकर्ताओं की टीम द्वारा किए गए अनुभवजन्य शोधों के आधार पर यह पुस्तक मंडलोत्तर बिहार की राजनीति में आए इन उतार-चढ़ावों का काफी विस्तार से विश्लेषण करती है।

किसी भी राज्य की राजनीति उस के समाज और उसकी अर्थव्यवस्था के बीच संबंधों की देन होती है। बिहार के सामाजिक और आर्थिक इतिहास की समझ पिछले कई दशकों में इसकी चुनावी राजनीति की बदलती प्रकृति को समझने में मदद करेगी। इस पुस्तक के अध्याय एक में बिहार के सामाजिक और आर्थि कइतिहास की भूमिका की चर्चा की गई है। जब बिहार अविभाजित था और झारखंड भी इसका हिस्सा था, उस समय राज्य मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों में विभाजि तथा उत्तरी बिहार, मध्य बिहार और दक्षिण बिहार। बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद समाजिक, सांस्कृतिक और राजनीति भिन्नताओं के आधार पर राज्य का एक नया भौगोलिक वर्गीकरण किया गया। यह अध्याय राज्य के इन पाँच क्षेत्रों तिरहुत, मिथिला, मगध, भोजपुर और सीमांचल (पूर्व) में इन भिन्नताओं की विस्तार से चर्चा करता है। यद्यपि यह वर्गीकरण मूलतः सांस्कृतिक है, इनका प्रयोग राजनीतिक अनुस्थापनों के अध्ययन के लिए भी होता है। हर क्षेत्र अपनी विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के अनूठे सम्मिश्रण को प्रदर्शित करता है और इनकी भाषा और बातचीत का लहजा एक-दूसरे से अलग है। राज्य की राजनीति में जाति एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसे ध्यान में रखते हुए इस अध्याय में सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में विभिन्न जातियों के महत्त्व पर विस्तार से चर्चा कर उचित ही किया गया है। किसी जमाने में ऊंची जातियों की वर्चस्व वाली राजनीतिक संरचना के लिए जाने वाले बिहार में मंडलोत्तर राजनीति ने प्रभावशाली मध्य जातियों जैसे आमतौर पर ओबीसी और विशेषकर यादवों को बिहार की राजनीति के केंद्र में ला दिया। यह पुस्तक मंडलोत्तर बिहार की राजनीति की ही चर्चा पर केन्द्रित है। बिहार के मतदाताओं में यादवों और मुसलमानों की संख्या काफी अधिक है। कटिहार,

दरभंगा, पूर्णिया, सीवान और कुछ अन्य जिलों में मुसलमानों की अच्छी खघसी उपस्थिति का परिणाम यह निकला है कि राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों को वोटबैंक की तरह देखने को मजबूर हुई हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां मुस्लिमों को वोट बैंक समझकर ही लामबंदी करती हैं। इस अध्याय के एक हिस्से में बिहार की महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पार्टियों के संक्षिप्त इतिहास, उनके चुनावी इतिहास और उनके नेतृत्व की चर्चा की गई है।

इसके बावजूद कि इस पुस्तक की केन्द्रीय विषयवस्तु मंडलोत्तर बिहार में चुनावी प्रक्रिया और राजनीतिक परिवर्तनों का विश्लेषण है, वर्तमान को समझने के लिए राजनीतिक इतिहास हमेशा ही महत्त्वपूर्ण होता है। अध्याय 2 में 1967 और 1989 के बीच बिहार के राजनीतिक इतिहास का विश्लेषण किया गया है।

भारतीय चुनावी इतिहास में इस अवधि को काँग्रेस काल कहा जाता है, इसके बावजूद कि इसकी निरंतरता में संक्षिप्त व्यवधान उपस्थित हुए। देश में पहली बार बिहार सहित कई राज्यों में गैर-काँग्रेसी सरकार की स्थापना हुई। आजादी के बाद के बिहार के राजनीतिक इतिहास पर नजर दौड़ाने से इसके तीन भिन्न चरणों का पता चलता है। इसका पहला चरण (1947-1967) काँग्रेस के वर्चस्व का काल है जब ऊंची जातियाँ इसकी सत्ता-संरचना के शीर्ष पर बैठी दिखती हैं। दूसरा चरण (1967-1990) को संक्रमण काल कहा जा सकता है जब राजनीतिक क्षेत्र में काँग्रेस के साथ-साथ ऊंची जातियों के प्रभुत्व में आ रही क्रमशः गिरावट और इसके साथ ही मध्य जातियों के धीमे किन्तु निरंतर उभरते प्रभाव को देखा जा सकता है। तीसरा चरण (1990 और उसके बाद) प्रथम चरण का पूर्ण विपर्यय है जिसमें काँग्रेस पार्टी और ऊंची जातियाँ राज्य की राजनीति में हाशिये पर चली जाती हैं। इस अध्याय में राज्य के चुनावी इतिहास के विभिन्न चरणों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है।

1990 का दशक बिहार सहित कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों के राजनीतिक प्रभुत्व की शुरुआत का है। 1989 के लोकसभा चुनावों में जीत के बाद वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार में ओबीसी राजनीति की शुरुआत का संकेत भी यह देता Gsa वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद राज्य में पहला विधान सभा चुनाव 1990 में हुआ। अध्याय तीन में 1990 और 1995 के विधानसभा चुनावों में राजनीतिक लामबंदी और राजनीतिक परिणामों की प्रक्रिया की विस्तार से चर्चा की गई है। 1990 के विधानसभा चुनावों के बाद राज्य में काफी दिनों बाद गैर-काँग्रेसी सरकार का गठन हुआ और लालू प्रसाद यादव प्रथम बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। जनता दल की इस जीत ने बिहार में काँग्रेस के लंबे शासन का अंत कर दिया। 1990 के विधानसभा चुनावों में हारने के बाद काँग्रेस के हाथ से न केवल बिहार की सत्ता गई, बल्कि इस पराजय ने काँग्रेस के व्यवस्थित पराभव की शुरुआत भी करदी। 1995 के विधानसभा चुनावों ने लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जद के प्रभुत्व का और ज्यादा स्थापित कर दिया और बहुतों की अपेक्षाओं के विपरीत पार्टी ने अपने दम पर पूण्झ बहुमत हासिल किया। राज्य में भाजपा के समर्थन का सीमित आधार, काँग्रेस के निरंतर घटते जनाधार और नीतीश कुमार की जनता दल से विदाई के बाद लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जनता दल ने 1995 के विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत से विजय हासिल की। नीतीश कुमार ने जनता दल से नाता तोड़कर अलग समता पार्टी का गठन किया। मंडलोत्तर काल में हुआ यह पहला चुनाव था जिसमें चुनावी लड़ाई में मुख्यतः ओबीसी ही ओबीसी के खिलाफ थे।

चौथे अध्याय में 1995 के विधानसभा चुनावों से 1999 के आम चुनावों के बीच बिहार के राजनीतिक इतिहास की चर्चा की गई है। इस अवधि में जो विभिन्न राजनीतिक उथल पुथल हुए उसकी इसमें पड़ताल की गई है। 1990 और 1995 के विधानसभा चुनावों में लालू प्रसाद यादव के एकतरफा प्रभाव से लेकर भाजपा की चुनावी उपस्थिति में तेजी से आए चढ़ाव तक, इस अध्याय में राज्य की राजनीति की महत्त्वपूर्ण घटनाओं का विश्लेषण केंद्र में राजनीतिक आदेश की बदलती प्रकृति की पृष्ठभूमि में किया गया है। क्षेत्रीय दलों के भाग्योदय और पिछड़ी जातियों के रसूख को काँग्रेस के घटते प्रभाव के बरक्स तौला गया है और दोनों ही मामलों का गहन विश्लेषण इसकी संभावित प्रक्रिया को समझने के लिए किया गया है। इसके अलावा जाति और धार्मिक पहचानों की राजनीतिक पार्टियों के साथ संबंधों को लोकनीति-सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी (सीएसडीएस) की टीम के सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों और निष्कर्षों के आधार पर किया गया है ताकि राजनीतिक गठबंधनों और राजनीतिक दलों पर पड़ने वाले इसके प्रभावों की गत्यात्मकता की जांच की जा सके। मतदाताओं के व्यवहार और अभिप्रेरणा का प्रश्न केंद्र में आ जाता है क्योंकि यह अध्याय बिहार की राजनीति की अस्पष्ट प्रकृति की चर्चा करता है जहां परिवर्तन नियमित है और मतदाता, पार्टी और नेता के बीच संबंध जटिल और बहुस्तरीय समाज के साथ होने वाले संवाद पर निर्भर करता है।

अध्याय पांच प्राथमिक रूप से 1999 के लोकसभा चुनावों के बाद बिहार की राजनीतिक स्थिति के बारे में है। इन चुनावों में भाजपा-जदयू गठबंधन को विश्वसनीय जीत मिली, पर राज्य में विधानसभा का चुनाव आते-आते इन में आपसी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि इससे राजद-काँग्रेस गठबंधन को लाभ हुआ और उनको भारी बहुमत से जीत हासिल हुई। इस तरह, यह अध्याय इनकी अविश्वसनीय जीत का विश्लेषण करता है और इसका कारण जानने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त, इस अध्याय में 2014 के लोकसभा चुनावों में राजद की हैरान करने वाली जीत का कारण तलाशने की भी कोशिश की गई है। लालू-राबड़ी के शासन काल में विकास का नहीं होने के बावजूद राजद को गरीब पिछड़ी जातियों का निरंतर समर्थन एक विरोधाभास की तरह लगता है पर यह अध्याय इस मुद्दे को पहचान और सामाजिक न्याय के चश्मे से इसका विश्लेषण करता है और कहता है कि लालू की सरकार

का विकास के मोर्चे पर खराब प्रदर्शन के बावजूद 'गरीबों के मसीहा' के रूप में उनकी करिश्माई छवि ने उनकी जीत सुनिश्चित करने में काफी अहम भूमिका निभाई।

इस अध्याय में बिहार से झारखंड के अलग होने और राज्य की चुनावी राजनीति पर इसके असर की भी चर्चा की गई है। अंतत:, इस अध्याय का अंत 2005 के विधानसभा चुनावों में भाजपा-जदयू गठबंधन की जीत से होती है जिसने लालू के विजय रथ को थोड़े समय के लिए रोक दिया। इस जीत की पड़ताल के क्रम में, मतदाताओं के व्यवहारको जरूरत से ज्यादा सरल बताने से बचने की कोशिश इस अध्याय में की गई है और कहा गया है कि यह जीत विभिन्न जातियों, विकास और आर्थिक कारकों के मिश्रित प्रभाव के कारण हुआ जिसने नीतीश कुमार के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया जबकि लालू प्रसाद यादव के अवसान को संभव बना दिया।

अध्याय 6 में 2005 के विधानसभा चुनावों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और मतदान के तरीकों और गठबंधन की राजनीति पर गौर किया गया है जो इस ऐतिहासिक चुनाव के पीछे मुख्य कारक रहे। राज्य की राजनीति पर नजर रखने वाले अधिकांश पर्यवेक्षकों के लिए इस चुनाव ने बिहार में न केवल एक नई राजनीतिक युग की शुरुआत की बल्कि इसने एक नए सामाजिक और आर्थिक जीवन की भी नींव रखी। इस चुनाव में नीतीश कुमार का सबसे बड़ा नारा था "नूतन बिहार" जिसने उनका नाम न केवल राज्य के बल्कि देश के बड़े नेताओं में शुमार कर दियझं आने वाले वर्षों में गरीब बिहार जिसका नाम अक्षमता, भ्रष्टाचार और अपराध से जुड़ा था, अब ऐसा नहीं रहा; इसमें महत्त्वपूर्ण बदलाव आया और इसका श्रेय जाता है कुमार के उस इंद्रधनुषी गठबंधन का जो उन्होंने तैयार किया।

इस अध्याय में राज्य की ओर से होने वाली कार्रवाई में सामाजिक न्याय की गत्यात्मकता को किस तरह शामिल किया गया इसका बहुत ही बारीकी से विश्लेषण किया गया है और इसमें महादलित आयोग के गठन से लेकर महिला सशक्तीकरण पर दिये गए जोर और इन कीवजह से हुए राजनीतिक फायदे का आकलन किया गया है। राज्य में जाति-आधारित लामबंदी की पड़ताल करते हुए इस अध्याय में जानबूझकर किसी विशेष जाति के मतदाताओं के व्यवहार के बारे में किसी व्यापक सूक्ष्म सिद्धान्त के प्रतिपादन की अनदेखी की गई है ताकि मतदान के तरीकों की चेतनता और इसकी क्षणिकता को किसी तरह के दर्जे में फिट होने का मामला न बनाया जाए। उदाहरण के लिए, यह आमतौर पर माना जाता है की मुस्लिम राजद के प्रबल समर्थक रहे हैं, अध्याय 5 में राज्य में चुनाव अध्ययन के बारे में सीएसडीएस के आंकड़ों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण कर यह बताया गया है कि 1995 और 2005 के बीच हुए चुनावों में राज्य में राजद और मुस्लिम मतदाताओं के बीच संबंधों में भी बदलाव आया। ऐसा करते हुए इस अध्याय का उद्देश्य उस गत्यात्मकता की प्रकृति को समझना है जो राज्य के राजनीतिक जीवन की विशेषता है। इसके अतिरिक्त, इस अध्याय में भारत निर्वाचन आयोग ने जो महत्त्वपूर्ण चुनाव सुधार लागू किए हैं, उसकी भी चर्चा की गई है और इन सुधारों की पड़ताल भी की गई है। इस बात को जानने की कोशिश की गई है कि इन सुधारों ने मतदाताओं की संख्या को कैसे बढ़ाया और क्या इसकी वजह से किसी राजनीतिक दल (राजद) की हार हुई और दूसरे (भाजपा-जदयू) को इस का लाभ पहुंचा। इन दोनों ही पक्षों के कारण राज्य में इस अवधि में हुए सुधारों की एक सम्मिलित स्पष्ट तस्वीर हमारे सामने उभरती है और यह नीतीश कुमार को नए बिहार के परिवर्तनकामी राजनीति का चेहरा के रूप में स्थापित करता है।

अगर 2009 का लोकसभा चुनाव राजद और उसके नेता लालू प्रसाद यादव को बहुत ही शक्तिशाली झटका दिया, तो 2010 के विधानसभा चुनावों ने उन्हें और भी शर्मसार किया। इन चुनावों में उनके लिए मतदान करने वाले लोगों की संख्या में भारी कमी आई और उनको सीट भी काफी कम मिले। कई पर्यवेक्षकों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि मतदाताओं ने लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय की राजनीति को अब नकार दिया है और अब उन्होंने नीतीश कुमार के विकास पर आधारित मॉडल में अपना विश्वास जता दिया है। इन दावों पर गौर करते हुए अध्याय 7 में इस तरह की बहसों के प्रभावों को समझने की कोशिश की गई है। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों की सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति के वैविध्य पर गौर करते हुए इस अध्याय में उन सभी तरह के कारणों की चर्चा की गई है जिसकी वजह से नीतीश कुमार को (लालू यादव के खिलाफ) मतदाताओं का समर्थन मिला। आंकड़ों, सर्वेक्षणों की रिपोर्टों और मतदान के अंतिम आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए इस अध्याय में उन संभावित कारकों पर ज्यादा प्रकाश डाला गया है जिन्होंने 2010 के चुनावों को इतने ठोस रूप में एकतरफा बना दिया। विकास, जाति और जाति-आधारित लामबंदी में से प्रत्येक पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है और इस अध्याय में जाति पहचान, आकांक्षावादी राजनीति और चुनावी राजनीति के बीच अंतर संबंधों की पड़ताल की गई है।

इस पुस्तक के अंतिम अध्याय आठ में पिछले कुछ सालों में बिहार की राजनीति में आए बदलाव का विश्लेषण किया गया है। इसमें लोजपा और रालोसपा के साथ भाजपा के गठबंधन का विश्लेषण किया गया है जिसके कारण भाजपा को 2014 में भारी विजय मिली और इसी गठबंधन को अगले साल 2015 में हुए विधानसभा चुनावों में मुंह की खानी पड़ी और फिर किस तरह नीतीश कुमार अपने गठबंधन के साथी राजद को बदल कर भाजपा के साथ दुबारा सत्ता में आ गए। इस अध्याय के प्रथम खंड में 2014 के लोकसभा चुनावों का विश्लेषण किया गया है जो कि कई अर्थों में विशिष्ट था। पहला, इस चुनाव ने जदयू और भाजपा के बीच दशकों से चले आ रहे गठबंधन का अंत कर दिया; दूसरा, भाजपा को जो जनादेश मिला वह पिछले कुछ दशकों में

राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी पार्टी को मिले जनादेश में सबसे ज्यादा स्पष्ट था; और अंत में, बिहार में चुनाव जीतने के लिए जो गठबंधन बना उसमें ऐसे दल शामिल थे जिनका एक साथ आना बड़ी बात थी। नीतीश के साथ अपनी सफल साझेदारी से बाहर निकलते हुए भाजपा ने राम विलास पासवान के लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा के रालोसपा से हाथ मिलाया और इस गठबंधन ने बिहार में लोकसभा की 40 में से 31 सीटों पर कब्जा कर लिया। 2014 के लोकसभा चुनावों के परिणाम के बारे में यह कहा गया कि यह जातिवादी गठबंधनों पर विकास की राजनीति की जीत है। इस अध्याय ने जाति और विकास पर होने वाली बहस को एक बार फिर खोला है। हालांकि इस पर इसके पिछले अध्याय में भी चर्चा की गई है, पर इसमें जो चर्चा है वह भाजपा के पक्ष में और नीतीश के रूपांतरकारी नीतियों की सफलता के खिलाफ है। भाजपा की जीत के लिए कई कारकों जैसे सत्ताधारी काँग्रेस-विरोधी लहर और भाजपा के पूर्णबदलाव वाली तेज गति से विकास के वादे को जिम्मेदार बताया गया है। इस अध्याय में कहा गया है कि राज्य में जातियों के परंपरागत निष्ठा में बदलाव तो आया पर यह विकास के लिए जाति को नकारने का मामला एक दम नहीं है।

इस अध्याय के दूसरे खंड में एक अन्य ऐतिहासिक चुनाव की चर्चा की गई है बिहार विधान सभा चुनाव 2015 की। यह चुनाव बिहार में भाजपा के विजय रथ को रोकने में कामयाब रहा और बिखर रहे विपक्ष में आशा का संचार किया। इस अध्याय में कहा गया है कि महागठबंधन की सफलता के कई कारण थे जिसकी वजह से महागठबंधन भाजपा पर भारी पड़ा। जाति ने एक बार फिर इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई पर यह अध्याय सरकार के 10 साल के सकारात्मक सुधारों के बारे में जनता की समझको समझने की बात करता है। इस क्रम में, इस अध्याय में विकास और जाति पहचान को आपस में जोड़ने के झूठ को चुनौती दी गईहै। इसमें एक-दूसरे को सूचना-संपन्न रखने, प्रभावित करने और उनमें परिवर्तन लाने वाले तरीकों पर गौर किया गया है जो राज्य में राजनीति को काफी गत्यातमक और बहुमुखी बनाए रखता है। अगर इस पुस्तक में राजनीति में आए नवीनतम बदलाव का जिक्र नहीं किया जाता तो यह पाठकों के साथ अन्याय होता, इसलिए अंतिम अध्याय के अंतिम खंड में नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में उप-मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठे राजद नेता तेजस्वी यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण गठबंधन के टूटने का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। इस विश्लेषण का समापन आमतौर पर बिहार में भावी चुनावी राजनीति की संभावनाओं और नीतीश कुमार की छवि विशेषकर उनकी लोकप्रियता के बारे में संकेत से होता है। पर जो प्रश्न शेष रह जाता है वह है क्या नीतीश कुमार गठबंधन के नए पार्टनरों की तलाश कर और उनसे गठबंधन की नई राजनीतिक चाल चलकर चुनावी फायदे में रहेंगे, या ऐसा तो नहीं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी तरह की हमदर्दी नहीं दिखाने के यज्ञ में आहुति देते हुए वे अपनी उंगली जला बैठे हैं ?

संदर्भ:-

1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 34 वीं सम्मेलन, 1919 का प्रतिवेदन, पृ० 65.
2. शिवपूजन सहाय बिहार की महिलाएँ, पृ० 65.
3. महादेव देसाई, महात्मा गाँधी इन इंडियन मिलेज, दिल्ली, पृ० 239 सर्चलाइट, 30 सितम्बर, 1931.
4. स्वतंत्रता आन्दोलन में बिहार का योगदान, 1998, पृ० 61.
5. स्वतंत्रता आन्दोलन में बिहार का योगदान, 1998. पृ० 62.

भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में कांग्रेस और वामपंथ राजनीतिक दल की भूमिका

डॉ॰ गायत्री कुमारी

प्राध्यापक, अतिथि प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, डॉ॰ एल॰ के॰ भी॰ डी॰ कॉलेज, ताजपुर, समस्तीपुर, ल॰ ना॰ वि॰ वि॰, कामेश्वरनगर दरभंगा

1930 के दशक के उत्तरार्द्ध में वामपंथी राजनीति अपने चरम पर पहुँची। यह मजदूरों, किसानों और छात्रों के संघर्ष का प्रतीक बन गई। नेहरू तथा सुभाष चन्द्र बोस ने क्रमशः इस आंदोलन को आधार और प्रवाह प्रदान किया कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नेहरू के तेवर से वाम विचारधारा को अभिव्यक्ति मिली। जिसमें सुभाषचन्द्र बोस ने साप्ताहिक पत्रिका, ''नेशनल फ्रंट'' के लिये लिखकर और जान डाल दी। उधर सी.एच.जी. ने 1 जनवरी 1936 को मेरठ में अयोजित अपने दूसरे सम्मेलन में पार्टी में सम्मिलित होने के लिये कम्युनिष्टों को आमंत्रित किया। सी.पी.आई. ने इस मौके का फायदा उठाया और संयुक्त मोर्चा के गठन की नींव डाली।

1937 में साम्राज्यवाद विरोधी इस जनमोर्चा को यूनाइटेड नेशनल फ्रंट कहा गया। 1937 के द कम्युनिस्ट के 1 अंक में कम्युनिस्ट पॉलित ब्यूरो के वक्तव्य का समर्थन करते हुए कहा गया कि ऊपर से रौंदा हुआ और नीचे से धकियाआ दुआ भारतीय पूंजीपति का वाम दिशा में झुकाव हो रहा था और इसलिए यूनाइटेड नेशनल फ्रंट के वर्गीय बनावट को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिये। लेकिन कुछ कॉमरेडो के द्वारा इस तरह के विचार को संकीर्णतावादी प्रवृति कहकर ठुकरा दिया गया।[1] कांग्रेस के साथ सी.पी.आई. के संबंधों के बारे में सी.पी.आई. का अपना स्पष्ट मत था कि वह चुनावी वायदों को मुकम्मल रूप से पूरा करने के लिये मंत्रिमंडल पर दवाब डालना चाहती है तथा कांग्रेस समर्थक जनता की पुलिस विरोधी और नौकशाही विरिोधी भावनाओं को उकसाकर वह भारतीय जनता के संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा के रूपमें विकसित करने की नीति पर काम कर रही है।[2]

1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सी.पी.आई. ने संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चे में मजदूरों और किसानों के पक्ष का पुरजोर समर्थन किया साथ जमींदार ग्रस्त पूजीवादी प्रवृतियों की घोर आलोचना की। इसी उद्देश्य से 1938 में सुभाषचन्द्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इस तरह के दक्षिणपंथी एवं वामपंथी दोनों ताकतों के समन्वय को सराहा गया। लेकिन अगले ही साल सुभाषचन्द्र बोस को दक्षिणपंथी उम्मीदवार पट्टाभिसीतारम्मैया से कड़ा विरोध झेलना पड़ा। बोस की इस बार की जीत पर गांधीजी ने टिप्पणी की, कि सीतारम्मैया की हार उकनी अपनी हार है। परिणामस्वरूप 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में दक्षिणपंथी और वामपंथी ताकतों का द्वन्द्व सामनेआया। कांग्रेस ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिये हमें संगठनात्मक स्तर पर हमें एकजुट रहना चाहिए। ब्रैडले ने चेतावनी दी की जहां कहीं लोकतंत्र है उसे ध्वस्त करने के लिये चेम्बर लेन हिटलर के साथ मिल चुका है। सुभाष को अपना नेता चुनकर भारत ने अपने लोकंत्र के दावे को खतरे में डाल दिया है।[3]

त्रिपुरा अधिवेशन में कम्युनिस्टों को काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा। दक्षिणपंथी की ओर से गोविंदवल्लभ पंत ने प्रस्ताव लाकर एक बार फिर गांधी के नीतिों के प्रति आस्था दिखाई और यह भी कहा गया कि वर्किंग कमिटी के सदस्यों का चुनाव गांधी जी के इच्छा के अनुसार हो। अन्ततः वर्किंग कमिटी के न रहने से अप्रैल के अंत में बोस ने इस्तीफा दे दिया और 3 मई को फॉरवर्ड ढलॉक का गठन कर दिय। नतीजतन अगस्त 1939 में उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया।

1940 से 1947 के दरम्यान सी.पी.आई. राष्ट्रीय आंदोन के संदर्भ में वैचारिक दुविधा में थी। वह युद्ध के दौरान एक गैर–कानूनी पार्टी थी। नवम्बर 1932 में सी.पी.आई. के पॉलित ब्यूरो ने प्रस्ताव पास किया कि युद्ध के दौरान उत्पन्न संकट का उपयोग स्वतंत्रता आंदोलन और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिये किया गया।[4] ब्यूरो ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि वह जनांदोलन के पक्ष में नहीं है और सौदेबाजी के रूपमें साम्राज्यवादियों से युद्ध का लाभ लेना चाहती है। सन् 1939 में वर्द्धा में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में साम्राज्यवादियों को युद्ध में सहयोग देने से इनकार कर दिया। इस पर कम्युनिष्ट की प्रतिक्रिया में कहा गया कि भारत सुरक्षा अधिनियम भारत की स्वतंत्रता के विरूद्ध एक युद्ध था।[5] उन्होंने गाँधी जी से भी युद्ध विरोधी कार्यक्रम का समर्थन करने की अपील की और यह स्पष्ट किया कि और उस समय 1930 की तुलना में सैकड़ों गुणा शक्तिशाली आंदोलन चलाया जा सकता था। लेकिन कांग्रेस के नेता इस अवसर का लाभ उठाने के पक्ष में नहीं थे।[6]

1940 के अपने मैनिफेस्टो में कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि यदि हम मौजूदा अवसर का लाभ नहीं उठा सके तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा।[7] सी.एस.पी. ने भी युद्ध विरोधी कार्यक्रम तैयार किया और इसके लिए उप समिति भी बनाई। परंतु युद्ध के छिड़ते ही उसने अपना रूख बदल लिया और कांग्रेस के निर्णय को स्वीकार कर लिया। सुभाषचन्द्र बोस ने यह मांग की, कि भारत को युद्ध में शामिल करने की ब्रिटिश शासकों की घोषणा को

चुनौती दी जाय और भारतीय साधनों के इस्तेमाल का विरोध किया जाय।

वामपंथियों में से सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जो चाहती थी कि साम्राज्यवादी युद्ध को राष्ट्रीय मुक्ति युद्ध में परिणत कर दिया जाये।[8] बम्बई में मार्च 1940 में 65 कपड़ा मीलों में 1,75,000 मजदूरों के द्वारा शुरू की गई हड़ताल इसी दिशा में उठाया गया कदम था। ब्रिटिश सरकार ने कम्युनिस्टों की इस मुहिम को कुचलने की हर संभव कोशिश की। 1940 में सरकार ने कहा कि उसने 480 जाने-माने कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर लिया है। जून 1940 में जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण के साथ ही सी.पी.आई. का रूख बदल गया। 15 दिसम्बर 1941 को सी.पी.आई. के पॉलित ब्यूरो ने बिना शर्त युद्ध के समर्थन की घोषणा कर दी।[9] इसकी प्रतिक्रिया में 23 जुलाई 1942 को ब्रिटिश सरकार ने उन पर से प्रतिबंध भी हटा दिया और उने नेता को रिहा भी कर दिया।

सितम्बर 1940 में प्रकाशित सी.पी.आई. के घोषणा पत्र में ब्रिटिश सरकार से गाँधी एवं अन्य कांग्रेसी नेताओं को रिहा करने तथा राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिये बातचीत की मांग की।[10] उसने अंग्रेजों पर आरोप लगाया कि भारत को उनलोगों ने एक भयानक और खतरनाक संकट में डाल दिया है।[11]

कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में कम्युनिस्टों का साथ न मिलने से दोनों के संबंध काफी बिगड़ गये। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने एक उप समिति गठित की जिसके सदस्य पंडित नेहरू, गोविन्द वल्लभपंत ओर सरदार पटेल थे। इन लोगो नें सिफारिश की सभी निर्वाचित पदों से कम्युनिस्ट को हटा दिया जाये। सन् 1942 के मध्य में सी.पी.आई. ने भारत को एक बहुजातीय इकाई कहा और प्रत्येक इकाई को आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया। इसी पार्टी ने बाद में खुले तौरपर पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया।[12] दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति ने भारत में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिया।

इस संकट से उबरने के लिए सरकार राजस्व की भरपाई के लिए मजदूरों और किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया। साथ ही छंटनी की नीति अपनाई जिससे बेकारी की समस्या उत्पन्न हुई। पूरे देश में जगह-जगह अकाल पड़े और लोग राशन एवं दवा के अभाव में मरनेल गे। सिर्फ बंगाल में मरने वालों की संख्या 35 लाख थी। इस दुर्वस्था को जमाखारो, जमींदारों ओर उच्च व्यापारियों ने और भी खराब किया। फलस्वरूप सी.पी.आई. के नेतृत्व में 1945 में कलकत्ता की ट्रॉम हड़ताल से लेकर कुल 850 हडतालें हुई जिनमें 8 लाख से अधिक मजदूरों ने हिस्सा लिया। सी.पी.आई. ने सुभाष चन्द्र बोस के प्रति ब्रिटिश सरकार के रवैये की निंदा की ओर आजाद हिंद फौज के बंदियों की रिहाई की मांग की।

इस बीच 1946 में नौसैनिक विद्रोह हुआ। अपने साथ होने वाली बदसलूकी के खिलाफ नाविकों ने 18 फरवरी 1946 को हड़ताल शुरू कर दी। 20 फरवरी 1946 तक यह बम्बई के सभ्झी बंदरगाहों व शहरों में फैल गई। इसमें ट्रेडयूनियनों ने भी अपना सहयोग दिया और 22 फरवरी को एक हड़ताल हुई जिसमें 2 लाख से ज्यादा मजदूरों ने हिस्सा लिया।[13]

नाविकों के इस विद्रोह के पीछे भी सी.पी.आई. का हाथ था। सी.पी.आई. द्वारा जारी साहित्यिक रचनाओं के प्रभाव से नाविकों में खलबली मच गई। कम्युनिस्टों के बढ़ते प्रभाव से डरकर अरूणा आसफ अली ने नेहरू जी को तार दिया कि जल्दी बम्बई आओ वर्ना स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जायेगी और अवांछनीय व्यक्तियों के हाथ में चली जायेगी।[14]

दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद लेबर पार्टी इंग्लैंड में सत्तासीन हुई और इसने घोषणा की कि वे जल्द ही भारत को संपूर्ण स्वायत्त प्रदान करेगी। 1945-46 की सर्दी में केन्द्रीय एवं प्रातीय विधानसभा के चुनाव हुए। जिनमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग को बहुमत प्राप्त हुआ। 1946 में सी.पी.आई. ने अपना चुनावी घोषणा-पत्र जारी किया। 53 घोषणा-पत्र के मुताबिक भारत को भाषा के आधार पर 17 प्रमुख राज्यों में बाँटने और उनके परिसंघ बनाने पर बल दिया गया।[15]

कांग्रेस और मुस्लिम लीग को स्पष्ट बहुमत मिलने के बावजूद केथ्बनेट मिशन ने सत्ता को दो पृथक राज्यों में बांटने से इंकार कर दिया। सी.पी.आई. ने कैबिनेट मिशन के सामने अपना प्रस्ताव रखा और इस बात को लेकर उसकी आलोचना भी की, कि मिशन के प्रस्ताव में यह स्पष्ट नहीं था कि भारत को स्वतंत्रता कब मिलेगी। सी.पी. जोशी ने मिशन की इस योजना को भाईयों के मध्य कत्लेआम करवाने वाला बताया।[16] कम्युनिस्टों ने तो इस योजना को अस्वीकार कर दिया लेकिन सेना एवं पुलिस की तकरार एवं जनांदोलन को देखते हुए मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इसे मान लिया। कैबिनेट मिशन की असफलता के बाद माउण्ट बेटन योजना के तहत् 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्य बन गये।

भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने ब्रिटिश सरकार की ओर से जर्मनी के विरूद्ध युद्ध में भारतीयों से मदद करने की अपील की।[17] साथ ही वायसराय ने कहा कि हमें उन सिद्धांतों की रक्ष्ज्ञा करनी है जिन पर मानव जाति काभविष्य निर्भर है।[18] द्वितीय विश्वयुद्ध में भारत को सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। ब्रिटिश शासकों ने किसी भी प्रकार का परामर्श भारतीय नेताओं से नहीं लिया। अतः कांग्रेस ने वायसराय के इस व्यवहार को बुरा माना एवं इंग्लैंड को सहातया न देने का निश्चय किया।[19] कांग्रेस द्वारा भारत को युद्ध में झोके जाने से कड़ा विरोध किया।

18 अक्टूबर, 1939 ई० को लॉर्ड लिनलिथगो ने ब्रिटिश नीति को स्पष्ट करते हए कहा कि ब्रिटेन अधिक से अधिक इस बात के लिये तैयार है कि युद्ध की समापित के बाद विभिन्न संप्रदायों, राजनीतिक दलों, देशी नरेशों आदि के प्रतिनिधियों से इस उ द्देश्य से विचार विमर्श करेगा कि सन् 1935 ई० के अधिनियम में किस तरह के संशोधन किये जाये जिससे सबको संतुष्टि हो।[20]

गाँधी जी ने वायसराय के 18 अक्टूबर 1939 ई॰ वाले वक्तव्य को पूर्णत: निराशाजनक बताया। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस ब्रिटेन को किसी भी रूप में समर्थन देने के लिये तैयार नहीं हैं, क्योंकि ऐसा करने का अर्थ यही समझा जायेगा कि कांग्रेस उस साम्राज्यवादी नीति का समर्थन करने जा रही है। जिसको समाप्त करने के लिये कांग्रेस सदा से प्रयासरत रही थी।

ब्रिटिश सरकार कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग को समझाने का प्रयास किया परंतु कांग्रेस मानने को तैयार नहीं थ। ब्रिटिश सरकार भली-भांति जानता था कि युद्ध में भारत का सहयोग लेने के लिए कांग्रेस से समझौता किये बिना संभव नहीं होगा। भारत में तीव्र रोष उत्पन्न हो गया थ। फलत: महायुद्ध की स्थिति को देखते हुए वायसराय ने 8 अगस्त 1940 ई॰ को शासन की ओर से एक घोषणा प्रसारित की जो बाद में अगस्त प्रस्ताव के नाम से पुकारी जाने लगी।

इस प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि 'भारत' के लिए संविधान का निर्माण मुख्य रूप से भारतीयों को ही जिम्मेदारी होगी। सरकार की दृष्टि में अगस्त की घोषणा अधि कतम भी किंतु कांग्रेस की न्यूनतम माँग से भी न्यून थी जिसे कांग्रेस स्वीकार करने को तैयार न हो सकी।

सन्दर्भ :

1ण ए.आई.सी.सी. रिजोल्यूशन, 31 मार्च, 1 अप्रैल 1921, बेजवाड़ा, ए.एम. ए जैदी (सं॰) आई.एन.सी. द ग्लोरियस ट्रेडिशन, वाल्यूम-2, नई दिल्ली, 1987, पृ॰ 27.

2ण नवजीवन (गुजराती) 31 अक्टूबर, 1920, संपूर्ण गाँधी वाड.मय, भाग-19, पृ॰ 265.

3ण ए.आई.सी.सी. रिजोल्यूशन, 28-30, जुलाई, 1921 बम्बई, ए.एम. जैदी, डॉ. एस.जी. जैदी इनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, नई दिल्ली, 1980, वाल्यूम-8, पृ॰ 380.

4ण शंकर घोष, कांग्रेस प्रेसिडेंसियल स्पीचेज, ए सेलेक्शन, कलकत्ता, 1972, पृ॰ 253.

5ण डॉ. वी. पट्टाभिसीतारमैया, हिस्ट्री ऑफ द कांग्रेस, हिन्दी (संपा॰) श्री हरिभाव उपाध्याय, खण्ड-1, नई दिल्ली, 1948, पृ॰ 367.

6ण करांची कांग्रेस रिजोल्यूशन, 1931, ए.एम.. जैदी, डॉ. एस.जे. जैदी, वाल्यूम-10, पृ॰ 146.

7ण ए.आई.सी.सी. फाईल नं.-199/1931, एन.एम.एम.एल., संपूर्ण गांधी वाड.मय, भाग-45, पृ॰ 392-93.

8ण सी.डब्लू.सी. रिजोल्यूशन, 27-28 फरवरी, 1 मार्च, 1937, वर्द्धा, ए.एम. जैदी, डॉ. एस.सी. जैदी, पूर्व उद्धत, वाल्यूम-11, पृ॰ 246.

9ण वही, पृ॰ 168

10ण सी.डब्लू.सी. रिजोल्यूशन, 15-22 मार्च 1937, दिल्ली, ए.एम. जैदी, डॉ. एस.जी. जैदी (मु.सं.), वाल्यूम-11, पृ॰ 290-91.

11ण महात्मा गांधी, हिन्द स्वराय, अनु.अ मृतलाल ठाकोरदास नानावती, अहमदाबाद 2006, पृ॰ 72.

12ण नवजीवन, 30 दिसम्बर, 1920 तथा महात्मा गांधी, शिक्षा की समस्या, अनु. रामनारायण चौधरी, अहमदाबाद, 1958, पृ॰ 22.

13ण हरिजन सेवक, 6 नवंबर, महात्मा गांधी, शिक्ष की समस्या, पृ॰ 362-64.

14ण डॉ. वी. पट्टाभिसीतारमैया, खण्ड-3, पृ॰ 259.

15ण एनुअल रिपोर्ट ऑफ इण्डियन नेशनल कांग्रेस, 1938-39, ए,एमक. जैदी, डॉ. एस.जी. जैदी, डॉ. एस.जी. जैदी, वाल्यूम-1, पृ॰ 592.

16ण वही, पृ॰ 260.

17ण जवाहरलाल नेहरू, द डिस्कवरी ऑफ इण्डिया (सं.), रामचंद्रन टंडन, नई दिल्ली, 2008, पृ॰ 435-36.

18ण रजनी पामदत्त, पृ॰ 487, टिप्पणी नं॰-4.

19ण नेहरू का खत जिन्ना को, जनवरी 1937 स्रोत.

20ण जवाहरलाल नेहरू द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य, एन.एम.एम.एल., जनवरी, 1938, इलाहाबाद, खण्ड-9, पृ॰ 372-73.

महिला सशक्तिकरणः एक अवलोकन

डॉ० उत्कर्ष उपाध्याय

असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान विभाग) प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा कहा गया मशहूर वाक्य लोगो को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना जरूरी है एक बार जब वो अपना कटुम उठा लेती है परिवार आगे बढ़ता है गाँव आगे बढ़ता है। और राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है। समाज में नारी की स्थिति जितनी मजबूत होगी समाज उतना ही विकसित और प्रभावपूर्ण होगा, क्योकि महिलाएं समाज की आधी जनशक्ति होती है सदैव से यातना और शोषण की शिकार रही महिला के उन्नयन हेतु विश्व स्तर पर पहली बार संगठित प्रयास 1903 में अमरीका यूगेन ट्रेड यूनियन के गठन के साथ शुरू हुआ। पाँचवें दशक में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा के साथ ही महिलाओं के लिए विश्व स्तर पर समानता की बात उठी महिलाओ के अधिकारों को मान्यता देने तथा लिंग भेदभाव समाप्त करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार संबंधी घोषणा ने प्रेरक का काम किया। 1985 में नैराबी में सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में सर्वप्रथम महिला सशस्तीकरण को परिभाषित किया गया। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्यमहिलाओं की पुरूषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शरीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आंशिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्रता है। भारत में महिला सशस्तीकरण से आशय प्राथमिक रूप से महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक दशा में सुधार लाना है, महिला सशस्तीकरण की दिशा में सुधार लाना है, महिला सशस्तीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को ठोस रूप देने के लिए 1993 में बीजिंग में सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में विधायिका में महिलाओ की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया। महिला सशस्तीकरण को हम पाँच स्तरों में विभाजित करके देखते है

1. कल्याणकारी कार्यक्रम- महिलाओं के कल्याण का अर्थ है उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर में सुधार, जैसे कि महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को दूर करना, पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाना तथाउनकी सुरक्षा और आय को बढानाये सब महिला सशक्तीकरण में सबसे निचले स्तर के प्रयास किये जायेंगेवहां महिलाओं का स्तर उपर बढ़ेगा। भारत में महिलाओं के कल्याण के लिए भारत के संविधान में विशेष प्रावधान किये गये संविधान के अनुच्छेद 14-15 में विधि के समक्ष समानता तथा लिंग, धर्म, मूलवंश या जाति के आधार पर महिलाओं को पुरूषों के समान अधि कार है। अनुच्छेद 23-24 में महिलाओं के शोषण, बलात श्रम, महिलाओ का क्रय विक्रय इत्यादि पर रोक लगाए जाने का निर्देश है। महिलाओं के कल्याण के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1953 में की गई, इसका मुख्य कार्य समाज कल्याण तथा महिला सशस्तीकरण के क्षेत्र में प्रयास करना है इस बोर्ड द्वारा लागू किए गये कार्यक्रमों में जरूरतमंद महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रम, महिलाओं और बालिकाओं के लिए शिक्षा के सघन पाठ्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, ग्रामीण तथा निर्धन महिलाओं में जागरूकता बढाने वाली परियोजनाएं पारिवारिक परामर्श केन्द्र, स्वैच्छिक कार्यवाही ब्यूरो, बच्चो के लिए अवकाश शिविर, सीमावर्ती क्षेत्रों में कल्याण प्रसार योजनाएं और बालवाडियां, कामकाजी महिलाओं के लिए शिशुसदन और हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है।
2. संसाधनों की पहुँच महिला सशक्तीकरण का दूसरा स्तर है, संसाधनो और सेवाओं तक महिलाओं की पहुँच। सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं तो बनाई जा रही है लेकिन वास्तविक लाभ तभी होगा जब इन सेवाओ और संसाधनो को महिलाओं तक पहुँचाया जाए बहुत सी योजनाएं तो कागजों में ही दम तोड़ देती है और जो लागू भी हो जाती है, उनका लाभ बहुत कम महिलाओं तक पहुँचता है, क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है यहाँ महिलाओं को घर से बाहर भी निकलने की इजाजत नहीं होती उन्हें केवल घर के कार्यो तक ही सीमित रखा जाता है भारत में इस संदर्भ में महिलाओं के स्तर में सुध ार के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए जैसे स्वावलम्बन इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य है इसमे मुख्यतः कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, मेडिकल ट्रांसक्रिप्सन, टेलीविजन मरम्मत हथकरघा व लिपिकीय क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना में गरीबऔर जरूरतमंद महिलाएं और समाज के कमजोर वर्ग की महिलाएं शामिल की जाती है, तथा

गैर-सरकारीसंगठनों, संस्थाओं सार्वजनिक क्षेत्रों के संगठनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। एक अन्य योजना स्वशक्ति योजना इसकी स्थापना 1996 में की गई। यह केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित तथा विश्व बैंक एवं अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास के सहयोग से यह योजना विभिन्न प्रदेशो मे चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं में आरगनिर्भर और आत्मविश्वास बढ़ाने तथा स्वरोजगार की दिशा में उन्हें प्रेरित करने में स्वयं सहायता समूह इस योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है।

3. चेतना या जागरूकता महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए सबसे पहला कदम है महिलाओं को शिक्षित करना जब महिलाएं शिक्षित होगी तभी वे अपने अधिकारों के बारे में जान सकेगी और अपने अधिकारों की माँग के लिए आवाज उठा सकेंगी। भारत में महिलाओं को जागरूक करने के लिए महिला "सामाख्या कार्यक्रम शुरू किया इस कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रतिजागरूक करने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं तैयार की जाती है. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ऐसी योजनाएं बनाना तथा उसे कार्यान्वित करवाना है जिनके माध्यम से महिलाओं को शिक्षित किया जा सके ताकि वे अपने अधिकारो के प्रति जागरूक हो सके। अभी भी बहुत से रूढिवादी परिवारों में शिक्षा प्राप्त करवाने में लैंगिक असमानता बरती जाती कंवल बालकों को ही शिक्षा दी जाती है बालिकाओं को इससे वंचित रखा जाता है। इसके लिए सरकार नेबालिका प्रोत्साहन योजना शुरू की। इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 8 पास करने वाली बालिका को कक्षा 9में नामांकित होने पर 3000 रूपये की एकमुश्त धनराशि दी जाती है।

4. गतिशीलता- गतिशीलता सशक्तीकरणका कार्य स्तर है आजादी के बाद भारत में नए संविधान द्वारा महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता और न्याय के अधिकार प्रदान किये गए महिलाओं की शिक्षा तथा जागरूपता में वृद्धि हुई तथा कम से कम नगरीय क्षेत्रों में महिलाएं विश्व स्तर पर महिला आंदोलन की रणनीति को समझने में आगे बढ़ी आज देश में महिला गतिशीलता को प्रभावी बनाने के लिए महिलाओं के कई छोटे-बड़े संगठन है तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने अपने सरोकार से संबंधित विभिन्न मुद्दों जैसे महिला उत्पीडन महंगाई पर्यावरण की रक्षा शराब बंदी महिला आरक्षण की मांग आदि के लिए संघर्ष कर रही है। पर्यावरण से संबंधित चिपको आंदोलन मुख्यत महिला शक्ति पर आधारित आंदोलन है। मेघा पाटेकर द्वारा संचालित नर्मदा आंदोलन तथा इला भट्ट द्वारा संचालित सेल्फ इम्प्लोइड वूमेन एसोसिएशन (सेवा) महिला गतिशीलता के श्रेष्ठ उदाहरण है।

5. नियंत्रण- सशक्तीकरण का वह स्तर है जब महिलाओं के निर्णय निर्माण और संसाधनों को प्राप्त करने के पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है। यह नारी सशसक्तीकरण का आखरी स्तर है जब महिलाओ को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, आदि प्रत्येक क्षेत्र में निर्णय निर्माण की शक्ति प्राप्त हो जाती है स्वतंत्रता के बाद देश में महिलाओं के सशस्तीकरण की दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर प्रयास किये जाते रहे हैं। संविधान के अनु० 40 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में संसद द्वारा 73 वाँ संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतो तथा नगर पालकाओं में क्रमशः अनु0 243 (घ) तथा अनु० (न) द्वारा आरक्षित तथा अनारिक्ष वर्ग की महिलाओं हेतु 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनेक कानूनी संरक्षण प्रदान करने के साथ-साथ महिलाओं के समुचित विकास कार्यक्रमों एवं कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है ताकि उनके जीवन स्तर मे सुधारआ सके तथा विकास में सुधार बना सके तथा विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। केन्द्री समाज कल्याण बोर्ड, महिला और बाल कल्याण मंत्रालय श्रम मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय आदि के द्वारा महिलाओ को सामाजिक एवं अर्थिक रूप से सशक्त करने एवं मुख्य धारा में जाने हेतु कई उपयोगी कार्यक्रम और योजनाएं चालू किये। गये है। महिलाओं पर अत्याचार रोकने, सामाजिक चेतना और जागरूकता उत्पन्न करने हेतु प्रचार माध्यमी का भी भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठनों तथा संस्थाओं का भी इस दिशा में पर्याप्त सहयोग और योगदान प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा चलाई गई कुछ प्रमुख योजनाएं-

- दवाकरा योजना-1982 के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए उनके स्वास्थ, शिक्षा, पोषाहार स्वच्छता तथा शिशुओं की देखभाल करने जैसे मूलभूत सेवाएं प्रदान करना। इस योजना को वर्ष 1999-2000 में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना मे मिला दिया गया है।
- महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (1986-87) योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का कौशल विकास कराकर उनको इस लायक बनाना है कि ये स्व-रोजगार या उद्यमी बनने का हुनर प्राप्त कर सकें।

- महिला समाख्या योजना 1989 ग्रमीण क्षेत्र की महिलाओं को समानता और सजगता के लिए महिलाओ को समानता और सगजकता के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना।
- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 1992– माताओं और शिशुओं को पोषाहार उपलब्ध कराकर सुरक्षित मातृत्व तथा मृत्युदर में कमी लाना।
- किशोरी बालिका योजना 1992– गरीब परिवार की बालिकाओं को समुचित स्वास्थ्य एवं पोषण तथाशिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- राष्ट्रीय महिला कोष समृद्धि योजना 1993– गरीबी रेखा से नीचे परिवार की महिलाओं में आर्थिक रूपसे स्वावलंबी बनाना।
- इंदिरा महिला योजना 1995 ग्रामीण और शहरी मलिन बस्तियो की महिलाओं को आर्थिक रूप से .स्वावलंबी बनाना।
- राज राजेश्वरी बीमा योजना 1997– गरीबी रेखा से नीचे की बालिकाओं और महिलाओं को बिना किसी प्रीमियम के भुगतान पर विकलांगता की स्थिति में जीवन निर्वाह हेतु एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- स्वास्थ्य सखी योजना 1997 अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को प्रजनन एवं बाल स्वास्थ केविषय में आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आर्थिक लाभ प्रदान करना।
- किशोरी शक्ति योजना 2000– किशोरी बालिकाओ हेतु स्वास्थ्य एवं पोषण की समुचित व्यवस्था करना।
- स्त्री शक्ति पुरूस्कार योजना 2000– महिला अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली महिलाओं को राष्ट्रीयपुरूस्कार से सम्मानित कर प्रोत्साहन देना।
- स्वयंसिद्धा योजना 2001 महिलाओं के स्वयं सहायता समूहो को गठित कर उन्हें आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से सशक्त बनाता।
- स्वाधार घर योजना 2001-02– इस योजना का उद्देश्य वेश्यावृत्ति से युक्त महिलाओं रिहा कैदी विधवाओं तस्करी से पीडित महिलाओं, प्राकृतिक आपदाओ मानसिक रूप से विकलांग और बेसहारामहिलाओं के पुर्नवास की व्यवस्था करना है।
- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना 2004– इस योजना का मुख्य उद्देश्य 75 प्रतिशत अनुचितजाति / जनजाति / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं का 25 प्रतिशत गरीबीरेखा से नीचे वाले परिवारो की बच्चियों का दाखिला कराना है।
- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 2010– इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 19 साल या उससे अधिकउम्र की गर्भवती स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले दो बच्चों के जन्म तक वित्तियां सहायता प्रदानकरना है।
- किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गाँधी योजना (सबला) 2011– इस कार्यक्रम के तहत भारत के 200 जिलों से चयनित 11-18 आयु वर्ग की किशोरियों की देखभाल समेकित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत की जा रही है।
- सुकन्या समृद्धि खाता योजना 2014– बेटी बचाओं बेटी पढाओ योजना के अन्तर्गत लड़कियों की पढ़ाईऔर विवाह में पैसों की कमी को दूर करने के लिए योजना चलाई गई है।
- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 2016– इस योजना के अन्तर्गत गरीब महिलाओ को मुक्त एल०पी०जी० गैसकनेक्शन मिलेगी।

इसके अतिरिक्त महिलाओं को अधिक सामाजिक रूप से सशक्त बनाने हेतु लेकिक बजट की अवधारणा भी महत्वपूर्ण है। महिलाओं को आयकर मे विशेष छूट का भी प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक स्थलों, परिवहनों आदि में महिलाओं के यौन शोषण को रोकने हेतु तथा त्वरित उपचार हेतु विशेष सुविधाऐं उपलब्ध कराई गई है।

उपसंहार

उपयुक्त योजनाओं के माध्यम से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि सरकार महिलाओं के समग्र विकास के लिए हर तरह के प्रयास काफी लम्बे समय से करती आ रही है और यहीं कारण है कि आज समाज में महिलाओं की भूमिकाओं में बहुत तरह के बदलाव भी दिखाई देने लगे है। आज शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज न करायी हो। यह उम्मीद भी की जाती है कि उक्त योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सभी के सामने आयेगी।

शोध ग्रन्थ

- अहलावत, नीरजा: वूमेन एण्ड स्ट्रगल फॉर इक्लैलिट सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, सेज पब्लिकेशन्स, 2016.
- आर्या, साधना, निवेदिता मेनन एवं जिनी लोकनीता: नारीवादी राजनीति: संघर्ष एवं मुद्दे, दिल्ली, 2014.

- ओझा, सुरेशः महिला अधिकार, सर्जना प्रकाशन, बीकानेर, 2009.
- उत्तरप्रदेशः सूचना एवंजनसम्पर्क विभाग, उत्तर-प्रदेश, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ, 2018.
- कपाड़िया, करीनाः द वायलेन्स ऑफ डेवलमेंट द पॉलिटिक्स ऑफ आइडेन्टिटी जेंडर एण्ड सोशल इनइक्वैलिटी इन इंडिया, जुबान एन एसोसिएट ऑफ काली फॉर वूमेन, नई दिल्ली, 2003.
- जैन, एस0के0ः घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण विधि, इण्डिया लॉ हाउस, इन्दौर, 2020.
- टेलर एण्ड फ्रांसिसः वायलेन्स अगेन्स्ट वूमेन द हेल्थ सेक्टर रिस्पाण्ड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा, 2013.
- डॉ0 अनिलाः घरेलू हिंसा के संरक्षण में अभिकरणों की भूमिका, हिमांशु पब्लिकेशन, जनवरी 2019.
- प्रसाद, दिनेशः सचिव महिला चेतना ग्रामीण विकास केन्द्र, हासिये की आवाज, नईदिल्ली, फरवरी 2010.
- भारत-2021, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रकाशन मन्त्रालय, भारत सरकार, 2021.

ओम प्रकाश बाल्मिकी की आत्मकथा में दलित विमर्श

कु. रेनू

(पूर्व छात्रा, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी)

प्रस्तुत शोध पत्र का मूल उद्देश्य साहित्य की विकास की प्रक्रिया को सम्पूर्ण सामाजिक प्रक्रिया के अंग के रूप में देखना, समझना है, जिसमें व्यापक सामाजिक संदर्भ में लेखक, रचना और पाठक का विकासशील सम्बन्ध प्रकट हो, सामाजिक विकास के साथ-साथ भाषा, संवेदना और साहित्य-रूपों के विकास का सम्बन्ध भी स्पष्ट हो। हिन्दी में दलित-विमर्श आन्दोलन को लेकर ऐसी पद्धति और दृष्टि का विकास होना अब भी बाकी है जिसमें भारतीय साहित्य की सामाजिकता और साहित्यिकता के साथ-साथ नयी कविता की गुणवत्ता की रक्षा हो सके। प्रस्तुत शोध पत्र की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यही हो सकेगी कि हम एक ऐसी ही पद्धति और दृष्टिकोण का विकास कर सके।

नितान्त मानवीय एवं आदर्शवादी मूल्यों के उद्घोषक देश भारत और उसके समाज का विशाल हिस्सा सदियों तक अमानवीय यातनाओं, वर्णगत और जातिगत उच्चगत एवं निम्नता, जातीय अहंकार और निर्योग्यताओं के पाश में जकड़ा रहा। धर्मशास्त्रों एवं सामाजिक मान्यताओं के आधार उक्त अमानवीय मूल्यों को विधि -सम्मत ठहराया जाता है।

दलित शब्द की अवधारणा अत्यन्त व्यापक है। वैदिक काल और स्मृतिकाल की वर्ण-व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था से अस्पृश्य, अन्त्यज समझी जाने वाली जातियों, उपजातियों का विकास होता रहा। इनके साथ समाज और राज्यसत्ता ने जो अमानवीय एवं संवेदना से परे जो व्यवहार किये, वे दर्दनाक है। यह भी सत्य है कि आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक भारतीय समाज ने ऐसे सुधारक पैदा किये है जिन्होनें इस रूढ़ जाति-प्रथा व अस्पृश्यता-उन्मूलन की दिशा में अपनी वाणी के द्वारा समता का उद्देश्य प्रस्तुत किया। छुआ-छूत और ऊँच-नीच के विरोध में यह वाणी दलितों का सम्बल बनी। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध से लेकर कबीर, नानक, रैदास, दयाल, पीपा, नामदेव, तुकाराम, चौतन्य महाप्रभु आदि ने दलित विरोध में आवाज उठायी थी।

आधुनिक भारत में दलित-चेतना के उद्बोधन का प्रयास महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिराव फुले और चोखा मेला ने किया। 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, इंडियन सोशल कांफ्रेस से जुड़े राजा राम मोहन राय, केशवचन्द्र सेन, नारायण गुरू, ज्योतिराव फुले, विवेकानन्द, ई.वी. रामास्वामी 'पेरियार' आदि समाज सुधारकों ने दलित समाज की स्थिति को सुधारने के लिए सुधारवादी आन्दोलन चलाया।

वास्तविक अतीत और अतीतानुभूति दोनों ही व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक संसार का हिस्सा होते है और उसके अस्तित्व पर बहुत गहरा असर डालते है। यह किसी भी व्यक्ति की पहचान का आधारभूत तत्व होती है। कई बार ऐसा लगता है कि वर्तमान में अतीत जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक अतीतानुभूति होती है जो गुणात्मक परिवर्तनशीलता है, लेकिन व्यक्ति और समुदाय दोनों ही इसे अपनी अमूल्य धरोहर मानकर सख्ती से जकड़े रहते है।

दलितों के मामले में व्यक्ति की अतीतानुभूति आमतौर स आत्मकथात्मक माध्यमों में प्रतिबिम्बित होती है। दलित आज भी भूमिहीन, दास, गुलाम, बंधुआ-मजदूर, अछूत और पराश्रित-निराश्रित जीवन जीता आ रहा है। उनके लिए यह शब्द वेदना, चीख, चुभन, घुटन, आक्रोश और छटपटाहट का प्रतीक है। अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित यह दलित वर्ग अपनी सम्पूर्ण ऊर्जा के साथ अपने अस्तित्व-क्षरण एवं अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्षरत है। उदाहरण के लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि (जूठन 1999) और के.नाथ. (तिरस्कार 1999) जैसे दलित लेखकों ने अपनी आत्मकथाओं में अपने बचपन व जीवन से जुड़ी असहनीय स्मृतियों का खुलकर जिक्र किया है। "दलित जीवन की पीड़ायें' असहनीय, अमानवीय और अनुभव-दग्ध है। ऐसे अनुभव जो साहित्यिक अभिव्यक्तियों में स्थान नहीं पा सके। एक ऐसी समाज व्यवस्था में हमने साँसे ली है, जो बेहद क्रूर और अमानवीय है। दलितो के प्रति असंवेदनशील भी।

"इन अनुभवों को लिखने में कई प्रकार के खतरे थे। एक लम्बी जद्दोजहद के बाद मैनें सिलसिलेवार लिखना शुरू किया। तमाम कष्टों, यातनाओं, अपेक्षाओं, प्रताड़नाओं को एक बार फिर जीना पड़ा। इस दौरान गहरी मानसिक यन्त्रणाएँ मैनें भोगी। स्वयं को परत-दर-परत उधेड़ते हुए कई बार लगा कितना दुखदायी है सब कुछ। कुछ लोगों को यह अविश्वसनीय और अतिरंजनापूर्ण लगता है।" (ओम प्रकाश वाल्मीकि, जूठन की भूमिका से, ग्यारहवाँ संस्करण 2016 राधाकृष्ण पेपर बैक्स)

दलित शब्द की उत्पत्ति संस्कृत धातु 'दल्' से हुयी है। संक्षिप्त हिन्दी सागर डॉ. रामचन्द्र वर्मा ने दलित शब्द का अर्थ निम्नवत् दिया है।

दलित- विनष्ट किया हुआ

दलित- वि (सं.) (स्त्री/दलिता)

मसला हुआ, मर्दित, दबाया, रौंदा या कुचला हुआ, खण्डित, विनष्ट किया हुआ। (दलित साहित्य के प्रतिमान डॉ.एन.सिंह, वाणी प्रकाशन, पृष्ठ 67)।

संकुचित अर्थ में वर्ण-व्यवस्था के अंतर्गत निम्नतम वर्ण शूद्र आने वाली जातियाँ, उपजातियाँ, यथा - भंगी, चमार, डोम, अन्त्यज, चाण्डाल आदि बहिष्कृत जातियों के लिए दलित शब्द प्रयुक्त होता है। इन जातियों को तथाकथित उच्च जातियाँ निम्न मानती है।

व्यापक अर्थ में दलित शब्द से आशय भारतीय संविधान या शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग की जातियों के लोग नहीं है, अपितु दलित शब्द एक संवेदना है, विचार है, जिसका अर्थ दबाया गया, से है दबे हुए से, नहीं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से शस्त्र के ढाल पर दबाया गया मनुष्य किसी भी जाति, वर्ण, धर्म, सम्प्रदाय, मत, पंथ, एवं भौगोलिक क्षेत्र का हो सकता है। इसके अन्दर आने वाले खेत-मजदूर, बेरोजगार, गरीब, शरणार्थी, अनाथ बच्चे और महिलाएँ चाहे वे जिस जाति, धर्म, भौगोलिक क्षेत्र से आते है, दलित है।

इस दलित विमर्श को आयाम देने में डॉ० अम्बेडकर का अत्यन्त ऊँचा स्थान है। दलित चेतना डॉ० अम्बेडकर के जीवन-दर्शन से मुख्य ऊर्जा ग्रहण करती है।इस तथ्य से सभी दलित लेखक एक मत है। दलित चेतना गाल बजाऊँ सहानुभूति संवेदना और सम्मान के आगे कुछ पाना चाहती है। अस्मिता की इस तलाश में मात्र साहित्य की बारीकियाँ तथा कथित कलात्मक सौन्दर्य जिसमें ब्राह्मणवादी सोच ने विकसित किया है, उसे बहका रहे है। उसे अधिकार, अवसर की सत्ता में भागीदारी चाहिए। साहित्य के निष्कर्षों, आदर्शों को खंगालने, पूर्व मूल्यांकन करने की आवश्यकता दलित रचनाकार तीव्रता से महसूस करते है। यथास्थिति को विकल्पहीन नियति बना देने वाला साहित्य-शास्त्र को दलित चेतना अस्वीकार करती उसे नकारती है।

ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा जूठन भाग-1 एवं भाग-2 मूलतः दलित जीवन के विविध पक्षों पर जैसे सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, साहित्यिक पक्षों को समाज के सामने यथार्थ के साथ आता है और यह दलितों के जीवन को जानने-समझने के लिए किसी भी ग्रन्थ से कम नहीं है। इस पुस्तक में जहाँ एक ओर दलितों की गरीबी, कुपोषण, गन्दगी, बेरोजगारी, अस्पृश्यता इत्यादि का मार्मिक वर्णन है, वहीं बेहद कसैला और यथार्थ का हुबहू वर्णन हमें मिलता है। इस पुस्तक में एक अस्पृश्य बालक का जीवन कितने संघर्षो से शुरू होता है, जिसमें कई भाइयों के बीच में किसी एक बच्चे को पिता के द्वारा पढ़ाने का वर्णन एवं प्रयास ही कितने अपमानों को सहने के लिए विवश करता है तथा दलित विशेष होने के नाते मिलने वाली प्रताड़ना उसके हृदय पर कितनी गहरी लकीरें खींचती है। जिसे अपने जीवन में मिटा पाना शायद सम्भव नहीं। सरकारी नौकरी में प्रवेश एवं शिक्षित अधिकारियों का साथ, वहीं रूढ़िवादी सामाजिक सोच को दर्शाता है। साहित्यिक जीवन में भी दलित लेखकों के प्रति दोयम दर्जे की सोच हिन्दी साहित्य के मुख्य साहित्यकारों द्वारा ना समझना, भारी आलोचना करना, कट्टरता, किसी दलित लेखक को कितना चोट पहुँचाती है। इस पुस्तक की प्रासंगिकता इतनी जीवन्त लगती है कि यह एक क्रमिक एवं सच्ची घटनाओं का दस्तावेज लगती है। वाल्मीकि जी का आत्मलेखन लाखों करोड़ों युवाओं को प्रेरित करता है।

ओम प्रकाश वाल्मीकि जी इसी लोकतांत्रिक भारत के दलित साहित्यकार है। जिन्होनें स्वयं दलित होकर भी दलित समाज की पीड़ा, अपमान, कुरीति, गरीबी, गन्दगी आदि के बीच अपने शुरूआती जीवन से लेकर अंत तक इन समस्याओं, अविश्वासों, घृणा एवं अपमानों को अपनी रचना में उद्धृत किया है। क्योंकि उन्होंने आधुनिक भारत के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनैतिक विसंगतियों को देखा, भोगा और समझा। वाल्मीकि जी की आत्मकथा 'जूठन' ऐसे उदाहरणों की श्रृंखला है जिन्हें एक दलित व्यक्ति ने अपनी पूरी संवेदना और संवेदनशीलता के साथ खुद भोगा है। इस आत्मकथा में लेखक ने स्वाभाविक ही अपने आत्म की तलाश करने की कोशिश की है जिसे भारत का वर्ण-तन्त्र सदियों से कुचलने की कोशिश की है। कभी परोक्ष रूप में, कभी अपरोक्ष। इसलिए उनकी आत्मकथा में पीड़ा भी है, असहायता भी है, आक्रोश और क्रोध भी और अपने आपको आदमी का दर्जा दिए जाने की सहज मानवीय इच्छा भी।

इस प्रकार ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अनेक आलोचकों ने दलित-विमर्श को लेकर अपने-अपने मत प्रस्तुत किए जिनका विशद मूल्यांकन शोध-कार्य में किया जायेगा

शोध समस्याः-

शोध-कार्य के दौरान परिकल्पना, शोध-प्रविधि तथा सामग्री संककलन के लिए शोध समस्या का एकदम निश्चित व स्पष्ट होना अत्यन्त आवश्यक होता है। प्रस्तुत शोध कार्य की शोध -समस्या का स्पष्टतः बिन्दुवार निरूपण निम्नलिखित हैः -

- दलित-विमर्श से क्या आशय है।
- दलित - विमर्श के प्रति साहित्यकारों की समीक्षा-दृष्टि क्या रही है।
- दलित-विमर्श की प्रासंगिकता आधुनिक समाज में क्या है?

शोध परिकल्पना

- प्रस्तुत शोध-कार्य के कुछ प्रमुख परिकल्पनात्मक निष्कर्ष तथा कार्य की संभावनायें निम्नवत है:-
- दलित-विमर्श और तद्युगीन साहित्य के ऐतिहासिक विकास का निरूपण हिन्दी की समूची जातीय परम्परा के व्यापक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हो सकेगा।

शोध प्रविधिः -

प्रस्तुत विषय साहित्य और समाज दोनों के अतीत स्थिति और उससे विकसित चेतना के अंर्तसंबंधों पर आधारित है, अतः ऐतिहाकिस अनुसंधान पद्धति अपेक्षित है। समूची स्थापनाओं के ऐतिहासिक संदर्भ में र्निमित होती चलती चित्तवृत्तियों तथा उसकी साहित्यिक परिणतियों के निदर्शन में मनोवैज्ञानिक समझ एवं द्वन्दात्मक प्रक्रिया का प्रयोग होगा। साहित्यिक चेतना की सामाजिक भूमिका के विकास के इस निरूपण में यान्त्रिक कार्य-कारण तथा सरलीकृत विधेयवाद के खतरो और सीमाओं से सजग रहना प्रस्तुत कार्य की मांग है।

प्रस्तुत शोध-कार्य में तर्क की 'आगमनात्मक' एवं 'निगमनात्मक' दोनों पद्धतियों का अनुप्रयोग अपेक्षित है।

विश्लेषण पद्धतियों की दृष्टि से प्रस्तुत शोध-कार्य में 'अंशोन्मुख' तथा 'पूर्णोन्मुख' दोनों पद्धतियाँ अनुप्रयुक्त हो सकेगी। विभिन्न समीक्षा दृष्टियों के अलग-अलग विश्लेषण में अंशोन्मुख विश्लेषण पद्धति तथा दृष्टियों के तुलनात्मक अध्ययन में 'पूर्णोन्मुख' विश्लेषण पद्धति अनुप्रयुक्त होगी।

कार्य-प्रणाली की दृष्टि से प्रस्तुत शोध-कार्य मननात्मक शोध की श्रेणी में आयेगा। अतः शोध की इस प्रकृति के अनुरूप सामग्री संकलन की विविध पद्धतियों के बीच से अध्ययन पद्धति अपनायी जायेगी। जिसमें अभिलेखीय सामग्री (सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं के दस्तावेज(अभिलेख) प्रतिवेदन आदि), आनुकालिक प्रकाशन (शोध व अन्य पत्र-पत्रिकाएँ, वार्षिक रिपोर्ट, बुलेटिन, संगोष्ठियों आदि में प्रस्तुत निबन्ध आदि) तथा सूचियों (शोध ग्रन्थों की सहायक ग्रन्थ सूचियाँ, प्रकाशकों की प्रकाशन सूचियाँ) आदि का प्रयोग किया जायेगा।

उपसंहार-

इस प्रकार आलोचना दृष्टि की सैद्धान्तिक से लेकर र्निमित समीक्षा दृष्टि के साहित्य लेखन में अनुप्रयोग तक प्रस्तुत शोध कार्य की व्याप्ति है। इतना ही नहीं समीक्षा दृष्टियों के निर्माण की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों व मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्यों की भी गवेषणा की गयी है। दलित-विमर्श के लेखन के विभिन्न सामाजिक दृष्टियों की सापेक्षिक समीक्षा संभव है जिसके बीच दलित-विमर्श लेखन की सर्वागपूर्ण, सुसंगत व वैज्ञानिक दृष्टि का विकास हो सके।

"आलोचना की आलोचना"

डॉ० ललित कुमार

सहायक आचार्य (हिन्दी) वी.वी. राज. स्ना. महाविद्यालय, जालौर (राजस्थान)

सामान्य जीवन में 'आलोचना' का अर्थ 'बुराई करने' से लिया जाता है लेकिन सैद्धान्तिक और शास्त्रीय रूप में आलोचना का अर्थ है- 'किसी कृति, व्यक्ति, विचार, स्थान, पद्धति, व्यवहार, सिद्धान्त आदि के गुण-दोषों पर निष्पक्षतापूर्वक विचार करना, विमर्श प्रस्तुत करना।'

'आलोचना' शब्द जब अपने अर्थ खोने लगा और 'बुराई' के रूप में रूढ़ होने लगा तो समालोचना, समीक्षा आदि शब्द समय के साथ अस्तित्व में आए।

डॉ. धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार, "आलोचना शब्द 'लोच' से बना है- आ + लोच् + अन + आ = आलोचना। 'लोच्' का अर्थ है 'देखना'। इसलिए किसी वस्तु या कृति की सम्यक् व्याख्या, उसका मूल्यांकन आदि करना ही आलोचना है।"[1]

माना जाता है कि राजशेखर ने 'काव्य मीमांसा' रचना से आलोचना या समीक्षा का सूत्रपात किया था। आलोचना के संबंध में विभिन्न विद्वानों के अनेक मत प्रचलित हैं।

डॉ. श्याम सुन्दरदास के अनुसार, "साहित्य जीवन की व्याख्या है तो आलोचना उस व्याख्या की व्याख्या है।"

बाबू गुलाबराय का मत है कि "कवि की कृति का सभी दृष्टियों से आस्वाद कर पाठकों को उस प्रकार के आस्वाद में सहायता देना आलोचना है।"

धीरेन्द्र वर्मा मानते है कि "आलोचना स्वस्थ मन से साहित्य या कला का अध्ययन करना और सौन्दर्य को परखना सिखाती है, यही उसका परम कर्त्तव्य है।"

नगेन्द्र कहते है कि "आलोचना सृजन का पुनर्सृजन है।"

'हिन्दी साहित्य का इतिहास' जैसे प्रतिष्ठित ग्रंथ में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने आलोचना का महत्व व्यवस्थित ढ़ंग से प्रस्तुत किया है।

महावीर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी आलोचना के क्षेत्र में मूलभूत रूप से कार्य किया है जिसका प्रभाव परवर्ती आलोचना साहित्य पर स्पष्ट दिखाई देता है।

पाश्चात्य विद्वानों ने आलोचना को नये अर्थों और संदर्भों में विवेचित करने का प्रयास किया है।

मिडिल्टन मरे के अनुसार "कला जीवन की सजगता है और आलोचना कला की सजगता है।" जे.ई. स्पिनगार्न कहते हैं कि- "लेखक की अभिव्यक्ति के प्रयास क्या, कैसे और कहाँ तक सफल रहे हैं? यही विचार करना आलोचना है।"

विक्टर ह्यूगों का मत है कि "रचना अच्छी है या बुरी... उसका पता लगाना आलोचना का कर्तव्य है।"

लोंजाइनस का तर्क है कि "आलोचना अधिक परिश्रम का प्रमाण है।"

परंपरागत आलोचना प्राय: रस, अलंकार, ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति, छंद, औचित्य आदि पर निर्भर रही है जबकि नैतिकता, सौन्दर्य विज्ञान, यथार्थ आदि पर पाश्चात्य आलोचना आधारित होती है।

आलोचना के तत्वों पर विचार किया जाए तो सहानुभूति, साहस, अंतर्दृष्टि, अतीत-ज्ञान, सौंदर्यानुभूति (शिल्प), समग्रता, संवेदना, अध्ययन-मनन, विचारशीलता आदि प्रमुख तत्व सामने आते हैं।

डॉ. भगीरथ मिश्र ने सहृदयता, विस्तृत ज्ञान, निष्पक्षता आदि आलोचक के प्रमुख गुण माने हैं। वे लिखते हैं कि- "आलोचना का कार्य कवि और उसकी कृति का यथार्थ मूल्य प्रकट करना है। इसके लिए कृति में व्याप्त गुणों का उद्‌घाटन और दोषों का विवेचन तो उसका कार्य है ही, साथ ही उसका समाज में और अन्य कलाकृतियों के बीच क्या स्थान और महत्व है, यह स्पष्ट करना भी आलोचना का ही कार्य है।"[2]

डॉ. अमरनाथ का कहना है कि- "आलोचना मानव की सहज प्रवृत्ति है, यही कारण है कि उसका अस्तित्व अन्य मानवीय वृत्तियों अथवा संवेदनाओं की भाँति चिरकाल से ही स्वीकार किया जाता है। आलोचना को साहित्य के संदर्भ में देखने पर साहित्य-रचना के बाद इसका आविर्भाव स्वत: सिद्ध हो जाता है।"[3]

आलोचना के बदले हुए रूप के नवीन स्वरूप पर बच्चन सिंह की टिप्पणी है- "नये आलोचक आलोचना का संबंध केवल भाषा-संरचना तक ही मानते हैं। मूल्यों और संवेदनाओं से उनका कतई ताल्लुक नहीं होता।"[4]

प्राय: सभी विद्वान आलोचक के स्पष्ट वर्गीकरण में दुविधाग्रस्त दिखाई देते हैं। अधिकांश विद्वान् आलोचना को व्याख्यात्मक और निर्णयात्मक भागों में वर्गीकृत करते हैं। कई विद्वान, आलोचना के अनेक वर्ग और उपवर्ग दर्शाते रहे हैं। स्पष्टतया आलोचना को केवल दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है- सैद्धान्तिक आलोचना तथा व्यावहारिक आलोचना।

यदि आलोचना को समग्र रूप से वर्गों-उपवर्गों में बाँटा जाए तो निम्नांकित रूप सामने आते हैं- शास्त्रीय आलोचना, तुलनात्मक आलोचना, गवेषणाप्रधान (गवेषणात्मक) आलोचना, परिचयात्मक आलोचना, सिद्धान्तप्रधान (सैद्धान्तिक) आलोचना, चिन्तनप्रधान आलोचना, प्रभाववादी (आत्मगत या प्रभावाभिव्यंजक) आलोचना,

अनुभवात्मक आलोचना, अभिव्यंजनावादी आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना, कार्यात्मक आलोचना, गुणदोषात्मक आलोचना, वैज्ञानिक आलोचना, जीवन वृत्तांतीय आलोचना, भौतिकवादी आलोचना, मनोवैज्ञानिक (अंतश्चेतनावादी) आलोचना, मार्क्सवादी (प्रगतिवादी) आलोचना, रचनात्मक आलोचना, साहित्यिक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, समाजशास्त्रीय आलोचना आदि।

रामविलास शर्मा को मार्क्सवादी आलोचना का शिखर पुरुष मानते हुए बच्चनसिंह ने लिखा है- "आलोचना को भाषायी रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है, जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से।"[5]

परंपरागत रूप से सैद्धान्तिक आलोचना का प्रभाव ही अधिक रहा है। सैद्धान्तिक आलोचना की परंपरा में निम्नांकित ग्रंथ प्रमुख माने जा सकते हैं- नाट्यशास्त्र (भरतमुनि), काव्यालंकार (भामह), काव्यादर्श (दण्डी), वक्रोक्तिजीवितम् (कुन्तक), काव्यालंकार सूत्र (वामन), धवन्यालोक (आनंदवर्धन), काव्यप्रकाश (मम्मट), साहित्य दर्पण (विश्वनाथ) आदि।

डॉ. भगीरथ मिश्र के अनुसार, "भारतीय आलोचना पद्धति के भीतर सबसे अधिक सम्मान सैद्धान्तिक आलोचना को ही मिला है।"[6]

परम्परागत आलोचना पद्धति में प्रायः वस्तु (तथ्य, सिद्धान्त और जीवन) जैसी विशेषता रहती है। व्यक्ति प्रधान न होकर विषय प्रधान होना, पूर्ववर्ती आचार्यों के विचारों का समुचित अध्ययन, तथ्यों की सिद्धी व सत्य का अन्वेषण आदि इस आलोचना पद्धति की अन्य विशेषताएँ मानी जा सकती हैं।

आलोचना के प्रारंभ से लेकर वर्तमान स्वरूप तक अनेक परिवर्तन और प्रतिमान निर्मित होते दिखाई देते हैं।

डॉ. नगेन्द्र का मत है कि "प्रगतिवादी आलोचना के बाद वह आलोचना अस्तित्व में आयी जिसे 'नयी आलोचना' कहा जाता है।"[7]

डॉ. नगेन्द्र का मानना है कि तुलनात्मक आलोचना का आरंभ 1907 में पद्मसिंह शर्मा ने किया।...

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने आलोचना में भाषा का स्तर निर्मित करने के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी को धन्यवाद दिया है। स्वयं शुक्ल और महावीर प्रसाद द्विवेदी हिन्दी आलोचना में 'मील का पत्थर' माने जाने वाले आलोचक रहे हैं।

परिचयात्मक आलोचना भारतेन्दु युग से ही प्रारंभ हुई ऐसा माना जाता है। व्याख्यात्मक आलोचना का सूत्रपात प्रेमघन द्वारा किया गया और प्राचीन शास्त्रीय आलोचनाओं को कृष्णबिहारी मिश्र ने प्रतिष्ठित किया। जगन्नाथदास रत्नाकर ने पाश्चात्य आलोचनाओं का हिन्दी अनुवाद किया। डॉ. नगेन्द्र को प्रमुख रसवादी आलोचक माना जाता है। उन्होंने व्यावहारिक आलोचना को 'प्रायोगिक आलोचना' भी कहा है और हिन्दी आलोचना पर विशिष्ट टिप्पणियाँ की हैं, जैसे- "भारतेन्दु युग में हिन्दी आलोचना का प्रारंभ पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ, किंतु आधुनिक आलोचना का उत्कृष्ट उदाहरण इस काल में नहीं मिलता।"[8]

वास्तव में भारतेन्दु युग की पत्र-पत्रिकाओं में आधुनिक आलोचना का शुरूआती रूप सुरक्षित है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि हिन्दी में आलोचना की शुरुआत बदरीनारायण चौधरी प्रेमघन ने की। 'आनंद कादंबिनी' पत्रिका में संयोगिता स्वयंवर (लालाश्रीनिवासदास कृत) व बंग विजेता (गदाधर सिंह कृत) की आलोचना कर प्रेमघन ने इस विधा की शुरुआत की।

नागरी प्रचारिणी पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, समालोचना पत्रिका... आदि पत्रिकाएँ आलोचना के क्षेत्र में श्रेष्ठ पत्रिकाएँ रही हैं। माना जाता है कि 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' से अन्वेषण और अनुसंधानपरक आलोचना की शुरुआत हुई।

मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, किशोरीलाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्यामसुन्दर दास, बालमुकुन्द गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेन्द्र, बच्चनसिंह, नामवरसिंह आदि प्रमुख आलोचक रहे हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल को हिन्दी आलोचना में शिखर पुरुष माना जाता है।

यदि आलोचना के क्रमिक विकास पर दृष्टि डाले तो भारतेन्दु मंडल से लेकर नगेन्द्र, बच्चनसिंह और नामवरसिंह आदि विकासधारा के प्रारंभ से अंत तक की 'आलोचना-सार' की समग्रता का उदाहरण देने वाले नाम ठहरते हैं।

भारतेन्दु युग से प्रारंभ हुई हिन्दी आलोचना में 'छंदप्रभाकर' (जगन्नाथ प्रसाद भानु), 'जसवंत-जसो भूषण' (मुरारिदान कविराज), 'काव्यसुधाकर' (जानकीप्रसाद), 'नाटक' (भारतेन्दु), 'शिवसिंहसरोज' (शिवसिंह सेगर) आदि प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ रही है।... भारतेन्दु युग की आलोचना मुख्यतः पत्र-पत्रिकाओं में ही प्रकाशित होती रही। इस युग में आलोचनात्मक प्रतिमान और सिद्धान्त उतने सशक्त नहीं थे जितने कालांतर में हुए।

महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में आलोचना में शिल्प पक्ष पर अधिक ध्यान दिया गया। भाषा और व्याकरण पर आलोचना अधिक केन्द्रित रही। 'काव्यप्रभाकर' (जगन्नाथ प्रसाद भानु), अलंकार मंजूषा (लाला भगवानदीन), हिंदी नवरत्न (मिश्र बंधु), समालोचनादर्श (जगन्नाथ दास रत्नाकर) आदि इस युग की महत्त्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियाँ हैं।

इस युग की आलोचना विधा में 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' का विशेष योगदान रहा। 1902 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा जयपुर से निकाला गया 'समालोचक' पत्र भी इस विधा में सक्रिय सिद्ध हुआ। कृष्णबिहारी मिश्र ने शास्त्रीय आलोचना का मार्ग प्रशस्त किया तो लाला भगवानदीन भक्तिकाल के कवियों की आलोचना के कारण जाने गये।

हिन्दी में द्विवेदी के उत्तरार्द्ध से रामचन्द्र शुक्ल के आलोचना साहित्य की धूम हुई। 'कविता क्या है?' और 'साहित्य' जैसे आलोचनात्मक प्रयासों के बाद शुक्ल ने उन आलोचनात्मक निबंध

ों की रचना की जो 'चिंतामणि' के विभिन्न भागों में आज भी नजर आते हैं। शुक्ल रचित 'रस- मीमांसा' के आधार पर डॉ. नगेन्द्र ने टिप्पणी की है कि "शुक्ल ने हिन्दी में पहली बार रस-विवेचन को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया।"[9]

'अलंकारदर्पण' (जगन्नाथ प्रसाद भानु), नवरस (गुलाबराय), काव्यांग कौमुदी (विश्वनाथ प्रसाद मिश्र), अलंकार पीयूष (रमाशंकर शुक्ल 'रसाल'), रूपक रहस्य (श्याम सुंदर दास), रसकलस (हरिऔंध), काव्य में रहस्यवाद, हिन्दी साहित्य का इतिहास (रामचन्द्र शुक्ल), कबीर का रहस्यवाद (रामकुमार वर्मा) आदि शुक्लयुग की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएँ मानी जा सकती हैं।

शुक्लोतर युग- जिसे कविता के कालक्रम में प्रगतिवाद भी कहा जा सकता है- में आलोचना के प्रतिमान मौटे तौर पर बदलने लगे और अधिकांश रूप से सैद्धांतिक आलोचना की जगह व्यावहारिक आलोचना का पक्ष प्रखर और सशक्त होने लगा। आधुनिक साहित्य, नया साहित्य: नये प्रश्न, कवि निराला, प्रकीर्णिका (नंददुलारे वाजपेयी), हिन्दी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, कबीर (हजारीप्रसाद द्विवेदी), सुमित्रानंदन पंत, साकेत: एक अध्ययन, रीतिकाव्य की भूमिका, आधुनिक हिन्दी नाटक, कामायनी के अध्ययन की समस्याएँ, नयी समीक्षा: नये संदर्भ (नगेन्द्र), सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप, अध्ययन और आस्वाद (गुलाबराय), हिंदी साहित्य का अतीत, वाङ्मय विमर्श (विश्वनाथ प्रसाद मिश्र) आदि इस युग की प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृतियाँ रही है।

हिंदी के काव्यकाल 'प्रगतिवाद' का प्रभाव आलोचना के रूप में मार्क्सवादी आलोचना में नजर आता है। इस युग के प्रमुख आलोचकों में शिवदानसिंह चौहान का नाम आता है। 'प्रगतिवाद', 'साहित्य परख', 'आलोचना के मान', 'साहित्य की समस्याएँ' आदि उनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं जो मार्क्सवादी स्वर से प्रभावित हैं। प्रकाशचंद्र गुप्त रचित 'हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा' भी प्रमुख मार्क्सवादी आलोचना मानी जाती है। रामविलास शर्मा को श्रेष्ठ मार्क्सवादी आलोचक माना जाता है। 'प्रगति और परंपरा', 'प्रगतिशील साहित्य की समस्याएँ', 'आस्था और सौंदर्य' आदि उनकी प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएँ हैं।

मार्क्सवादी आलोचकों के अतिरिक्त दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आलोचनाएँ प्रस्तुत करने वाले आलोचक भी प्रसिद्ध रहे हैं। डॉ. देवराज (छायावाद का पतन, प्रतिक्रियाएँ), अज्ञेय (त्रिशंकु), इलाचंद्र जोशी (साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण) आदि इस धारा के प्रमुख आलोचक रहे हैं।

मुक्तिबोध, गिरिजाकुमार माथुर, धर्मवीर भारती, विनय मोहन, माता प्रसाद गुप्त आदि भी इसी धारा के आलोचक माने जाते हैं।

छठे दशक के बाद जिन आलोचकों का उभार हुआ उनमें नेमिचंद्र जैन (अधूरे साक्षात्कार), नामवरसिंह (कहानी, नयी कहानी), बच्चनसिंह (आलोचना को चुनौती, आलोचक और आलोचना), रामस्वरूप चतुर्वेदी (भाषा और संवेदना) आदि प्रमुख नाम रहे हैं।

1970 और 1980 के समय के मध्य आलोचकों की संख्या और रचनाधर्मिता बढ़ गई। विजयदेवनारायणसाही (शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट), लक्ष्मीकांत वर्मा (नये प्रतिमान: पुराने निकष), धर्मवीर भारती (साहित्य और मानव मूल्य, पश्यन्ती), डॉ. रघुवंश (साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य), डॉ. हरदयाल (आधुनिक हिन्दी कविता का अभिव्यंजना शिल्प), दूधनाथसिंह (निराला: आत्महंता आस्था), रमेशकुंतलमेघ (अथातो सौंदर्य जिज्ञासा), नेमिचन्द्र जैन (अधूरे साक्षात्कार) आदि इस काल के प्रमुख आलोचक रहे हैं।

सन् 1980 से लेकर आगे के बीस-पच्चीस वर्षों में आलोचना में अनेक स्तरों पर बदलाव आया और तमाम प्रकार की पुरानी मान्यताओं तथा प्रतिमानों पर प्रश्न चिह्न उठे।

डॉ. रामविलास शर्मा (भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिन्दी, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य, हिंदी-जाति का साहित्य), नंदकिशोर नवल (कविता की मूक्ति, यथाप्रसंग, निराला: कृति से साक्षात्कार, शताब्दी की कविता, कविता के अरपार), अज्ञेय (युग संधियों पर, धार और किनारे, शेषा, कवि-निकष), विजयदेव नारायण साही (जायसी, छठवां दशक, साहित्य क्यों?), नंदकिशोर आचार्य (रचना का सच, सर्जक का मन, साहित्य का स्वभाव), रामस्वरूप चतुर्वेदी (इतिहास और आलोचक दृष्टि, हिन्दी साहित्य और संवेदना का विकास, प्रसाद-निराला-अज्ञेय, भक्ति काव्य यात्रा), कृष्णदत्त पालीवाल (मैथिलीशरण गुप्त), परमानंद श्रीवास्तव (उपन्यास का पुनर्जन्म, शहर और मनुष्य), गोपालराय (संप्रति, हिन्दी उपन्यास का विकास), सिद्धनाथ कुमार (प्रसाद के नाटक, स्कंद गुप्त: संवेदना और शिल्प) आदि आलोचक पिछले पच्चीस से तीस बरसों में आलोचना विधा को समृद्ध करते रहे हैं।

समय के साथ आलोचना की प्रवृत्ति और धाराएँ भी बदली हैं और पिछले दो से तीन दशकों में स्त्री विमर्श आधारित आलोचना, दलित विमर्श आधारित आलोचना तथा आदिवासी विमर्श आधारित आलोचना का विशेष विकास हुआ है। टी.वी. कुट्टीमनी, कालीचरण स्नेही, एन. सिंह, धर्मवीर, रत्नकुमार सांभरिया, सुशीला टाकभौरे, जसराम हरनोटिया, रूपचन्द गौतम, मोहन दास नैमिशराय, ओमप्रकाश वाल्मीकि आदि नाम दलित विमर्श की आलोचना के प्रमुख हस्ताक्षर माने जा सकते हैं। जयपाल सिंह मुंडा, पीटर पॉल एक्का, गंगासहाय मीणा, हरिराम मीणा, काजल डेमटा, ज्योति लकड़ा, महादेव टोप्पो आदि प्रमुख आदिवासी साहित्य आलोचक माने जा सकते हैं।

स्त्री विमर्श आधारित आलोचना में पण्डित रमाबाई, ताराबाई शिंदे आदि के लेखकीय प्रयास जहाँ शुरुआती साहित्य का उचित रूप माने जा सकते हैं वहीं महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान, अलका सरावगी, मृदुला गर्ग, कीर्ति चौधरी, कात्यायनी, सविता सिंह, शुभा शर्मा आदि ने न्यूनाधिक रूप से इस धारा की आलोचना में योगदान दिया है।

हिन्दी आलोचना का भविष्य उज्ज्वल है और तमाम परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए इस विधा में उत्तरोत्तर विकास और वृद्धि होती जा रही है।

संदर्भ

1. हिन्दी साहित्य कोश (भाग 1) पारिभाषिक शब्दावली- संपादक धीरेन्द्र वर्मा, पृष्ठ 120, ज्ञान मंडल लिमिटेड, वाराणसी
2. काव्यशास्त्र- डॉ. भगीरथ मिश्र, पृष्ठ 134, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी
3. हिन्दी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली - डॉ. अमरनाथ, पृष्ठ 93, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
4. हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास- बच्चनसिंह, पृष्ठ 504, राधाकृष्ण प्रकाशन, नयी दिल्ली
5. हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास- बच्चनसिंह, पृष्ठ 511, राधाकृष्ण प्रकाशन, नयी दिल्ली
6. काव्यशास्त्र- डॉ. भगीरथ मिश्र, पृष्ठ 148, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी
7. हिन्दी साहित्य का इतिहास- डॉ नगेन्द्र, पृष्ठ 80, मयूर पेपरबैक्स नोएडा
8. हिन्दी साहित्य का इतिहास- डॉ. नगेन्द्र, पृष्ठ 465, मयूर पेपरबैक्स नोएडा
9. हिन्दी साहित्य का इतिहास - डॉ. नगेन्द्र, पृष्ठ 573, मयूर पेपरबैक्स नोएडा

भारतीय लोकतंत्र में मीडिया का बढ़ता प्रभाव

नंदिनी तिवारी

(Ph.D), शोध निर्देशिका, हिन्दी विभाग, शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

रश्मि पाण्डेय

शोधार्थी (हिन्दी), अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मीडिया संगठन कितनी प्रभावी भूमिका निभाते हैं यह एक अध्ययन का विषय हैं लोकतंत्र में मीडिया को शासकों और शासितों के बीच सेतु के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पेपर का उद्देश्य इस तथ्य का विश्लेषण करना है कि मीडिया किस तरह से सरकार संबंधी सूचनाएँ जनता को प्रदान करके 'लोकतंत्र के प्रहरी' की भूमिका निभाता है और दूसरा, वह नागरिकों के विचारों की आवाज बनकर किस हद तक एक जनमत का निर्माण करता है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लोकतंत्र के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के एक प्रतिनिधि मंत्र के रूप में मीडिया की भूमिका केवल सूचना और मनोरंजन के प्रसार करना ही नहीं है बल्कि जनता को सामाजिक और राजनीतिक हलचलों के बारे में शिक्षित करना उसके पश्चात जनमत को निर्माण करना है, जिसके बाद जनमत की राय प्रत्यक्ष या अप्रयत्क्ष रूप से विधान निर्माण को प्रभावित करती है। जिस देश में बड़े पैमाने पर गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ापन है वहाँ मीडिया का रूख विकासात्मक पत्रकारिता की तरफ होना चाहिए जो जनमत के निर्माण के साथ-साथ जो विधानपालिका और राजनीतिक दलों को देश के आमजन की प्रगति को प्रभावित करने वाले मुख्य कानूनों का निर्माण करने के मजबूर कर सकती है। अत: यह शोध लेख आमजन की प्राथमिताओं को नीतिगत आकार देने की मीडिया की क्षमता का आंकलन करता है। जनमानस से समक्ष आने वाली समस्याओं को प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया और सोशल नेटवार्किंग साइटों जैसे के ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप्प द्वारा जनता और सरकार के समक्ष रखा जाता है तत्पश्चात जनमत का निर्माण किया जाता है। यह जनमत उन समस्याओं को नीतिगत आधार देता है और उन्हीं से संबंधित विधानों का भी निर्माण होता है। जिसके बीज शब्द है, मीडिया, विधायी व्यवहार, संसद, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, नागरिक, नीति-निर्माण, प्रशासन।

मीडिया द्वारा विधि निर्माण और जनमत निर्माण को किस तरह प्रभावित किया जाता रहा है और विधायी प्रक्रिया में मीडिया की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में किए गए शोधों की समीक्षा निम्नांकित है- भारत में विधायिका और मीडिया पर अलग-अलग रूप में तो शोधों की कमी नहीं है परंतु विधान निर्माण पर मीडिया के प्रभाव संबंधी अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत कम प्रयास हुए हैं इसीलिए यह शोधकर्ताओं के लिए नया और आंशिक रूप से नजरंदाज किया गया विषय है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मीडिया जनता के समक्ष आने वाली समस्याओं को मुद्दा बनाकर सरकार और पूरे देश के समक्ष रखती है जिससे प्रभावित होकर सरकार उनको प्राथमिकताएं देकर नीति निर्माण में शामिल करती है और उसी से संबंधित कानून बनाती है। अगर यह तय करने का अधिकार हम पर छोड़ दिया गया जाये, कि हमें समाचार पत्रों के बिना सरकार चाहिए या सरकार के बिना अखबार, तो दूसरे विकल्प को स्वीकार करने में एक पल का भी संकोच नही करना चाहिए।

थॉमस जेफरसन - मीडिया, संचार के साधन के रूप में, हमारे समाज में रोजमर्रा की जिन्दगी का सार तत्व बन गया है। मीडिया एक समग्र तंत्र बन गया है जिसमें प्रिंट मीडिया (समाचार पत्र और पत्रिकाओं), इलेक्ट्रोनिक मीडिया, (रेडियो, टेलीविजन) और सोशल मीडिया या डिजिटल इंटरनेट (इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर समाचार, फिल्में धारावाहिक, ई-सामग्री) के आगमन ने लोगों के संचार के परिदृश्य को बदल दिया है। समाज का प्रत्येक जन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संचार के इन साधनों के साथ जुड़ा है कोई भी समाज, सरकार, वर्ग, संस्था, समूह व्यक्ति मीडिया की उपेक्षा कर आगे नहीं बढ़ सकता। प्रसिद्ध जनसंचार सिद्धांतकार डेनिस मैकक्काइल का कहना है कि संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जो न केवल सामान्यता को बढ़ती है, बल्कि सभी समानता के तत्वों से भी अवगत कराती है। जिसके लिए संचार की आवश्यकता होती है। अत: संचार गतिशीलता के साथ जुड़ा है। अत: संचार के साध न के रूप में मीडिया समाज को गति प्रदान करके जनमानस को इस से अवगत करती है।

यद्यपि हम यह नहीं कह सकते कि जब मीडिया के साधन नहीं थे तो शासक और शासित के मध्य सूचनाओं का आदान-प्रदान नहीं था। प्राचीनकाल में राज्य द्वारा जनता के साथ अलग-अलग साधनों को संचार के साधन के रूप में अपनाया जाता था जैसे, बेबीलोनियन राज्य के हम्मुराबी का कोड, पत्थरों के खंभो पर अंकित किए गए कानूनों का एक समूह था, जिन्हें लगभग 1792-1750 ई.पू. के बीच में जनता के साथ संवाद करने और उनको जागरूक करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर रखा गया था। 268-232 ईसा पूर्व में अशोक के शिलालेखों को जिसमें

पत्थर कें खंभों पर उनके धार्मिक, प्रशासनिक विचारों के बारे में सवाद के रूप में राज्य के कई स्थानों पर रखा गया। प्रचीन भारतीय कालजयी ग्रंथ महाभारत में महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी जिसके द्वारा संजय ने नेत्रहीन धृतराष्ट्र को महाभारत-युद्ध का हर अंश सुनाया इस घटना को संचार या संचार के रूप में आज भी याद रखा जाता है। रोमन गणराज्य में 131 ईसा पूर्व एक हस्ताक्षर एक्टा डायर्ना, जिसमें दैनिक घटनाओं का एक रिकॉर्ड रखा जाता था, उस समय की कानूनी कार्यवाही, सरकारी नोटिस आदि रोजमर्रा के समाचारों को जनता के सम्मुख सार्वजनिक तौर पर प्रचारित किए जाते थे। ये समाचार बुलेटिन आमतौर पर पत्थरों, धातुओं, पेपिरस पर उकेरे जाते थे। और राम में सार्वजनिक स्थानों पर रखे जाते थे। 'शहर की बाधाओं के अलावा लड़ाई आपदा, एक चमत्कार या राज्यभिषेक से संबंधित जो भी उद्घोषणाएं होती थीं उनका प्रचार पैम्फलेट्स के गाथाओं, गीतों, ब्रॉडसाइड, समाचार पैम्फलेट्स के द्वारा होता था। 'मुगलकाल के दौरान, एक वेनिस यात्री, निककोला मनुची (NiccolaManucci), जो औरंगजेब के दरबार का दौरा करने आए थे। उन्होंने औरंगजेब के गुप्त समाचार लेखकों वाक्किआ-नेविस (vaquia-navi) और कन्फियानवीस (confianavi) के बारे में लिखा है जो राज्य के दैनिक विवरणों के साथ-साथ साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों से राजनीतिक और सामाजिक घअनाओं के बारे में लिखित रिपोर्ट तैयार करते थे। "औपनिवेशिक काल के दौरान लोगों के साथ संवाद करने के महात्मा गांधीजी ने इंडियन ओपिनियन, सत्याग्रह, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन और डॉ. अम्बेडकर ने 'मूकनायक', 'बहिष्कृत', 'भारत', 'जनता और प्रबुद्ध भारत', लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 'मराठा और केसरी', गणेश शंकर विद्यार्थी ने 'प्रताप' को जैसे समाचार पत्रों का प्रकाशित किया था। आज सभी राजनीतिज्ञ, सांसद और विधायक नियमित रूप से समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में कॉलम लिखते हैं। कांग्रेस के शशि थरूर, एम.जे. अकबर, भाजपा के वरूण गांधी, जनता दल (यू) के पूर्व नेता अली अनवर अक्सर पत्रिकाओं या समाचार पत्रों में लिखतें हैं। जब भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रेडियों के सारे लाइसेन्स रद्द कर दिए गए तो 1941 में रेडियों द्वारा जर्मनी से सुभाषचंद्र बोस ने भारतीयों के नाम संदेश भेजकर रेडियों को इतिहास में एक और प्रसिद्ध अध्याय जोड़ दिया जब नेताजी ने कहा था, 'तुम मुझे खुन दो मै तुम्हें आजादी दुंगा।" इसके बाद 1942 में आजाद हिंद रेडियो की स्थापना हुई जो जर्मनी, सिंगापुर और रंगून से भारतीय के लिये समाचार प्रसारित करके भारतीयों में स्वशासन के लिए जोश पैदा करता रहा। पत्थर के खंभों पर शिलालेख, पत्र और संदेश भेजने के लिए पक्षियों का इस्तेमाल, चर्मपत्र और कागज पर लेखन से लेकर आज संचार के दायरे में कई बहुआयामी बदलाव आए है। जिसके द्वारा सरकार की नीतियों से जनता का परिचय होता है और जनता की समस्याओं को सरकार और पूरे देश के समक्ष रखा जाता है। जिससे प्रभावित होकर सरकार उन्हीं से संबंधित कानून बनाती है। आज मीडिया से किसी भी तरह कोई भी राजनीतिक दल मुँह नहीं मोड़ सकता क्योंकि वो विभिन्न तरीकों से मीडिया को अपने अनुसार इस्तेमाल करते है। यदि हम विभिन्न निजी मीडिया घरानों, जिनमें समाचार पत्र, टीवी समाचार चौनल और समाचार पोर्टल शामिल है, की स्वामित्व संरचनाओं के साथ-साथ उनके राजनीतिक जूड़ावो की बात करें तो यह नहीं कहा जा सकता है कि सूचना का प्रसार बिल्कूल गैर राजनीतिक या राजनीतिक रूप से असंबंधित है। कई समाचारपत्र, टीवी चौनल, पत्रिकाएँ एफ, एम. रेडियों, चौनल और समाचार पोर्टल के साथ-साथ वेबसाइटें भी है जो राजनीतिक दलों से सीधे जुड़ी हुई है जहाँ वे अपने विधायकों और पार्टी के विचारकों के लेखन, बहस और बयानों के साथ अपने विचारों को बढ़ावा देते हैं। नेशनल हेराल्ड' कांग्रेस दल, 'द ऑर्गनाइजर' और 'पंचजन्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता दल की विचारधारा से प्रेरित, दक्षिण भारत में एआईएडीएम के सिद्धांतों पर आधारित 'जया टीवी', डीएमके के लिए 'सन् टीवी' और 'कलईग्नार टीवी' ऐसे मीडिया हाऊस के कुछ उदाहरण हैं जो विशेष राजनीतिक दल के प्रति प्रतिबद्ध हैं। आज प्रत्येक सरकार मीडिया के सभी साधनों को अपनी आवाज के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। यह कहा जाता कि 2014 के बिहार विधानसभा चुनाव मुख्य रूप से व्हाट्सएप पर लड़े गए थे क्योकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगभग 60,000 लोगों के समूह बनाए गये थे। प्रध ानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी, आप नेता अरविंद केजरीवाल सहित प्रमुख राजनीतिक नेताओं के ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सामाजिक प्लेटफार्मो पर भारी संख्या में अनुयायी हैं। कभी-कभी उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मो पर अपने निर्वाचन क्षेत्र से विकास की समस्याओं से संबंधित शिकायतें को सुलझाने में गंभीरता का परिचय देते हैं। 'स्वच्छ भारत अभियान और हम फिट है तो इंडिया फिट' दो उदाहरण है जहां कई विध ायकों, फिल्म अभिनेताओं और विधायकों ने सोशल मीडिया माध्यमों के द्वारा अभियान में भाग लिया और दूसरों को इसमे भाग लेने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'नमो ऐप' राजनीति में मीडिया की बढ़ती ताकत का हालिया उदाहरण है। प्रधानमंत्री के 'मन की बात' आज हर भारतवासी सुन रहा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पहले की सरकारों की तुलना में डिजिटल प्लेटफार्मों पर बहुत सक्रिय है। सरकार ने जनता को सीधे जोड़ने और संवाद करने के लिए कई वेबसाइट लॉन्च की है जिसका प्रमुख उदाहरण www.mygov.in, www.pmindiawebcast.nic.in, www.pmindi.gov.in है। ये वेबसाइट सरकार की नीतियाँ, पहलों की भाषणों, लेखों और वेबकास्टिंग के माध्यम से प्रसारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मीडिया एक महत्वपूर्ण दबाव समूह के रूप में कार्य करता है। मीडिया दबाव समूहों के रूप में कुछ विशेष और गंभीर मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करके सरकार पर दबाव डालती रहती है। 2010-2011 में अरब दुनिया में प्रसिद्ध जैस्मिन क्रांति पूरी तरह से सोशल

नेटवर्किंग साइटों पर निर्भर थी। इसमें ट्यूनीशिया में हुए सड़क प्रदर्शनों की एक श्रृंखला शामिल थी जिसने 2011 में लंबे समय तक राष्ट्रपति जीन एल अबिडीन बेन अली को बाहर करने का नेतृत्व किया। भारत में नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में हमने नए मीडिया की ताकत देखी है देश के सभी हिस्सों में मीडिया की सक्रिय भूमिका के आह्रम पर लोगों के विरोध एवं दबाव ने सरकार को जनमानस के पक्ष और अपराध विरोधी एक्ट लाने के लिए मजबूर किया। हजारे द्वारा लोकपाल बिल के समर्थन और भ्रष्टाचार के विरोध में किए गए अनशन संबंधी आंदोलन से प्राप्त मीडिया कवरेज ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया। लोकपाल विधेयक को अन्ना का समर्थन जनता तक पहुंचा जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए जनमत बनाने में मद्द की। जो कहीं न कहीं दिल्ली में सत्ता पलटने में भी परोक्ष रूप से जिम्मेदार रही। इसके अतिरिक्त ट्रिपल तलाक का मामला, महिलाओं के सबरीमाला मंदिर प्रवेश पर प्रतिबंध संबंधी मामला, महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध की दर से जनता का परिचय कराना, बाल श्रम, पर्यावरण के मुद्दे आदि पर आधारित अपने विभिन्न कार्यक्रमों व विभिन्न रिपोर्टो के माध्यम से सामाजिक मुद्दों के बारे में लोगों को शिक्षित करके मीडिया ने एक तटस्थ मंच प्रदान किया है जहाँ जनता अपने राजनेताओं से उनके द्वारा की गई कार्रवाइयों के बारे में बिना किसी दबाव के जुड़ सकती है। हाल के समय में जो COVID-19 की वजह से, जो वैश्विक संकट उत्पन्न हुआ, उसमें अखबारों, रेडियों, टीवी, इंटरनेट ने सार्वजनिक मंचों पर जनता को सरकारी नीतियों से परिचित करने में योग दिया। 2008 के वैश्विक खाद्य संकट के बाद कीमतों में बढ़ोतरी के बारे में भारतीय मीडिया की कवरेज ने सरकार पर दबाव डाला कि वह गरीबों और कमजोर लोगों को कीमतों के झटके से बचाने के लिए लक्षित रणनीतियों और नीतियों को पेश करें। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) पर हस्ताक्षर करने के मुद्दे पर, जो सभी प्रकार के परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध पर आधारित थी, भारत में राजनीतिक दलों के विचार विभाजित थे, खासकर जब समझौता परमाणु प्रसार संधि से जुड़ा हुआ था। भारतीय समाचार पत्रों ने संधि को अस्वीकार करने का आह्वान किया जिससे जनता ने भी महसूस किया कि संधि अनिवार्य रूप से भेदभावपूर्ण है और भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है और इसलिए बहुमत का मानना था कि इस पर हस्ताक्षर नहीं किया जाना चाहिए। अंततः सरकार ने भी जनमत से प्रभावित होकर इस संधि को नकार दिया मीडिया ने मौजूदा नीतियों पर बहस करने के लिए एक मंत्र प्रदान किया और महिलाओं के लिए और कड़े कानून बनाने के लिए केन्द्र पर दबाव डाला। मथुरा के बलात्कार के मामले में बलात्कार कानूनों में संशोधन और बलात्कार में 'सहमति' की अवधारणा को पुनः परिभाषित किया।

स्व-नियमन के सिद्धांत - (Principles of self-regulation) हर सिक्के के दो पहलू होते हैं इसीलिए जनमत को आकार देने में जनसंचार माध्यमों की भूमिका सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। कभी-कभी मीडिया द्वारा पैदा किए गए विवाद अच्छे कारणों को गति देने में मद्द कर सकते हैं। जबकि कभी-कभी यह हानिकारक साबित हो सकते है। मीडिया का एजेंडा-सेटिंग सिद्धांत जनता कि राय को आकार देने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है परंतु इस एजेंडा-सेटिंग सिद्धांत के दो पहलू हैं पहला, मीडिया वास्तविकता नहीं दिखाता है बल्कि वास्तविकता को प्रसारित करने से पहले वह अपने अनुसार फल्टिर और आकार देता है। दूसरा, यह आवश्यक नहीं है कि मीडिया वह सब कुद तथ्यानुसार दिखाए बल्कि वह अपने अनुसार कुछ विषयों को ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों के रूप में जनता के समक्ष रखकर उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करता है। आलोचकों के अनुसार मीडिया अक्सर समाज में असभ्य और अवांछित प्रतिक्रियाओं को भी हवा देता है। उदाहरणस्वरूप सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर जब सरकार और न्यायपालिका के फैसलों पर प्रतिक्रिया देते है तो भले ही कोई अरोपी कोर्ट से बरी हो जाए लेकिन उस व्यक्ति को मिलने वाली सोशल बुलिंग मानसिक आघात का कारण बनती है जो किसी की भी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकती है। मीडिया कई बार लालच, भय, द्वेष, स्पर्धा, दुर्भावना एवं राजनीतिक कुचक्र के जाल में फंसकर अपनी भूमिका को कलंकित भी किया है। मीडिया के इस व्यवहार से समाज में अव्यवस्था और असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों को प्रभावित करने में रूसी एजेंसियों की भूमिका से पर्दा उठा जिसमें उन्होंने अमेरिकी नागरिकों के अकाउंट हैक करके हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जिससे इस पर बहस शुरू हुई कि क्या सोशल मीडिया लोकतंत्र के लिए एक खतरा है। किसी विषय की अत्यधिक कवरेज या संवेदनशील समाचारों का प्रचार कई बार साम्प्रदायिक दंगे भी करवा चुके है। इसलिए प्रेस को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए अनेक सांविधानिक प्रावधान और संस्थाओं की आवश्यकता है जो मीडिया की सनसनीखेज प्रथाओं पर भी निगरानी रखती है ताकि अखंडता और नैतिक मानकों का बलिदान नहीं किया सके। इसलिए मीडिया की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए स्व-नियमन तंत्र आवश्यक है। ब्रिटिश शासन ने किसी भी विद्रोह और असंतोष को रोकने के लिये प्रेस को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट (1878), आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (1923) और प्रेस (आपातकालीन शक्तियाँ) अधि नियम (1931) बनाए थे। यद्यपि भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को परिभाषित करने के लिए विशेष अधिनियम नहीं है लेकिन यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 19 (1) (ए) प्रत्येक नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, लेकिन यह भी उचित प्रतिबंधों के अधीन है इसमें सभी मीडिया संगठन, चाहे प्रिंट, ऑडियो विजुअल, रेडियो का टीवी सभी को जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने का प्रतिबंध लगाया गया। अनुच्छेद 631-ए में प्रावधान है कि एक अखबार सार्वजनिक हित में सूचना के प्रसार का महत्वपूर्ण साधन है जो जनता की भलाई

की साथ जुड़ा है। इसलिए अखबार के प्रकाशक को दुर्भावना से काम नहीं करना चाहिए। अतः मीडिया की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए स्व-नियमन तंत्र आवश्यक है। भारत में सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) सार्वजनिक और निजी टेलीविजन और रेडियो प्रसारण संबंधी नियमन तय करती है वहीं भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) के नियम हैं जो भारत में प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करते है। सोशल मीडिया पर सरकार का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है, यह विद्रोह प्रभावित जम्मू और कश्मीर में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता हैं जहां राज्य-स्थानीय सरकार अक्सर विज्ञापन राजस्व रोककर मीडिया को नियंत्रित करती है। यदि मीडिया पर चीन की सरकार के नियंत्रण की बात करें तो वहाँ टेलीविजन से लेकर इंटरनेट तक, सरकार तय करती है कि उसके नागरिकों को क्या देखना चाहिए और क्या नहीं, चीनी लोग इंटरनेट पर अपनी मर्जी और पसंद के अनुसार पोस्ट करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, इससे भी बुरी बात यह है कि इसे उनके बोलने के अधिकार का उल्लंघन भी नहीं माना जाता है। भारत में आज जब हम मीडिया को नियंत्रित करने की बात कर रहे है। तो यह भी आवश्यक है कि मीडिया पर से भी अनावश्यक दबावों को कम किया जाए। मीडिया को लोकतंत्र का संचारक बनने के लिए प्रेस की स्वतंत्रता आवश्यक और अनिवार्य है, लेकिन इसे अक्सर कार्यपालिका द्वारा चुप करा दिया जाता है, विध ायिका और न्यायपालिका द्वारा दबा दिया जाता है, दबाब समूहों द्वारा चुप करा दिया जाता है। लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में संसद और मीडिया ने साथ-साथ अपनी यात्रा पूरी की है। विधान निर्माता (संसद और विधायक) लोगों के साथ संवाद करने के साथ-साथ उन्हें अपनी विचारधाराओं से प्रभावित करने के लिए मीडिया का उपयोग व्यापक रूप से करते हैं। समाचार पत्र-पत्रिकाएं, रेडियों, टीवी, वेब पोर्टल, सोशल मीडिया ऐसे मंच हैं जहां विधान निर्माता अपने विचार व्यक्त करते है और इन्हीं मंचों के माध्यम से जनता से प्रतिक्रिया भी प्राप्त करते हैं। मीडिया और विधान निर्माताओं के सहजीवी सम्बन्धों से इनकार नहीं किया जा सकता। मीडिया प्रशासनिक त्रुटियों को उजागर करने, शिकायत निवारण और लोगों की जरूरतों पर प्रकाश डालने का सबसे बेहतर साधन है। यह लोगों की प्राथमिकताओं को प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा सरकार के समक्ष रखते रहते हैं जिससे विधायक और सांसद सतर्क रहते हैं वे मीडिया रिपोर्ट के आधार पर ही प्रश्नों, प्रस्तावों आदि द्वारा लोक महत्व वाले कई मामलों को सदन में उठाते हैं और कानून व नीति निर्माण की आधारभूमि तैयार करते हैं। संचार के प्रमुख साधन के रूप में मीडिया किसी भी देश की संस्कृति को प्रभावित करता है। यह सरकार के अन्य तीनों अंगों विध ायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संतुलन और नियंत्रण रखकर यह सुनिश्चित करना है कि लोग अपने आसपास हो रहे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों से अवगत रहे। इसलिए किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया पर बहुत निर्भर करती है।

अतः आज मीडिया एक तरफ जहां राजनीतिक गलियारों में जनता की आवा? का प्रतिनिधित्व करती है वहीं दूसरी तरफ रणनीतिक गतिविधियों से जनता को अवगत जी, गोपालरेड्डी ने अपने लेख में उल्लेख किया है कि नीतियाँ विधान निर्माण पर मीडिया के प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। नीति पर मीडिया का प्रभाव दो कारकों पर निर्भर करता है पहला मीडिया किसी विषय का कैसा चित्रण प्रस्तुत करती है। दूसरा अतीत में मीडिया किस तरह जन संबंधी विशेष मुद्दों को प्रमुखता देती है। इस दोनों तत्वों का अध्ययन करने के बाद ही नीति निर्माताओं और मीडिया के अंतरसंबंधों पर राय बनानी चाहिए। मीडिया या पत्रकारों, संसद के सदस्यों (सांसदों) और सरकार के सदस्यों के बीच लगातार संपर्क रहता है जिसकी वजह से दोनों ही एक दूसरे की कार्यवाहियों और गतिविधियों पर प्रभाव डालते है। राजनीतिक और मीडिया अभिनेताओं के बीच का पारस्परिक शक्ति संबंध काफी जटिल है और समय की जरूरतों के अनुसार निरंतर बदलता भी रहता है। मीडिया और राजनीति के बीच के संबंधों को संवेदनशील संबंध बताते हुए मीडिया और प्रेस पर विनियमन की आज महती आवश्यकता है। मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में लोकप्रिय रूप से नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी प्रदान करने और दोनों के बीच की खाई को पाटने का कार्य करता है। समाचार पत्र-पत्रिकाओं, रेडियों, टीवी और सोशल मीडिया की खबरें राजनीतिक जागरूकता को जन्म देती है, जो बाद में जनमत को आकार देते हैं और जनता की राय अंत में कानून और नीति को प्रभावित करती है। मीडियाकर्मी बताते है कि किस तरह समाचार कवरेज द्वारा मीडिया स्वयं राजनीतिक एजेंट के रूप में कार्य करके भी जनता की राय से सरकार का परिचित कराने में सफल रही जिसके प्रमुख उदाहरण 2012 के निर्भया बलात्कार मामला, नागरिकता संशोधन अधिनियम, किसान अधिनियम के साथ ही भारत-चीन तनाव पर भारतीयों की प्रतिक्रिया आदि है।

मीडिया राष्ट्र के शासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह न केवल सूचना का प्रसार करता है बल्कि जनमत की राय का निर्माण करते, अच्छा कानून बनाने और अच्छे निर्णय लेने में भी मद्द करता है। मीडिया ने ही भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार पर विशेष जोर देते हुए शासन में मीडिया के दायरे की व्याख्या की है। एक लोकतांत्रिक देश में जनता का निर्णय सर्वोच्च होता है अतः जनसंचार माध्यम यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि लोग उचित निर्णय लें। अतः सुशासन में मीडिया की भूमिका की सकारात्मक भूमिका सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। नीति निर्माण पर मीडिया कवरेज के प्रभावों पर विशेषकर एजेंडा-सेटिंग चरण, पर केन्द्रित होता है। इनके अनुसार राजनेता आमतौर पर मीडिया को उनके राजनीतिक मुद्दों का मनचाहा आकार देने वाला सबसे महत्वपूर्ण हथियार मानते है। यह प्रदर्शित करने की कोशिश की है कि पिछले दशकों में बड़े पैमाने पर मीडिया वर्ग विशेष की समस्याओं के समाधान के लिए

नीति निर्माताओं का ध्यान आकर्षित करके नीति एजेंडों को प्रभावित कर सकता है। मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के मीडिया और संसद (कांग्रेस) के अंतरसंबंधों और कानून निर्माण के दौरान मीडिया की भूमिका पर आधारित है। यह दर्शाता है कि मीडिया रणनीति कांग्रेस के विधायी कार्य का अहम हिस्सा है और मीडिया कवरेज कानून बनाने की प्रक्रिया की अवधि को प्रभावित कर सकता है। हम बिलों (कानूनों) के परिणामों के बारे में कम जाते हैं, खासकर मल्टीपार्टी सिस्टम में, इसलिए मीडिया का उद्देश्य जनता की समस्याओं के बारे में सरकार का ध्यान पर नीतिगत तथ्यों की ओर आकर्षित करना और समाधान निवारण संबंधी कानून ने निर्माण का आग्रह करना है। वोल्फ के अध्ययन से पता चलता है कि, मीडिया जनमत निर्माण कर कानून प्रक्रियाओं की गति को प्रभावित करती है। मीडिया नई जानकारी प्रदान करके जनता के लिए उपयोगी आवश्यक नीति निर्माण संबंधी रूपरेखाओं को आकार दे सकता है जिनके माध्यम से नीति निर्माण या कानून निर्माण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहती है। यह मीडिया का कानून निर्माण में प्रभाव का अध्ययन करके बताता है कि मीडिया के प्रभाव के परिणामस्वरूप नीदरलैंड में (अर्द्ध) सार्वजनिक अधिकारियों के पारिश्रमिक का कानूनी विनियमन हुआ है।

निष्कर्ष इसके माध्यम से यह बताया गया है कि लोकतांत्रिक समाज में जहां अधिकारियों का चुनाव किया जाता है वहां जनता की राय के आधार पर ही कानून बनाए जाते हैं मीडिया सार्वजनिक नीति पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक है क्योंकि सरकारें अने मामलों को नियंत्रित करने के लिए मीडिया का उपयोग करती है और आमजन अपनी समस्याओं को सरकार के सम्मुख रखने के लिए मीडिया का उपयोग करते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान राजनेताओं और प्रचारकों ने सोशल नेटवर्किंग साइटों और फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से अपने-अपने विचार साझा किए वो भी स्लाघनीय हैं।

संदर्भ सूचीः-

1. https://www.lawctopus.com/academike/role-media-democracy-good-governance
2. Denis McQuail: Mass Communication Theory, sage south asia publication 1900)
3. https://hindi.newsv}.com/,APRIL 28, 2020
4. M. Chalapathi Rau: The Press. National Book Trust, India, 1974
5. शुभांशु चौधरी, पूरे हुए रेडियो प्रसारण के सौ साल, रविवार, 24 दिसंबर, 2006 को 05:59 जीएमटी तक के समाचार https://www.bbc.com/
6. Tunisian Revolution-wikipedia.

https://wikipedia.org/wiki/Tunisian_Revolution, retrived on 04.08.202

7. https://www.thehindu.com/news/national/other-states/fast-over-lokpal-will-go-on-till-my-last-breath-anna-hazare/article26142955.ece
8. Sharma, mahima, role of media in policymaking, october 6, 2020 https://www.le&quest.in/role-of-media-in-policymaking/studyhave also revealed the determin ing influence of the media on foreign policy matters.
9. आखरि कब और कैसे अस्तित्व में आई विशाखा गाइडलाइन्स? अक्टूबर 2018, https://www.bbc.com/hindi/india-45875865)
10. https://satyagrah.scroll.in/article/126631/social-media-abhivyakti-loktantra-khatra
11. Basu, Durga Das, Law of the press, Law of the Press wnded, New Delhi: Prentice-Hall of India Private Ltd. 1986.
12. भारत में मीडिया विनियमन https://india.mom-rsf.org/hi/conte&t/law/
13. Ankita Praveen Role of Media in Democracy and Good Governancehttps://www.lawctopus.com/acdemike/role-media-democracy-good-governance/Accededon 22 October 2021.
14. Ready G. Gopal Reddy. MediaandPublicPolicy. The Indian, Journal of Political Science, Vol. 67. No. 2 (June, 2006) pp. 295-302 https://www.jstor.org/stable/41856216
15. Stromback, Jesper, Four Phases of Mediatization: An Analysis of the M
16. ediatization of Politics, 2008
17. Halima Zoha Ansari, Press And Policy: Can The Media Influence Policy-Makinng?https://feminisminindia.com/2020/11/04/press-and-policy-can-the-media-influence-policy-making/
18. AnkithaPraveen, Role of Media in Democracy and Good Governance, https://www.lawctopus.com/acad emike/role-media-democracy-good-gevernance/
19. Soroka, Stuart N. Issue Attributes and Agenda-Setting by Media, the Public and Policymakers in Canada, 2002
20. Yanovitzky, Itzhak, Effects of News Coverage on Policy Attention and Actions. A Closer Look into the Media-Policy Connection, 2002
21. Wolfe, Michelle, Putting on the Brakes or Pressing on the Gas ? Media Attention and the Speed of Policymaking, 2012.
22. कुमार अभिनव, समाज में मीडिया की भूमिका

hthttps://navpradesh.com/November 4, 2020

उपन्यास साहित्य एवं आदिवासी विमर्श

डॉ० धीरेंद्र कुमार पटेल

एसोसिएट प्रोफेसर, सल्तनत बहादुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बदलापुर, जौनपुर (उत्तर प्रदेश)

गौरव सिंह

शोधार्थी, सल्तनत बहादुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बदलापुर, जौनपुर (उत्तर प्रदेश)

किसी भी राष्ट्र के उन्नयन में समाज एवं साहित्य की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। इन दोनों के मध्य एक प्रकार का अन्तर्सम्बन्ध पाया जाता है। साहित्य को यदि मोती माना जाए, तो समाज सीपी के समान होता है। रामचन्द्र शुक्ल का यह कथन इन दोनों के मध्य के सम्बन्ध को रेखाकिंत करता है कि समाज के परिवर्तन के साथ साहित्य अपना सामंजस्य स्थापित करता है। साहित्य एवं समाज न केवल एक दूसरे के संवाहक होते है, वरन् एक दूसरे के नियामक के तौर पर भी कार्य करते है क्योकि साहित्य की उपज ही समाज होता है। भारतीय समाज अपने भीतर विभिन्न संस्कृतियों को समाहित किए हुए है, परन्तु इसके बाद भी प्रत्येक संस्कृति की मूल विशेषता को उसकी प्रादेशिकता के आधार पर अक्षुण रखने का कार्य करती है। आदिवासी विमर्श वास्तव में इसी क्षेत्रीयता की मूल भावना का प्रतिनिधित्व करता है। आदिवासी समाज मूलतः प्राकृतिक रुप से जुड़ा हुआ, विकास की मूल शाखा से कटा हुआ है। यद्यपि इसी भूमि के प्राचीनतम निवासी होने का गौरव इनकों प्राप्त है तथा प्राचीन काल में इनकी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था को सभ्य समाज के रुप में देखा जाता था। उनकी बोली एवं भाषाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। कुछ आदिवासी भाषाओं में लिपिबद्ध साहित्य भी मिलता है। वर्तमान समय में आदिवासी विमर्श साहित्य में चित्रित एक सामाजिक आन्दोलन के रुप में देखा जाता है।

आदिवासी समाज की संस्कृति, परम्परा एवं उनकी प्राकृतिक निर्भरता वर्तमान आदिवासी साहित्य का विशिष्ट तत्व माना जाता है। अपनी मूल जड़ो, निजी पहचान, मूल्य परम्परा एवं रीति रिवाजों से जुड़े होने के कारण यह आधुनिकता के इस दौर में पिछडे हुए माने जाते है। आदिवासी समाज की लय, वेश भूषा, भाषा, रहन सहन,, पर्व त्योहार एवं देवी देवता सभी कुछ प्रकृति से जुड़े हुए है। साहित्य समाज का दर्पण होता है तथा समाज के प्रत्येक वर्ग को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार देता है।[1] आदिवासी साहित्य उन लोगों की जीवन गाथा है, जो वन में निवास करता है। यह मूल रुप से उन लोगों की आवाज है, जो कई शताब्दियों से अपने विकास की राह देख रहे है, परन्तु जिनकों विकास के नाम पर केवल शोषित किया गया है। वास्तव में आदिवासी विमर्श इसी शोषण के विरुद्व उठने वाले आन्दोलन का एक स्वरुप है। आदिवासी जंगल को अपनी मातृभूमि मानता है, जिसके साथ उसका एक अटूट रिश्ता विकसित होता है। उसी आदिवासी समाज को विकास के नाम पर जब चाहे उसके मूल स्थान से बेदखल कर दिया जाता है, क्योकि उसके पास उससे सम्बन्धित कोई प्रमाण अथवा पट्टा नही होता।[2] स्वतंत्रता के पूर्व औपनिवेशिक सरकारों के द्वारा उनका शोषण किया गया, तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत की सरकारों का रवैया भी बहुत अधिक परिवर्तित नही रहा। इसी शोषण से बचने के लिए आदिवासी समाज ने अपने को संगठित किया तथा अपनी व्यथाओं को साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत करने का कार्य किया।

आदिवासी अस्मिता का प्रश्न समग्र भारतीय सांस्कृतिक परम्परा की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। भौगोलिक, भाषा, धर्म, जीवन शैली, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था, प्रजातीय पहचान इत्यादि के आधार पर अनेक मानव समुदाय अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए रखते है और उस पहचान को सुरक्षित रखने के लिए बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने का प्रयास करते है। सामान्य परम्परा में इन अविकसित आदिवासी समूहों के संगीत, कला तथा मौखिक साहित्य को सृजनशीलता की श्रेणी में रखा ही नही जाता है।[3] वास्तव में वर्तमान समय में जिसे सच्चा साहित्य कहा जाता है, उस पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। इस प्रकार की रचना उन लोगो के द्वारा की गई, जो पाश्चात्य विचारों से प्रभावित थे। भारतीय समाज के विषम स्तर पर निर्मित संरचना में सांस्कृतिक पैतृक अधिकारों का गुणगान करने वाली अभिजात्य संस्कृति का हाथी दांत चित्रण करने वाले लेखक वास्तव में एक विशिष्ट समूह का ही साहित्य लेखन करते है। आदिवासियों का चित्रण उनके द्वारा केवल कहने भर को ही किया गया है, वह भी नकारात्मक रुप में। इस प्रकार साहित्य में उनकों अछूत ही रखा गया। इन अभिजात्य वर्गीय लेखन में आदिवासी समूह को म्यूजियम में रखने की वस्तु माना गया। इन आदिवासी समूहों को जंगली तथा असभ्य

मानते हुए उनकी अभिव्यक्ति को स्वीकार करने की आवश्यकता किसी को भी महसूस नही हुई।[4] आदिवासी लोगों का हिन्दू धर्म से कोई विशेष सम्बन्ध नही रहा है। आदिवासियों के अपने पृथक देवी-देवता है। हिन्दू धर्मग्रंथों में उनकी कोई आस्था नही होती है। आदिवासियों का अपना एक स्वायत्त धर्म होता है, जिसमें विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों की उपासना की जाती है। वर्तमान समय में हिन्दू, मुस्लिम एवं ईसाई धर्मो के अन्तर्गत जो आदिवासी समूह सम्मलित है, वह मात्र भौतिक प्रलोभनों के द्वारा उनकों अपने ध र्म में शामिल करने की कुत्सित चेष्टा मात्र है। जनगणना के समय इन आदिवासी समूहों को इन तथाकथित धर्मो के अन्तर्गत ही सम्मलित किया जाता है।

आदिवासी समाजों में मातृसत्तामक परिवार व्यवस्था अधिक दिखाई देती है। ऐसे समाज में परिवार की मुखिया के रुप में स्त्री को ही रखा जाता है। यौन शुचिता की सवर्णवादी मानसिकता से आदिवासी समाज मुक्त रहता है। आदिवासी समाज अभी भी स्त्री विरोधी उस मानसिकता से सामान्य रुप से मुक्त है, जो कि विकसित समाज में एक नासूर बन गया है। दहेज जैसी कुप्रथा आदिवासी समाज में कही भी दिखाई नही देती है। आदिवासी युवक एवं युवतियों को अपना जीवनसाथी चुनने की स्वतंत्रता है।[5] हिन्दू समाज की पर्दा प्रथा तथा देवदासी जैसी प्रथाओं से यह आदिवासी समाज कोसों दूर है। बलत्कार जैसे अपराध आदिवासी समाज में बहुत कम पाए जाते है तथा बलात्कार से पीड़ित युवतियों के साथ अपमानजनक व्यवहार करने का चलन आदिवासी समाज में नही मिलता है। एक ऐसा समाज जो कि तथाकथित सभ्य माने जाने वाले समाजों की बुराईयों से अछूता है। उस समाज को हम लोग पिछडेपन के रुप में देखते है।

वर्तमान आदिवासी साहित्य वास्तव में अपनी उस पीड़ा एवं व्यथा को अभिव्यक्त करता है, जो एक लम्बें समय से उसने भोगा है तथा अनेक अर्थो में वर्तमान में भी भोग रहा है। विस्थापन, शोषण तथा अपनी मूल संस्कृति से दूर होने का दर्द उनके साहित्य में मुखरित होता है। स्वतंत्रता से पूर्व औपनिवेशिक सरकार के द्वारा किया जाने वाला शोषण तथा स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय सरकारों में भी उनकी सामुदायिक भूमिका की अवहेलना की गई। आदिवासियों के विस्थापन के आधार पर राष्ट्रीय विकास का जो खाका बनाया गया, उसमें आदिवासियों के विकास को पूरी तरह से उपेक्षित किया गया।[6] भारत की स्वतंत्रता के बाद भी आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास भी बहुत अधिक सफल नही रहा। इसका मूल कारण आदिवासियों की सभ्यता एवं संस्कृति को उनके नजरिए से न देखना रहा है।

आदिवासी साहित्य वस्तुतः वह है, जो आदिवासियों ने स्वयं भोगा एवं लिखा है। यह साहित्य मूल रुप से आदिवासी समस्याओं, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक स्थितियों तथा उनकी जीवन शैली का जीवांत दस्तावेज है। आदिवासियों की अपनी आस्थाओं, मिथकों, लोककथाओं, वीरगाथाओं एवं विश्वासों का वाचिक साहित्य बहुत ही समृद्ध रहा है।[7] समकालीन साहित्य में वे कहानी, कविता, उपन्यास, आत्मकथा, संस्मरण तथा पत्रकारिता के माध्यम से अपनी उपस्थिति सशक्त रुप से दर्ज करा रहे है। आदिवासियों में वस्तुतः 600 बोलियाँ है, जिनमें से लगभग 90 भाषाओं में साहित्य सर्जना की जा रही है।

आदिवासी समाज को केन्द्र में रखकर लिखना कोई नवीन परम्परा नही है। हमारे यहॉ बहुत पहले से ऐसी रचनाएँ होती आई है। वर्तमान समय में इसमें परिवर्तन यह हुआ है कि आदिवासी स्वयं अपनी आपबीती लिख रहा है। इस प्रकार गैर आदिवासी तथा आदिवासी लेखकों के द्वारा आदिवासियो के केन्द्र में रखकर लिखा गया साहित्य सभी विधाओं में प्राप्त हो रहा है। यह साहित्य वास्तव में आदिवासियों से जुड़े विभिन्न प्रश्नों को जनमानस के समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य कर रहा है।[8] वर्तमान समय तक आदिवासियों के सम्बन्ध में जितना भी साहित्य लिखा गया है, उसमें मूल रुप से दो तरह का साहित्य लेखन मिलता है। प्रथम जो कि आदिवासी समाज का सतही चित्रण करता है तथा आदिवासी समाज के वाह्य तत्वों को ही रेखाकिंत करता है। द्वितीय प्रकार का साहित्य वह है, जिसमें आदिवासी समाज की आन्तरिक संरचना को उद्भासित करने का कार्य किया गया है। आदिवासी साहित्य में अधिक जोर अपने समाज की परम्पराओं, प्रथाओं, त्योहारों, उत्सवों अथवा धार्मिक रीति रिवाजों पर रहता है। वे अपने समाज की समस्याओं, शोषण, उत्पीड़न एवं उपेक्षा को तो उठाते है, साथ ही अपने जीवन के राग-रंग एवं प्रेम मनुहारों के भी चित्रित करते है।[9]

आदिवासी साहित्य का स्तर बहुत ही व्यापक है। हम केवल उन महत्वपूर्ण रचनाओं एवं रचनाकारो का उल्लेख करते है, जिनकी रचनाओं ने आदिवासी साहित्य को एक विशेष आधार प्रदान किया तथा उनके समाज को नवीन अयाम प्रस्तुत किया। 1930 में रामानंद शर्मा का उपन्यास कोरा कुमारी संथाली समाज की महिलाओं की महिलाओं का चित्रण करता है।[9] महाश्वेता देवी के उपन्यास आदिवासी जीवन तथा संघर्ष के दस्तावेज माने जाते है। उनकी प्रमुख रचनाओं में अग्निगर्भ, जंगल के दावेदार तथा चोट्टिमुण्ड़ा और उनके तीर है। इसी प्रकार आदिवासी समाज पर गोपीनाथ महंती एक प्रमुख रचनाकार माने जाते है। इनका उपन्यास अमृत संतान कंध आदिवासियों पर लिखी गई महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, जिसे 1955 में साहित्य अकादमी मिला। इसी प्रकार परजा आदिवासियों पर लिखा गया उनका उपन्यास परजा आदिवासियों से सम्बन्धित साहित्य की महान कृति मानी जाती है।[10] विनोद

कुमार का उपन्यास समर शेष है झारखण्ड़ की राजनीति से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। मनमोहन पाठक का उपन्यास गगन घटा घहरानी आदिवासी समाज को रेखाकिंत करता है। राकेश कुमार सिंह का उपन्यास ओह पलामू, पठार पर कोहरा, जहाँ खिलतें है रक्त पलाश तथा जो इतिहास में नही है इत्यादि आदिवासी जीवन को व्यापक फलक पर चित्रित करती है।

संजीव के उपन्यास जंगल जहाँ शुरू होता है तथा पाँव तले दूब उपन्यास प्रमुख है, जिसमें आदिवासी अस्मिता को मुख्य आधार बनाया गया है। श्री प्रकाश मिश्र का उपन्यास जहाँ बाँस फूलते है में मिजो आदिवासियों के हथियार बंद मुक्ति संघर्ष का सामाजिक एवं राजनीतिक चित्रण किया गया है, वही उनके दूसरे उपन्यास रुपतिल्ली की कथा में औपनिवेशिक भारत में खासी आदिवासियों के समाजिक अंतर्द्वन्द्व तथा बाहरी प्रभाव के कारण उनके जीवन में आने वाले तनावों को रेखाकिंत किया गया है।[11] पुन्नी सिंह का उपन्यास सरहाना राजस्थान के सहरिया आदिवासी समाज की अन्दरुनी व्यथाओं एवं विवशताओं को बहुत ही संवेदना के साथ प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार ग्लोबल गाँव के देवता रणेन्द्र की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। महिपाल भूरिया, निर्मला पुतुल, पीटर पॉल एक्का, हरिराम मीणा की रचनायें आदिवासी समाज के वास्तविक स्वरुप को प्रस्तुत करते है तथा आदिवासी समाज के सम्बन्ध में फैले विभिन्न भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करते है।[12]

वृन्दावन लाल वर्मा का उपन्यास कचनार, देवेन्द्र सत्यार्थी का रथ के पहिए, राजेन्द्र अवस्थी का जंगल के फूल तथा सूरज किरण की छांव तथा शानी का सल वनों का द्वीप आदिवासी सन्दर्भ में महत्वपूर्ण रचनाए है। इसी प्रकार रामदीन पाण्डेय का चलती पिटारी, भाल चन्द्र का सांवला पानी, तेजिन्दर का काला पादरी, राकेश कुमार सिंह का पठार पर कोहरा जैसे उपन्यासों में झारखण्ड़ के उरांव आदिवासियों के सामाजिक जीवन को चित्रित करने वाले उपन्यास है। योगेन्द्र नाथ सिन्हा का वनलक्ष्मी एवं वन के मन में तथा गुरुवचन सिंह का वनपांखी हो आदिवासियों के समाज को चित्रित करने वाले उपन्यास है। संतोष प्रीतम का पलाश के फूल, पीटर पॉल एक्का का मौन घाटी, सोन पहाड़ी तथा जंगल के गीत मुंडा आदिवासियों पर आधारित उपन्यास है, जिनमें उनके समाज को चित्रित किया गया है। विनोद कुमार का समर शेष है, मधुकर सिंह का बाजत अनहद ढोल, तथा राकेश कुमार सिंह का जो इतिहास में नही है में संथाल समुदाय के समाज का चित्रण किया गया है।[13] इसी प्रकार रणेन्द्र कर ग्लोबल गाँव का देवता में असुर आदिवासियों के संकटग्रस्त अस्तित्व का चित्रण किया गया है।

इन समुदाय विशेष के उपन्यासों को अतिरिक्त बहुत से ऐसे उपन्यास भी है, जो कि किसी समुदाय विशेष पर आधारित न होकर नगरीकरण एवं आद्यौगीकरण के दौर में आदिवासी समाज के मध्य वर्ग और मजदूर वर्ग की समस्याओं को कथानक का आधार बनाया गया है। राकेश वत्स का जंगल के आस पास, संजीव का सावधान नीचे आग है, किशोर कुमार सिन्हा का गाथा भोगनपुरी, रमणिका गुप्ता का मौसी एवं सीता, श्रवण कुमार गोस्वामी का चक्रव्यूह एवं हस्तक्षेप, सतीश चन्द्र का काली माटी इसी प्रकार के उपन्यास है, जिसमें आधुनिकीकरण के इस दौर में आदिवासी समाज की समस्याओं का चित्रण किया गया है। इसके अतिरिक्त उदय भट्ट का सागर, लहरे एवं मनुष्य नामक उपन्यास मुम्बई के वारसोवा बीच के कोलियों के संघर्ष को प्रस्तुत किया गया है। रांगेय राघव का उपन्यास कब तक पुकारूँ में राजस्थान के नटों के सामाजिक जीवन तथा सभ्य समाज द्वारा किए जाने वाले शोषण का जबकि धरती मेरा घर में बंजारा लोहार के समाज का यथार्थ चित्रण किया गया है।[14] श्याम परमार ने अपने मोरझल में मालवा के भीलों की जीवन शैली को एक प्रेमकथा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। जयप्रकाश भारती ने अपने उपन्यास कोहरें में खोये चाँदी के पहाड़ में राजस्थान के जौनसार बाबर आदिवासियों को अपने कथानक का मुख्य विषय बनाया है। इसी प्रकार हिमांशु जोशी के उपन्यास महासागर में निकोबार द्वीप के विभिन्न आदिवासी समूहों का चित्रण किया गया है। कृष्णचन्द्र शर्मा भिक्खु ने अपने उपन्यास रक्तयात्रा में नागा आदिवासियों की अनेक पीढ़ियों को आधार बना कर तीन खण्ड़ों में प्रकाशित किया है। मनमोहन पाठक का उपन्यास गगन घटा घहरानी में पलामू रोहतास की सीमा रेखा पर अवस्थित उरांव आदिवासियों को केन्द्र बिन्दु बनाया है। इसमें महाजनी, सामन्ती तथा लोकतंत्र के संघर्ष का चित्रण किया गया है।

आदिवासी समाज के शोषण, उनकी समस्याओं तथा राजनीति की शिकार उनकी अस्मिता को बचाने का संघर्ष अनेक उपन्यासों में दिखाई देता है। श्याम बिहारी श्यामल का उपन्यास घपेल इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह उपन्यास पलामू के जनजीवन तथा उनके संघर्ष का चित्रण करने वाला हिन्दी का पहला उपन्यास माना जाता है। इसमें सामन्ती शोषण के विरुद्ध नक्सलियों के संघर्ष को मुख्य आधार बनाया गया है, जिसमें प्रशासन एवं राजनीति के गलत प्रबन्धन को रेखाकिंत किया गया है। मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास अल्मा कबूतरी कबूतरा समुदाय की स्त्रियों की वीरता एवं साहस को चित्रित करता है। महुवा माँझी का उपन्यास मैं बोरियशल्ला इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इसकी रचना आदिवासियों के मध्य रहकर की गई।[15]

रोज केर केट्टा का कहानी संग्रह, हरिराम मीणा का ऐतिहासिक उपन्यास धूणी तपे तीर तथा निर्मला पुतुल का कविता संग्रह नगाड़े की तरह बजते शब्द एक त्रयी का निर्माण करते है। यदि

वास्तविक रुप से कहा जाए तो यही से हिन्दी साहित्य में विशुद्ध आदिवासी विमर्श की एक नई शुरुआत होती है। हरिराम मीणा का उपन्यास धूणी तपे तीर 20 वी शताब्दी के प्रथम दो दशक में उभरे भील विद्रोह तथा उसके नेतृत्वकर्ता गोबिन्द गुरु को केन्द्र में रखकर लिखा गया है।[16] कविता संग्रह नगाड़ें की तरह बजते शब्द में संकलित कविताओं में आदिवासी संवेदना, सोच एवं भाषा के द्वारा आदिवासी समाज के दर्द को मुखरित करने का कार्य किया गया है। रोज केर केट्टा ने अपने कहानी संग्रह में आदिवासी ग्राम्य जीवन को उसकी पूर्णत: के साथ प्रस्तुत किया है। उनकी गरीबी तथा शोषण एवं अन्याय के विविध रुपों का चित्रण इसमें किया गया है, जहाँ सामान्य रुप से हमारी दृष्टि नही पहुँच पाती है। भूख के कारण भोजन चोरी करने की विवशता तथा गंझूओं द्वारा धांगड़ों के साथ अमानवीय व्यवहार के अनेक चित्र हमारे समक्ष उपस्थित हो जाते है।

समकालीन आदिवासी साहित्य तथा आदिवासी विमर्श आदिवासियो के जीवन, समाज एवं संस्कृति के उन तत्वों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास है, जिनकी अभिव्यक्ति सदियों से दबी हुई है। एक लम्बें समय से दबी हुई आवाज अपने शोषण एवं त्रासदी की कहानी अपने शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे है। हिन्दी उपन्यासों में आदिवासी अस्मिता के विभिन्न पहलुओं को बारीकी से उभारा गया है। उनकी समस्याओं, रहन सहन, संस्कृति इत्यादि के विभिन्न पक्षों को रेखाकिंत किया गया है। आधुनिकीकरण, भूमंडलीकरण, औद्योगीकरण तथा नगरीकरण के परिणामस्वरुप विस्थापन का दंश झेल रहे आदिवासियों ने किस प्रकार अपनी परम्परा व संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष किया, इनका यथार्थ चित्रण उपन्यासों में किया गया है। आदिवासियों की कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नही होती है, वह बस इतना चाहते है कि जो कुछ उनका है, उनकों वापस कर दिया जाए। वह प्राकृतिक जीवन जीना चाहते है। इस प्रकार के विविध आयामों का चित्रण इन उपन्यासों में किया गया है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

(1) मैथ्यूज, डॉ0 जनु मेरी, साहित्य और आदिवासी विमर्श, पराग प्रकाशन, कानपुर, 2018 पृ0 सं0 25

(2) मीणा, गंगासहाय, आदिवासी साहित्य विमर्श, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 2014 पृ0 सं0 35

(3) मैथ्यूज, डॉ0 जनु मेरी, साहित्य और आदिवासी विमर्श, पराग प्रकाशन, कानपुर, 2018, पृ0 स0 14, 15

(5) आशा, डॉ0 के0, आदिवासी साहित्य में वर्णित आदिवासी संघर्ष, विकास प्रकाशन कानपुर, 2019, पृ0 स0 13

(6) विनायक तुकाराम, आदिवासी, आदिवासी साहित्य उद्‌गम, आणि भाणि, लोकमत साहित्य यात्रा, नागपुर, 1982, पृ0 स0 20

(7) कूरे, डॉ0 रमेश सम्भाजी, शिंदे, डॉ0 मालती धोंडोपंत, शिंदे, प्रवीण अनंतराव स0, आदिवासी साहित्य विविध आयाम, विकास प्रकाशन, कानपुर, 2013, पृ0 स0 27

(8) अहेमद, डॉ0 शहेनाज शेख बेगम, आदिवासी साहित्य स्वरुप एवं विश्लेषण, समता प्रकाशन, कानपुर देहात, 2014, पृ0 स0 65

(9) पिंगले, डॉ0 भीमराव, ए0 एच0 जमादार, अनु0, आदिवासी एवं उपेक्षित जन, विकास प्रकाशन, कानपुर, 2017, 129

(10) अहेमद, डॉ0 शहेनाज शेख बेगम, आदिवासी साहित्य स्वरुप एवं विश्लेषण, समता प्रकाशन, कानपुर देहात, 2014, पृ0 स0 15

(11) गुप्ता, रमणिका, आदिवासी स्वर और नई शताब्दी, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002, पृ0 स0 6

(12) चटर्जी, वी0 एस0, जयशंकर उपाध्याय, आदिवासी स्वर: वाचिक परम्परा व साहित्य, आकृति प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006, पृ0 स0 10

(13) भारती, डॉ0 अमित कुमार, स0 हिन्दी उपन्यास और आदिवासी विमर्श, ज्ञान प्रकाशन, कानपुर, 2017 पृ0 स078

(14) दत्त, हरिनारायण, बाजवा, श्रीमती जसप्रीत, स0, आदिवासी स्वर: संस्कार एवं प्रथाएँ, आकृति प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009, पृ0 स0 187

(15) कुमार चौहान, रेनु चौहान, आदिवासी स्वर: सामाजिक एवं आर्थिक जीवन, स्वर्ण जयंती, शाहदरा, नई दिल्ली, 2005, पृ0 सं0 46

(16) कुमार विनोद, आदिवासी संघर्ष गाथा, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली, 2005, पृ0 सं0 67

‘अग्निबीज’ उपन्यास में विन्यस्त प्रगतिशील चेतना का स्वरूप

रोहित यादव

स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, शांति प्रसाद जैन महाविद्यालय सासाराम (रोहतास)
सम्बद्धः वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

प्रो० (डॉ०) मृत्युंजय सिंह

शोध निर्देशक एवं विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, शांति प्रसाद जैन महाविद्यालय सासाराम (रोहतास)
सम्बद्धः वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

जनवादी कथाकार मार्कण्डेय की रचनाशीलता, स्वतन्त्रता के बाद के कथा साहित्य में यथार्थपरक व प्रगतिशील जीवन का एक नया आयाम खोलती है। अपनी रचनाओं में मार्कण्डेय जनता की पीड़ा को, किसानों के दुख दर्द को, गरीबों की लाचारी को बड़े ही मार्मिक रूप से रूपायित किया है। सन् 1981 में प्रकाशित उपन्यास ‘अग्निबीज’ चार युवा पात्रों- सागर, सुनीत, मुराद व श्यामा के माध्यम से रची गयी कथा है, जिसमें सामाजिक बदलाव की क्रांति की चिंगारी समाज के युवा वर्ग में देखा है। प्रगतिशील चेतना से सम्पृक्त उपन्यास ‘अग्निबीज’ आजादी के बाद सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि के व्यापक फलक पर लिखा गया एक सफल ग्राम केन्द्रित उपन्यास है, जिसमें जाति-धर्म और शोषण से समाज को मुक्त कराने की बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी में सदैव आगे रहने वाले मार्कण्डेय 21वीं सदी के पहले दशक में उठ रहे तमाम तरह के सामाजिक संघर्षो से सीधे मुठभेड़ करते हैं। डॉ0 रामचन्द्र तिवारी कहते हैं कि ‘‘इस उपन्यास में सन् 1953-54 ई0 के आस-पास के राजनीतिक संदर्भ को केन्द्र में रखकर अप्रासंगिक होती हुई राजनीतिक चेतना के विरूद्ध जागृत होती हुई क्रांतिधर्मा युवा-चेतना को ग्रामीण परिवेश में चित्रित किया गया है।’’[1]

मार्कण्डेय मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित रचनाकार हैं और मार्क्सवादी विचारधारा शोषित व पीड़ित जन-समुदाय के अधिकारों का समर्थन करती है। मार्कण्डेय के पात्र भी शोषित व पीड़ित वर्ग के अधिकारों का समर्थन करते हैं। बल्कि उस समाज के लिए संघर्ष भी करते हैं, निम्नमध्य वर्ग तथा किसान, मजदूर के हक के लिए संघर्ष करने वाले पात्रों के चरित्र का विकास भी मार्कण्डेय ने मार्क्सवादी आलोक में किया हैं। साम्यवादी विचार धारा को आत्मसात् करने के कारण मार्कण्डेय को श्रमिक व मजदूर वर्ग से गहरी सहानुभूति है। इस वर्ग पर शोषणतंत्र व अत्याचार का जो संघर्ष देश के आजादी के पूर्व से चली आ रही थी, स्वतन्त्रता के बाद भी उसने भारतीय समाज का पीछा नही छोड़ा। मार्कण्डेय जैसे उपन्यासकारों ने शोषण के कारणों को खोजा तथा इसे उखाड़ फेंकने के लिए संघर्षशील पात्रों का चयन किया।

‘अग्निबीज’ उपन्यास में अग्निबीज के रूप में चार युवा पात्रों में श्यामा, सुनीत, मुराद और सागर जो अग्नि रूपी बीज है वो आजादी की मिट्टी से अंकुरित हो रहे हैं। इन चारों पात्रों का प्रतिनिधित्व चार अलग-अलग जातियों का प्रतिनिधित्व है। सुनीत क्षत्रीय वर्ग का, मुराद मुस्लिम धर्म, सागर दलित परिवार से व श्यामा क्षत्रीय परिवार से है। इन क्रान्ति धर्मी युवाओं के द्वारा नये विचारों तथा मूल्यों का वहन करना व उन्हें व्यवहार में उतारना इन्ही के द्वारा सम्भव है। ये चारों युवा बच्चें अपने जीवनानुभवों के माध्यम से सबसे अलग अपने प्रगतिशील विचार, बोध से प्रेरित व्यक्तित्व व जीवन दर्शन का निर्माण करते हैं। ग्राम जीवन की ये सहज सामाजिक सन्दर्भ, उस सम्पूर्ण गाँव की ही नही बल्कि सम्पूर्ण भारतीय समाज के सन्दर्भ में ग्राम्य समाज का अविच्छिन्न अंग बन गया है। इन क्रान्तिधर्मी अग्निबीज रूपी पात्रों में श्यामा की संरचना एक ऐसी दीपशिखा की तरह है, जो उपन्यास के प्रत्येक कोना अतरे को प्रकाशमान करती है। श्यामा स्वतन्त्रता सेनानी साधों काका की पुत्री है। सुनीत साधो काका के भाई जमींदार ज्वाला सिंह का इकलौता पुत्र है। मुराद करधा चलाने वाले कारीगर मुसलमान बाकर का पुत्र है और सागर हरिजन महतो मुसई का पुत्र है। ये चारों गाँव के स्कूल में पढ़ते हैं। मार्कण्डेय जैसे दूरदर्शी उपन्यासकार ने इन उक्त चारों युवाओं को अपने ‘अग्निबीज’ उपन्यास का चार स्तम्भ के रूप में चयन किया है। श्यामा कहती है कि ‘‘स्वतन्त्रता के आने की बात कब से सुनाई पड़ती है। लोग कहते है कि वह आ गयी हैं लेकिन यहाँ तो कही दिखाई नही पड़ती है। आखिर वह गयी कहाँ? हो सकता है, कही बीच में अटक गयी हों, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ वैसा ही है गुलामी से भी बदतर।’’[2]

‘अग्निबीज’ उपन्यास गाँधी के कताई यज्ञ से शुरू होता है। भाई जी और भागों बहन इस आश्रम को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ संचालित करते है। रामपुर के स्वतन्त्रता सेनानी साधों

काका भी इसी आश्रम में अपना सर्वस्व त्याग करके जुड़ गये हैं। उन्होनें आजादी की लड़ाई में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। अपना सब-कुछ गँवाया हैं, अनेक बार जेल में यातनायें सही हैं। मुसई चाचा और बाकर भी आश्रम के सदस्य है। यह आश्रम ही रामपुर गाँव का आदर्श केन्द्र है। यहीं पर गाँव के युवाओं को जीवन की आरम्भिक शिक्षा भी मिलती है। यहाँ युवा वर्ग को वर्ग-वैषम्य और वर्तमान समय के राजनीतिक क्रियाकलापों को समझने का भी प्रयास करते है। सागर दलित समाज से आता हैं जिसकी आस्था श्यामा पर है। वह श्यामा के ही समान प्रखर भी है पर अपने पूरे समाज के लिए चिंतित है। उसकी बातों से उसके अन्तर्द्वन्द्वों के विचारों का पता चलता है।

देश की आजादी के पश्चात् यह महसूस होने लगा कि अब हमारा समाज हमें स्वतन्त्र जीने देगा। हमें अपने समाज के साथ जीवन निवर्हन करने देगा। देश के आजादी में आंदोलनकारी नेताओं ने झूठा आश्वासन दिया करते थे कि देश आजाद होगा तो निम्नवर्ग व उच्च वर्ग सब बराबर हो जायेगें। परन्तु सुराज अर्थात् गणतन्त्र जनता के राज में भी हमारा शोषण होता है तो इसे आजाद देश या गुलाम भारत देश की राजनीतिक व सामाजिक दशा में कोई विशेष परिवर्तन नही समझ आ रहा है। दलित पात्र सागर के पिता को चोरी के झूठे आरोप में जेल भेजने पर अपने दोस्त मुराद से अपना दुःख कुछ इस प्रकार कहता है कि ''सागर बोला, 'रोने के अलावा हमारे पास और है ही क्या?' 'गुलामी, भूँख अपमान-। मुराद ने साधों काका को सँभालने हुए वाक्य पूरा किया, 'लेकिन यह वरदान है, सागार! यही सब हमें आँखें देगें। मुराद के भीतर एक तूफान उठ रहा था। उसके सामने साधों काका का खण्ड-खण्ड टूटा जीवन और सामने की हवालात से झाँकता मुसई महतों का चेहरा दिखाई पड़ रहे थे।''[3]

'अग्निबीज' उपन्यास में अग्निबीज रूपी इन युवा क्रान्तिधर्मी पात्रों के द्वारा उपन्यासकार अपने प्रगातिशील चेतना को इस उपयान्स में अभिव्यक्त करता है। कथाकार मार्कण्डेय एक ओर इस उपन्यास के शोषक ज्वाला सिंह के शोषणकारी चरित्र का पर्दाफाश करते हैं दूसरी तरफ ज्वाला सिंह का इकलौता बेटा सुनीत जो अपने पिता ज्वाला सिंह और परिवार के शोषणकारी तन्त्र के खिलाफ लड़ने वाली युवा श्याम जो शिक्षित महिला का प्रतिनिधत्व करती है में भी उसी परिवार से वास्ता रखती परन्तु गाँव अपने जाति वर्ग के पुरातन संस्सकारों व मान्यताओं से मुक्ति दिलाने का जिम्मा ली है और सुनीत भी उसी विचार का सर्मथक बनकर उसकी सहायता करता है। सुनीत अपने पिता ठाकुर ज्वाला सिंह द्वारा फैलाये शोषण, अपमान, दमनकारी, मायाजाल का घोर विरोध नही बल्कि समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने पर अमादा है।

इस उपन्यास में भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए देश के आंदोलन का परिदृश्य प्रस्तुत करते हुए उपन्यासकार एक पात्र के द्वारा कहलाते हैं कि ''अब वह समय नही रहा जब आप सत्य और अंहिसा के मार्ग पर चलकर सिर्फ चरखे के सहारे गाँधीवाद को बचा लेगें। परिस्थितियाँ बदल गयी है। देश पर हमारी विचारधारा के लोगों का शासन है और देश में पनपने वाले अनेक विचार हमारे हाथ से राजशक्ति छीन लेना चाहते है, लड़ाई का मुद्दा बदल गया है। आज के संसार में राजशक्ति की रीढ़ कोई न कोई विचाराधारा ही हैं।''[4] भागों बहिन एक नवीन सोच जो प्रगतिशील चेतना का समाज के विभिन्न वर्गो तक पहुँचाने के लिए तत्पर है वे कहती हैं, कि ''जब राजशक्ति गाँधीवादी विचार के लोगों के हाथ में है तो भूदान-आन्दोलन की जरूरत क्या है! एक अधिनियम बनाकर सरकार अतिरिक्त भूमि लोगों के कब्जें से क्यों नही निकाल लेती और उसे गरीब किसानों में बाँट देती?''[5]

मार्कण्डेय मार्क्सवाद से प्रभावित बाद में होते हैं, पहले वे गाँधीवादी विचार को समाज में फैलाना चाहते थे लेकिन उससे समाज में विशेष फर्क नही पड़ा। मार्क्सवादी विचारधारा शोषित जनसमुदाय के अधिकारों की लड़ाई लड़ती है। मार्कण्डेय के पात्र भी शोषित जन-समुदाय के अधिकारों के लिए मार्ग प्रसस्त करते हैं। उपन्यासकार अपने पात्रों के द्वारा शोषित व पीड़ित वर्ग के अधिकारों का समर्थन करते दिखाई पड़ते हैं जिसके लिए वे समाज के शोषक वर्ग के विरूद्ध संघर्ष भी करते हैं। निम्न मध्यम वर्ग तथा किसान व मजदूर के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले पात्रों के चरित्र का विकास भी मार्कण्डेय ने मार्क्सवादी आलोक में किया है। भारतीय समाज में जातिवाद एक कुष्ठरोग है जो समाज को धीरे-धीरे कमजोर व पंगु बनाता आया है। मार्कण्डेय जाति उन्मूलन के लिए इस उपन्यास में बखूबी प्रयास किया है, जाति व्यवस्था के जड़ पर प्रहार करते हैं। उदारवादी विचारधारा के कारण इनका प्रभाव फीका पड़ गया। रविनन्दन सिंह का मानना है कि गाँधी, अम्बेडकर की तरह लोहिया भी सामाजिक विचारक थे तथा जाति प्रथा के उन्मूलन के सम्बन्ध में उनके विचार भी महत्वपूर्ण है। उनकी मान्यता है कि, ''आज तक जितने भी सुधारवादी आन्दोलन हुए सब-के-सब सनातन हिन्दू व्यवस्था द्वारा उदरस्थ कर लिये गये और जातिवाद का भयानक दलदल अभी भी बना हुआ है। यह दलदल इतना गहरा है कि बड़ा-से-बड़ा पत्थर इसके गर्भ में कहाँ चला जाता है, कुछ भी पता नही चलता। जब तक यह दल-दल सुखा नही दिया जाता, भारत में जातिवाद की नाश नही हो सकता''[6]

भारतीय सामाजिक धार्मिक व्यवस्था पर चोट करती हुई नायिका श्याम कहती है ''धार्मिक अंध विश्वासों और रूढ़ियों के खिलाफ कितने ही सुधारवादी संघर्ष हुए; लेकिन उनसे क्या संस्थाएँ बदली? स्त्रियों की सामाजिक-आर्थिक हालात में कोई फरक आया? वे आज भी पूरी तरह गुलामी का जीवन जी रही है? जात-पात टूटी? हाँ, चुनाव जरूर होते है; जिनमें धन और शक्ति का खुलकर, मनमाना उपयोग होने लगा है। और जबरदस्ती का बोल बाला है और वह दिन दूर नहीं, जब चुनाव से भी छुट्टी लेने

की स्थिति आ सकती है। वर्गों में बँटे समाज में लोकतन्त्र एक दिखावा बनकर रह जाता है।''[7]

स्वातंत्रयोत्तर राजनीति में हर दिन दिखाई देने वाली तिकड़में गरीबों का भयभीत जीवन, कांग्रेस का पतन, भ्रष्टाचार आदि को देखकर भाई जी जैसे समग्र गाँधीवादी कार्यकर्ता में भी मोहभंग का स्वर सुनाई पड़ता है। मार्क्सवादी हरगोनसिंह कहते हैं कि ''गाँव में आज भी जन-जागरण के नारे के नीचे अज्ञान और निरक्षरता की वही पुरानी, काली छाया मंडरा रही है। शासकों ने इस भेडिया ध सान का खून चख लिया है। भला वे क्यों चाहने लगे कि जनता नये विचारों के सम्पर्क में आये? नयी पाठ-सामग्री का सर्वथा दारिद्रय हैं। अखबार वैसे भी गाँव में बहुत कम पहुँच पाते हैं, जो पहुँचते है, वे सब-कुछ वहीं छापते है जो उनके मालिकों के हित के अनुकूल पड़े। विकास योजनाओं की झूठी चर्चा और बहस के आड़ में लखनऊ और दिल्ली से चला हुआ धन गाँव के किसानों तक पहुँचते-पहुँचते रास्ते में ही काफूर हो जाती है। शिक्षा को तो शासकों ने अपनी चेरी ही बना लिया है। पाठ्य-पुस्तकों में वही परम्परावादी विचार और रुढियाँ अटी पड़ी हैं, जिससे छात्र कुछ भी नया न सोच सकें।''[8]

मार्कण्डेय जैसे दूरदर्शी उपन्यासकार ने सवर्ण बहन-बेटियों के विवाह के बन्धन पर कुठाराघात करते हैं। विवाह जैसी संस्था को स्वतन्त्र छोड़ देना चाहिए जिससे समाज में रोटी-बेटी का सम्बन्ध हुए बिना सामाज में जातिवादी कट्टरता समाप्त नही होगी। श्यामा क्षत्रीय परिवार की बेटी जरूर थी लेकिन उसके विचार परम्परावादी व पाखण्डी व्यवस्था के खिलाफ सदा लड़ी। अत: श्यामा भी अपने शादी के लिए किये गये षडयन्त्र का विरोध नहीं कर सकी। खुद मार्कण्डेय जी मार्क्सवादी विचारों के रचनाकार हैं और शायद यही वजह है कि हरगोन सिंह को उन्होंने अपने मार्क्सवादी विचारों का प्रतिनिधि बनाकर उपस्थित किया है।

निष्कर्षत: मार्कण्डेय 'अग्निबीज' उपन्यास में प्रगतिशील चेतना को विविध क्षेत्र में जागरित करते हैं। जातिवाद तथा वर्ग-विषमता, नारीशोषण का विरोध व मूल्य विघटन के साथ-साथ भ्रष्टाचार, अकाल जमींदारी उन्मूलन व सरकारी योजनाओं की विफलता के कारण, बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक अभाव आदि समस्याओं को अपने उपन्यास में चित्रित करते हैं। इन उपर्युक्त समस्याओं के जड़ पर प्रहार करते हैं। सच तो यह है कि मार्कण्डेय के साहित्य को पढ़ना-समझना उस पीढ़ी को समझना है जिसने गुलाम भारत में जन्म लिया, आजादी के सपनें देखे, सपनो में गुलामी के नरक-कुण्ड से बाहर निकलने की जिजीविषा, आत्म सम्मान से जिन्दगी जीने के लिए संघर्ष किया।

संदर्भ सूची

1. हिन्दी का गद्य साहित्य, डॉ0 रामचन्द्र तिवारी, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी, संस्करण-2009, पृ0-198
2. अग्निबीज, मार्कण्डेय, लोकभारती प्रकाशन इलाहाबाद, संस्करण- 2010 पृ0-108
3. वही, पृ0-43
4. वही, पृ0-95
5. वही, पृ0-95
6. साहित्य समाज और जीवन, रविनन्दन सिंह, लोकभारती प्रकाशन इलाहाबाद, संस्करण- 2019, पृ0-156
7. अग्निबीज, मार्कण्डेय, लोकभारती, प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण- 2010, पृ0-159
8. वही, पृ0-132

जैन धर्म की दार्शनिक प्रासंगिकता

डॉ० सुमित्रा कुमारी

अतिथि सहायक प्रोफेसर, एम.एस.के.बी. कॉलेज, मुजफ्फरपुर, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार

प्रत्येक दर्शन का आचार-क्रियात्मक पक्ष धर्म होता है। इसलिए कहीं-कहीं धर्म दर्शन का पर्याय बन जाता है। हर धर्म का अपना दर्शन है और हर दर्शन का आचार पक्ष। वैदिक धर्म के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं धर्म का अस्तित्व लोकयात्रा के निर्वाह के लिए माना गया है जिसे सभी धारण करते हैं। जैन दर्शन समन्वय का दर्शन है, जो सबकी आत्मा की आन्तरिक पवित्रता पर बल देता है। भगवान महावीर ने अपने धर्म को सभी जाति, वर्ग और मानव समुदाय के लिए प्रतिष्ठित किया था। आत्मा की शुद्धि ही हमारे लिए मोक्ष का सर्वोपरि साधन है। जीव सम्यक् दर्शन, ज्ञान और चारित्र की विशुद्धि द्वारा धर्म को प्राप्त करता है। चूंकि यह धर्म उस पुण्य, पाप रूप बन्ध का कारण है, जिसका फल दुख: दायक संसार है, अत: जीव की विशुद्धि रूप वह धर्म, अधर्म को पूरी तरह से हटाते हुए अपनी अन्तरंग और बहिरंग कारण रूप सामग्री को प्राप्त कर संसार के दु:खों को समाप्त कर देता है और मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। अहिंसा मार्ग पर चलने वाले को कभी राग उत्पन्न नहीं होता है। राग का उत्पन्न होना ही हिंसा है। लोक में जो हिंसा, अहिंसा का विभावन (कॉन्सेप्ट)है वह स्थूल है। यथार्थ में जिन विकल्पों से आत्मा के स्वभाव का घात होता है वह सभी विकल्प हिंसा है और उन विकल्पों से शून्य निर्विकल्प अवस्था ही अहिंसा है। उसी अवस्था में पहुँचने पर सच्चा स्थायी आत्मिक सुख मिलता है। वस्तुत: धर्म आत्मा का परिशुद्ध स्वरूप है जो आदि, मध्य और अन्त सभी में कल्याण कारक है। धर्म की जितनी परिभाषाएं दी जाँय उसकी प्रकृति और नियति में किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं है। मनु ने शौच, आचार आदि द्वारा विशिष्ट धर्म के आचरण का उपदेश दिया फिर भी धर्म के बहुत से नियम सनातन हैं और सबके लिए मान्य हैं।

जैन दर्शन 'धर्म' शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में करता है। हम चार अर्थों में उसे प्रयुक्त मान सकते हैं-धर्म का आज्ञा पालन के अर्थ में, चारित्र के अर्थ में, कर्तव्य के अर्थ में और परमश्रेय के अर्थ में। जो दु:ख से, दुर्गति से पतन से बचाकर आत्मा को ऊँचा उठाने वाला है, वही धर्म है। वस्तुत: धर्म आत्मा का अनन्त दिव्य प्रकाश है। वह बाहर में नहीं अन्दर में है। एक धर्म दूसरे धर्म से कभी टकराता नहीं है। जैन धर्म में अहिंसा धर्म स्याद्वाद धर्म, आर्हत् धर्म, निर्ग्रन्थ धर्म आदि अनेक दूसरे नाम हैं। अहिंसा का इस धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। धर्म का जो विशेष अर्थ गति के माध्यम (Medium of Motion) के रूप में किया गया है उसके अनुसार समस्त पर्दाथ स्वयमेव गतिमान होते हैं उनकी गति में धर्म सहायता देता है। जिस प्रकार मछली को जल में जल चलने में उसकी सहायता करता है उसी प्रकार जीव और पुद्गल द्रव्य भी गति में धर्म की सहायता ग्रहण करते हैं। जैन धर्म 'जैन' द्वारा उपदिष्ट मार्ग को ही अपना धर्म मानता है। 'जिन' का अर्थ जीतने वाला। जिसने अपने आन्तरिक विकारों को जीत लिया हो वही 'जिन' है। महावीर केवल साधु न थे बल्कि वे तपस्वी भी थे। उन्होंने धर्म रूपी प्रदेश में प्रवेश के लिए चार द्वार निर्धारित किए है-क्षमा, सन्तोष, सरलता और नम्रता। उत्तम धर्म के लिए व्यक्ति को सरल होकर आत्मा के धर्म का पालन आवश्यक है। अहिंसा अपरिग्रह को भगवान महावीर ने मानवीय एकता का महान सिद्धांत स्वीकार किया है। इस प्रकार जैन दर्शन तत्त्व ज्ञान से भरा हुआ है तथा हमारे व्यावहारिक जग्त का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है।

जहां तक धर्म के लक्षण का संबंध है भारतीय संस्कृति के भीतर वह इस प्रकार घुला मिला है कि हम उसे पृथक् करने में कभी-कभी असमर्थ हो जाते हैं। तैत्तिरीय आरण्यक में लिखा है कि धर्म सम्पूर्ण विश्व की प्रतिष्ठा है और धर्म में ही सब प्रतिष्ठित हैं। अत: धर्म सर्वश्रेष्ठ है। वह स्वभावत: विकसित है इसीलिए वह अभ्युदय और नि:श्रेयस का साधक भी है। भारतीय धर्म विषय सुख को महत्त्व न देकर आत्मिक सुख को जीवन का अंग मानता है। इसमें अशेष आनन्द और महा करुणा का एक विचित्र संगम हुआ है। भारतीय धर्म प्राणि मात्र के प्रति प्रेम, मैत्री और सहाय्य (सहायता) की भावना से पूर्ण है। मनु ने धर्म का दशविध वर्णन किया है तो जैन धर्माचार्यो ने दस प्रकार के धर्मों अर्थात् सद्गुणों का वर्णन किया है जो एक साथ गृहस्थ और श्रमण दोनों के लिए समान रूप से आचरण योग्य हैं वे हैं—क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचनता और ब्रह्मचर्य। इनके द्वारा अनेक विकारों का शमन हो जाता है और धर्म में गति होती है।

मानव जीवन में पतन के अनेक मार्ग खुले हुए हैं। शारीरिक शक्ति का अहंकार, तपस्या का अहंकार, रूप का अहंकार, ज्ञान और ऐश्वर्य का अहंकार अनेक रूपों में असद्गुण हमारे जीवन को आक्रान्त करते रहते हैं। आत्म स्वभाव को आच्छन्न करने वाली वृत्तियों को हमें निर्मूल करना है। उत्तम सत्य निष्ठा पूर्वक हमारे समस्त अनुशासन का मूल रूप है। आत्मा द्रव्य है। चूँकि द्रव्य का लक्षण सत्य है। इसलिए वह सत्य स्वाभाविक है। सत्य का अर्थ ही है जिसकी त्रिकालाबाधित सत्ता हो। जिस पदार्थ की जिस रूप में सत्ता हो उसे उसी रूप में जानना सत्य ज्ञान है। असत्य की सत्ता सदा से सापेक्ष रही है। जीव का अजीव में अभाव, अजीव का जीव में अभाव। इसका अर्थ है कि जीव की अपेक्षा अजीव असत् और अजीव की अपेक्षा जीव असत् है। किन्तु जो कुछ भी है वह

सब सत्य है। असत्य कुछ भी नहीं। इस तरह असत्य, वस्तु में नहीं उसे जानने वाले के ज्ञान में है। मानने वाले की श्रद्धा में है। असत्य या तो वाणी में होता है या ज्ञान में, वस्तु में नहीं। वस्तु को अपने ज्ञान और वाणी के अनुरूप नहीं बनाया जा सकता। अत: आत्म तत्त्व ही परम सत्य है। ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के द्वारा हमारा समस्त जीवन व्यवहार चल रहा है। समस्त जैनाचार्यो ने काय, क्लेश, भय, हठ, योगादि उपायों को छोड़कर मन आदि इन्द्रियों के वश में करने के लिए भेद विज्ञान अथवा वैराग्य भावना पर बल दिया है। इन्द्रिय सुख क्षणिक है। अत: सुख का भोग करके तृष्णा रूपी रोग मिटने की अपेक्षा और बढ़ जाता है। जैन दर्शन के अनुसार पूर्व संचित कर्मो के क्षय के लिए तप आवश्यक है और संयम से भावी कर्मो का अभाव अथवा निरोध होता है। समस्त रागादि के त्याग पूर्वक आत्मस्वरूप में लीन होना और आत्मलीनता के द्वारा विकारों पर विजय पाना ही तप है। इस तप के द्वारा मुक्ति शीघ्र प्राप्त होती है। जैनाचार्यो ने प्रायश्चित्त तप और विनय तप द्वारा आत्मा के धर्म को प्राप्त करने का मार्ग सुझाया है। इसीलिए जैन मुनि त्याग पर विशेष बल देते हैं, उनके लिए अपरिग्रह आवश्यक है। उत्तम ब्रह्मचर्य द्वारा वे विशुद्ध आत्मा में रमते हैं। ब्रह्म 'शब्द' का अर्थ है निर्मल ज्ञान स्वरूप आत्मा है। निजात्मा में लीन होना ही ब्रह्मचर्य है। तथापि जब तक हम अपने आत्मा को नहीं जानेंगे, नहीं मानेंगे तब तक उसमें लीनता सम्भव कैसे होगी। उत्तम ब्रह्मचर्य एक लक्षण भाव है इसीलिए जैन धर्म इसे प्रमुख स्थान प्रदान करता है।

जैन दर्शन समस्त वैदिक दर्शन में जो भी उच्च और उदात्त है उसको अपने दर्शन में स्थान देकर उसको पूर्णत: गरिमामय बना देता है। जैन दर्शन में सागार, अनगार धर्म की प्रधानता है। सागार या गृहस्थ धर्म का लक्षण देते हुए बताया गया है कि गृहस्थ अविद्या के दोष से उत्पन्न आत्मज्ञान से विमुख और विषयों के प्रति सदा उन्मुख रहा करते हैं। अनगार का अर्थ ही है घर और घर कहने से सभी परिग्रह आ जाते हैं। अत: सागार के अन्तर्गत गृहस्थाश्रम धर्म को मानकर ही इस धर्म के संबंध में सोचा जा सकता है। इसमें परनिन्दा और कठोरता को दूर रखने की कोशिश है। आत्मा के सम्यक् दर्शन आदि गुणों को ही धर्म कहते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को स्थान दिया गया है। गृहस्थाश्रम में योग्य आहार-विहार रहना आवश्यक है जिससे मन दूषित न हो। जितेन्द्रियता और धर्म विधि श्रवण आदि इसके उपाय हैं। इस प्रकार दोष रहित सम्यक्त्व, बारह व्रत, पाँच-पाँच अतिचार रहित बारह व्रत और मरण समय में विधि पूर्वक सल्लेखना आदि श्रावक का सम्पूर्ण धर्म है।

इसी प्रकार अनागार का अर्थ होता है-घर को त्याग देना। जैन दर्शन में सकल चारित्र के धारक अनगार साधु के 28 मूल गुण की चर्चा है जो चारित्र लक्ष्मी प्राप्ति के मूल कारण हैं। पंच महाव्रतों द्वारा संयम की शुरूआत होती हैं और इस प्रकार अनगार धर्म अपने समस्त लक्षणों के साथ प्रतिस्थापित होकर इस दर्शन को समपूर्णता प्रदान करता है। इस तरह यह सिद्ध होता है कि सागार हो या अनगार जैन धर्म में दोनों के लिए एक विस्तृत आचारशास्त्र बना हैं आचार को ही परमधर्म माना गया है। आचार से ही धर्म अच्छा बुरा समझा जाता है। जैन धर्म में सकल चरित्र के धारक साधुओं के भिन्न-भिन्न विशिष्ट गुणों के कारण उन्हें ऋषि, यति, मुनि के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार जैन धर्म के जितने भी तात्त्विक गुण हैं वे उसके मूलभूत अर्थ को प्रकाशित करने में सर्वथा समर्थ हैं।

जैन दर्शन धर्म के उन साधनों का भी विस्तृत उल्लेख करता है जिन्हें धर्म पाद कहा गया है। वैदिक दर्शन में जैसे धर्म के दश तत्त्वों का उल्लेख है उसी प्रकार जैन धर्म साधन रूप से धर्म के तीन पादों की स्वीकृति देता है जिन्हें सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र के नाम से जाना जाता है। बौद्ध दर्शन में यही अष्टांगिक मार्ग है। पुन: प्रत्येक धर्म के तत्त्वों की व्याख्याएं विभिन्न देश काल और अवसर में उत्पन्न अर्हत्, मुनि और सिद्ध पुरुषों द्वारा की गई हैं किन्तु उनका सम्यक् रूप एक ही है। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार जीव ज्ञान-दर्शन रूप चैतन्य भाव को धारण करने वाला है। चेतना रहित द्रव्य अजीव है। इस प्रकार सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र की विभिन्न व्याख्या उसके अनेक भेदों के साथ प्रकट होती है। जैनाचार्यो ने इस संदर्भ में खूब विचार मन्थन किया है। ज्ञान के अन्तर्गत किसी प्रकार के आरोप से अपने को अलग रखा गया है। आत्म तत्त्व के वास्तविक कल्याण साधन के मार्ग को पहचानना ही सम्यक् ज्ञान है। सम्यक् चारित्र राग-द्वेष रहित होकर आचरण के अनुष्ठान का ही नाम है।

इस तरह सम्यक् दर्शन, ज्ञान और चरित्र में पूर्ण समन्वय रखना ही धर्म के साधनों को प्राप्त करना है। यहाँ धर्म के लक्ष्य पर भी विचार किया गया है। क्योंकि धर्म का लक्ष्य अन्तत: मोक्ष ही है। जैन दर्शन मोक्ष के अन्तर्गत बंधन के कारणों पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करता है साथ ही मोक्ष के स्वरूप का विवेचन कर यह सिद्ध करता है कि आत्मा का गुण स्वत: में मोक्ष है। इस मोक्ष के भी तीन साधन दर्शन, ज्ञान और चारित्र हैं। इन्हीं का समन्वय मोक्ष का द्वार विवृत करता है। मोक्ष के लिए ईश्वर की कल्पना आवश्यक नहीं है, क्योंकि मोक्ष जीव का होता है और आत्मा पर पड़े रज को हटाकर वह उसकी सम्पूर्णता का पूरा ज्ञान करा देता है। मोक्ष आत्मा की वह विशुद्धावस्था है जिसमें उसका किसी भी विजातीय तत्त्व के साथ संयोग नहीं रहता और सम्पूर्ण विकारों का अभाव होकर आत्मा स्वस्वरूप में स्थित हो जाती है। इस प्रकार मोक्ष या मुक्ति जैन दर्शन में जीवन का एक अभिन्न अंग है।

प्राय: प्रत्येक युग में धर्म के अंगो पांगों में कोई न कोई विशेषता उत्पन्न कर समय के अनुसार उसे महत्त्व दिया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य अंग उपेक्षित या बेकार हो गए और अब उनकी आवश्यकता कभी नहीं रहेगी। अपितु उस अंग विशेष के बिना समस्त की कल्पना ही सम्भव नहीं है। जैसे राजनीति में राज्य के स्वरूप निर्धारण में उसके अंगों का चर्चा

होती है वैसे ही धर्म में भी धर्म प्रत्येक मानव को धारण करना है। अतः इसे सृष्टि के मूल में, पृथ्वी के मूल में और मानव मात्र के मूल में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार कोई भी धर्म जो पूर्व में था वह सनातन रूप में आज भी विद्यमान है। परिवर्तन अर्थवत्ता और ग्राह्यता के आधार पर ही निर्धारित होता है। जैन धर्म या बौद्ध धर्म का विकास ऐसी ही आवश्यकता के फलस्वरूप हुआ है। जैन धर्म ने सम्यक् दर्शन और चारित्र के आधार पर एक ऐसा समन्वय बोध उत्पन्न किया जिससे मानव जीवन में आमूल परिवर्त्तन की विविध सम्भावनाएं प्रकट हुई हैं।

जैन धर्म ने मानव के मानवत्व को नये सिरे से समाज के सामने रखा। इसमें सबसे आवश्यक था मानव-मानव में परस्पर प्रेम का भाव। पशु भाव से अपने को अलग रखना मानव का प्रथम चिन्ह् बना। राग-द्वेष को ही सारे बन्धनों के मूल में मानकर षट् दोषों को दो दोषों में समाहृत कर उनका अध्यावसान कर दिया गया। इससे मनुष्य की अन्तः वृतियां विशेष रूप से प्रच्छालित हो जाँय, यह ध्यान सदा रखा गया। हिंसा वृत्ति को सभी पापों का मूल मानकर एक परम वैज्ञानिक सत्य को जीवन में उतारने का सबसे बड़ा प्रयत्न जैन धर्म में हुआ। यह धर्म मनुष्य मात्र के लिए सारे देश और काल की सीमा को लांघकर एक विश्व धर्म में प्रकट हो सकता है। मनुष्य अपनी कितनी नैतिक और आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है और दूसरों की प्रगति में सहायक हो सकता है, इसकी सर्वाधिक सम्भावना जैन धर्म में दिखाई पड़ती है। मनुष्यता के इस परिवर्तन में इतिहास और पुराण का समस्त नवनीत एकत्र हो गया और मनुष्य मात्र के लिए वह धर्मावलम्बी हो या नहीं किन्तु एक विशेष धर्म का दर्शन हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ। मनुष्य कतिपय गुणों एवं आदर्श की डाल को पकड़ कर सारे भूतों से प्राप्त शक्ति को अपने लिए और उनके लिए कैसे प्रकट कर सकता है, जैन धर्म ने इसी को जीवन का दृष्टिकोण बना लिया और तीर्थकरों के वाक्यों को ही इस धर्म का मूल आधार स्वीकार कर लिया। यह विशुद्धता आज भी मानव की सम्पूर्णता के लिए आवश्यक है। ऐसा आचरण वाला प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर हो या नहीं विशुद्ध मानव होकर अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानने में समर्थ अवश्य हो सकता है। मनुष्य कितना महान है, कितनी उसके भीतर शक्ति छिपी है और वह स्व स्वरूप को पहचान कर ईश्वरत्व के कितने निकट पहुंच सकता है, इसकी विस्तृत व्याख्या जैन धर्म-दर्शन करता है। इस प्रकार जैन दर्शन में जो धर्म का स्वरूप व्याख्यायित है, वह मानव के सर्वांगीण विकास का प्रेरक, सदाचारमय जीवन का उपजीव्य एवं उसके सर्वोच्च आध्यात्मिक उत्कर्ष-मोक्ष सुख का प्रापक है।

सहायक ग्रन्थ की सूची

1. अंगुत्तरनिकाय (तीन भाग): अनु. भदन्त आनन्द कौशल्यायन, महाबोधि सभा, कलकत्ता।
2. अध्यात्म-पदावली: सं. प्रो. राजकुमार जैन, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम संस्करण-1954.
3. अनगारधर्मामृत : पं. आशाधर, अनु. पं. कैलाश चन्द्र शास्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली- 1977.
4. अनगारघर्मामृत : पं. आशाधर, माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला, बम्बई, 1919.
5. आधुनिक युग में धर्म : राधाकृष्णन् अनु.-प्रयागशुक्ल राजकमल प्रकाशन प्रा.लि., दिल्ली -6, प्रथम संस्करण -1968.
6. अनुत्तरोपपातिकदशा : सम्पा. श्री मधुकर मुनि, श्री आगम प्रकाशन समिति, व्यावर, राजस्थान, 1981.
7. अभिधानराजेन्द्र कोश : श्री विजय राजेन्द्र सूरि जी, रतलाम।
8. आचारांगशीलांक वृति : आगमोदय समिति, बम्बई, 1916.
9. आचारांग सूत्र : आगमोदय समिति, सूरत।
10. आचारांग सूत्र (दो भाग): आचार्य आत्माराम जी जैन, आगम प्रकाशन समिति, लुधियाना, 1963.

जल सम्पन्न उत्तर बिहार की कमला-बलान नदी बेसिन मे भूजल की समस्या

डॉ० सुभ कुमार साहु

एसोसिएट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर भूगोल विभाग, जे. एम. डी. पी. एल. महिला कॉलेज, मधुबनी

मो० रेयाज अंसारी

असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर भूगोल विभाग, आर. के कॉलेज, मधुबनी

सारांशः-

जल संपन्न उत्तर बिहार की कमला-बलान नदी बेसिन मे भूजल की कमी की समस्या का आना चिंता का विषय है। एक समय था जब उत्तर बिहार में वर्षा खूब हुआ करती थी, गांवों में तालाबों, पोखरों, आहर तथा पाईन की भी कोई कमी नहीं थी फिर समय आया जब आजादी के बाद वैज्ञानिक कृषि के नाम पर चारों ओर नलकूप गाड़े जाने लगे तथा तालाबों, पोखरों आदि को भरने का काम शुरू हुआ फिर भी स्थिति नियंत्रण में थी क्योंकि अब भी वर्षा समय पर तथा सही मात्रा में हो जाया करती थी और भूमिगत जल प्राकृतिक रूप से रिचार्ज हो जाया करता था।

परंतु वर्तमान मे मानव ने भूजल संसाधन का इतना अधिक दोहन किया है कि उसकी मात्रा संकुचित होती चली गई है। भूतल पर मौजूद ज्यादातर जलश्रोत, ताल, तलैया, पोखर, झील और छोटी नदियों का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, तथा जो बचे हैं उन्हें दूषित कर दिया गया है। पहले वर्षा का जल इन्हीं जलश्रोतों में जमा होकर वर्ष प्रयंत धरती की कोख में रिस-रिस कर जाता रहता था और भूजल स्तर को उचा करने के साथ-साथ उसे निर्मल भी बनाता रहता था। परंतु आज इन जलश्रोतों के खत्म होने और भूतल के एक बड़े हिस्से का कँक्रीटीकरण होने से भूजल के स्वतः रिचार्ज होने की प्रक्रिया बाधित हो चुकी है। जिस कारण विगत वर्षों में उत्तर बिहार की कमला-बलान नदी बेसिन में भूमिगत जल स्तर में 10 से 20 फीट की गिरावट आई है।

बिहार सरकार ने जल-जीवन-हरियाली अभियान चलाकर आम लोगों को भी इसमें शामिल करने की मुहिम चला रही है। इस जन अभियान में सोख्ता निर्माण, वर्षा जल संग्रहण सदृश कार्यक्रमों को जोड़ा गया है। प्रस्तुत आलेख में कमला बलान नदी बेसिन क्षेत्र के गिरते भूजल स्तर एवं इससे निदान की संभावनाओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य बिंदूः- परिचय, उद्देश्य, अध्ययन क्षेत्र, भूमिगत जल, भूमिगत जल का गिरता स्तर-कारण, जल-जीवन-हरियाली कार्यक्रम (सरकारी प्रयास), कार्यप्रणाली

परिचयः-

वर्ष 2019 में अपनी नदियों, धाराओं, तालाबों के लिए दुनिया भर में जाना जाने वाला जल संपन्न उत्तर बिहार भीषण सूखे की चपेट में था। हैंड-पंप सूख गये थे, भूमिगत जलस्तर तेजी से नीचे गिर रहा था। एशिया का मीठे पानी का सबसे बड़ा गोखुर झील कावर पूरी तरह सूख गई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी वजह भूमिगत जल का असंतुलित दोहन और तालाब-नदियों-चौरों पर कब्जा किया जाना है।

एक समय था जब बिहार में बरसात भी खूब हुआ करती थी। गांवों में कुओं-तालाबों की भी कोई कमी नहीं थी फिर समय आया जब आजादी के बाद वैज्ञानिक कृषि के नाम पर चारों तरफ नलकूप गाड़े जाने लगे और कुएँ-तालाबों को भरने का काम शुरू हुआ फिर भी स्थिति नियंत्रण में थी क्योंकि अब भी वर्षा समय पर तथा सही मात्रा में हो जाया करती थी और भूमिगत जल प्राकृतिक रूप से रिचार्ज हो जाया करता था। परंतु वर्तमान में भूजल का अतिदोहन किये जाने के कारण भूमिगत जल-स्तर में तेजी से कमी आई है। यही नहीं भूमिगत जल पुनर्भरण के स्रोत, ताल- तलैया, पोखर, आहर, पईन आदि को समाप्त कर दिया गया है तथा जो बचे हैं उन्हें दूषित कर दिया गया है या किया जा रहा है, जिस कारण पिछले 2 सालों में लगभग पूरे बिहार में भूमिगत जल स्तर में 10 से 20 फीट की कमी आई है और जो जल प्राप्त हो रहा है उसमें प्रदूषकों की मात्रा काफी है। स्थिति इतनी खतरनाक हो चुकी है कि पीने के पानी की कमी होने लगी है तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिर भविष्य में खेती के लिए पानी कहाँ उपलब्ध हो पायेगा।

वर्ष 2019 के अगस्त महीने में उत्तर बिहार के कई जिलों में भीषण बाढ़ आई। कुछ दिनों तक उत्तर बिहार तथा हिमालय की तराई में होने वाली भारी वर्षा के कारण गंडक, बागमती, कमला, कोसी और परमान जैसी उत्तर बिहार की अधिकांश नदियां खतरे के निशान को पार कर गयी थी। पूर्वी चंपारण, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया था। इससे मात्र दो-तीन हफ्ते पहले तक उत्तर बिहार का यह क्षेत्र भीषण सूखे का सामना कर रहा था।

ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर उत्तर बिहार में एक ही साल में सूखा और बाढ़ दोनों स्थितियां कैसे पैदा हो जाती हैं।

उद्देश्यः-

1. भूमिगत जल स्तर गिरने के कारण क्या हैं?
2. भूमिगत जल स्तर को कैसे ठीक रखा जा सकता है।

अध्ययन क्षेत्रः-

गंगा के उत्तरी तट से लेकर नेपाल की तराई तक फैला एक विस्तृत भूभाग, जिसे उत्तर बिहार का मैदान के नाम से जाना जाता है, कमला-बलान नदी बेसिन इसी उत्तरी बिहार के मैदान का एक छोटा भाग है। उत्तरी बिहार मे कमला-बलान नदी बेसिन का विस्तार 25°33′54″N से 27°15′N उत्तरी अक्षांश और 85°57′E से 86°35′E पूर्वी देशांतर के बीच है। कमला-बलान नदी बेसिन पूरब में कोसी, पश्चिमी में अधवारा समूह की नदियों, उत्तर में हिमालय पर्वतमाला तथा दक्षिण में करेह नदी से बंधी हुई है। केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार कमला-बलान नदी बेसिन का कुल जलग्रहण क्षेत्र 7232 वर्ग किलोमीटर है जिसमें से 4488 वर्ग किलो मीटर बिहार में तथा बाकी 2744 वर्ग किलो मीटर नेपाल में पड़ता है। भारतीय भाग मे कमला बलान बेसिन के जलग्रहण क्षेत्र का अधिकांश भाग मधुबनी, दरभंगा तथा समस्तीपुर जिले मे पड़ता है, जबकि सहरसा, सुपौल और खगड़िया जिले में कमला-बलान नदी बेसिन का बहुत ही छोटा हिस्सा आता है।[1]

मानचित्र - 1: कमला बलान नदी बेसिन

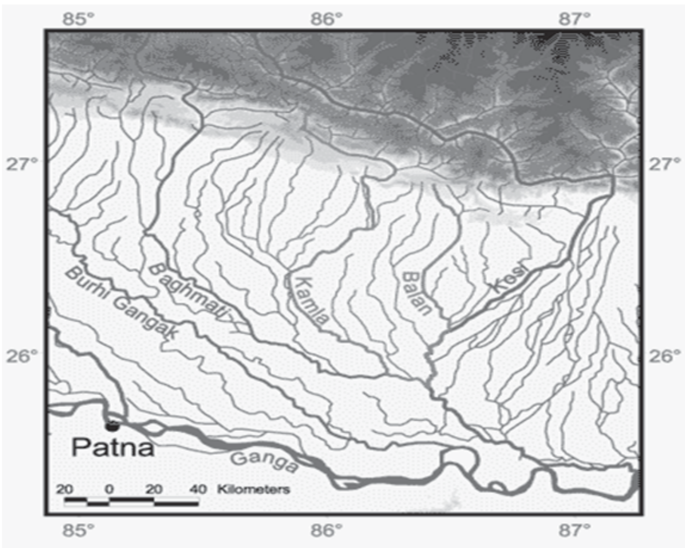

श्रोत - आईआईटी खड़गपुर का आलेख[2]

भूमिगत जल (Ground water):-

पृथ्वी पर समस्त अलवण जल का स्रोत वर्षा है। जब वर्षा होती है तो पृथ्वी पर गिरने वाला जल धारा के रूप में प्रवाहित होकर नदी, नालों, झरनों, तालाबों अथवा झीलों में चला जाता है। यह जल सतही जल (Surface water) कहलाता है।[3] वर्षा जल और सतही जल का कुछ भाग भूमि के अन्दर मृदा क्षेत्र में अवशोषित होकर एकत्र होता रहता है। जब मृदा क्षेत्र संतृप्त हो जाती है तो यह जल धीरे-धीरे संचारित होकर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से भूमि के नीचे चला जाता है और जलभृतो (Aquifers) के रूप में संचित होता रहता है, और यही संचित जल भूमिगत जल (Ground water) कहलाता है।[4] इस प्रकार जल हमें बहते हुए जल, रुके हुए जल या भूमिगत जल के विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। नदी, नाले, झरने आदि बहते हुए जल के जबकि तालाब, झील, पोखर, आहार, पाईन आदि रुके हुवे जल के उदाहरण हैं। भूजल, जिसे भूमिगत या भौमजल कहा जाता है, भूमि के नीचे जलभृतों (Aquifer) में मिलता है। भूमिगत जलस्रोत का इस्तेमाल कुओं की खुदाई अथवा हैंडपम्पों और ट्यूबवेलों द्वारा किया जाता है।

जल का उपयोग पेयजल तथा सिंचाई, पशुपालन, परिवहन, उद्योग, जलविद्युत उत्पन्न करने तथा मत्स्य पालन आदि विभिन्न कार्यों में होता है। पेयजल, सिंचाई तथा उद्योगों में भूमिगत जल यानी ग्राउंड वॉटर का व्यापक तौर पर इस्तेमाल होता है। गाँवों में, जहाँ आज भी 80 प्रतिशत लोगों को नल का पानी उपलब्ध नहीं है, पेयजल के लिये भूमिगत जल पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसे कुओं, हैंडपम्पों तथा ट्यूबवेलों द्वारा प्राप्त किया जाता है। भारत में कृषि कार्य के लिये किसान भूमिगत जल पर ही निर्भर हैं। इस समय देश में 50 प्रतिशत से भी अधिक सिंचाई भूमिगत जल से होती है। उद्योगों में भी भूमिगत जल की बड़ी माँग है। खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग) से लेकर वस्त्र उद्योगों तक में भूमिगत जल का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है।

भूमिगत जल का गिरता स्तर- कारण

1. तेजी से बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता औद्योगिकीकरण, शहरीकरण के अलावा ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न जलवायु परिवर्तन भी इसके लिये जिम्मेदार हैं।
2. बढ़ती जनसंख्या के कारण जहाँ जल की आवश्यकता बढ़ी है वहीं प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता भी समय के साथ कम होती जा रही है। एक आकलन के अनुसार सन 2000 में जल की आवश्यकता 750 अरब घन मीटर (घन किलोमीटर) यानी 750 जीसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) थी। सन 2025 तक जल की यह आवश्यकता 1050 जीसीएस तथा सन 2050 तक 1180 बीसीएम तक बढ़ जाएगी।
3. स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में प्रति व्यक्ति जल की औसत उपलब्धता 5000 घन मीटर प्रति वर्ष थी। सन 2000 में यह घटकर 2000 घन मीटर प्रतिवर्ष रह गई। सन 2050 तक प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1000 घन मीटर प्रतिवर्ष से भी कम हो जाने की सम्भावना है। स्पष्ट है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की उपलब्धता कम हो जाने के चलते भूमिगत जल पर भी दबाव बढ़ा जिसका परिणाम इसके गिरते स्तर के रूप में सामने आया।[5]

4. बढ़ते औद्योगिकीकरण तथा गाँवों से शहरों की ओर तेजी से पलायन तथा शहरीकरण ने भी अन्य जलस्रोतों के साथ भूमिगत जलस्रोत पर भी दबाव उत्पन्न किया है। भूमिगत जल-स्तर के तेजी से गिरने के पीछे ये सभी कारक भी जिम्मेदार रहे हैं।
5. जल प्रदूषण की समस्या ने बोतलबन्द जल की संस्कृति को जन्म दिया। बोतलबन्द जल बेचने वाली कम्पनियाँ भूमिगत जल का जमकर दोहन करती हैं। नतीजतन, भूजल-स्तर में गिरावट आती है। गौरतलब है कि भारत बोतलबन्द पानी का दसवाँ बड़ा उपभोक्ता है। हमारे देश में प्रति व्यक्ति बोतलबन्द पानी की खपत पाँच लीटर सालाना है।
6. पहले तालाब बहुत होते थे जिनकी परम्परा अब लगभग समाप्त हो चुकी है। इन तालाबों का जल भूगर्भ में समाहित होकर भूजल को संवर्द्धित करने का कार्य करता था। लेकिन, बदलते समय के साथ लोगों में भूमि और ध न-सम्पत्ति के प्रति लालच बढ़ा जिसने तालाबों को नष्ट करने का काम किया। वैसे वर्षा का क्रम बिगड़ने से भी काफी तालाब सूख गए। रही-सही कसर भू-माफियाओं ने पूरी कर दी। उन्होंने तालाबों को पाटकर उन पर बड़े-बड़े भवन खड़े कर दिए अथवा कृषिफार्म बना डाले।
7. धरातल से विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल के भूगर्भ में पहुँचने के कारण ही भूजल की सृष्टि होती है। इन स्रोतों में एक है वर्षा का जल जो पाराम्य शैलों से होकर रिस-रिसकर अन्दर पहुँचता है। शैल रंध्रों में भी जल एकत्रित होता है। जब कोई शैल पूर्णतया जल से भर जाती है तो उसे संतृप्त शैल कहते हैं। शैल रंध्रों के बन्द हो जाने से जल रिसकर नीचे नहीं जा पाता है। इस प्रकार जल नीचे न रिसने के कारण भूमिगत जल की कमी की समस्या बढ़ी है जिसे नीचे दिए गए मानचित्र से समझ जा सकता है।

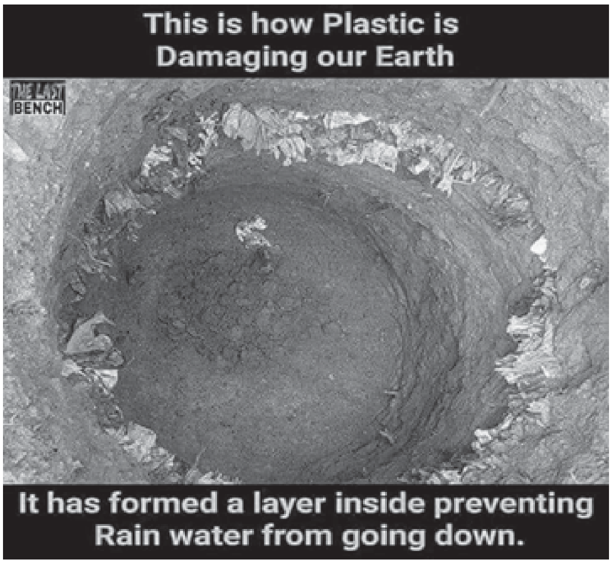

मानचित्र- भूमिगत जल रिसाव मे कमी के कारण

8. ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न जलवायु परिवर्तन से वर्षा का जल-चक्र गड़बड़ा गया है जिससे वर्षा की मात्रा कम हो गई है। दूसरी ओर, वृक्षों को अन्धाधुन्ध काटने से वनक्षेत्र कंक्रीट के जंगलों में तब्दील होते जा रहे हैं। नतीजन वर्षा का जल भूमि के अन्दर समाहित नहीं हो पाता है जो खारा होने के कारण किसी काम का नहीं रह जाता।

बिहार के जल संसाधन विभाग के पूर्व सचिव गजानन मिश्र कहते हैं, आज भले ही राज्य की बड़ी नदियां लबालब दिख रही हैं, मगर जितनी छोटी नदियां हैं, उनमें बहुत कम पानी है। उत्तर बिहार में अगर दस बड़ी नदियां हैं तो दो सौ से अधिक छोटी जलधाराएं भी हैं। इनमें 80 के करीब तो आज भी जीवंत हैं। मगर इनमें से किसी में आज एक-दो फुट से अधिक पानी नहीं है। इसके अलावा चौर इस क्षेत्र की खास विशेषता हुआ करती थी, आजादी के बाद तक हर गांव का 6 से 10 फीसदी क्षेत्र इन चौरों से ही आच्छादित हुआ करता था। मगर बाढ़ सुरक्षा के नाम पर बने तटबंधों के कारण इन छोटी नदियों और चौरों का बड़ी नदियों से संपर्क कट गया है।

जब ये तटबंध नहीं थे, तब बाढ़ आती थी तो बड़ी नदियों का पानी इन छोटी सहायक नदियों, चौरों और इनसे जुड़ी झीलों में बंट जाता था, जिससे बाढ़ का प्रभाव कम हो जाता था और जब गर्मियों में बड़ी नदियों में पानी घटता तो ये छोटी नदियां और चौर बड़ी नदियों को पानी वापस कर देतीं। इससे बाढ़ का खतरा भी कम हो जाता और सूखे के मौसम में भी नदियों में पानी होता। यह जल संरक्षण की हमारी नैसर्गिक व्यवस्था थी।

अब पानी मुख्य धारा तक ही सीमित है, इसलिए बाढ़ का पानी अक्सर निवास स्थलों तक पहुंचने लगा है और गर्मियों में ये नदियां पूरी तरह सूखने लगी हैं।

पिछले तीन दशक से उत्तर बिहार की नदियों के व्यवहार और इस क्षेत्र में बाढ़ और सुखाड़ के संकट का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ दिनेश मिश्र कहते हैं कि यह पहली दफा नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में कई ऐसे अवसर आये हैं जब बाढ़ और सूखा एक ही साल में एक साथ पड़ा है। 1954 में जब राज्य में भीषण बाढ़ आयी थी, उस साल हथिया नक्षत्र के समय में पानी नहीं पड़ा और किसानों को सूखे का सामना करना पड़ा। बाद में 1957, 1960, 1966-67, 1970, 1972 में भी यह स्थिति उत्पन्न हुई। 2007 के बाद से तो ऐसा कई बार हुआ। वर्ष 2019 में भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। दरअसल पूरे साल चाहे जितनी बारिश हो, अगर रोहिणी, आद्रा और हथिया नक्षत्र में पानी नहीं पड़ा तो सूखे की स्थिति बन ही जाती है।[6]

वर्ष 2022 का अध्ययनः-

15 जुलाई 2022 मधुबनी जिले के 12 प्रखंडों में औसत जलस्तर सामान्य से काफी नीचे के लेवल में चला गया था। सामान्य जलस्तर से औसतन 15.10 फीट नीचे वाटर लेवल मापा

गया था। इन 12 प्रखंडों में वाटर लेवल नीचे चले जाने से इन क्षेत्रों में जलसंकट काफी गहराता जा रहा था। इन प्रखंडों में घर के चापाकल पानी देना बंद कर दिया था। इन क्षेत्रों में हर घर नल जल योजना भी फेल थी।[7]

लगातार गिर रहा जल स्तर (वाटर लेवल):- इस साल मार्च में मधुबनी जिले का औसत वाटर लेवल 12 फीट 2 इंच नीचे पाया गया। वहीं अप्रैल के अंत में 15 फीट 9 इंच, मई के अंतर में भी यही स्थिति बनी रही। वहीं जून के अंत में 15 फीट 6 इंच नीचे पाया गया। जुलाई के प्रथम पक्ष में यह लेवल 15 फीट 10 इंच पर चला गया है। तालिका-1 में मधुबनी जिले के भूमिगत जल स्तर (वाटर लेवल) को दर्शाया गया है।

तालिका-1: 15 जुलाई 2022 के अनुसार भूमिगत जल स्तर (फीट में)

प्रखण्ड का नाम	भूमिगत जल स्तर गिरावट (फिट में)
मधवापुर	17
हरलाखी	16
बासोपट्टी	13
जयनगर	13
लदनिया	14
खुटौना	18
लौकही	20
फुलपरास	16
बाबूबरही	16
अंधराठाढ़ी	17
बेनीपट्टी	16
बिस्फी	**17**
खजौली	12
कलुआही	15
रहिका	18
पंडौल	16
राजनगर	16
झंझारपुर	14
घोघरडीहा	14
लखनौर	13
मधेपुर	12

श्रोत- प्रभात खबर 15 जुलाई 2022

अध्ययन क्षेत्र में जल संसाधन संरक्षण एवं संवर्धन

जल संसाधन, संरक्षण और संवर्धन वर्तमान की मांग है। जल न्यूनता या सूखा एवं जल आधिक्य या बाढ़ दोनों ही समस्याएं जल संकट के दो पहलू हैं। उत्तर बिहार मे जल संकट मे निरंतर अभिवृद्धि हो रही है। संयुक्त राष्ट्र सहित कई वैश्विक एजेंसियों की रिपोर्ट से यह संकेत मिले हैं कि यदि जल की वर्तमान उपभोग स्थित में कोई बदलाव नहीं किया जाता है और निवारक उपायों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो 2050 तक दुनियाभर में ताजे पानी के स्रोत अर्थात भूजल समाप्त होने शुरू हो जाएंगे।

इन परिस्थितियों में हम वर्षा के जल को भूगर्भ जलस्रोतों में पहुँचाकर जल का भूमिगत संवर्धन कर सकते हैं। वर्षा जल को एकत्रित करने की प्रणाली चार हजार वर्ष पुरानी है। इस तकनीक को आज वैज्ञानिक मापदण्डों के आधार पर फिर पुनर्जीवित किया जा सकता है। जल संरक्षण हेतु निम्नांकित प्रयास किए जा सकते है:-

1. जल संरक्षण का आसान एवं घरेलू उपाय

1. घर के लॉन को कच्चा रखें।
2. घर के बाहर सड़कों के किनारे कच्चा रखें या लूज स्टोन पेवमेंट से निर्माण करें।
3. पार्कों में रिचार्ज ट्रेंच बनाई जाये।

2. कृषि क्षेत्र मे जल संरक्षण के उपाय

1. फसलों की सिंचाई क्यारी बनाकर करें।
2. सिंचाई की नालियों को पक्का करें।
3. बागवानी की सिंचाई हेतु ड्रिप विधि व फसलों हेतु स्प्रिंकलर विधि अपनायें।
4. बगीचों में पानी सुबह ही दें जिससे वाष्पीकरण से होने वाला नुकसान कम किया जा सके।
5. जल की कमी वाले क्षेत्रों में ऐसी फसलें बोयें जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो।
6. अत्यधिक भूगर्भ जल गिरावट वाले क्षेत्र में फसल चक्र में परिवर्तन कर अधिक जल खपत वाली फसल न उगाई जाये।
7. खेतों की मेड़ों को मजबूत व ऊँचा करके खेत का पानी खेत में रिचार्ज होने दें।

3. उद्योग एवं व्यावसायिक क्षेत्र में जल संरक्षण के उपाय

1. औद्योगिक प्रयोग में लाये गये जल का शोधन करके उसका पुनः उपयोग करें।
2. मोटर गैराज में गाड़ियों की धुलाई से निकलने वाले जल की सफाई करके पुनः प्रयोग में लायें।
3. वाटर पार्क और होटल में प्रयुक्त होने वाले जल का उपचार करके बार-बार प्रयोग में लायें।
4. होटल, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स व उद्योग आदि में वर्षाजल का संग्रहण कर टॉयलेट, बागवानी में उस पानी का प्रयोग करें।

4. जल संरक्षण के सरकारी प्रयास

1. 300 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के निजी मकानों एवं 200 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के सरकारी/गैर सरकारी मकानों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य किया जाए।
2. जहाँ-जहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गई है उनके प्रभावी अनुरक्षण का कार्य किया जाए।
3. तालाबों व पोखरों को अतिक्रमण मुक्त एवं नियमित सफायी की व्यवस्था की जाए।[8]

जल-जीवन-हरियाली कार्यक्रम (सरकारी प्रयास)

2019 तथा उसके बाद बिहार मे अभूतपूर्व जल संकट को देखते हुए जल संरक्षण के तात्कालिक और दूरगामी लक्ष्यों को सामने रखकर राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना ''जल-जीवन-हरियाली'' के नाम से शुरू की है। "जल-जीवन-हरियाली" अभियान को मिशन मोड में लागू कराया जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग को इस हेतु नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है।[9]

जल संकट को देखते हुए राज्य सरकार के नगर विकास विभाग ने 100 वर्गमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल वाले सभी निजी मकानों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने वाले भवनों को सील किया जायेगा। परन्तु इससे पहले हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए 30 दिनों का समय दिया जायेगा। नये भवनों का नक्शा पास कराने के लिए रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्रावधान अनिवार्य होगा। यह नया आदेश सरकारी निजी एवं वाणिज्यिक सभी तरह के भवनों पर लागू होगा। 15 मीटर ऊँचे व 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले वाणिज्यिक भवनों के लिए यह प्रावधान अगस्त 2019 से लागू किया गया है।

जल जीवन हरियाली अभियान के तहत शुरू की गयी इस योजना के अंतर्गत नगर विकास विभाग ने बिल्डिंग बाइलॉज में संशोधन कर सभी निर्मित एवं निर्माणाधीन भवनों के लिए यह अनिवार्य किया है। सरकार ने रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने वाले मकानों को सम्पति कर में-पांच प्रतिशत छूट देने का भी निर्णय किया हैं जो सभी नगर निकायों पर लागू होगा।

भूगर्भीय एवं वर्षाजल को बचाने के दृष्टिकोण से राज्य की प्रमुख छोटी नदियों पर "चेक डैम" व वीयर सदृश जल संरचनाएँ बनायी जायेंगी। चेक डैम वह संरचना है जिसे किसी भी झरने नाले या छोटी नदी के जल प्रवाह की उल्टी दिशा में खड़ा किया जाता हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य वर्षा के अतिरिक्त जल को बांधना होता हैं। यह पानी बरसात के दौरान या उसके बाद भी इस्तेमाल हो सकता है एवं इससे भूजल का स्तर बढ़ता है। पहाड़ी-पठारी इलाकों में नदी-झरनों, नालों आदि पर ऐसी संरचनाएँ बनाने पर विशेष जोर है। वन क्षेत्रों के लिए वन प्रमण्डल पदाधिकारी कार्ययोजना बनायेंगे और कार्यान्वयन पर्यावरण, वन, एवं जलवायु परिवर्तन विभाग करेगा। समतल क्षेत्रों में यह काम लघु जल संसाधन, कृषि व ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जायेगा, जिलों में उपलब्ध सर्वे मानचित्र एवं गूगल मैप के सहारे सभी जल संरचनाओं की पहचान की जायेगी। इसके साथ ही राज्य भर में सभी शहरों एवं गावों में तालाबों, आहर, पइन तथा कुओं समेत ऐसे सभी जलस्रोतों को अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्णय किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी कुएँ एवं चापाकल ठीक से काम करें। इनके आसपास सोख्ते बनाए जायेंगे।

जल संरक्षण के प्रति सरकारी प्रयासों एवं हमारी जागरूकता ही भू-गर्भ जल के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं एवं विलुप्त होते भूगर्भ जल स्तर को पुनर्जीवित कर सकता है।

क्रिया विधिः-

कभी बाढ़ग्रस्त इलाके के रूप में विख्यात बिहार के कमला बलान नदी बेसिन क्षेत्र में वर्ष 2019 ईसवी के ग्रीष्मकाल में व्याप्त जलसंकट की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। 2022 ईसवी के ग्रीष्मकाल मे भूमिगत जल स्तर का विश्लेषण सारणी के माध्यम से किया गया है एवं तत्सम्बंधी महत्त्वपूर्ण सूचना का समावेश किया गया है। समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में छपी सूचना के सन्दर्भों का समावेश अन्त में किया गया है। समस्या के निदान हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकारों द्वारा चलाए जा रहे अभियानों विशेष कर "जल-जीवन-हरियाली" अभियान पर प्रकाश डाला गया है।

संदर्भ (refrence)

1 द्वितीय बिहार राज्य सिंचाई आयोग रिपोर्ट 1994 (अवस-5) पृष्ट-16.

2 https://www.iitk.ac.in/gangetic/interfan/drainage/kamlabalan_patt.htm

3 गुर्जर आर. के. एवं जाट बी. सी. 'जल संसाधन भूगोल' (2019), रावत पब्लिकैशन, पृष्ट -37

4 गुर्जर आर. के. एवं जाट बी. सी. 'जल संसाधन भूगोल' (2019), रावत पब्लिकैशन, पृष्ट -34

5 कुरुक्षेत्र नवम्बर 2017

6 हिंदुस्तान पेपर 17/07/2022

7 प्रभात खबर 15 जुलाई 2022

8 आर. के. गुर्जर एवं बी. सी. जाट 'जल संसाधन भूगोल' (2019), रावत पब्लिकैशन

9 जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

दरभंगा सदर प्रखण्डः पंचायतवार अनुसूचित जातियों की शैक्षणिक स्थिति

डॉ० रतन कुमार झा

पर्यवेक्षकः एसोशिएट प्रोफेसर (भूगोल) मारवाड़ी कॉलेज, दरभंगा

मृत्युंजय कुमार

शोधार्थीः ल०नामि०वि०वि० (भूगोल) दरभंगा

सारांशः

मानव, प्रकृति की रचनाओं में से सबसे महत्वपूर्ण रचना है, जो अपने साथ कुछ जन्मजात शक्तियाँ लेकर आता है। अपने इस जन्मजात शक्तियों को शिक्षा के द्वारा विकसित कर अपने ज्ञान, कला एवं कौशल को नया रूप देते है। शिक्षा ही मनुष्य को एक सभ्य, सुसंस्कृत, योग्य एवं जिम्मेदार नागरिक बनने की शक्ति प्रदान करती है। शिक्षा का मूल उद्देश्य औपचारिक या अनौपचारिक रूप से मानव को आलोचनात्मक विवेक विकसित करना तथा समाज के प्रति निष्ठावान एवं सजग बनाना है।

वर्तमान आर्थिक प्रगति के दौर ने शिक्षा का स्वरूप एवं उद्देश्य को बदल दिया है। आज की शिक्षा में नैतिक मूल्यों का पूर्णतः आभाव हो गया है, जो रोजगार एवं विकास मूलक शिक्षा के विकास का परिणाम है। शिक्षा स्तर की बात करे तो बिहार में निचले वर्ग अर्थात अनूसूचित जाति तथा अनूसूचित जनजातीय वर्ग का शिक्षा स्तर अपने राष्ट्रीय स्तर से बहुत कम है। प्रस्तुत शोध क्षेत्र, दरभंगा सदर प्रखण्ड, में अनुसूचित जातियों की शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है, जो बिहार के औसत दर 48.50% की तुलना में मात्र 35.00% के लगभग है, जो निश्चित ही चिंता का विषय है। शिक्षा के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली अनेक सुविधाओं के बाबजूद इस क्षेत्र के अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक स्थितियों में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। प्रस्तुत शोध क्षेत्र में सर्वे से ज्ञात हुआ कि जो, ग्राम या पंचायत, शहर से नजदीक है, वहाँ शिक्षा का स्तर औसत रूप में है, वहीं जो क्षेत्र शहर से दूर है, वहाँ शिक्षा का स्तर सम्मानजनक नहीं है। प्रस्तुत शोध दरभंगा सदर प्रखण्ड में अनुसूचित जातियों की शैक्षणिक स्थितियों पर दृष्टिगत है।

मुख्य शब्दः- शिक्षा, अनुसूचित जाति, परिवर्तन, स्थिति, उद्देश्य, शक्ति।

भूमिकाः

देश में अलग-अलग समय पर अनुसूचित जाति के लिए भिन्न-भिन्न शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे दलित, पिछड़े, अछूत, शूद्र इत्यादि से संबोधित किया गया है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने इसके लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। "भारत में सबसे पहले अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग अंग्रेजों ने अपने शासन काल में सन् 1935 में किया था, जिसे भारत सरकार ने पाँचवी एवं छठी अनूसूची अधिनियम में रखा। 1936 ई0 में भारत सरकार ने अनुसूचित जाति आदेश पारित किया था, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के दबे-कुचले समुदायों को पहचाना गया था।[1]

हमारे देश के मनीषियों एवं महापुरुषों ने समय-समय पर इस वर्ग का उत्थान करने का प्रयास किया है। स्वतंत्र भारत में संविधान निर्माताओं ने इस वर्ग की स्थिति में सुधार हेतु विशेष सुविधा एवं आरक्षण का प्रावधान किया। इसके अतिरिक्त अलग-अलग समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकारो द्वारा इनके सम्पूर्ण विकास हेतु विभिन्न योजनाएँ लागू की गई। फिर भी इसके शैक्षणिक स्तर में अपेक्षित सुधार संभव नहीं हो सका है। प्रस्तुत शोध क्षेत्र में बिहार के 22 अनुसूचित जातियों की सूची में से मुख्यतः डोम, दुसाध, मुसहर, चमार, हलखोर, खतवे, धोबी इत्यादि जातियाँ निवास करती हैं।

जिनका सर्वेक्षण एवं अध्ययन करके इनके शिक्षा एवं शिक्षा से जुड़ी समस्याओं का विश्लेषण किया जायेगा।

अध्ययन क्षेत्रः

दरभंगा सदर प्रखण्ड भारत देश के उत्तरी बिहार में स्थित दरभंगा जिला के अन्तर्गत समतल मैदानी भू-धरा लिए हुए एक महत्वपूर्ण भू-खण्ड है।

यह प्रखण्ड 187 वर्ग KM. क्षेत्र में विस्तृत है। यह $26^0 15'$ उत्तरी अक्षांश तथा $85^0 91'$ पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। इस प्रखण्ड के उत्तर में क्वेटी रनवे, दक्षिण में बहादूरपूर, पूरब में मनीगाछी तथा पश्चिम में सिंघवारा प्रखण्ड स्थित है। इस प्रखंड की कुल आबादी 280997 है, जिसमें 148422 पुरुष तथा 132575 महिलाएँ है। वहीं अनुसूचित जाति की कुल आबादी 44842 है, जिसमें 23709 पुरुष तथा 21133 महिलायें है। प्रखण्ड की कुल

आबादी का 15.95% अनुसूचित जाति है। शैक्षणिक दृष्टि से इस प्रखण्ड की स्थिति राज्य के औसत से भी कम है। यहाँ की कुल आबादी का साक्षरता दर 45.5% है, जिसमें पुरुष का 62.04% तथा महिलायें 37.95% है। दूसरी तरफ अनुसूचित जातियाँ का साक्षरता दर 34.60% मात्र है, जिसमें पुरुष का अनुपात 64.46% तथा महिलायें 35.53% है।

विधि तंत्र:

विधि तंत्र शोध की आत्मा होती है। विधि तंत्र की सहायता से ही शोध कार्य में आंकड़ों एवं तथ्यों को संकलित करके अनुसंधान के कार्य को एक नया रूप दिया जाता है। इस शोध में पंचायत वार सर्वेक्षण, साक्षात्कार एवं अवलोकन के द्वारा प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण करके शोध कार्य में सत्यता लाने का प्रयास किया गया है। साथ ही भारतीय जनगणना (बिहार) से द्वितीय आँकड़े लिये गये है।

शोध का उद्देश्य:

प्रस्तुत शोध में दरभंगा सदर प्रखण्ड के अनुसूचित जाति के शैक्षणिक स्थिति पर ध्यान आकृष्ट किया गया है। इस प्रखण्ड में अनुसूचित जातियों का शिक्षा स्तर राष्ट्रीय एवं राज्य के औसत स्तर से भी कम है। शिक्षा का यह स्तर बहुत ही चिन्तनीय है, इसके मुख्य कारणों में आर्थिक निर्धनता, जागरूकता की कमी एवं महिलाओं में शिक्षा का अभाव, अस्पृश्यता का भाव आदि प्रमुख है, जो शैक्षणिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे है।

प्रस्तुत शोध में इन्हीं शैक्षणिक अवरोधों के आयामों पर ध्यान परिलक्षित करना है। इस शोध के निम्न प्रमुख उद्देश्य है:-

1. दरभंगा प्रखण्ड में अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक बाधाओं के कारणों का पता लगाना है।
2. महिला शिक्षा की निम्न रूप, के कारणों तथा इनके वृद्धि के उपायों पर ध्यान परिलक्षित करना है।

शोध समस्या:

प्रस्तुत शोध दरभंगा सदर प्रखण्ड के शैक्षणिक दृष्टिकोण पर आधारित है। इस प्रखण्ड में कुल पंचायतों का सर्वेक्षण करने से पता चला है, कि यहाँ की शैक्षणिक स्थिति बहुत खराब है। खासकर अनुसूचित जाति की बात करे तो इनकी स्थिति और भी लचर है।

हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं से इनकी शैक्षणिक स्थिति में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, लेकिन यह परिवर्तन इनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास को कोई खास प्रभावित नहीं किया है। आवश्यकता है, कि यह परिवर्तन और अधिक तीव्र गति से हो इसके लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का सही रूप में क्रियांन्वयन हो एवं लोगों ने इसके लाभ के प्रति जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है।

विश्लेषण:

प्रस्तुत शोध दरभंगा सदर प्रखण्ड के अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक स्थितियों पर परिलक्षित है। वैसे तो अनुसूचित जातियों की शैक्षणिक स्थिति राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर भी आम आबादी की तुलना में काफी निम्न है। आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े दरभंगा जिला एवं शोध क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की शैक्षणिक स्थिति और भी चिंतनीय है।

सर्वे से ज्ञात हुआ है, कि जो पंचायत शहर या शहर के नजदीक है, वहाँ साक्षरता दर 40% से अधिक है, जैसे रानीपुर, अतिहर, कबीरचक, शिशो प0, छोटाईपट्टी, लोआम, शाहवाजपुर। वहीं जो क्षेत्र शहर के दूर-दराज के इलाके में है, वहाँ यह दर 40.00% से नीचे हैं, जैसे-खरूआ, मुरिया, कंसी, नैनाघाट आदि पंचायत। आवश्यकता है कि सभी जगह शिक्षा का विकाश समान रूप से परिलक्षित हो।

दरभंगा सदर प्रखंड: पंचायतवार अनुसूचित जातियों का साक्षरता दर (प्रतिशत में)

Øe l0	iapk;r dk uke	lk{kjrk nj ¼%½		
		dqy	iq:"k	efgyk
1	dlh	29.23	65.11	34.89
2	f'k'kks i0	45.74	54.38	45.62
3	f'k'kks i0	37.29	67.52	32.48
4	'kgokt iqj	42.19	66.17	33.83
5	okl qnso iqj	36.14	62.13	37.87
6	jkuhiqj	57.57	61.40	38.60
7	lkjkegEen	34.14	63.54	36.46
8	dchjpØ	44.50	62.50	37.50
9	/kkbZ	28.10	74.41	25.59
10	[kqVokjk	36.04	57.14	42.86
11	fc tqyh	39.04	59.39	40.15
12	cygk	28.40	59.85	40.15
13	NkVkbZi VVh	40.41	59.67	40.33
14	nqykj iqj	37.06	66.06	33.94
15	ykvke	40.25	58.06	41.94
16	eqfj;k	36.69	53.57	46.43
17	vny iqj	38.08	59.57	46.43
18	Hkky i VVh	54.94	72.57	27.49
19	[k : vk	29.84	55.96	44.04

स्रोत:- अनुसंधान कर्त्ताद्वारा शोध क्षेत्र में सर्वे के द्वारा प्राप्त ऑकाड़ा-2021-22

शिक्षा किसी भी समाज का आर्थिक समाजिक एवं राजनैतिक विकास का मूल आधार होता है तथा यदि समाज में महिलाओं का शिक्षा स्तर उच्च होगा तो निश्चित ही सम्पूर्ण शिक्षा का स्तर उच्च होगा।

मानचित्र -1 दरभंगा सदर प्रखंड- पंचायतवार अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर (प्रतिशत में) 2021-22

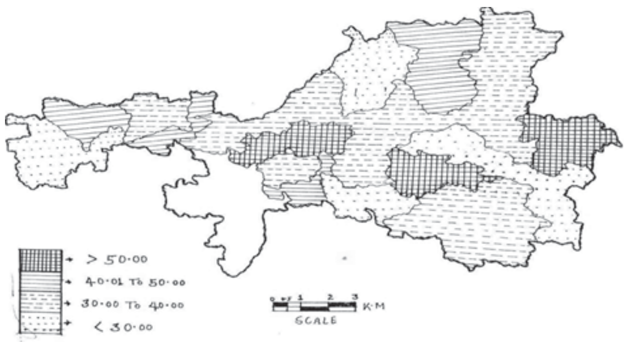

स्रोत:- शोधकर्त्ता द्वारा मानक सर्वे पर आधारित

लेकिन प्रस्तुत शोध क्षेत्र में अनुसूचित जाति के कुल शिक्षा के साथ-साथ महिलाओं के शिक्षा स्तर पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रखण्ड में अनुसूचित जातियों के महिलाओं की शिक्षा निम्न होने के कारणों को देखा जाय, तो स्कूलों में इनकी नामांकन की संख्या ही कम है, उसमें से भी लगभग 70% छात्र एवं छात्राएँ बीच में ही स्कूल छोड़ देते है, तथा घर के कार्य मं अपने माता-पिता का साथ देने लगते है।

साथ ही लड़कियों को कम उम्र में शादी कर दिया जाता है, जिसके कारण भी उनकी पढ़ाई छूट जाती है, जिससे ये लोग अपने मूल अधिकार से वंचित रह जाती है। इन लोगों में कम उम्र में शादी करना एक प्राचीन सामाजिक कुरीतियाँ है। इस वर्ग में अभी भी अधिकांश शादी 14-16 वर्ष की आयु में कर दिया जाता है, जिसके कारण ये लोग पढ़ाई छोड़ घरेलु कामों में लग जाती है।

अत: इन लोगों को भविष्य बनाने का उपयुक्त अवसर नहीं मिल पता है, और इनका अधिकांश आबादी शिक्षा से वंचित रह जाती है। अत: आवश्यकता हैं, शादी की उम्र सम्बंधी कानून का सही ढंग से लागू किया जाय, तथा स्थानीय प्रशासन इस कानून पर सही अमल करें।

इनकी शिक्षा में दूसरी बाधा इनकी निर्धनता है। ये लोग शिक्षा के लिए दी जाने वाली सहायता को आर्थिक उद्यम से जोड़कर देखते है। ये लोग सरकार द्वारा शिक्षा के लिए दी जाने वाली सहायता राशि का लाभ लेने के बाद स्कूल छोड़ देते हैं, तथा इनकी शिक्षा यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस शोध क्षेत्र में सर्वे से ज्ञात हुआ है, कि इन समुदायों के बच्चें स्कूल के मध्य अन्तराल (टिफीन) के समय मध्याह्न भोजन खाने के बाद स्कूल से भाग जाते है और अपने माता-पिता के साथ घर या मजदूरी के कार्य में साथ देते है।

अत: इस समस्या से निजात पाने के लिए इनमें जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। साथ ही मध्याह्न भोजन व्यवस्था में संसोधन, स्कूल प्रशासन का ठोस रूप होना तथा बच्चे के माता-पिता से जन सम्पर्क करके भी इन समस्या को दूर किया जा सकता है। इनकी शिक्षा में तीसरी प्रमुख बाधा अत्यधिक संताने पैदा करना है, जो जनसंख्या वृद्धि में तो सहयोग दे ही रहे है, साथ ही साथ अत्यधिक संताने होने के कारण माता-पिता अपने छोटे-छोटे नन्हें बच्चों को एक दूसरे की जिम्मेदारी दे देता है, जिससे कम उम्र में ही जिम्मेदारी बढ़ने से ये लोग शिक्षा से वंचित रह जाते है। इनकी चौथी बाधा बाल मजदूरी है, जो कानूनी रूप से एक अपराध है। आवश्यकता है, कि इस कानून को और अधिक प्रभावी बनाया जाय जिससे बाल मजदूरी पर रोक लग सके, और नौजवान पीढ़ी शिक्षा ग्रहण कर एक सभ्य सुसंस्कृत, समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सके।

इन समुदायों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएँ चल रही है, जैसे प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषाहार सहायता कार्यक्रम, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तके व वर्दी, राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति, नवी व दसवी के छात्र एवं छात्राओं के लिए साइकिल योजना, कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय आदि इसके अतिरिक्त इनके लिए अलग से कुछ मुख्य योजनाएँ भी चल रही है, जो निम्न है, बाबू जगजीवनराम छात्रावास योजना, मुख्य मंत्री SC/ST उद्यमी योजना, सीविल सेवा प्रोत्साहन योजना, SC/ST आश्रय विद्यालय, स्कूली छात्रवृत्ति इत्यादि। इन योजनाओं एवं सुविधाओं के बाबजूद भी इनका विकास धीमा है, इनके विकास एवं संरक्षण के लिए हमारे संविधान में भी अनेक प्रबंध कर संरक्षण प्रदान किये गये है, जिससे इन समुदायों को भी सामान्य वर्ग के बराबर लाया जा सके इनके उत्थान के लिए कुछ विशेष संवैधानिक अनुच्छेदो का प्रावधान किया गया है जो निम्न है:- अनुच्छेद 15, 16, 17, 24, 29, 44, 46, 325, 330, 332, 334, 335, 338, 341, 366 इत्यादि।

निष्कर्ष:

निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते है, कि अनुसूचित जाति के बच्चों को शैक्षणिक स्थिति आज भी समस्या से जकड़े हुई है। ये अभी भी समाज में समानता हासिल करने के लिए संघर्षशील है। हालांकि सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएँ इनके विकास के पथ को मजबूत कर रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है, कि सभी बच्चा स्कूल में नामांकित हो, लेकिन अभी भी शिक्षा अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है। प्रस्तुत शोध क्षेत्र में अनुसूचित जाति के शैक्षणिक स्थिति में सुधार के लिए, आवश्यकता है, कि बाल मजदूरी पर प्रतिबंध, महिला शिक्षा पर विशेष बल, कम उम्र में शादी पर प्रतिबंध, सरकार द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाय, सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं एवं सुविधाओं

का सही ढंग से क्रियावयन, बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले पर कानूनी प्रक्रिया हो इत्यादि।

संदर्भः-

1. सिंह अजीत कुमारः- समाजिक गतिशीलता के निरीक्षण में वैशाली जिले के अनुसूचित जाति का समाजशास्त्री अध्ययन, 2022, शोध गंगा।
2. वर्तिका वेनूः- मुजफ्फरपुर जिला के अनुसूचित जाति के महिलाओं में कुपोषण की समस्या, 2022, शोध गंगा।
3. सिंह नीरजः- आजमगढ़ जनपद में अनुसूचित जाति का सामाजिक आर्थिक विकास, 2021, शोध गंगा।
4. अनुज रावतः- भारत में सामाजिक समस्या, 2004, शोध गंगा।
5. अजय मृदुलः- अनुसूचित जाति में गरीबी का भौगोलिक अध्ययन गाजिपुर जिला, 2015, शोध गंगा।
6. भारतीय जनगणना रिपोर्ट, बिहार, 2011
7. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की समस्याएँः राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र, जून 2010, (NCERT 3.1)
8. कुमार अजयः- बिहार की अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए प्रयासों का इतिहास, 2022, शोध गंगा।

वनाग्नि

संदीप कुमार

सहायक प्रोफेसर (भूगोल), राजकीय महाविद्यालय, कनीना (महेन्द्रगढ़) हरियाणा

वनो में आग एक सामान्य आपदा है। इसे बुश फायर भी कहते है। वन की आग उस दुर्घटना को कहते है जब किसी वन के एक भाग में आग लग जाती है जो पूरे वन क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेती है। जिससे उस क्षेत्र में वन तथा जीव जन्तुओं के जीवन का हास हो जाता है। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार पिछले 14 वर्षो में दावानल से वनो का सर्वाधिक विनाश हुआ है। वन राज्य रिपोर्ट के अनुसार भारत में 40 प्रतिशत वनों में दावानल का खतरा बना हुआ है।

जंगल की आग के प्रकार:-

जंगल की आग तीन प्रकार की होती है पहली है - जमीनी आग, जो जमीन के नीचे शुरू होती है, जब मलबे, ईधन जैसे प्रज्जवलित होते है और जलते है। यह आग सतही आग की तुलना में धीमी गति से फैलती है और कई महीनों तक जलती रहती है। दूसरा प्रकार है सतही आग:- जिसकी तीव्रता परिस्थितियों के आधार पर कम से लेकर अधिक हो सकती है निचले पौधे, टहनियों, सुखे पत्ते इसके स्त्रोत है। सतह पर लगने वाली आग आमतौर पर धीरे धीरे फैलती है लेकिन ये तीव्र ढाल वाले परिदृश्य में शुरू होती है या हवा से प्रेरित होती है तो तेजी से फैलती है। अधिकांश सतही आग वर्गीकरण के अगले स्तर पर जाने से पहले बुझ जाती है। तीसरा प्रकार क्राऊन फायर:- ये आग एक पेड़ की चोटी से दूसरे पेड़ की चोटी तक फैलती है जिसे आमतौर पर पेड़ के मुकुट या छतरी के रूप में जाना जाता है। यह आग तेजी से फैल सकती है। यह निचले स्तर की आग की तुलना में अधिक तेजी से आगे बढ़ती है। ये पेड़ अपनी ऊचाई के कारण तेजी से जलते है। जिससे हवा के सम्पर्क में आ जाते है परिणाम स्वरूप गंभीर आग में बदल जाते है।

आग के कारण:-

वनो की आग के कई प्राकृतिक कारण भी हो सकते है लेकिन भारत में इसका प्रमुख कारण मानवीय गतिविधियां है। प्राकृतिक कारणों का विवरण इस प्रकार है:-

1. कई अध्ययन विश्व स्तर पर आग के बढ़ते मामलो को जलवायु परिवर्तन से जोड़ते है। विशेष रूप से ब्राजील (अमेजन), आस्ट्रेलिया के जंगलों की भीषण आग को।
2. भारत में मार्च व अप्रैल के दौरान सबसे अधिक वनाग्नि की घटना होती है क्योकि यहा के जंगलों में सुखी लकड़िया, पत्तिया, घास, खरपतवार जैसे आग को बढ़ावा देने वाले पदार्थ मौजूद होते है। इसलिए उत्तराखण्ड में मिट्टी की नमी भी महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा गया, लगातार दो मानसुन सीजन 2019, 2020 में क्रमंश 18 एवं 20 प्रतिशत तक औसत से कम वर्षा हुई।
3. बिजली गिरना:- बिजली गिरने से बड़ी संख्या में जंगलों में आग लग जाती है बिजली गिरने से चिंगारी पैदा हो सकती है। कभी-कभी बिजली के तारों, पेड़ों तथा अन्य चीज से टकरा सकती है इससे आग लग सकती है।
4. ज्वालामुखी विस्फोट:- ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान पृथ्वी की पपड़ी में मौजूद गर्म मैग्मा आमतौर पर लावा के रूप में बाहर निकल जाता है फिर गर्म लावा जंगल की आग शुरू करने के बाद पास के खेतों या भूमि में बह जाता है।
5. पत्थरों का आपस में टकराना:- पत्थरों के आपस में टकराने से चिंगारी निकलने के फलस्वरूप आग का कारण बनती है।

मानवीय कारण:-

1. स्थानान्तरित कृषि:- यह मुख्यतह उत्तर पूर्व भारत में की जाती है जनजाति समुदाय के लोग एक स्थान पर खेती करने के लिए जमीन को साफ करते है यह सफाई आग लगाकर की जाती है। परन्तु कभी-कभी यह आग अनियन्त्रित हो जाती है और भीषण आग का रूप ले लेती है।
2. बीड़ी, सिगरेट के टुर्रा:- गाड़ी चलते, पैदल चलते या बाईक पर बीडी सिगरेट को पूरी तरह बिना बुझाये उसे फैक देने की आदत जंगल की आग का कारण बनती है। सिगरेट या बीड़ी के बचे हुए हिस्से को बुझाने में लोग लापरवाही बरतते है जो वन अग्नि का कारण बनती है।
3. मलबा जलाना:- कुडे के संचय को कम करने के एक तरीके के रूप में कई अवसरो पर अपशिष्ट और कुडो को जलाकर राख कर दिया जाता है। अपशिष्ट पदार्थ या कुडा जलाने के बाद जो बचता है वह मलबा है जो धीरे-धीरे जलता है। मलबा संभावित रूप से किसी भी चीज में आग लगा सकता है। गर्मी के कारण जंगल की आग भडका सकता है।

4. कैम्प फायरः- कैम्पिंग व बाहरी गतिविधियों के दौरान आमतौर पर जलती हुई आग या दहनशील सामानों को छोड देते है जिससे जंगल में आग लग जाती है। जंगल में आग की आपदाओं से बचने के लिए सभी जली हुई तथा दहनशील सामग्रीयों को उपयोग के बाद पूरी तरह बुझा देना आवश्यक है।
5. ट्रास्फार्मर या वाहन से स्पार्किंग होनाः- किसी ट्रास्फार्मर या वाहन से स्पार्किंग से जंगल में आग लग सकती है यह आग कुछ समय तक ना देखी जाए तो बड़े क्षेत्र को अपने कब्जे में ले सकती है।
6. आतिशबाजीः- इसका उपयोग मनुष्य द्वारा त्यौहार जैसे विभिन्न कारणों में किया जाता है। हालाकिं इनकी विस्फोटक प्रकृति जंगल की आग शुरू कर सकती है।

घटनाऐंः-

भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार 30 मार्च 2022 तक भारत में वन अग्नि की 381 घटनाऐं घटी है। इसमें सबसे ज्यादा मध्यप्रदेश में दर्ज की गई है।

1. 2016 - राजशी (जम्मू), बांदीपूर (कर्नाटक)
2. 2018 - पोडी, अलमोडा (उत्तराखण्ड)
   थेनी (तमिलनाडु)
3. 2021 - पिथोरागढ़, बागेश्वर (उत्तराखण्ड), कूल्लू घाटी (हिमाचल), नागालैण्ड - मणिपुर सीमा (जुकोघाटी)
4. 2022 - सरिसका (राजस्थान), बांधवगढ़ (मध्यप्रदेश)

इसके अलावा गुजरात के एशियाई शेर, ग्रेटइण्डियन बस्टर्ड अभ्यारण, उड़ीसा का सिमलीपाल में भी वन आग्नि की घटनाऐं देखी गई है।

FSI 2019 के अनुसार अत्यन्त अग्नि सम्भावित क्षेत्रों का विवरण इस प्रकार हैः-

राज्य	*प्रतिशत*
मिजोरम	29.91 प्रतिशत
त्रिपुरा	26.98
असम	21.98
मेघालय	5.7
मणिपुर	4.4
आंध्रप्रदेश	4.27
तेलगाना	4.21
छत्तीसगढ़	3.9
महाराष्ट्र	3.4
नागालैण्ड	3.05

वन एवं जन के रिश्तों में बिखराव से बन रहा दावानलः-

यह बात सरकार समझना नही चाहती या सरकारी नुमाईन्दे समझ नही पाते कि प्रकृति और मानव के रिश्ते जितने अधिक लालच और लाभ के लिए होगें विनाश उतना ही तेजी से हमारे निकट आयेगा। ब्रिटिश सरकार ने जंगलों को श्रेणीबद्ध करके वन पंचायतों के माध्यम से स्थानीय निवासियों के अधिकारों को बाधित नही होने दिया। आजादी के पहले के समाज में अथवा प्राचीन भारत में भी संसाधनों की आवश्यकता से अधिक उपयोग करने वालो को समाज में सम्मान नही मिलता था। वन पर दावानल जैसा कोई भी संकट आने पर संगठित होकर समाधान करते थे। जंगल में आग लगने पर बारी-बारी से आग बुझाते थे। लोगो के इस मजबूत संबंध को सरकार ने विभिन्न कानुनो एवं नियतियों के माध्यम से तोड़कर वन के वास्तविक एवं सबसे प्रभावशाली संरक्षकों को वनों से दूर कर दिया। वन एवंज न के रिश्ते में बिखराव के कारण वनों पर आधारित समाजों के वन अधिकार समाप्त करने के बाद कोई सामाजिक व्यवस्था नही बन पाई। जो वनों को आग एवं अन्य नुकसानों से बचने की जिम्मेवारी उठा सकें। लोगो की वनों के प्रति रूचि कम हुई, ये लोग सारी जिम्मेवारी वन विभाग की समझते है। वनों का संरक्षण एवं सुरक्षा का भार उठाने के लिए वन विभाग सक्षम नही है।

जंगल की आग का पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभावः-

1. पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता का नुकसानः- जंगल की आग विविध वनस्पतियों और जीवों के आवासों और जटिल संबंधों को नश्ट कर देती है जिससे परिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता का नुकसान होता है।
   क जंगल की आग विशिष्ट जानवरों और पौधों की प्रजातियों के लिए रहने योग्य और अनुकूलनीय भूमि को नुकसान पहुंचाती है।
   ख इसके अलावा, जंगल की आग कुछ जानवरों के विलुप्त होने का कारण भी बन सकती है।
   ग जंगल की आग इतनी भीषण हो सकती है कि वे पौधों और जानवरों की आदतों और महत्वपूर्ण संबंधों को नष्ट कर देती है जिससे परिस्थितियों तंत्र को नुकसान होता है।
2. वन क्षरणः- जंगल की आग, विशेष रूप से शुष्क उष्णकटिबंधीय जंगलों में, वन क्षरण का एक प्रमुख कारण है। लगभग हर साल, विभिन्न वन क्षेत्रों में जंगल की आग देखी जाती है जो मिट्टी की उर्वरता, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र जैसी कुछ वन विशेषताओं की गुणवता को लगातार कम करती है।

3. वायु प्रदूषण:- जीवित पौधे उस वायुमंडलीय वायु को शुद्ध करते है जिस पर हम श्वसन के लिए निर्भर है। वे कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीनहाउस गौसों और वायु अशुद्धियों को ग्रहण करके और ऑक्सीजन का उत्पादन करके इसे प्राप्त करते है। इसके अलावा, जंगल की आग से निकलने वाले धुएं के विशाल बादल बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण का कारण बनते है।
4. ग्लोबल वार्मिग:- जब पौधों का जीवन आग से नष्ट हो जाता है, तो जिस हवा में हम सांस लेते है उसकी गुणवता में गिरावट आती है और वातावरण में ग्रीनहाउस गैसें बढ़ जाती है जिससे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिग होती है। जब पेड़ और वनस्पति जलाए जाते है, तो इसका मतलब है कि वातावरण में अधिक ग्रीनहाउस गैसें बढ़ती है, जिसके परिणामस्वरूप ग्लोबल वार्मिग होती है।
5. मिट्टी का क्षरण:- जंगल की मिट्टी सड़ते हुए जंगल के मलबे से निकलने वाले पोषक तत्वों से भरपूर होती है। जंगल की आग लाभकारी मिट्टी के सूक्ष्मजीव गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होते है। पेड़ों और वनस्पतियों के जलने से भी मिट्टी नंगी हो जाती है, जिससे यह आसानी से मिट्टी के कटाव के प्रति संवेदनशील हो जाती है।
6. जलसंभरों का विनाश:- पेड़ और वनस्पति आवरण जलसंभर संरक्षक के रूप में कार्य करते है क्योंकि लगभग सारा पानी वन-व्युत्पन्न जल तालिकाओं से आता है। जब भी वे जलते है, तो जल स्तर, जलधाराओं और नदियों की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणालिया प्रभावित हो सकती है।

आग रोकने के उपाय:- प्रत्येक राज्य सरकार एवं उनके वन विभाग का अपना प्रबन्धन प्रणाली तंत्र होता है। केन्द्रीय वन मंत्रालय राज्य सरकारों को वितीय सहायता प्रदान करता है। इसके प्रबन्धन हेतू निम्न उपाय किये जा सकते है:-

1. फायर लाईन बनाना।
2. वन क्षेत्र में पानी का स्टोरेज करना।
3. उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच जागरूकता फैलाना।
4. पर्यटकों को अनुशासित पर्यटन के लाभ से अवगत करवाना।
5. वनो के अग्नि संवेदनशील क्षेत्रों की देखभाल कुशल कर्मचारियों द्वारा की जानी चाहिए।
6. वनों में बनाये जाने वाले मकान अग्निरोधी होने चाहिए।
7. कांटे के वृक्षों की ढुलाई हेतू साधन होने चाहिए।
8. ईंधन वनों में एकत्रित नही होने देना चाहिए।
9. एफ.एस.आई. ने 2004 के बाद से फोर्सट फायर अलर्ट सिस्टम विकसित किया। इसका 2019 में उन्नत संसकरण लांच किया जो नाशा एवं इशरो से एकत्रित उपग्रह जानकारी उपयोग करता है।

विश्वबैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को हर साल 1100 करोड़ का नुकसान जंगलों की आग लगने से होता है।

निष्कर्ष:-

वनाग्नि में तीव्रता में वृद्धि का कारण प्राकृति एवं मानवीय दोनों है तथा यह भी सत्य है कि आज यह एक बड़ी आपदा का रूप ले चुका है। भारत और विश्व में लगातार वनाग्नि के बढ़ने से सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय असन्तुलन आ जाता है। इस असन्तुलन को सन्तुलित करने हेतू वनों में समुदाय की भागीदारी को और अधिक बढ़ाकर इस समस्या के लिए सार्थक कदम उठाने चाहिए।

सन्दर्भ:-

- सविन्द्र सिंह, पर्यावरण भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
- इण्डियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर।
- दृष्टि करेट अफेयर्स टुडे।
- Down to Earth magazine
- FSI. NIC.IN
- Internet

लैंगिक समानता का समीक्षात्मक विश्लेषण

डॉ० वसीम अहमद

निर्देशक (असिस्टेंट प्रोफेसर) अमृत लॉ कॉलेज, धनौरी, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

भावना रघुवंशी

शोधार्थी (एल० एल० एम०) अमृत लॉ कॉलेज, धनौरी, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

शोध सारांश

सामान्य शब्दों में लैंगिक आधार पर स्त्रियों के साथ किए जाने वाले भेदभाव को लैंगिक असमानता कहते हैं। वही लैंगिक समानता का अर्थ यह है कि समाज प्रत्येक लिंग को समान संवैधानिक व कानूनी अधिकार, उत्तरदायित्व, व्यवसाय एवं रोजगार के समान अवसर प्रदान करें। समीक्षात्मक दृष्टि से विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि भारतीय संविधान में निहित अनेक प्रावधान और कानून लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, संविधान में निहित मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक सिद्धांत लैंगिक समानता को संरक्षण प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान मुख्य रूप से इस बात पर बल देता है कि महिलाओं और पुरुषों में अंतर जैविक है, और यह प्रकृति प्रदत्त है। जिसके आधार पर किसी भी प्रकार का लैंगिक भेदभाव अस्वीकार्य और असंवैधानिक है। हालाकि संविधान में विशेष समुदाय के कुछ व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) के अनेक प्रावधान महिलाओं को अधिकारों की सीडी पर दूसरे पायदान पर रखते हैं। लेकिन भेदभाव को गैर अनिवार्य बनाने वाला समान नागरिक संहिता (UCC) को अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। इसके बावजूद भारतीय न्यायालयों और सरकार द्वारा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयास प्रशंसनीय हैं।

कीवर्ड्सः- लैंगिक समानता, समीक्षात्मक विश्लेषण, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व।

शोध पत्र

प्राचीन काल से ही प्रत्येक समाज में स्त्रियों को एक कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। सामान्य शब्दों में बात करें तो लैंगिक आधार पर स्त्रियों के साथ जो भेदभाव होता है वही लैंगिक असमानता कहलाती है। इसके विपरीत लैंगिक समानता का तात्पर्य यह है कि समाज प्रत्येक लिंग अर्थात पुरुष तथा स्त्री को समान संवैधानिक व कानूनी अधिकार, उत्तरदायित्व, व्यवसाय एवं रोजगार के समान अवसर प्रदान करें। वस्तुतः वर्तमान परिवर्तित होते भारतीय समाज में संवैधानिक दृष्टि से लैंगिक समानता एक महत्वपूर्ण तत्व बनकर उभरा है। किसी भी समाज का विकास रूपी भवन तभी मजबूत हो सकता है जब उसकी बुनियाद में समानता रूपी तत्व सम्मिलित हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषेध करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14-18 समानता को अनिवार्य एवं लिंग आधारित भेदभाव को निषेध करते हैं। हालाकि संविधान में विशेष समुदायों के कुछ व्यक्तिगत कानून के अनेक प्रावधान महिलाओं को अधिकारों की सीडी पर दूसरे पायदान पर रखते हैं। लैंगिक असमानता भारतीय समाज के क्षेत्रों जैसे- संवैधानिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, चिकित्सा, खेल, विज्ञान, मनोरंजन आदि में आज भी विद्यमान है। कहना अतिश्योक्ति न होगा कि लैंगिक असमानता विश्व के हर समाज में किसी न किसी रूप में आज भी विद्यमान है। स्त्रियां घर, समाज, कार्यस्थल तीनों स्थानों पर पूर्वाग्रह, अपमान, शोषण, भेदभाव, हिंसा आदि से पीड़ित हैं। और कहीं ना कहीं संविधान में निहित प्रावधान उपर्युक्त विषमताओं को दूर करने में अभी भी सफल नहीं हो पाए हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत 140 देशों में से 135 वें स्थान पर विराजमान है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के अनुसार विश्व में व्याप्त लैंगिक असमानता को समाप्त करने में लगभग 100 वर्ष और लगेंगे। भारत में लैंगिक असमानता के अनेक कारक विद्वान हैं जैसे- पितृसत्तात्मक मानसिकता, पारिवारिक संपत्ति में स्त्रियों की भागीदारी का प्रचलन न होना, उच्च संवैधानिक संस्थाओं में स्त्रियों की न्यूनतम भागीदारी, लेबर फोर्स और कार्य संहिता में स्त्रियों की उपेक्षा, स्त्रियों की साक्षरता दर आदि। सबरीमाला मंदिर विवाद और तीन तलाक जैसे विषय भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति को दर्शाते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14-18 असमानता को एवं लैंगिक भेदभाव को निषेध करते हैं। भारतीय संविधान स्थान-स्थान पर लैंगिक असमानता को एवं लैंगिक भेदभाव को निषेध करता है। समानता और लैंगिक आधार पर गैर भेदभाव को अनिवार्य बताते हैं किंतु कुछ समुदायों के पर्सनल लॉ देश की आधी आबादी के खिलाफ अत्यधिक भेदभावपूर्ण माने जाते हैं। लैंगिक भेदभाव को गैर अनिवार्य बनाने वाली समान नागरिक संहिता को अभी तक लागू नहीं किया गया है।

अध्ययन की आवश्यकताः-

वर्तमान में लैंगिक समानता एक ज्वलंत मुद्दा है। लैंगिक समानता न केवल शैक्षिक आर्थिक सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण

है अपितु संवैधानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लैंगिक समानता के संदर्भ में भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से पूर्व में भी शोध कार्य किए जा चुके हैं और वर्तमान में भी किए जा रहे हैं। किंतु उपर्युक्त शोध करने के औचित्य की सार्थकता के पर्याप्त आधार हैं। लैंगिक समानता का सरल अर्थ यह है कि समाज में पुरुष तथा महिला दोनों को समान अधिकार, समान उत्तरदायित्व एवं रोजगार के समान अवसर प्राप्त हो। संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडा 2030 के अंतर्गत 17 सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत लक्ष्य 5 लैंगिक समानता से संबंधित हैं। इन लक्ष्यों को भारत समेत 193 देशों ने स्वीकार किया है। अत: लैंगिक समानता एक विश्व स्तरीय विषय है जिस पर ओर शोध किए जाने की आवश्यकता है। मंगला एवं मनीषा 2018 ने भारतीय संविधान में लैंगिक समानता और ठाकुर 2019 ने लैंगिक समानता और भारत में मौलिक अधिकार को लेकर शोध कार्य किए। कुछ इसी प्रकार के शोध कार्य ए० सेवानी और के० पी० माथुर 2021, एस० के० भारद्वाज 2015, माहेश्वरी 2018 ने भी किए। लेकिन समानता के संदर्भ में शोध का महत्व बढ़ाया जा रहा है। लैंगिक समानता के संदर्भ में भारतीय संविधान और कानूनों में परिवर्तन हुआ है। इस हेतु नवीनतम शोध की आवश्यकता है ताकि नागरिकों, शिक्षाविदों। कानून के विशेषज्ञों, संविधान के जानकारों को यह समझने मैं सहायक होता है कि बदलते परिवेश में लैंगिक समानता क्या है एवं इसे किस प्रकार संरक्षित किया जा सकता है? भारतीय संविधान में भी लैंगिक समानता को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्रावधान शामिल हैं। लैंगिक समानता को भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत रखा गया है जो समस्त भारतीय नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता का अधिकार देते हैं। इसके अतिरिक्त संवैधानिक रूप से लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए विभिन्न संरक्षण कार्यक्रम भी प्रारंभ किए गए हैं। भारतीय समाज में पूर्वाग्रह आधारित लैंगिक भूमिका के कारण व्याप्त लैंगिक असमानता एवं उससे उत्पन्न समस्याओं के संवैधानिक समाधान हेतु इस समस्या पर शोध किए जाने की आवश्यकता है।

शोध के उद्देश्य:-

शोध के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. लैंगिक समानता का समीक्षात्मक विश्लेषण भारतीय संविधान के संदर्भ में करना।
2. भारतीय संविधान में लैंगिक समानता के संदर्भ में निहित प्रावधानों का अध्ययन करना।
3. लैंगिक समानता को समाप्त करने के प्रयासों का अध्ययन करना।

शोध विधि:-

शोधार्थी द्वारा विषय वस्तु विश्लेषण विधि का प्रयोग किया गया।

लैंगिक समानता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:-

शोधार्थी द्वारा विषय वस्तु विश्लेषण विधि के द्वारा भारतीय संविधान में निहित लैंगिक समानता से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन किया गया। जो निम्नलिखित हैं-

अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता:- राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध:- अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद का प्रतिषेध करता है।

अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता:- अनुच्छेद 16 सभी भारतीय नागरिकों को समान काम के लिए समान वेतन देने का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 21:- यह अनुच्छेद प्राण, दैनिक स्वतंत्रता और संरक्षण के अधिकार की व्यवस्था करते हुए स्त्री-पुरुषों को समान संरक्षण देता है।

अनुच्छेद 23:- इस अनुच्छेद के द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीद, बिक्री, बेगारी एवं इसी तरह का अन्य जोर जबरदस्ती से लिए गए श्रम को निषेध ठहराता है। इस अनुच्छेद का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है।

अनुच्छेद 24:- कारखानों इत्यादि में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन का निषेध करता है।

अनुच्छेद 25:- यह अनुच्छेद सभी व्यक्तियों, नागरिकों एवं गैर नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है। यह अनुच्छेद सभी व्यक्तियों को समान रूप से अंत:करण की स्वतंत्रता एवं धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है।

अनुच्छेद 39:- यह अनुच्छेद स्त्रियों और पुरुषों को जीविका प्राप्त करने के साधनों को समान रूप से प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार देता है।

अनुच्छेद 42:- यह अनुच्छेद मातृत्व लाभ देना सुनिश्चित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य कार्य करने की न्यायपरक एवं मानवीय परिस्थितियां पैदा करेगा।

अनुच्छेद 46:- संवैधानिक उपचार के लिए अधिकार जो कि सभी नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है।

अनुच्छेद 51:- प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह स्त्री के विरुद्ध स्थापित सामाजिक प्रथाओं का परित्याग करें।

लैंगिक समानता के लिए भारतीय संविधान में मानवाधिकार को दो भागों में बांटा गया है:-

प्रथम मौलिक अधिकार हैं जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है।

द्वितीय राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं जिनका उल्लेख संविधान में भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है।

महिला मानवाधिकारों के संबंध में कुछ अधिकार निम्न हैं:-

चलचित्र अधिनियम 1952:- महिलाओं की मर्यादा भंग करने वाले चलचित्रों पर रोक लगाने के लिए इस अधिनियम में सेंसर बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं का अभद्र प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986:- इस अधिनियम के अंतर्गत विज्ञापन प्रकाशन आदि में महिलाओं की अश्लीलता पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को विज्ञापन में इस प्रकार प्रदर्शित नहीं किया जा सकता जिससे उसकी सार्वजनिक नैतिकता को क्षति पहुंचे।

प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994:- इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिससे भारत में कन्या भ्रूण हत्या और निम्न लिंगानुपात को रोका जा सके।

देश में लैंगिक समानता की दिशा में उच्चतम न्यायालय द्वारा आधी आबादी को उसका पूरा अधिकार देने के लिए अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। 28 सितंबर 2018 को सबरीमाला मंदिर केरल में 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति संबंधी फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया। 27 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा है कि पति-पत्नी का मालिक नहीं है, अब एडल्ट्री अपराध नहीं है। 6 सितंबर 2018 उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिकता को समानता देते हुए धारा 377 को अतार्किक माना है। अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समाज में पुरुष द्वारा अपनी बीवी को एक बार में तीन तलाक दिए जाने को गैरकानूनी घोषित कर दिया है। 1985 में उच्चतम न्यायालय ने अपराध दंड संहिता की धारा 125 के अंतर्गत तलाक के पश्चात मुस्लिम महिला शाहबानो को जीवन यापन के लिए गुजारा भत्ता पाने का अधिकारी माना। 1967 में उच्चतम न्यायालय ने नाबालिक बच्चे की सुपुर्दगी मां को देने का निर्णय अरुण शर्मा और रोशन शर्मा के केस में सुनाया। उच्चतम न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का लैंगिक समानता के संदर्भ में कहना है कि भारतीय अदालतें लैंगिक समानता के एक मजबूत समर्थक के रूप में उभर कर सामने आई हैं।

लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के प्रयत्न:-

भारत में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए जा रहे हैं:-

1. विभिन्न राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र में लैंगिक समानता हेतु मुद्रा और अन्य महिला केंद्रित योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे महिलाएं पुरुषों के समान आत्मनिर्भर हो सके।
2. लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु अनेक महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे- महिला शक्ति केंद्र, महिला हेल्पलाइन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर योजना।
3. भारत सरकार द्वारा लैंगिक समानता की विश्व स्तरीय योजनाओं और पहलों को अपनाया जा रहा है।
4. राजनीतिक क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का प्रयास भी भारत द्वारा किया जा रहा है राजनीतिक पदों पर महिलाओं की भागीदारी पहले से बढ़कर 23% हो गई है।
5. लैंगिक समानता से संबंधित मुद्दों और विवादों पर सरकार और अदालतों द्वारा स्त्रियों के अधिकार सुनिश्चित करने वाले फैसले दिए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप महिलाओं के प्रति जनमानस के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो रहा है।

निष्कर्ष:-

भारतीय संविधान में निहित प्रावधान लैंगिक समानता को पोषित करते हैं। विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, संविधान में निहित मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक सिद्धांत लैंगिक समानता को संरक्षण प्रदान करते हुए महिलाओं के पक्ष में बल प्रदान करते हैं, ताकि किसी भी तरह के लैंगिक भेदभाव को निषेध किया जा सके। भारतीय संविधान मुख्यतः इस बात पर बल देता है कि महिला और पुरुषों में अंतर जैविक है और यह प्रकृति प्रदत्त विशेषता है, जिसके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता।

सन्दर्भ:-

1. कपूर, एस० के० (2017) मानव अधिकार एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि, प्रयागराज, सेंट्रल लॉ एजेंसी।
2. पाण्डेय, जे० एन० (2022) भारत का संविधान, प्रयागराज, सेंट्रल लॉ एजेंसी।
3. बावेल बी० एल० (2021) लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च मेथाडोलॉजी, प्रयागराज, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन।
4. केसरी यू० पी० डी० (2021) प्रशासनिक विधि, प्रयागराज, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन।
5. बावेल बी० एल० (2017) महिला एवं बाल कानून, प्रयागराज, सेंट्रल लॉ एजेंसी।
6. बावेल बी० एल० (2019) भारतीय दंड संहिता, प्रयागराज, सेंट्रल लॉ एजेंसी।
7. उपाध्याय जे० जे० आर० (2013) मानव अधिकार, प्रयागराज, सेंट्रल लॉ एजेंसी।
8. बावेल बी० एल० (2018) संवैधानिक विधि: नई चुनौतियां, प्रयागराज, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन।
9. भारद्वाज एस० के० (2015) प्रोटेक्टिंग वूमेन फ्रॉम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया - ए क्रिटिकल एनालिसिस, दिल्ली, परिपैक्स इंडियन जनरल ऑफ इंडिया, वॉल्यूम 4, इश्यू 9, सितंबर 2015
10. माहेश्वरी एम० (2018) जेंडर जस्टिस एंड इक्वलिटी इन इंडिया, इंदौर, पैन एक्लेमेंस, वॉल्यूम 2, जुलाई 2018

डॉ. आम्बेडकर का ईसाइयत के बारे में दृष्टिकोणः एक विश्लेषण

डॉ० किस्मत कुमार

पुर्व शोध छात्र, अम्बेडकर अध्ययन केंद्र, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यलय, धर्मशाला

समानता को डॉ. आम्बेडकर किसी धर्म का सबसे मूलभूत सिद्धांत मानते थे। आम्बेडकर ने इसाई मत का भी बहुत गहराई से अध्ययन किया था। इस अध्ययन के दौरान उन्होंने पाया कि इसाई भी भारतीय समाज की तरह ऊंच-नीच के मतभेदों से ग्रसित हैं। अगर अशपृश्य हिन्दू विदेशी मत को अपना भी लेतें हैं तो क्या अस्पृश्यों की समस्याओं का हल होगा। डॉ. आम्बेडकर को इसाई मत में वह सभी खामियां दिखी जो हिन्दू धर्म के साथ बहुत ही गहराई से जुड़ चुकी थी। इससे डॉ. आम्बेडकर को आभास हो गया था ईसाई मत से अशपृश्य हिन्दू राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से और पिछड़ सकते हैं। डॉ. आम्बेडकर बहुत ही स्पष्टवादी थे। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपने भाषण में ईसाई मत की खामियों को रखा। मैने धर्मशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन किया है, जिससे ईसा और बुद्ध के व्यक्तित्व का मेरे मन पर भारी असर पड़ा है। हमें ऐसा धर्म चाहिए जो एक इन्सान दूसरे इन्सान के साथ कैसा बर्ताव करे, यह उपदेश करके समता, बंधुता और स्वतंत्रता की तत्रयी के अनुसार एक मनुष्य के अपने दूसरे भाई और देवता के प्रति कर्तव्य की सीख दे। बाबासाहब ने उन ईसाई श्रोताओं को यह भी कहा कि आपके धर्म भाई दक्षिण हिंदुस्तान में ईसाई मंदिरों में जातिभेद का बर्ताव करते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दृष्टि से भी वे पिछड़े हुए है। अगर महार छात्र ईसाई होगा तो उसकी छात्रवृत्ति डूब जाती है। इसलिए अस्पृश्य का ईसाई बनने पर उनका उस वजह से आर्थिक कल्याण कभी भी नहीं होगा। दूसरी बात यह कि सामाजिक अन्याय दूर करने के लिए ईसाई लोग कभी भी नहीं लड़े। उपर्युक्त सभा में आम्बेडकर ने जिन दो धर्मसंस्थापकों के नामों का उच्चारण किए उससे यह दिखाई देता है कि सिख धर्म के प्रति उनके प्रेम को वे लंदन के दौरे के बाद भूल गए।[1] उपर्युक्त भाषण से भारतीय ईसाइयों के कान तो उमेठे गए ही लेकिन आम्बेडकर के मन में इस समय कौन से विचार उथल-पुथल कर रहे थे, उसके भी किंचित दर्शन हुए। यह शोध प्रबंध उनके ईसाइयत संबधी विचारों का विश्लेषण है।

मुख्य-शब्द : ईसाइयत, हिन्दू धर्म, सिख पंथ, सामाजिक समानता, आर्थिक-कल्याण

अस्पृश्यों द्वारा धर्मान्तरण की उत्सुकता दर्शाने के बाद उन्हें अपने धर्म में लेने के लिये पहली और प्रकट हलचल ईसाईयों ने की। अस्पृश्यों को अपने धर्म में समाविष्ट करने के लिये जो भारी खर्च करना पड़ता था, उसकी व्यवस्था हिंदुस्थान, अमेरिका और इंग्लैंड में उनके धर्म प्रचारक करने लगे। लंदन में मि. गाडफ्रे नामक एक धर्मप्रचारक ने पहले ही सप्ताह में हजारों पोंड इकट्ठा कर लिये।[2]

गाडफ्रे ने "दि अनटचेबल्स क्वेस्ट" नामक पुस्तक प्रकाशित की। उसने इसाई मिशनरियों से आह्वान किया कि यदि उन्होंने डॉ. बाबासाहब के आंदोलन का उपयोग कर लिया तो लाखों अस्पृश्य ईसाई धर्म स्वीकार कर लेंगे। डॉ. आम्बेडकर और उनके समर्थक इसाई मत को स्वीकार करें ऐसी आंकाक्षा इसाई धर्मप्रचारकों की थी। लेकिन उन्होंने अलग ही मार्ग अपनाया।

आम्बेडकर की येवला घोषणा के समय भारत में ईसाईयों की सरकार का समर्थन था। ईसाई धर्म मिशनरियों के पास इस्लाम और सिखों की तुलना में अस्पृश्यों को इसाई मत स्वीकार करवाने का अच्छा अवसर था। इसके लिए इसाई धर्म प्रचारक राजनीतिक शक्ति का भी प्रयोग कर सकते थे। डॉ. आम्बेडकर दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे। वह किसी भी प्रकार के प्रलोभनों से आकर्षित नहीं हुए, उनके मन में यह प्रश्न उठ रहा था यदि अस्पृश्यों ने इस्लाम या इसाई धर्म को स्वीकार किया, तो वह हिन्दू धर्म की कक्षा से बाहर हो जाते हैं। अस्पृश्यों के धर्मांतरण की वजह से देश पर जो प्रभाव पड़ेगा उस विषय को लेकर भी डॉ. साहब चिंतित थे। क्योंकि इसका प्रत्यक्ष प्रभाव देश की राजनीतिक व्यवस्था पर भी पड़ना था। हिन्दूओं के देश में हिन्दू अल्पसंख्यक हो जाते। इन प्रश्नों में उलझ कर डॉ. आम्बेडकर अपनी हिन्दू धर्म त्यागने वाली घोषणा को लेकर किसी प्रकार की जल्दबाजी में नहीं थे। डॉ. आम्बेडकर को लगता था की विदेशी सहायता से दलितों की आवाज को मजबूती से उठाया जा सकता है।

महाड चवदार सत्याग्रह के कारण बाबासाहेब के नाम की प्रसिद्धि सारे संसार में फैल गई थी। अमेरिका यूरोप और इंग्लैंड के यात्री भारत आने पर उनसे मिलने के लिए आते थे। कभी-कभी क्रिश्चियन मिशनरी भी आते थे। बाबासाहेब उनसे कहते "मेरा समाज बहुत निर्धन और गरीब है। हमारे पास आंदोलन करने के लिए पैसा नहीं है। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम इस आंदोलन को हिमालय की चोटी पर पहुंचा देते और हमारे अधिकारों को पाने में देर नहीं लगती"। इन बातों को सुनकर एक विदेशी यात्री ने बाबासाहेब को सुझाव दिया "अमेरिका में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, जो ऐसे कार्यों के लिए धन की सहायता करती हैं। लगभग सात-आठ संस्थाएं हैं। उनके पास करोड़ों की ध

न-संपत्ति है। उनका ध्येय केवल संसार में दुखी मानवों को सुखी बनाना है। आप उन संस्थाओं को पत्र लिखकर देखें।"[3]

उस यात्री का यह सुझाव बाबासाहेब को अच्छा लगा। उन्होंने उन सभी संस्थाओं को पत्र लिखे। सभी ने सहानुभूति और सांत्वनापूर्ण भाषा में जवाब दिए लेकिन किसी ने भी धन की सहायता नहीं की। उनके पत्रों से यह प्रकट होता था कि उनका ध्येय या उद्देश्य केवल ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करना ही था। उसे बाबासाहेब पसंद नहीं करते थे। क्योंकि वे किसी लोभ या लालच में किसी ऐसे धर्म, जिसके वे धर्मावलंबी नहीं थे, उसका प्रचार-प्रसार करना अपने स्वाभिमान के विरुद्ध मानते थे। उनका विचार था कि ऐसा करने का तो यही अर्थ होगा कि एक मानसिक दासता को स्वीकार करना, किसी विदेशी शक्ति की कठपुतली बनना।

इसी प्रकार भारत को ईसाई बनाने के काम में लगी विदेशी ईसाई मिशनरियों ने भी उन्हें ईसाई बन जाने के लिए लालच दिए। ईसाइयों की ओर से कई धार्मिक नेतागण राजगृह मुम्बई में बाबासाहेब से मिले। उन्हेंने बाबा साहेब से निवेदन किया कि अगर वे सभी अछूतों के साथ ईसाई मत स्वीकार करें तो शहरों, तहसीलों, टाऊनों और गांवों में शिक्षा संस्थानों का जाल बिछा देंगे। कोई भी नव मतान्तरित ईसाई अशिक्षित नहीं रहेगा। सबकी मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था केन्द्रीय चर्च की ओर से की जाएगी इसके अलावा कई करोड़ रुपए उनको स्वेच्छा से मनचाही मदद में व्यय करने के लिए दिया जाएगा। लेकिन बाबासाहब विचारपूर्वक ही कोई निर्णय लेने पर दृढ़ रहे। लोभ और लालच उनके मन को डिगा नहीं सके। उनका कहना था कि ईसाई मत विदेशी है। उनके अनुयायी उसी प्रकार येरुशलम को ही अपना प्रधान तीर्थ मानते हैं,[4] जिस प्रकार मुसलमान मक्का और मदीना को। इसका परिणाम यही होता है कि ईसाई बन गए लोगों में अपने देश और राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च मान्यता नहीं होती। इसी बीच आम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय करने के लिए वे अपनी जाति समुदाय का सम्मेलन बुलाकर चर्चा करने का मन बनाकर उनसे पीछा छुड़ाते हैं।

बाबासाहेब का मत था कि इस्लाम और ईसायत विदेशी मूल के मजहब हैं। इनके अपनाने से व्यक्ति अपने देश की परम्परा से टूटता है। कालप्रवाह में मतांतरण से राष्ट्रान्तरण भी हो जाता है। कुछ लोग आम्बेडकर पर आरोप लगाते हैं कि वे अंग्रेजों के समर्थक थे। यदि ऐसा होता तो वे अंग्रेजों को खुश करने के लिये ईसाई बनने में देर न लगाते। नासिक की इस घोषणा से भी पहले उन्होंने इसका जिक्र किया था। 1932 में आम्बेडकर का सार्वजनिक सम्मान समारोह हुआ। वहां आम्बेडकर ने कहा "कुछ लोग आज मुझे देशद्रोही व स्वतंत्रता द्रोही कहते हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि हिन्दूओं की अगली पीढ़ी यह प्रमाणपत्र अवश्य देगी कि मैंने देश की भलाई का ही काम किया है।"[5] डॉ. आम्बेडकर ने विदेशी मजहबों को न अपनाकर भारत में हिन्दूओं को अल्पसंख्यक होने से बचाया है। अगर वे ऐसा नहीं करते तो भारत आज फिर से विदशी शक्तियों का गुलाम हो गया होता। डॉ. आम्बेडकर का बुद्ध मत को अपनाने का निर्णय अर्थात हिन्दूदर्शन कक्षा में रहने का निर्णय यह स्पष्ठ करता है की डॉ. आम्बेडकर बहुत बड़े राष्ट्रप्रेमी थे।

मार्ग बदलने का उनका उद्देश्य समताधिष्ठित समाज था, मगर इस दृष्टि से इसाई अथवा इस्लामी समाज उपयोगी नहीं थे। दोनों ही समाजों में ऊंच-नीच का भाव विद्यमान है। उनका अनुभव था कि जो अस्पृश्य धर्मपरिवर्तन कर इन समाजों में सम्मिलित हुए थे, उन्हें पहले की ही तरह विषमता का व्यवहार मिलता था। उन्होंने ईसाइयों के बारे में भी प्रश्न किया कि क्या उनमें सामाजिक समता है? उसका उत्तर स्वयं देते हुए उन्होंने कहा, ईसाई धर्म ग्रहण करने से उनके आन्दोलन का उद्देश्य साध्य नहीं होगा। अस्पृश्य समाज को ब्राह्मणी धर्मपद्धति य तज्जन्य भेदप्रिय मनोवृत्ति नष्ट करना है। ईसाई हो जाने से यह पद्धति व मनोवृत्ति नष्ट नहीं होगी। जो ईसाई हुए हैं, उनमें ब्राह्मण ईसाई, मराठा ईसाई, अन्य ब्राह्मणेतर ईसाई, महार, मांग. भंगी ईसाई जैसे भेद कायम हैं। हिन्दू समाज की तरह ईसाई समाज भी जातिभेद से ग्रस्त है। तात्पर्य यह कि दोनों ही धर्मो में धर्मान्तरितों की मनोधारणा में परिवर्तन नहीं हुआ। उसका एक उदाहरण इस प्रकार है-

मैंने क्रिश्चियन मित्र के यहां जाना उचित नहीं समझा। एक बार उसने मुझे अपने घर रुकने का न्योता दिया था। तब मैंने पारसी सराय में रुकना सही समझा था। दरअसल न जाने का कारण हमारी आदतें अलग-अलग होना था। अब जाना बेइज्जती करवाने जैसा था इसलिए मैं अपने ऑफिस चला गया। लेकिन मैंने वहां जाने का विचार छोड़ा नहीं था। अपने एक मित्र से बात करने के बाद मैंने अपने (भारतीय क्रिश्चियन) मित्र से फिर पूछा कि क्या वह अपने यहां मुझे रख सकता है, जब मैंने यह सवाल किया, तो बदले में उसने कहा कि उसकी पत्नी कल यहां आ रही है, उससे पूछकर बतायेगा।

मैं समझ गया कि यह एक चालाकी भरा जवाब है। वह और उसकी पत्नी मूलतः एक ब्राह्मण परिवार के थे। क्रिश्चियन होने के बाद भी पति तो उदार हुआ, लेकिन पत्नी अभी भी कट्टर थी और किसी अछूत को घर में ठहरने नहीं दे सकती थी। उम्मीद की यह किरण भी बुझ गयी। उस समय शाम के चार बज रहे थे जय मैं भारतीय क्रिश्चियन मित्र के घर से निकला था। कहां जाऊं, मेरे लिए यह बहुत बड़ा सवाल था।[6] लोग कभी कभी यह सवाल करते हैं, पोप यह या वह सुधार क्यों नहीं शुरू करता? इसका सही जवाब यह है कि क्रांतिकारी टाइप का आदमी पोप नहीं बनता और जो पोप बन जाता है, उसकी क्रांतिकारी होने की कोई इच्छा नहीं होती है। यहां ईसाई धर्म का पहले ही विवरण दिया जा चुका है। वैदिक अथवा हिन्दू अवधारणा पूर्णतः ईश्वरवादी मनुष्य और समाज की अवधारणायें प्रस्तुत हैं। इन दोनों ही धर्मो की ईश्वरीय व्यवस्था में आदमी को न्यूनतम महत्त्व दिया गया है।

ईसाई धर्म तथा इस्लाम दोनों में ऐसे कर्म सिद्धान्त का निषेध है जिसे हम हिन्दू धर्म में पाते हैं। इसका अर्थ है कि आदमी गॉड या अल्लाह के समक्ष अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता। दोनों ही धर्मों में आदमी की उत्पत्ति दैविक शक्ति द्वारा हुई। फिर भी इन्सान का गॉड या अल्लाह से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। ईसाई धर्म में जीसस क्रायस्ट आदमी और गॉड के मध्य एक कड़ी है, जबकि इस्लाम में मोहम्मद साहब अल्लाह के अन्तिम पैगम्बर हैं। अल्लाह की इबादत के बाद उन्हीं का नाम स्मरण किया जाता है।[7]

मनुष्य और समाज का ईसाई सिद्धान्त – (i) विश्व के रचयिता के रूप में ईश्वर में आस्था और उसके बेटे जीसस क्रायस्ट में विश्वास पर आधारित है; (ii) इन दोनों की प्रशंसा करना आदमी का मुख्य कर्तव्य है; और (iii) प्रारम्भिक पाप में विश्वास करना अनिवार्य है और मोक्ष की संभावना को क्रायस्ट में विश्वास और ईश्वर की कृपा के रूप में परिलक्षित करना। ईश्वर सभी मानव प्राणियों का पिता है जो अपने बच्चों की देखभाल करता है। इस प्रकार मनुष्य तथा समाज की ईसाई अवधारणा का मूलाधार ईश्वर की इच्छा और कृपा है। उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसी की भांति इस्लाम में भी इन्सान अल्लाह की इच्छा तथा कृपा पर जीता है। अल्लाह ही विश्व की समस्त चीजों का मालिक है। आदमी अपने सभी कर्मों के लिए अल्लाह के समक्ष उत्तरदायी है। संक्षेप में इन्सान और समाज दोनों ही इस्लाम के अनुसार अल्लाह के 'रहमोकरम' पर आश्रित हैं। मनुष्य और समाज की ईसाई तथा इस्लामी अवधारणाओं के प्रति डॉ. आम्बेडकर की क्या दृष्टि अथवा प्रतिक्रिया हो सकती है? निस्संदेह डॉ. आम्बेडकर ने इन ईश्वरवादी अवधारणाओं का स्वागत नहीं किया, क्योंकि उन्होंने आदमी को वर्तमान स्थिति में उत्पीड़ित होते देखा जिसकी कोई भी गॉड अथवा अल्लाह मदद नहीं कर पाया। डॉ. आम्बेडकर ने ईश्वरीय इच्छा व कृपा को नहीं माना और स्वत: आदमी के प्रयासों को दु:ख, अन्याय तथा शोषण को समाप्त करने में सर्वाधिक महत्त्व दिया। उन्होंने तो धर्मान्धियों तथा रूढ़िवादियों से जीवनभर संघर्ष किया ताकि आदमी को ईश्वर के ईश्वरीय भाग्यवाद और सामाजिक नियतिवाद से मुक्ति मिल सके। अत: डॉ. आम्बेडकर वैदिक, ईसाई और इस्लामिक अवधारणाओं से कतई सहमत नहीं थे। वह तो उस विशुद्ध मानववादी अवधारणा के समर्थक तथा पोषक थे, जहां मनुष्य को विद्यमान समाज में ही न्याय, समता और भ्रातृभाव सुलभ हो।[8]

डॉ. आम्बेडकर ने ईसाई रिलीजन को भी स्वीकार नहीं किया। उनका नैतिक दर्शन ईसाईयत की चौखट में सही नहीं बैठता। ईसाई नैतिकता भी पूर्णत: एक ही ईश्वर के प्रति एक सादर समर्पण है। वह धर्मशास्त्र पर आधारित है। आम्बेडकर का नैतिक दर्शन पूर्णत: मानववादी है। यह ईश्वर की विशेषज्ञायों पर आधारित नहीं है। उनका नैतिक दर्शन आदमी की आवश्यकताओं पर निर्भर है। ईसाई मजहब में जो प्रेम का पाठ सिखाया जाता है वह महत्वपूर्ण है पर उसका आत्म–मोक्ष का विचार डॉ. साहेब के सिद्धान्त में उपयुक्त नहीं बैठता। वैसे व्यवहार में, ईसाई लोग प्रेम के सिद्धान्त को नहीं मानते। वे उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि नीग्रो लोगों के साथ उनका व्यवहार प्रेमाश्रित नहीं कहा जा सकता। नीग्रो लोग ईसाई मजहब को ही मानते हैं, फिर भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। अन्य शब्दों में डॉ. आम्बेडकर ने निम्नलिखित कारणों को ध्यान में रखते हुये इस्लाम, तथा ईसाई मजहब को स्वीकार नहीं किया है,

(i) ये मजहब विज्ञान के अनुकूल नहीं हैं और उनके सामाजिक आदर्श कुछ ऐसे हैं कि उनसे विश्व–बन्धुत्व की भावना का विस्तार नहीं होने पाता। वे संकुचित है। उनके सिद्धान्तों से स्वयं उन के समाज में संगठन शक्ति का भाव नहीं मिलता। उनके सामाजिक आदर्श स्वतन्त्रता, समानता तथा भ्रातृभाव के सिद्धान्तों को पूर्ण मान्यता नहीं देते।

(ii) इन मजहबों में अभौतिक आत्मा को माना गया है तथा आत्म–मोक्ष जीवन का सर्वोच्च आदर्श है। यह मान्यता भी डॉ. आम्बेडकर के नैतिक–दर्शन में स्वीकार्य नहीं है। उनकी नैतिकता अमर आत्मा के सिद्धान्त को नहीं मानती।

इन बातों के अतिरिक्त इस्लाम तथा ईसाई मजहबों में नैतिकता अधिकतर भय तथा धर्मांधता पर आधारित है। दण्ड का भय उनमें दिखाया गया है। यदि दण्ड अथवा ईश्वर की ताड़ना से बचना है तो नैतिक बनना पडेगा। समाज में रहने वाले अन्य लोगों को बचाने के लिये नैतिक बनना आवश्यक नहीं है। अत: भय और दण्ड से अवतरित होने वाली नैतिकता डॉ. आम्बेडकर की दृष्टि मे सच्ची मानववादी नैतिकता नहीं है।[9]

डॉ. आम्बेडकर ईसाई मार्ग की यह धारणा भी स्वीकार नहीं करते कि आदमी जन्मजात पाप की संतान है या पापी है। यह नीरा विश्वास ही है। वे यह भी नहीं मानते कि एक दिन समस्त मानवता को उठाया जायेगा, उसके कार्यों का मूल्यांकन किया जायेगा तथा प्रत्येक आदमी को उसके कर्मानुसार नर्क या स्वर्ग मिलेगा। यह भी एक विश्वास मात्र है, इस्लाम मे नैतिकता अल्लाह की आज्ञाओं में निहित है जो कि भय, दण्ड और पुरस्कार पर आधारित है। डॉ. साहेब ने इस प्रकार की नैतिकता को स्वीकार नहीं किया। नैतिकता सामाजिक प्रेरणा का सिद्धान्त है, न कि बाहरी शक्तियों का दबाव।[10]

ईसाइयों की केवल अपने ही रिलीजन की मान्यता सही है और बाकी सब गलत, इसका अभिप्राय यह भी बनता है कि ये 'ही' वादी विचार भी बन जाता है। 'मैं ही सही, मेरा ही सही'– इस कारण भी यह मार्ग वैश्विक सृष्टि में उचित नहीं लगता। इसके एक उदाहरण को हम नागपुर के हिस्लोप कॉलेज जो श्चर्च ऑफ स्कॉटलैंडश द्वारा संचालित है, में प्राध्यापक रहे माधव गोविंद वैद्य के वार्तालाप से अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। वैद्य के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम के हिन्दू संगठन से जुड़े होने के कारण यह संवाद हुआ।

उसी कॉलेज के एक ईसाई प्राध्यापक ने वैद्य से पूछा, "मिस्टर वैद्य, क्या मैं आर.एस.एस. का मेम्बर बन सकता हूं? मैंने उत्तर दिया शहां, अवश्य बन सकते हैं।" उनका प्रश्न आया, "मुझे क्या करना पड़ेगा?" मैंने उत्तर दिया, आप चर्च के साथ जुड़े रह सकते हैं, 'बाइबल' को आप पवित्र किताब के नाते शिरोधार्य मान सकते हैं तथा ईसा मसीह को भगवान का पुत्र मान सकते हैं। मैं उनकी मुद्रा पर आश्चर्य के भाव देख रहा था। हमारा संभाषण अंग्रेजी में चल रहा था। मैंने आगे कहा कि "But you have to accept the validity of other faiths and religions also" (आपको अन्य पंथ और मजहब भी सही हो सकते हैं, यह मानना पड़ेगा।) उन्होंने तुरंत उत्तर दिया कि मैं यह नहीं मानूंगा। क्योंकि मैं यह मानूंगा तो मैं अपने रिलिजन का प्रसार नहीं कर सकूंगा। अंत में मैंने कहा कि फिर आप आर.एस.एस. के सदस्य नहीं बन सकते। हिंदू धर्म जैसा ऊपर बताया, सब पंथों, संप्रदायों, आस्थाओं, मजहबों और रिलिजनों का समादर करता है। परंतु ईसाईयत ऐसा स्वतंत्र चिंतन या सभी रिलीजन का समान आदर करने का तत्व विद्यमान ही नहीं है।[11] इसी कारण डॉ. आम्बेडकर भी ईसाईयत के मार्ग की समीक्षा करते हुए नजर आते हैं और उसमें अनेक असमानताओं को अनुभव करते हुए इस मार्ग का अनुसरण करने का विचार छोड़ देते हैं।

मेथोडिस्ट ऐपीस्कोपल चर्च के बिशप ब्रेनटन थोबर्न ब्रेडले ने कहा, ईसाई धर्म के जीवनदर्शन के अनुसार कहा जाए तो इतने बड़े समाज को मनोभाव से धर्मान्तरण की आवश्यकता लगे बिना वे हृदय से सच्चे ईसाई बनेगे, यह असंभव है। आम्बेडकर के धर्मान्तरण का ईसाई चर्च स्वागत कर रहा है क्योंकि उस घोषणा के अनुसार जीवन में उन्नति कर लेने की अस्पृश्य समाज की महत्वकांक्षा दिखाई देती है। अस्पृश्य समाज के नए युग का प्रभात समीप आ गया है आम्बेडकर की घोषणा उसका प्रतीक है। एक तरफ इसाई धर्म अपनी श्रेष्ठता भी जताना चाहता था तो दूसरी तरफ दलित समाज के धर्म परिवर्तन को आतुर भी था। इसी दृष्टि से बिशप जे. डब्ल्यू पिकेट और ईस्ट स्टेनले जोंस, दोनों अनेक बार डॉ. आम्बेडकर से मिले और निवेदन किया कि ईसाई धर्म ग्रहण करने के बारे में अवश्य सोचें ।12 1936 जुलाई में फिलिप्स ने दि अनटचेवल्स क्वेस्ट नामक पुस्तक लिखी, अस्पृश्य समाज के धर्म परिवर्तन के लिए ईसाईयों को क्या-क्या करना चाहिए इन तत्वों की इस पुस्तक में विशद चर्चा की है।

इस पुस्तक में यह लिखा गया कि डॉ. आम्बेडकर ने ईसाई धर्म को बढ़ावा नहीं दिया है। इस पुस्तक में यह बात लिखी है कि ईसाईयों ने जाति भेद को नष्ट किया होता तो हम ईसाई मत की और अवश्य मुड़ जाते।

डॉ. आम्बेडकर के यह विचार सतही न होकर अनुभव और अध्ययन पर आधारित हैं। उनका विद्यार्थी जीवन इसका प्रत्यक्ष प्रणाम है।

डॉ. आम्बेडकर ने ईसाईयों द्वारा दलितों एवं अछूतों को ईसाई बनाने की प्रक्रिया ,उद्देश्य, सामाजिक ढांचा और धर्मांतरित दलितों की ईसाई धर्म में स्थिति की विस्तृत व्याख्या क्रिश्चनाइजिंग द अनटचेबल्स एंड कंडीशन ऑफ द कंवर्ट नामक लेख में की है ।13 इस लेख में ईसाई दलितों को किस प्रकार धर्म परिवर्तन करवाने के लिए प्रलोभन देते थे उस विषय में बताया गया है। डॉ. आम्बेडकर का मानना था कि ईसाई मार्ग मूलतः हिन्दू सवर्ण जातियों की भांति दलित एवं हीन समझता है और वैसा ही व्यवहार करता है। उपरोक्त आधार पर आम्बेडकर का मानना था कि ईसाई समुदाय का उद्देश्य अपना उद्धार करना था, सामाजिक समता का सुधार करना नहीं था। अपितु उनका मानना था कि अपने साम्राज्यवादी हितों की सुरक्षा के लिए अपने समुदाय की संख्या बढ़ाना था, इस दिशा में रिलीजन परिवर्तन एक उचित माध्यम था। डॉ. आम्बेडकर ईसाईयों के दोहरे चरित्र से परिचित थे। यही कारण है उन्होंने दलितों को ईसाई मत न मानने को कहा।

सन्दर्भ :

1. धनंजय कीर, डा. बाबासाहब आम्बेडकर जीवन-चरित (अनुवादः गजानन सुर्वे) ,पॉप्यूलर प्रकाशन, 2018,पृष्ठ 286
2. रमेश पतंगे, संघर्ष महामानव का, अर्चना प्रकाशन, 2015, पृष्ठ 70
3. शंकरानंद शास्त्री, युगपुरुष बाबासाहब डॉ. भीमराव आम्बेडकर , सम्यक प्रकाशन, 2018, पृष्ठ 110
4. कुलदीप चन्द अग्निहोत्री, डॉ. भीमराव रामजी आम्बेडकरः यात्रा के पदचिन्ह, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, 2018, पृष्ठ 164
5. कुलदीप चन्द अग्निहोत्री, डॉ. भीमराव रामजी आम्बेडकरः यात्रा के पदचिन्ह, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, 2018, पृष्ठ 164
6. राजकिशोर, आम्बेडकर विचार कोश , प्रकाशन संस्थान, 2018 पृष्ठ 101
7. डॉ. डी. आर जाटव, समाजशास्त्रीय विचार, समता साहित्य सदन, 2015, पृष्ठ 92
8. डॉ. डी. आर जाटव, समाजशास्त्रीय विचार, समता साहित्य सदन, 2015, पृष्ठ 93
9. डॉ. डी. आर जाटव, समाजशास्त्रीय विचार, समता साहित्य सदन, 2015, पृष्ठ 129
10. डॉ. डी. आर जाटव, समाजशास्त्रीय विचार, समता साहित्य सदन, 2015, पृष्ठ 129
11. मोहन भागवत , यशस्वी भारत, प्रभात प्रकाशन, 2020, पृष्ठ 8
12. धनंजय कीर, डा. बाबासाहब आम्बेडकर जीवन-चरित (अनुवादः गजानन सुर्वे) ,पॉप्यूलर प्रकाशन, 2018,पृष्ठ 245
13. बाबा साहब आम्बेडकर सम्पूर्ण वाङमय् खंड 5, पृष्ठ 452 (महाराष्ट्र सरकार)

बलाबल-विचार (मीमांसाशास्त्र के प्रमुख सिद्धान्त बलाबल का स्वरूप परिचय)

डॉ० रामचन्द्र मेघवाल

असिस्टेंट प्रोफेसर, वेद विभाग, गुरुकुल कांगड़ी (सम) विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखंड

पूर्व मीमांसादर्शन का प्रतिपाद्य विषय धर्म है। धर्म का तात्पर्य वेदार्थ से है और वेदार्थ क्रियमाण कर्म ही है। इसलिए कहा गया है कि यागादि ही धर्म है। अथ को धर्मः उच्यते यागादिरेव धर्मः। (अर्थसंग्रह)

यह सुप्रसिद्ध है कि वेद वाक्यों के अर्थ के निर्णय में इस शास्त्र की प्रधानरूप से प्रवृत्ति है। अतः इसे वाक्य शास्त्र कहा गया है। वाक्यार्थबोध की शैली इस दर्शन शास्त्र की अद्वितीय विशेषता है। यह शास्त्र समस्त वैदिक वाङ्मय के प्रदीपभूत उद्देश्य-विधेय के द्वारा वाक्यार्थबोध करवाता है। प्रत्येक वाक्य में उद्देश्य व विधेय विद्यमान रहता है। अतः उद्देश्य व विधेय को समझे बिना किसी भी वाक्य के अर्थ का बोध नहीं होता है और मीमांसा यह भी बताता है कि जहाँ पर एक वाक्य के अनेक अर्थ सम्भव हो वहाँ पर उस वाक्य का कौनसा अर्थ लिया जाय और किस आधार पर लिया जाय ताकि उचित व योग्य अर्थ ग्रहण हो। ऐसे अनेकार्थता युक्त वाक्यों के वाक्यार्थ बोध के लिए पूर्वमीमांसा के प्रणेता महर्षि जैमिनि ने अपने शास्त्र 'द्वादशलक्षणी मीमांसा' के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद में एक अधिकरण रचा। इस महत्त्वपूर्ण शास्त्र का विशिष्ट यह अधिकरण बलाबल के नाम से जाना जाता है।इस अधिकरण में श्रुति आदि छः प्रमाणों का विवेचन किया गया है। इन श्रुति आदि की प्रबलता व निर्बलता के आधार पर वाक्यार्थ का ग्रहण व त्याग किया जाता है।

श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौर्बल्यम् अर्थविप्रकर्षात् मीमांसासूत्र 3/3/14। श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या इन अनेक कारणों के एक साथ उपस्थित होने पर पूर्व की अपेक्षा पर दुर्बल माना जाता है, अर्थ की दूरी होने के कारण। एक समय में एक अर्थ का विवेचन हो सकता है, अनेक का नहीं। विनियोग के छः कारणों के परस्पर बलाबल का विचार एकसाथ सम्भव न होने से यथाक्रम दो-दो के जोड़े को लेकर विवेचन प्रस्तुत है। सर्वप्रथम श्रुति, लिङ्ग पठित है। इनमें कौन बलवान् कौन दुर्बल है? यह विवेच्य है अनन्तर लिङ्ग-वाक्य, वाक्य-प्रकरण, प्रकरण- स्थान, स्थान- समाख्या का विवेचन किया है। इनमें कौन बलवान् और कौन दुर्बल है?

श्रुतिप्रमाण और लिङ्गप्रमाण का बलाबलविचार-

श्रुति आदि के स्वरूप निर्देश के अनन्तर इसके पारस्परिक बलाबल का विचार प्रस्तुत है श्रुतिप्रमाण और लिङ्गप्रमाण का बलाबल विचार पूर्व-निर्देशानुसार दो-दो जोड़े को लेकर बलाबल का विचार प्रस्तुत है। पहला जोड़ा है श्रुति और लिङ्ग। किसी पद या वाक्य के विनियोग के लिए जब श्रुति और लिङ्ग समान बल से परस्पर-विरोधी होकर उपस्थित हों तब कौन सबल और कौन अबल है, इसका विचारपूर्वक निर्णय करने के लिए आचार्यों ने उदाहरण वाक्य सुझाया है 'ऐन्द्रयागार्हपत्यमुपतिष्ठते' इन्द्र देवतावाली ऋचा से गार्हपत्य अग्नि का उपस्थान करता है। यहाँ विचारणीय है। क्या इन्द्र देवता और गार्हपत्य अग्नि दोनों में से चाहे जिस किसी का भी उपस्थान करना चाहिये या दोनों में से किसी एक का उपस्थान करना चाहिए? ऐसी अव्यवस्था है? अथवा केवल एक गार्हपत्य का उपस्थान हो, ऐसी व्यवस्था है? यदि श्रुति 'गार्हपत्यम्' यह कर्मकारक द्वितीया विभक्ति का श्रवण है। और लिङ्ग 'ऐन्द्री' पद में इन्द्र देवता को कहने का सामर्थ्य है। दोनों विनियोग के कारण समान बलवाले हैं, तो उक्त वचन में विकल्प मानना होगा; इन्द्र और गार्हपत्य दोनों में से किसी एक का उपस्थान करना चाहिए। और यदि श्रुति सबल है, तो केवल गार्हपत्य का उपस्थान होगा।

जिज्ञासु आशंका करता है,- प्रथम आपने बताया अर्थवाले परस्पर-साकांक्ष पदों का समूह वाक्य है। इसके अनुसार 'ऐन्द्रया गार्हपत्यमुपतिष्ठते' यह वाक्य है, तब यहाँ लिङ्ग और वाक्य का विरोध करना चाहिए, श्रुति और लिङ्ग का नहीं। यदि लिङ्ग सबल है, तो इन्द्र पद का विशिष्ट देवता के कथन में सामर्थ्य होने के कारण इन्द्र का उपस्थान होगा। यदि सबल होता है, तो गार्हपत्य का उपस्थान होगा। इसलिए उक्त वाक्य को लिङ्ग और वाक्य के परस्पर बलाबल की परीक्षा के लिए उदाहरण समझना चाहिए; श्रुति, लिङ्ग के बलाबल की परीक्षा के लिए नहीं।

आचार्य ने समाधान किया, यह कहना ठीक है कि 'ऐन्द्रया गार्हपत्यमुपतिष्ठते' वाक्य है। परन्तु साथ ही यह श्रुति भी तो है। यहाँ कर्म करना द्वितीय विभक्ति के साथ 'गार्हपत्य' श्रवण उसे तत्काल 'उपतिष्ठते' के साथ जोड़ता है। इसलिए श्रुति लिङ्ग के विरुद्ध होती है; वाक्य का लिङ्ग से कोई विरोध नहीं, क्योंकि लिङ्ग के बलवान् होने पर 'ऐन्द्रया उपतिष्ठते' में वाक्यगत 'गार्हपत्य' पद इन्द्र को कहने के कारण उसके साथ एकवाक्यता को प्राप्त होगा; तब लिङ्ग और वाक्य का विरोध कहाँ रहा? विरोध तभी होगा, जब गार्हपत्य के साथ लिङ्ग की एकवाक्यता न हो। यह विरोध श्रुति और लिङ्ग के परस्पर-प्रतियोगी रूप में

सामने आने पर सम्भव है। इसलिए उक्त उदाहरण श्रुति और लिङ्ग के बलाबल की परीक्षा के लिए उपयुक्त है। उक्त वाक्य में 'गार्हपत्यम्' पद श्रवणमात्र से अन्य किसी की आकांक्षा या अपेक्षा किए बिना ही 'उपतिष्ठते' के साथ एकवाक्यता को प्राप्त होकर पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त कर देता है। इसमें अर्थ का विप्रकर्ष नहीं है। तात्पर्य है अर्थाभिव्यक्ति में कोई विलम्ब नहीं होता परन्तु वाक्य में तृतीयान्तर्गत करण कारक 'ऐन्द्रया' पद ऐसा नहीं है। यह पद साक्षात् इन्द्र को न कह कर इन्द्र देवतावाली ऋचा का वाचक है। वह ऋचा को ढूँढता है। ऋचा है ख्र 'कदाचनस्तरीरसिनेन्द्र ! सश्चसि दाशुषे', ऋचागत 'इन्द्र' पद देवताविशेष का कथन करने में समर्थ होने के लिए आगे आता है, उससे पहले ही श्रुति अपना कार्य कर चुकी होती है। तात्पर्य है उपस्थान के लिए अर्थाभिव्यक्ति में विलम्ब के कारण लिङ्ग अबल और अर्थाभिव्यक्ति में विलम्ब न होने के कारण श्रुति सबल है। उपस्थान गार्हपत्य अग्नि का होता है, उस अवसर पर इन्द्र देवतावाली ऋचा का केवल उच्चारण किया जाता है। ऋचा का उच्चारण करते हुए गार्हपत्य का उपस्थान किया जाता है; वह अङ्गी, और अन्य अङ्ग हैं।

लिङ्गप्रमाण और वाक्यप्रमाण का बलाबल विचार-

प्रथम निर्देशानुसार उपयुक्त अर्थ के बोधक परस्पर-सापेक्ष सुबन्त- तिङन्त पदों के समूह का नाम है। वाक्यगत वे पद श्रुतिरूप या लिङ्गरूप होते हैं। पहले जब से पद अर्थ का बोध करा देंगे, उसके अनन्तर ही वाक्य अर्थबोध करा सकेगा। जैसे लिङ्ग ('कदाचन स्तरीरचि नेन्द्र!' में इन्द्र पद) अर्थबोध कराने के लिए श्रुति ('ऐन्द्रया' पद) पर आधारित रहने से श्रुति की अपेक्षा दुर्बल होता हैं, ऐसे ही वाक्य अर्थबोध कराने में श्रुति और लिङ्ग पर आधारित रहता है, इसलिए लिङ्ग की अपेक्षा वाक्य दुर्बल होगा, क्योंकि लिङ्गपद की अपेक्षा वाक्य द्वारा अर्थबोध होने में विलम्ब हो जाता है। इसको स्पष्ट करने के लिए आचायों ने उदाहरण सुझाया- स्योनं ते सदनं कृणोमि, घृतस्य धारया सुशेवं कल्पयामि। तस्मिन् सीदाऽमृते प्रतितिष्ठ, व्रीहीणां मेध सुमनस्यमानः।

व्रीहि से तैयार किए गए पुरोडाश तेरा सुखद घर बनाता हूँ, उसे घृत की धारा से निवासयोग्य सुखकर निष्पन्न करता हूँ, निरुपद्रव उस स्थान में तू प्रतिष्ठापूर्वक स्थिर होकर बैठ। इसमें सन्देह है, क्या सम्पूर्ण मन्त्र का विनियोग पुरोडाशपात्र को घी से चुपड़ने और पुरोडाश को वहाँ रखने में करना चाहिए? अथवा 'कल्पयामि' पर्यन्त पुरोडाशपात्र के उपस्तरण (चुपड़ने) में, तथा शेष मन्त्र पुरोडाश को पुरोडाशपात्र में रखने के लिए करना चाहिए? यदि वाक्य बलवान् है, तो दोनों कार्यों (पात्र के उपस्तरण और पुरोडाश) में पूरे मन्त्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि मन्त्र के दोनों भागों के क्रियापद 'कल्पयामि' और 'सीद' एक पुरोडाश से सम्बन्ध रखते हैं; तेरे लिए घर बनाया, उसमें तू बैठ; इस प्रकार इनमें एकवाक्यता सम्पन्न होती है। यदि लिङ्ग बलवान् है, तो 'कल्पयामि पर्यन्त मन्त्रभाग का घर के बनाने में, तथा शेष भाग का पुरोडाश को रखने में विनियोग होगा। कारण यह है 'स्योनं ते सदनं कृणोमि यह अंश घर बनाने को कहने में समर्थ है; तथा 'तस्मिन् सीद' यह अंश पुरोडाश को उस स्थान में रखने को कहने में समर्थ है। जिज्ञासा है, इन दोनों में से किसको स्वीकार किया जाय? उक्त सन्दर्भ-प्रसंग में लिङ्ग और वाक्य दोनों समानबल प्रतीत होते हैं।

श्रुति के साम्मुख्य में लिङ्ग दुर्बल माना गया है। श्रुति लिङ्ग को बाधित कर देती है। जो एक की बराबरी में बाधित हो जाता है, उसकी दुर्बलता निश्चित रहती है। सम्भव है, वाक्य के साम्मुख्य में भी लिङ्ग दुर्बल होकर बाधित हो जाय। ऐसी स्थिति में आचार्य सूत्रकार ने बताया = लिङ्ग और वाक्य दोनों के साम्मुख्य में लिङ्ग सबल होता है, वाक्य दुर्बल कारण है अर्थ-विप्रकर्ष, वाक्य में अर्थ की दूरी होना। 'स्योनं ते सदनं कृणोमि यह मन्त्र दर्श-पूर्णमास प्रकरण में पठित होने से दर्श-पूर्णमास का अङ्ग है। तेरे सदन को बनाता हूँ' अपने इस अर्थसामर्थ्यरूप लिङ्ग से पुरोडाशपात्र के उपस्तरण में विनियुक्त होकर सफल प्रयोजनवाला हो जाता है। इसीलिए पुरोडाश के स्थापन में विनियोग की योग्यता को खो बैठता है। कोई ऐसा अन्य आधार नहीं, जिसके अनुसार 'स्योनं ते' मन्त्र का विनियोग पुरोडाश की स्थापना में होने का संकेत मिले।

इसी प्रकार 'तस्मिन् सीद' मन्त्र दर्श- पूर्णपास प्रकरण में पठित होने से दर्श-पूर्णमास का अङ्ग है। उस अनुकूल घर में प्रतिष्ठापूर्वक बैठ' इस अपने अर्थसामर्थ्यरूप लिङ्ग से मन्त्र का विनियोग पुरोडाश की स्थापना में निश्चित होता है। अन्य कोई ऐसा प्रमाण नहीं, जिसके आधार पर इस मन्त्र का विनियोग पुरोडाश के उपस्तरण में सोचा जा सके। 'स्योनं ते' इस मन्त्र के श्रवणमात्र से तेरा घर बनाता हूँ यह स्पष्ट प्रत्यक्ष अर्थ उपस्थित होता है, जो उपस्तरण कर्म के कथन करने का सामर्थ्यरूप श्रुत्यर्थ के निकट होने से मुख्य है, बलवान् है। इसके विपरीत 'तस्मिन् सीद' इस मन्त्र का उपस्तरण में विनियोग मन्त्र के साथ उसकी एकवाक्यता की कल्पना के अनन्तर होता है, अतः वह श्रुत्यर्थ से दूर पड़ जाता है। फलतः लिङ्ग और वाक्य के साम्मुख्य में लिङ्ग से वाक्य बाधित हो जाता है, इसलिए लिङ्ग के अनुसार 'स्योनं ते' मन्त्रभाग पुराडाश के उपस्तरण में और 'तस्मिन् सीद' मन्त्रभाग पुरोडाश के स्थापन में विनियुक्त होता है. यह निश्चित है। यह कहना न्याय्य नहीं है कि श्रुति से बाधित लिङ्ग को वाक्य से भी बाधित माना जाय। यदि श्रुत्यर्थ से लिङ्ग अनुगृहीत होता है, और वाक्य दूर पड़ जाता है, तो वाक्य की बराबरी में लिङ्ग को बाधि त कहना अप्रामाणिक होने से अनुचित है। श्रुत्यर्थ सामीप्य से समर्थित लिङ्ग वाक्य से बलवान् होता है।।

वाक्यप्रमाण और प्रकरणप्रमाण का बलाबल विचार-

प्रथम बताया गया. इतिकर्तव्यता की आकांक्षा करने वाले कर्तव्य का कथन किया जाना प्रकरण का स्वरूप है। कोई कर्म किस प्रकार किया जाना चाहिए, यह बताना प्रकरण है। वाक्य और

प्रकरण के विरोध में कैसे निर्णय होगा? यह बताना चाहिए। परस्पर अपेक्षित सार्थक पदों का समूह वाक्य, तथा इस प्रकार के अनेक वाक्यों का समूह प्रकरण होता है। प्रकरण अपनी सार्थकता और सफल प्रयोजनवाला होने के लिए वाक्य की अपेक्षा रखता है, इसलिए वाक्य सदा प्रकरण से बलवान् रहेगा। इसके लिए सूक्तवाक निगद उपयुक्त उदाहरण है।

इदं द्यावापृथिवी भद्रमभूत्। अर्ष्म सूक्तवाकम् उत नमोवाकम् इह गतिर्वामस्येदं च। नमो देवेभ्यः। ऋष्या स्म सूक्तोच्यमग्ने। (तै. ब्रा. 3/5/10)

इस मन्त्र में पूर्णमासी के दिन यजन किये' अग्नीषोम और प्रजापति देवता, अमावास्या के दिन यजन किये गये इन्द्राग्नी इन्द्र (अन्य पक्ष में महेन्द्र) देवता स्मरण किये गये हैं।

वाक्य और प्रकरण में परस्पर बलाबल की परीक्षा के लिए उपयुक्त वाले सूक्तवाक में दोनों समानबल' प्रतीत होते हैं। क्योंकि वाक्य और प्रकरण दोनों में समानरूप से इतिकर्तव्यता की आकांक्षा होने पर किसी एक के बलाबल का निश्चय करने में कोई कारण दिखाई नहीं देता, इसलिए दोनों समानबल है, यहीं कहना होगा। फिर भी वाक्य को दुर्बल कहा जा सकता है, क्योंकि वह लिङ्ग में बाधित है। सूक्तवाक मन्त्र दर्शपूर्णमास याग के प्रसंग में पठित है। मन्त्र में जो दोनों यागों के देवताओं का कथन है, उसमें एकवाक्यता प्राप्त नहीं होती। वहाँ देवताकथन लिङ्गसे इन्द्राग्नी, इन्द्र को पौर्णमासी में प्रयोग से हटाकर अमावास्या में प्रयुक्त करना चाहिए। ऐसे ही अग्नीषोम, प्रजापति को अमावास्या में प्रयोग से हटाकर पूर्णमासी में प्रयुक्त करना चाहिए। इसमें सन्देह होता है यदि प्रकरण बलवान् है, तो जो इस दर्शपूर्णमास में यजन किये गये देवता का स्तुतिरूप शेष वाक्य है 'अवीवृधेतां महोज्यायोऽक्ताताम्' आदि, क्या उसे जितनी बार सूक्तवाक में पढ़ा है, उतनी बार पौर्णमासी अमावास्या दोनों यागों में प्रयोग करना होगा? अथवा यदि वाक्य बलवान् है, तो इन्द्राग्नी शब्द का उत्कर्ष कर (उसे उखाड़कर) जहाँ ले जाया गया है; तथा अग्नीषोम का उत्कर्ष कर जहाँ उसे ले जाया गया है, वहाँ ही प्रयोग करना होगा? इस विषय में वाक्य और प्रकरण दोनों समानबल प्रतीत होते हैं। इसका निर्णय कैसे किया जाय?

आचार्य का समाधान- इसका निर्णय अर्थविप्रकर्ष (अर्थ की दूरी) के आधार पर किया जाना चाहिए। जहाँ अर्थ की दूरी है, वह दुर्बल: जहाँ सामीप्य है, वह सबल होगा। सोचना चाहिए, यहाँ अर्थ की दूरी क्या है?

वाक्य में प्रत्येक पद अलग-अलग साकांक्ष रहता है। वाक्य के पूरे अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए वाक्यगत पद एक-दूसरे की आकांक्षा रखते हैं। समस्त पद मिलकर पूरा वाक्य अभिमत अर्थ को अभिव्यक्त करने में निराकांक्ष हो जाता है; अपने पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त कर कार्यानुष्ठान में प्रवृत्ति का प्रयोजक हो जाता है। प्रकरण में यह स्थिति नहीं रहती। प्रकरण अनेक वाक्यों का समुदाय होता है। दर्शपूर्णमास प्रकरण में सूक्तवाक मन्त्र पठित है- 'दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत' वाक्य से याग का विधान है। उसे अपनी इतिकर्त्तव्यता की आकांक्षा रहती है। समीप में पठित सूक्तवाक है। तब वहाँ वाक्यान्तर से जाना जाता है 'सूक्तवाकेन प्रस्तर प्रहरति' सूक्तवाक मन्त्र का उच्चारण करते हुए प्रस्तर को अग्नि में छोड़ता है। इस मन्त्र में पौर्णमासी देवतावाची और अमावास्या देवतावाची पदों का प्रयोग एक-दूसरे से पृथक् करके किया जाता है। उन देवताओं के शेषभूत पदों का भी पृथक् करके प्रयोग होता है। इस कारण यद्यपि प्रकरण- सामर्थ्य से पौर्णमासी के देवता-पदों के अङ्गभूत वचनों का अमावास्या के देवतावाची पदों के साथ एकवाक्यता की सम्भावना प्रकट की जा सकती है, तथापि पौर्णमासी के देवतावाची पदों के साथ उनकी एकवाक्यता प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष के साथ विरोध होने पर सम्भावना की उपेक्षा कर दी जाती है। स्वतन्त्र वाक्य की अपेक्षा प्रकरण से अर्थाभिव्यक्ति में विलम्ब होना ही अर्थ की दूरी है। इसलिए वाक्य और प्रकरण के परस्पर साम्मुख्य में वाक्य-प्रबल और प्रकरण दुर्बल रह जाता है लिङ्ग से बाधित होने पर वाक्य प्रकरण से भी बाधित होना चाहिए, यह आवश्यक नहीं है।

प्रकरणप्रमाण और स्थानप्रमाण का बलाबल विचार-

कोई वचन किस 'स्थान' पर पढ़ा गया है, अथवा किस क्रम पर पढ़ा गया है, यह एक ही बात है। स्थान-विशेष या क्रमविशेष पर पढ़ा जाना 'वचन' की अपनी विशेषता है। सूत्र में 'स्थान' पद दिया है, पर स्पष्टता की भावना से यहाँ 'क्रम-पद' का प्रयोग किया जाएगा। प्रकरण और क्रम के साम्मुख्य में कौन सबल और कौन दुर्बल है? इसका विवेचन प्रस्तुत है। इसको समझने के लिए उदाहरणरूप में आचायों ने राजसूय याग का उल्लेख किया है। राजसूय याग-प्रकरण के अन्तर्गत अभिषेचनीय के क्रम में शौन:शेप आख्यान आदि पठित हैं। राजसूय का प्रकरण होने से वहाँ प्रधान कर्म राजसूययाग है। प्रकरण और क्रम के साम्मुख्य में यदि प्रकरण बलवान है, तो शौन:शेप आख्यान आदि राजसूय प्रकरणस्थित सब कर्मों के अङ्ग होंगे। यदि क्रम बलवान् है, तो अभिषेचनीय के क्रम में पठित होने से उसी (अभिषेचनीय) कर्म के अङ्ग होंगे। अर्थाभिव्यक्ति के ये दोनों कारण आपाततः समानबल प्रतीत होते हैं; क्योंकि कोई ऐसा विशेष हेतु उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर दोनों में से किसी एक को बलवान् सिद्ध किया जा सके। प्रत्युत यह कहा जा सकता है कि प्रकरण की अपेक्षा क्रम बलवान है; क्योंकि अन्यत्र प्रकरण-वाक्य से बाधित हुआ माना गया है। एक जगह बाधित को दुर्बल ही समझना चाहिए। सम्भव है, वह क्रम से भी बाधित हो जाय।

शिष्य की जिज्ञासा का आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया- अर्थविप्रकर्ष के कारण क्रम की अपेक्षा प्रकरण बलवान् होता है। क्रम में अर्थविप्रकर्ष अर्थ की दूरी रहती है। अर्थ की दूरी यहाँ क्या है? इसे समझना चाहिए। राजसूय-प्रकरण में राजसूय याग प्रधान कर्म है। 'राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत' वचन राजसूय का विधान करता है। वह किस प्रकार किया जाना

चाहिए? अपनी इस इतिकर्तव्यता की आकांक्षा रखता है। उस आकांक्षा को प्रकरणपठित परिपूर्ण अर्थवाले समस्त वाक्य पूरा करते हैं। इसलिए राजसूय याग के साथ उनकी एकवाक्यता प्रत्यक्ष है, जो याग के प्रयोजन को पूरी करती है। उस प्रकरणगत वाक्यसमूह में एक अंश शौन: शेप उपाख्यान है और अभिषेचनीय संज्ञक सोमयाग कर्म भी। अनेक कर्मों का प्रकरण में पाठ किसी क्रम से होना ही सम्भव है। क्रम के अनुसार यदि शौन:शेप उपाख्यान अभिषेचनीय कर्म के समीप पढ़ा है, तो वह इनमें परस्पर-आकांक्षा का प्रयोजक नहीं है। ये दोनों कर्म राजसूय प्रध ान कर्म की इतिकर्त्तव्यातारूप आकांक्षा को समानरूप से पूर्ण करने के कारण उसके अङ्गभूत हैं। प्रधान कर्म के साथ अङ्गभूत कर्म की एक वाक्यता प्रत्यक्ष सिद्ध है। अभिषेचनीय कर्म के प्रति शौन: शेप उपाख्यान कर्म की अङ्गता क्रम के आधार पर सम्भावनामूलक कही जा सकती है। प्रत्यक्ष-बोधित अर्थ के साम्मुख्य में सम्भावित अर्थ बाधित हो जाता है। फलत: प्रकरण की प्रतियोगिता में क्रम दुर्बल और प्रकरण बलवान रहता है, भले ही प्रकरण वाक्य से बाधित होता हो।

स्थानप्रमाण और समाख्याप्रमाण का बराबल विचार-

क्रम और समाख्या के परस्पर विरोध में इनके बलाबल की परीक्षा के लिए उदाहरणरूप में आचायों ने पौरोडाशिक काण्ड का उल्लेख किया है। कृष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीय मैत्रायणी संहिताओं के दर्शपूर्णमास-प्रकरण का 'पौरोडाशिक काण्ड' नाम याज्ञिकों में प्रसिद्ध है। दर्श-अमावास्या के दिन तथा पौर्णमास पूर्णमासी के दिन किया जाता है। दर्श में जिस हवि का प्रयोग होता है, उसका नाम 'सान्नाय्य' तथा पौर्णमास में प्रयुक्त होने वाली हवि का नाम 'पुरोडाश' है। यद्यपि उस काण्ड में दोनों हवियो के मन्त्रों का व्याख्यान है, परन्तु पुरोडाश हवि के अधिक मन्त्र होने के कारण काण्ड का नाम 'पौरोडाशिक' व्यवहृत होता है। जिस यजमान ने सोमयाग किया है, उसके लिए दर्श नामक इष्टि में इन्द्रदेवता के निमित्त दधि और दुग्धहवि का विधान है। इन दोनों हवियों का एक इन्द्र देवता होने से दोनों को मिलाकर आहुति दी जाती है। इसी को 'सान्नाय्य' हवि कहते हैं। दूध और दधि के परस्पर सम्मिश्रण द्वारा उनका एकीकरण 'सान्नाय्य' पद का वाच्यार्थ है। पौरोडाशिक काण्ड में सानाय्य हवि के क्रम में 'शुन्धध्वं दैव्याय कर्मणे' मन्त्र पात्रशोधन में विनियोग के लिए पढ़ा गया है। अत: दैव्यकर्म के लिए पात्रों का शोधन करो।

शिष्य जिज्ञासा करता है- यहाँ सन्देह है यदि समाख्या नाम बलवान् है, तो काण्ड का 'पौरोडाशिक' नाम होने से इस मन्त्र का विनियोग पुरोडाश पात्रों के शोधन में किया जाना चाहिए। यदि क्रम बलवान है, तो साहाय्य हवि के क्रम में पठित होने से सान्नाय्य हविपात्रों के शोधन में मन्त्र का विनियोग होना चाहिए। इन दोनों में बलाबल का निर्णय होना अपेक्षित है। आपातत: ये समानबल प्रतीत होते हैं; क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को बलवान और दूसरे को दुर्बल बताने वाला कोई विशेष कारण उपलब्ध नहीं है। फिर भी प्रकरण से बाधित होने के कारण क्रम को दुर्बल कहा जा सकता है। तब नाम (समाख्या) कारण के आधार पर उक्त का विनियोग पुरोडाश-पात्रों के शोधन में किया जाना चाहिए, यह प्राप्त होता है।

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया- क्रम और समाख्या के साम्मुख्य में क्रम बलवान् होता है तथा अगला समाख्या- कारण दुर्बल (पारदौर्बल्यम्), क्योंकि समाख्या में अर्थ की दूरी रहती है (अर्थविप्रकर्षात्)। समाख्या का अर्थविप्रकर्ष क्या है? वह इस प्रकार समझना चाहिए 'शुन्धध्वं वैव्याय कर्मणे' मन्त्र का पाठ सान्त्राय्य हवि के क्रम में उपलब्ध हैं, इसलिए सानाय्य हवि के साथ उसका साक्षात् सम्बन्ध स्पष्ट है। समाख्या (पौरोडाकि नामक काण्ड) में पुरोडाश के साथ 'शुन्धध्वं दैव्याय' मन्त्र का सम्बन्ध नहीं कहा गया। 'पौरोडाशिक' इस समाख्या (काण्ड के नाम) में 'पुरोडाश' पद देखे जाने से अर्थापत्ति प्रमाण के आधार पर 'शुन्धध्वं' मन्त्र का पुरोडाश के साथ सम्बन्ध जोड़े जाने की कल्पना की जाती है। इसलिए सान्नाय्य हवि के साथ मन्त्र का स्पष्ट सम्बन्ध बताने वाले क्रम से समाख्या-कारण बाधित हो जाता है।

निष्कर्ष- श्रुति आदि विनियोग के प्रयोजक कारणों में बलाबल की परीक्षा वहीं अपेक्षित होती है, जहाँ एक ही लक्ष्य में दो कारण परस्पर-विरोधी बनकर उपस्थित होते हैं। अविरोध अवस्था में अपने-अपने लक्ष्य में सभी कारण बलवान् हैं। अपने लक्ष्य में प्रत्येक कारण विनियोग का प्रयोजक होता है। इसी अनुसार अङ्गाङ्गिभाव निर्धारित किया जाता है। जिसका विनियोग किया जाय वह अङ्ग, जहाँ विनियोग किया जाय वह अङ्गी होता है।

इति बलाबल विचार।

Impact of Foreign Direct Investment on Indian Economy

Mr. Bhuvan Chittoria

Research Scholar, A.B.S.T. Department, University of Rajasthan, Jaipur

Abstract:

Today the economic situation of the whole world is such that all the countries are competing with each other. All countries are competitors of each other as well as depend on each other economically. Countries with developed economies already have sufficient resources and economic strength in abundance. Developed countries want to keep such countries integrated with them, which have mineral reserves and human resources available. Countries with developing and underdeveloped economies require money for development and progress. Developed, developing and underdeveloped economy countries are dependent on each other. Foreign Direct Investment (FDI) is a great way to meet the needs of these economies. Most of the countries have accepted Foreign Direct Investment (FDI) with increasing globalization. Due to which there has been an increase in the flow of Foreign Direct Investment (FDI). Top of ForIndia has also now opened the doors of globalization for its economy. Foreign Direct Investment (FDI) has been welcomed to compete with the global economy and for the economic development and progress of the country. For increasing global competition and overall development, the Government of India reformed and changed its policies in 2019-20 to attract foreign investors and encourage them to invest. Data from 2010 to 2021 has been taken for the study.Bottom of Form

Key words: Foreign Direct Investment (FDI), Economic Development, Economic integration, Sectorial Growth.

1. Introduction:

India is a developing economy. India has given great importance to investment for its economic development since independence. India has opened the doors of the Indian economy to foreign investors since economic liberalization and globalization. Foreign investment acts as fuel for the economy. Due to which the economy gets the pace of development. Economic activities are encouraged by foreign investment, new employment opportunities are generated, but new and modern technology is also available through foreign investment which helps in becoming a better competitor. Under Foreign Direct Investment (FDI), investors from other countries invest capital. That capital is invested in the productive capacity of the country's economy. Foreign Direct Investment (FDI) promotes transfer of new technology, education, skills, capital investment, technology and international trade. Foreign Direct Investment (FDI) is more flexible as compared to other investment instruments. There is capital availability through Foreign Direct Investment (FDI), but along with it, management knowledge and methods of governance are also exchanged, which is very important along with capital. India is a developing economy. Foreign Direct Investment (FDI) is essential for developing countries to meet their needs and growth. In India Foreign Direct Investment (FDI) is approved by two ways i.e. through Reserve Bank of India & Government of India in different sectors.

2. Review of Literature:

Manish and Gori (2014): "Trends of Foreign Direct Investment (FDI) in India". In this study research analysis Foreign Direct Investment (FDI) trends in Indian economy. He found that fluctuations in flow of Foreign Direct Investment (FDI) in Indian economy.

Yan C & Moui chu (2016): "A Comparative study of Foreign Direct Investment (FDI) in India and China": Researcher found in this study both County enjoy the Foreign Direct Investment (FDI) for their economy Growth. But China is much better than India.

B.B. Singh (2018): "Reform in Policy for Foreign Direct Investment (FDI) in India": In this study research found that after liberalization and globalization India take many effective reforms in their investment policy. Their results the Foreign Direct Investment (FDI) attract towards the Indian economy and boost the economy. In recent years Government of India take many reforms in policy which also give strength to the Indian economy.

Anwar & Monish (2020): "Evaluate the Foreign Direct Investment (FDI) and economic growth of India": In this research article author found that in 1980 to 2000 the Foreign Direct Investment (FDI) flow was 25.50% which was very low because of external borrowing. So, the economic growth of India is also slow. In 2001 to 2020 the Foreign Direct Investment (FDI) is 40.50% which is faster than prior, but not sufficient for fastest growth.

R.K. Malik (2021) "An Analysis of Foreign Direct Investment (FDI) in India" In this study researcher found that Foreign Direct Investment (FDI) is very important tool to enhance the economy. It gives latest technology, education & skill. It increases the foreign reserve of country. It helps in generate employment in country. It makes good relations between two or more countries.

3. Research Gap:

Many studies has done on Foreign Direct Investment (FDI) impact on Indian Economy, but it is always required to examine them on a regular basis to verify that the genuine situation is being maintained and understand its effectiveness to the economy of country.

4. Objective of the paper:

1. To Study the trends and pattern of flow Foreign Direct Investment (FDI).
2. To analyze the Impact of Foreign Direct Investment (FDI) on Indian economy.

5. Research Methodology:

The data in the research paper has been collected from secondary sources i.e. newspaper, Journal, Articles, RBI website and internet to fulfill the objectives of this study. The research paper is conceptual in nature and the data collected is qualitative. Basically this study throws light on the impact of Foreign Direct Investment (FDI) on the Indian economy. The data collected from Year 2010 to 2021.

6. Impact of Foreign Direct Investment (FDI) on Economy:

Foreign Direct Investment (FDI) means that a company of one country invests in another country or in a company of another country. If the company buys 10% or more stakes in the company of another country, then only it will be called FDI. If the company buys less than 10% stake in the company of another country, then it is called Foreign Portfolio Investment (FPI). Foreign Direct Investment (FDI) is not only an important tool for the global economy, but also an important tool for India's economic development. Developing countries have many problems related to investment. Foreign Direct Investment (FDI) helps in creating an open, comprehensive and effective policy environment for these problems and also provides human resources and institutional framework. Foreign Direct Investment (FDI) assures developing countries of a large amount of domestic capital, production levels and job prospects, which is an important factor for economic growth. Getting Foreign Direct Investment (FDI) has become an important factor to make India's economic development plans successful and has become a driving force for the Indian economy to grow.

Foreign Direct Investment (FDI) provides capital as well as managerial knowledge, advanced technology, information, education and institutional framework. It provides access to the international market for the economy and development. Due to the availability of foreign currency under it, it helps in reducing the trade deficit. Through Foreign Direct Investment (FDI) foreign firms come which bring with them new technology and new ways of doing business. There is competition between foreign business and domestic business and domestic business is also forced to create new techniques and methods for business to remain competitive. Through Foreign Direct Investment (FDI), the transfer of knowledge

and availability of capital becomes easier. Due to which significant contribution is received in the economic development and progress of developing countries and Foreign Direct Investment (FDI) is an important component for the economic development of emerging countries.

7. Data Analysis of Inflow of FDI on Indian economy:

A careful analysis of the data is necessary to evaluate the impact of Foreign Direct Investment (FDI) inflows on the Indian economy.

Foreign Direct Investment (FDI) in INDIA

Foreign Direct Investment (FDI) in INDIA			
Year	Inflows, US $ (In Billion)	Increase or Decrease % in FDI	% of GDP
2010	27.39688503	-23.0022	1.635
2011	36.4986546	33.22191	2.0021
2012	23.99568501	-34.256	1.3129
2013	28.15303127	17.32539	1.5163
2014	34.57664369	22.81677	1.6957
2015	44.00949213	27.28098	2.0921
2016	44.45857155	1.020415	1.9374
2017	39.96609136	-10.1049	1.5073
2018	42.11745074	5.382962	1.5582
2019	50.61064735	20.1655	1.7874
2020	64.36236499	27.17159	2.4127
2021	44.72727756	-30.5071	1.4082

Table - A

7.1 Inferences: The Table A shows the inflow of Foreign Direct Investment (FDI) in Indian economy and Percentage of FDI in GDP of India. In Year 2010 FDI inflows was US $ 27.39688503 Billion and % of GDP was 1.635, In Year 2011 FDI inflows was US $ 36.4986546 Billion and % of GDP was 2.0021, In Year 2012 FDI inflows was US $ 23.99568501 Billion and % of GDP was 1.3129, In Year 2013 FDI inflows was US $ 28.15303127 Billion and % of GDP was 1.5163, In Year 2014 FDI inflows was US $ 34.57664369 Billion and % of GDP was 1.6957, In Year 2015 FDI inflows was US $ 44.00949213 Billion and % of GDP was 2.0921, In Year 2016 FDI inflows was US $ 44.45857155 Billion and % of GDP was 1.9374, In Year 2017 FDI inflows was US $ 39.96609136 Billion and % of GDP was 1.5073, In Year 2018 FDI inflows was US $ 42.11745074 Billion and % of GDP was 1.5582, In Year 2019 FDI inflows was US $ 50.61064735 Billion and % of GDP was 1.7874, In Year 2020 FDI inflows was US $ 64.36236499 Billion and % of GDP was 2.4127, In Year 2021 FDI inflows was US $ 44.72727756 Billion and % of GDP was 1.4082.

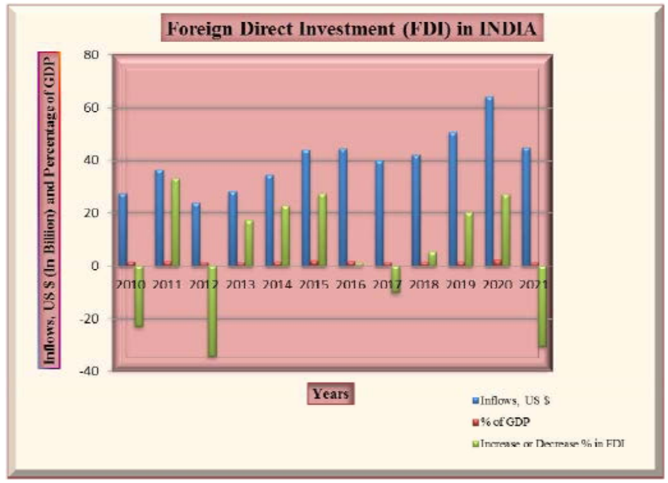

GRAPH - 1

7.2 Inferences: The Graph - 1 shows the trends of FDI Inflow in Indian economy and percentage of FDI in GDP of India. We found FDI for Year 2010 was $ 27.39688503 Billion; it was 23.0022% decline from 2009. In Year 2011 was $ 36.4986546 Billion; it was 33.22191% increase from 2010 and % in GDP was also increase. In Year 2012 was $ 23.99568501 Billion; it was 34.256% decline from 2011 and % in GDP was also decline. In Year 2013 was $ 28.15303127 Billion; it was 17.32539% increase from 2012 and % in GDP was also increase. In Year 2014 was $ 34.57664369 Billion; it was 22.81677% increase from 2013 and % in GDP was also increase. In Year 2015 was $ 44.00949213 Billion; it was 27.28098% increase from 2014 and % in GDP was also increase. In Year 2016 was $ 44.45857155 Billion; it was 1.020415% increase from 2015 and % in GDP was also increase. In Year 2017 was $ 39.96609136 Billion; it was 10.1049% decline from 2016 and % in GDP was also decline. In Year 2018 was $ 42.11745074 Billion; it was 5.382962% increase from 2017 and % in GDP was also increase. In Year 2019 was $ 50.61064735 Billion; it was 20.1655% increase from 2018 and % in GDP was also increase. In Year 2020 was $ 64.36236499 Billion; it was 27.17159% increase from 2019 and % in GDP was also increase. In Year 2021 was $ 44.72727756 Billion; it was 30.5071% decline from 2020 and % in GDP was also decline.

8. Conclusion:

We found from analysis that when Foreign Direct Investment (FDI) is increase then the growth of economy is also increase. Foreign Direct Investment (FDI) promotes international trade, because of Foreign Direct Investment (FDI) India

is connected to the supply chain and its result India's role in supply chain increased. Today the world is connected through supply chain. So, many countries are depended on India. Foreign Direct Investment (FDI) allows transfer of latest technology, experience and knowledge. Many foreign companies invest in India because of cheap skilled labor, which also lowers the cost of production, and increases employment in India. Increase in foreign exchange reserves of India and trade with other countries also increase.

9. Reference:

- Manish and Gori "Trends of Foreign Direct Investment (FDI) in India" Journal of CS (11-16).
- Yan C & Moui chu "A Comparative study of Foreign Direct Investment (FDI) in India and China" kaav international journal (44-52).
- B.B. Singh "Reform in Policy for Foreign Direct Investment (FDI) in India" Times of India article.
- Anwar & Monish "Evaluate the Foreign Direct Investment (FDI) and economic growth of India". Zeus international Journal (110 - 120)
- R.K. Malik "An Analysis of Foreign Direct Investment (FDI) in India". Online Article & Papers.
- Dr. Varsha Jha "Impact of FII on Indian economy" Commerce journal (76-84).

Gender Equality in Ancient India

Dr. Pratyancha Pandey

Asst. Professor, Ancient History, Kashi Naresh, Govt. P.G. College, Gyanpur Bhadohi.

Abstract: Women has been the centre of study from the ancient to the modern times. She has been branded as a mysterious creature as well as a devoted mother and self sacrificing wife. A description of status, position and education of women of ancient India is incomplete without making any reference to Manu's views. In the words of Manu Smriti (about 200 B.C.) "women is a perpetual minor and has to lead entire life under the guardianship of father, the husband or the son". The main purpose of this paper is to demonstrate notion of gender equality and to acquire an understanding of the status of women in ancient India. The women in ancient times were considered with respect and dignity. During this period, there were women rishis, and they were held in high esteem. In royal households, women were given respect and they some times rendered a significant contribution in making the decisions and other administrative functions. In Indus valley civilization women had a respectable position in society. In early Vedic period there was plethora of Goddesses to respect for women. In Vedic society women participated in religious ceremony and tribal assemblies they could remarry and child marriage was not known in the society. But, in the later Vedic period the position of women gradually deteriorated. Political rights of women was lost. Child marriage and system of sati emerged as a formal custom during later Vedic period. But in Buddhist and Jain culture women were respected and given rightful place in the society.

Keywords: gender equality, status of women, religious ceremony, Plethora of Goddesses, ancient India.

To have an accurate picture of the position of women in ancient India it is however not an easy task. Scholars are of different opinion yet the thoughts are almost similar. From overall study of the vedic literature one can hold a considered view that the position of women in Vedic age was much satisfactory and much better than that of later ages. They received all rights to get education like Boys, underwent Brahmacharyya discipline, studied the Vedas and few of them are figures as the seers of the Vedic hymns.[1] The sacrifice was performed by the joint effort of the marriage couple. Even sometimes the wives can perform religious sacrifices by their own.

There is a Vedic saying that "Yatra Naryastu Pujyanta Ramante Tatra Devta i.e. where women are worshipped, there the Gods dwell[2] or where the women are happy, there will be prosperity.[3] A women therefore must be honored and adorned by her father, brother, husband and brother-in-laws, for their welfare. But, where the women are not honoured no sacred rites yields rewards. Furthermore, it is found in the Vedas that when a women is invited into the family through marriage, she enters, 'as a river enters the sea' and 'to rule there along with her husband', as a queen, over the other members of the family.[4]

Gender Equality between man and women refers to the state of equal case of access to resources and opportunities regardless of gender including decision making and economic participation. It entails the concept that all human beings, both men and women are free to develop their personal abilities and make choices without the limitations.[5] Gender equality means that the different behvour and aspirations and needs of men and women are considered valued and favoured equally. It means fairness of treatment of men and women according to their respective needs.

There is a social distinction with men and women in society. Both have distinct roles to perform. Men are serving as resource provider and women perform the domestic duties along with reproduction. Wives and mothers were regarded as important roles for women. To day as per our constitution we provide equal status to women on the basis of equality principle such as equality, dignity and freedom from discrimination.[6] To achieve or gain above mentioned equalities Indian women have to struggle for a long time. Even though women in the early vedic period occupied a dignified status, as they participated in outdoor

life as circumstances and conditions required. However, as the vedic period progressed, women's status degraded. Women were never supported by a patriarchal society. Women were never treated as equal and they were never encouraged to come out from their houses.

From the very beginning women have played an extremely important role in shaping the history of India. Historical studies, scriptures point out that Indian women enjoyed a comparatively high status during the early vedic period. In the Indus valley civilization the evidence of female clay figurines is to highlight the social, cultural role of women in that society. The hair styles, ornaments, dressing clearly indicate the important prominence assigned to women at that time. The Dancing girl made out of bronze suggests specific public activities played by women at that time.

Women had an equal standing with men in all aspects of life during the early vedic period.[7] In ancient India, women were respected though there was a patriarchal society. The Vedic Aryans, who were mostly busy in fighting wars, regarded women as useful and productive member of the Society. Women of ancient times (Kshatriya Caste) were trained in the field of martial arts and arms. The condition of Vedic women was good. In ancient times the multitude of goddesses was created to instil respect for woman. Ardhanareshwar was highly worshiped. Hindu considers, that the man and women represent the two aspects of one person. Scriptures says that Lord Shiva consists of a body of a two halves one is of male and others is of female and he is called 'Ardhanareshwar'. It can be envisioned as an amalgamation of Shiva-'Matter' and Shakti-'Energy', giving equal importance to both. Women was considered more powerful than men and treated as "Goddess of Shakti". The Shakta Hindu regard the Mother Divine as the supreme creator and even Vaishnavites and Saivites, who adore Lord Vishnu or Lord Shiva as Supreme Deity claim that one can no longer approach God through his Shakti.

Women took part in religious ceremonies and tribal gatherings in Vedic Civilization. In spiritual field, wife enjoyed full rights and routinely joined and participated in religious ceremonies with her husband. Religious ceremonies and sacrifices were performed jointly by husband and wife, women even took part in the religious lectures. There was no restriction or bar for women to read or study of any our sacred literature. As a result, women were not inferior to males in terms of spirituality. Women in vedic civilization enjoyed both marriage and home life. They were given the option to have multiple husbands and they could leave their current husbands. Women who are widow could remarry. Child marriage was not known. There are indications of matrilineal influence in the society. According to Rigveda, the wife and husband are equal in every way since they are equal halves of the same material, therefore, both should join and take part in all religious works. The Rigveda had rendered the highest social status to qualified women for those time. Women choose their husbands through a type of marriage called 'Swayamvara' or a live in relationship known as 'Gandharva marriage'.[8] Instances of Swayamvara ceremony can be found in Epics, the Ramayana and Mahabharata. This was still continued with the upper class families later on.

The Rigveda provides ample evidence to prove the concept of equality of women with men as regards access and capacity to acquire the highest knowledge, even the absolute knowledge. Many of the Vedic rishis were women. Women of all ages, single or married were acknowledging vedic authority. The prophetes

Gargi questioned the origins of all life, wrote several vedic songs. Other Vedic hymns include Vishwawara, Sikta and others. Many women rishis are mentioned in the Rigveda, it contains dozens of verses accredited to the women philosophers. Ghose and the Maitreyi, who rejected half her husbands Yajnavalkyas wealth in favour of spiritual knowledge.[9] It also contains long philosophical conversations between the sage Agasthya and his highly educated wife Lopamudra. Rigveda says that the entire world of noble people bows to the glory of the glorious woman so that she enlightens us with knowledge and foresight. They are considered as the societies leader and a source of information to everyone. Women is considered as a symbol of prosperity and daughter of brilliance. We should appreciate and respect her so that she destroys the tendencies of evil and hatred from the society.

When we specially talk about the Equality we find that the vedas speak highly of equality and brotherhood.

''वसुधैव कुटुम्बकम्''

"The entire world is a family" was the motto of vedic civilization. All had equal opportunity in all walks of life in Vedic civilization. As said

सं गच्छध्वं सं बद्धवं (RV:X.191.2) Vedic riches which command equality of all by birth and unity and harmony among them. ''समानो मन्त्रः समितिः समानी।''

Atharva Veda says that when a bride enters a family through marriage she is to "rule there along with her husband, as a queen, over the other members of the family." It also states that women should be valiant, scholarly, prosperous, intelligent and knowledgeable. Woman should participate in legislative chambers and be the protectors of the family and society. Atharveda expressly sanctions study of the Vedas by girls/ women. ब्रह्मचर्येण कन्या, युवानं विन्दते पतिं''A Thus we find that gender equality is also the cardinal norms of the Vedas.

Brihadaranka Upanishad provides genealogies of teachers such as Gargi and Maitreyi. Gargi challenged the sage Yajnavalkya with questions about the soul which confounded that learned man. Upanishad relates to the spiritual teachings given by Yajnavalkya to Maitreyi.[10] Upanishad state that we individual souls are neither masculine nor feminine as individuals. Hinduism teaches that each of us passes through many lives, both male and female.

As the time passed the status of women has also changed in all aspects of society. The women's standing deteriorated in later Vedic and Epic period. During this women's political rights of attending assemblies was lost. Child marriage came into existence. Aitrreya Brahman claims that a daughter has been described as a cause of misery. The position of women gradually deteriorated as the vedic ideals of unity and equality began to fade off through the passage of time. Women lost the some rights and privileges as males. Women took part in each family rituals with the men, but they only played a role as silent observer and not as an active person. Women began to be discriminated against in terms of education and of other privileges. Emphasis was laid on the physical virtue of women in child marriages and their unquestioned obedience towards the husband resulted in constant degradation of their position.

The women in ancient Indian Epic period enjoyed an honourable position at home. Ramayana and Mahabharata had given a respectable place for women.[11] In both the Epics womens had been called as the root cause of ahimsa and the source of dharma, pleasure and prosperity. We find many references to women who have shown courage, strength, will power and valour, such as Sita, Savitri, Draupadi and others. Ramayana is a wonderful depiction of Hindus Ideas of womanhood and it glorifies the value of 'Patibrata' and idealises womanhood as one of the most venerable aspects of our heritage.[12] Epic Mahabharata also outlines the responsibilities and attitude of wife towards her husband. In ancient Indian society women held very prominent and important position. However, there is evidence that women's authority has destroyed kingdoms and mighty rulers. The Mahabharata by Veda Vyasa tells the story of the fall of Kauravas as a result of their humiliation of Draupadi. Valmiki's Ramayana is also about the annihilation of Ravana when he Kidnapped and tried to marry Sita forcibly. Two incidents from the Ramayana are usually quoted to demonstrate women's subordination which are Sita's 'Agni Pariksha' and her exile to the Forest.

During the period of Dharmashastras and Puranas the status of women gradually declined and underwent a major change. One of the Dhamashastras is the Manusmriti, which was composed well after the vedic period. Its derogatory statements about women have been highly publicized by those who would denigrate and destroy Hinduism. Women were bracketed with the Sudras during the smriti period and were denied the right to study the vedas, speak vedic mantras or perform vedic ceremonies. For women, marriage or domestic life has become compulsory, and their sole responsibility is to look after their husband.[13] The girls were deprived of formal education. Daughters were regarded as second class citizens, women's rights were also reduced. Sons were given more weightage than daughter's. Girls were not allowed to study the Vedas or become Brahmacharinies. Manu, the law giver of Indian society said that "women have to be under their father throughout childhood, under their husband during youth, and under their son during old age."[14] At no stage of life women shall deserve freedom. This was the attitude of a typical patriarchal society based on private property. As a

result, she lost her independence and became life long dependent on male- dominated society.

Due to various restrictions imposed on the freedom of women, numerous issues began to emerge. In the social fields, prepuberty marriage came in practice, widow re-marriage was prohibited, the husband was treated as God for a woman, education was totally denied to women etc. The custom of 'Devdasi' and 'Sati' become increasingly prevalent, purdah system came into existence and practice of polygamy came to be accepted. Woman became a sort of property. She could be given away or loaned as any item of property. Women were not granted any property rights under the Brahmanical law. If a women loses her property rights she was totally denied a share in her husband's property, arguing that a wife and a slave cannot own property. She was forbidden, to offer scarifies, prayers, to practice penance and to go pilgrimages in the religious fields.

Some sociological thinkers claim that there are a variety of explanations for womens inferior status in the later vedic period. The imposition of Brahmanical austerities on the society, the caste system and joint family system's stringent constraints, the absence of educational opportunities for women, the entry of non-Aryan households and foreign invasions are among the reasons. As a result, the social, cultural and religious backbone of Indian society is based on patriarchal structure which gives the secondary status to the women.

Women in Buddhism become an important topic as it is associated with their theology, history, anthropology and feminism. The status of women slightly impended during the Buddhist period. The caste system's rigidities and restrictions were relaxed. Buddha preached and promoted equality and he tried to improve the cultural, educational and religious status of women. Gautam Buddha the founder of Buddhism permitted women to join his monastic community and fully participate in it. The early Budhism opinion on women is that they are inferior.[15] These are statements in Buddhist scripture that appear to be misogynists, such as the presentation of women as obstructers of men's spiritual progress or the notion that a womens birth is inferior one with less opportunity for spiritual progress. Buddhist attitude is to women as deeply ambivalent.

The various schools and traditions within Buddhism hold different view as to the possibilities of women's spiritual attainments. One thread emphasizes that in terms of spiritual attainment, women and men have equal spiritual capabilities and that women not only can, but also in many cases have attained spiritual liberation. Early Buddhist literature in the Theravada tradition, Mahayana sutras and Tantric writings all include such a worldview. There were stories of women and even children who attained enlightenment during the life time of the Buddha. Furthermore, Buddhist theories make no distinction between men and women because everyone regardless of gender, status or age is subject to old age, illness and mortality. Therefore, all are exposed to the pain and impermanence that characterize conditioned existence.

Jainism is a religion of religions equality. According to the Tattvartha Sutra, all beings-save for infernal beings, one sensed beings or gods-possess one of three genders: female, male, or hermaphroditic.[16] These genders result from a specific "body-making karma" that is linked to a person's soul. In the process of achieving spiritual liberation, this Karma is shed in order to free the soul from the cycle of rebirths known as samsara. As a result, regardless of gender, any entity with the ability to reach spiritual emancipation can do so. Although Jainism is in ways dedicated to equality for some. Jain women's very femaleness creates spiritual inequality. One of the most fundamental distinctions between Swetambara and Digambara Jains is their respective views on women as mendicants, or nuns that originated over their debate regarding nudity. Digambara Jains claims that it is necessary for all the mendicants to conduct their renunciation without clothing. For them, this represents the idealized practice of aparigraha, in which a mendicant renounces all property and possessions, including clothing. For Digambaras, women cannot become ascetics as they could not be naked, which was seen as "an essential component of the path to liberation"[17]. The Digambara Jain thinks that women can not be liberated unless they first reincarnate as men. The Svetambara Jain disagree with the Diagambara Jain because they do not believe that nakedness is a necessary part of the path to nirvana.

Women's are not allowed to be naked in public and they cannot achieve liberation directly thus they were considered as second class citizens. If women is allowed to be naked in public then men would experience sexual desire which will obstruct the men's path toward emancipation. Digambaras also believe that women are harmful. This comes from a belief that menstrual blood kills micro-organisms living in the female body. Digambaras also submit that a women's nature is to care for children and other dependents. She will find it for more challenging to break free from these earthy attachments, and unless she does so, she cannot achieve liberation.

Conclusion

It is true that women have been mistreated in ancient India, later Vedic Age, mediaeval and current Indian society as well as every where in the world except in the Rig Veda age. It is violation or breach of the Sanatana Dharma in India. Every religion seeks instruction from its scriptures and holy men and women for guidance. Women philosophers, politicians, teachers, administrators and saints are mentioned in the Vedas, Upanishads and other ancient scriptures. In today's time in the world, women in western countries are treated on an equal footing with males, but it is not so in India. Women suffered from unequal social status with men in every facet of India's male dominated society. It is evident from our culture that at one side we treat women as goddess in the form of Lakshmi, Saraswati, Durga, Kali and very next moment all the heinous and illegal offences are being committed against them like the sexual exploitation, child marriage kidnapping, rape, dowry system and most important nowadays 'Female Feticide'. But we believe that one day we will be able to overcome these issues and establish an ideal society in which women are respected and given their rightful place. It will be there own choice that they choose to focus on the role of wife, good mother, friend, philosopher scholar, guide, doctor, scientist, author, artist etc. and to be a good woman being.

References

1. Atharvaveda, II-5-18.
2. Banerjee A and Sen RK (2000) Women and Economic Development, New Delhi 182.
3. India through the Ages of the Smritis. p.103
4. Ibid.
5. Peter Singer, Practical Ethics (New Delhi Cambridge University Press, 3rd edition, 2011)
6 L.D. Prihar, Women and Law: from impoverishment to empowerment Lucknow: Eastern Book Company, 2011.
7. R.C. Mishra, women in India : Towards gender equality (New Delhi: Author- space, 2006).
8. R.C. Majumdar, Language and Literature in The history and culture of the Indian people Vol.-I, The Vedic age (Bombay: Bhartiya Vidya Bhavan).
9. Swami Gambhirananda (Ed) Upanishad granthabali (Part-3), Brihadaranyaka Upanishad (Kolkata : Udbodhan Karyalaya 1373) 157-158.
10. Ibid 156-160.
11. Swami Madhabananda and R.C. Majumdar (Ed) tr. by S. Dhar, Mahiyashi Bharternare. (Kolkata: Udbodhan Karyalaya 2000) 164-216.
12. Ibid.
13. Ranjana Mukherjee, "Prachin Bharate nari o dharma is R Basu & B. Chakraborty (Ed), Prasanga manabeevidya, (Kolkata: urbi Publishers, 2008) 183-195.
14. Majumdar M (2004) Social status of women in India Sujana Books, Delhi.
15. Paul Diana Y & Wilson Frances. Traditional views of women, women in Buddhism. Images of the Feminine in Mahayayana Tradition. (USA: University of California Press, 1985).
16. Acharya Umaswami, Tattvartha sutra, translated by Tatia, Nathmal, (New Haven, CT: Yale University Press, 2010).
17. Dunddas, The Jains (London, JK : Routledge, 2002).

Human Rights in India: A Way Forward

Dr. Pramod Gandhi

Asst. Prof., University Dept. of Sociology, L. N. Mithila University, Kameshwaranagar, Darbhanga (Bihar)

Abstract

The emergence of human rights, in the form of thought, is the product of a long process. It is an idea that has undergone various changes with the changing social conditions and time. Human rights are, in general, those rights which, being human, every human being is born without any discrimination. Human rights in India journey after independence With the passage of time and new developments, the concept of rights in India has been reviewed, such as right to good health, right to food, right to education, right to water, right to information etc. There have been many challenges in the efforts to protect and promote human rights in the Indian society. Like in relation to police administration, false implication, illegal arrest, death in custody, death in encounter etc. Historical, descriptive method has been used in this research paper. Most of the human rights violations in Indian society happen in the context of poor people or women. The police department is also found most guilty of human rights abuses. Employment of child labour, practice of bonded labour, exploitation of tribals, displacement of large number of local residents in construction of big dams, reservoirs, power projects etc. are open violations of human rights. Human rights are essential for the development of man. Without which man cannot make his full development. Every living being in the society has the right to live. So, every living being of the society also has a duty. Do not become an obstacle in anyone's life. In general sense, it can also be called the initial form of modern human rights. This is a fundamental concept of human rights. The refined and expansive concept of human rights that we see today includes the basic concept of 'live and let live'.

Key-words: Origin; Importance; Universal declaration; NHRC; Indian status.

Introduction

Every creature born in a human form has a dignity, that is why it is valuable in itself, and being a human being, it has every right to live a dignified life, therefore, as soon as it is born, nature gives it all the rights that are necessary for the existence of a human race. No person or state can take away those rights from another person. In such a situation, the National Human Rights Commission has been constituted by law to protect human rights.

Human rights are those rights that any person gets with birth. In other words, the right to life, liberty, equality and dignity of any person is a human right. Every human being can demand these rights, whether provision has been made in the constitution of that country (where he is a resident) or not. The source of their origin is not the human conscience, but the anthropological quality of the human being. Under these, other rights like political, social and economic are also included. In relation to these rights, the United Nations had issued a declaration in the year 1948. In this declaration it was said that the basic rights of human beings are different from any race, caste, religion, gender, community and language etc.[1]

Objectives

1. To find out the origin of human rights;
2. To explore out the importance of human rights;
3. To clear about the universal declaration of human rights;
4. To discuss about the current status of human rights in India and its comparison with United States.

Research Methodology

The presented research paper is based on the collection and analysis of facts related to the subject and the facts related to it. Various books and periodicals have been used as secondary sources for compilation. Also in the research paper mainly historical, descriptive method has been used.

Origin of Human Rights

The term 'human rights' was used in the 20th century. Prior to this, the words 'natural rights' or 'person's rights' were in vogue in the context of rights. The theory of natural rights has its origins in the writings of the famous philosophers Grosius, Hobbes and Locke in the 17th century. He told that the main basis of natural rights is 'natural law'. This law tells every person to respect the life, liberty and property of another person. John Locke mentioned these natural principles in his famous book "The Two Treatises on Government".[2]

Apart from this, the Declaration of Independence issued by America in 1776 also said that 'all men are created equal and the Creator has given them certain inalienable rights such as life, liberty and the pursuit of happiness.' Thereafter in 1789 In the Declaration of Human and Civil Rights declared by France, it was once again talked about the natural and inalienable rights of the individual. These countries gave these rights to their citizens as individuals and not as states.

The declarations made in the 17th and 18th centuries relating to natural rights; they were further expanded in the 20th century through the United Nations Declaration of Human Rights and several other related agreements. Simply put, human rights are the successors of the old natural rights.

Types of Human Rights

Well, there is no fixed number of human rights. As new threats and challenges emerge in diverse societies, the list of human rights continues to grow. Here we will learn about the human rights mentioned in the Universal Declaration of the United Nations. There are a total of 30 articles in this declaration, in which the mentioned human rights are generally divided into civil-political and economic-social-cultural categories. In its Article-3, it has been said about the rights of freedom and security of the person, which are necessary for the enjoyment of all other rights.[3]

Importance of Human Rights

In today's time, human rights are such a facility, without which our life would become quite frightening and pathetic because without human rights we can be subjected to all kinds of atrocities and we can be exploited without any fear. In fact, human rights have been very important not only in today's time but also throughout the history of human civilization. Even in India, citizens of many republican states had many special human rights in ancient times. In today's time, human rights ranging from prisoners to war prisoners have been decided at the international level. These rights are overseen and regulated by several major international institutions and organizations.

If there is no human rights then our life will become worse than animals, we can see a direct example of this in many dictatorial and religiously run countries in today's time. Where a person is sentenced to severe punishment like death penalty just for expressing his views or for making a small mistake because there is neither any human rights rule nor any kind of law, in addition to this in such countries Even after being punished, prisoners are treated worse than animals.[4]

On the other hand, in democratic countries, human rights are given a lot of importance and every person, whether he is a criminal or a war prisoner, is given full opportunity to present his side, along with this, even after being punished, he must be given basic facilities. From this we can get an idea of how important human rights are in our lives.

Civil and Political Rights - In the Universal Declaration, from Article 4 to Article 21, civil and political rights have been explained in detail. The main rights that come under these are as follows-

- Right to freedom from slavery
- Right to be free from cruel, inhuman treatment or punishment
- Right to equality before law
- Right to effective judicial remedies
- Freedom of movement and choice of residence
- Right to get married and settle down
- Freedom of expression
- Right to fair trial
- Right to be free from arbitrary arrest or detention
- Right to public hearing by the court
- Right to be presumed innocent before proven guilty
- Prohibition of unwanted interference in personal privacy, home, family and correspondence

- Right to assemble peacefully at any place
- Right to seek asylum
- Right to Nationality
- Right to participate in government activities of his country
- Right to equal access to public services of his country

Economic, Social and Cultural Rights - In addition to civil and political rights, the next six articles of the Declaration deal with economic, social and cultural rights. The main rights covered under these are the following-

- Right to Social Security
- Right to equal pay for equal work
- Right to work
- Right to rest and leisure
- Right to participate in education and cultural life of society

Universal Declaration of Human Rights

Human rights were grossly violated during the Second World War. For this reason, there was a need to make concrete arrangements for the protection of human rights in the future, and on 10 December 1948, the General Assembly of the United Nations accepted the Universal Declaration of Human Rights. The General Assembly called upon all member countries to disseminate this declaration. 48 countries had signed the Charter of the United Nations related to the protection of human rights, in which India was also included. But it took 45 years to create an independent institution related to human rights in India. The National Human Rights Commission (NHRC) was constituted on 12 October 1993 under the Protection of Human Rights Act 1993.[5] Apart from this, a provision was made for the constitution of Human Rights Commissions in the states as well. Let's know about NHRC-

National Human Rights Commission

- It is the apex body of the country in the matter of protection of human rights.
- It is a statutory body, formed according to the Paris Principles of 1991.
- NHRC can investigate on its own initiative or on the petition of the aggrieved person on receiving a complaint of violation of human rights.
- The mandate of this commission included studying the condition of prisoners in jails, investigating judicial and police custodial deaths, misbehavior with women and cases of disappearances etc.
- Doing research or promoting research in the field of human rights and making people aware of human rights are also included in the works of this commission.
- After studying international treaties, conventions and reports related to human rights, this commission also recommends their effective compliance.
- Apart from these, there are many functions of NHRC.

Limitations of NHRC

- Generally NHRC is compared to a lion without nails and without teeth, which is a lion to say but its powers are negligible. The reason for this comparison is that this commission can neither punish anyone nor compensate anyone in case of violation of human rights. It can only recommend trial to the government or court on the basis of its investigation. Not only this, the Central and State Governments are not bound to accept the recommendations of the Commission.
- The Commission cannot inquire into complaints which have been lodged after one year of the occurrence of the incident. Also, the commission does not have the authority to investigate cases of human rights violations by the armed forces.
- Large number of posts lying vacant, paucity of resources and funds, bureaucratic pattern of members working within commissions, non-cooperation of police and other investigative agencies etc. are major reasons for obstruction in the path of the commission.

Current Status of Human Rights in India

When it comes to protecting the dignity and liberty of an individual, the role of the judiciary is crucial. It is the protector of individual human rights as it not only protects but also explains the scope of fundamental rights. In some significant instances, judicial pronouncements or interpretations have evolved over time and have expanded the scope of human rights in India.

According to a US study, India has a number of serious human rights issues, including arbitrary and extrajudicial killings, limits on freedom of expression and the press, tolerance of corruption and abuses of religious freedom. But, there are

many organizations in India working on the development of human rights and National Human Rights Commission is one of them which is helping people related to human rights violations in India.[6]

The commission was established in 1993 by the Public Health Reform Act of 1993. The Paris Principles were adopted for the promotion and protection of human rights, which influenced national institutions and led to the establishment of the National Human Rights Commission in India. The rights of the underprivileged and the excluded are emphasized by the NHRC. As a result, it takes all necessary steps to ensure that the human rights of any individual are not violated.

NHRC works on all aspects related to human rights such as educating people, making people aware of laws and procedures related to human rights, protecting rights to health care and cleaning the environment, not only NHRC but many other NGOs Organizations and organizations working on these The main objective of these organizations is to educate people about their rights and should come forward if something is happening or if someone violates their rights.[7]

Human Rights in India Compared with the United States

In the United States, the First Amendment guarantees freedom of the press, whereas, in India, it is enshrined in Article 19(1)(a), which guarantees freedom of speech and expression. In India, filing a petition in the Supreme Court is a fundamental right, however, in the United States, the government files a petition (in the United States, the term "government" has a wider meaning and includes not only the executive, but also is the highest level of government). The right to property was abolished as a fundamental right in India in 1978, but it is still a fundamental right in the United States as no property can be taken without compensation.

In the United States, cybercrime laws differ from state to state and are unique to each state's needs. The law in the US began with the Computer Fraud and Abuse Act of 1984, which was changed from time to time to deal with new issues such as malicious code, Trojan horses, etc. After this change the government was able to punish anyone who broke cyber. Law with intent to cause harm without the knowledge of the owner of the computer. In 2002 the US government passed the Cyber Security Enhancement Act which helped law agencies to impose tougher punishments for a person who committed a computer crime and caused loss of monetary and emotional value. These punishments can vary from 5 to 20 years or extend up to life imprisonment but there is also a lack of cyber law in India.[8]

Through this we can really say that India needs to re-think the laws related to all those aspects which are dangerous to human privacy.

Statistics Related to Human Rights Violations in India

According to the data released by the NHRC, the commission in the country has registered 82,006 complaints in the last five years i.e. 2017, 85,950 in the year 2018, 76,585 in the year 2019 and 75,064 in the year 2020, 106022 in the year 2021. At the same time, in the financial year 2022-23 till the month of May, 16,504 complaints have been registered and 17043 cases (new and old) have been settled. Not only this, thousands of cases are pending before the commission.[9]

Top human rights violators

According to a survey of the year 2021, Egypt, Syria, Yemen, China, Iran, North Korea, Central African Republic, Burundi, Republic of Congo, Burma, Libya, Venezuela, Eritrea, Russia and Nigeria in cases of human rights violations in the world are on top.

Way Forward

- In order to make NHRC a strong and powerful institution, the Second Administrative Reforms Commission (ARC) has made several recommendations in its report. According to the report, the commission should prepare a uniform format for making complaints before various statutory commissions. For this, the details of the victims should be given in such a way that the coordination of the data between the various commissions is correct.
- The powers of the commission should be increased for speedy redressal of complaints.

- The lack of resources and funds in the Commission should be removed.
- A task force-like working group should be constituted in the commission, which can take immediate action.
- Cooperative attitude should be adopted by the Governments, Police, Judiciary and other investigative agencies with the Commission, so that the Commission can do its work without any hindrance.

Along with all this, we should also not forget that, if any work is harmful for our health and welfare as well as for others, then it cannot be considered as a right. Protection of human rights will not be possible only by redressal of complaints by the Human Rights Commission; People also have to be aware of their rights. Also, it is very important to keep in mind that while being aware of our rights, we also have to respect the rights of others. That is, the freedom, equality, prestige, peace that we want for ourselves, gives that to others as well. Only then we all will be able to develop and protect our human rights.

Conclusion

Laski had rightly said that "rights are that condition of social life without which no man can aspire to be his best self". The rule of human rights in India has increased with the passage of time. Due to which the best environment has been created for each person for his highest personality. Executive, statutory, judiciary, autonomous organizations like National Human Rights Commission / State Human Rights Commission etc. have helped in the direction of building such a social structure in which human rights of all can be secured. No doubt there are many challenges but they can be countered by concerted efforts of all. In the present social structure, the progress of mankind will not be ensured by scientific and technological developments, but by the success achieved by the common man in achieving human rights. We are sure that India will definitely fulfill the dream of a civil society in which there will be respect for the rights of all and happiness for all.

References

1. Aggarwal, H.O. : Human Rights, Central Law Publication, Allahabad, 2014, p. 41.
2. Joshi, R.P. : Human Rights and Duties, Abhinav Prakashan, Ajmer, 2005, p. 121.
3. Ibid, 122
4. Parashar, Anil Kumar: Human Rights: New Directions, Annual Issue-9, 2012, p. 97
5. Biswal, Taman: Human Rights, Gender and Environment, Vikas Books Pvt. Ltd., New Delhi, 2008, p. 178
6. Ibid, p. 179
7. Yadav, D.S.: Human Rights in India, Aastha Prakashan, Jaipur, 2012, p. 36-37.
8. Ibid, p. 46
9. Sharma, G, L. : Social Issues, Rawat Publications, New Delhi, 2015, p. 211.

Role of Teachers in Implimentation of Outcome based Education

Dr. Priyanka Kumari

Guest Asst Prof., Department of Sociology, M.R.M. College, L.N.M.U. Darbhanga, Bihar

Abstract:- Outcome based education is very important part of the NEP 2020. Outcome based education encourages transparency in teaching and clear expectation of results that students must achieve through their respective Courses. It also includes skills, knowledge and attitude among the students. It helps students to understand the study material group work through courses. OBE (outcome based Education) is a student Centric strategy. which is focused to achieve a pre-set Outcome by a student , So target has to be very well defined at the starting of the Course. OBE aims to achieve the target that what students are expected to know during the course and what kind of knowledge and skills they need to have When they leave the School System or Institution. In 1988 william G-spady, tells about OBE, he was a well known academician, Sociologist, educational Psychologist. In this teaching method the role of teachers is very crucial and important to achieve the target of OBE. This paper focuses on the role of teachers in implementing of OBE.

Key Word :- Outcome based education (OBE) NEP 2020 , Student-Centric method

Introduction :- The new education policy 2020 is important initiative taken by the government of India because it will significantly aid it's importance in the development of the nation as well for the Society. This policy has replaced the old previous education policy of 1986. This education policy came in to effect on july 29 2020. This policy is giving equal Importance to the study curriculum and skill development. In this policy, there is numbers of initiatives. Which is actually required in present Scenario. This new education policy focuses on improving the practical education among the Students rather than reading for learning only Because in today's environment everybody has to be Job fit, so they can get a better Job.skill development and the deep Knowledge of their courses, Could Settle the student in a better manner. The new education policy 2020 focuses on the holistic development of the students. This policy emphasises the student's self- Capabilities and Concept-based learning not on the rote learning techniques.

This new education policy is child-Centric and Works for the Overall development of the child. Education is an important factor which play's it's important role in the development of the child and it also prepare the student for their better and successful life. This policy allows encourages the students ti determine their capabalities,purpose to their life. This policy improves the creative thinking skills among the students.

The Teachers has to play its vital role in the implimentation of the new education policy. The methods of teaching has to be changed and according to the present environment. The skills which Is required for jobs are changing day by day. with the development of the technology, teachers also has to be techno friendly, so that the process of teaching can be informative, interesting for the students. In the changing Circumstances the Indian students need to be a life-long learner and for this teachers also plays a major role. It is perfectly said by the former president Dr. A.P.J. Abdul Kalam that learning needs freedom to think and imagine and both the element has to be facilitated by the teacher perfectly.

Teachers should update their teaching knowledge, which is very much important for their professional development. Teachers teach in the classroom in many way's like lectures, through small group activities and also by hands on learning activity.

Outcome based education (OBE) - A teacher is always a role model for their students. Teachers not only teach the students study materials but also they can share their problems, feelings and teachers can guide them positively. The new education policy is giving its focuses on the Outcome based

education.In this emphasis is given on the idea that what students are expected to know and be able to do in Course time. It means what kind of Skills and knowledge they need to have, when they leave the educational institution.

Outcome based education is simply a goal oriented education, so by the end of the course, each students of that particular Course should have achieved the goal. If one talk about the teaching style in Outcome based education, no single specify style of teaching is there. classes, assignments opportunities, projects could help the students to achieve the specific outcomes. In the outcome based education a teacher could be an Instructor, mentor, trainer, and facilitator. Out Come based education have been adopted in education system of many countries, at various levels.

Student's Involvement is also very important part of Outcome based education. In this system students are expected to do their learning by themself only so they could understand the material.

In the old system or traditional System of education, the teacher and Students both were spend a lot of their time to learn syllabus of their course to Secure good marks , that's why they were not skilled and knowledgeable at the end of their Course, This increase the problem of unemployment in our Country because they were not Skilled to match the requirement of their -job profile.outcome based education system brings clarity for both students and teachers. In this system, each and every student has the flexibility, freedom of learning In their own way. It reduces the Comparison among The fellow students because everyone has a different target. It also involves students to take the responsibilities for their work.

In present Scenario Outcome based education is being used widely in the Institutions across the world. Outcome based education is a kind of education where the students are expected to know and be able to know, able to have skills and knowledge, when they leave their educational premises. In this System every students have choice of their method of learning. In this method of education teachers can design curriculum and also can keep on an observation on the students that development or growth is taking place at every stage of learning.

Teachers are the backbone of the education system of every Country, upon which all aspiration are Converted into realities. It is being Said by Dr. A.P.J. Abdul Kalam.

OBE - Nep 2020 gives emphasis upon the outcome based education, skillful learning, experimental learning. Outcome based education System is a kind of System where all the parts of the education are focused upon the outcome of that Particular Course. When students get admission in any particular Course with Certain goals of gaining skill related to that particular Course, they have to complete or fulfil that goal by the end of that particular Course. This outcome based education model aim to maximize the learning outcome of the student through the development of their own Knowledge and enhancing the skills. In outcome based education focus is on, what the students have learned through their courses.

The Outcome based education has the Power to transform the learning experience of students. It is focusing on the methods of learning, not on acquiring the numbers, but this System encourages the Students to acquire Knowledge and develop a better thought process that would be really helpful in getting better job option in future.

In this outcome based education focuses on result not on learning process. Outcome based education emphasizes on the development of Critical thinking of the students rather than ability to memorize facts and figures.

In outcome based education. Outcomes are about the performance of the students. So, Outcome based education is for the student's betterment. Purpose of this model is to increase the knowledge and skill of the learner.

A teacher has to be smart in every aspect while guiding, mentoring, Counselling evaluating, Supporting to their students.

- Teachers should use ICT in the classroom to encourage outcome based education and to meet the requirement of present scenario
- In the classroom teacher should introduce project based learning to make study interesting
- Encouraging Self-appraisal and feedback for the teachers should organised

- yearly induction programme should organise for newly appointed teachers so that they could understand the process of teacheing applied by their counterparts.

So, A teacher has to play very Important role in implimentation of Outcome based education.

Conclusion - The role of teacher is very Crucial for supporting his/her students to learn effectively. Teachers are responsible to train the students for their betterment and increasing the Skill for employability, expanding the mind-set of the students, learn relevant skills, use new technologies, critical and innovative thinking. Thus the role of teacher is very important to teach student the skills which is very important for their bright future and make their life easy and comfortable.

Teaching is a noble field and each and every teacher should be passionate about learning, so they can contribute to make nation batter

Reference -

1. Spady, william (1994). Outcome Based education: Critical Issues and Answers (pdf) Arlington Virginia: American Association of School Administrators. ISBN 0876521839
2. Donnelly, Kelvin (2007) ." Australia's adoption of Outcome based education – 4 critique (PDF). Issues in Educational Research.
3. Butler, Mollie (2004). Outcomes based Outcomes focused education overview
4. Wikipedia - https://en.m. wikipedia.org
5. Ali, Syed Sumera (2023). Teachers role in outcome based Education, volume 4, issue, January 2023, ISSN - 2834-7218

Mental Health And Sustainable Development Goals

Dr. Harshita Rathore

Assistant Professor, Psychology, Government College, Sanganer, Jaipur

Abstract

There are divergent views on sustainable development, but due to paucity of space I do not want to discuss all these issues. However, it may be stated that sustainable development cannot be a static concept; hence it cannot be defined once for all. Sustainable development is a dynamic Process having equity, justice, integrative and balanced nature and common goals but different routes. The present study aims to examine the sustainable development, which cannot be achieved without including mental health. Recently, the international community has not mobilized the necessary attention, effort and resources for people with mental illness and disability, despite the knowledge that the economic cost of mental disorders is more than 4% of GDP worldwide, depression is the leading cause of disability, and each year over 800,000 suicides, many of which are preventable. 2015 is historic as two UN global frameworks have included mental health, well-being and disability: the UN Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-306 and the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Sustainable Development Goals (SDGs).

The 2030 Agenda and the SDGs build on lessons learned and gaps identified in the implementation of the Millennium Development Goals (MDGs), as well as identify emerging development challenges. While the Millennium Declaration and the Millennium Development Goals do not mention mental health and disability in any of the goals, targets and indicators, the Agenda and SDGs have included mental health and disability in several paragraphs. The vision of the 2030 Agenda is "a world with equitable and universal access to quality education at all levels, to health care and social protection, where physical, mental and social well-being is ensured". Under Goal 3 ("ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages"), Goal 3.4 is to "reduce by one-third premature mortality from non-communicable diseases through prevention and treatment and promote mental health and well-being" and Goal 3.5 is to "strengthen prevention and substance abuse treatment, including drug abuse and harmful alcohol use'. In addition, goals 4, 8, 10 and 11 contain specific references to the inclusion of persons with disabilities, which is necessary to protect and promote the rights of persons with mental, intellectual and psychosocial disabilities, who are among the most ostracized.

Keywords: Global mental health, implementation of policy, systems, evidence, low and middle income countries

Introduction

Mental health includes emotional, psychological and social well-being, affecting cognition, perception and behaviour. It also determines how an individual manages stress, interpersonal relationships and decision-making. Mental health includes, among others, subjective well-being, perceived self-efficacy, autonomy, competence, intergenerational dependence, and self-actualization of one's intellectual and emotional potential. In terms of positive psychology or holism, mental health may include an individual's ability to enjoy life and create a balance between life activities and the pursuit of psychological resilience. Cultural differences, subjective evaluations, and competing professional theories influence how one defines "mental health." Some early symptoms related to mental health problems are sleep disturbances, lack of energy, lack of appetite, and thoughts of harming yourself or others.

Mental illness is more common than cancer, diabetes or heart disease. More than 26 percent of all Americans over the age of 18 meet the criteria for mental illness. Evidence suggests that 450 million people worldwide suffer from some form

of mental illness. Major depression ranks fourth among the 10 most common causes of illness worldwide. By 2029, mental illness is predicted to become the leading cause of illness worldwide. Each year, one million people commit suicide and 10 to 20 million attempt suicide. A World Health Organization (WHO) report estimated the global cost of mental illness in 2010 at nearly $2.5 trillion (two-thirds indirect costs), with a projected increase to more than $6 trillion by 2030.

Evidence from the WHO suggests that almost half of the world's population is affected by mental illness, impacting on their self-esteem, relationships and ability to function in everyday life. An individual's emotional health can affect their physical health. Poor mental health can lead to problems such as the inability to make adequate decisions and substance use disorders.

Good mental health can improve quality of life, while poor mental health can make it worse. According to Richards, Campania and Muse-Burke, "There is a growing body of evidence showing that emotional abilities are associated with pro-social behaviors such as stress management and physical health." Their research also concluded that people who lack emotional expression tend to engage in antisocial behaviors (e.g. substance use disorder and alcohol use disorder, physical fights, vandalism) that reflect their mental health and repressed emotions. Adults and children facing mental illness may experience social stigma that can exacerbate these issues.

In September 2015, mental health was included in the UN's Sustainable Development Goals (SDGs). In this historic step, the United Nations (UN) recognized the burden of mental illness and defined mental health as a global development priority for the next 15 years. Along the way to this success, many individuals and organizations have played a role in contributing to the inclusion of mental health in the SDGs, one of which is a global initiative called fundamental SDG. The group is urging the UN to include mental health in new development goals, targets and indicators.

The Need for a Global Initiative to Strengthen Mental Health within the SDGs

Over the past 15 years, from the launch of the Millennium Development Goals (MDGs) to their target year of 2015, the mental health situation in global development has been bleak. Despite the success of the Millennium Development Goals in reducing overall health disparities between rich and poor countries, and significant achievements in the area of infectious diseases such as malaria or HIV/AIDS, this last generation of development goals did not include any reference to mental illness, despite the global impact these conditions and their cross-cutting impact on the eight Millennium Development Goals.

As the Global Burden of Disease Study 2013 found, mental and substance use disorders had increased over the previous 3 years, accounting for 11% of DALYs (compared to 7.8% in 2010) (GBD 2013 DALYs and HALE Collaborators, 2015), and these disorders alone accounted for 21.2% of YLD worldwide in 2013 (Global Burden of Disease Study Collaborators, 2015). This makes mental illness a major challenge for any health system, and mental health is a clear development problem in low- and middle-income and high-income countries (WHO World Mental Health Survey Consortium, 2004).

The latest research shows that this impact may even be underestimated. However, less developed countries in particular face a large disparity in treatment, which means that most people with a mental disorder receive no treatment and often face isolation, discrimination and violations of their human rights.

Mental health is itself a prerequisite for physical health and is strongly linked to other factors of development such as poverty, work and economic growth or peace and justice. Mental health plays a key role in efforts to achieve social inclusion and equality, universal health coverage, access to justice and human rights, and sustainable economic development. For example, poverty (Goal 1) and mental illness are closely linked, just as economic growth (Goal 8) and safe and resilient cities and towns (Goal 11) depend on an overall mentally healthy society. As a cross-cutting issue, mental health is relevant across the spectrum of development.

In mid-2014, the UN Open Working Group published a proposal for a new generation of development goals. Compared to the MDGs, the SDGs now presented a wider range of development issues to maximize inclusion and

"leave no one behind" (TUN Open Working Group, 2014). The draft set of 17 targets was developed with little public consultation and contained only one minor reference to mental health; civil society organizations, NGOs and academia have been largely ignored in this UN process. As such, the new development goals would once again essentially ignore the more than 400 million people worldwide who currently experience mental health problems.

In this context, a consortium led by King's College London and Maudsley International was formed in 2014, recognizing the need to challenge the post-2015 development agenda. A global initiative to strengthen mental health in the SDGs, called fundamental SDG, was formed, bringing together global mental health leaders from academia, civil society and service user, career and provider organizations (www.fundamental SDG.org). The Fundamental SDG Steering Group advocated for UN Member States to include two mental health targets and two indicators in the draft health SDG target. The proposed targets and indicators were fully aligned with the WHO Global Plan of Action for Mental Health 2013–2020 and the proposal submitted by the UN Sustainable Development Solutions Network (UN SDSN).

Contribution of Fundamental SDG

With a series of coordinated global actions in 2014-2015, members of the Fundamental SDG Steering Group reached out to international leaders and national policy makers in the field of mental health in collaboration with a growing network of civil society members. Actions taken by the group included sending advocacy letters to all representatives of UN member states (where contact details could be obtained), active direct approaches and meetings with individual key policy makers in the sustainable development process, advocacy presentations at national and international meetings, and more. International celebrities and members of the media took up and supported the work, and within months the initiative gained worldwide recognition. In late 2014, former UN Secretary-General Kofi Annan highlighted the importance of human rights violations related to people with mental disorders and pointed to the importance of mental health for global development. In his summary report on the post-2015 agenda in December 2014, UN Secretary-General Ban Ki-Moon included the need for a new development agenda to address universal health care coverage, accessibility and affordability to reduce the burden of non-communicable diseases, including mental illness (UN, 2014).

Almost 1 year after Fundamental SDG launched its global efforts, negotiations among UN member states on a new development agenda were coming to an end. Despite all the concerted efforts to strengthen mental health, this draft SDG did not leave much room for hope. Due to many other global development issues, the mental health content of the draft SDGs has not been strengthened. However, during the summer of 2015, Fundamental SDG re-invigorated its efforts and advocated with national governments, highlighting the importance of mental health for global development, to pave the way for the final negotiations at the UN in autumn 2015.

In 2015, at its 70th session, the UN General Assembly adopted a resolution on the new 2030 Agenda for Sustainable Development. The final agenda ambitiously declares the goal of transforming the world between 2015 and 2030 and defines global development in 17 goals and 169 targets. In a groundbreaking move and much to the surprise of the global mental health community, the United Nations not only put mental health on the agenda for the first time, but also declared mental health a global development priority (United Nations, 2015).

In the introductory part of the declaration of the new SDGs (the preamble), the UN places mental health on the same level as physical health and calls on its member states for fair and universal access to health care and ensuring mental and social well-being, because as well as promoting mental health and well-being and general health coverage and access to quality healthcare:

"In these goals and objectives, we set out a supremely ambitious and transformational vision. We envision a world with fair and universal access to quality education at all levels, health care and social protection, where physical, mental and social well-being is ensured" (para. 7) (UN, 2015).

The UN further recognizes mental illness as a major challenge for sustainable development and expresses its commitment to the prevention and

treatment of non-communicable diseases, including behavioural, developmental and neurological disorders: "To promote physical and mental health and well-being and to increase life expectancy for all, we must achieve universal health coverage and access to quality health care. We are committed to the prevention and treatment of non-communicable diseases, including behavioural, developmental and neurological disorders, which represent a major challenge for sustainable development" (paragraph 26) (UN, 2015).

Under goal 3 (the "health goal"), mental health is mentioned three times, directly in the goal to "reduce by one-third premature mortality from non-communicable diseases through prevention and treatment and promote mental health and well-being" (goal 3.4); in another goal, "strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including drug abuse and harmful use of alcohol" (goal 3.5); and is also implicitly included in universal health insurance with the goal of "achieving universal health coverage, including financial risk protection, access to quality basic health services and access to safe, effective, quality and affordable essential medicines and vaccines for all" (goal 3.8). With this development agenda, the UN followed WHO recommendations and made the global goals a clear statement for mental health in global development. This is a historic step for mental health that has been advocated for in recent years by mental health leaders and NGOs such as Fundamental SDG.

The Impact and Challenges of Mental Health Advocacy Work within the SDGs

For the first time, Fundamental SDG managed to unite globally a large number of mental health stakeholders with different positions and goals. In a very short time, this initiative managed to mobilize for a clear goal with simple and clear political demands: very specific SDG targets and indicators of suicide mortality and treatment coverage for people with severe mental illness.

An important question is: what has been the impact of Fundamental SDG in achieving the inclusion of mental health in the SDGs? The short answer to this is that it is impossible to discern the effect of one of several concurrent influences on this process. Even more than national policy making, global development policy is the subject of intense and lengthy negotiations not only between different policies and positions, but also between a large number of stakeholders and blocs of national and political interest groups. At the UN, both nations and thematic interest groups work hard to make their positions heard. Especially for non-member organizations of the UN, the structures, committees and policy-making processes are rather opaque and the mechanisms of political advocacy remain unclear. With many different organizations and individuals trying to influence health goals, the relative contribution of nonprofits to mental health policymaking processes is difficult to measure.

Several countries, particularly low- and middle-income countries, have given high priority to the Sustainable Development Goals and their outcomes, and some of these countries have promoted the issue of mental health. In several cases, country governments and/or UN country representatives for the SDGs have expressed explicit support for mental health and have been confirmed to have made progress on the issue in UN (in) formal negotiations. However, it is not entirely clear how the overall inclusion of mental health and the specific wording of the goals ultimately came about.

In its first wave of advocacy, fundamental SDG advocated for the inclusion of one specific goal in the health goal: "The provision of mental and physical health and social care services for people with mental disorders in line with resources for physical health services." as inclusion. two key indicators in line with the WHO Mental Health Action Plan 2013-2020:

"Ensure that coverage of services for people with severe mental disorders in each country increases to at least 20% by 2020 (including a community-based package of interventions for people with psychosis, bipolar affective disorder or moderate depression)." And "Increase the amount invested to mental health to at least 5% of the total health budget by 2020 and to at least 10% by 2030 in every low- and middle-income country" (Thornicroft and Patel2014).

During consultations with policymakers during the SDG negotiations, it became clear that less specific, open-ended goals were more likely to be

achieved within a draft set of goals. So Fundamental SDG adapted its call and in the second wave pushed for a series of adjustments: (1) include mental health in health goal 3; (2) include full compliance with the WHO Global Plan of Action for the Prevention and Control of Non communicable Diseases and the WHO Plan of Action for Mental Health 2013–2020; and (3) include universal health coverage for mental disorders.

The eventual inclusion of mental health in the SDGs can be seen as a two-layered process. At one level, a number of international organizations directly and indirectly advocate for the overall inclusion of mental health in the SDGs, such as the World Psychiatric Association (WPA) or the Christoffel Blindenmission (CBM), which focuses on disability. . Many organizations working to promote general health, women, children, victims of war crimes, etc. also support the inclusion of mental health in their broader focus. The second level includes well-placed and established organizations within the inner (rather opaque) circle of UN diplomacy, such as the WHO, and well-connected individuals. It is likely that their permanent positions and long years of work in the field of advocacy also played a key role in this process. In addition, the views of mental disorders as forms of disability are emerging in SDG stakeholder positions, and the well-organized disability advocacy community is now beginning to take a more positive and inclusive approaches to psychosocial disabilities.

In terms of measuring the impact of the Fundamental SDG, a comparison of the mental health situation in the SDGs before and after the Fundamental SDG efforts shows the likelihood of substantial success. When Fundamental SDG launched its efforts in the summer of 2014, the draft 2030 Development Agenda made little mention of mental health. During the 1 year of intense advocacy for this global mental health initiative, the draft UN SDGs have changed materially, and mental health has been included and emphasized several times, both in the preamble and in health goal 3. This suggests that it is reasonable to consider that together with WHO's efforts, Fundamental SDG has played a significant role in the inclusion of mental health in the UN SDGs, particularly with regard to the inclusion of specific mental health targets.

Lessons Learned from the Fundamental SDG Initiative

The work of the Fundamental SDG global initiative has provided many insights into the UN system and processes and lessons for mental health work both globally and nationally. We would like to share insights on: (1) what the UN needs to change to make the sustainable development process more equitable for NGOs; and (2) what the global mental health community can do to make mental health advocacy work more effective.

(1) What can the UN do to promote fairer and more equitable UN SDG enforcement work that is more representative of civil society and thus contributes to greater sustainability overall?

The first big challenge lies in setting up the SDG process and system. The Sustainable Development Goals are designed as a set of goals for nations to be decided by nations without any major input from civil society or academia. This in itself is a problem for NGOs who want to represent their issues in the process. However, it is also reflected in limited public communication about the possibilities of influencing the SDGs on the part of the UN and its member states, which is another barrier. In many UN countries, the SDGs are not promoted as a political issue and there is a lack of public communication from the UN and its member states regarding the details of the process. This contributes to the third challenge, the lack of awareness of SDG relevance and possible input from civil society/academia/NGOs, etc. NGOs of all advocacy areas have experienced these three constraints during the SDG process.

For the SDGs to be truly for the people and to "leave no one behind", the UN must ensure that populations are represented not only through representatives of their governments, but also appropriately through representatives of civil society. NGOs and their representatives should be actively encouraged by national governments and the UN to contribute to inputs in a larger, more direct and more frequent way than was the case in the 2015 SDG process. of development in general is that the overall low priority of the SDGs will be increased by and within UN member states, both

for SDG funding countries and for LDCs. income countries.

(2) What can NGOs do to contribute to more effective and efficient mental health advocacy? Fundamental SDG's work shows the value of mobilizing and uniting in mental health.

In order to make a strong and effective push for global mental health, the following lessons should be considered by the global mental health community: (a) Stakeholders need to work together and consolidate a unified voice; (b) They need to make clear and simple policy demands for specific mental disorders, services or system changes; (c) They need to work to build lasting and trusted relationships with policy makers to put mental health on the global policy agenda. And as part of this journey (d) civil society, non-governmental organizations and academia must take their share of responsibility for promoting the importance of the SDGs and the need to influence their citizens and member states.

The Next Crucial Step: Strong Indicators of Mental Health

With mental health included in the goals and objectives of the new development agenda, what are the next steps for the UN? As the UN Secretary-General emphasized in his 2014 Synthesis Report, rigorous and robust measurement will determine the success of the Global Goals. All projected improvements in global development need to be measured and monitored using reliable systematic data and indicators that include a level of disaggregation to address inequalities and inequities.

Following a proposal by the UN Inter-Agency Expert Committee on Indicators (IAEG-SDG), the UN is developing indicators, with a final decision expected later in 2016. For mental health, it is particularly important that indicators clearly refer to mental disorders to avoid the risk of being overlooked compared to goals that have clear indicators.

WHO proposed two indicators for strengthening mental health in the SDGs, which are fully aligned with the WHO Global Plan of Action for Mental Health, both under the health goal: (1) suicide rate; and (2) service coverage (proportion treated) of persons with severe mental illness. Fundamental SDG fully supports these two indicators, especially as no additional efforts are required from UN/WHO countries to meet the indicators as they have already agreed to collect data for these indicators under the WHO Mental Health Action Plan.

The current list of indicators negotiated by the IAEG for adoption by the UN General Assembly includes a suicide mortality indicator (indicator 3.4.1). For objective 3.8 of universal health coverage, the IAEG proposed an indicator of service coverage (indicator 3.8.1). Fundamental SDG supports WHO's proposal to explicitly include the treatment of people with severe mental disorders (SMD) in this indicator.

Without clear and detailed indicators, mental health lacks metrics to measure progress. In order to better reflect inequalities and include people with mental illness, the UN Sustainable Development Solutions Network (UN SDSN) identified the need for the UN to identify levels of disaggregation of certain relevant indicators. Fundamental SDG supports the disaggregation of indicators to ensure measurable progress and calls on the UN to prioritize people with mental and psychosocial disabilities.

Conclusion

Mental health has come a long way from its exclusion from the Millennium Development Goals to the 2015 development agenda. In the new SDGs, the UN has finally defined mental health as a global development priority, setting the stage for an ambitious plan to tackle the world's challenges over the next 15 years.

Now NGOs, civil society organizations and academia must remind the UN that action must be followed by formal commitment. The Global Goals require a detailed action plan, and the implementation of the health goals needs to be defined and measured using indicators. Mental health in particular needs concrete, clear indicators to identify measure and implement mechanisms to strengthen and expand mental health systems. This is especially true for low-income countries where coverage and provision of mental health services is severely lacking. Mental health is a challenge for global development not only in itself, but as a cross-cutting issue it also affects many other development goals.

The UN, as well as NGOs, civil society organizations and academia, must recognize the importance of mental health to many of the Sustainable Development Goals and must promote mental health through clear indicators. In addition, the UN must disaggregate indicators to ensure health equity. Over the next 14 years, the UN and its member states, NGOs and academia must measure and monitor indicator data to ensure that the SDGs are met.

NGOs and academia must maintain momentum and hold the UN to account as custodians of the SDGs. Finally, UN member states must commit to their 2030 pledge to leave no one behind and ensure prevention and treatment and inclusion in universal health insurance for people with mental and psychosocial disabilities.

References

1. Chatterjee, S, Naik, S, John, S, Dabholkar, H, Balaji, M, Koschorke, M, Varghese, M, Thara, R, Weiss, HA, Williams, P, McCrone, P, Patel, V, Thornicroft, G (2014). Effectiveness of a community-based intervention for people with schizophrenia and their caregivers in India (COPSI): a randomised controlled trial. Lancet 383, 1385–1394.
2. GBD 2013 DALYs and HALE Collaborators (2015). Global, regional, and national disability-adjusted life years (DALYs) for 306 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 188 countries, 1990–2013: quantifying the epidemiological transition. Lancet 386, 2145–2191.
3. Global Burden of Disease Study Collaborators (2015). Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet (London, England) 386, 743–800.
4. Kingsland, J (2014). Kofi Annan calls for the tackling of depression to be made a global priority. *The Guardian*.
5. Kohn, R, Saxena, S, Levav, I, Saraceno, B (2004). The treatment gap in mental health care. Bulletin of the World Health Organization 82, 858–866.
6. Luhrmann, T (2015). Redefining Mental Illness. 17.01.2015. (http://www.nytimes.com/2015/01/18/opinion/sunday/t-m-luhrmann-redefining-mental-illness.html?_r=1)
7. UN Open Working Group (2014). Proposal of the Open Working Group for Sustainable Development Goals. United Nations. Available at: (https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4518SDGs_FINAL_ProposalofOWG_19Julyat1320hrsver3.pdf) Accessed 17 August 2015.
8. Open Working Group TUN (2014). Proposal of the Open Working Group for Sustainable Development Goals. United Nations.
9. Starling, S (2010). Monitoring and evaluating advocacy: lessons from Oxfam GB's Climate Change campaign. Development in Practice 20, 277–286.
10. Thornicroft, G, Patel, V (2014). Including mental health among the new sustainable development goals. BMJ 349, g5189.
11. United Nations (2014). The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Loves and Protecting the Planet. Synthesis report of the Secretary-General on the post-2015 sustainable development agenda. The United Nations: New York (http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/700&Lang=E). Accessed 5 January 2016.
12. United Nations (2015). Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. The United Nations: New York (http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E) Accessed 5 January 2016.
13. UN SDSN (2015). Leaving No One Behind: Disaggregating Indicators for the SDGs. United Nations Sustainable Development Solutions Network (http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/10/151026-Leaving-No-One-Behind-Disaggregation-Briefing-for-IAEG-SDG.pdf). Accessed 5 January 2015.
14. Vigo, D, Thornicroft, G, Atun, R (2016). Estimating the true global burden of mental illness. Lancet Psychiatry 3, 171–178.
15. Votruba, N, Eaton, J, Prince, M, Thornicroft, G (2014). The importance of global mental health for the sustainable development goals. Journal of Mental Health 23, 283–286.
16. Votruba, N, Thornicroft, G, Patel, V, Summergrad, P (2015). Strengthening Mental Health in UN's Sustainable Development Goals. Available at: (http://psychnews.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.pn.2015.2a27) Accessed 17 August 2015.
17. WHO World Mental Health Survey Consortium (2004). Prevalence, severity, and unmet need for treatment of mental disorders in the world health organization world mental health surveys. JAMA 291, 2581–2590.
18. World Health Organization (2011). World report on disability: World Health Organization; 2011. WHO Press: Geneva.
19. World Health Organization (2013). Mental health action plan 2013–2020. Geneva: WHO Press. Available at: (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/89966/1/9789241506021_eng.pdf?ua=1) Accessed 17 August 2016.
20. World Health Organization (2015). Global reference list of 100 core health indicators. Geneva: WHO Press. Available at: (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/173589/1/WHO_HIS_HSI_2015.3_eng.pdf?ua=1) Accessed 17 August 2015.

Reflections of India's Modernity in the Works of Octavio Paz

Dr. Anurag Bhagat

Delhi Skill and Entrepreneurship University, New Delhi

India, throughout its history has always known and learned about itself from outsiders. Many travellers considered India as part of ancient civilization and many considered as a modern state especially after the British rule. This work intends to focuses on Octavio Paz's modernist perceptions of India and the various circumstances that influenced his opinions, particularly his visits to the subcontinent as an ambassador for Mexico and afterwards as a tourist. Peter Wagner expresses a widely shared view when he writes that modernity "has always been associated with progress" (28). Paz, when he visits India, he does have the progress angle while looking at various images but there are many aspects that he explores. Like many writers, Paz was guided by both individualism and social fact. Thomas Hobbes has defined individualism in the form of natural liberty. Every person is licensed to take whatever action he feels is necessary to preserve himself. Social fact has been described by Émile Durkheim as something external to an individual and acting as a coercive force. This work proposes to explore Paz's Eurocentric and modernist viewpoint in his various works in the light of postcolonial theories. The work will examine whether Paz follows the established narrative or follows his unique sensibility in the writings.

Octavio Paz started travelling to various places at a young age and his journey as a writer started when he visited Valencia, Spain in 1937 to participate in the Second International Congress of Anti-Fascist Writers. Paz was appointed Mexican ambassador to India in 1962, which marked an important turning point in the poet's life as he documented in numerous works which helped him receive the Nobel prize for literature in 1990.

Starting with *Vislumbres de la India,* Paz identifies with the subcontinent instead of antagonizing it. Unlike the other European travellers who came to India like E M Foster, Paz had a very different view point. Seeking to distance himself from the "strategic location" of authority generally associated with orientalist discourse, the author exalts its parallel condition.

"La extrañeza de la India suscitaba en mi mente la otra extrañeza, la de mi propio país […], mi propio e íntimoexotismo de mexicano". "The strangeness of India aroused in my mind the other strangeness, that of my own country [...], my own intimate Mexican exoticism." (Paz 20)

Octavio Paz finds in this land of pluralism, mysticism and oppressive heat a correlate of Mexican history, so, he often tries to draw similarities and coincidences between both cultures. For example, as he watched the desolate landscape receding into the horizon on his way to Delhi, Paz conjured up hazy images from his childhood. He remembers his rail journeys during the last days of the Mexican Revolution, when, at just six years old, he saw a hanged men swinging under the telegraph poles along the track. There were many other images in India which he could easily identify from his past.

However, In his another book *El laberinto de la soledad* he has tried to exorcise the repressed drives of the Mexican to elucidate his identity; now, India presented "otra interrogación aún más vasta y enigmática". "another even vaster and more enigmatic interrogation."(Paz 18)

Here, I would like to make two clarifications about the vision of the Indian subcontinent that Paz presents in his work. Although Latin American Orientalism is, in a certain sense, a comparison between peripheries, subaltern subjects, contrasting exoticisms, the writer's judgment is clearly inspired by the discourse on the hegemonic colonial characterization of the East as a deviation from the Western worldview. Therefore, when trying to highlight the similarities between Mexico and India, he usually ends up reaffirming their differences.

Vislumbres de la India is divided into an autobiographical account about Octavio Paz's experiences in the country and a series of essays about the culture, society, and politics. To put it this way, the work is a compilation of real and figurative glimpses. Muñoz García says in this regard: "no es ni un libro de historia ni una bitácora de viajes, aunque una y otra vez eltexto parece oscilar entre ambos caminos" "it is neither a history book nor a travel log, although time and time again the text seems to oscillate between both paths."(Garcia 120)

In his initial account it is not clear whether his description of Indian cities carries the deliberate Orientalism of poeticizing the everyday or is simply a statement of wonder. In any case, the author reproduces in his journeys the dominant meta geographies which attributes to the Eurocentric vision of universal history, interwoven with the processes of colonialism and the prejudices of postcolonialism. According to this "cartography of enchanted spaces", the world is divided into modern societies and traditional communities, categories that seek to oppose Western civility to the barbarism of others. This antinomy is reflected in the confrontation of concepts such as tradition and modernity, ritual and rationality, myth and history, community and State, magic and modernity, emotion and reason.

Octavio Paz portrays the Indian subcontinent as a mosaic of contrasts that coexist in unusual concordance: "modernity and archaism, extravagance and destitution, carelessness and proficiency, mildness and viciousness, majority of castes and dialects, divine beings and ceremonies, traditions and concepts, greenery and deserts, fields and mountains, cities and towns, rustic and mechanical life, centuries separated in time and together in space". He at last summarizes it in these words as "vi monstruos y me cegaron relámpagos de belleza". "I saw monsters and flashes of beauty blinded me." (Paz 44)

However, when Paz discusses caste and claims that castes are a barrier to India's modernisation, he unintentionally perpetuates the stereotypes of colonial anthropology, which perceived in this foreign land as a political member and resistance to change. The Mexican writer argues that when history acquires the guise of development and modernity, the contradiction between history and caste turns into a fatal hostility. While working as Mexico's ambassador to India, Paz hints at his attachment to modernity when he indicates his admiration for Nehru's vision of a secular nation-state where everyone is free to practise their religion, and each person has the right to do so on their own terms without receiving any special treatment.

The Mexican writer quotes the activist Jayaprakash Nayaran to argue that India is "a nation in the making". His belief is that the continuation of an archaic and diverse past in terms of religions, ethnic groups, languages, and traditions poses the biggest challenge to the success of his country's effort. According to Paz, this political structure is essential to creating a contemporary nation-state that can accommodate the various ethnic groups and faiths that make up the subcontinent. Inspired by both Western modernity and the endemic values of the Indian tradition, he actually seems to defend the predominance of the former over the latter, seeing secularism as the only option to guide India towards modernity. That is why the word secularism was later added in the constitution to accommodate different believes.

However, even before the publication of *Vislumbres de la India*, the revisionist perspectives has questioned the inherent value of secularism in the face of persistent ethnic conflicts, such as some riots that took place in 2002 and the continued communal tensions that exists in India. After all, this is not a concept anchored in the vernacular culture of Indian societies. The Indian writer Ashis Nandy says that the hegemonic language of secularism is an expression of "category imperialism", whose ethnophobia seeks to bury cultural and ethnic heterogeneity under the mantle of the modern nation-state, inexorably linked to the development and scientific progress. (Nandy 66)

Behind the desire to secularize India lies the idea of emulating the "Western man", who seems to have conquered his territory by having a superior understanding of the relationship (or, rather, the dissociation) between politics and religion. The truth is that the religious communities of India coexisted in relative harmony for centuries.

In fact, all the communities together fought against the Britishers. As Nandy argues, "perhaps the everyday principles of religious tolerance in pre-colonial India can renew its contemporary political culture, rather than the bureaucratic dream of "de-ethnicization." (Nandy 112) Octavio Paz considers it the only salvation see the diverse culture of India.

Behind all Octavio Paz's judgments about India's immutable landscapes, absence of historical awareness, crystallization of castes, impossibility of forming a nation, lies the debate on modernity, one of the main axes of his various essays and poetic works. However, Octavio Paz sometimes finds himself lost in the labyrinth of modernity. The Mexican intellectual's exhortations to modernize India along Eurocentric models seem disconcerting when listening to his incisive critiques of modernity itself.

While our pre-Hispanic past is barely perceptible in ruins and monuments, the ancient civilization of India is a reality that encompasses and permeates all social life, a mystical ballast that prevents its modernization. Although the contrast between hemispheres allows one to avoid loneliness, the specific relationship between Mexico and India is of full brotherhood. Sometimes Paz consciously rejects orientalism and other times he neutralizes it by "orientalizing" himself.

Thus, the author distances himself from the prejudices that prevail in *Vislumbres de la India* by recognizing his own exoticism and equating both in interspersed reflections. The ambiguity of the religious pilgrimage that he observes in "Cochin" is enough to dissolve both hemispheres for an instant.

Paz was so aware of his orientalism that he chose to use it as an instrument, which allowed him to nurture his creative spirit. He was guided by both individualism and social fact. He himself says that *Vislumbres de la India* might help in getting answers to several questions like "How a Mexican writer sees, at the end of the 20th century, the immense reality of India?". This reaffirms the idea that this work is about perceptions, chimeras, cities of sand and wonder. Perhaps the desire to idealize the subcontinent meant that the meta geographies into which the world is divided are so deeply rooted in our imagination that, at this point, it is impossible to demolish them. So, it is easier to build on them and go through them from beginning to end. As Paz said when receiving the Nobel Prize, modernity is not found in one hemisphere or the other and does not lie in one time, but in all.

References :

Bhattacharya, Malabika, "Echoes of India: The Poems of Octavio Paz", *India International Centre Quarterly*, vol. 25, núm. 1, 1989.

Calvino, Italo, *Las ciudades invisibles*, 23ª ed., tr. A. Bernárdez, Madrid, Siruela, 2013.

Chatterjee, Partha, *The Nation and its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories*, Princeton, Princeton University Press, 1993.

Dube, Saurabh, *Modernidad e historia: cuestiones críticas*, tr. A. Muñoz, México, El Colegiode México, 2011.

Muñoz García, Adrián, "Vislumbres del Oriente, o la India traducida por Paz", en Xicoténcatl Martínez Ruiz y Daffny Rosado Moreno (coords.), Festines y ayunos. Ensayos en homenaje a Octavio Paz (1914-2014), México, Instituto Politécnico Nacional, 2014, pp.113-153.

Nandy, Ashis, "The Politics of Secularism and the Recovery of Religious Toleration", en Rajeev Bhargava (ed.), Secularism and its Critics, Delhi, Oxford University Press, 1998.

Paz, Octavio, *Ladera este*, México, Joaquín Mortiz, 1969.

Paz, Octavio, *El laberinto de la soledad*, México, Fondo de Cultura Económica, 2007.

Paz, Octavio, *El mono gramático*, México, Seix Barral, 1974.

Paz, Octavio, *Vislumbres de la India*, Barcelona, Seix Barral, 1995.

Quesada Gómez, Catalina, "De la India a las Indias y viceversa: relaciones literarias entreHispanoamérica y Asia (siglo XX)", Iberoamericana. América Latina-España-Portugal, vol.11, núm. 42, 2011.

Said, Edward, *Orientalism*, Nueva York, Pantheon, 1978.

Study The Effect Of Covid-19 In Indian Banking Sector

Dr. Kumar Sudhanshu

Assistant Professors, R.K. College, Madhubani, Department of Commerce

Abstract:

In any country, for the development of an economy banking sector plays a major role. Banking sector of the nation fulfils the credit need of each section of the society and act as a centre of nation's economy. Before the bank term introduced in the world specially in India there were Sahukars and Zamindars are the persons who act as an indigenous bank. They provide finance to the person who is in the need of money in exchange of some security as mortgage also they charge high interest rates that became a heavy burden for borrowers. Charging High interest rate becomes the major disadvantage of this system as a result in 1770 'bank of Hindustan' introduced as a first bank of India but this bank was liquidated in between 1829-32. Further other banks are introduced thereof. In the times of COVID-19 banking sector has faced many challenges. This pandemic has made banking system inoperative for borrowers and business units. This pandemic results in major decline in profits of business units, loss of the job of individuals, decline in sales and many more problems. For banking sector, it is more difficult to tackle the situation such as shortage of employees, digital way of banking, making customers more aware about products and deals etc. Pandemic creates requirement of finance by the general public which leads to increase in loans and borrowings in banks. It was an ethical duty of banks to protect their employees and customers from this virus spread. This paper will focus on the changes made in the existing policies as well as new policies which are introduced due COVID-19. This paper will also try to generalise the impact of pandemic on banking sector of India. After that it will propose some useful suggestion for banking sector to deals with this situation. The Indian banking system has added various measures to make banking sector highly operative and effective during pandemic, the study also explains these various measures.

1. Introduction

Indian Banking system continuously framing reforms to minimize the effect of COVID-19.As total world suffering from COVID-19 Pandemic.It will change the way the world works.It creates great depression.The Corona virus disease first time identified in Wuhan , the capital of Hubai China in December 2019 and spread to the overall world.After observing its infection and increase the rate of death World Health Organization declare as Pandemic on 11th March 2020.As seen current situation India is Widely affected from Corona virus. According to WHO currently confirmed cases of COVID-19 have been 7,273,958 reported in the World including 4, 13,372 deaths. In India 1, 37, 448 active cases of COVID-19, out of that 8,102 deaths declared as a government of India. Total world go into recession from COVID-19. In india its impacted all the sector .Continuously rise in unemployment, High stress incurred on supply chain management. Completely decreased the Government revenue. Suddenly downfall in Hospital and tourism industry. Reduced in consumer buying activity. Drastically reduced in fuel consumption activity. Big companies in India like TATA Motors, BHEL, Aditya Birla, Larsen and Turbo reduced their Industrial operation. Indian Banking sector get affected from Corona Pandemic. Banks get outbreak due to novel Corona Virus. Borrowers and Industries face the dangerous problem like job losses, slowdown in sales and decreased in the profit as virus spread in overall India. Banking customer wanted some financial relief and Reserve Bank of India encouraging national banks to provide the relief by framing good banking policies towards customer. For security issues amongst employees it was decided to give facility for employees to work from remote

areas. World health Organization (WHO) has advised people to use contactless payment and avoid handling banking note as much a possible. As it was found that Corona virus live in Banking Notes for days and accelerating spread of the decease. One of the good reform started in India due to Corona virus is banks are anticipating this shift towards Digital Marketing. Now in India people rely on Online Banking, Telephone Banking and call center. HSBC Banks in India started working by dividing the people. At Bank level problem of Non Performing Asset has increased. Spike Increased on NPA in India. Currently NPA rate in India similarly to china like 2% but the credit costs ratio could be worse. Indian Banking System converted from stable to negative ,as continuously disruption in economy activity caused by the COVID-19 pandemic and an decline in asset quality. From the research it was known that quality of the asset continuously goes down from corporate Small and Medium Enterprises (SME) , and retail segment for lending to pressure on profitability and capital for lenders. Reduced productivity and lockdowns have already started to take a toll on the financials of the corporate sector. Indian Banks face so many challenges due to COVID -19 Pandemic. The total operating environment is negative due to uncertainty surrounding the severity and duration of Pandemic and the associated effects on the India's bank of restrictions on economic activity. India's Bank already faced weak business and consumer confidence. Global risk aversion has hit the Indian Financial Market. Reserve Bank of India is the apex body of India.RBI frame the monetary policy and give guidance to all public sector and private sector banks.RBI issue the Bank notes and keeping of reserves with a view to securing monetary stability in India and operate currency and credit system in India.RBI maintain price stability while keeping growth of the country. Reserve Bank Of India announce COVID-19 Regulatory Package for all commercial banks (including Small Finance Bank , Local Area Bank , Regional Rural Bank) , All Primary (Urban) Cooperative Banks / State Co-operative Banks/ District Central Cooperative Banks All All-India Financial Institutions All Non-Banking Financial Companies (including Housing Finance Companies). COVID-19 created crises in India overall 1.5 trillion revenue loss.20 to 25% reduction in refinery utilization. Fall in production due to shutdown, import restriction and labor unavailability.35-40 % reduction in refinery utilization. Slowdown in pharmaceutical sector due to restriction in import. Closing the business of small and medium dealers. Sharp decline in renewable energy sector due to lack of competitive price. Reduction and postponement in capacity additions due to financial viability concern and global supply chain disruptions. Government & RBI are continuous in action mode for providing relief to the people. Government has announce 1.7 trillion package for the poor people who needs money for their livelihood and food security. Many corporate employees lose their job due to COVID-19 Pandemic. Government are continuously forming economic measure and strategy so the unemployment rate will reduce. Government has also given instruction to many welfare agencies in India for strengthening their self and to support the society for upliftment. Government also give concentration on municipal party. Grampanchayat for knowing the root cause and find out the solution for minimizing the problem. Government also give emphasize on priority sector like hospital, schools, service sector who takes loan from bank and they need support for survival.

Short Term Disruption in Indian Banking due to COVID-19 Pandemic

- Inability to access the data / Infrastructure, leading to reduce serviceability.
- Temporary correction in valuation of FIs , with an expected reduction in returns
- Difficulty in accessing branches for routine operation
- Default in loan payment
- Scaling down of non essential operations
- Significant reduction in domestic and cross border trade

Prolonged crisis in In Indian Banking due to COVID-19 Pandemic

- Increasing preference for distributed workforce shared services
- Raising need and preference for digital transactions
- Growing preference for health and life insurance policies
- Accumulation of surplus capital due to limited deployment opportunities

- Increase loan defaulters due to reduce revenue and margin.

2. Review of Literature

Covid-19 Virus starts spread up in the world from 1st December 2019 , Many of the researcher starts writing on the research article related to Covid-19 , Their Effect on word economy , Covid-19 effect on Indian economy , How the human beings psychological become week due to Corona Virus. Research is publish In January 2020 made by Pramath Kakodkar, Nagham Kaka, M N Baig.The research is based on "Clinical Course and Management of the COVID-19 pandemic. Due to COVID-19 Pandemic how the multiple parameter of the clinical course & management of the COVID-19 need optimization. From the social media , misinformation passed out to the people Research paper emphasize on what are the true guidelines for taking measures from COVID-19 , ,what preventive measures suggested by Word Health Organization , How the people become mentally fit from this COVID-19 phobia. Research is published on June 2020 "Literature Review of the Economics of COVID-19" ,by Abel Brodeur David Gray , Anik Islam , Suraiya Jabeen, The research paper is focus on to survey the emerging & rapidly growing literature on the economic consequences of COVID-19 & government response. How much death cases occurred due to COVID-19, How many people follow social distancing as preventive measures. How the word is change due to this pandemic. What are the effect of COVID-19 pandemic in service sector? Research paper is published in June 2020 on the title of "Covid-19 Pandemic And Lockdown Impact On India's Banking Sector: A Systemic Literature Review", the paper emphasize on impact of Covid-19 pandemic on Banks, NBFC , Educational Institution , Public & Private offices , suspension of means of transportation. What are the severe effect of COVID-19 in economy are described in the research paper. Research paper is published on the title "Analysis of Banking Sector in India: Post Covid-19" dated Sept 2020 by Ashish Bagewadi & Dewang Dhingra , this paper emphasize on pre & post effect of COVID-19 in Banking sector along with that what are the effect of COVID-19 on environment is publishes on research paper. Research Paper published on June 2020 on the title of "A study on impact of COVID-19 on banking sector: An Indian Perspective. Research paper is emphasize on decrease in productivity of the corporate, Supply chain disruption, Manufacturing Hindrances & crippled health systems. Banking & Financial system suffer from losses. Incresed in Bad loan, reduce income of tourism entertainment sector etc. Research Paper is based on The Impact of COVID-19 on Financial Markets, Banking Systems, and the Overall Economy published on June 2020.The paper emphasize on what are the effect of COVID-19 on fiscal policies, why the financial market go down what are the changes in banking policy, why the economy is slowdown etc.

3. Research Methodology:

This study mainly based on secondary data which will help in assessing the impact of COVID-19 on banks and related sector. The data is collected from various published research journals of concerned areas, reputed English Newspapers, Magazines, internet sites and also from the report of international Institutions like IMF, World Bank, UNCTAD and so on. After collection of data from the above mentioned destinations, it has been scanned to understand and filtering the relevant data for the research and with the help of scanned data the right conclusion will be drawn for this article.

Research Objectives:

- To generalize the impact of pandemic on banking sector.
- To study about the various policies introduced by RBI during COVID-19.
- To explain the various measures taken by Indian Banking System to make banking sector highly operative and effective during pandemic.
- Lastly, to give some markable suggestion to banking sector to overcome the situation.

How does pandemic affects banking sector?

I. Fund recovery from defaulters: The banks are a safest source for raising credit and many of the customers raised fund from banks but the repayment does not take place on time during COVID-19 period previously. The collection ratio was around 90% but during this pandemic period declined upto is about 60%.

There is a pressure on the banks but customers are not able to repay the debt on time due to lack of money flow in the economy.

II. Decrement in the value of bonds and others securities: In the pandemic period banks are negatively affected as the general public are not investing in the bonds and other financial instrument because all of them lost their value in this period and investing in these instruments may result into heavy losses for investors. Due to this whatever banks were earning previously are not able to earn and this result in further losses for banking sector. Derivatives positions are also affected due to this crisis and they also moved in some unexpected direction and trading becomes difficult.

III. Branch closure: Due to rapid spread of corona virus branches of almost banks are running with very less number of employees. So that the revenue of banks is affected and this is the reason for many banks to close their some of the branches. Also the activities like deposit, withdrawal, loans document collection and other banking operations are affected by this pandemic.

IV. Increase in credit demand: During COVID period banks are facing the problem of fund which they used to provide to public and earn money in the form of interest. In this crucial period the demand for credit/ personal loan increased. The firms/ individuals require additional fund to meet their requirement as no other option left for them. So the banking sectors are unable to fulfil the credit demand for public.

V. Disruption of workforce: Banking sector experiencing shortage of workforce due to lockdowns. Banking staffs already perform many duties for their customers. As they cannot deny performing their duties but it is a considerable risk to the health if they come to the office due to pandemic. This leads a disruption of workforce in the banking sector.

VI. Increased cyber-crime: In order to retain the customers banking sector has no other option left except digital way to communicate various services they are offering or to continue their engagement with the customer through mobile or internet. By using this digital solution for banking services, there are many hackers who can send fake SMS and emails to mislead innocent customers by collecting their personal details and use it in their favour.

VII. Problem of documentation: Documents are needed for opening bank account, card issue, loan sanctioning and other financial services. All these services been critical to process. There are digital services take place in the country to safeguard the economy but the mentioned services cannot be fulfilled through digital services, so there is a need for physical verification and document collection this become a problem for banking sector

VIII. Decrement in agency function of the banks: Banks earns fee income through their agency function also known as noninterest revenues. In the COVID period banks are unable to earn their non-interest income as there is a demand for services reduces. People are not interested in payment activities like premium payment, EMI payment, factoring etc. In this pandemic people are more focused on saving money they used to pay less because it will lower their economic income. Hence, banks are not able to earn their fee income in this pandemic.

IX. Customer relationship and commercial models: The pandemic have impacted banks, banking system and on the bank customer relationship. Banks are one who are customer centric and are forced to use channels of communication. This phase is complex and bank need to address by demonstrating the real proximity with customers. As customers are not allowed to come in branches unless or until something major happens. They have to follow social distancing in the branches also just because of this it will take long hours to work done, and customers are preferring not to go at branch ultimately this lead to reduction in customer's relationships.

Policy by Reserve Bank of India :

The Reserve Bank of India takes some measures to provide some relaxation to the financial institutions that are mentioned here briefly: -

I. Due to the pandemic RBI faces problems of maintaining CRR by all the banks so, RBI has reduced its cash reserve ratios (CRR) limit of all banks by 100 bps that is up to 3% net demand and time liability (NDTL) from 28th march 2020.

II. The RBI reduces the requirement of minimum daily CRR maintenance from 90% to 80% with effect from 28th March 2020. And this facility is available up to 26th June 2020.

III. RBI has given permission to their banks to borrow overnight by decreasing the previous

rate up to 2% into the SLR (Statutory Liquidity Ratio), under the Marginal Standing Facility (MSF). The above mentioned limit has been increased to 3% immediately. This measure was provided by RBI up to 30th June 2020.

IV. The reserve Bank of India has extended their policies regarding rate corridor up to 65basis points. Under the LAF (liquidity adjustment facility) there is a change take place in reverse repo rate which results in decrement of 40 bps and increment in Market Standing Facility by 25 bps as compared to repo rate. For the consequent expanding the LAF corridor, the reverse repo rate reduces by 90 bps i.e. up to 4%. Increase in these rates, makes ease in the shortterm volatility as well as bring stability in money market.

V. RBI reduced its policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) up to 75bps that is 5.15% to 4.40% immediately. Also the MSF rate and bank rate decline from 5.40% to 4.65%.

VI. RBI announces that the lenders could give a moratorium of three months on their term loans which is outstanding on 1st march 2020 to give relief for the middle class. These changes are applicable on all commercial banks, RRBs and also on NBFCs which includes housing finance and microfinance

VII. The Reserve Bank of India also undertakes Long Term Repo Operation (LTRO) which allows further liquidity with the banks. This can be done in the form of commercial paper, non- convertible debenture and also in the Investment grade corporate bonds.

VIII. For the borrowers, Lenders are allowed to lend money after recalculating their drawing power by decrement in profit margins. This process is not going to decline the result in asset classification

IX. There is also a three-month interest moratorium permitted by all lending institutions in concerned of working capital interest says RBI.

X. There is deferment in NSFR (Net Stable Funding Ratio) funding risk by banks to invest their money in the stable sources of funding which was supposed to be implementing by 1st April 2020 later postponed up to October 1, 2020.

Measures taken by RBI to tackle second wave of COVID:

In the concern of Measures, the RBI eased their lending and reconstructing norms for stakeholder, small business entrepreneurs and MSMEs, as they are highly affected by second wave of COVID. Also priority sector facilities are provided for the vaccine manufacturers and to the companies who provides medical supplies to the hospitals during his pandemic. Here are some other measures mentioned below:

1. **Term liquidity facility:** For easily availability of health services the RBI governor Mr. Shaktikanta Das announces Term Liquidity Facility of Rs. 50,000 crores. This scheme is generally enforced to provide monetary support to the entities which are engaged in the business of producing vaccines, to help the importers as well as suppliers of vaccines related items also gives priority to the dealers of medical instruments or technologies, to the hospitals and medical dispensaries, labs, oxygen manufacturers, to the suppliers and importer of drugs and medicines for COVID patients and for their treatment too. Under this scheme all those banks are incentivized who gives credit to those mentioned above which will result in extension in these sectors. The loans which are provided under this scheme are considered as a priority sector up to the repayment and maturity date whichever is earlier. This scheme is valid till 31st march 2022.
2. **Special long-term repo operations (SLTRO) for small finance banks (SFBs):** This scheme is enforced specially for lending the micro, unorganized and small industries. The RBI governor said that to conduct special three-year long term repo operations of Rs. 10,000 crores for SFBs. This facility is available till 31st October 2021 and also this will help them with lending up to Rs. 10 lakhs per borrower
3. **Prioritise lending by SFBs to micro-finance institutions (MFIs):** According to RBI decision SFBs will lend MFIs as a priority sector lending. This classification is done with a view point of MFIs as they faced liquidity problems during this pandemic. SFBs are allowed to provide fund to small MFIs whose asset size is up to Rs. 500 crores. This scheme is valid till 31st march 2022.
4. **Credit to MSME entrepreneurs:** For the extensive flow of credit to the borrowers of MSMEs RBI proposed this scheme. This scheme is firstly introduced in February 2021 which allows schedule commercial banks to

cut credit disbursed to new MSME borrowers from NDTL to calculate cash reserve ratio. This exemption is allowed up to 25 lakhs and this scheme was valid till 1st October 2021 and currently extended till 31st December 2021.

5. **Resolution 2.0 for individuals, small businesses:** The novel coronavirus in India has led disruption in economic activity and create a mess for borrowers which include individuals, MSMEs, small businesses. Only those are eligible to be considered under this resolution 2.0 framework scheme who did not avail restructuring under earlier framework as on 31st march 2021 they will be allowed exposer upto 25 crore. This scheme can be invoked upto 30th September 2021 and must be implemented within 90 days after the invocation
6. **Requirement of Rationalize KYC compliance:** In the view of the second wave of covid-19 RBI rationalized some of the compliance requirements for the banks and other institutions which includes:
   - V-CIP (Video based customer identification process) is a new technical instrument which is used for maintaining KYC through video conferencing for the new customers like sole proprietorship firms, signatories thereof also the owners of legal entities. This will make improvement in periodic up gradation in KYC.
   - RBI focuses on the Encouragement of use of KYC identifier for centralized KYC registry for V-CIP and also encourage the electronically submission of documents.
   - RBI promotes the conversion from Aadhaar based KYC verification to non-face-to-face mode of KYC complaint account.
   - There must be more customer-friendly option which includes the use of digital channels for periodic up gradation of KYC for their customers.
   - Due to this current situation in our country advise is given by RBI to all the banks regarding customer account in which the periodic KYC updating is due, there will no restriction on it up to 31st December 2021 until and unless any emergencies situation occurs.
7. **Relaxation in overdraft facility for state governments:** There are certain relaxations provided by the RBI to the states, that relaxation given in the maximum number of days for the payment of overdraft is 50 days previously it was 36 days and number of days of consecutive days of overdraft is 21 days earlier it was 14 days. This scheme is available up to 30th September 2021

Suggestions for banking sectors:

1. **Credit Management:** In this COVID period many consumers and businesses are run out of cash this leads into lower business revenues and employee layoff. This will cause in non-performing assets/loans, as borrowers are struggling to make payment of interest as well as principal payments. So the banks should take the following steps to mitigate the above mentioned problems are mentioned below: -
   - The banks must extend their credit facility All government actions regarding banks for COVID must be supported.
   - Banks should prepare for their future losses by maintaining sufficient reserves.
   - They should focus on to digitalizing to manage the demand for refinancing.
   - They must initiate their own credit for bearance and modification programmers.
2. **Revenue compression:** Within a few weeks of the pandemic the market value in banking industry fell to the lower than the fall that occurs in 2008-09 recessions. This situation occurs because at that time market has factored in the short term revenue compression. To deal with such type of shortcoming banks must:-
   - Cut their emergency interest rate to stimulate the economy, that will lead to net new lending to the public and also it will compress bank's net interest margin.
   - Banks should anticipate a short-term drop in payments revenues.
3. **Customer service and advice provision:** This pandemic puts a major impact on customer services. In this pandemic customer's preferences are changing rapidly. Many banks were opened as a vital service. However, customers are advised to stay home and avoid gathering. So that customers are looking for technologies for fulfilling their need of financial life through online banking, bank's application, UPIs etc. All these facilities can be avail when: -
   - Bank must educate and train their customers about digital banking.

- Banks should minimize the physical gathering to avoid infection risk.
- They should give personalize advice to their customer's query.
- And lastly, they must accelerate digital sales and services for their customers

4. **Operating model adjustments, cost control and innovation:** In the COVID-19 crisis bank management needs to deals with business issues as well as above outlined issues for this they should respond with flexibility. The co-ordination is needed with investors, regulators, employees, stakeholders, customers group and all those who are directly or indirectly connected with the industry. For this-
   - They must review their product expenditure carefully.
   - They must be flexible with their vendors and suppliers.
   - The banks should invest in things which will outlive the virus in future.

Conclusion:

Banking sector has responded to the immediate imperatives by facilitating continuity of the business. It has adopted a focused approach which involves integration of tactical initiatives which has addressed immediate concerns, thus strategic intervention is needed to recalibrate business models and to drive profitable growth will be critical in long run. To kick start the recovery banks should give immediate priority as well as focus on risk management and collections, proper use of technology should be adopted and recovery from team deployment. Various measures and suggestions are undertaken by the RBI and government but a chief economist has given their views that more spending is needed from government. In fact, major attention should be provided to the vulnerable sections and sectors i.e. poor people, MSMEs and non-essential sector they were the major hit during this crisis. Need of an hour is to use unique, inclusive and innovative measures to deal with this situation.

References:

1. Thakor, D. C. (2020). a Study on Impact of Covid-19 on Banking Sector: An Indian Perspective. Indian Journal of Research, 9(6), 9–10.
2. McKee, M., & Troullunou, M. (2020). COVID-19 and its impact on the financial services sector. DLA Piper Global Law Firm, (April). Retrieved from https://www.dlapiper.com/en/us/insights/publications/2020/04/finance-and-markets-globalinsight-issue-18/covid19-and-its-impact-on-the-financial-services-sector/
3. Management, L. (2021). INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW Impact of Covid-19 on Indian Economy with Special Reference to Banking Sector: An Indian Perspective, 12–20.
4. Ramasamy, D. (2020). Impact Analysis in Banking, Insurance and Financial services industry due to COVID-19 Pandemic. Pramana Research Journal, 10(8), 19–29. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3668165
5. Jaiswal, A., & Arora, R. (2020). Impact of Covid19 in Indian Stock Market with Focus on Banking Sector. International Journal of Engineering Technology and Management Sciences, 4(4), 46–56. https://doi.org/10.46647/ijetms.2020.v04i04.008
6. Acharya, A. (2020). Responding to Covid-19. Advances in Social Sciences Research Journal, 7(5), 29–40. https://doi.org/10.14738/assrj.75.8156
7. Ollege, M. L. N., & Nagar, Y. (2020). COVID-19 PANDEMIC AND LOCKDOWN IMPACT ON INDIA' S BANKING SECTOR: A SYSTEMIC LITERATURE REVIEW Authors: 1. Dr. Jitender Singh , Assistant Professor , University School of Management , K U Kurukshetra Citation/ : Singh , Jitender and Bodla , B . S . (, (July).
8. Aneja, R., & Ahuja, V. (2021). An assessment of socioeconomic impact of COVID-19 pandemic in India. Journal of Public Affairs, 21(2). https://doi.org/10.1002/pa.2266.
9. Mahendra Dev, S., & Sengupta, R. (2020). Covid-19: Impact on the Indian Economy. Working Paper 2020-013, (April), 41.
10. Impact of Digitalization on the Banking Sector. (2020). Our Heritage, 68(30), 10621–10623.
11. Deloitte. (2020). Weathering COVID-19, (April), 1–19.
12. Deloitte. (2020). Impact on banking in India – Finding the silver lining, (June).
13. Office, C., & Marg, S. B. S. (2020). Press Release/ : 2019-2020 / 2438 Ajit Prasad, (i), 1–2.

14 Goyal K. A. and Joshi V. (2012X "Indian Banking Industry : Challenges and Opportunities" International Journal of Business Research and Management (IJBRM), Volume (3) Issue (1)

Primacy of Environment is an integral aspect of Sanatan Dharma

Dr. Parvinder Sharma

Assistant Professor of Religion, TPD Malwa University College Raphura Phul (Bathinda)

Abstract

Hinduism is a nature-centric religion. It objectifies God in every ob- ject in the Universe. Worship of God in air, water, fire, Sun, Moon, Stars, mountain and Earth is central to the Hindu belief system. Earth is wor- shipped as the mother Goddess to all life forms and all lives on Earth are considered as manifestations of the same of God. Sri Krishna in the Bhagavad Gita says "I pervade the Universe. All objects in the Universe rest on me as pearls on the thread of a garland". The Upanishads prop- agate the philosophy of "tat sristva ta devanu pravisat" and narrate the manifestation of God into each and every object to help them maintain their interrelationship. Therefore to contribute toward the maintenance of this interrelationship becomes worship of God. Hindus believe that there is soul in all plants and animals. One has to do penance even for killing plants and animals for food. This daily penance is called visva deva which is an offering of prepared food to the Creator, asking His pardon. The Hindu religion gives great importance and reverence to protecting cattle. The central idea of "Vasudaiv Kutumbakam" and iconoic features like "Govardhan Parvat" in Hindu mythology is very strongly represented in the "Shanti Mantra" which is chanted after the end of every worship. Thus it is not exaggeration to say that Hinduism is synomous to naturism.

1. Introduction

To understand the Hindu approach to nature and evironment one must first understand as to how does the Hindu Dharma consider the prakriti. It is foun- dationally different than the predominant Abhrahmic religions.

Abrahmic religious foundations are derived from the Torat or the new testa- ment practices that regard nature as a God's creation thus deriving the sacred status of nature in its creation. This concept is fundamental to the basis of the approach to nature in Abhrahmic religious traditions. These religious school of thoughts implore a believer to protect the nature as God's creation. However, they seldom accord and holy attributes to the nature on its own. Morever they are stringintly antithetic to any deification of elements of natureand consider all such acts as paganism (strictly forbidden to be worshipped). Paganism is consider by some theological philosophers as antichrist (Reference).

On the other hand the Hinduism belief and devotion for natural elements predate even the holy scriptures, this is reflected in ritualistic practices such as naag panchmi or sun worship. In Hinduism, Divine and the nature are one. They are the different manifestations of the same reality. The global consiousness akin to a mega body. Nature or the the other forms of world are like the various aspects of it. Brahman or the knowledge is similar to the depths of the sea. But it composition is unifirm and of the same matter throughout.

In the words of Upanishads "Braham Satyam Jagan Mithya". This implies that the knowledge in Hinduism prevents the mindless worship of the natural elements due to blind superstition and fear. Rather the Hinduism stresses on the perception of the divine and presence of paraatman as the driving force for the forms of nature as their inner self.

The sacred presence of knowlegde, is there in God, what is called Ishvara in Hinduism school of thought. It is also present in the Atman, (Jiva as our higher Self) and it manifests in the natural elements as Jagad. The Aadi Shakti, Atman and the maya are the forms one source in a limitless way. Each has the same origin in sacredness and depicts the identical depth of a being. Supreme-Consciousness and Blessings (Sat-chit-ananda). A practising hindu Yogi can identify the underlying

unique supreme Reality in the jiv and nirjiva, beyond the realsms of time! This understanding of singularity is the basis for a natural element friendly approach in which one can realise its own higher Self.

Sacred Places In Hinduism there are many sacred places. These holy sites are defined mainly in nature terms, such as Govardhan parvat, the holy Ganga maiya etc, even if they are named after a human form. On the other hand a place is considered sacred in Abrahamic religions only if some prophet, messanger or saint has resided/ visited there or interacted with God from that location and this alone is the sole criteria. No place is holy only on account of the natural elements, beauty and serenity.

On the other hand in the Hindu school of religious thought, there are also many sacred sites and these are defined only in terms of nature and not human activity. Mt. Kailas, Amarnath, Ganga, Godavari etc are sacred as mountains, caves or river. Infact all mountain ranges are considered as sacred because they bestow upon the humans the higher realms of meditation.

The Ganga is sacred as a river. Indeed all rivers are sacred because they nourish and purify not only the body and mind but the inner being. The sacred nature of such places does not depend upon human activity, though it can be enhanced by human activity as ritual, mantra and meditation.

Similarly, Hindu thought defines the Divine not just in human terms but also in terms of nature. The Divine is not only the father, mother, brother, sister, lord and friend, but also takes form as the sacred animals, plants, rocks, planets and stars. Hindu temples contain not only human representations but also deities with animal heads and animal bodies. They contain sacred plants, flowers, rocks, fire and water as well.

This sense of the Divine in all of nature is the reason why Hindus find sacred places everywhere. The Hindus have sacred mountains and hills, sacred rivers and lakes, sacred trees and groves, sacred flowers and grasses. They can honor the Divine not only in the human form but in all the forms of nature. This Hindu devotional attitude is not mere primitive idolatry as the western religions would like to project. It is not a worship of nature externally. It is a recognition of the Divine reality within all things.

Hindus honor all the forms of the Divine but also recognize the formless Divine even beyond the Creator, extending to the Absolute. Vedanta teaches us that this Absolute or Brahman is the being, self and soul of everything animate and inanimate. It says our very Self is the entire universe and the entire universe dwells within us. To honor nature is to honor ourselves. To honor ourselves, one should honor all of nature.

Many indigenous cultures and the old pagan traditions of Europe have a similar understanding of all nature as sacred, and recognize the special sacred places in their environment. This is the basis of ancient sacred sites like Stone- henge and the rituals that went at such places. These traditions also need to be honored and their practices revived.

Need for Hindus to Restore their Ecological Awareness Many mod- ern Hindus have forgotten their traditional sacred approach to nature. This is particularly obvious in India where nature is often degraded and polluted. Un- der the compulsions caused by overpopulation, lack of education and the need to develop the economy, nature in India everywhere is suffering. Even Hindu temples are not being kept up with proper dignity and respect. In India, the government has taken over many temples and uses them to make money, giving little back to beautify the temple or even keep them clean

Outside of India, many Hindus have lost their ecological vision as well. They are used to the urban life and often don't move beyond the cities. It is important that Hindus reclaim the ecological vision inherent in their religion. This means bringing nature back into their lives, not only through rituals, mantras and meditation but pilgrimage to the sacred sites in nature like Kailas, Gangotri, Vaishnodevi and many others, not only in India but all over the world.

It is also important that western thinkers examine the Hindu view of the world and its profound philosophy of Vedanta which sees the unity of all beings in the Self. Vedanta can provide a spiritual and philosophical vision for a deeper ecological approach that we so desperately need to save our natural environment.

2. Results

Frequency Analysis as Tool

Frequency analysis can also be used as a means to establish the "signature" of a certain author, the

cultural level of the writer, its use of slang or technical jargon, and other writing features. Frequency analysis combined with a syn- onym dictionary, as provided in currently available “synonymizer” tools, can help writers to enrich their lexicon and avoid abuse of certain expressions.

It is also a means to avoid producing identical text for those who need to make its text different from a source. For instance, a web content writer that needs to fill many similar but not identical pages, and students who want to avoid plagiarism detection and accusation. Rightly or wrongly.

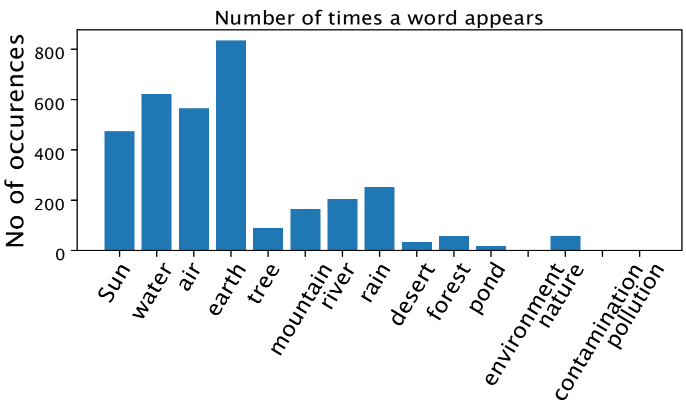

Rig Veda

Figure 1: *Lexical Occurance Analysis of Rig Veda.*

The four vedas are primarily sun water air and earth centric. As is clear from figure 1 to 4 the frequency of occurances of these terms is extremely high as compared to the rest of set.

The darshan shashtras and Srimad Bagwad Gita are primarily nature centric. As is clear from figure 5 to 9 the frequency of occurances of nature is extremely high as compared to the rest of set.

3. Conclusions

Belief in reincarnation supports a sense of interconnectedness of all creation. Hindus believe in the cycle of rebirth, wherein every being travels through mil- lions of cycles of birth and rebirth in different forms, depending on their karma from previous lives. So a person may be reincarnated as a person, animal, bird or another part of the wider community of life. Because of this, and because all people are understood to pass through many lives on their pathway to ultimate liberation,

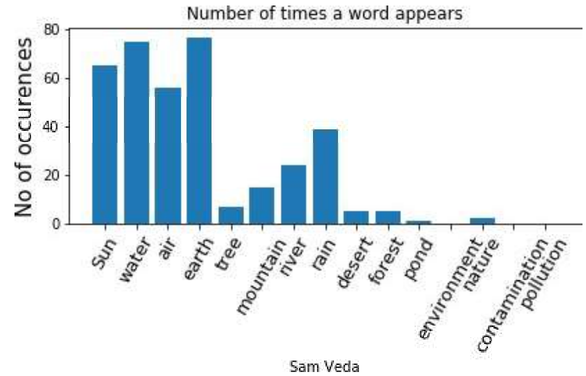

Figure 2: Lexical Occurance Analysis of Sam Veda.

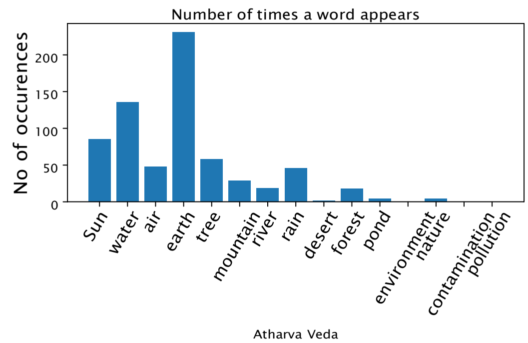

Figure 3: Lexical Occurance Analysis of Atharva Veda.

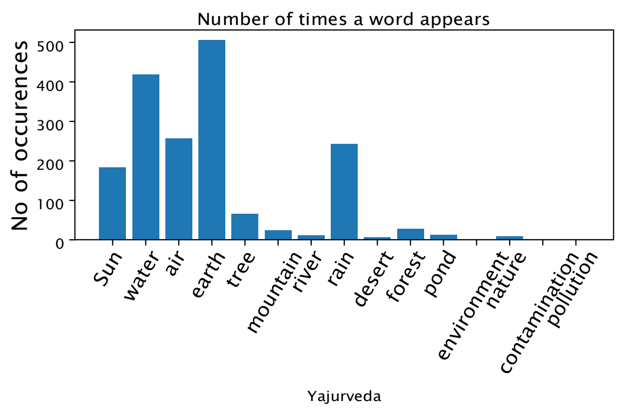

Figure 4: Lexical Occurance Analysis of Yajur Veda.

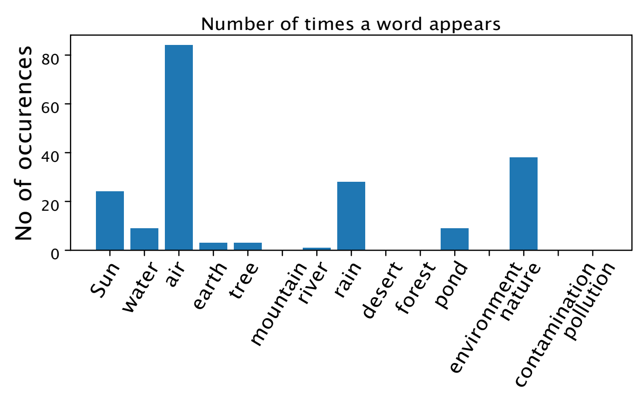

Figure 5: Lexical Occurance Analysis of Mimamsa Darshan.

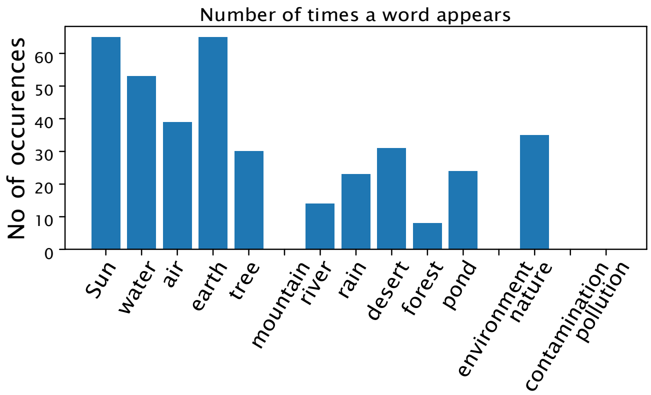

Nyay Darshan

Figure 6: Lexical Occurance Analysis of Nyay Darshan.

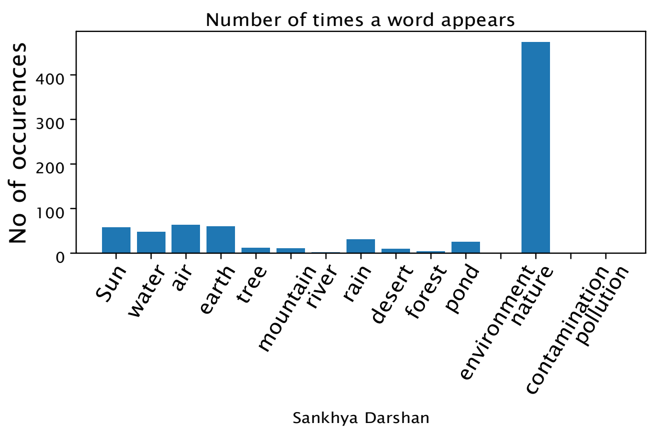

Figure 7: Lexical Occurance Analysis of Sankhya Darshan.

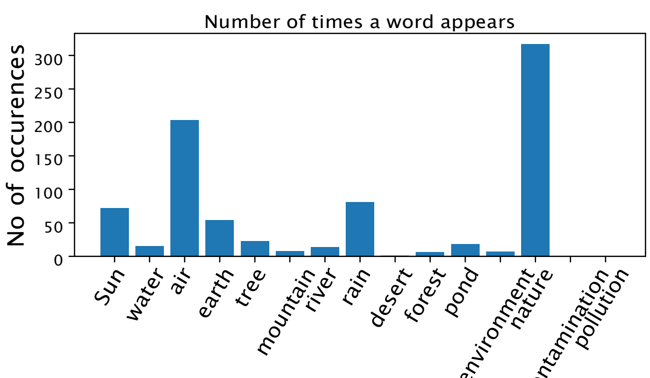

Yog Darshan

Figure 8: Lexical Occurance Analysis of Yog Darshan.

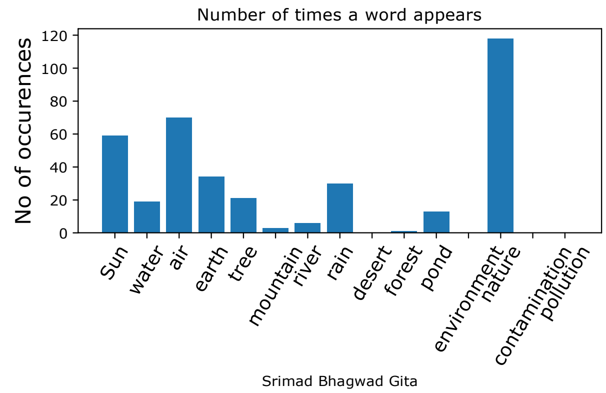

Figure 9: Lexical Occurance Analysis of Srimad Bhagwat Gita.

reincarnation creates a sense of solidarity between people and all living things.

Through belief in reincarnation, Hinduism teaches that all species and all parts of the earth are part of an extended network of relationships connected over the millennia, with each part of this network deserving respect and reverence.

Non-violence – ahimsa – is the greatest dharma. Ahimsa to the earth im- proves one's karma. For observant Hindus, hurting or harming another being damages one's karma and obstructs advancement toward moksha – liberation. To prevent the further accrual of bad karma, Hindus are instructed to avoid ac- tivities associated with violence and to follow a vegetarian diet. Based on this doctrine of ahimsa, many observant Hindus oppose the institutionalized breed- ing and killing of animals, birds and fish for human consumption. Therefore to contribute toward the maintenance of this interrelationship becomes worship of God. Hindus believe that there is soul in all plants and animals. One has to do penance even for killing plants and animals for food. This daily penance is called visva deva which is an offering of prepared food to the Creator, asking His pardon. The Hindu religion gives great importance and reverence to protecting cattle. The central idea of "Vasudaiv Kutumbakam" and iconoic features like "Govardhan Parvat" in Hindu mythology is very strongly represented in the "Shanti Mantra" which is chanted after the end of every worship. Thus it is not exaggeration to say that Hinduism is synomous to naturism.

Humanist Interpretation Of Amish Tripathi's Sita: The Warrior Of Mithila

Nisha Pandey

Research Scholar, Dept. of English, University of Lucknow

Abstract:

This paper presents a humanist analysis of Sita's portrayal in Amish Tripathi's novel, focusing on her agency, resilience, and the challenges she faces within patriarchal structures. Drawing inspiration from the epic Ramayana, Tripathi reimagines Sita as a multifaceted and empowered individual, whose strength lies not only in her loyalty and devotion but also in her intellect and independent spirit. Through an exploration of Sita's character, Tripathi emphasizes her autonomy and self-determination. Sita's choices are presented as the result of careful consideration, defying the notion of her being a passive participant in her own narrative. Tripathi portrays her as a woman who stands up for her beliefs, challenges societal norms, and is not afraid to voice her opinions. This humanist approach enabled readers to view Sita as an inspirational figure, breaking free from traditional gender roles and asserting her individuality. Moreover, Tripathi delves into the challenges faced by Sita within patriarchal structures. He highlights the societal expectations and the limitations imposed upon her, particularly during her time in exile. Sita's struggles become representative of the struggles faced by women in various historical and contemporary contexts. By weaving these issues into the narrative, Tripathi raises awareness about the need to challenge gender inequality and advocate for women's rights. Tripathi's portrayal of Sita within a humanist framework fosters empathy and understanding, encouraging readers to question established narratives and challenge conventional perspectives. His narrative serves as a platform for a nuanced exploration of gender dynamics, offering insights into the complexities of human experiences and the importance of individual agency. By highlighting her agency and the challenges she faces within dominant structures, Tripathi invites readers to contemplate the significance of individual empowerment and the pursuit of equality. Through this exploration, Tripathi contributes to the ongoing dialogue on gender representation and inspires readers to embrace a more inclusive and equitable society.

Keywords: Mythology, Sita, Gender Representation, Humanist approach

Humanism is a philosophical and ethical approach that places emphasis on human agency, reason, inherent dignity and worth of individuals. When applying humanist analysis to a literary character, the focus is on understanding the character's complexities, moral dilemmas and personal growth. Humanist analysis of a character in literature involves examining the character's thoughts, actions and motivations within the context of humanistic principles and values. Critics often consider how the character's choices and interactions reflect universal human experiences, emotions and aspirations. Humanism values intellectual curiosity, critical thinking and personal development. It explores a character's intellectual journey, self reflection and transformative experience, evaluating how they gain insight into themselves and the world around them. While applying a humanist lens to a character's analysis a reader can gain deeper understanding of the characters motivations, values and their place within the broader human experience. It allows for a nuanced exploration of the character's growth relationship and their relevance to the human condition as a whole. This paper is going to explore Sita through a humanistic lens where we will be focusing on the novel *Sita: Warrior of Mithila* by Amish Tripathi.

Mythological trends in Indian literature have first been seen in two epics *Ramayana* and *Mahabharata*. Indian literature has many forms of mythological characters and their portrayals are also significant to contemporary Indian culture. It is challenging to twist the fragile cloth of the Epic

and then compose it to fit contemporary times. But Amish Tripathi proved to be a professional one. We can see his genius through the novels like *The Immortals of Meluha(2010)* ,*The Secret of Nagas(2011)* and *The Oath of Vayuputra(2013)* - collectively called *Shiva Trilogy, Ram*: *The Scion of Ikshuvaku(2015), Sita: The Warrior of Mithila(2017)* and *Ravan: The Enemy of Aryavarta(2019)* of *Ramchandra series*. Mythology in India is perhaps the most commonly used and valued in any century and genre. Indians in all ages, periods and locations share their favourite ambition to enrich their awareness of myths, legends and folklore. Sigmund Freud says "Everyone gains knowledge through widely different sources, from fairy tales and myths, jokes and witticisms, from folklore . . . sayings and songs of different people and from poetic and colloquial usage of language". Present-day authors work arduously to read and improve classic works so that new audiences may be drawn in and connected. Authors from the new generation, including Ashok Banker, Ashwin Sanghi, Anand Neelkanth, Chitra Banerjee Divakaruni, and Amish Tripathi, have fun with mythology by fusing it with fiction. With much effort, they attempted to update Indian mythology. Many books tried to retell Sita's perspective particularly in times which specifically pursue overall feminist perspective. One of the most famous ones are Samhit Arni's *Sita's Ramayana*, Devdutt Patnaik's *Sita: An Illustrated Retelling of Ramayana*, Volga's *Liberation of Sita*. However they all manage to role their stories inside sita's border as a sufferer, choiceless and as a competent individual within the context of set circumstances in which she finds herself. For the first time we get the 'new' Sita in Amish Tripathi's novel. He said in an interview, "Of course! The perception of Sita as a devoted wife is the one which was portrayed in the 1980s or in Valmiki's *Ramayana*. I have portrayed her as a warrior, a strong woman. Strength here doesn't necessarily mean physical strength. It means being mentally strong as well, to have the ability to stand up and face challenges. Sita, in this book, has feminine power"(Times of India 2017). He made an effort to examine Sita's persona from a humane standpoint. She is a producer and a destroyer in this instance. She had an impact on not just her own fate but also the fate of people around her and the Malyaputras, her clan, who looked up to her and worshipped her. Amish Tripathi's Sita is a sticky, skull-fitted, tempered, knife-throwing, military strategist, and possessor of the skills and knowledge necessary to be regarded as one of India's top statesmen and leaders.

In an interview with Akhila Damodaran for Express Warrior Service, Tripathi said, "Sita-Mithila's Warrior is not a Devi's Ramayana Sita. It is lady Sita's own stories. She is the lead character, the hero and Lord Ram comes as a character in the last half of the third part of the novel. I depicted Sita as a warrior a powerful women". The conventional story of Sita is well known and accepted but Amish's Sita isn't the usual Sita that we heard of. She is Mithila's Princess, warrior and the Vishnu picked, who will wipe out any devilish aspect in the universe like Ravan. At first Sita appeared stubborn, but she eventually flourished towards her responsibility. She confronts the trauma bravely as her empire accuses her for the fall when she offended her uncle Kushadwaj by breaking the seal. When she fatally wounded a young boy in the slum, her actions and behaviour was called on check. At a very early age she was assigned the responsibility of a tribe, her sister, her father and the whole Kingdom, which she managed very well. But while portraying Ram, Amish was seen generating a new myth in which men of contemporary culture dream of a powerful, successful and hardworking women who stand on their own feet not just as a conventional spouse. Here we can see Ram doesn't want an average girl, he wants a lady who can cause him to admire her. "Ram didn't want average women to wed. Sita, too, is certain that Ram choses a Guerilla lady with scarves to a fragile poor lady that was only supposed to respect elegance. He needed a woman through whom he could be obliged to bow his head through appreciation". Sita is also aware of this fact that Ram would not want her as she said, "A guy like Ram is going to value my scars, it is the body of a warrior"(SWM 211).

Chitra Banerjee Divakaruni's novel *The Forest of Enchanments* (2019) rewrites the original Epic. In Valmiki's *Ramayana*, Sita experienced marginalization and oppression and is a victim of the dominant narrative of patriarchy. Divakaruni's Sita questions the taken-for-granted assumption and perspective norms of the dominant narrative

where she is a silent receptor. However, we see that Divakaruni's narrative deviates from original where she refuses to accept the conventional story of birth of Sita where she arose from the ground. However in *Sita: Warrior of Mithila*, Amish tried to depict the birth story of Sita to humanize her. His description of the discovery is way more dramatic than before. Baby Sita was not found in a furrow while ploughing the field, but is rescued by Queen Sunaina from the forest where she was guarded by a vulture.

Sunaina was perhaps fifty meters away when she noticed the bundle for the first time. The vulture was protecting it from the pack of wolves. It was lodged in what looked like a little furrow in the dry mud.

The bundle moves.

'By the great *Lord Parshu Ram!*' exclaimed Sunaina. 'That's a baby!'.

Sunaina pressed forward, rapidly goading her horse into fierce gallop.

As she neared the pack of wolves, she heard the soft frantic cries of a human baby, almost drowned out by the howling animals(SWM 17).

This whole incident of rescuing Sita was initiated by Queen Sunaina alone who found little to no description in original story in Valmiki's Ramayan. But Tripathi's narrative saw both Sunaina and Sita as empowered female adept in military activities and state craft. "While representing Queen Sunaina, the author also stresses the role and responsibility of the mother in preparing the daughter for life so that she does not "become woman." Sita is shaped by Queen Sunaina to become the fiercely independent woman and courageous fighter that she develops into. Not only Sita, but other women characters in the novel like Radhika and Samichi have also been assigned far stronger roles" (Tripathy 125).

Amish introduced Sita as valiant woman, intelligent, powerful and adept in military warfare who single handed combated the vicious militia of enemy Ravan. She is portrayed as great archer we read, "there were great archers who could shoot arrows by relying on sound but very few who could throw knives at the source of sound"(SWM 4). Tripathi's Sita is given equal opportunities in every area of life in accordance with women's rights. She received specialised instruction in disciplines like history, geography, economics, royal administration, combat, and martial arts. Her guruvor Shvetaketu lauds her intelligence, realism, and tenacity. In the post Vedic narrative, women were not given rights to perform any religious ritual but here in Amish's narrative we find her Guru Shvetaketu and the great sage Vishwamitra engaging her in secret rituals so that she can defeat the evil. Later we see that she leaves her Gurukul and return to take over the reign of Mithila and help her father rule the state after her mother's demise. "The sixteen year old Sita had been administrating the kingdom reasonably well. She had consolidated her rule by retaining the team that had advised Sunaina, careful to continue systems that her mother had instituted"(SWM 107). Sita is portrayed as a capable female monarch with strong decision-making abilities. She does not rely on any man to lead her; instead, she proved herself to be a capable economist and flexible politician. She demonstrates excellent diplomatic skills, as seen by the way she handled her uncle Kushdhwaja, who wished to halt Mithila's trade and resource development. She not only handled it diplomatically, but she also made sure that her Kingdom would continue to develop sustainably. She understood the value of safe drinking water that could not be poisoned easily, so she had a deep lake dug in the city. In addition, she set up, cheap, permanent livable houses for slum dwellers. Amish was successful in presenting Sita via a humanist viewpoint through Sita's action, critical thinking, and strong decision-making abilities. The conventional Sita envisioned by Valmiki and that of Amish, who is more reflective, a wonderful warrior and a brilliant diplomat on the one hand and challenges her own decision-making and intellectual journey through this story, are actually very different from one another.

Conclusion :

In Amish Tripathi's novel "Sita," the author offers a reimagining of one of the most iconic figures in Indian mythology, Sita. Through a humanist lens, the story explores the complexities and struggles of a woman who defies societal expectations and finds her own path in a world filled with power dynamics, gender inequalities, and personal challenges. Tripathi's portrayal of Sita invites readers to reflect on the inherent worth and

agency of individuals, emphasizing the importance of empathy, compassion, and the pursuit of truth. From the outset, "Sita" challenges traditional portrayals of the character, portraying her as a warrior, a leader, and a thinker. Tripathi emphasizes Sita's intelligence, resilience, and determination to challenge the status quo, presenting her as a multifaceted and dynamic individual. By humanizing Sita and giving her agency, Tripathi aims to dismantle the stereotypes and limitations that society often places on women. Throughout the novel, Sita faces numerous trials and tribulations, both internal and external. She confronts societal expectations, gender discrimination, and the demands of power. Yet, despite these obstacles, Sita remains steadfast in her convictions, driven by her own moral compass. Tripathi presents Sita as an embodiment of humanist ideals, advocating for the empowerment and equality of all individuals, regardless of gender. One of the central themes explored in "Sita" is the importance of empathy and compassion. Sita's journey allows her to develop a deep understanding of the pain and suffering experienced by others, leading her to advocate for justice and equality. Through her interactions with various characters, Sita embodies the humanist belief in the inherent worth and dignity of all human beings, regardless of their background or circumstances. Tripathi also highlights the significance of truth-seeking and intellectual curiosity in Sita's character. She constantly questions societal norms, seeks knowledge, and engages in philosophical discussions. By emphasizing the importance of critical thinking and the pursuit of truth, the author encourages readers to challenge existing power structures and embrace rationality.

In conclusion, Amish Tripathi's "Sita" offers a compelling exploration of the eponymous character through a humanist lens. By portraying Sita as a strong, resilient, and intellectually curious woman, Tripathi challenges traditional gender roles and highlights the importance of empathy, compassion, and truth-seeking. Through Sita's journey, readers are reminded of the fundamental values of humanism—equality, dignity, and the pursuit of a just society. Tripathi's "Sita" is a powerful testament to the potential of individuals to overcome societal constraints and forge their own paths, inspiring readers to strive for a more inclusive and compassionate world.

Works Cited And Consulted

- "I have portrayed Sita as a warrior, a strong woman", says Amish about his upcoming book. *Times of India*, *Apr 12, 2017*.
- Freud, Sigmund. *A General Introduction to Psychoanalysis*. New York: Washington Square Press, 1968, p-166.
- Tripathy, Anjali. "Indian Feminism: An Analysis of Amish Tripathi's Sita: Warrior of Mithila", *International Journal of English Literature and Social Sciences,* Vol-7, Issue-4; Jul-Aug, 2022.
- Damodaran, Akhila. "Sita is my hero: Amish Tripathi", *The New Indian Express*, Apr 1, 2017.
- Divakaruni, Chitra Banerjee. *The Forest of Enchantments*. Harper Collins, 2019.
- Pattanaik, Devdutt. *Sita: Warrior of Mithila(SWM)*. Westland, 2017.
- Arni, Samhit. *Sita's Ramayana*. Groundwood Books, Oct 8, 2011.
- Volga. *Liberation of Sita*. Harper Perennial, Aug 22, 2016.

A Glimpse of Expedition of the female from the Self Estrangement to Self-Identity in the novels of Namita Gokhale

Dr. Purnima Bhardwaj

Assistant Professor, Department of English, Govt. P.G. college, Bisalpur, Pilibhit

Manu Gangwar

Research Scholar, Department of English, Govt. P.G. College, Bisalpur, Pilibhit

Abstract -:

In Indian society , females have been the victims of exploitation since long time in different fields in every sphere of life. There has been tremendous paradoxical situation of Females in Indian society . Not only in pre- independence period but also in post-independence period , the femalessuffer a lot by the male dominance of the family and society. They are some certain hidden forces that work behind this notion. From time to eternity, efforts were made to reconsider her identity in relation to male as wife , mother , daughter, sister but tradition trains a female to think herself as an inferior being. Throughout the world various social norms in some form or other deny females their right to education, health services, economic opportunities and political participation. They are common victims and suppressive as they don't have the economic and political power to fight against the male's supremacy . They are not able to speak out their conditions and to present themselves before the world .The themes of Namita Gokhale's novels reveal her keen concern for the self-identity ,exploitation and the condition or the position of females.This paper explores 'A glimpse of expedition of females from the self estrangement to self-identity in Namita Gokhale's novels. Paro : Dream of Passion (1984) and Shakuntala:The play of Memory(2005) .The plight of the women is one of the most debating issues in the Indian subcontinent not only for its religious and economical code but also for its opperession. Many of the females characters of her novels search their self- identity to realise their ability , inner desire and short coming .The selected works of Gokhale are an attempt to give the plight of females ina very artistic and transparent manner. Her portrayal of female characters are having very distinctive and true reflection of the female's life.She writes a different point of view about females lives , self-identity and sufferings with full conviction.

Keywords:- Self-identity , exploitations, conditions of females , secondary status of females, Suppressive and sufferings .

> *" ......Identity is a configuration arising out of 'constitution given' idiosyncratic libidinal successful sublimation and consistent roles."* (116)

Since ancient time, Females have been submissive and subjective to slavery . They don't have their own identity because of patriarchy .In a patriarchal society the female always remains under the male dominance of the family and the society . Females were hidden from the public and they were not entitled to speak up and not aware about their own identity and rights.They were considered as puppets in the hands of male dominance and the other high class members of the society. Our social, cultural, economic and traditional factors of society have become the reason for female's subjugation. That's why females have remained subjugated, silenced , oppressed and tortured under patriarchal pressure. They are considered as a property and a means to pleasure. Female novelists stablished a peculiar style in

analyzing the problems faced by the females in all around the world .Many Indian female novelists have examined female subjectivity in order to authorise an identity that is not imposed by the male dominance .The condition of females have been very pathetic and miserable since ancient time ,even they were not allowed to go out of the house but were confined within the boundary walls of the houses .In Mahabharata and Ramayana the life struggles of Sita and Draupadi , the well known female characters clearly demonstrate the existence of male domination. Overall status of females in this age were inferior in relation to that of male. Living in a same society, same country, same culture, they are tortured by masculine power, they are deprived from their own rights as a human being, they are insulted by the patriarchal society. The female not only pre -independence period but also post- independence period suffera lot and this kind to leave the life of "the other". They have been suffering for a long time. Namita Gokhale is one of the famous novelists in the Galaxy of Indian English literature. She was born in 1956 in Lucknow (Utter Pradesh) . When she was only eighteen, she married with Rajiv Gokhale. She is the author of twenty one books including eleven works of fiction and editor of numerous anthologies. She came to light after the publication of Paro: Dreams of Passion in 1984 , Gods, Grave and Grandmother (1994), A Himalayan love Story (1996),The book of shadow (1999) ,Mountain Echoes (1998) ,The book of Shiva (2001),Shakuntala :The Play of Memory (2005) etc. She won many awards as- Centenary Award 2017, Vally of Words Award for Best English Fiction 2017, Sushila Devi literature Award 2019, and Shahitya Akademi Award 2021.She is well- read person, excels in the craft of fiction . She raised her pen against the most burning issues such as self- identity, suppression, exploitation, and liberation of females in Indian society. She creates a sensation as an Indian novelist with presenting and writing about the various aspects of females figures to seek their own identities . "Identity is an urgent quest for Third World Countries attempting to assert their Individuality as nations and shed the yoke of having been culturally oppressed for a significant period of their history." (Wassef:75)

The female expedition for self identity increment tremendously after Independence. The icon of female is well known as adocile, submissive , self sacrificing creature of the male dominant society over the world. In other words, as being imperative weak creatures frequently requiring the protection of male as their masters. Bound by occurrence and suppression of unfold miseries , every female facing problems in her life for expedition of self-identity.In many of the cases it leads them into pathetic condition and left bitter experiences and the life went on worst. Many Indian authors have focused on the self-identities that happen in ancient time to till now.Self-identity forms theunderlyingtheme of most of the Indian English novelists, "Who are they?", "Where are they going?" are the perennial questions confusing the Indian scholar.The expedition of self- identity makes female's condition very deplorable or miserable. As a result her voice becomes an alto in a chorus. Self- identity is defined as an perception transcending the experimental and occurrenceessence of self -conscious. It refers to secureand conspicuousphase of one's self-recognition.According to Rupali M.Gaikwad-: "Self identity as a term isdefined by the expert as the recognition of one'spotential and qualities asan individual, especially in relation to the socialcontext." (177)

The plight of females in the novels of Namita Gokhale is very pathetic. Divergent factors of female protagonists in her novels are exploitations, inequalities, social boundaries and discriminations . All factors be made up of quest for self- identity. Inthe novels, Paro: The Dream of Passion and Shakuntala: The play of Memory,She has depicted the problems of female characters,Who suffer a lot and facing problems for their seek of self-identities. The novelParo: Dreamof Passion is a elegant consistencyof quest for self-identity. As Namita Gokhale describes in an interview that – "My way if looking as the world remains trapped in that primary identity,once you start loving hills , they hold to you ……I suspect I am more of an anxious, irritable sort of person in private."

The theme of the novel is female'sinception for innovation to do something fresh or new. There are two main female characters in this novel are Paro and Priya, facingtroubles to create their own-identity. Both characters suffer a lot to search for self identity and each individual is an unsolved

mystery. Paro is a child of middle-aged parents.She wasraped by her master when she is lived in school's hostel , if she would have complained about this then definitely that person get punished. And this experience leaves apermanent alarm on her psyche .She hurts herself, while looking the mirror, she inceptionsher identity, and asked herself, "who are you Paro?"In a strive to find the meaning of self-identity. She feats herself and uses sex as a weapon to obtain grip identity in the world. She marries B. R., the owner of Sita Sawing Machine. After sometime she moves towards Bucky and again she develops an illicit relations with Suresh husband's of Priya. Her attraction towards every manmakes her life very pathetic , in the end she realises that glamour and beauty is not permanent inlife. She never follows the traditions which are established for a female in the society . It is the reason of herexploitation at many times , she committed suicide and her quest for self- identity does not end because she passes away from the world. Priya , the narrator , belongs to typical middle class family. She is the victim of gender discrimination and could not complete her college education. Shewants to make her own identity.She always wants to literate herself from middle class existence. As she says- "Suffused with shame and contempt for the poverty and meanness around me. I would vow to rise from that mine." (14)

Suresh,Priya's husband, who provides her all possible pleasure but there is no emotional fulfilment or attachment that's why she says "men are usually regard the female as a sex toy , seducing and using them for his own purposes."Priya was beaten by her husband Suresh but she can'traise her voice against it .This shows that she doesn't have power to fight against it.Paro and Priya want to rise above their class and status and hope to live life on their own terms , no matter how many pains and sacrifices they have to make in their process for self identity .There are so many abominable incident or act which create their life on bad terms. They both had faced a lot of problems and sufferings since their childhood. Apart from the main characters like Paro and Priya , Namita Gokhale creates a pathetic condition of other female characters like Ivy , Mary ,Anita and narrator's mother also . They alsosuffer a lot and facing many problems in their lives for self-identity.

Like Paro: Dream of Passion, Namita Gokhale's other novel Shakuntala: The Play of Memory is a elegant texture of quest for self-identity. Shakuntala, the narrator or the main character of this novel, struggle a lot and facing problems for self-identity.The question of equality of female with male has been raised here. Shakuntala is the victim of perception since her Childhood and has a expedition for self-identity. She loses her father in her childhood. She lived in a village with her widowed mother and brother Govinda. She is veryaspiring girl and eager to see the world. But she is pressurized to steer a life that rejects her liberation. She is also neglected by her family. On the basis of gender inequality, her mother always discrimating between her and her brother. Her mother always considers her to be burden on her life.Once she makes mistakes, her mother cries –

"You wicked , heartless girl !"

"Were you born only to trouble and torment me." (6)

She was eager to get married in order to escape from the bondage of her problems in her mother's house, where she could not seek her freedom. She marries with Srijan , a widower, Shakuntala is the third wife of Srijan. Soon their marriage was in trouble when she discovered that shecan't envision. Her husband brought a lady named Kamalini from his travel. She used to get angry to see that lady . As during her childhood , she get angry when her mother favoured her brother. But this betrayal was wrist , she felt – "I had know rage before, and ager ,when as achild……..I Screamed sobbed aloud , beating my head against the stone walls of the temple like the kind of woman .I had no imagined, I would ever become." (58)

When her husband brought a lady from her travel, she doesn't oppose due to her submissive figure and doesn't have voice against it.This shows that she doesn't have her own identity, that's why she is facing a lot of problems in her married life, and her condition became very pathetic.She is a very curious character who has keen desire to quest for self -identity. Her pathetic condition is described in the touching words of S.B. Tiwari– "Human life is suggested as a journey in the quest for self-identity or emancipation from the miseries of life………" (26)

Pathetic experience of her childhood and married life lead towards loneliness, and sufferings. To create a new identity by discarding her old name, she adopted a new name 'Yaduri', the fallen one. Gokhale tells that every female needs to her own identity.Shakuntala always compares her present with past for seeking of self-identity.

In both novels of Namita Gokhale, we find that females have a secondary status in the male dominant society. For seeking self-identities,they suffered a lot in their lives. All the female characters in both novels , facing many problems to quest for self identity and want to make their own identities, that's only possible because of education and the awareness of their own rights. They have to become educated so that no one can exploit and insult them. No one can assert their authority over them because only education is the weapon that can improve their condition in family and society. If they are educated, then they can raise their voice against the exploitation.In the words of Swami Vivekananda – "Just as a bird can not fly with one wing only, a nation can not march forward if the women are left behind, men and women are the two sides of a same coin." Both of them completes eachother and have equal rights.Therefore the females ought to be respected and make their own identities.

References –

- Gokhale, Namita, Paro: Dream of Passion, Penguin Books, New Delhi,1999.
- Gokhale,Namita,, Shakuntala: The Play of Memory: New Delhi; Penguin Book 2005.
- www.tjprc.org. International journal of English and literature (IJEL) ,vol. 5, Issue 6 Dec.2015.
- International journal of Research,https://edupediapublications.org/journals, vol.4,
- Issue 01 Jan.2017.
- DJ Journal of English Language and literature,vol.3, 2018.
- www.the-criterion.com, The Criterion: An International Journal in English.
- www.ijcrt.org. International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT).
- SHANLAX, International Journal of English.
- Wikipedia
- Academia edu.

Right of Abortion : Whose Choice?

Dr. Priya Rao

Assistant Professor, School of Studies in Law, Pandit Ravishankar Shukla University, Raipur, Chhattisgarh

Abstract - Abortion has always been a topic of controversy. The feminist approach advocate for it as their fundamental right over their own body, however, some may think it as morally wrong. Recently the verdict of Supreme Court of India has sparked this subject to be taken into consideration. This paper gives an insight about landmark judgment and amended sections of MTP Act and rules. Also this article discusses about various sections provided under India Penal Code for miscarriage and specific sections of MTP Act.

Keyword – Abortion, Constitution of India, Supreme Court, right, medical termination of pregnancy act, pregnancy, marital status , husband, partner, weeks , interpretation of law, socio legal , human right, miscarriage, unborn child,

Introduction

Article 21 is enshrined in our Constitution of India, which is known as 'Magna Carta' of our constitution. This right gives every individual '*right to life and personal liberty*'. According to Supreme Court of India article 21 has wider scope than any other right. The reproductive economy as a right comes under article 21 of the constitution. To eliminate inherent bias vested in 51 year old law framed by the government, Supreme Court's judgment gives a better sight for tomorrow by delivering socio legal judgments to set aside a rule that was arbitrary and violative of human right as women to control and choice over her own body. Right to bodily dignity needs to be in frontline when women seeks free and fair justice before court of law.

Abortion Law and Policy around the World

Every law and policy has been made for the safety and protection of human being as in the case of abortion law and policy. It is simple and irrefutable that this law has also been introduced for the safety and protection of pregnant women who were vulnerable to many kind of disease and mishap happen during this period.

In the landmark judgment of 1973 '*Roe v. Wade*' The United States Supreme Court made abortion constitutional right. The Court ruled that abortion would be allowed up to the point of 'foetal viability' which means the time after which a foetus can survive outside the womb. At the time of this judgment delivered nearly 50 years ago the foetal viability was estimated around 28 weeks (7 months) .

International Agreements and WHO

According to WHO death of majority of pregnant women occurs due to unsafe abortion in developing countries where abortion is restricted by law. 330 deaths occur per 100,000 abortions. And in Africa this rate is much higher in comparison to other 680 deaths occur per 100,000 abortions.[2]

Most of the countries has ratified their legislations according to changing times and followed the international treaties and conventions that protect the basic human right , right to life, right to attainable standard of health, right to non-discrimination, security of the person. According to United Nations Population Division 1999 nearly two thirds of countries allow abortion when there is threat to the life of pregnant woman as well as physical and mental health.

General remarks has been given globally to be followed under the circumstances of abortion :

- Where there is threat to woman's life

- Where there is threat to the women's physical or mental health
- When pregnancy is the result of rape or incest
- When there is fetal impairment
- For economic and social reasons
- On request
- Limits on length of frequency
- Other limits

Under Indian Penal Code

Under section 312 to 318 of Indian Penal Code, 1860 provided for voluntary causing miscarriage, injuries to unborn children, exposure of infants, and concealment of births and punishment thereof. Under section 312 to 316 , offences against person in womb is provided and under section 317 and 318 offences against children is explicitly given.

Section 312: it is given that with the consent and within knowledge of woman but not in good faith to save mother causing miscarriage is punishable offence up to 3 years and fine. And if the woman be quick with the child then up to 7 years and fine.

Offender: Under this section offender can be any person who is causing miscarriage, or the woman herself who is voluntary doing it. And also the person who aids and facilitates miscarriage is liable for abetment of the offence of miscarriage under sections 312 read with 109 of IPC.

Attempt: if there is attempt to cause miscarriage but no abortion took place then it is also punishable under sections 312 read with section 511 of IPC.

Exception: although if done by doctor or nurse in good faith to save woman on medical grounds then it is not an offence.

Here, it should be noted that in explanation of section 312 of IPC it is provide that even the woman who is causing miscarriage of her own with knowledge and consent comes within the preview of this section.

Section 313: in this section it is provided that without woman consent any person who causes miscarriage whether quick with child or not shall be punished with imprisonment for 10 years and fine. This is an aggravated form of offence which cognizable, non-bailable and also non-compoundable.

Here, this section differs from preceding section, as it does not include the pregnant woman herself and without the consent of woman the offence took place.

Section 314: this section specifically covers death of pregnant woman caused by miscarriage as punishable offence up to 10 years may extend to life imprisonment and fine. And if miscarriage done without consent of woman and in the result death is caused then shall be punished with life imprisonment. And also it is explained that the knowledge that death would be caused is immaterial under this section.

Injuries to Unborn Child

Section 315: whoever does any act with intent prevent child to be born alive or does any act which cases the child to die after birth, not in good faith to save the life of mother shall be punished with imprisonment up to 10 years and fine.

Section 316: when the pregnant woman is quick with the child and any person does any act to cause death of unborn child then it will amount to 'culpable homicide' as provided under clause 3 of section 299 of IPC.

The Medical Termination of Pregnancy (MTP) Act 1971 and MTP Rules 2003

- In Medical Termination of Pregnancy Act 1971 , clause (a) of sub - section (2) of section 3 permits the termination of pregnancy in the case of pregnancy which does not exceed 20 weeks period. However in clause (b) of this section permits the termination of pregnancy where 22 weeks exceeds but not more than 24 weeks for the pregnant women as prescribed by rules made under this Act. The opinion must be formed in good faith in this case by not less than two registered medical practitioners where the condition of pregnant women would involve risk to her own life , or

grave injury to physical or mental health. Also there would be substantial risk of physical and mental health to the unborn child if born .

- Explanation 1 to section 3 explains that where grave injury caused to mental health due to failure of any device or method used by female or male partner for preventing pregnancy and because of that pregnancy occurs then it will come under clause (a) but not clause (b).
- Rule 3B of the MTP Rules evidently follows clause (b) of sub- section (2) of section 3 where the category has been given of women who shall be considered as eligible for termination of pregnancy for a period up to 24 weeks.
  - Survivor of sexual assault or rape or incest
  - Minors
  - Widowed and divorced (change of marital status during ongoing pregnancy)
  - Women with major physical disability (under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016)
  - Mentally ill women including mental retardation
  - The foetal malformation that has substantial risk of abnormalities.
  - In humanitarian settings or disaster or emergency situations as declared by the government for pregnant women.

The Landmark Judgment of Supreme Court

Supreme Court bench comprising Justice D.Y. Chandrachud and J.B. Pardiwala , held in the case of *X vs. The Principal Secretary , Health and Family Welfare Department & Anr.* (2022) where Delhi High Court held that since the petitioner is an unmarried women whose pregnancy arose due to the consensual relationship with partner , therefore her case clearly not cover under the categories of Rule 3B of The MTP Rules, 2003 as well as section 3(2)(b) of The MTP Act ,1971 Where in this case Supreme Court has held a different perspective as the clause (c) of Rule 3B speaks of change in marital status during ongoing pregnancy (widowed and divorce) where High Court has taken restrictive view of this provision whereas The Supreme Court has taken purposive interpretation and held that the entire context should be viewed with the scheme of the MTP Act and also intention of the legislature. The MTP Amendment Act (Act 8 of 2021) intended to include unmarried women and single women within the ambit of this Act. As the amendment act replaces the word 'husband' with 'partner' in Explanation 1 of clause 2 of section 3 of the Act and taken a wider aspect.

Reproductive autonomy and bodily integrity has been recognized by the statute. These rights confer a woman to choice bear a child or not. This right comes under the preview of Article 21 of Constitution of India. A woman's choice of reproduction is integral part of her personal liberty. In *Suchita Srivastava v. Chandigarh Administration*[3] the SC has recognized reproductive choice as dimension of Article 21 of the Constitution of India. And also explained that there should be no restriction whatsoever on the exercise of reproductive choices of women to refuse participation in sexual activity or alternatively the insistence on use of contraceptive methods.

In the case of *High Court on its Own Motion v. State of Maharashtra*[4] the Bombay High Court observed that 'if a woman does not want to continue with the pregnancy, then forcing her to do so represents a violation of the woman's bodily integrity and aggravates her mental trauma which would be deleterious to her mental health'. Further HC observes that an abortion is carefully taken decision of woman where she is obliged to take care of members of her family with limited resources and also carry the child whose welfare is uncertain. Therefore, a woman's decision to terminate a pregnancy is not a frivolous one.

As in the case of *S Khushboo v. Kanniammal*[5] the Supreme Court has recognized Live-in relationships. The Court observed that 'Even in the societal mainstream, there are a significant number

of people who see nothing wrong in engaging in premarital sex. Notions of social morality are inherently subjective and the criminal law cannot be used as a means to unduly interfere with the domain of personal autonomy. Morality and criminality are not co- extensive.'

The basic purpose of this Act by the Parliament is conveyed by the Explanation 1 of the section 3 of the Act that whether a woman is married or unmarried, it does not fail the very object of this Act.

Conclusion

Under the Constitution of India Article 21 has been enshrined as fundamental human right and reproductive right comes within the preview of this Article which is matter of life and personal liberty. On September 29, 2022 the Supreme Court of India ruled that single and unmarried female who is pregnant within 24 weeks are also legally entitled for safe abortion as married women. The Supreme Court has taken a purposive perspective of Rule 3B of Medical Termination of Pregnancy Rules, 2003 and section 3 of the Medical Termination of Pregnancy Act 1971 , where it has been given 'change in marital status (widowed and divorce) ' which also includes unmarried or single woman. Also the legislature has amended MTP Act 2021 and changed the term 'husband' with 'partner' which surely indicates that it does not confine to only marital relationship. The object and spirit of the Act is to safeguard pregnant women and her dignity and that could only be achieved through the broader and forward- looking interpretation of the law. The reproductive autonomy, dignity and privacy of single or unmarried pregnant women has a right of choice over own body to bear a child as same as married women. The ruling comes as a ray hope for women who are working women, sole bread runner, who are in live-in relationship.

References:

- The Constitution of India. 1950
- The Indian Penal Code 1860
- The Medical Termination of Pregnancy Act 1971
- The Medical Termination of Pregnancy Rules 2003
- Supreme Court Cases
- Supreme Court Digest
- The Hindu Newspaper 'How has the Supreme Court expanded abortion rights?' visited on 02.10.2022
- The New York Times 'Tracking the States where abortion is banned' visited on 13.10.2022

Footnotes

[1] Alan Guttmacher Institute, 1999

[2] 3(2009) 9 SCC 1

[3] 2017 Cri Lj 218 (Bom HC); (2016) SCC OnLine Bom 8426

[4] 6 (2010) 5 SCC 600

Study on Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act

Shagufta Rashid

Research Scholar, Department of Law, Mewar University

Dr. Chandra Lok Chaudhry

Department of Law, Mewar University

Abstract:

To deal with sexual assaults and exploitation over children, the government has established a special law, POCSO Act, 2012. The said Act sanctions every recognised offences of sexual abuse against children by prescribing stringent punishment keeping in mind the gravity of offence. There is divergent progression of the Act to ensure justice is prevailed. The medical examination of the victim shall be done with minimum distress as possible. The POCSO Amendment Act, 2019 was enacted to enhance the punishment upto death penalty and to curb child pornography. However, the amendment seems to be arbitrary and vague. Below stated are certain provisions of Amendment Act, 2019 which the authors suggest to be arbitrary and vague in nature.

Introduction:

Section 4(2) of the POCSO Act, which was inserted by the POCSO Amendment Act of 2019provides for a classification that is unreasonable and is in violation of Article 14 of the Constitution.

Article 14 provides for the "equal protection of laws". It prohibits class legislation but permits reasonable classification of persons or things.The classic nexus test was set forth in the *Anwar Ali Sarkar case* thus;

"In order to pass the test of permissible classification two conditions must be fulfilled viz.

- That the classification must be founded on an *intelligible differentia* which distinguishes those that are grouped together from others left out of the group, and
- That the differentia must have a rational relation to the objects sought to be achieved by the Act. The differentia which is the basis of the classification and the object of the Act are distinct and what is necessary is that there must be nexus between them." [1]

This test laid down by the Hon'ble Supreme Court in Anwar Ali Sarkar case has been reiterated and applied in the subsequent cases dealing with the issue of violation of Article 14 by the court. For instance, in *D. S. Nakara v. Union of India*[2], a classification which was made between the pensioners who retired before a specific date and those who retired after that date was held unreasonable by the Court and it was held arbitrary. Thus, it was an infringement of Article 14 and as a result, the Rule 34 of Central Services rules was set aside.

Before the POCSO Act was passed in 2019, the punishment for committing penetrative sexual assault as per POCSO Act 2012 was from seven years imprisonment till life and also fine.The Act of 2019 increased the minimum term of punishment from 'seven' to 'ten' years by inserting Section 4(1) [3] and also inserted two sub-clauses toSection 4:- Section 4(2) &4(3).

Now, the new sub-clause (2) inserted by the Act provides punishment for the offenders who commit penetrative sexual assault on a child *below sixteen years of age*. It is pertinent to note that the minimum term of imprisonment (twenty years) has also been increased under this newly inserted clause.

By inserting this sub-clause (2), the legislature makes a classification between a child who is below sixteen years of age and a child who is above the age of sixteen, but below eighteen. However, the legislature has defined a "child" as 'any person below the age of eighteen years', for the purposes

of this Act. Thus, the above classification should be a reasonable classification since it has been made within the same group, i.e., 'children'.

There can be no *intelligible differentia* in this classification. The differentia in this classification is vague, since there is an uncertainty in determining the age of maturity factor. For instance, A seventeen-year-old child may have the same maturity as a fifteen-year-old one and in some cases, it may be the other way around. At times, some may attain maturity at the age of nineteen only, whereas some may attain maturity at seventeen itself. A fifteen-year-old child can appear like a nineteen-year-old one.

It is to be noted that the differentia must have a rational relation to the objects sought to be achieved by the Act. The object of this Act is to protect children from the offences of sexual assault, sexual harassment and pornography and provide for establishment of Special Courts for trial of such offences and for matters connected therewith or incidental thereto. Hence, the main objective of the Act being to protect the children, this differentia in no way has a nexus to the objects sought to be achieved by the Act. This classification gives way for the thought that raping a child below sixteen years is a graver offence, whereas on the other hand raping a child of sixteen or seventeen years of age, who may have the same maturity as some children belonging to the other class is not considered to be a graver offence. This classification thus, is unreasonable and hence violative of Article 14.

Also, the newly inserted sub-clause (3) states as "The fine imposed under sub-section (1) shall be just and reasonable and paid to the victim to meet the medical expenses and rehabilitation of such victim." It is pertinent to note that the newly inserted clause (2) also provides for the payment of fine in case of committing the offence, but the sub-clause (3) does not speak about the fine imposed by Section 4(2). Is it not necessary that the fine imposed under Section 4(2) should be reasonable and should it not be used for the rehabilitation of the victim?

Analysis

Sexual Harassment

Section 11 and 12 of the POCSO Act provides for the provisions regarding sexual harassment and punishment therefor. Section 11 states as "A person is said to commit sexual harassment of a child when such person with *sexual intent*…" Also, it has been provided that any question which involves "sexual intent" shall be a question of fact. It is an ascertained fact that y well known that the question involving intention is very difficult to prove before the Court of law. Also, there arises a question whether an offender performs the acts listed in Section 11 without sexual intention, will it not amount to sexual harassment? Even Section 354A of the Indian Penal Code, which describes Sexual Harassment does not use the term "sexual intent", since it is not a mandatory requirement for committing sexual harassment. Thus, the term sexual intent creates a loophole in Section 11 of the Act, which will favour the offenders.

Chaos Regarding The Understanding Of The Life Imprisonment

The POCSO Act leaves behind some controversies and confusions with regard to the understanding of the concept of life imprisonment. Sections 4(2) and 6(1) inserted by the POCSO Act 2019 use the words "*imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of natural life of that person*", instead of just using the term "imprisonment for life" as in Sections 4, 6, 14(2), 14(3) of the principal Act. This new insertion of words leads to a misunderstanding that the latter mentioned Sections do not provide for the punishment of life imprisonment for the remainder of natural life of that person. It is not necessary to mention in a provision that life imprisonment means imprisonment for the remainder of natural life of that person, because it deems that the other existing provisions that do not mention so, do not mean the same.

Section 53 of the Indian Penal Code provides for the imprisonment of life. Imprisonment of life means a sentence of imprisonment running throughout the remaining period of a convict's natural life, unless it is commuted or remitted by competent authorities. [4] "Imprisonment of life is not equivalent to 14 years or 20 years of imprisonment. There is no provision either in the IPC or the Code of Criminal Procedure whereby life imprisonment could be treated as 14 or 20 years without there being a formal remission by the appropriate government. He can, however, be

released if the appropriate government passes a separate order remitting the unexpired portion of his sentence." [5]

While the Courts in India has been reiterating upon the question that the term imprisonment for life means the imprisonment for the remainder of natural life, inserting provisions such as Sections 4(2) [6] and 6(1) [7] bearing such words, is very much likely to disregard the punishment of life imprisonment. It also loses its deterrent effect since the offenders punishable under Sections 14(2) [8] and 14(3) [9] will use this as a loophole and escape from their original sentence of life imprisonment.

Also, one more important point to be noted in this regard is that, is it possible to calculate the term *"One half of life imprisonment"*? Section 18 [10] of the Act provides for the punishment for attempt to commit an offence. It provides that the maximum punishment shall be a term which may extend to one half of the imprisonment for life. It may be 20 or 30 years or any term which is not fixed. Not fixing the maximum term of punishment, it leaves to the judges to decide upon it. This term 'one half of life imprisonment' is uncertain. It leads to many possible interpretations for fixing the maximum term of punishment and hence the provision is vague and is therefore violative of article 14 of the constitution.

Including Death Penalty As A Punishment

The new amendment made in the Act by the POCSO Act 2019 has in fact reduced the deterrent effect by including death penalty as a punishment. Section 6(1), which was inserted substituting the Section 6 of the principal Act provides death penalty as the maximum punishment for aggravated penetrative sexual assault.

The introduction of death penalty might be even more problematic in such cases where the offender is a family member of the victim or the survivor. As per the National Crime Records Bureau (NCRB) report crime in India, 2016, 94.6% of cases registered under rape with penetrative sexual assault against children were committed by the people known to the victim. Seeing in a realistic perspective, there are very remote chances in cases where a child is sexually abused by family member or a relative, they will come forward and register a complaint, knowing that the complaint will lead to death of the person concerned. Thus, there is a high possibility of lesser number of cases being reported. The introduction of death penalty might also increase the chances of high rape and murder cases, since the disclosure of sexual act by the survived victim can lead to death penalty.

Further, as stated by the Law Commission's 2015 report on death penalty, there is no empirical evidence exists to suggest that death penalty has a deterrent effect over and above life imprisonment.

Are Sections 29 And 30 Of The Act Constitutionally Valid?

The provisions of §29 and §30 of the POCSO Act, 2012 are in violation of Right to free and fair Trial guaranteed under Article 21, and are completely in violation of Article 14.

i) The presumption is against the general principles of criminal law: An accused is resumed to be an innocent until proven guilty. The onus of proving that the accused is guilty lies on the prosecutor. This principle is based on the maxim, '*EiIncumbitProbatioQui Dicit, Non Qui Negat*', which means the burden of proof rests on the one who asserts and not on the one who denies. Sec.29 [11] presumes even *actus reus* which is fundamentally against natural Justice.

The presumption of *mens rea* under Sec. 30 [12] is unconstitutional. Although many other enactments have similar provisions such enactments mostly deal with white collar crimes or crimes where *mens rea* can be presumed because of very nature of the Act. Sec.106 of Evidence Act, 1872 itself would suffice in such cases. However, in the case of POCSO is an offence where *mens rea* is required to be proved. Nobody may be able to prove that the offender had touched a child with love and affection and not with any bad motive beyond all reasonable doubt.

Presumption of innocence is a fundamental human right under various international human rights instruments. Article 11(1) of UDHR reads 'Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to the law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.'

ii) Sections 29 & 30 are in violation of Article 14: "In order to pass the test for permissible classification two conditions must be fulfilled, namely- The classification must be founded on an

intelligible differentia which distinguishes persons or things that are grouped together from others left out of the group the differentia must have a rational relation to the object sought to be achieved by the statute in question." [13] The classification, however, must not be ¯arbitrary, artificial, or evasive but must be based on some real and substantial distinction bearing a just and reasonable relation to the object sought to be achieved by the legislation. [14] In the absence of a just cause to the classification, the classification is deemed discriminatory and ex facie are in violation of Article 14. [15]

The classification made in the Act is that the offenders under the POCSO Act are treated differently from other offenders by shifting the burden of proof beyond all reasonable doubts to the defence. This classification of shifting the burden of proof as per Sections 29 and 30 of the POCSO Act are completely unreasonable and have no nexus to the object sought to be attained. Thus, there is no intelligible differentia in the classification made, thereby clearly violating Article 14..

iii) Violation of Right to Free and Fair Trial and International Human Rights: The fair trial is the heart of criminal jurisprudence. [16] The right to fair trial is a part of various international human rights instruments. Article 6 of the ECHR [17], Article 8 of the Inter American Human Rights Convention [18] and Article 14 of the ICCPR [19] guarantee a right to fair trial as a human right. The Supreme Court in the case of *Jolly George Verghese v. Bank of Cochin*[20] held that such international human rights even when not ratified can be read down as a part of the fundamental rights guaranteed under the constitution. A fair trial is a fundamental right which flows from article 21 of the Constitution. [21] Denial of the fair trial is the denial of human rights. [22] Fair trial actually means a trial in which bias or prejudice for or against the accused, the witnesses, or the cause which is being tried is eliminated. [23] These principles of Right to free and fair trial have been completely violated *per se* when a bias and prejudice is created against the accused.

The provisions of Sections 29 and 30 of the POCSO Act state that the duty prosecution is over at the point of framing of the charges itself and needn't establish their case. Prosecution has been defined in a plethora of cases "a criminal action; a proceeding instituted and carried on by due course of law, before a competent tribunal, for the purpose of determining the guilt or innocence of a person charged with crime" [24]. 'Prosecution' is mentioned as "Institution or commencement of a criminal proceeding, the process of exhibiting formal charges against an offender before a legal tribunal and pursuing them to final judgment on behalf of the state or government or by indictment or information." [25]

From all these various definitions of prosecution itself it is very clear that the duty of the prosecution is done with mere framing of charges and it is to the accused to prove himself no guilty which is clearly in violation of his rights to free and fair under Article 21. The case of the prosecution cannot be allowed to rest on a preponderance of probabilities. [26] The provisions are clearly arbitrary against the accused, thus affecting the Right to Free Trial guaranteed under Article 21, and clearly violating of the provisions of Criminal Procedure code as well. Thus, the provisions Section 29 and Section 30 of the POCSO Act are unconstitutional and needs to be struck down.

Treating A Minor Accused As A Juvenile:

Section 34 of the Amendedact states that when any offence is committed by a child as prescribed in the provision, they shall be treated under the Juvenile Justice Act, 2015 and accordingly any question regarding to the age of the person is in dispute, it would be determined by the Special Court. [27] On perusal of the above section, it states that if any child who is less than 18 years commits any offence mentioned under the Act shall be dealt under the Juvenile Justice Act and the age aspect of whether he is a minor or not is a question of law to be answered by the Special Court.

By virtue of it, when a minor accused has committed a sexual offence, the Court would look on to the questionas to whether he shall be treated under the Juvenile Justice Act or POCSO Act. This is done on the basis of questioning the age of the accused, but the assault committed is never taken into consideration. As a result, minors who commit heinous crimes are not punished for the gravity of offence which they have committed. In the

infamous *Kathua Rape case*, wherein an 8-year innocent girl was kidnapped and raped by 8 accused, of which six of them were found guilty and one has been acquitted on benefit of doubt and the other accused who was a minor, was tried under Juvenile Court. It is pertinent to note that, the investigators state that on 10th of January the girl was kidnapped by the juvenile and later on the very same day, she was brought to the temple and was raped by him, and it is also found that the juvenile had strangled and smashed the deceased face with stone which caused the death. The most notable part is that the juvenile accused who is the prime accused has not been punished for committing such heinous crime, "half justice" was only given for the deceased's family. But till date, the remaining accused are yet to be hanged and the judicial process is dragging, with various petitions put forth by the accused.

Even in the *Nirbhaya Case*, the juvenile who was the main reason for the death of the deceased, as he had hit her with iron rod, was treated as juvenile and was given an imprisonment of three years, now he is working as a cook in some southern part of the nation. Even though it is an undisputed fact that the juvenile's action had also led to the rape and death of the deceased, they are being protected with the shield that he is a juvenile. This shield should be broken and any accused who may be a minor who has committed any sexual offence, should be treated as an adult, for the justice to prevail.

Section 34 of the Act, shall be in such a way that, when any minor being an accused who has committed a heinous crime, he shall be treated as an adult by virtue of his act and shall be given extreme punishment. The aspect of treating the accused as a minor under the Juvenile Justice Act, because of the age factor is not acceptable. This fallacy under Section 34 shall be amended in such a way that it helps in achieving the object of the code and for ensuring that justice is given to the right person.

Conclusion:

It is true that loopholes can be created however good and efficient the law is. The POCSO Act is a comprehensive law which was initiated to protect the children from sexual abuse and exploitation. Considering the welfare of the people, legislature is making laws, and in no way would the intention of the legislation would be to make an inefficient and uncertain law. However, the amendment Act is arbitrary and is against the fair procedure of law, at certain points it is favouring the offenders. The authors view that certain provisions of the amendment shall be removed to procure law in its unvarnished sense.

References

1. State of West Bengal v. Anwar Ali Sarkar, A.I.R. 1952 S.C. 75.
2. A.I.R. 1983 S.C. 130.
3. Section 4(1): "Whoever commits penetrative sexual assault shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than ten years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable for fine"
4. Gopal Vinayak Godse v. State of Maharashtra, A.I.R. 1961 S.C. 600.
5. LaksmanNaskar v. State of West Bengal, A.I.R. 2000 S.C. 2762.
6. Section 4(2): "Whoever commits penetrative sexual assault on a child below sixteen years of age shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than twenty years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of natural life of that person, and shall also be liable to fine."
7. Section 6(1): Whoever commits aggravated penetrative sexual assault shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of natural life of that person, and shall also be liable to fine, or with death.
8. Section 14(2): If the person using the child for pornographic purposes commits an offence referred to in section 3, by directly participating in pornographic acts, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.
9. Section 14(3): If the person using the child for pornographic purposes commits an offence referred to in section 5, by directly participating in pornographic acts, he shall be punished with rigorous imprisonment for life and shall also be liable to fine.
10. Section 18: Whoever attempts to commit any offence punishable under this Act or to cause such an offence to be committed, and in such attempt, does any act towards the commission of the offence, shall be punished with imprisonment of any description provided for the offence, for a term which may extend to one half of the imprisonment for life or, as the case may be, one half of the longest term of imprisonment provided for that offence or with fine or with both.

11. Presumption as to certain offences.
12. Presumption of culpable mental state.
13. Ram Krishna Dalmia v. Mr. Justice S.R.Tendolkar, A.I.R. 1958 S.C. 538.
14. Garg v. Union of India, A.I.R. 1981 S.C. 2138.
15. Supra
16. Article 12 of UDHR; Rajesh Talwar v. CBI, 2012 Cri L.J. 2217.
17. Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty.
18. Every person accused of a criminal offense has the right to be presumed innocent so long as his guilt has not been proven according to law.
19. Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.
20. A.I.R. 1980 S.C. 470.
21. Rattiram v. State of Madhya Pradesh, A.I.R. 2012 S.C. 1485.
22. J. Jayalalitha v. State of Karnataka, (2014)2 SCC 401.
23. Zahira Habhibulla Sheikh v. State of Gujarat, A.I.R. 2004 S.C. 346.
24. Jasbir Singh v. Vipin Kumar Jaggi, A.I.R. 2001 SC 2734.
25. A. Paliniappan v. A. Gunasekaran, MANU/TN/2506/2013.
26. Vijay Pandey v. State of Madhya Pradesh, 2019 (10) SCALE 129.
27. Section 34 of the Act.

Geographical Study of Smart Management of Muzaffarpur City : A Case Study

Jagriti Prabhat

M.A. & NET, Research Scholar, University Deptt. of Geography, Bihar University, Muzaffarpur

Assistant Professor, Deptt. of Geography, TNB College, TM Bhagalpur University, Bhagalpur

Abstract:

The idea of Smart Cities evolved out of the need to simplify life of the people, provide them with life's necessary service through technology, governance and coordination and it is these yardsticks that the concept and idea will be judged in future, i.e., the power to transform the life of people and their ability to become more humane. The paradigm of smart cities appeared in the late 1980s as a means to visualize urban context, and since then they evolve fast in different contexts "smart cities are such cities where information technology is wielded to address problems ok and new." The old city of concrete, glass and steel now conceals a vast underworld of computer and software. The new city, on the other hand, is a digital remake to the constructed legacy giving rise to a new form of city, which may be called as smart city. Smart city is the transformation of urban centers into a city having most of the modern facilities. One the perspective tries to look at the smart city, not as a whole but as a part of it. For example, it is argued that whatever smart city may mean, not all spaces of the city will be equally smart. I mean that some places, people, and activities will have privileges over others. In the 21st century, cities compete globally to attract both citizens and businesses. A city's attractiveness is directly related to its ability to offer the basic services that support growth opportunities, build economic value and area competitive differentiation. Potential inhabitants, of both the commercial and residential variety, are a discriminating lot, and they are looking for cities that operate efficiently and purposefully. They are looking for smarter cities'.

Key words: Potential inhabitants, Smarter-cities, Yardsticks, Digital remake, Attractiveness, Potential inhabitants.

Introduction:

The study area, Muzaffarpur city is known as "The Land of Litchi" and also known as "The Economic capital of north Bihar". The study area – Muzaffarpur is the district headquarter and also the headquarter of Tirhut division. The city is almost located in the heart of the Muzaffarpur district. Muzaffarpur district is divided into 16 blocks and the study area lies in Musahari block. In 2015, to cope up with the challenges of urbanization, goaI has already been decided to upgrade 100 cities as smart city. This mission introduced in the form of a competition, called as smart city challenge. First stage was in July 2015 when state nominated their cities for competition. In august 2015, ministry of urban development selected cities to participate in the competition and compete against each other. City have more or less flat topography with altitude of approx. 56 m above the mean sea level. The general slope of the town is towards south and having natural slope of 3.5 feet per mile (Muzaffarpur, City sanitation plan, 2010). City's wastewater drained in three zone; towards Burhi Gandak (in north), towards Furdoo nallah (in south) and towards Brahmpura lake. However, water logging is common in low-lying area during raining season. Heavy rainfall also raises the water level of Burhi Gandak, which occasionally results as flooding.

Geographical Location:

The study area is geographically situated on the southern bank of the Burhi Gandak River and located 26°07 north latitude and 85°27 east longitude. The study area occupies an area of 26.68 kilometer square (2668.44 Hectare). It covers 0.84% of the total area of the Muzaffarpur district. It is the fourth most populous city in Bihar. Muzaffarpur is located in north central part of Bihar, which is 70 km away from the state capital,Patna and it is district administrative headquarters of Muzaffarpur district. The city is only class-1 town 9th in entire district (Muzaffarpur,City sanitation plan, 2010) and third largest city in Bihar after Patna and Gaya. Geographically city lies between the Burhi Gandak River in north and Furdo Nallah in south.

However, cities are not capable to bear exponential growth in population and due to which they forced to live in inhuman condition. Such migrated live within small space, resulting in ghettos (often refer as slums or congested housing), where it is difficult to provide basic sanitation facility and pipe water supply. For cities to perform according to its potential, vibrant city system is required, including in service infrastructure. Appropriate standard and size is required for performance and quality of service. The disadvantages with the city is it had not been as per rising urban population, which makes situation worse. Situation became more seriously when ULBs are not able to provide basic services and over shadowed the positive side of urbanization. The stable southern bank has provided a permanent site for development and expansion of Muzaffarur. The whole area south of the river bears imprint of shifting courses of rivers. The river Burhi Gandak is wide near Muzaffarpur town. It is characterized by meandering courses, sand bank and sand bars and abandoned channels. The highest flood level of the river is higher than the general level of the city hence protective wall has been built to protect the city from floods from the north. Flood in the south are similarly checked by the railway track near Ram Dayalu and also by the newly constructed new bye-pass road further south of the bye-pass road.

Condition of Muzaffarpur city during monsoon season and Heavy Rain

Sometimes the river bank acts as a promoting factor for the ideal location of towns. In the case of Muzaffarpur, this was true in its early stage of growth. Now it is an inhabiting factor because of the restrictions it imposes on the future expansion of the city.

The drainage Structures Muzaffarpur originally constructed by PWD in 1895 to allow flood from river BurhiGandak. In due Course of time, these structures are being utilized as both sewage and storm water drains for which functions they were never designed. As a result even the limited drainage system of Muzaffarpur has never functioned properly. So the life of Muzaffarpur city becomes hell due to stagnation of drainage water on the road. The traffic movement is hacked and water enters into the shops and houses.

Typology of Smart City Functions

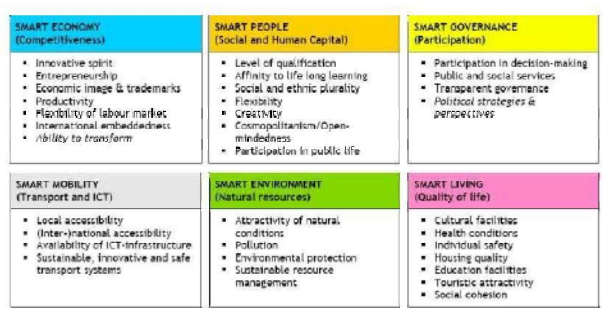

Table 1: Space Allocation in Proposed Smart City with million population

Type	Area per person (sq. ft per person)	Total Area to be developed
Residential	200	60
Commercial	50	15
Industrial	58	17
Open Space	150	45
Total	458	137

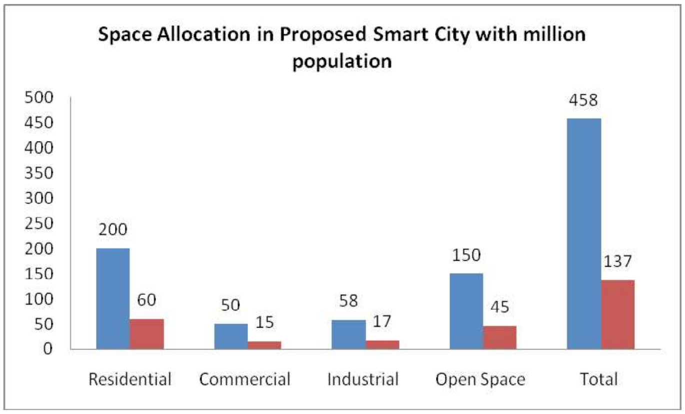

Providing smart infrastructure in terms of roads, cycle tracks, pedestrian pathways, public toilets, water and sewer networks, street lighting networks, signal systems, gas supply systems, solid waste "management systems, drainage networks, pollution control systems, safety and security devices, etc. are all very important for efficient, healthy, safe and sustainable urban living. In all these sectors, IT plays an important role no doubt, but more important is good town planning, public health engineering, architecture and civic design are essential ingredients. Construction, project management and contract management is even more important. The role of IT comes only as a support to the core activity, that too in a limited manner.

Hypothesis :-

Formulation of a few following hypotheses becomes essential in order to complete the research paper:

- Management of each sector becomes essential to make a city smart.
- Issues and challenges are required to face in order to step forward towards smart city.
- Resource management helps in transforming the city smart.

Methods Applied:-

Field survey of the study area indicates the challenges and issues of the city which are required to be analyzed hence analytical method has been adopted in preparing the present research paper. Statistical and diagrammatic representation have also been included where ever

Smart Mobility:-

Urban mobility is integral to city living. For a variety of reasons, be it for work, education, recreation, etc. trips have to, be made by children, the able bodied, physically challenged and the elderly. One is willing to pay, provided there are fast, comfortable and adequate options available at all reasonable times of the day. Today, there are many technologies available and being tried out. What, we need is implementation and integration of these so that the last mile connectivity is not left out and a seamless travel experience is available. However, technologies themselves have to be a combination of engineering, design and management solutions. Starting from walkways to cycles, three wheelers, battery operated vehicles, cars, taxis, low floor buses, metro trains, maglev, mono rail, etc. there are many engineering options that can be introduced to make mobility experience in cities smart.

Smart Resource Management:-

Water, energy and waste are key resources in the city. The need to manage these in terms of ensuring equitable distribution, ensuring minimum levels of supply, minimizing leakage, maintaining environmental quality and creating modern technology options. Technology here would mostly be in the realm of public health engineering for water and waste management and power systems. Use of alternative energy sources and renewable also needs to be propagated here.

Smart Housing:-

For people to live in a smart city, smart housing is an essential ingredient. The city today is a congregation of a wide variety of human beings having different work and life styles and earning and spending capabilities. We need a whole range of options for all, both in the ownership as well as in the rental segment. Most cities today have reasonably good housing but which is exorbitantly priced and meeting the requirements of a select few. To develop affordable housing options for the large majority of people, is a very big challenge and no software can solve such a vital problems.

Smart Statutory Management Systems:-

At the root of developing smart cities is the statutory and governance regime. We need urban development laws that facilitate development, not restrict or hamper. Time and again, we have been voicing the concern of reforming various urban laws. A lot of room is still there for reform of our statutes in the urban arena. Further, we have constitutionally mandated urban local governance participatory systems which cannot be ignored.

Challenges and Implications:

The regional inequality in Indian rural-urban divide and intra-city disparities are a strong barrier to India's urban transformation and economic progress. The concept and strategies of smart city and AMRUT (Atal Mission for rejuvenation and Urban Transformation) of the present Central Government must be seen in this light. There are many smart cities being proposed for the less urbanized areas of central, eastern and north-eastern India. AMRUT also proposes to cover 500 urban centers out of the 4041 statutory cities and towns in the first instance.

Muzaffarpur is known as the capital of North Bihar and its strengths include its regional connectivity and locational advantage, and it's functioning as a hub for distribution and processing of the regional agro horticulture produce. There was a clear expectation from the citizens that these advantages should be leveraged to facilitate new businesses and innovative ancillary industries that provided local employment opportunities. Muzaffarpur is plagued by water logging, congestion, haphazard growth, neglected natural assets like the river and lake, lack of public spaces and rising crime. In the last 3 years, some of the noteworthy initiatives at city level under implementation include increase in energy availability and reduction in outages; improvements in transport through widening of roads, anti- encroachment drives, preparation of traffic management plan for CBD; augmenting security through installation of centrally monitored CCTV cameras at major junctions.

Map of Vision Muzaffarpur in Smart City

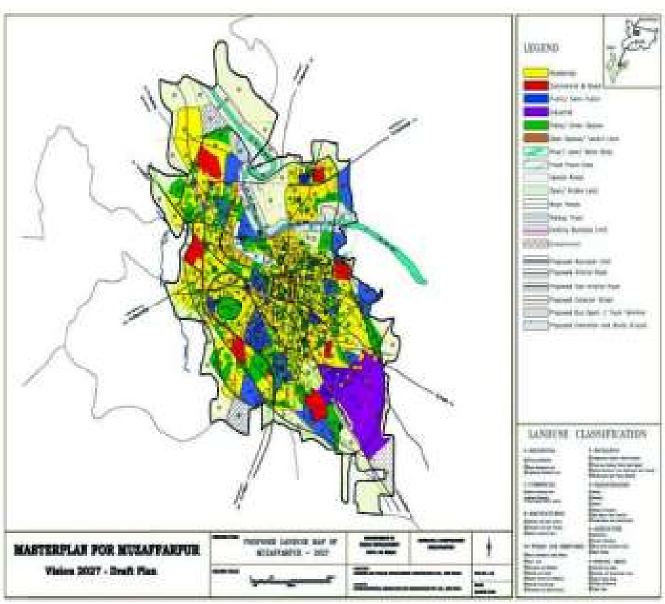

Improvements have been noted in basic infrastructure especially solid waste management that resulted in the city being ranked 1st in Bihar in SBM rankings and sanctioning of a water supply project. Muzaffarpur has achieved the distinction of being the second highest collector of property tax in the state after Muzaffarpur.

The Smart cities takes into account different facets like the smart design, smart utilities, smart housing, smart mobility, smart technology etc. So, it is challenging to define features of smart cities. Typically, a large number of people migrate to cities mainly in pursuit of employment and economic activities along with better quality of life. By virtue of this, Smart City for its sustainability requires to offer economic and employment opportunities to large section of its population, regardless of their level of education, skills or income levels, at large. Subsequently, Smart City requirements are to identify unique advantage in specific areas of economic development and elongate them aggressively by developing compulsory institutional, physical, social and economic infrastructures etc. by attracting investors and professionals for betterment of urban population and society. So, as a result there have been an increasing research interest which is being directed to the mapping, monitoring and developing of the smart cities based on geospatial information and geospatial technologies.

Conclusion:

To sum up of smartness in a city means different things to different people which could be smart design, smart utilities, smart housing, smart mobility, smart technology etc. Thus it is rather difficult to give a definition of a smart city. Since people migrate to cities primarily in search of employment and economic activities beside better quality of life. Therefore, a smart City for its sustainability needs to offer economic activities and employment opportunities to a wide section of its residents, regardless of their level of education, skills or income levels.

However, the present research has made an attempt to help the local, regional and state level planners and policy makers to better understand and address the issues attributed to the developing of smart cities in the emerging and developing Muzaffarpur city in Bihar. The cities in

Muzaffarpur faces various problems like traffic congestion, crowding of people, air pollution, scarcity of resources, problems of space, garbage problems, lack of greenery, cleanliness, lack of affordable housing, unplanned and unhapazzard growth and development of city and sub-urban areas, informal real estate markets, lack of infrastructure, inadequate transport facilities, poor sanitation, poor electricity supply, crime, inadequate clean water supply, economic, rural to urban migration, political and technological problems poor governance arrangements, etc. are leading the urban citizen's life unhappy. Thus, Smart City Mission is a way to resolve these problems. Moreover, proper assessment of technology alternatives, public-private partnership and the utilization of modern management systems and technology will be playing a vital role in the completion of this dream project. However, the process of a smart city transformation journey does not happen overnight. So it is the need of the hour to plan and build the smart cities in view of resolving these problems.

References

1. Dayal. P. & Thakur, B (1976): Commercial Ribbons in Patna: Spatial Growth and Functional Structure". The National Geographical Journal of India. Vol. XX I1. Parts 3 and 4, pp.164 -77, p.168.
2. Dhabriya, S. S. (1976 - 77) : "Centrifugal and Centripetal Forces and City Expansion". Indian Journal of Geography. Vol. XI - XII. No. I, pp. 68
3. Ibid] p. 78.
4. Dwivdi, R. L. (1965) : "Demographic Features of Allahabad City", Geographical Review of India, Vol. 27, NO.4.
5. Robert E. Hall,(2000) "The Vision of a Smart City." 2nd International Life Extension Technology Workshop.
6. Somayya Madakam, R. Ramaswamy, The State of Art: Smart Cities in India: A Literature Review Report (Dec2013)
7. Ghosh, B. (1976) : "Trend and Pattern of Population Growth of Calcutta City". Geographical Review of India. Vol. XXXVIII, No. I. pp. 85
8. Ibid, p.90.
9. L. G. Anthopoulos,(2015) "Understanding the smart city domain: A literature review," in Transforming city governments for successful smart cities. Springer, pp. 9–21
10. Muzaffarpur Master Plan, (reprint in 2011 & 2014), Town Planning Department, Govt. of Bihar, Muzaffarpur and Information based on Field Survey on Housing and Traffic Survey, Muzaffarpur.
11. M. NIC, "All polls/survey under smart cities."
12. Singh, R. L. (1955) : Banaras : A Study in Urban Geography. Nandkishore and Bros., Banaras, P. 61.
13. Singh, U. (1966): "Changes in the built up area of Kaval Towns in the Ganga Plain", National Geographer of India, Vol. 12, No.4.
14. H. Chourai et.al.(2012)"Understanding Smart Cities: An Integrative Framework", Proc. IEEE Computer Science Society, 45th Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii, pp. 2289-2297
15. J. Belissent,(2011) Webinar: The Core of A Smart City Must Be Smart Governance, CIOS, Forrester,
16. Sinha, M.M.P. (1980): The Impact of Urbanization on Land Use in the Rural Urban Fringe. Concept Publishing Company. New Delhi.p.35

Development of Patna as a Smart City

Savita Bharti

M.A. & NET, Research Scholar, University Deptt. of Geography, Bihar University, Muzaffarpur

Abstract:

The idea 'Smart City' is a developed urban area that creates sustainable economic development and high quality of human life by excelling in multiple key areas like economy, mobility, environment, people, living condition and governance. 'Smart City' becomes well equipped with technology that helps qualitative sustainable environment for development and management of urban infrastructure. 'Sustainable development' is a strategy that meets the needs of the present generation without compromising the ability of the future generation to achieve their own requirements. It can improve the quality of human life while living within the carrying capacity of supporting ecosystem. It can balance the fulfilment of human needs with the protection of the natural environment.

Key words: Smart City, Governance, Sustainable, Development, Carrying capacity, Supporting ecosystem

Conceptual Framework:

'A sustainable smart city becomes a holistic city with multiple themes or components to ensure easier service delivery and better quality of life for the citizens. Patna, the capital city of Bihar is situated at a cross road of $25^{0}36'$ N. latitudes and $85^{0}07'$E longitudes. It is the largest city of the State spreading over the area of 108 sq. kms. Patna Municipal Corporation area has been divided into 75 wards, which have been further rearranged into 4 Circles, namely New Capital Area in the west, Bankipur in the north, Kankarbagh in the south and Patna City in the east respectively.[1] The city accommodates about 1.7 million population with a density of population is 15640 persons per sq.k.m. (2011) 'The capital city with 2500 years of heritage urban fabric is in the process of projecting itself as a futuristic smart city of eastern India.

Geographical and Historical Perspectives:

Patna is one of the oldest cities in India. Reference to the existence of the city is found in ancient Buddhist literatures. Back in 490 BC, the city was known as Patliputra and was the capital of Haryak Rajvansh as well as of Mauryan Empire during 322 to 188 BC. The city extends along the southern bank of river Ganga for about 12 miles (19 km). Patna is under the Patna Sahib Assembly constituency. Patna has a designated regional development area that covers 234.70 km2 and includes outgrowths within the Patna district [which are under the Patna Urban Agglomeration (Danapur, Khagaul and Phulwari Sharif)]. Patna is the twenty-first fastest growing city in the world, and the fifth fastest growing city in India.[2] It is expected to grow at an average annual rate of 3.72%. Patna estimated population was 1.68 million in 2011, with a decadal population growth rate of 22.34% (Census, 2011). As per Census 2011, the population of Patna District is 5,838,465 (Male: 3,078,512 and Female: 2,759,953). The growth rate between 2001 and 2011 was 23.73%. The overall literacy rate is 70.68%; the male literacy rate is 78.48% and female literacy rate is 61.96%.

Positioned on the great Gangetic artery, Patna not only has fertile land but also enjoys the competitive advantage of being the gateway to east and north east India. Add to the USP, this city enjoys 2500 years of rich heritage. But that is it. The capital city of Bihar, Patna offers glimpse of "Real India" and is still struggling hard to carve niche in the "New India". From pollution to Traffic congestion and garbage hills on roadside to people relieving themselves in public, paradoxes of development can be easily spotted in Patna.[3] Add to this, the lack of opportunities which is forcing people to drain to better places on earth. Patna Smart City Limited firmly believes that this city deserves a decent, clean and sustainable environment.

Hypothesis:

In preparation of the present research paper, the formulation of the hypothesis is as follows:

- Smart people become much and more helpful in developing a city into smart one.
- Structural development becomes essential to transform a city into smart.
- Environment is one of the most important factor for smart city.

Methodology and Sources of Data:

The present research paper is based on analytical approach along with descriptive method. Somewhat graphical method and diagrammatic representation has also been put up. Most of the data have been taken from secondary sources. Primary data have also been used where ever required their need.

Demographic Features:

Density of population of the city is quite high. Unprecedented traffic congestion, infrastructural growth and declining vegetation is responsible for air pollution, rise in suspended particulate mater (SPM) and gradual transformation of the city into an urban heat island. With this background, it is important to plan for future smart and sustainable city with more green space, eco-friendly houses, efficient public transport, smart education system, proper solid waste management etc. The balance between growth and enrichment of environment should go together.[4] The current study has analysed components of a smart and sustainable city, problems of Patna, aspirations, and responsibilities of the citizens. The current study is based on both sample survey and published data and has been presented with the help of tables and diagrams. Cities are indispensable part of development, innovation and cultural melting pot for any nation. Throughout the World, cities have been witnessing the megatrend of population explosion, a growing middle class population and urbanization. India too is experiencing exponential growth of urban population owing to the promise of more employment, and entrepreneurial opportunities and good quality of life.[5] 'Patna Smart City' is a developed urban area that creates sustainable economic development and high quality of life by excelling in multiple key areas like economy, mobility, environment, people, living condition and governance.

Sustainable Development and Challenges:

'Patna Smart City' is well equipped with technology that helps qualitative sustainable environment for development and management of urban infrastructure. 'Sustainable development' is a strategy that meets the needs of the present generation without compromising the ability of the future generation to achieve their own requirements. It can improve the quality of human life while living within the carrying capacity of supporting ecosystem. It can balance the fulfilment of human needs with the protection of the natural environment.[6] 'A smart sustainable city is a holistic city with multiple themes or components to ensure easy service delivery and quality life for citizens. The three pillars of sustainable economic advancement, political participation and social emancipation are the core foundations of smart sustainable city.

Cities primarily help in the overall growth of the country. They act as a pull factor for millions of people living in rural areas. Smart city mission is a golden opportunity for the State Government to rejuvenate their urban areas but they are facing impending challenges to make it possible. Haphazard development of the city with narrow roads and no proper method of waste management and insufficient public transport are imminent problems that require immediate solution before major steps to be taken towards conversion of ICT based smart city.

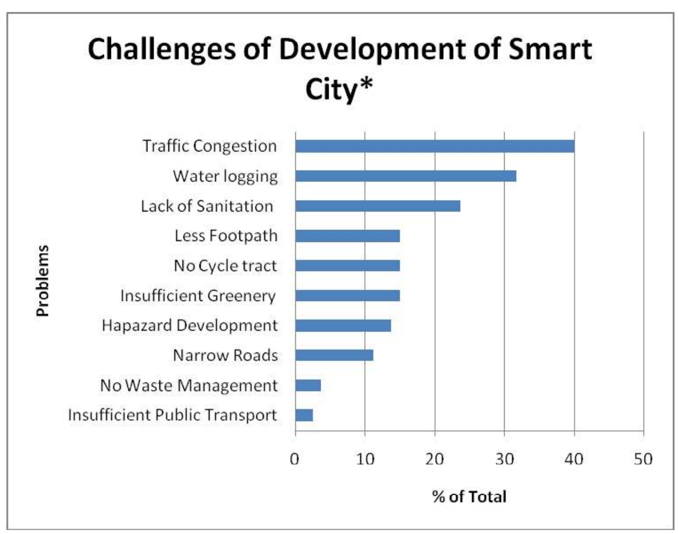

**Based on Sample Survey, 2021*

Fig 1 shows the challenges of development of smart city as perceived by citizens.

There is no doubt of the fact that various genuine reasons are an impediment of growth of cities of India, but to a great extent, the problem lies in the lack of coordination between what is needed to be done for urban society and what is being done by the stakeholders in governance. Farmers and rural areas of India are neglected a lot. Poor living conditions and alternate years of flood and drought has resulted rural to urban migration and the resultant haphazard growth of the city, traffic congestion and pressure on existing infrastructure.[7] These problems must be solved towards the goal of smart and sustainable city plans.

Table 1: Aspirations of the Citizens of Patna M.C.*

Aspirations	Proportion of Total
Solid Waste Management	33.75
Smart Education	30.00
Safety and Security	27.5
Better Economic Opportunities	23.75
Minimum Pollution	22.5
Better Governance	21.25
Smart Healthcare	18.75
24x7 Electricity & Water Supply	11.25
IT Connectivity	11.25
Smart Housing	8.75
Smart Transportation	8.75
Usable Pavements	7.5

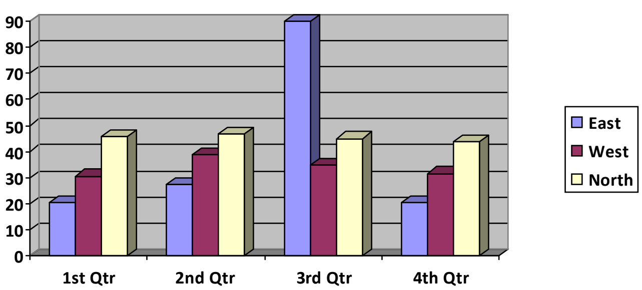

*Source : Based on sample survey, 2021

Table 1 clearly indicates that residents of Patna are most concerned about solid waste management. 33.75 percent of the total population had told the surveyor that the city cannot be treated as smart unless the solid waste management is taken care of. Solid waste management will be very difficult for the administrator if citizens litter in the roads or do not segregate different types of solid wastes.[8]

Patna smart city are already seeing a significant shift in focus and planning towards such housing projects. With the infrastructure status tag, this segment of housing is only bound to grow. Rapid urbanization has led to a severe housing shortage, especially for the middle and low-income groups. This is especially because the focus on EWS housing has always been less and government oriented. Typical problems arising from growing urbanization like strained infrastructure and limited land banks has further put constraints on affordable housing. Given the facts, there is a huge gap between actual supply and demand for housing in India both.[9] The city of Patna has developed on the elongated levee of river Ganga which has provided a favourable base for the expansion of the city in the east-west direction. It also has the advantage of central location between the most fertile plain of North Bihar and South Bihar. Patna Junction lies on the main rail route connecting Kolkata in the east and Delhi in the west. Portion of North and South Bihar are connected by a network of railways and roadways. Due to rapid urbanization caused by rural-urban migration, multi-dimensional development had taken place in Patna. This has changed the urban land- use and morphology remarkably during the last 40 years. Vast agricultural land have been converted into residential areas and open spaces inside the old settlement have been change to multi-storey apartments.

Location Map of Patna Smart City

Beyond the increasing population, congestion and upheaval in Patna, preparations are on to settle a new Patna i.e. Greater Patna. Residential areas, officers, colonies and everything in key sectors have to be built in the same manner as new cities are built in metros. First of all, let us give you information about the villages and towns coming in Greater Patna, so that it is easy for you to understand the plan, then the maximum area in

Greater Patna will be of Maner block, four hundred and eighty acres of land in this block will go to the part of Greater Patna. Forty nine villages will be included. This road will complete the journey from Patna to Delhi in just eight hours and the journey from Patna to Bihta in just twenty minutes. Similarly, more than 30 percent work of Patna Ring Road has been completed, whereas from Daniyawan to Kanhauli and from Kanhauli via Sherpur.

Several nodes of High Value Touristic Importance have been developed along Gandhi Maidan; and one of them is Golghar, which has its own admirers. The other is the newly built "Sabhyata Dwar" on the banks of River Ganges adjacent to International Convention Centre. The star rated hotels on the southern side of Gandhi Maidan add magnificent urban skyline to the area.[10] BISCOMAUN tower, the tallest building in Patna, with office complex housing the office of Patna Smart City Limited as well and a roof top revolving restaurant lies on the western side of Gandhi Maidan; adds to the public realm of the area.[11]

The road on the western side of Gandhi Maidan is appropriate to be developed as a public placemaking, and can be developed as a Happy Street or pedestrian paradise during evening hours by restricting the traffic movement, to some extent, which otherwise during the day hours can continue to be used by office goers and students. The objective of the project is to develop the Road between Maurya Hotel and Children Park (adjacent DM's residence) in Patna as Happy Street for public place making.[12] Developing the road stretch as a Happy Street is intended to provide the pedestrians a space, which can offer a realm of activities with designated spaces for food vendors, street scalping etc.

The smart city proposal of each shortlisted city is expected to encapsulate either a retrofitting or re-development or Greenfield development model, or a mix there of and a Pan-city feature with Smart Solution.[13] It is important to note that pan-city is an additional feature to be provided. Since smart city is taking a compact area approach, it is necessary that all the city residents feel there is something in it for them also.[14]

The study demonstrates significant effects from an Indian standpoint for a fundamental perception of the smart city framework and for identifying the role of collective creativity in promoting smart city progress and healthier development activities. The implications relate to enhancing involvement of citizens at all stages of smart city expansion and safer production initiatives to further enhance collaborative governance as a method of effectively resolving the defined problems.[15] Dynamic consultation with interested parties and optimization of government-private alliances will naturally mitigate the challenges involved with adopting cleaner procurement practices and promote the phase of smart city growth.

Conclusion

The special focus is the research article is on the essence of Smart Cities and conceptual views about Smart Cities by different practitioners. More over this paper is also discussing about "Smart Cities – Six Dimensions" in details for understanding this new urban paradigm shift phenomenon. Besides these, this research manuscript also talks about the Smart Cities enablers comprising of Internet of Things technologies and testimonies of different world Smart Cities applications. The agenda is sought to be achieved with tangible results between 2017 and 2022 planned by both the Central and state governments by providing financial aid to the city. To understand the aspect of sustainable development vis-a-vis smart cities, we need to focus on the Indian government's initiative, the 'Smart City Mission' which has been defined as an 'urban renewal and retrofitting program' with the mission to develop 100 smart cities across the country, making them 'citizen friendly and sustainable'.

References

1. Ahmad E. (1961): "Migration In Bihar," Bombay Geographical Magazine, vol. 8 & 9.
2. Bugge, M. M., Fevolden, A. M., & Klitkou, A. (2019). Governance for system optimization and system change: The case of urban waste. Research Policy, 48(4), 1076-1090.
3. Bui, K. N., & Jung, J. J. (2019). Computational negotiationbased edge analytics for smart objects. Information Sciences, 480, 222-236.

4. Chakrabarty, A. (2019). Smart mischief: An attempt to demystify the smart cities craze in India. Environment and Urbanization, 31(1), 193
5. Ibid, p.208.
6. Chammas, M., Makhoul, A., & Demerjian, J. (2019). An efficient data model for energy prediction using wireless sensors. Computers and Electrical Engineering, 76, 249
7. Ibid, p.257
8. Dlamini, S., Simatele, M. D., & Serge Kubanza, N. (2019). Municipal solid waste management in South Africa: From waste to energy recovery through waste-to-energy technologies in Johannesburg. Local Environment, 24(3), pp. 249-257.
9. Ejdys, J., Gudanowska, A., Halicka, K., Kononiuk, A., Magruk, A., Nazarko, J., Nazarko, L., Szpilko, D., & Widelska, U. (2019). Foresight in higher education institutions: evidence from Poland. Foresight and STI Governance, 13(1), 77
10. Ibid, p.89.
11. Ferrer, J., López-Ibáñez, M., & Alba, E. (2019). Reliable simulation-optimization of traffic lights in a realworld city. Applied Soft Computing Journal, 78, 697- 711.
12. Gil-Garcia, J. R., Pardo, T. A., Nam T. (2015). A Comprehensive View of the 21st Century City: Smartness as Technologies and Innovation in Urban Contexts. In Gil-
13. Halicka, K. (2017). Main concepts of technology analysis in the light of the literature on the subject. Procedia Engineering, 182, 291-298
14. Ismagilova, E., Hughes, L., Dwivedi, Y. K., & Raman, K. R. (2019). Smart cities: Advances in research – An information systems perspective. International Journal of Information Management, 47, 88-100.
15. Jayantha, W. M., Qian, Q. K., & Yi, C. O. (2018). Applicability of 'Aging in place' in redeveloped public rental housing estates in Hong Kong. Cities, 83, 140-151.

China's Public Diplomacy: An Effective Comprehensive Strategy

Ratnesh Kumar Singh

Research Scholar, School of International Studies, JNU, Delhi

Abstract

The Corona Virus pandemic of 2020 brought to light a practice that most people weren't aware of: a global propaganda and disinformation campaign. When China started to wage this war through media to try and change the narrative of the origin and cause of the virus outbreak, many started seeing through these strategies. This paper delves into the practice and strategies of public diplomacy for the Chinese government and its connotations and thereafter its consequences. It attempts to discover the varied tactics of the Chinese in its efforts to create, build and manage an image in the international political arena. And in an attempt at doing so, this paper also tries to determine the historical context, the motivations, tools and most crucially the impact that it can have and has had on international relations as we experience today. This paper takes the timeline of 2008 to the present, focusing mainly on the current scenario in order to contribute with updated literature on public diplomacy policies of the Chinese government. The main purpose however, is to contribute to the awareness of this man-made phenomenon. The ambiguity and the clandestine nature of these types of policies contribute to ignorance and a naivety which only helps the purpose of these campaigns in its effectiveness. The best way to defend ourselves against manipulative policies such as the one witnessed in early 2020, is to educate ourselves with the ability and covertness of such campaigns. There are many more avenues through which there is an effort to mend the image of China in the international arena according to what would help support their national interest and many of them discreet. This paper therefore is an attempt to organize a scattered and vast collection of information on this topic to give an overview and a big picture of the practice of a sort of diplomacy not many are aware of.

Introduction

The Corona virus pandemic of 2019 that creeped into 2020 and took over that whole year was probably not what the Chinese government was hoping would take over their narrative. China had already been facing backlash and criticism from the international community for their treatment of the Hong Kong protesters who were trying to stand up against the extradition treaty that would allow criminal suspects to be extradited to the mainland upon their discretion. The protests were at its peak at November of 2019 and by December, the outbreak of COVID in the Wuhan city of China was in the news but still not in focus. By February of next year however, the world slowly started to grasp the situation as cases started erupting in one country after the other, a little by little the death toll rose and then eventually by the 11th of March the WHO declared the corona virus outbreak a pandemic. Up to this point, the Chinese communist party was not new to criticism over internal governance and conduct in the international arena, but this kind and volume of criticism was unprecedented. Almost every country has had to face the repercussions of this pandemic and for many it has not only resulted in the loss of thousands of lives but has also become an acute socio-economic crisis which has engulfed societies as a whole and left behind a shroud of uncertainty about the future. The accusations against the Chinese Communist party was that they mishandled the crisis by covering up the severity of the cases and not closing their borders on time to stop the virus from spreading. They were criticized for not controlling the wet market from which the virus originated also that they didn't pay attention to this issue on time and close off the city and country to restrict the spread.

As the country of origin of a huge global crisis, China was understandably under intense scrutiny and not just from the heads of nations, but also the

publics of all the countries affected it. And so this pandemic become a PR crisis for the Chinese Communist Party; their image and reputation were at stake and this could create ripples inside as well as outside the country. They quickly then created a campaign around deflecting blame, portraying the management of the virus within the country as flawless and themselves as the crusaders against COVID willing to share their resources with other countries and guiding them in order to defeat the virus. All these messages were disseminated through state owned media which then became their main tool to reach the foreign publics and help them in this campaign. What come to be the undoing of this campaign however, was that people could see through them as very obvious disinformation campaigns rolled out in order to completely change the narrative. This international PR campaign therefore did not end up helping their cause as they hoped it would and the international society was suddenly made aware of the potential of such campaigns. This, however is not the only facet or the sole example of China taking the help of such measures to further their objectives. These tactics come under the purview of what is called 'external propaganda' for the Chinese government and it's a key component of their foreign policy.

When one conducts research on the area of Chinese external propaganda, one often comes across the word 'Public diplomacy'. This term refers to "any of the various government sponsored efforts aimed at communicating directly with the foreign publics. Public diplomacy includes all official efforts to convince targeted sectors of foreign opinion to support or tolerate a government's strategic objectives" ("Public Diplomacy", 2017). This practice revolves around a variety of mechanisms that are carried out to create effective grounds and foundations upon which the relationship with other countries can be beneficial to their national interests. Once source claims that there are two main types of public diplomacy. The first being a type of branding or image creation, meant to help impact long term decisions and perceptions, and the second being advocacy wherein one clear agenda is pushed to create foreign support on a matter ("Public Diplomacy", 2017).

For the most part, however, there still isn't a fixed definition for public diplomacy. There aren't any set rules or guideline with which these tactics can be compared and analysed. Each country has developed its own sense of public diplomacy with respects to its aims, objectives and the attitude with which they want to conduct it. Often times, just like PR tactics, Public diplomacy tactics are meant to be carried out behind the scenes, but for China, they aren't afraid to let the public inside and outside their country know about their intentions. In their case, they use the phrase "external propaganda" instead of public diplomacy denoting the attempt to create an awareness on the achievements of the Chinese and of an entirely new image of China in the eyes of people outside the country (Kejin, 2015). Hence simply stating it outright that the goal is not just to create good a relationship with other countries, the goal is to create an image of China and the Chinese government according to what suits them best and will reap them more benefits.

Another concept that is very important to this topic is image creation, management and also branding. These are all terms that are often associated with public relations and hence with maintaining a certain favourable image in the eyes of usually a domestic public about either a famous individual, company or an organization. In the same lines, on a bigger scale, countries also need to keep up with an appearance just so that the foreign policies of other countries, which are in control of those foreign publics, acct in accordance of their national interests and overall harmony in their relationship. In many of the instances, the public diplomacy policies aren't too extensive, but In China's case it's not just used to maintain a positive image and brand, it can also be used to change the narratives.

The control over narratives is an important facet of this discussion to hold on to because often times it can be what differentiates the practice of public diplomacy in general from the practice of external propaganda in China. Just as the branding of an organization or a person is maintained for desired results in the practice of public relations, one can assume that China is embracing similar tactics to advance their foreign relations and affairs with other states. Keeping the ethics of such actions

aside then, should we be calling these tactics propaganda or just public diplomacy? There are scholars who say that there is a clear difference in what is known and accepted as public diplomacy and that of propaganda. The component of manipulation can be leveraged into finding a difference between the two. In that the connotations of propaganda are that they can use any means necessary to achieve their purpose and that public relations is a "gentler propaganda" which mostly targets proactive consumers instead of the general public along with the fact that it doesn't use information that are too far from the truth (Snow, 2012). This paper assumes that there is a difference in public diplomacy and propaganda. In fact, this paper will be based on this assumption and will use as a foundation to its arguments.

Considering that propaganda and a manipulation of ideas that don't stand on the basis of reality, is what the Chinese Communist Party has already been accused of in their domestic politics, it shouldn't be too far-fetched to assume that their external propaganda campaigns have similar implications. What many don't realise is that China's public diplomacy, though still at its beginning stages, and sometimes ineffective, can gain the ability to truly impact the international political mechanism and tilt the international public opinion towards the interests of China through its multitier strategies. What this paper, hence, is trying to do, is systematically display all the layers to this practice and analyse the connotations and consequences of these campaigns. By laying down all the facts in an organized way, this paper is trying to take the first step towards creating the debate that China's public diplomacy strategies are extensive and have the potential to do harm in the long run for the national interests of other countries.

This paper aims to answer the question of what does China and the Chinese Communist party do to influence its image in the international arena. And to answer this question, we will be talking about the relationship between external propaganda and public diplomacy in the context of China, the historical connotations and motivations behind it and the tools that China uses for its public diplomacy policies. Ultimately this paper delves into the analysis of the effectiveness of these strategies and the impact they may or may not have on the world political scenario.

Defining Public Diplomacy in China

The origin of the term 'public diplomacy' can be traced back to a former U.S. diplomat Edmund Gullion in the mid-1960s. It was coined in order to create a distinction from external propaganda and categorize the act of communication and dissemination of information to audiences overseas that could help create a more positive image of their country and people in the eyes of the world which then can be cashed in for their national interest. Scholars say that public diplomacy hence, has been there, but has been reborn as a strategy and game played by all on the international stage. China therefore, hasn't been a pioneer in this regard, in fact it can be said that they are quite late in the game. Public diplomacy dictates the terms through which foreign publics can be influenced in order to broaden the dialogue between them and allow them opportunities (Hessarbani, 2011).

China had not placed too much importance on public diplomacy till around the time of the 9/11 terrorist attacks. Before that they worked on what they called propaganda. They would call it internal and external propaganda. This would imply that the currently used mechanism is also propaganda hidden under the disguise of a much friendlier term, 'public diplomacy'. There is however a distinction between those two terms. Public opinion is crucial to diplomacy and governance in this time and age. This creates the need to inform and persuade people about their foreign affairs and policies and how these can affect the policies of their own government. So, even though it might use propaganda tools as a ploy sometimes, public diplomacy uses a range of tactics and strategies to communicate with foreign crowds in order to establish a two way exchange of dialogue and ideas and change critical perceptions into friendlier ones. It can be equated more to a PR campaign which tries to create and maintain an image or reputation of an individual or a frim. Propaganda can be used as a tactic to tackle a singular problem, but it isn't the holistic solution to an image issue. China has been able to make this shift. China now has moved away from one way communication directed at a narrow audience on a single issue to creating more

rounded campaigns that try to achieve an overarching objective. Therefore, we can safely see that they are indeed utilizing public diplomacy strategies instead of just trying to use propaganda as their only weapon.

It was only by the year 1989, that the Chinese communist party realised that they had an image crisis at hand. After the Tiananmen Square protests, the international media and governments started talking about the atrocities of the present regime and condemned the severe crackdown on the protestors by the government. Sanctions were placed against them and public opinion of the Chinese was brought down drastically. They still hadn't started relying on the practice of public diplomacy at this point and tried to change the narrative through traditional media outlets like newspapers, leaflets and speeches by leaders. Then the September 11th attacks changed the game altogether. American public diplomacy campaigns directed at the Islamic societies of West Asia started to become more commonly deployed, prominent and discussed. This then started the conversation amongst Chinese scholars and government officials to urge the government to also start exploring this style of diplomacy. The government had started to heed the advice by the year 2003 when a lot of incidents happened in tandem. Firstly, as soon as China realised its economic prowess, China rapidly transformed from a low-profile nation in the international arena to a more visible and proactive participant in regional and global issues. Second, the SARS outbreak that originated from China became a widespread issue because of which they quickly put together a spokesperson system and got to work on building a public diplomacy system from scratch. And then thirdly, the then foreign minister, Li Zhaoxing held an online press conference of sorts with the general public wherein he answered 40 of the 2000 questions that were raised (Khejin, 2015). All of this then led to the establishment of the division of Public Diplomacy department under the Ministry of Foreign Affairs in the year 2004.

Under Hu Jintao's rule public diplomacy gained more traction and importance in China's foreign policy. Successful events like the Beijing Olympics of 2008 and the Shanghai expo demonstrated their ability use these mechanisms to attract attention of people from other countries. President Hu was the first leader in China to openly acknowledge that public diplomacy is crucial for their national interests and growth. He made sure that the narrative of the campaign promotes a politically influential, economically powerful and yet morally and ethically superior China to a global audience. Since under the reign of President Xi Jinping, however, China has become even more committed to these objectives under the strategies of public diplomacy. Other actors have also hence taken up prime roles in this endeavour, for example the first lady Madam Peng Liyuan, many new think tanks, local and municipal governments and even individuals and firms.

The objective of public diplomacy for the Chinese communist party has always been demonstrated as a will to "shorten the distance between China and the world, to present a real China to the external world as a country dedicated to perpetual international peace and prosperity, to eliminate the concerns, misunderstandings and prejudices towards China, and to contribute to the mutual understanding, trust and cooperation between different countries." (Khejin, 2015). But when broken down, the actual objective of these strategies are to firstly, optimize the opinions of the world publics, second to boost their influence and authority in global discourse and third to legitimize their political system and public and foreign policy decisions (Khejin, 2015). Growing public criticism of China's foreign relations and strategy against Japan and the United States, according to interviews with MFA officials, is a strong catalyst for the ministry's public diplomacy efforts. As a result, the MFA employs public diplomacy as a means of gaining support from the general public, both abroad and at home, and thereby enhancing the credibility of China's foreign policy as a whole. China national interests dictate the need to iron out narratives that portray China as a threat, an agent of neo- colonialism or as a country that carries out social injustices and restricts freedoms and China is doing its best to completely refute these and put forth a nobler image of what China looks and feels like.

As mentioned before, public diplomacy is a more holistic strategy. It tries to tackle the issue in more ways than one, in order to form a more

effective offense and defence. For the purposes of the paper and to simplify these different types of strategies deployed in public diplomacy strategies, we will be looking into four kinds of subsets of public diplomacy:

1. *Informational diplomacy*: The broad range of communication strategies to increase awareness and spread misinformation and disinformation for most parts, on their policies, activities and values through new and old media channels in order to create sympathy and awareness.
2. *Cultural and exchange diplomacy*: To use culture and individual values and connections to create an awe and attraction as well as compassion for their country amongst the populace of another country or a region by the means of events and far reaching and influential institutions like the Confucius institutes that promote Chinese language and culture.
3. *Elite to elite diplomacy*: Events and activities that create one on one and individual connections and relationships between China and influential individuals of one region in order to promote their goodwill. In this way, they can also align their interests, policies, priorities and cultural values.
4. *Financial diplomacy*: Using the power of their wealth and economy to establish a direct line of either support or dependency that would increase the chances of a positive relationship between China and the country or their people.

Informational Diplomacy

Amidst the growing attention and interest on China's domestic social injustice and territorial issues, in an effort to shape global narratives, China has been aggressively planning and intensifying its own information campaigns. Official outlets and traditional state media, like news reports and diplomatic dialogues, are used to spread such agendas, which are then reinforced through the manipulation of social media platforms. Within informational diplomacy, the tools that are employed to spread manipulated and advantageous information, explains the basis and purpose of the messages. There are two main platforms: old media and new media. Traditional and official state media channels are through old media platforms and new media would denote the usage of social media.

In the realm of old media, the traditional and the most utilized outlets are the Xinhua News Agency, which is the official state run press agency, China Radio International, China Central Television, the official broadcast media channel, and China Daily which represents print media in this mix. And so as is evident, they have control over all types of communication channels. China has increased its investment in information diplomacy through its state-owned media firms at a time when other global actors have cut back on public broadcasting (Yang, 2015). They see information diplomacy as a way to tell their story their way and dispel misconceptions about their intentions. Even though they are relatively late to the game of public diplomacy already played by many countries, they have been trying to compensate through the sheer quantity and flow of these stories. News stories and content with obvious support and narrative helping the government can be distinguished from the rest of the news and be found almost every single day. But not only that, they have also been physically expanding throughout the world:

- Xinhua has more than 180 news bureaus around the world that distribute content in eight languages.
- Over 70 international bureaus of China Central Television transmitted programming to 171 countries.
- With 32 overseas correspondent bureaus, six major regional bureaus, and broadcasts in 64 languages, China Radio International (CRI) is the world's second largest radio network.
- China Daily publishes an Asia Weekly magazine that is distributed in a number of countries. (Custer, et. Al., 2018)

The case of COVID 19 has put a limelight on the lengths that the CCP is willing to go to in order to control the narrative. It has given birth to the term 'wolf warrior diplomacy' which represents the aggressive and sometimes blunt approach that Chinese officials take to take a stand. It classifies the way diplomacy has taken a more offensive stance under the Xi Jinping administration, wherein the diplomats and the messages sent are always aiming to confront, and challenge while

also being conspiratorial in nature. This kind of warfare has been aided and exaggerated by the use of social media as it banks on the idea and strategy of nationalism. Chinese diplomats tasked with defending China's decisions, had to then formulate and manufacture a narrative of superior governance in the face of a pandemic in the early stages of the spread of the Coronavirus which later changed to protecting the reputation of their innocence, honesty and morality by distorting the image of what the actual cause of the virus, all the while trying to buy out good will through aid diplomacy and restricting all kids of investigation to take place to deny all responsibility. This blunt and obvious strategy indicated that they did not care if the strategy came across as too aggressive, as long as what they wanted to say was being heard. This is evidently not the best attitude and strategy in terms of crisis management.

According to several reports, China's wolf warrior diplomacy strategy is struggling to reshape public views in Beijing's favour. The overly brazen wolf warrior diplomacy can actually end up encouraging a more pro-democratic sentiment internationally as well as domestically. Even if political leaders across the globe tend to be on Beijing's side, public opinion may be divided and this will cause a rift for sure. Indonesia can be demonstrated as an example of this. Indonesia was a country that has already harboured a strong anti-China sentiment, and so after the spread of COVID 19, they started to call it the 'Chinese Virus' and started circulating rumours of it being a Chinese bioweapon and God's warning to China for the mistreatment of Uyghur Muslims. Leadership in Indonesia however, choose to stay silent of the matter in order to avoid any clash.

Chinese channels of media and communication have taken up the responsibility of a 'balanced account' of what is the objective truth of all situations relating to China. China is 'localizing' its information diplomacy in conjunction with the rapid internationalization of its state-owned media in order to better resonate with foreign audiences (Brady, 2017). Beijing employs a variety of tactics to achieve this aim. It uses local media outlets to promote its content through paid ads and to manage content exchanges and supply. The full intensity and extent of the reach of China into International media has still not been fully explored and researched. But what we can be sure about is that, in the pursuit of establishing state backed media outlets in other countries like that of AL Jazeera and BBC, China has managed to keep effective mouthpiece in every part of the globe. Either through investments in media houses or through buying off individuals to lobby for their causes, China has established solid lines of communication. The message and the way the message is relayed might not be as effective yet, but the fact that the lines of communication have been built, should be a cause to worry for the world governments.

Many of the most powerful countries also have government controlled mouthpieces that have an influence on the world media, but then why should China's attempt to do the same be discouraged an opposed? Amongst many other potent reasons, of the main reasons stands to be that of disinformation. This term refers to the deliberate dissemination of untruths, half-truths or misleading information used to influence public opinion or distract the attention away from the issue. Disinformation campaigns backed by China has attracted the attention of many journalists, scholars and policy makers mostly because of the sheer volume of tweets, Facebook posts, Instagram captions, You tube videos etc., that are used to spread this information. China enlists the help of millions of people to track the internet and sway public opinion on a large scale. The "50 cent army," as the recruits are called, was named after claims that they were paying 0.5 yuan per post. On Chinese social media sites, this "keyboard army" has been involved for a long time. Its goal has been to actively defend and protect China's reputation in the international community. And so social media has become part of the disinformation toolkit.

In the case of COVID 19, a massive amount of posts were directed at any criticism of the action of the Chinese government and Xi jinxing. This helped foster unhelpful and harmful messages of blame and shame to everyone who tried to criticise any aspect of China's actions, resulting in a vastly unhealthy environment on the internet. For example, the Chinese Embassy in Manila on twitter, in the beginning stages on the crisis, told

and retold, and therefore emphasized Beijing's continued medical assistance to the Philippines and President Rodrigo Duterte's request to Xi Jinping for priority access to a COVID-19 vaccine and their gratitude. Then there are the content that is promoted by fake accounts and bots. There were some accounts that tried to highlight the heroism of COVID doctors and nurses as well as the video seen by many around the world that should the construction of isolation centres for COVID patients in under a week. Then there were other accounts whose entire purpose was to bash any negative thinking towards China and even directing the blame of the whole pandemic to the U.S. Indeed, scholars have observed that in order to increase engagement and local impact, posts often attempted to manipulate pre-existing narratives and content from domestic social media or fringe websites. False stories and information on Taiwan's response to the pandemic, videos questioning the efficacy of the Pfizer-BioNTech vaccine, and the conspiracy theory that COVID-19 was created at a U.S. research facility are only a few such examples.

China had probably also used disinformation tools to try and interfere in the Taiwanese elections and their democracy. Tsai Ing-wen who is the seventh president of Taiwan, had to face Han Kuo-yu as her opponent in elections twice and this opponent of hers, Han Kuo-yu, believes that Taiwan should maintain a friendship with China. His unexpected and sudden rise to popularity and election to the seat of the Mayor can be linked to a surge of suspicious online activity on Facebook and other social media platforms in Taiwan. Apart from promoting Han, the sort of misrepresentation has often also attempted to depict Tsai's government as inept or out of touch. These tactics seem professional and impeccably structured that seem to that seem to attempt to saturate Taiwan's online discourse with false and provocative articles driven my emotional blackmail and generated by content farms in China and other countries with large Chinese diasporas, such as Malaysia.

Another issue that haunts China's image is the issue of their mistreatment and mass detention of Uyghur and other Turkic Muslims in the Western parts of China. At first the CCP very plainly denied the existence of these 're-education camps', but eventually when enough proof was gathered by independent bodies of researchers and analysts, they had to come around and describe them as boarding camps which encourages them to leave extremist ideologies and integrate with the rest of the country instead of using terrorism to fight for a separate state. What they are actually doing however is detaining them in these camps and subjecting them to political and religious indoctrination, unhygienic overcrowded living conditions with a poor diet, and routine abuse that ranges from rough treatment, torture to rape. Paid ads and professionally produced videos however are showing them off as amazing places that are providing them with education and all kinds of wonderful facilities. A Facebook post with a video titled "Xinjiang center trainees graduate with hope for future." shows detainees learning how to bake bread as a vocational skill. It says that "Establishing vocational education and training centers helps Xinjiang maintain enduring social stability and fight religious extremism," and that "If the centers were set up earlier, fewer violent attacks would happen." (Samuel, 2019).

Figure 1 (Molter and Webster, 2020)

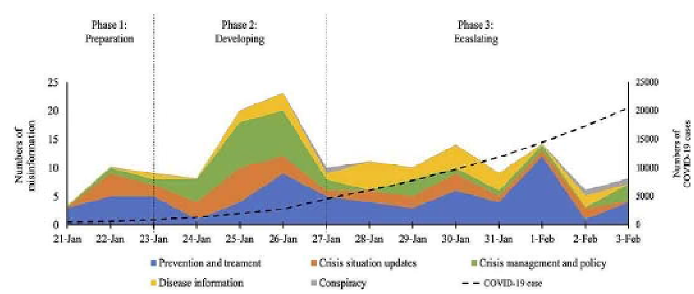

Figure 2 (Lu, 2020)

Cultural and Exchange Diplomacy

Cultural diplomacy is a two way interactive mechanism through which a nation is usually able to spread not only information, but ideologies,

emotions and viewpoints. It enables the interaction between two different identities which could brighten the perception of one about the other. Due to the fact that the concept of cultural diplomacy is interlinked with other concepts like soft power, one can say that it doesn't belong as a subcategory of public diplomacy, but rather a separate kind of diplomacy all together. In this case, at least, cultural diplomacy has very clear connections to the operations of China's public diplomacy as it is one of their most exploited and appreciated tool. Nicholas J. Cull, in his paper titled, "Public

Diplomacy: Taxonomies and Histories", has defined cultural diplomacy as a subset of public diplomacy that involves "an actor's attempt to manage the international environment through making its cultural resources and achievements known overseas and/or facilitating cultural transmission abroad … cultural diplomacy has meant a country's policy to facilitate the export of examples of its culture" (Cull, 2008). Beijing too sees cultural diplomacy as a powerful tool in its quest to win hearts and minds. Former President Hu Jintao once argued that cultural supremacy was essential not only for maintaining strong domestic stability, but also for expanding China's soft power strength abroad and defeating competition (Hartig, 2016).

China Started to feel the need to change their image and the perception towards them during the 1990s, and became more powerful in the early 2000s but had to be taken way more seriously after the 2008 Beijing Olympics where even though China turned out to be a successful host, many had used that platform to protest against the annexation of Tibet and their mistreatment of Tibetans. And so by 2009, the CCP had decided to streamline funding into internationalized media and investments into the communications stream to support the growth of their network. They very quickly realized that other ways through which China is able to exercise control is through, their culture, movies and Confucius Institutes.

Investing in Chinese Cuisine themed restaurant in New York, or promoting Chinese idols in the international entertainment space are instances of what is often called soft power. But they can also be well thought out public diplomacy tactics that can make a certain population find China more appealing and attractive in terms of who they are and what their society looks like. But a more evident method of controlling the narrative is the more overt means of international coproduction. Co-productions between Chinese studios and Hollywood are becoming more common: 41 films were co-produced by a Chinese producer between 2002 and 2013. However, in co-production, China gains more leverage over the project's trajectory, including control over the exhibition date, demands from Chinese financiers, and the filming of scenes in China with Chinese actors. Apart from that they are able to directly or indirectly impose censorships on everything from the storyline from the tiniest aspects of the films based on what they find inappropriate. For instance, two versions of "Iron Man 3" (2013) were made, one for Asia with pro-China elements (for example, Yili brand beverages and acupuncture), which were omitted from the North American version to prevent viewers from not relating to the material. Another example is the 2015 film "Pixels," in which scenes depicting aliens exploding the Great Wall of China were pre-emptively omitted by Sony in order to avoid upsetting investors.

The government's rhetoric was rapidly accompanied by large investments in a number of high-profile projects and a series of landmark moments that signalled the beginning of a "cultural leap outward". Events like the 'Year of Chinese culture' series debuted in France, Italy, Russia and Australia to setting up of Confucius institutes all over the world. The Confucius Institutes are one of the most visible and utilized tools of public diplomacy that China has. According to the organization's law, three Confucius Institutes may be formed in a variety of ways, depending on the needs of each country. The majority of Confucius Institutes are collaborations between three organizations: Hanban (CI's headquarters), a Chinese institution, and a foreign institution, typically a foreign university. They receive the same sort of criticisms from the international audience that other forms of public diplomacy tactics receive. They are said to be completely under the control of the CCP government and are responsible for the spread of disinformation and propaganda. A part of this criticism can be easily

supported by proof. Censorship plays an important role in this scenario as well wherein academic freedom of speech is sometimes affected because topics that are sensitive to China are not supported to be researched and written about.

The other half of the coin of cultural diplomacy is exchange diplomacy which is when China tried to influence the minds of some of the brightest individuals of other countries by offering them scholarships and exchange opportunities. They use a range of different kinds of programmes like scholarships to visit or study in China, as well as scholarships to sister cities that cultivate links between community and business leaders—programmes aimed at current and future opinion makers from all walks of life. These exchange programs are designed to foster personal relationships between Chinese people and their counterparts in receiving countries in order to foster trust and create a group willing to stand up for China and interpret their actions in a positive or 'balanced' manner. Through these programmes they make sure that the students understand and are fully immersed into China's society, culture, norms and values and even policies. What helps them in this endeavour is that China has also established itself as a top destination for international students seeking to complete their education, with the number of international students increasing dramatically from 85,000 in 2002 to 442,000 in 2016.

Political Elite-to-Elite Diplomacy

The most traditional method of diplomacy has always been meeting influential dignitaries and elites in order to create positive opinions and try to make them understand your stance just via dialogue. In a foreign policy level every country does that to make communication easier between the two parties but China has moulded this traditional practice into a more modern mechanism. China invited and hosts more and more dignitaries and influential people each year and also send their leaders to other countries for the exchange of ideas. Beijing emphasizes the win-win value of closer links with China while establishing relationships with political, military, and business leaders, such as providing unconditional support and its determination not to meddle in other countries' domestic affairs.

Beijing's elite-to-elite diplomacy, for example, works well in East Asia's pacific nations, where a number of government officials have authoritarian instincts and find China's support for top-down rule a welcome response to Western objections. Phay Siphan, Cambodia's Secretary of State, once said that they chose China and its investments because, unlike those in the West, theirs did not come with any strings attached. The number of visits between military leaders from China and other countries has increased significantly, indicating that Beijing is following up on its public declarations of military diplomacy with action. China acts in an opportunistic manner here because often times funding and investments are offered to these political elites in order to sway their opinion.

Scholars and Academics of top universities around the world as well as intellectuals from think tanks are often also invited for international talks and conferences as well sent to other countries to disseminate their viewpoints and have open international debates and exchanges in order encourage a flow of ideas which might sway ideologies to a more sympathetic ground for China. Chinese intellectuals and epistemic communities then are invited to advice the government on foreign affairs and increasingly have more influence on policy making decisions. Alongside that, they help in maintain the image of a country in which people have academic freedom and freedom to have plurality of thoughts with an intellectual base of people who are also powerful.

Financial Diplomacy

It is well known that foreign investments, business deals and partnerships along with development and emergency aids are public diplomacy tools as well. Aid and investments have been used as a weapon by the U.S. for years as countries eventually bow down and depend on the flow of finances that are directed from the United States. Now that China has become an economic giant and hegemon in its own right, China is too taking the same route. Foreign investments for China serves its political, economic, market and security needs. Hence, China's investments in financial diplomacy surpasses its other public diplomacy instruments. China is now the world's second largest economy and China is taking

advantage of that power. China has more often than not been successful in using finances as a tool to buy improved relations with countries in need of the inflow of money into their markets. Investments and aid both serve as a reminder of the generosity of eh Chinese government and without asking for anything back they are able to attain a position of superiority and debt over them. Beijing is able to collect other types of benefits too in terms of interests on loans and strategic positioning wherein Chinese firms stay in leadership and decision making positions in the economies of foreign countries.

China is disbursing billions of dollars in concessional loans to developing countries, mainly for large-scale infrastructure projects, in an effort to achieve rapid political and economic ascendency around the globe. Developing countries are often enticed by China's offer of low-interest loans for large-scale infrastructure projects. These developing countries, which are often low- or middle-income, are unable to meet their debt repayment obligations, giving Beijing the opportunity to seek benefits in return for debt relief. There have been a series of papers and studies even in India that have recently tried to debunk China's "debt trap diplomacy" as part of its multibillion-dollar connectivity scheme, the Belt and Road Initiative (BRI). Whether that is actually how China is taking advantage of the project or not, has not been determined yet but it is clear that they do get benefits out of these deals because without one, China would have no cause to spend so much of their money and time on investing in such an ambitious project without any side benefits. Debt trap diplomacy has become well known in the context of China and its foreign policies. It has become a cause for major concern for many developing and underdeveloped countries. This is when China and its most well-known and connected businessmen and women offer projects/loans with repayment conditions that are too difficult for the countries to pay back on time, which then forces them to make political or economic compromises. China's Belt and Road Initiative has resulted in a number of unsustainable debt-for-infrastructure transactions, all of which serve Beijing's geostrategic interests by growing Beijing's global footprint and influence.

Punishment diplomacy is also suddenly now a phenomenon linked to Chinese foreign policy. China has increasingly been very loudly critical of communication campaigns by any international companies that either directly or indirectly 'meddles with their internal issues' or disrespects China's identity in any way. China not only uses its economic and political clout to threaten companies into following their way, but also dispenses the extremely powerful tool – social media – to trigger and silence media discussion in a much more targeted manner. At the same time, state regulation of the media and the internet makes it difficult for foreign companies to communicate with Chinese stakeholders and the general public, especially in times of crisis. What happens then is that companies start to face the moral/financial dilemma of apologizing and going back to keeping mum and then come under fire for bowing down in other countries or not apologizing and losing a huge chunk of their market because of attacks via the Chinese media and its population or have to face daily pushback and hindrance in their production. Uncertainty has arisen as a result of these changes. Companies from other countries must change their contingency plans and crisis-prevention strategies, as well as incorporate them into their public relations campaigns Beijing's aversion to "misconduct," which it is particularly fond of exploiting. Australia, for example was punished for calling for an investigation into the origins and initial handling of the spread of the Coronavirus. What followed was an immediate ban of beef imports from any of the many major Australian suppliers due to "labelling and certificate requirements". It then imposed "anti-dumping" tariffs on Australian barley, and then of course launched inquiries into Australian wine imports, and warned its people not to fly to Australia.

A mistake as small as posting a Dalai Lama quote on the Instagram handle of Mercedes is earning them huge amounts of criticism even though these campaigns were not even directed at them. To avoid jeopardizing their market position, most businesses have no choice but to apologize to China. Their attempts to use its economic might to impose its values around the world are therefore a new threat that businesses must face if they want to enter the Chinese market. This says two things

about China. First, that China has become a very important market for most multinational and international companies which means that the Chinese government and its population have become important stakeholders for them. And second that Beijing has increased its efforts in public diplomacy in recent years to persuade global audiences of the Chinese perspective – and the Chinese leadership has shown an increasing willingness to concentrate on international companies while asserting Beijing's diplomatic ideas or seeking support for its initiatives.

Conclusion

Public diplomacy is not a newly created tool unknown to any in the field of international politics. It had played a role much before it became a topic of discourse amongst scholars but China has brought it the fame it now enjoys in the arena of diplomacy. There are very few players that are playing this game of diplomacy at their level and because the discourse on Chinese public diplomacy has not completely incorporated the events of 2019-2021, the game hasn't exactly been completely revealed yet. The efficiency of strategies under the umbrella of public diplomacy are not as high at this point as it could be only because of China's brazen attitude in protecting its image and narrative. If China recruited public relations tactics and strategies along with professionals in this area, they could demonstrate the process through these strategies can be covertly diversified along with traditional diplomacy in order to increase its effectiveness. Nonetheless, the campaigns that they have carried out till date, have had reach and traction along with impact and this alone indicates its success at its developing stage. People are still unclear whether these efforts have had their intended effect, but the conclusion this paper reaches in that intended or not, there is an effect and impact that does tilt things in favour of China even if it is ever so slightly. If global leadership and hegemony is their ultimate goal, their public diplomacy and public relation strategies and implementation will have to be smarter and sharper, with less pride and more experimentation.

References:

A Survey of China's Public Diplomacy. (2016, November 04). Retrieved from https://www.uscpublicdiplomacy.org/blog/survey-china's-public-diplomacy

Apuzzo, M. (2020, April 24). Pressured by China, E.U. Softens Report on Covid-19 Disinformation. Retrieved from https://www.nytimes.com/2020/04/24/world/europe/disinformation-china-eu- coronavirus.html

Aspinwall, N. (2020, January 10). Taiwan's War on Fake News Is Hitting the Wrong Targets. Retrieved from https://foreignpolicy.com/2020/01/10/taiwan-election-tsai-disinformation- china-war-fake-news-hitting-wrong-targets/

Chen, C. (2020, February 04). The China story: Emerging public diplomacy actors. Retrieved from https://www.orfonline.org/expert-speak/the-china-story-emerging-public-diplomacy- actors-61049/

China denies spreading coronavirus disinformation following EU report. (2020, April 27). Retrieved from https://www.cnbc.com/2020/04/27/china-denies-spreading-coronavirus- disinformation-following-eu-report.html

China Talks Back: Public Diplomacy and Soft Power for the Chinese Century. (2008). *Routledge Handbook of Public Diplomacy,* 302-311. doi:10.4324/9780203891520-35

China's Foreign Propaganda Machine. (n.d.). Retrieved from https://www.wilsoncenter.org/article/chinas-foreign-propaganda-machine

China's Public Diplomacy. (2019, June 05). Retrieved from https://merics.org/en/report/chinas- public-diplomacy

Christian Lequesne Professeur de science politique, & Earl Wang Chercheur doctorant en science politique. (2021, January 14). Covid-19: Lessons from China's public diplomacy in the EU. Retrieved from https://theconversation.com/covid-19-lessons-from-chinas-public- diplomacy-in-the-eu-140890

Cull, N. J. (2008). Public Diplomacy: Taxonomies and Histories. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 616(1), 31–54. https://doi.org/10.1177/0002716207311952

Custer, S., Russell, B., DiLorenzo, M., Cheng, M., Ghose, S., Sims, J., Turner, J., and H. Desai. (2018). Ties That Bind: Quantifying China's public diplomacy and its "good neighbour effect". Williamsburg, VA. AidData at William & Mary.

Dunst, C. (2020, April 20). Beijing's Propaganda Is Finding Few Takers. Retrieved from https://foreignpolicy.com/2020/04/20/coronavirus-propaganda-china-developing-world/

Edney, K. (2014). Conceptual Interaction: Soft Power and Cultural Cohesion. *The Globalization of Chinese Propaganda,* 101-121. doi:10.1057/9781137382153_5

Flew, T. (2016). Entertainment media, cultural power, and post-globalization: The case of

China's international media expansion and the discourse of soft power. *Global Media and China, 1*(4), 278-294. doi:10.1177/2059436416662037

Hartig, F. (2016). How China Understands Public Diplomacy: The Importance of National Image for National Interests. *International Studies Review*. doi:10.1093/isr/viw007

Hooghe, I. D. (2007). *The rise of Chinas public diplomacy*. The Hague: Netherlands Institute of International Relations "Clingendael".

How 21st-Century China Sees Public Diplomacy As a Path to Soft Power. (n.d.). Retrieved from https://www.globalasia.org/v7no3/cover/how-21st-century-china-sees-public-diplomacy-as-a- path-to-soft-power_mo-jinweizhou-qingan

Inside China's audacious global propaganda campaign. (2018, December 07). Retrieved from https://www.theguardian.com/news/2018/dec/07/china-plan-for-global-media-dominance- propaganda-xi-jinping

Jiang, Y. (2017). Foreign Embassies' Use of Weibo. *Social Media and E-Diplomacy in China*, 69-88. doi:10.1057/978-1-137-59358-0_4

Lu, J. (2020, July 06). Themes and Evolution of Misinformation During the Early Phases of the COVID-19 Outbreak in China-An Application of the Crisis and Emergency Risk Communication Model. Retrieved from https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcomm.2020.00057/full

Samuel, S. (2019, August 22). China paid Facebook and Twitter to help spread anti-Muslim propaganda. Retrieved from https://www.vox.com/future- perfect/2019/8/22/20826971/facebook-twitter-china-misinformation-ughiur-muslim- internment-camps

Shih, G. (2020, April 15). China's bid to repair its coronavirus-hit image is backfiring in the West. Retrieved from https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/chinas-bid-to- repair-its-coronavirus-hit-image-is-backfiring-in-the-west/2020/04/14/8611bbba-7978-11ea- a311-adb1344719a9_story.html

Snow, N., & About The Author(s) Nancy Snow is a Full Professor in the College of Communications at California State University. (2012, December 10). Public Diplomacy and Propaganda: Rethinking Diplomacy in the Age of Persuasion. Retrieved from https://www.e-ir.info/2012/12/04/public-diplomacy-and-propaganda-rethinking-diplomacy-in-the-age-of- persuasion/

Wang, Y. (2008). Public Diplomacy and the Rise of Chinese Soft Power. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 616*(1), 257-273. doi:10.1177/0002716207312757

What is PD? (2018, October 07). Retrieved from https://uscpublicdiplomacy.org/page/what-is-pd

WHO becoming tool of 'Chinese propaganda': US. (n.d.). Retrieved from https://economictimes.indiatimes.com/news/international/business/who-becoming-tool-of-chinese-propaganda-us/articleshow/75286297.cms

Wu, Y. (2016). China's media and public diplomacy approach in Africa: Illustrations from South Africa. *Chinese Journal of Communication, 9*(1), 81-97. doi:10.1080/17544750.2016.1139606

Zhao, K. (2015). The Motivation Behind Chinas Public Diplomacy. *The Chinese Journal of International Politics, 8*(2), 167-196. doi:10.1093/cjip/pov005

A Dharmic Approach To Communal Unity (Not Uniformity!)

Arjun Anand

Doctoral Candidate, Special Centre for the Study of Northeast India, School of Social Sciences, Jawarlal Nehru University

Abstract

The proposed paper will look at the notion of communal unity/'communalism' from a Dharmic perspective, which accepts diversity as natural and tries to form communication and interdependence networks among all the multi-layered units of the society, without homogenizing them. A sense of 'oneness' among Hindus is not the result of a colonial project which destroyed every other identity and homogenized the masses. It is not an artificial construct, but has deeper and indigenous darsanika roots. Hence, the proposed paper is an attempt to make sense of our experiential realities within our own Dharmic tradition(s)[1].

Key Words: Dharmic world view, communalism, communal harmony, European coloniality, organic unity, Hindu political theory.

Introduction

Many 'modern' Indic scholars may argue that in the face of a survival crisis against imperialist foreign civilizations, homogeneity is essential (Swami Dayananda's Satyartha Prakasa; B. R. Ambedkar's Annihilation of caste; Swamy, 2012; Madhusudan & Mantri, 2020). But this is problematic on many levels. A major flaw of the uniformity approach is that it does not even fulfil its intended purpose. It may persistently demonize and try to subjugate varying traditions within the ideational fold, which do not conform to the 'established' homogenous standards. For instance, inter-sectarian clashes among the Islamists cause thousands of deaths in the Islamic world due to Jihadi terror. In addition to this, employing alien imperialist normative frameworks is in itself the problem we have to deal with for indigenous knowledge traditions to flourish. Framing our challenges and their perceived solutions in the Semitic normative framework is epistemic violence on the originality and distinct character of Indic normative paradigms and social realities. Most importantly, it impairs our vision, and handicaps us in making sense of our own living reality in our own language(s), thought-process and idioms. Thus, this 'colonial consciousness' (Balagangadhara, 2012) bars the researcher to understand the problem, or the lack of it, in its entirety. This results in solution seeking in the wrong direction and policy formulation on flimsy factual grounds.

The question arises as to within which normative framework did this civilization acquire a sense of unity? Or was there even a sense of unity at first place? To quote British colonial officer John Strachey: "there is not and never was an India, or even a country of India, possessing, according to European ideas, any sort of unity, physical, political."[2] According to the researcher's evaluation, John Strachey was correct. There, actually, never existed an 'India' within the European experience of India. Many scholars still argue that India is a colonial construct. But that was/ is not the indigenous Dharmic experience. 'The Fundamental Unity of India', also the title of a seminal work by historian Radha Kumud Mookerji, has been a lived experience of the Bharatiya peoples. The spread-out network of tirtha-sthana-s, of sapta-puri-s, of sapta-sindhu-s, of mamha-s, mandira-s, Sanskrit language, varnacrama-dharma and cross-cutting sampradaya-s kept this 'sacred geography' (Eck, 2013) one in its own unique way. This is why Vicnu Purana (II, 3. 1) calls this land Bharata-varca, the land of Bharata, and designates its people as "Bharatisantati", or descendants of Bharata. "A study of ancient Sangam literature," writes Aravindan Neelakandan, "reveals that the land of Tamils, from its earliest conception, has been predominantly Vedic in its spirituality. Not only is the ancient Tamil literature full of Vedic motifs, but it presents Vedic ideas as nothing alien to the Tamil psyche."[3]

This kind of heterogenous unity may not make sense to a Westernised mind, but who cares! The subconscious need for academic validation from the West is the biggest example of Orientalism at work. Why exactly should scholars always entertain Western normative paradigms to make sense of their own world by denying their experiential realm and worldviews? The Bharatiya form of civilizational expansion, unlike the Semitic kind, was not violent and power-centred. Its vision was rather to accept every form of diversity as given and eventually syncretise various traditions by establishing sah[dayata[4].

A sense of 'oneness' among Hindus is not the result of a colonial project which destroyed every other identity and homogenized the masses. It is not an artificial construct, but has deeper and indigenous darsanika roots. Dharmic worldviews do not confuse the concept of 'unity' with imposed 'uniformity'. "Unity does not mean uniformity," writes Sri Aurobindo, "and the removal of all differences. There are some people who talk as if unity in religion, for instance, could not be accomplished except by uniformity. But uniformity of religion is a psychical impossibility forbidden by the very nature of the human mind. So long as men differ in intellect, in temperament, in spiritual development, there must be different religions and different sects of the same religion (Aurobindo, 2002, 372)."

Synthetic and Organic Unity

The approach of conflating unity with uniformity is what Rajiv Malhotra (2018) refers to as 'synthetic unity'. It is an inorganic approach imposed from above in which imperialist power structures are involved, decentralised context-sensitive mechanisms are destroyed and individual evolution (according to desa-kala specifications) is stalled. While, 'integral unity' of the Dharmic fold does not impose monotonous beliefs, social structures and practices on the individuals and/or communities. It takes an organic approach of facilitating multi-layered and fluid connections among decentralized communities and identities rather than whole-sale homogenization. It accepts the differences (of all kinds) as natural and does not try to standardize religion and/or culture. Hence, Dharmic knowledge traditions does not provide conceptual space to an antagonistic binary worldview with a vision to annihilate the 'other'.

An anonymous SiddhaCta Saiva scholar and practitioner who goes by the pen-name Angirasa Srectha (2021) elucidates beautifully the ideal of Hindu unity with the metaphor of Tanunaptra (an oath of unity amongst the Deva-s against Danava-s) in his blog: "(J)ust like the Devas repeatedly perform sacrifices and may have to renew and update their own Tanunaptra, our evolving Dharma too is a series of Yajña-s or long Sattra-s, where different pantheons, rituals and sacred spaces meld together, and which requires us to perform the sacred rite of "Tanunaptra" by committing ourselves to the overarching Hindu identity. Thus, when we commit ourselves to the "Hindu" identity, it is not a mere artificial, survival strategy. It is divine. It is the earthly manifestation of the Tanunaptra itself." This perspective on Hindu civilizational identity keeps the homogenising impulses of Western (Semitic) normativity in check while preserving Dharmic subjectivity.

Due to the dominance of western subjectivity, modern Hindu scholars have started to view the internal differences, whether jati-based or saCpradaya-based, as anomalies or weaknesses. They seem to forget that Hindu Dharma is not a messianic-one book political cult. It is an amalgamation of living (or evolving) knowledge traditions which facilitates the full bloom of human potential with harmonious socio-ecological relations. It takes along different people (and even species) that may belong to different time, space, occupations, temperaments, beliefs and age-groups. Though there are some cross-cutting shared characteristics among all the Hindu-s like reverence for Gau-Brahmana, divinity of OCkara, focus on acara, guru-sicya tradition, conception(s) of atman, Sanskrit as the language of high culture, veneration for Ramayana and Mahabharata etc. Still, for the living and organic civilizational umbrella of Sanatana Dharma, its deliberate freedom of diversity is an awe-inspiring achievement. This point hints towards the fact that Hindu subjectivity and systems of knowing can offer a lot to the conflict ridden world. And it is this diverse yet integral society that has successfully resisted middle-eastern and then Western coloniality from the past 1200 years. People from all the jati-s, varna-s, asrama-s and saCpradaya-s have been active participants of this indigenous resistance (Lal, 1995).

It is interesting to note that there is a total absence of caste-based atrocity literature in the pre-British era (Lal, 2018, pp. 96). Not a single scholar or foreign traveller noted down anything about the alleged homogenous hierarchical structure of 'caste system' which was perpetuated by the 'evil' Brahmins. On the contrary, St. Xavier, the Shams-ud-din Araqi (a medieval Sufi in Kashmir) of Goa, wrote in a letter: "*If it were not for the Brahmins, we should have all the heathens embracing our faith*."[5] In his widely acclaimed research paper about the Sudra kings of the medieval period, H. S. Kotiyal (1973) notes that the Sudra rulers "never tried to overthrow the long established order of the Varna and the Asrama nor did he show lack of respect for the Brahmana… Vedic learning was promoted by generous endowment to the learned Brahmanas in the form of agraharas and other special kinds of land grants." Instead of being revolted by the allegedly oppressive Varnacramadharma, primary historical evidence suggests that the Sudra kings were "jealous upholders of it." But the colonial, some may argue 'protestant' (Balagangadhara, 2012; Farek et al, 2017), lens stops the modern Bharatiya population to acknowledge such plain historical facts.

Coloniality and Communalism

Generally speaking, communalism has become a bad word in popular political parlance of India. But a natural question must arise in our minds as to how can being loyal to one's community (intrinsically) be a bad thing? What discourse breeds such resentment for community-living? Can there ever be any individual or community sans 'othering' of some form or another?

Bipan Chandra (1984) argues that communalism by default breeds homogenization and antagonism. This assertion stands on quite a shaky theoretical ground if we take the Dharmic approach to communal unity. It makes sense only in the Abrahamic[6] and/or Liberal[7] normative paradigm.

Dharmic communalism had cross-cutting and multi-layered systems of dependence and communication. Noted scholar Vasudev Sharan Agrawal refers to Bharatavarca as 'a samanvaya-centric country', and calls this process of samanvaya (acculturation) as the 'Hindukarana Paddhati' (Vatsyayana, 2012, pp 53-54). Such has been the hegemony of colonial (whether European or middle-eastern) discourses over certain intellectual layers of Indian academia that theorising religio-communalism or identity-formation outside colonial onto-epistemological frameworks seems an impossibility (Balagangadhara, 1994).

Please note that the jati/ saCpradaya based systemic conflicts were extremely exceptional in the history of Bharat before the arrival of Semitic cults on the political scene. It can also be argued that when the culturally, politically and economically subjugated civilization, i.e. Bharata, adopted the European experience of India, systemic contradictions started to emerge (Farek et al., 2017). This deliberate policy of divide et impera is a default feature of European coloniality. And this colonial lens is now being propagated by vested interests such as Western imperialist forces (through academics, governments, NGOs and media), middle-eastern colonial forces, vote-hungry politicians, etc (Malhotra, 2013).

Beyond Decoloniality. Due to the dominance of western subjectivity, modern Hindu scholars have started to view the internal differences, whether jati-based or saCpradaya-based, as anomalies or weaknesses (Madhusudan & Mantri, 2020). They seem to forget that Hindu Dharma is not a messianic-one book political cult. It is an amalgamation of living (and dialectic) knowledge traditions which facilitates the full bloom of human potential with harmonious socio-ecological relations. It takes along different peoples (and even species) who may belong to different time, space, occupations, temperaments, beliefs and age-groups.

Civilizational 'Atmasaksatkara'. The reverence for Gau-Brahmana, the divinity of Omkara, the guru-sisya tradition, Sanskrit as the language of high culture, the cyclical view of time, the veneration for Ramayana and Mahabharata, etc. are just a few of the many universally shared traits that almost all Hindu traditions share. Still, these very connecting threads provide the onto-epistemological base for the deliberate freedom of diversity in Dharmic traditions.[8] This is an awe-inspiring achievement. This point hints towards the fact that Hindu subjectivity and systems of knowing can offer a lot to today's conflict ridden world.

The Philosophical Foundations

Acceptance of a Differentiated Reality. "I am One; let me become manifold" proclaims the Chandogya Upanisad (VI. II. 3). This theological basis of a differentiated reality is what makes the Hindu traditions mature in dealing with differences and contradictions. In Dharmic traditions, cultural, linguistic or social differences are not seen as abnormalities to be 'corrected' (Malhotra, 2018). That is why the provisions for decentralized forms of governance are abounding in Dharmic literature. Hence, according to the erudite commentator on Manusmriti Medhatithi (M.B., VIII. 2),[9] Jurisprudence should be founded not just on equity (dharmam sasvatam acritya), but also on the various customs and practises of various jati-s, regions, and even families.

Differences or multiplicity of divinity are considered natural and hence the 'other' is not merely 'tolerated' in any sense of the word. There is no uncritical acceptance also. It must be noted that polytheistic civilizations (of varying hues) around the world have given birth to flourishing and diverse knowledge traditions. Medhatithi (M.B., I. 10) was of the view that "the Beings described under the names '*Brahma*,' '*Narayana*' and '*Mahesvara* are one and the same; though they form the objects of diverse forms of worship, yet they do not differ among themselves." Historically speaking, this 'monist' drsti is what harmonised the Indic society and state (Marriot, 1976), whereas the monotheistic thought-structures seek to view/ shape the world in antagonistic binaries and power relations.

Human-Cosmos Relationship. Every knowledge system begins with a certain conception of man-cosmos relationship. And this relationship explains a lot about the nuances of human nature and individual/ social desirable ends. So, where does astika traditions place the humans in the wider scheme of things? In Dharmic systems of knowing, there is an unbroken tradition to connect the humans as a part of the differentiated reality to the Beyond, the unmanifest (Manusmriti, I. 31). And human life has meaning only when they participate in this cosmic process. This is also how the organic and kaleidoscopic jati-vyavastha was viewed under the harmonious framework of varnasrama-dharma to smoothen the potential socio-economic contradictions (Sridhar, 2019).

Every individual/communal unit is not just a part of the whole or an insignificant part of the machine, but also a 'whole' in itself. "Yatha pinde tatha brahmande" is a popular sloka of Caraka-Samhita that refers to the belief that the microcosm represents the macrocosmic reality. Rta is the natural order of cosmos. Dharma aligns us with that cosmic order and ensures our well-being. In this way, human beings are considered as a part of the natural process and do not run a race against each other and/or the 'nature' (which is otherised). Dharma emphasizes "the importance of the distinctiveness of the individual temperament, motives, reasoning and action and yet connected them all into a grand architectonic designing of cosmic order" (Mehta, 2013, p. 30). Still, a human is not considered a slave of physical matter. He/ She can go beyond the shackles of natural causality. Sri Aurobindo(1997) explains this perspective thus:

"The right order of human life as of the universe is preserved according to the ancient Indian idea by each individual being following faithfully his swadharma, the true law and norm of his nature and the nature of his kind and by the group being, the organic collective life, doing likewise … There is also the dharma of the position, the function, the particular relation with others, as there is too the dharma imposed by the condition, environment, age, yugadharma, the universal religious or ethical dharma, and all these acting on the natural dharma, the action according to the Swabhava, create the body of the Law (p. 403)."

Since, despite the constraints of fate and time, the autonomous agency of the individual's karma is recognized in this ideational scheme (Manusmriti, IV. 240), there is an obligation on him/ her to work with sincerity and integrity. The ancient Hindu scholars clearly established the obligation of labouring for others (with the best of intentions) regardless of the consequences, which formed the cornerstone of the notion of a 'hero' (Coomaraswamy, 2022, pp. 6). What happens if each person establishes his or her own moral standards? Because they were aware of this drive, the ancients placed a high value on traditional morality (Mehta, 2013, p. 30-31). This traditional morality was community based.

Harmony with Nature entails Communal Harmony. If 'isa vasyam idam sarvam'

(Isopanishad, 1) is the basic premise, then ecological thinking does not remain a choice. In the Dharmic worldview, each and every aspect of life in the world is sacralized. This is why ecological sensitivity is something which comes naturally to a practising Hindu. We have deva-s of forests, rivers, mountains, trees and what not. Everything is an organismic whole in the Dharmic worldview, hence frugal living is respected. Hedonistic 'free-will' or 'free choice' is not considered normal in any way. Though Vedic sampradaya-s support pasu-bali during certain yajña-s, Medhatithi takes another route. He was what a modernist may call an 'animal lover'. Medhatithi argues that the Sastric injunctions of pasu-bali are mere arthavada-s and contends that "such an Injunction could not be intended for the animals; for the simple reason that they would not understand it. And those for whom the Injunction is not intended cannot be the agent; and unless one is an agent, he cannot obtain any reward declared in the scriptures (M.B., V. 40)."

While the Christian discourse gave 'man' complete "dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth" (King James Bible, Genesis, 1:26), Manu proclaims that "(m)eat is never obtained without having encompassed the killing of animals; and the killing of animals does not lead to heaven; hence one should avoid meat (Manusmriti, V. 48)." Because Western modernity is, in a major way, a continuation of European Christianity, its ecologically harmful anthropocentrism and deep-seated belief in unlimited material 'development' are inescapable consequences (Malhotra, 2018). On the other hand, Arya-s, since Rigvedic times, had a strong emotional-spiritual bond with their geography and ecology. The Vedic people have, literally, always celebrated nature and geography with full pomp and show, designed rituals and sang hymns glorifying the powers of their nature-based deities like Agni, Indra, Varuna, the 'mother' rivers, etc. However, natural phenomena and geographies are considered as "the manifestations or expressions of the gods and not the gods themselves. They express the principles that govern the world and the cosmic order, rita (Krishna, 2017)."

It must be noted that Biblical utilitarian ethics regarding other living beings provided a philosophical backing for colonisation/othering of the nature. So, alienation from interdependent community-living is a logical extension of the othering of the nature, and vice-versa. Everything and everyone becomes a 'resource', something which can be used. This discourse is a lived reality in modern times. Moreover, when communal interdependence wanes, standardisation emerges as a prominent tool for the unification of society. This is where Dharmic perspectives, which sacralise nature and its relation(s) with human life, can jump in with alternative normative paradigms that are not only eco-centric but provide nuanced conceptual ground(s) for communal unity.

Humanity is not a Homogeneity Project

Men are equal, according to Manu, not in their executive capacities, but in their pleasure of desires. Because executive capacities differ, each individual must undertake the activities for which he is best suited. Hence, he accepts the functional division of society which was and still is, in itself, a social reality. There is no imperialist vision of 'equality' (read homogeneity) that informs the Hindu worldview. All human actions and thoughts are influenced by their kula (family), jati (extended kinship), sreni (trade guild), grama (village), rastra (nation) and personal temperament. All of these contexts are themselves influenced by prarabdha and sancitakarma-s. So, the dharma-s (as in duty) of each category may vary, but are necessary to live a balanced life (Mehta, 2013). Dharma-s change with acrama-s (life stages) also.

Please note that tyaga and embodied knowing, not political power, have been the most revered qualities among Dharmics (M.B., I. 109,111). With this framework of qualitative social division in mind, Manu asserts that while Brahmin's service is the finest, Vaisya's service is the worst. Sastra-s are most lenient while discussing societal duties of the Sudra-s.[10] Hence, the group with least responsibility was naturally respected the least (Coomaraswamy, 2022, pp. 11-12). But even the Sudra-s who chose the life of vairagya were literally worshipped. For instance, a few of the Nayanmar saints were of Sudra origin. Social mobilization among jati-s was also a common occurance before the colonial interventions (e.g. 'scheduled caste' list) and vested interests of certain native peoples turned the dynamic systems of jati into the rigid

caste system (Farek et al, 2017; Lal, 1995).[11] For instance, in Tantravarttika (2.3.3), the great mimaCsaka Kumarila Bhamma says that all four varna-s are doing 'rajya' (kingship).

Sampradayika Harmony

The traditional monastic orders in India never claimed any higher political position and hence, there was never a clash between 'the church' (which did not exist in the first place) and the State. The Catholic Church, on the other hand, literally ruled Europe for many centuries which was legitimized by the theory of two swords/kingdoms (Roover, 2015; Deepak, 2021, p. 80-95). The simple explanation is that in India the intricate web of knowledge traditions (known as Sanatana Dharma) was not a conversion/political project, but rather a personal journey to realize higher truths, and countless saApradaya-s (for each according to his/her temperaments) acted as guides in that journey. Though the post-colonial Indian state assumes Hindu and Semitic traditions to be phenomena of the same kind, prima-facie evidence suggests that they may not be (Swarup, 2022). The problem is that the hegemonic discourse and emic categories used to study or describe Indic traditions are entirely Christian (Balagangadhara, 2012). Same was witnessed in the Sabrimala Judgment (2018) of the Supreme Court of India in which the inalienable right of the presiding deity of the temple were violated to satisfy post-Christian sensibilities of equality (read 'homogeneity') and 'essential practices' of a 'religion'.

The debate around the issue of religious conversion in India also portrays this religio-colonial bias. Peoples and groups demanding a ban on religious conversion are termed as 'communal' (as if it is a bad word), bigot and what not by the left-liberal circles. Objectively speaking, preventing forced or voluntary conversion is not a Hindutva mission; on the other hand, not banning conversion is the aggressive religions' agenda (Balagangadhara, 2012, p. 202). The problem of systemic communal disharmony and rioting in India is not an indigenous one. It has foreign (in general) and Semitic (in particular) origins. As we have discussed previously that diversities of all kinds are/were accepted as a part of the differentiated reality, i.e. samsara.

A Mature Sense of Communal Identity. All the varying communal categories are not necessarily isolated from each other, but rather can be complexly intermingled with each other. This Vedic feature provides for a pluralist and accommodative sense of identity among Hindus. McKim Marriot (1976) notes that "the intersection of categories is as regular a process as segmentation in Vedic thinking about categories." Take for example the intersection of jati-varna-gotra-grama-sampradaya-desa and atman (the Self) which constructed the identity of a traditional Hindu. This fluid way of identity formation and interconnectedness has been a prey to Western coloniality in modern times.

The West's persistent search for an elusive stability, according to McKim Marriot, is founded on the assumption that all civilizations are willing to accept European and American concepts of order above other, more fluid categories of social and political identity (Malhotra, 2018, p. 52).

Conclusion

SaCpradayika (intra and inter) disharmony is a non-existing (rather, rare) problem within the Dharmic worldview. The exceptionality of religion-based persecution in historical India is the direct fallout of the inherently pluralistic framework of Dharmic knowledge traditions. In the eleventh century, the famous Muslim traveller to India, Alberuni, also noted the lack of religious rivalry among Hindus. He noted: "On the whole, there is very little disputing about theological topics among themselves; at the utmost, they fight with words, but they will never stake their soul or body or their property on religious controversy."[12]

Drawing on the writings of François Bernier, a seventeenth-century French merchant and traveller, a Protestant writer from the late eighteenth century reports:

"When the Brahmins have been pressed by the arguments of the Christians, that their law could only be observed in their own country, on account of its peculiar ordinances, their answer has been uniform, 'that God had only made it for them, and therefore they did not admit into it strangers; that they pretended not that Christianity was false; and since God could make many roads to heaven, it was not thence to be presumed that their religion was mere fable and invention."[13]

If such has been the historically unbroken worldview of Dharmic civilization since antiquity,

reclaiming our indigenous civilizational ethos and traditions becomes much more imperative today than ever. Nehruvian secularism has not only failed as a doctrine to foster communal harmony, but has also normalized appeasement and 'victimization' of aggressive Semitic global majorities at the expense of Hindu traditions and institutions (which actually sustain whatever harmony is present). Therefore, Balagangadhara argues (2012, p. 218), the Indian state cannot blindly follow Western democracies' lead and pretend to stay 'neutral'. It can't pretend to be agnostic while legislating on religious liberty. The Indian state confronts choices, which Western democracies never had to face. The majority-minority debate seems like a colonial trap to guilt trip the victim, rather than the aggressor ideological cults.

J. Sai Deepak (2021, p. 2) drives home a germane point when he argues that the "history seemed to teach us that the survival of the Indic civilization as a civilization depended on the flourishing of its sub-identities, with each of the sub-identities realising that they were part of a federal symbiotic whole and that it was in their own existential interest to remain part of the whole." It may also be argued that in the Dharmic worldview(s), "(n)ot unity, but coherence seems to be the end" (Ramanujan, 1989). This seems like an organic, pluralist and respectful way forward for a harmonious society. Moreover, the success of this truly democratic Dharmic normative framework can be a lesson for all the other post-colonial societies suffering from the ills of Western coloniality.

There will always be differences of opinions, modes of worship, beliefs and worldviews. There will always be multiple religions, sects and communities. It is but natural to have a sense of 'difference' from other communities/peoples/traditions that do not share in our common religio-cultural and/or social traits, as well as a determination to cherish, assert, and protect our common possession from 'denigration' and destruction. Additionally, there may be a sense of community in something dear and precious that others do not possess. The modern crusade against diversity of knowledge traditions under the banner of secularism or liberalism was historically a reaction to the violent and conflict-seeking Abrahamic faiths. These approaches can only be detrimental to the already flourishing diverse cultures and traditions of Bharat.

The Way Forward. India does not need alien normative frameworks like secularism, multiculturalism etc. for envisioning intra-communal unity and inter-communal harmony. Indian knowledge systems can offer a lot in this direction to the global academia. A concentrated effort for serious and context-sensitive scholarship in this direction, keeping in mind the complexities of modern times and the hegemony of Western discourse, may provide viable normative alternatives for conflict resolution and policy making.

References

Adhikary, Nirmala M. Theory and Practice of Communication – Bharata Muni. Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication.

Aurobindo, Sri. (1997). The Complete Works of Sri Aurobindo: The Renaissance in India with a Defence of Indian Culture. Sri Aurobindo Ashram.

Aurobindo, Sri. (1998). The Complete Works of Sri Aurobindo: The Secret of the Veda. Sri Aurobindo Ashram

Aurobindo, Sri. (2002). The Complete Works of Sri Aurobindo: BandeMataram. Sri Aurobindo Ashram

Balagangadhara, S. N. (2012). Reconceptualizing India Studies. Oxford University Press.

Chandra, Bipan. (1984). Communalism in Modern India. Vani Educational Books.

Coomaraswamy, Ananda. (2022). The Dance of Shiva: Fourteen Essays. Rupa Publications India.

Deepak, J. Sai. (2021). India that is Bharat: Coloniality, Civilization and Constitution. Bloomsburry.

Eck, Diana L. (2013). India: A Sacred Geography. Harmony.

Farek, M., Jalki, D., Pathan, S., & Shah, P. (Eds.). (2017). Western Foundations of the Caste System. Palgrave Macmillan.

Jha, Ganganatha. (1920). Manusmr%ti with the Commentary of Medhatithi. University of Calcutta.

Krishna, Nanditha. (2017). Hinduism and Nature. Penguin

Lal, K. S. (1995). Growth of Sheduled Tribes and Castles in India. Aditya Prakashan.

Lal, K. S. (2018). Indian Muslims: Who Are They. Voice of India.

Madhusudan, Harsh & Mantri, Rajeev. (2020). A New Idea of India: Individual Rights in a Civilisational State. Westland.

Marriot, McKim. (1976). Interpreting Indian Society: A Monistic Alternative to Dumont's Dualism. Journal of Asian Studies. 36/1, 189-195.

Malhotra, Rajiv, & Neelakandan, Aravindan. (2013). Breaking India: Western Interventions In Dravidian And Dalit Faultlines. Amaryllis.

Malhotra, Rajiv. (2018). Being Different. HarperCollins.

Mehta,V. R. (2013). Foundations of Indian Political Thought. Manohar.

Ramanujan. A. K. (1989). Is There an Indian Way of Thinking? An Informal Essay. Contributions to Indian Sociology, 23/1, 41-58.

Roover, Jakob De. (2015). Europe, India, and the Limits of Secularism. Oxford.

Srectha, Angirasa. (2021, March 28). Defining Hindudharma: The Tanunaptra Metaphor. Aryanthought. https://aryanthought.wordpress.com/2021/03/28/defining-hindudharma-the-tanunaptra-metaphor/

Sridhar, Nithin. (2019, January 21). Understanding the concept of Varna as it appears in Hindu scriptures- I. Indiafacts. https://indiafacts.org/understanding-the-concept-of-varna-as-it-appears-in-hindu-scriptures-i/

Swamy, Subramanian. (2012). Hindus Under Siege: The Way Out. Har Anand Publications.

Swarup, Ram. (2020). Hindu View of Christianity and Islam. Voice of India.

Swarup, Ram. (2022). Hinduism and Monotheistic Religions. Voice of India.

Vatsyayana, Kapila. (Ed.). (2012). Vasudeva Sarana Agrawala Racana Sancayana (in Hindi). Sahitya Akademi: New Delhi.

Footnotes

[1] *Astika* and *Dharmasastra* traditions, especially the *Manubhasya* of Bhatta Medhatithi will be taken as the main reference texts.

[2] Quoted in (Deepak, 2021, p. 182)

[3] Some other examples from Sangam literature are: reverence of Vedic gods & rituals, respect for Brahmins, familiarity with Ramayana & Mahabharata and, the conception of a United *Bharata* "from Kanyakumari to Himalayas." These were some common literary themes of the Sangam Age (500 B.C.E. to 500 C.E.). (Malhotra & Neelakandan, 2013, p. 431-437)

[4] "*Sahridayata*," writes Nirmala Adhikary, "… is the state of common orientation, commonality or oneness." Even "in a society that has asymmetrical relationships between communication parties, it is only due to *Sahridayata* the two way communication and mutual understanding is possible."

[5] The letter is reproduced in Ishwar Sharan's '*The Myth of Saint Thomas and the Mylapore Shiva Temple*'.

[6] The universe of humanity is divided into two groups by Semitic religions: the believers (brothers/momin) and the non-believers (heathen/kafir). This distinction is known as mosaic distinction. Crusades, inquisitions, and jihad—constant violence against the "religious" other/infidels—is a direct fallout of this fundamental principle of Semitic religions (Swarup, 2020).

[7] Liberal worldview envisions an atomized society as a *good* society.

[8] For instance, "*Hari ananta hari katha ananta*," writes Goswami Tulsidas in his *Ramacaritamanasa*, meaning that the 'divine is infinite (cannot be fathomed) and hence has infinite stories/narratives of his doings'.

[9] Henceforth, *Manubhacya* will be denoted by the acronym '*M.B.*'.

[10] Many verses of *Manusm[ti* may be deemed as 'anti-Brahmin' (from a superficial alien perspective like liberalism), as the expections of *sattvikaacara* from Brahmins were sky high. For example, *Manu*., 12. 114; 10. 92-93, 109, 112; 2. 118, 103, 162, 168; 11. 25, 90-97; 4. 11, 15-17.

[11] For more on colonial roots of the present day 'caste system' and the historically high status of some *Sûdra Jati*-s, read the 'Caste in Stone' research article series at https://pragyata.com/category/caste-in-stone/

[12] Quoted in (Balagangadhara, 2012, p. 206)

[13] Cited in (Ibid, p. 205)